निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक 1943 (श0)

(सं0 पटना 910) पटना, सोमवार, 8 नवम्बर 2021

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

8 नवम्बर 2021

सं० 1/OSHC-01/2021–3228/श्र०सं०—व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की दशायें संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 133 और 135 सह पठित जेनरल क्लाउस एक्ट, 1897 की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं राज्य सरकार द्वारा निम्न नियमों को अधिक्रमण करते हुए प्रारूप नियमावली अधिसूचित करती हैः–

1. बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2005;
2. बिहार कारखाना नियमावली, 1950;
3. ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) नियमावली, 1972;
4. बिहार अंतर–राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1980
5. बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स नियमावली, 1962
6. बिहार बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की स्थिति) नियमावली, 1968,

उपरोक्त से प्रभावित होने वाले संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित इस बारे में सूचना दी गई है कि संबंधित इस बारे में सूचना दी गई है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना को उस तारीख से 45 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद ध्यान में रखा जाएगा, जिस दिन राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती है; आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त श्रम आयुक्त, बिहार या ईमेल (lcbihar@bihar.gov.in) से संबोधित किया जा सकता है।

आपत्तियों और सुझावों को एक विहित प्रपत्र में भेजा जाना चाहिए जिसमें कॉलम (i) व्यक्तियों और संगठनों के नाम और पते को निर्दिष्ट करना होगा और कॉलम (ii) उस नियम या उप–नियम को निर्दिष्ट करना होगा जिसे संशोधित किया जाना है और कॉलम (iii) में संशोधित नियम या उप नियम प्रस्तुत किया जाना होगा प्रस्तावित है और इसलिए; आपत्तियां और सुझाव, जो उपरोक्त निर्दिष्ट 45 दिनों की अवधि से पहले किसी भी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त हो सकते हैं, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

ik:i fu;ekoyh

v/;k;&I

çkjfHkd

1- lf{kIr 'kh"kZ] lhek vkj çkjHkA&

(1) इन नियमों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की दशायें (बिहार) नियम, 2021 कहा जा सकता है।

(२) इनका विस्तार पूरे बिहार राज्य तक है।

(3) यह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020 के लागू होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2- ifjHkk"kk& (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) संहिता से अभिप्रेत है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की दशायें संहिता, 2020"

(ख) 'प्रपत्र' से अभिप्रेत है इन नियमों से जुड़ा प्रपत्र;

(ग) 'धारा' से अभिप्रेत है संहिता की धारा।

(घ) 'पंजीकरण अधिकारी' से अभिप्रेत है इन नियमों के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पंजीकरण अधिकारी है।

¼M-½ ^^bysDVªfud :i lsA^^ से अभिप्रेत है bZesy }kjk çLrqr dh xbZ dkbZ Hkh lwpuk ;k i=kpkj ;k dkM dk mís'; ds fy, fufnZ"V ikVZy ij miyC/k djkbZ xbZ lwpuk ;k i=kpkj ;k fdlh izdkj dk fMftVy Hkaxrku fd;k tkuk(

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और भाव जो उसमें परिभाषित नहीं हैं, लेकिन कोड में परिभाषित हैं, तो क्रमशः उन्हें कोड में निर्दिष्ट अर्थ के समान माना जाएगा।

¼3½ /kkjk 2 dh mi&/kkjk ¼1½ ds mi[kaM ¼X½ ds Li"Vhdj.k ds vUrxZr lkrok lsa vk; & /kkjk 2 dh mi&/kkjk ¼1½ ds mi[kaM (ii) और (iii) के प्रयोजानर्थ किसी भी समय 9000/– प्रति माह से अधिक आय वाले किसी आश्रितों को ऐसे आश्रित के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा।

(4) /kkjk 2 ds mi&[kaM ¼1½ ds [kaM ¼tSMch½ ds vUrxZr inkFkZ dh ek=k ;k ek=k– धारा 2 के उप–खंड (1) के खंड (जेडबी) के उद्देश्य के लिए खतरनाक पदार्थ और इसकी मात्रा अनुसूची– I में निर्दिष्ट है।

v/;k;&II

iathdj.k

3- /kkjk 3 ds mi&/kkjk ¼2½ ds vUrxZr vkonu tek djus dk ekunM vkj bldk vUrxZr vkonu dk izi= ,oa mlesa fn;s tkus okys C;kSjk ,oa 'kSYd rFkk /kkjk 3 dh mi &/kkjk ¼1½ ijUrqd ds vUrxZr fcyEc 'kSYd ds lkFk tek dh tkus okyh 'kSYd –

(1) (i) कोई नियोक्ता किसी ऐसे प्रतिष्ठान जो पहले से पंजीकृत नहीं है, के लिए पंजीकरण हेतु ऑन लाईन पोर्टल पर çi=&I में इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा जिसमें प्रतिष्ठान के बारे में जानकारी दी जाएगी और प्रतिष्ठान के पंजीकरण, पहचान का प्रमाण और नियोक्ता के पते जैसा कि प्रपत्र में निर्दिष्ट है, से संबंधित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। प्रपत्र पर डिजिटल रूप से या पोर्टल पर यथा अपेक्षित किसी अन्य पद्धति से हस्ताक्षर किए जाएंगे। आवेदन में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए वे जिम्मेदार होगा।

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आबंटित आवेदन अथवा प्रतिष्ठान के स्थायी खाता संख्या (पैन) अथवा उस समय के लिए लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठान को आबंटित किसी अन्य विशिष्ट संख्या अथवा प्रपत्र में दिए गए अन्य किसी विवरण का सत्यापन ऑन लाइन किया जा सकता है।

(iii) आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तो पंजीकरण का प्रमाणपत्र çi=& II में डिजिटल रूप से तत्काल जारी होंगे यदि आवेदन पूर्ण रूप से भरा हो तो जमा किए जाने की तारीख से 7 दिन अन्दर जारी किया जाएगा, ऐसा न करने पर ऐसे प्रतिष्ठान को पंजीकृत मान लिया जाएगा और पंजीकरण का प्रमाण–पत्र स्वतः सृजित हो जाएगा। पंजीकरण पदाधिकारी निबंधन को सुगम बनाएगा एवं केवल सही कारणों के आधार पर आवेदन निरस्त नहीं करेगा।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में राज्य सरकार ऐसी अवधि के लिए अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण राज्य को प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की किसी श्रेणी के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक पंजीकरण की आवश्यकता से अलग कर सकती है और इस प्रकार उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में आवेदन भेजने की अनुमति दी जा सकती है।

(iv) पंजीकरण प्रमाण पत्र अहस्तांतरणीय होगा और पंजीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति प्रतिष्ठान के परिसर के प्रमुख स्थान पर हार्ड कॉपी के रूप में या इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

(2) संहिता के अंतर्गत पंजीकरण अधिकारी उप–नियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करने वाले नियोक्ता को उसमें उल्लिखित समय के भीतर इसका अनुपालन करने का निर्देश दे सकता है और ऐसे नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अधिकारी द्वारा जारी निदेश का अनुपालन किया जाऐगा।

(3) उस समय के लिए लागू किसी अन्य केन्द्रीय श्रम कानून के अंतर्गत पहले से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान के संबंध में नियोक्ता पंजीकरण संबंधी विवरणों को संहिता के लागू होने की तारीख में 6 माह के भीतर ऑन लाईन पोर्टल पर अद्यतन करेगा।

(4) गलत जानकारी देकर प्राप्त किया गया कोई पंजीकरण रद्द किया जा सकता है वशर्ते उस प्रतिष्ठान को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा यह कारण बताने का एक अवसर दिया गया हो कि पंजीकरण प्रमाण पत्र को क्यों न रद्द कर दिया जाए।

(5) नियोक्ता द्वारा संहिता अथवा नियमों अथवा विनियमों अथवा योजना, जैसा भी मामला हो, के संबंध में उसके द्वारा तैयार अथवा पूर्ण किए गए सभी दस्तावेजों पर और संबंधित कार्यालय के साथ सभी पत्राचार में पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाएगा।

(6) स्वामित्व, प्रबंधन अथवा विशिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण प्रपत्र में दिए गए किसी विवरण में बदलाव को नियोक्ता द्वारा ऐसे परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा।

(7) ऐसे प्रतिष्ठान जिस पर संहिता के प्रावधान लागू होते हैं और जिसके कारोबार से संबंधित कार्यकलाप बंद होने की प्रक्रिया में हैं, का नियोक्ता, श्रम संबंधी संहिताओं के अंतर्गत देय बकायों का पूरा ब्यौरा देने के पश्चात ऑन लाईन पोर्टल पर पंजीकरण को रद्द करने के लिए विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

बशर्ते की जब तक नियोक्ता द्वारा सभी सांविधिक विवरणियां जमा न कर दी जाए, केन्द्रीय श्रम संहिताओं और किसी अन्य श्रम कानून के अंतर्गत सभी सांविधिक बकायों का भुगतान न कर दिया जाए और उस आशय से संबंधित एक स्व प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ जमा न दिया जाए तब तक पंजीकरण के रद्द किए जाने संबंधी ऐसे किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(8) पंजीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र–III में इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिष्ठान का रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रतिष्ठान के ब्यौरे दर्शाए जाएंगे जिसके संबंध में उसके द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं।

(9) नियोक्ता द्वारा उस क्षेत्र जहां प्रस्तावित प्रतिष्ठान अथवा कार्य, जैसा भी मामला हो किया जाना है, के क्षेत्राधिकार में आने वाले निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता को किसी कार्य के आरंभ अथवा पूर्ण होने के 30 दिनों के भीतर सूचित करेगा जिसमें कार्य के आरम्भ होने, पूर्ण होने और प्रतिष्ठान के बंद होने, जैसा भी मामला हो, की वास्तविक तिथि की सूचना इन नियमों के साथ संलग्न çi=&IV में इलैक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी जो ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ स्वतः साझा हो जाएगी।

¼10½ ¼1½ lfgrk d ykx gku l io ekt n çfr"Bku d ekey e] ithdj.k d fy, dkbl 'kYd ugh gkxk ;fn vkond bl dkM dh ç;kT;rk dh rkjh[k l lkB fnu d Hkhrj ithdj.k d fy, vkonu djrk g] gkykfd] /kkjk 3 dh mi/kkjk ¼1½ ,o ¼2½ d i;ktukFk LFkkiukvk d fy, fux r fd, tku oky ykbl l dk foyEc 'kYd uhp nh xb rkfydk e fufn"V g%&

ØEl Œ	Jfedk dh l[;k	fcyEc 'kYd		
		90 fnu rd	180 fnu rd	180 fnu l vf/kd
क	10 लेकिन 49 श्रमिक से अधिक नहीं है	10,000 रू०	25,000 रू०	1,00,000 रू०
ख	50 लेकिन 100 श्रमिक से अधिक नहीं है	20,000 रू०	50,000 रू०	2,00,000 रू०
ग	101 लेकिन 300 श्रमिक से अधिक नहीं है	40,000 रू०	1,00,000 रू०	4,00,000 रू०
घ	301 लेकिन 500 श्रमिक से अधिक नहीं है	60,000 रू०	1,50,000 रू०	6,00,000 रू०
ड.	501 लेकिन 1000 श्रमिक से अधिक नहीं है	80,000 रू०	2,00,000 रू०	8,00,000 रू०

ØŒlŒ	Jfedk dh l[;k	fcyEc 'kYd		
		90 fnuk rd	180 fnuk rd	180 fnuk l vf/kd
च	1001 लेकिन 5000 श्रमिक से अधिक नहीं है	1,00,000 रू०	2,50,000 रू०	1,00,000 रू०
छ	5001 एवं उससे अधिक	1,20,000 रू०	3,00,000 रू०	1,20,000 रू०

¼2½ u, çfr"Bkuk d ekey e] ithdj.k d fy, dkb 'kYd ugh gkxk ;fn vkond LFkkiuk d mn?kkVu dh rkjh[k l lkB fnuk d Hkhrj ithdj.k d fy, vkonu djrk g] gkykfd fdlh LFkkiuk d [kM 3 dh /kkjk ¼1½ vkj ¼2½ mi fu;e ¼1½ d i;ktukFk fuxr fd, tku oky ykbl l dk foyEc 'kYd fu;e ¼1½ d rkfydk d vulkj gkxkA

¼3½ foyc 'kYd fu/kkfjr dju e çfr"Bku d ekfyd@fu;kä@0;olk;h d uke ij mi;kfxrk duD'ku dh frFkh dk ithdj.k vf/kdkjh }kjk fopkj e j[kk tk ldrk gA

4- /kkjk 4 d vrxr vihyA&

(i) पंजीकरण अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट नियोक्ता ऐसे आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए नियुक्त अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपील कर सकता है।

(ii) जिस मामले में अपील का ज्ञापन उपयुक्त होता है उसमें अपीलीय अधिकारी अपील को स्वीकार करेगा, इसकी पावती भेजेगा और ऐसी अपील को स्वीकार किए जाने के संबंध में सूचित करेगा और अपीलों के रजिस्टर में दर्ज किए जाने के प्रायोजनार्थ अपील को इलैक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकृत करेगा।

(iii) अपील स्वीकार कर लिए जाने पर अपील अधिकारी पंजीकरण अधिकारी, जिसके आदेश के विरूध अपील की गई है, को अपील का नोटिस भेजेगा और पंजीकरण अधिकारी अपील अधिकारी को उस मामले के अभिलेख इलैक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन भेजेगा।

(iv) अपील प्राप्त होने पर अपील अधिकारी अपीलकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजेगा कि वह अपील की सुनवाई के लिए नोटिस में निर्धारित की गई तारीख और समय पर उसके समक्ष उपस्थित हो।

(v) यदि सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो आवेदक को इलैक्ट्रॉनिक रूप से आदेश की प्रति भेज कर अपील अधिकारी अपीलकर्ताओं के उपस्थित होने में विफल रहने के कारण अपील को खारिज कर सकता है।

(vi) यदि कोई अपील खारिज कर दी गई है तो अपीलकर्ता आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील अधिकारी को अपील को बहाल करने क संबंध में इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है और यदि अपील अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता समुचित कारण से उपस्थित नहीं हो पाया तो अपील अधिकारी उस अपील को पुनः बहाल करेगा।

(vii) अपील अधिकारी का आदेश अपीलकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति पंजीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है और इस अपील को निष्पादन अपील के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

5- /kkjk 5 d vUrxr dk;l 'k: dju vkj lekfIr dh lpukA& प्रत्येक प्रतिष्ठान चाहे वह कारखाना या अनुबंध ठेका श्रम या भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यों से संबंधित प्रतिष्ठान, का नियोक्ता, कार्य शुरू होने या समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर, पंजीकरण अधिकारी को çi=&**IV** में इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा और कार्य समाप्त होने की सूचना के साथ यह प्रमाण–पत्र संलग्न होगा कि प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों के सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायानों और पदार्थों के भण्डारण से मुक्त कर दिया गया है।

v/;k;&III
fu;kDrk vkj deZpkjh d dr0;

6- /kkjk 6 dh mi&/kkjk ¼1½ d [kM ¼x½ d vUrxr deZpkfj;k dh okf"kd LokLF; tkp& कारखाने और भवन या अन्य निर्माण कार्य से जुड़े प्रत्येक नियोक्ता द्वारा 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने लेने वाले प्रत्येक कामगार के स्वास्थ्य की जाँच वार्षिक रूप से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ होने के 120 दिनों के भीतर निःशुल्क कराने की व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा जाँच किसी योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा फॉर्म–V में दिये गये ब्यौरे के अनुसार करायी जाएगी। योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा संबंधित नियोक्ता और कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र भेजा जाएगा।

7- /kkjk 6 dh mi&/kkjk ¼1½ d [kM ¼p½ d vUrxr deZpkfj dk fu;fä i=A&

(i) किसी प्रतिष्ठान में कोई भी कर्मचारी तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे इस नियम के साथ संलग्न इस विहित प्रपत्र में नियुक्ति पत्र जारी न कर दिया जाय;

परन्तु कि किसी कर्मचारी जिसे वांछित विवरणों के साथ नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है, को इस नियम के लागू होने के तीन महिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

i i=

(i) कर्मचारी का नामः
(ii) पिता का नामः
(iii) आधार संख्याः
(iv) श्रम पहचान संख्या (लिन) /स्थापना का पंजीकरण संख्याः
(v) यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यू ए एन)/बीमा संख्या (ईएसआईसी):
(vi) पदनामः
(vii) कौशल की श्रेणीः
(viii) कार्य ग्रहण की तिथिः
(ix) वेतन, मूल वेतन और महंगाई भत्ताः
(x) आवास, जहाँ लागू हों सहित अन्य भत्ते;:
(xi) उच्चतर वेतन/उच्चतर पद प्राप्त करने के अवसरः
(xii) ईपीएफओ और ईएसआईसी के लाभ की अनुप्रयोज्यताः
(xiii) स्वास्थ्य जांच
(xiv) किए जाने वाले कर्तव्यों की विस्तृत प्रकृतिः
(xv) कोई अन्य जानकारीः
¼xvi½ jkstxkj dh çkfr ¼LFkk;h] vLFkk;h] ekSleh] nSfud oru dkexkj] fuf'pr vof/k jkstxkj] vuqc/k dk;Zdrk] ;fn dkbZ vU; —i;k fufnZ"V dj½

हस्ताक्षर
(दखलकार/नियोक्ता/मालिक/एजेंट/प्रबंधक)

¼ii½ nSfud oru dkexkj dk NkMdj lHkh Jfedk dk ,d igpku i= tkjh fd;k tk,xk] ftlesa LFkkiuk dk iathdj.k l[;k vkj uke] deZpkfj dk uke] firk dk uke vkj irk] jkstxkj dh çkfr vkj o/krk gksxhA

igpku i= dk n[ky dkj@fu;kstk@ekfyd@,tsV@çc/kd }kjk fof/kor gLrk{kfjr fd;k tk,xkA

8- /kkjk 10 dh mi&/kkjk ¼1½ vkj /kkjk 11 d vUrxr nq?kVukvk vkj [krjukd ?kVukvk dh lpukA&

(1) किसी प्रतिष्ठान, जो कोई कारखाना और भवन अथवा अन्य सन्निमार्ण कार्य हो सकता है, में किसी स्थान पर किसी दुर्घटना के घटित होने, जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पर प्रतिष्ठान का नियोक्ता अथवा प्रबंधक अथवा अधिभोगी इसकी सूचना प्रपत्र VI में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता और मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता को देगा और जिला

अधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी और नजदीकी थाने के प्रभारी अधिकारी और घायल अथवा मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों को दूरभाष पर देगा।

(2) किसी प्रतिष्ठान, जो कोई कारखाना और भवन अथवा अन्य सन्निमार्ण कार्य हो सकता है, में किसी स्थान पर किसी दुर्घटना के घटित होने, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है जिसके कारण दुर्घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति 48 घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए कार्य करने से रोक दिया जाता है, तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता अथवा स्वामी अथवा प्रबंधक 48 घंटे की अवधि पूर्ण होने पर के 12 घंटों के भीतर निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदात्ता को प्रपत्र–VI में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना देगा।

(3) किसी प्रतिष्ठान में संलग्न अनुसूची में यथानिर्दिष्ट किसी खतरनाक घटना जिसके कारण कोई शारीरिक चोट अथवा अपंगता आती है या नहीं, 12 घंटे के भीतर फॉर्म–VI में एक नोटिस निम्नलिखित को भेजी जाए:

(क) निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता ;

(ख) जिला अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी;

बशर्ते कि यदि उक्त नियमों के अंतर्गत सूचनाएं और रिपोर्ट भेजने के बाद ऐसी दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना में घायल किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता अथवा अधिभोगी अथवा प्रबंधक उप नियम (1) और (2) में उल्लेखित प्राधिकारियों और व्यक्तियों को इसकी सूचना दूरभाष से और इलेक्ट्रॉनिक रूप से देगा और मृत्यु के 12 घंटे के भीतर लिखित में इस सूचना की पुष्टि भी करेगा।

परन्तु यदि उप नियम (2) में उल्लिखित 48 घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए कार्य करने की अयोग्यता की अवधि दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के तुरंत बाद नहीं आती है किन्तु बाद में आती है अथवा एक से अधिक बार आती है तो संदर्भित रिपोर्ट निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता विहित प्रपत्र में दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के परिणामस्वरूप कार्य करने में अशक्तता की वास्तविक कुल अवधि 48 घंटे पूर्ण होने, के 24 घंटे के भीतर भेजी जाएगी।

अनुसूची

खतरनाक घटनाओं के निम्न वर्ग, चाहे वे व्यक्तिगत चोट या अक्षमता में शामिल हों, अर्थात्: –

(i) वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव में किसी भी संयंत्र या पाइपलाइन या पेट्रोलियम, भाप, संपीड़ित हवा या अन्य पदार्थ युक्त उपकरणों को विस्फोट;

(ii) एक क्रेन, डेरिक, विंच उत्तोलक या अन्य उपकरणों या उनके किसी भाग का खराब होना या बंद होना जिन्हें व्यक्तियों या सामानों को ऊपर चढ़ाने या नीचे उतारने के लिए उपयोग में लाया जाता है क्रेन का पलटना;

(iii) विस्फोट, विस्फोटक, आग, रिसाव के कारण विस्फोट या हानिकारक जहरीली गैसों के रिसाव, किसी भी पिघली हुए धातु के रिसाव या गर्म द्रव अथवा गैर का रिसाव जिनके कारण उस कमरे या स्थान, जिसमें व्यक्ति नियोजित है, को नुकसार पहुंचता है या उसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है;

(iv) किसी गैस या गैसों (वायु सहित) या किसी भी तरल या ठोस के गैस के संपीड़न से उत्पन्न वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव में भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले रिसीवर या कंटेनर का विस्फोट।

(v) भवन या निर्माण सामग्री के संचालन से संबंधित उत्तोलक उपकरणों या उत्तोलक या कन्वेयर्स के खराब या बंद होना अथवा रज्जु, चेन या लूज गियरों का टूटना या खराब होना; भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले क्रेन का पलटना; ऊंचाई से वस्तुओं का गिरना;

(vi) किसी भी दीवार, फर्श, गैलरी, रूफ ब्रिज, सुरंग, चिमनी, दीवार या मिट्टी के ढेर या किसी अन्य संरचना, प्लेटफार्म, स्टेजिंग, मचान या ढांचे सहित पहुँच के किसी भी साधन का गिरना, संपर्क कार्य, उत्खनन और पारेषण का खराब होना;

(vii) खतरनाक पदार्थों का रिसाव या बहाव और उनके कंटेनर को नुकसान;

(viii) प्रतिष्ठान के भीतर परिवहन उपकरणों का खराब होना, गिरना, ढहना या टकराना;

(ix) किसी उत्खनन, लोडिंग या परिवहन मशीनरी का ऊंचाई से गिरना;

(x) जमीन के नीचे काम करते समय कोयले के किसी पिलर, पिलर या कई पिलरों के किसी भाग (जैसे 'बम्प') का अचानक खराब होना;

(xi) जमीन के नीचे कार्य करते समय विस्फोट; प्रचालन के किसी भाग का असमय गिरना;

(xii) किसी भी यंत्र या उपकरण के आवश्यक पुर्जे का टूटना, फ्रैक्चर या खराब होना जिससे लोगो की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है;

(xiii) स्लाइड जिसके कारण किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है, किसी मशीनरी को क्षति हो सकती है या सामान्य खनन कार्यों में रुकावट हो सकती है;

(xiv) ओपन कास्ट वर्किंग में डंप या साइड का खराब होना; ब्लोआउट;

(xv) किसी संरचना या स्थापना की खराब होना, जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है; या बिजली के फ्लैश से उत्पन्न स्पार्क जिससे कोई व्यक्ति जल सकता है;

(xvi) पेट्रोलियम या रासायनिक रिसाव का एक बड़ा अनियंत्रित उत्सर्जन;

9- /kkjk 12 dh mi&/kkjk ¼1½ vkj ¼2½ d vUrxr chekjh dh lpukA&

¼1½ किसी प्रतिष्ठान, जिसमें संहिता की तीसरी अनुसूची में यथा अधिसूचित किसी बीमारी की घटना होती है, के नियोक्ता अथवा मालिक अथवा प्रबंधक द्वारा निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता अथवा मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता को निम्नलिखित प्रपत्र में सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

chekjh dh lpuk

(1) प्रतिष्ठान का नामः
(2) प्रतिष्ठान की प्रकृतिः
(3) मरीज का विवरणः
(क) मरीज का नामः
(ख) मरीज की संख्याः
(ग) मरीज का पताः
(घ) मरीज का यथार्थ व्यवसायः
(4) पीड़ित मरीज की बीमारी की प्रकृतिः
(5) बीमारी का पता लगने की तिथिः
(6) मेडिकल प्रैक्टिशनर का विवरणः
(7) क्या मामले की सूचना चिकित्सा अधिकारी को दी गई है?

fu;kä ;k vf/kHkkxh ;k çc/kd dk gLrk{kj

rkjh[k%

(2) यदि किसी योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किसी प्रतिष्ठान में नियोजित किसी व्यक्ति की जांच करता है और उसका यह विश्वास है कि वह व्यक्ति *rhljh vuqlph* में निर्दिष्ट किसी बीमारी से पीड़ित है तो योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर बिना किसी विलम्ब के मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदात्ता के कार्यालय को लिखित में रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा–

(क) मरीज का नाम और डाक का पूरा पता,
(ख) उसके विश्वास के अनुसार मरीज किस बीमारी से पीड़ित है, और
(ग) प्रतिष्ठान का नाम और पता जिसमें मरीज नियोजित है या अंतिम रूप से नियोजित था।

10- /kkjk 13 d [kM ¼?k½ vkj ¼N½ d vrxr depkjh d dk; A& प्रतिष्ठान के मामले में यदि किसी कर्मचारी को प्रतिष्ठान में किसी भी असुरक्षित अथवा अस्वास्थ्यकर स्थिति की जानकारी मिलती है तो वह नियोक्ता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी अथवा ऐजेंट अथवा प्रबंधक को जितनी जल्दी संभव हो इलेक्ट्रॉनिक रूप से, लिखित रूप से अथवा दूरभाष से सूचित करेगा।

11- /kkjk 14- dh mi&/kkjk ¼3½ d vUrxr depkjh d vf/kdkjA– कर्मचारी से उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक आसन्न खतरे की मौजूदगी के संबंध में सूचना मिलने पर नियोक्ता इस संबंध में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करेगा। नियोक्ता चाहे वह संतुष्ट हो अथवा न हो, इस प्रकार किए गए कार्यों की एक रिपोर्ट निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगा।

v/;k; IV

0;kolkf;d lqj{kk vkSj LokLF;

12- /kkjk 17 dh mi/kkjk ¼1½] ¼2½ vkSj ¼3½ d vUrxr jkT; 0;kolkf;d lqj{kk vkSj LokLF; lykgdkj ckMA

¼1½ *jkT; lykgdkj ckM e 'kkfey gkx–*

(क) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार– *v/;{k(*

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार या उनके प्रतिनिधि निदेशक, उद्योग से अन्युन पंक्ति के पदाधिकारी– *inu lnL;*

(ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार– *inu lnL;*

(घ) अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार– *inu lnL;*

(ड.) श्रम आयुक्त, बिहार – *inu lnL;*

¼p½ *fun'kd] fpfdRlk lsok, d epkjh jkT; chek ;kstuk] fcgkj & inu lnL;*

(छ) नियोक्ताओं के पांच प्रतिनिधि– *inu lnL;*

(ज) कर्मचारियों के पांच प्रतिनिधि– *inu lnL;*

(झ) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े पांच प्रतिष्ठित व्यक्ति, या प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि या इसी तरह के अन्य अध्ययन के विषय से जुड़े, जिनमें से एक सदस्य राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, बिहार से हो सकता है– *inu lnL;*

(ञ) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता – *inu lnL; lfpo*

(2) संहिता की धारा 17 (1) के अन्तर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड निर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करने के लिए जितनी बार आवश्यक हो, मिल सकता है, परन्तु वर्ष में कम से कम एक बार।

13- R;kxi= A&

(1) राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य, पदेन सदस्य के अलावा, राज्य सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र द्वारा अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकता है।

(2) ऐसे सदस्य की सीट उस तिथि से रिक्त हो जाएगी, जिस दिन राज्य सरकार द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, या राज्य सरकार द्वारा इस्तीफे के पत्र की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो ।

14- lnL;rk lekIr djukA–यदि राज्य सलाहकार बोर्ड का कोई भी सदस्य, पदेन सदस्य के अलावा, ऐसे राज्य सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत अवकाश प्राप्त किए बिना, इस तरह की अनुपस्थिति में, राज्य सलाहकार बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है तो वह राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य रह जाएगाः बशर्ते कि राज्य सरकार, यदि यह संतुष्ट हो कि ऐसे सदस्य को लगातार तीन बैठकों में भाग लेने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो निर्देश दिया गया था कि इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगेगा और ऐसा निर्देश दिया जा रहा है, ऐसे सदस्य राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे।

15- lnL;rk d fy, v;kX;rkA& राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा–

(i) यदि वह असंतुलित मानसिकता का है और उसे एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया है;

(ii) यदि वह अघोषित दिवालिया है; या

(iii) यदि उसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें तीन महीने या अधिक का कारावास का दंड है;

16- lnL;rk l gVkukA& राज्य सरकार राज्य सलाहकार बोर्ड के किसी भी सदस्य को हटा सकती है, यदि इसकी राय में राज्य सलाहकार बोर्ड में जिस प्रयोजन के लिए प्रतिनिधित्व करने हेतु रखा गया था, उस कार्य को नहीं कर रहा हैः

बशर्ते कि ऐसा कोई भी सदस्य तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस नियम के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध प्रतिनिधित्व करने का तर्कसंगत अवसर नहीं दिया जाता है।

17- lnL;k d fy, ;k=k HkÙkk ।–

(i) एक आधिकारिक सदस्य के यात्रा भत्ते को शासकीय कर्तव्यों पर उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा और इनका भुगतान उस प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा, जो उसके वेतन का भुगतान करेगा।

(ii) राज्य सलाहकार बोर्ड के गैर–आधिकारिक सदस्यों को वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

18- /kkjk 21 dh mi/kkjk ¼1½ vkj ¼2½ d vUrxr vrj&jkT;h; çoklh Jfedk d fy, vkdMk dk lxg.k vkj ikVy A& संहिता की धारा 21 की उपधारा 1 के अन्तर्गत नियोक्ता, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के आंकड़ों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा।

19- /kkjk 22 d vUrxr lj{kk lfefr vkj lj{kk v,fQlj ।–

(1) धारा 22 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिष्ठान को छोड़कर 500 या उससे ज्यादा कामगारों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान द्वारा एक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें नियोक्ताओं और कामगारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(2) सुरक्षा समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

(3) कामगारों के प्रतिनिधि का चयन पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा चुना जाएगा। जहां कोई पंजीकृत यूनियन नहीं है वहां सदस्यों को चुनाव प्रतिष्ठान के कामगारों द्वारा किया जा सकता है।
बशर्ते कि समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा।

(4) सुरक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त रूप से सूचित किये जाने का अधिकार होगा –

(क) कार्यस्थल पर कामगारों के लिए संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम;

(ख) दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के साथ–साथ ऐसे प्रतिष्ठानों में संचालित किए गए कर्मचारियों के कार्य परिवेश और स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण से प्राप्त ब्यौरे।

(5) प्रतिष्ठान के स्वामी नियोक्ता, मालिक, एजेंट अथवा प्रबंधक द्वारा सुरक्षा समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

20- lj{kk lfefr dh lajpuk A&

(1) सुरक्षा समिति में प्रबंधन के प्रतिनिधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(क) कोई वरिष्ठ अधिकारी, जो संगठन में अपने पद से समिति के कार्यकरण में प्रभावपूर्ण योगदान कर सकता है, अध्यक्ष होंगे–

(ख) एक सुरक्षा अधिकारी समिति का सचिव होगा;

(ग) एक चिकित्सा पदाधिकारी जहाँ उपलब्ध हो; और

(घ) उत्पादन, अनुरक्षण और खरीद विभागों में से एक–एक प्रतिनिधि।

(2) उप–नियम (1) में संदर्भित सुरक्षा समिति के कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन कामगारों द्वारा किया जाएगा।

(3) उप–नियम (1) में संदर्भित सुरक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त रिकार्ड किया जाएगा।

(4) सुरक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त रूप से सूचित किए जाने का अधिकार होगा –

(क) कार्यस्थल पर कामगारों के लिए संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम;

(ख) दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के साथ–साथ ऐसे प्रतिष्ठानों में संचालित किए गए कर्मचारियों के कार्य परिवेश और स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण से प्राप्त ब्यौरे।

(5) उप–नियम (1) में संदर्भित सुरक्षा समिति के कार्यों एवं दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे –

(क) 'स्वास्थ्य, सुरक्षा नीति' में उल्लेखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता करना और सहयोग प्रदान करना;

(ख) स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवेश से संबंधित सभी मामलों का निपटान करना और आने वाली समस्याओं का व्यवहार्य समाधान निकालना;

(ग) सभी कामगारों के बीच सुरक्षा संबंधी जागरूकता का सृजन करना;

(घ) शैक्षिक, प्रशिक्षण और पदोन्नित संबंधी कार्यकलापों का संचालन;

(ङ.) सुरक्षा, पर्यावरणिक और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों, सुरक्षा अंकेक्षणों, जोखिम आकल, आपातकालीन एवं आपदा प्रबंधन योजनाओं से संबंधित रिपोर्टों पर चर्चा करना और रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन;

(च) वैसे मामलों की देख–रेख करना जो कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं और सुधारात्मक उपाए सुझाना; और

(छ) इसके द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

21- [kkuk dk NkMdj /kkjk 22 dh mi/kkjk ¼2½ d vUrxr lj{kk vf/kdkfj;k dh ;kX;rk] dr0; vkj l[;kA&

(1) एक व्यक्ति कारखाने (वैसे कारखाने जहाँ परिसकंटग्रस्त प्रक्रिया अपनाई जा रही हो सहित) और भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित एक सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह धारित न करता हो –

(i) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में एक मान्यता प्राप्त डिग्री और 2 वर्ष से कम नहीं की अवधि के लिए पर्यवेक्षी क्षमता में व्यावहारिक अनुभव; या

(ii) भौतिकी या रसायन विज्ञान में एक मान्यता प्राप्त डिग्री और 5 वर्ष से कम नहीं की अवधि के लिए पर्यवेक्षी क्षमता में व्यावहारिक अनुभव; या

(iii) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में एक मान्यता प्राप्त डिप्लोमा और 5 साल से कम नहीं की अवधि के लिए पर्यवेक्षी क्षमता में व्यावहारिक अनुभव; या

(iv) इस संबंध में राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री या डिप्लोमा के अधिकारी;

(2) उप–नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसके पास ।–

(i) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा है और उसे कारखानों, भवन या अन्य निर्माण कार्यों और या के प्रशासन से संबंधित केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग में 5 वर्ष से कम का अनुभव नहीं है और

(ii) इंजीनियरिंग या तकनीक में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा है और उद्योग, या किसी संस्थान में प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श, या अनुसंधान या दुर्घटना की रोकथाम के क्षेत्र में 5 साल से कम का अनुभव नहीं है; भी सुरक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगेः

(3) कारखाना जिसमें सामान्यतः 500 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है में कम से कम 500 की कुल श्रम शक्ति के पैमाने के आधार पर एक सुरक्षा अधिकारी एवं 500 से ज्यादा के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी नियुक्त होंगे।

(4) खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखाने और भवन या अन्य निर्माण कार्य, जिसमें 250 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित होते हैं, सुरक्षा अधिकारी (यों) को कम से कम 250 की कुल श्रमशक्ति के पैमाने पर नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक अतिरिक्त 250 श्रमशक्ति के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किये जाऐगे।

¼5½ *lqj{kk vf/kdkfj;ksa dk dr0; A&* (1) किसी सुरक्षा अधिकारी का कर्तव्य अपने दायित्वों, वैधानिक कार्यों की पूर्ति के लिए एवं वैयक्तिक चोटों को रोकने और एक सुरक्षित कार्य वातावरण को बनाए रखने के विषय में सलाह देना और उनकी सहायता करना होगा अर्थात–

(i) व्यक्तिगत चोटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों एवं योजना में संबंधित विभागों को सलाह देना;

(ii) सभी नौकरी अध्ययनों में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना, और चयनित नौकरियों की विस्तृत नौकरी सुरक्षा का अध्ययन करना;

(iii) व्यक्तिगत चोटों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली कार्रवाई की प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन करना;

(iv) परिसर सुरक्षा निरीक्षण करने से संबंधित मामलों पर सलाह देना;

(v) कार्य की भौतिक स्थितियों और कार्य प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए संयंत्र या स्थल सुरक्षा निरीक्षणों के लिए और श्रमिकों द्वारा असुरक्षित शारीरिक स्थितियों को दूर करने और असुरक्षित कार्यों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर सलाह प्रदान करना;

(vi) औद्योगिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रिपोर्टिंग और जांच से संबंधित मामलों पर सलाह देना

(vii) चयनित दुर्घटनाओं की जांच करना;

(viii) संहिता को तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध रोगों के मामलों की जांच करना;

(ix) संबंधित विभागों के सहयोग से साथ अभियानों, प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों के आयोजन से जिससे कार्य और प्रक्रियाओं की सुरक्षित स्थितियों को स्थापित हो और श्रमिकों के हित को विकसित और बनाए रखा जा सके;

(x) व्यक्तिगत चोटों की रोकथाम के लिए या तो स्वतंत्र रूप से या प्रशिक्षण विभाग के साथ उपयुक्त प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम डिजाइन या संचालित करना;

(xi) सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक आपातकालीन योजना बनाई जाए और उसकी आवश्यकताओं को लागू किया जाए।

(xii) सुरक्षा अधिकारी एक पृष्ठबद्ध पुस्तक में उसके द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत अभिलेर्ख रखेगा।

(xiii) सुरक्षा से संबंधित किसी अन्य मामले में प्रबंधक की सहायता करेगा।

(2) किसी आपात स्थिति को छोड़कर, ऊपर निर्दिष्ट के अलावा कोई भी कर्तव्य सुरक्षा अधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा।

v/;k; V

oru d lkFk dke d ?kV vkj okf"kd vodk'k

22- /kkjk 25 d mi&/kkjk ¼1½ d [kM ¼[k½ d vUrxr nfud vkj lkIrkfgd dke d ?kVA&.

(1) किसी भी कामगार द्वारा किसी प्रतिष्ठान में किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी या इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) किसी भी कामगार के कार्य की अवधि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि उसके विश्राम अंतरालों को शामिल करते हुए काम के घंटे किसी एक दिन में 12 घंटे से अधिक न हो।

(3) कामगारों के कार्यों की अवधि पाँच घंटे से अधिक नहीं होगी और यह कि कोई कामगार कम से कम आधे घंटे के विश्राम के अंतराल से पहले पांच घंटे से अधिक समय तक कार्य नहीं करेगा।

(4) किसी दिन में काम के घंटो को उप–नियम (1), (2) और (3) के अध्यधनी संशोधित किया जा सकता है ताकि किसी सप्ताह में काम के घंटों की कुल संख्या इस प्रकार निर्धारित की जा सके ओर इसे अपनाया जा सके।

23- /kkjk 26 dh mi/kkjk ¼2½ d vUrxr vkjke dk lkIrkfgd fnuA&

(1) धारा 26 के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक प्रतिष्ठान के कार्यालय के बाहर विशिष्ट स्थान पर साप्ताहिक विश्राम दिवस को दर्शाने वाला नोटिस चिपकाया जाएगा। जहां प्रतिष्ठान में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए साप्ताहिक विश्राम दिवस अलग–अलग हैं, वहां यह नोटिस प्रत्येक टोली अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा व्यक्तिगत रूप से आबंटित विश्राम के दिनों को दर्शाएगा।

24- ifrijd Nfê;kA–

(1) ऐसे कार्य में लगे कामगार को छोड़कर जिसमें किसी कार्य को तकनीकी कारणों से लगातार दिन भर किया जाए, इस संहिता की धारा 26 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत अनुमेय किए जाने वाले प्रतिपूर्ति अवकाशों को इस तरह से दिया जाना चाहिए कि एक सप्ताह में दो से अधिक प्रतिपूर्त्ति अवकाश नहीं दिए जाएं।

(2) प्रतिष्ठान का प्रबंधक, जिस माह में कार्य दिवसों का नुकसान हुआ है, की समाप्ति पर अथवा उससे पहले आगामी माह के दौरान दिए गए प्रतिपूर्त्ति अवकाशों वाले कामगारों तथा उनकी तारीखों से संबंधित एक नोटिस उस स्थान पर जिस पर धारा 26 के अंतर्गत निर्धारित कार्यावधियों का नोटिस प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करेगा। किसी प्रतिपूर्त्ति अवकाश के संबंध में नोटिस में किसी पश्चातवर्ती परिवर्तन को उस अवकाश की तारीख से न्यूनतम तीन दिन अग्रिम में किया जाएगा।

(3) किसी प्रतिपूर्त्ति अवकाश अथवा अवकाशों जिसका कोई कामगार पात्र है, वे उसे कार्यमुक्त अथवा बर्खास्त करने से पहले दिए जाएंगे तथा इन्हें कार्यमुक्त अथवा बर्खास्तगी से पहले दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी नोटिस अवधि का भाग नहीं माना जाएगा।

25- /kkjk 27 d vUrxr vf/kdky gr vfrfjä oru ।–

(1) संहिता की धारा 27 के अनुसरण में, जहां किसी प्रतिष्ठान में कोई कामगार एक दिन में आठ घंटे से अधिक अथवा एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक, जैसा भी मामला हो, के लिए कार्य करता है, तो वह अपने वेतन की साधारण दर की दुगने दर से ऐसे अधिकाल कार्य के लिए वेतन का पात्र होगा तथा प्रत्येक वेतन अवधि के अंत में इसका भुगतान किया जाएगा।

(2) किसी भी दिन अधिकाल गणना में किसी घंटे के 15 से 30 मिनट के अंश को 30 मिनट गिना जाएगा तथा 30 मिनट से अधिक समय के मामले में इसे पूर्ण घंटे के रूप में वास्तविक आधार पर एक घंटा गिना जाएगा।

(3) यदि किसी कामगार को माह के आाधार पर भुगतान किया जाता है तो उसका वेतन अथवा आय गणना करने में, दैनिक वेतन उसके मासिक वेतन का 1/26वां भाग होगा; तथा अन्य किसी कामगार के मामले में वह दैनिक वेतन अथवा आय, जैसा भी मामला हो, होगा।

(4) कारखानों और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो में निम्नलिखित कार्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत किसी एक दिन में कामगारों के लिए समयवधि 12 घंटे से अधिक होगा; नामतः

(क) तत्काल मरम्मत;

(ख) प्रारम्भिक अथवा अनुपूरक प्रकृति के कार्य;

(ग) कार्य जो अनिवार्य रूप से इतने सविराम प्रकृति के है कि अंतराल जिनके दौरान ये कार्य नहीं करते हैं जबकि डयूटि के दौरान सामान्यतः अंतरालों से अधिक विश्राम की आवश्यकता होती है;

(घ) ऐसे कार्य जो तकनीकी कारणों से सतत रूप से किया जाना अनिवार्य होता है;

(ड.) अत्याधिक आवश्यकता वाली वस्तुओं के बनाने अथवा आपूर्ति में लगे कामगार जिन्हें प्रतिदिन बनाया अथवा आपूर्ति किया जाता है;

(च) ऐसी प्रक्रिया में लगे कामगार जिसे निर्धारित मौसमों को छोड़कर अन्य समय नहीं किया जा सकता है;

(छ) ऐसी प्रक्रिया में लगे कामगार जिसे प्राकृतिक ताकतों की अनियमित कार्रवाई पर आश्रित समय को छोड़कर अन्य समय नहीं किया जा सकता है;

(ज) इंजन–कक्ष अथवा बॉयलर हाउस अथवा पावर प्लांट की देखभाल अथवा मशीनरी ट्रांसमिशन में लगे कामगार;

(झ) मशीनरी के खराब होने के कारण प्रक्रिया में लगे कामगार;

(ञ) रेलवे वैगन अथवा लॉरी अथवा ट्रकों के लोडिंग अथवा अनलोडिंग में लगे कामगार;

(ट) कार्य की अपवादिक अधिकता और

(ठ) ऐसे किसी भी कार्य में लगे कामगार जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में राज्य महत्व का कार्य अधिसूचित किया जाता है।

बशर्ते कि किसी भी कामगार को किसी वर्ष की किसी तिमाही में एक सौ पचीस घंटे से अधिक अधिकाल कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

26- /kkjk 30 d vUrxr dkj[kkus e nkgj jktxkj ij çfrc/k l NV d fy, ifjfLFkfr;k jkT; ljdkj }kjk le;≤ ij vf/klfpr dh tk ldrh gA

*v/;k;&***VI**

jftLVjk] fjdkMl rFkk foojf.k;k dk j[k&j[kko

27. */kkjk 31 dh mi&/kkjk ¼2½ d vrxr dk;l vof/k;k dk ukfVlA&*

¼1) धारा 31 की उप–धारा (2) में संदर्भित नोटिस को बोर्ड पर किसी विशिष्ट स्थान अथवा इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड पर दर्शाया जाएगा तथा *iizi=&***vii** में इसका रख रखाव किया जाएगा और ऐसे नोटिस को प्रति इलैक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा निरीक्षण–सह–सुविधाप्रदाता को भेजी जाएगी।

28. */kkjk 33 d vrxr fjikVk] jftLVjk rFkk vU; vfHkys[kk dk j[k&j[kko ,o iLrqr djuk&*प्रत्येक नियोक्ता।–

(क) कामगारों, वेतन, अधिकाल, जुर्माने, नुकसान या क्षति के लिए कटौती के रजिस्टरों का *iizi=&*VIII में इलैक्ट्रॉनिक ढ़ग से रख–रखाव करेगा तथा प्रतिष्ठान के आस–पास कार्यालय अथवा नजदीकी शुलभ भवन में उपलब्ध रखेगा;

(ख) मैनुएल रजिस्टरों तथा अन्य रिकार्डो के मामले में, प्रविष्टियां अंग्रेजी, हिन्दी अथवा नियोजित व्यक्तियों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में स्याही से स्पष्ट रूप में की जाएंगी;

(ग) अंतिम रिपोर्ट अथवा प्रविष्टि की तारीख के पश्चात एक कैलेंडर वर्ष के लिए उसका मूल रूप में संरक्षण किया जाएगा, परंतु मूल प्रति के एक वर्ष के अवधि के भीतर खो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर सत्यापित प्रति उपलब्ध हो, को निर्धारित अवधि तक संधारित किया जाएगा;

(घ) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता अथवा निरीक्षक सह–सुविधा प्रदाता अथवा राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर इलैक्ट्रानिक अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत करेगा।

29- *ukfVl ckMl dk izn'kuA–* प्रत्येक नियोक्ता अपने नियंत्रणधीन प्रतिष्ठान के कार्य स्थल के विशिष्ट स्थान पर प्रतिष्ठान का नाम एवं पता, कार्य घंटे, वेतन अवधि, ऐसे वेतन के भुगतान की तारीख, गत 5 वर्षो के दौरान प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना तथा खतरनाक घटना का विविरण, ऐसे प्रतिष्ठान तक क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का नाम एवं पता तथा कामगारों के बकाया वेतन के भुगतान की तारीख को अंग्रेजी तथा हिन्दी में दर्शाते हुए नोटिस प्रदर्शित करेगा।

30. *fooj.khA&* किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता अपने क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता को *iizi=* **IX** में दो प्रतियों मे अपने प्रतिष्ठान से संबंधित विवरणी प्रतिवर्ष भेजेगा ताकि यह उसके पास प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पश्चात 01 फरवरी तक पहुंच जाए। साथ ही इसकी एक प्रति महानिदेशक, श्रम ब्यूरों को इलैकट्रॉनिक ढंग से उपलब्ध कराएगा।

31. *nq?kVuk ,o tkf[kedkjh ?kVukvk dk jftLVjA&*संहिता की धारा 33 के खंड (क) के उप–खंड (V) द्वारा अपेक्षित दुर्घटना एवं जोखिमकारी घटानाओं का रजिस्टर *iizi=* **x** में रखा जाएगा। इस प्रकार के सभी रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता को इलेक्ट्रानिक माध्यम से तीन माह में एक बार उपलब्ध कराया जाएगा एवं निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता द्वारा संबंधित कारखाना के सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर राज्य सरकार को प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

32. /kkjk 33 d [kM ¼d½ d vrxr loru vodk'k dk jftLVjA&

(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान का अधिष्ठाता, एजेंट अथवा प्रबंधक i i= **XI** में इलैक्ट्रानिक ढंग से अथवा मैनुअली अपने प्रत्येक कर्मचारी के सवेतन अवकाश का रिकार्ड रखेगा।

(2) उप–नियम (1) में उल्लिखित रजिस्टर इसमें की गई अंतिम प्रविष्टि के पश्चात् दो वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा तथा उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उसे नष्ट नहीं किया जाएगा जब तक की इसे समूचित ढंग से नए रजिस्टर में अंतरित नहीं किया गया हो।

v/;k;&VI

fufj{kd&lg&lfo/kkinkrk ,o vU; ikf/kdkjh

33- /kkjk 34 dh mi /kkjk 5 d vUrxr e[; fujh{kd&lg&lfo/kkinkrk d ;kX;rk ,o vuHko&धारा 34 की उप धारा 5 के अर्न्तगत मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के योग्यता एवं अनुभव राज्य सरकार द्वारा अधिसुचित किया जाएगा

34- /kkjk 35 dh mi&/kkjk ¼1½ d [kM ¼**X**½ d vrxr fdUgh oLrvk vFkok inkFkk d lEiy yu dh 'kfä&

(1) कोई निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता प्रतिष्ठान के नियोक्ता को सूचित करके ऑन लाईन पांर्टल के अंतर्गत अधिदेशित निरीक्षण योजना के अनुसार किसी प्रतिष्ठान के सैम्पल अथवा सार लेगा, प्रतिष्ठान में प्रयुक्त अथवा प्रयोग किए जाने वाल किसी पदार्थ का पर्याप्त सैम्पल एतदुपरांत निर्धारित ढंग से लिया जाए, ऐसा प्रयोग होने पर –

(क) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह मानना हो कि यह इस संहिता के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लघंन में है, अथवा

(ख) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के मत में प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी को शारीरिक चोट अथवा उसके स्वास्थ्य पर जोखिम आने की संभावना हो ।

(2) जब निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता उप नियम 1 के अंतर्गत सैम्पल लेता है, वह उस उपनियम के अंतर्गत सूचित व्यक्ति की उपस्थिति में जब तक कि ऐसा व्यक्ति जानबुझकर अपने आपको अनुपस्थित नहीं रखता है, सैम्पल को तीन भागों में बांटेगा, प्रभावी ढंग से सील लगाएगा एवं समुचित ढंग से उन्हें मार्क करेगा, तथा उस व्यक्ति को भी अपनी सील एवं मार्क उस पर लगाने की अनुमति देगा।

(3) उपयुर्क्ततानुसार सूचित व्यक्ति, यदि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता ऐसी अपेक्षा रखता है, तो इस धारा के अंतर्गत लिए गए सैम्पल को बांटने, सील करने तथा मार्क करने हेतु उपकरण उपलब्ध कराएगा ।

(4) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–

(क) उपनियम (1) के अंतर्गत सूचित व्यक्ति को सैम्पल का एक भाग तुरन्त देगा ;

(ख) तुरन्त दूसरे भाग को विश्लेषण एवं रिपोर्ट हेतु किसी सरकारी विश्लेषक अथवा नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) को भेजेगा ।

(ग) तीसरे भाग को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु रखेगा यदि एस पदार्थ के संबंध में कार्यवाहियां, यदि कोई हों, चलाई जाती हैं ।

(5) इस धारा के अंर्तगत विश्लेषण और रिपार्ट के लिए उसे सौंपे गये किसी पदार्थ से किसी सरकारी विश्लेषक अथवा एनएबीएल एक्रिडिटेड लेबोरेट्री के अंतर्गत रिपोर्ट के लिए तात्पर्यित कोई दस्तावेज उस पदार्थ के संबंध में प्रारम्भ की गई किसी कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

35. /kkjk 35 dh mi/kkjk ¼1½ d [kM ¼**xiv**½ d vrxr fujh{kd&lg&lfo/kkinkrk dh 'kfä;k ,o dk;&

¼1½ निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात्, इसे अनिवार्य माना जाए, स्थापना के नियोक्ता अथवा अधिष्ठाता अथवा स्वामी अथवा मालिक अथवा प्रभारी अधिकारी अथवा उनके एजेंट को संहिता तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी दशाओं के उपबंधों की अनुपालना नहीं करने का उल्लेख करते हुए i i= **XII** में निषेद्ध अथवा सुधार नोटिस जारी करेगा ।

(2) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, प्रत्येक निरीक्षण में यह पता लगाएगा कि किस सीमा तक पूर्ववर्ती निरीक्षण में अधिसूचित कमियों को दूर किया गया है तथा पूर्व में जारी किए गए नोटिसों का पालन किया गया है। उसके निष्कर्ष तथा निरीक्षण के दौरान सामने आयी कमियों के साथ–साथ संहिता अथवा इसके अंतर्गत निर्मित विनियमों के अन्तर्गत उसके द्वारा पारित किए गए आदेश को रिकार्ड किया जाएगा तथा उनका रख–रखाव किया जाएगा।

36. /kkjk 37 d vUrxr lphc) fd; tku okys fo'k"kKk d fof'k"V ;kX;rk ,o vuHko] dÙk0; ,o nkf;RoA&स्टार्टअप स्थापनाओं या स्थापनाओं के वर्ग के लिए धारा 37 के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने वाले विशेषज्ञों के विशिष्ट योग्यता एवं अनुभव, कर्त्तव्य एवं दायित्व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

37. /kkjk 38 dh mi /kkjk ¼1½ d [kM ¼d½ d mi[kM ¼?k½ d vUrxr oSdfYid jkstxkj miyC/k djkus dk rjhdkA&यदि किसी कामगार का नियोजन धारा 38 की उप धारा 1 के खंड (क) के उपखंड (घ) के अर्न्तगत किसी आदेश से प्रभावित हुआ है, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता दखलकार को अपने कारखाने में अथवा उसके नियत्रंण के किसी कारखाने में उस व्यक्ति को उसी क्षमता एवं उसी सेवा शर्त्त के अनुसार वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निदेशित कर सकेगा, जिसका रोजगार प्रभावित हुआ है।

38- /kkjk 42 dh mi&/kkjk ¼1½ d vrxr fpfdRlk vf/kdkjh dh fu;fäA&चिकित्सा अधिकारी वह चिकित्सक होगा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) में परिभाषितानुसार मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता रखता हो तथा जो इस अधिनियम की धारा 35, 36, 37 तथा 40 के खंड (ङ) में दी गई परिभाषा के अनुसार भारतीय चिकित्सा रजिस्टर तथा खंड (झ) में दी गई परिभाषा के अनुसार राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित हो।

39. /kkjk 42 dh mi/kkjk ¼2½ d [kM d] [k ,o x d vUrxr [krjukd 0;olk; vFkok ifØ;k e lyXu vU; LFkkiuk dk ifr"BkuA– धारा 42 की उपधारा (2) के खंड क, ख एवं ग के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार समय–समय पर खतरनाक व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में संलग्न अन्य स्थापना का प्रतिष्ठान को अधिसूचित कर सकेगी।

40. /kkjk 42 dh mi/kkjk ¼2½ d vrxr fpfdRlk vf/kdkjh d dk;A&

(1) संहिता की धारा 42 की उप–धारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत संदर्भ प्राप्त होने पर, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा जांच हेतु तारीख, समय एवं स्थान से संबंधित पूर्व में नोटिस देकर तथा ऐसी परीक्षण हेतु भेजे गए व्यक्ति की जांच करने पर, आयु एवं फिटनेस प्रमाण पत्र तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति अपने पास रख कर उसे संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक को भेजेगा।

(2) चिकित्सा अधिकारी आयु निर्धारण के प्रयोजनार्थ रेडियोलोजिस्ट, दंत चिकित्सक, आर्थोपेडिक सर्जन जैसे विशेषज्ञों की राय ले सकता है ।

(3) चिकित्सा अधिकारी राज्य सरकार के निदेशानुसार जांच करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट देगाः

(क) संहिता की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्टानुसार ऐसे खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में प्रतिष्ठान के कामगारों की जांच एवं प्रमाणन;

(ख) की गई प्रक्रिया की कठिन प्रकृति अथवा कार्य की जोखिमकारी दशा के कारण उस प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी का चिकित्सकीय पर्यवेक्षण जहां जीर्ण व्यावसायिक बीमारी के मामले हो चुके हैं;

(ग) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी अथवा प्रतिष्ठान के विवरण के संबंध में जिनमें कार्य संचालन मे जहां नियोजित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों के स्वास्थ्य को जोखिम शामिल है;

(घ) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी, जहां बीमारी के मामले सामने आ चुके हैं अथवा इस संहिता की तृतीय अनुसूची में यथानिर्धारित बीमारियां प्रचलित हैं, का व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना।

(ङ) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी में नियोजन के लिए किशोर की आयु का पता लगाना तथा फिटनेस जारी करना

41- /kkjk 43 d vrxr ifr"Bku e efgykvk dk fu;ktuA&

¼1½ रात्री के दौरान अथवा पूर्वाह्न 6 बजे के पूर्व तथा अपराह्न 7 बजे के बाद महिलाओं के नियोजन हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा, नामतः

(क) महिला कर्मचारी की लिखित सहमति ली जाएगी;

(ख) किसी भी महिला को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अंतर्गत निर्धारित प्रसूति लाभ उपबंधों के विरूद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा;

(ग) ऐसे कर्मचारी को उसके आवास से लाने और ले जाने के लिए महिला कर्मचारी को पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी;

(घ) शौचालय, वॉशरूम, पेयजल, प्रवेश एवं बाहर जाने के रास्ते सहित कार्य स्थल पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए ;

(ङ) शौचालय, वॉशरूम तथा पेयजल सुविधां ऐसे कार्य स्थल के पास ही होनी चाहिए जहां महिला कर्मचारी नियोजित है; और

(च) सुरक्षित एवं स्वास्थ्य कार्य दशाएं उपलब्ध करायी जाएं ताकि किसी भी महिला कर्मचारी को अपने नियोजन के संबंध में कोई हानि न हो;

(छ) किसी कार्यस्थल पर किसी समय में न्यूनतम 2 महिला कर्मचारी ड्यूटी पर होंगी ।

(ज) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेद्ध एवं निराकरण) अधिनियम, 2013 (2013 का 14), जो प्रतिष्ठानों पर लागू हो, के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

42. */kkjk 44 d vrxr [krjukd lpkyuk e efgykvk d fu;ktu dh i;kIr lj{kk A&* राज्य सरकार जोखिमकारी एवं खतरनाक प्रक्रियाओं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठानों की श्रेणी एवं योजना तथा मानकों को अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है।

v/;k;-VIII
Bdk Je

43. */kkjk 47 dh mi&/kkjk ¼3½ d vrxr vuKfIr dh 'kr &*(1) ठेकेदार सुनिश्चित करेगा किः

(क) कार्य के घंटे, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 25 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप होंगे।

(ख) मजदूरी या वेतन का भुगतान मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के अनुसार किया जाएगा।

(ग) यदि ठेकेदार का ठेका कामगार प्रधान नियोक्ता के परिसर में कार्य कर रहा है तो शौचालय, वॉशरूम, पेयजल, नहाने की सुविधा यदि अपेक्षित हो, कपड़े बदलने का कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, कैंटीन एवं शिशुगृह जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रधान नियोक्ता का उत्तरदायित्व होगा।

(घ) यदि ठेकेदार का ठेका कामगार प्रधान नियोक्ता के परिसर से अन्यत्र कार्य कर रहा है एवं ऐसे परिसर में खंड (ग) में वर्णित कार्यात्मक सुविधाएं एवं सुविधा उपलब्ध हैं तो ठेका कामगार उस परिसर में उपलब्ध शौचालय, वॉशरूम, पेयजल, नहाने की सुविधा (यदि अपेक्षित हो), कपड़े बदलने का कक्ष एवं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का उपयोग कर सकेगा।

(ङ) यदि ठेकेदार ठेका कामगार को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने में असफल हो जाता है, तो श्रमायुक्त, बिहार अथवा उनका प्रतिनिधि बैंक गारंटी से कामगारों को भुगतान करवाएगा, जिनको नियम 49 के अंतर्गत सुरक्षा डिपॉजिट के रूप में जमा किया गया है; और

(च) वह ठेका कार्य ऑर्डर मिलने के 15 दिन के अंदर उस ठेका कार्य आर्डर के बारे में नियम 51 के अनुसार निर्धारित ढंग से सूचित करेगा।

44- /kkjk 48 dh mi/kkjk ¼1½ d vrxr Bdnkj vuKfIr d fy, vkonu dk i= ,o *rjhdk A&* ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु प्रत्येक आवेदन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को प्रपत्र–XIII में ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

45- Bdnkj gr vuKfIrA&

¼1½ यदि कोई ठेकेदार निम्नलिखित के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक हैः–

(i) ठेका श्रमिकों की आपूर्ति अथवा नियुक्ति अथवा

(ii) धारा 47 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अंतर्गत ठेका कार्यों को करता है, तो वह राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को प्रपत्र–XIII में ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन करेगा।

(2) इस संहिता की धारा 119 की उप–धारा (1) के अंतर्गत इस संबंध में अधिसूचित प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन इलैक्ट्रॉनिक ढंग से जमा किया जाएगा।

(3) धारा 47 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति 5 वर्ष के लिए मान्य होगा।

46- *vuKfIr d i=i= fuc/ku ,o 'krA&*

(1) जारी किया गया प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्रपत्र–XIV में होगा।

(2) जारी किया गया अथवा नवीकरण किया गया प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, नामतः–

(i) यह अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय होगा;

(ii) ठेकेदार द्वारा, किसी भी दिन, ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित कामगारों की संख्या अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;

(iii) इन नियमों में यथा उपबंधित प्रावधानों को छोड़कर, अनुज्ञप्ति के जारी करने एवं नवीकरण हेतु जमा की गई फीस, जैसा भी मामला हो, वापस नहीं होगी;

(iv) ठेकेदार, द्वारा कामगारों को देय वेतन की दरें वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत निर्धारित दरों से कम नहीं होगी तथा जहां समझौते, निपटान अथवा पंचाट द्वारा दरें निर्धारित की गई हैं, वहां ये दरें इस प्रकार निर्धारित दरों से कम नहीं होगी।

47- /kkjk 48 dh mi&/kkjk ¼2½ d vrxr vuKfIr tkjh dju dh ifØ;kA&

(1) इन नियमों में से किसी नियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने से पहले, ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक कामगार के लिए 1000/– रूपये की दर से गणना की गई राशि की बैंक गारंटी, जिनके संबंध में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है, अनुज्ञप्ति की शर्तों के निष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा जमा की जाएगी तथा संहिता के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

(2) जहां जारी किये गये ठेका अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त हो गयी है, उस मामले में प्रपत्र में आवेदक के अनुरोध के आधार पर अनुज्ञप्ति अधिकारी नए अनुज्ञप्ति हेतु उसके आवेदन के लिए सुरक्षा जमा को समायोजित कर सकता है।

(3) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए भुगतान की जाने वाली फीस नीचे तालिका में यथा विनिर्दिष्टानुसार होगी, नामतः–

ØŒlŒ	Bdk Jfedk dh l[;k	'kYd
(क)	49 ठेका श्रमिकों तक अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं	शून्य
(ख)	50 से 100 ठेका श्रमिकों तक के लिए	1000 रूपये
(ग)	101 से 300 ठेका श्रमिकों तक के लिए	2000 रूपये
(घ)	301 से 500 ठेका श्रमिकों तक के लिए	3000 रूपये
(ङ)	501 से 1000 ठेका श्रमिकों तक के लिए	5000 रूपये
(च)	1001 से 5000 ठेका श्रमिकों तक के लिए	10000 रूपये
(छ)	5001 से 10000 ठेका श्रमिकों तक के लिए	20000 रूपये
(ज)	10001 से 20000 ठेका श्रमिकों तक के लिए	30000 रूपये
(झ)	20001 से अधिक ठेका श्रमिकों के लिए	40000 रूपये

48- /kkjk 48 d vrxr vuKfIr dk uohdj.kA& अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु प्रत्येक ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को ऑन पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक ढंग से आवेदन करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन उक्त पोर्टल पर अनुज्ञप्ति अवधि के समाप्त होने से कम से कम 30 दिनों पहले जमा किया जाएगा परन्तु यह आवेदन अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के 90 दिन से पहले नहीं किया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु देय शुल्क एवं सुरक्षा जमा वहीं होंगे जो नियम 47 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए हैं।

यदि लाईसेंस नवीकरण हेतु आवेदन उप–नियम (2) में निर्दिष्ट समय के अंदर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे नवीकरण हेतु 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(4) 30 दिन के अंदर लाइसेंस का नवीकरण करना संबंधित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

49- lj{kk tek dh okilhA&

¼1) अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर, यदि ठेकेदार अपने अनुज्ञप्ति को नए सिरे से जारी करने का इरादा नहीं रखता है, तो वह लाइसेंस और काम के पूरा होने की सूचना और बैंक विवरण जिसमें राशि वापस करने की आवश्यकता है, की प्रति के साथ उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा (बैंक गारंटी के रूप में) की वापसी के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन करें।

(2) यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी संतुष्ट है कि अनुज्ञप्ति का शर्तो का कोई उल्लघंन नहीं है या सुरक्षा जमा या उसके किसी भी भाग को जब्त करने के लिए कोई आदेश नहीं है, तो वह आवेदक को सुरक्षा जमा की वापसी का निर्देश देगा।

(3) यदि ठेकेदार के सुरक्षा जमा के किसी भी हिस्से को जब्त करने का निर्देश देने वाला कोई आदेश है, तो जब्त की जाने वाली राशि को सुरक्षा जमा से काट लिया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।

(4) रिफंड के लिए कोई भी आवेदन, जहां तक संभव हो, आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।

50- /kkjk 48 dh mi&/kkjk ¼4½ d vUrxr Bdnkj dh tokcnghA&

(1) ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को देय मजदूरी की दरें वेतन संहिता 2019 (2019. का 29) के अन्तर्गत निर्धारित दरों से कम नहीं होगी और जहां दरें समझौते, निपटान या पंचाट द्वारा तय की गई हैं, वहां इस प्रकार से निर्धारित दरों से कम नहीं होगी।

(2) उस स्थिति में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिक वाला अथवा उसी प्रकार का कार्य करते हैं, वहां ठेकेदार के कामगारों के लिए मजदूरी दर, छुट्टियां, काम के घंटें और श्रमिकों की अन्य सेवा शर्तें प्रतिष्ठान के प्रमुख

नियोक्ता द्वारा उसी अथवा समान कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम पर रखे गए श्रमिकों के समान होगी। किसी भी विवाद के मामले में कि क्या कार्य समान प्रकार का है, इस मामले का निर्णय के लिए निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को भेजा जाएगा।

(3) अन्य मामले में, ठेकेदार के श्रमिकों की मजदूरी की दरे, छुट्टियां, कार्य के घंटे और सेवा की शर्ते संहिता और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों में निर्दिष्टानुसार होंगी।

(4) सभी ठेका श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के संबंधित उपबंधों के अन्तर्गत अनुप्रयोज्यता के अध्यधीन ईपीएफओ अैर ईएसआईसी के सदस्य बनाया जाएगा।

(5) ठेकेदार इलेक्ट्रानिक रूप से लाइसेंसिंग प्राधिकारी को श्रमिकों की संख्या या काम की शर्तों में किसी भी बदलाव की सूचना देगा।

51- /kkjk 50 dh mi/kkjk ¼1½ d vUrxr dk;l vkn'k dh lpuk vkj lpuk d fy, le; lhek rFkk /kkjk 50 dh mi/kkjk ¼2½ d vUrxr vuKfIr dk fujlu vFkok fuyEcu A&

(1) प्रत्येक ठेकेदार अनुबंध कार्य आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अनुबंध के कार्य आदेश के बारे में सूचित करेगा जिसमें विवरण जैसे कि प्रधान नियोक्ता का नाम, उस परिसर का पता जहां काम किया जा रहा है, अनुबंध कार्य की शुरूआत की तारीख, उस कार्य आदेश के अन्तर्गत नियोजित अनुबंध श्रमिकों की संख्या, कार्य आदेशों की अवधि शामिल होंगे।

(2) कार्य आदेश का विवरण ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजा जाएगा।

(3) सूचना ऑन लाईन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(4) यदि ठेकेदार प्राधिकार को धारा 50 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना दिये जाने में असफल रहता है तो लाईसेंसधारी को कारण बताने का अवसर देने के बाद उसके लाईसेंस को निलंबित अथवा निरसित कर सकेगा एवं इसकी सूचना इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकेगा।

52- /kkjk 52 dh mi/kkjk ¼1½ d vUrxr vihyA& संहिता की धारा 52 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी धारा 119 की उपधारा 6 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जा सकेंगे।

53- /kkjk 55 dh mi/kkjk ¼1½ ,o mi/kkjk ¼2½ d vUrxr oru d Hkxrku dh ftEenkjhA&

(1) ठेकेदार वेतन की अवधि तय करेगा जिसके संबंध में वेतन देय होगा और कोई वेतन अवधि एक महीने से अधिक नहीं होगी।

(2) एक प्रतिष्ठान में या एक ठेकेदार द्वारा ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति की वेतन का भुगतान वेतन अवधि के अंतिम दिन के बाद सातवें दिन की समाप्ति से पहले किया जाएगा, जिसके संबंध में वेतन देय है।

(3) वेतन केवल बैंक हस्तांतरण सा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संवितरित किया जाएगा।

(4) यदि उप नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार वेतन संवितरित किया जाना संभव न हो तो, ठेकेदार श्रमायुक्त, बिहार से अनुमति प्राप्त कर अन्य माध्यम से वेतन का भुगतान करेगा।

*54- /kkjk 55 dh mi/kkjk ¼4½ d vUrxr lj{kk tek jkf'k l etnjh dk HkxrkuA&*यदि ठेकेदार या प्रधान नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित ठेका श्रमिक को मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, तो श्रम आयुक्त, बिहार या उसके प्रतिनिधि या यथाअधिसूचित सक्षम अधिकारी जांच करेगा अथवा करवाएगा तथा ठेकेदार को सुनने के पश्चात् ऐसी राशि का, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा की गई राशि से भुगतान करने का आदेश पारित करेगा। ठेकेदार पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर सुरक्षा राशि को फिर से जमा करेगा अन्यथा अनुज्ञप्ति निलंबित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

55- /kkjk 56 d vUrxr vuHko iek.k i=A& प्रत्येक संबंधित ठेकेदार मांगे जाने पर ठेका श्रमिकों को प्रपत्र–**xv** में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें ऐसे ठेका श्रमिकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादित कार्य की अवधि, निष्पादित कार्य प्राप्त अनुभव का विवरण शामिल होगा।

*56- /kkjk 57 dh mi&/kkjk ¼2½ d [kM ¼[k½ ,o [kM ¼x½ d vUrxr Bdk Jfedk d fu;ktu ij ifrc/kA&*यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी प्रतिष्ठान की कोई गतिविधि एक मुख्य गतिविधि है या अन्यथा, तो पीड़ित पक्ष श्रम आयुक्त, बिहार को सहायक दस्तावेजों के साथ कारण बताकर एक आवेदन कर सकता है एवं राज्य सरकार तदनुसार ऐसे प्रश्न का समाधान करेगी।

v/;k;& IX
vrjkfT;d iokl h dkexkj

57- /kkjk 61 d vUrxr vrjkfT;d iokl h dkexkj dk ;k=k HkÙkk& नियोक्ता अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक को ट्रेन से (द्वितीय श्रेणी स्लीपर से कम नहीं) या बस से या किसी अन्य यात्री परिवहन माध्यम से रोजगार के स्थान से गृह राज्य में उसके निवास स्थान तक के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आने एवं जाने की यात्रा के लिए किराए के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान करेगा, नामतः

यदि उसे पूर्ववर्त्ती बारह माह में संबंधित प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठानों) में कम से कम 180 दिन की अवधि के लिए काम किया है;

बशर्ते कि यात्रा भत्ता अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक को बारह महीनों में एक बार दिया जाएगा। यदि रोजगार की अवधि के बीच में अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगार द्वारा अपना नियोक्ता बदल लिया जाता है और उसने अपने पिछले नियोक्ता से यात्रा भत्ता का लाभ नहीं उठाया है, तो अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगार द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर, नियोक्ता जहां अंतर–राज्यिक कामगार अब काम कर रहा है और इस तरह के कामगार ने पूर्ववर्ती नियोक्ता के साथ बितायी अवधि सहित पूर्ववर्ती बारह महीनों में एक सौ अस्सी दिन पूरे कर लिए हैं, तो नियोक्ता यात्रा भत्ता देगा।

58- /kkjk 63 d vUrxr vrj&jkfT;d iokl h dkexkj d fy, ,d Vky Ýh gYiykbu ucj dh lfo/kk& बिहार सरकार द्वारा अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगारों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक टोल–फ्री हेल्प–लाइन नंबर उपलब्ध कराया जाएगा।

59- /kkjk 64 d vUrxr vrj&jkfT;d iokl h dkexkjk dk v/;;u& राज्य सरकार अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले अध्ययनों की पहचान कर सकती है। जहां कहीं भी आवश्यक हो, राज्य सरकार अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण में शामिल केन्द्र सरकार या विशेषज्ञ संगठनों से परामर्श कर सकती है।

v/;k;&X
J0;&n'; dkexkj

60- /kkjk 66 dh mi&/kkjk ¼2½ d [kM ¼d½ d vUrxr J0;&n'; dkexkjk d fy, le>krkA&

(1) निर्माता के साथ श्रव्य–दृश्य कामगारों के लिए समझौते का प्रारूप प्रपत्र XVI में दिया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले सक्षम प्राधिकारी के पास समझौते को पंजीकृत किया जाएगा।

61- ikf/kdkj ftUg /kkjk 66 dh mi /kkjk ¼3½ d vUrxr fuekrk }kjk le>kr dh ifr dk Hkstk tkuk g& धारा 66 की उप धारा (3) के अन्तर्गत निर्माता द्वारा समझौते की प्रति उस प्राधिकार को भेजा जाएगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

*62- /kkjk 66 dh mi&/kkjk ¼4½ d [kM ¼VII½ d vUrxr fooknk dk lyg vf/kdkjh ;k fdlh U;;kf/kdj.k dk lnfHkr dju d fy, ifØ;k&*विवाद को सुलह अधिकारी या किसी न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए प्रक्रिया औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुरूप होगी।

v/;k; XI
chMh vkj flxkj d dkexkj

63- vkonu dk i i=] 'kYd dk Hkxrku] /kkjk 74 d vUrxr ;ktuk r;kj dju dk rjhdk&

(1) किसी भी स्थान या परिसर को औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग करने या अनुमति देने के लिए प्रत्येक आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र XVII में होगा। ।

(2) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज दिये जायेंगे–नामतः

(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड किया गया नक्शा, जो प्रर्दशित करता हैः–

(i) ऐसी जगह या परिसर की स्थल, निर्माण की प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र और ऐसी जगह या परिसर के निकटस्थ आस–पास की इमारतों, संरचनाओं, सड़कों, नालियों और जैसे सहित आसपास के क्षेत्र; तथा

(ii) योजना, उन्नयन और आवश्यक क्रॉस–धारा जिसमें प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था, संवातन, आग लगने की स्थिति में पलायन, संयंत्र और मशीनरी की स्थिति, यदि कोई हो, उपयोग की जाने वाली गलियारे या मार्ग के संबंध में विवरण विभिन्न इमारतों को निर्माण प्रक्रियाओं के लिए उपयोग करने का इरादा है

(3) फॉर्म– XVIII में अनुज्ञप्ति देने से पहले, सक्षम प्राधिकारी यह भी ध्यान रखेगा कि क्या किसी औद्योगिक परिसर की स्थल को बदल दिया जाना प्रस्तावित है, या आवेदक द्वारा किसी

औद्योगिक परिसर को बारह महीने की अवधि में आवेदन के तुरंत पूर्व बंद कर दिया गया है एवं श्रम के हितों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करने के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया है।

(4) धारा 74 की उप–धारा (2) के प्रयोजन के लिए आवेदन स्थापना के प्रारंभ के प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीस दिन पहले किया जाएगा।

(5) अनुज्ञप्ति की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली शुल्क नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट की जाएगी;

ØŒlŒ	vuKfIr fn, tkus ;k uohuhdj.k fd, tkus dh vof/k ds fy, fdlh Hkh fnu fu;kftr fd, tkus okys deZpkfj;ksa dh l[;k	'kqYd
क	10 कर्मचारी तक के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यक नहीं है	NIL
ख	10 लेकिन 50 कर्मचारियों से अधिक	रू० 100
ग	51 लेकिन 100 कर्मचारियों से अधिक	रू० 250
घ	101 लेकिन 250 कर्मचारियों से अधिक नहीं	रू० 500
ड.	251 लेकिन 500 कर्मचारियों से अधिक नहीं	रू० 750
च	501 और ऊपर के कर्मचारी	रू० 1000

¼6½ vuKfIr nus okyk çkf/kdj.k vuKfIr nus ls igys /kkjk 74 dh mi&/kkjk ¼4½ ds [kaM ¼[k½ ls ¼M-½ ds vUrxZr mfYyf[kr 'krksZa dks /;ku esa j[kxkA

64- /kkjk 75 ds vUrxZr vihy vkSj 'kqYd Hkqxrku dk le;A&

(i) धारा 119 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित नियोक्ता राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु नियुक्त अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऐसे आदेश के खिलाफ इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपील कर सकता है।

(ii) अपीलीय अधिकारी अपील निबंधित करेगा, इसे स्वीकार करेगा और इस तरह के अपील को निबंधित करने का सूचना देगा और अपील को इलेक्ट्रॉनिक रूप में इस प्रयोजनार्थ संधारित रजिस्टर में पंजीकृत करेगा, जिसे अपील के रजिस्टर कहा जा सकता है।

(iii) जब अपील स्वीकार कर ली गई है, तो अपीलीय अधिकारी अपील की सूचना प्राधिकरण को भेजेगा, जिसके आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी गई है और प्राधिकारी उस मामले के अभिलेर्ख को अपीलीय अधिकारी को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजेगा।

(iv) अपीलीय अधिकारी अपील प्राप्त होने पर, अपीलकर्ता को ऐसी तारीख और समय पर उसके समक्ष उपस्थित होने एवं अपील की सुनवाई के लिए नोटिस इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजेगा।

(v) अपीलीय अधिकारी अपील के दाखिल होने की तिथि से 60 दिनों के अन्तर्गत अपील को सकारण आदेश द्वारा निष्पादित करेगा।

(vi) अपीलीय अधिकारी के आदेश को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा या अपीलार्थी को प्रेषित किया जाएगा और इसकी प्रतिलिपि उस पंजीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है अपील प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।

(vii) अपील के लिए कोई शुल्क नहीं होगा।

65- deZpkjh }kjk fn;s tkus okys vkosnu ,oa /kkjk 76 dh mi&/kkjk ¼1½ ds 'krZ A& ऐसे कर्मचारी की ओर से नियोक्ता, जो औद्योगिक परिसर के बाहर काम करना चाहते हैं, प्रपत्र XIX में संबंधित प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुमति के लिए आवेदन करेंगे तथा अभिलेख का संधारण प्रपत्र– XX में करेगें ।

66- /kkjk 76 dh mi&/kkjk ¼2½ ds vUrxZr dk;Z dk vfHkys[k l/kkfjr j[kus dk izi=A& प्रत्येक नियोक्ता प्रपत्र XXI में प्रत्येक घर खाता मजदूरों को दो किताबें मुफ्त प्रदान करेगा (इसके बाद 'घर खाता मजदूरों' के लॉग बुक के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और घर खाता मजदूरों उसके द्वारा किए गए दैनिक कार्यों, उसके द्वारा निर्मित बीड़ी और सिगार की संख्या और उक्त पुस्तक में उसके द्वारा प्राप्त मजदूरी की आपूर्ति का अभिलेर्ख रखेगा। नियोक्ता द्वारा कच्चे माल की दो क्रमिक आपूर्ति के बीच की अवधि में हर समय घर खाता मजदूरों के पास एक पुस्तक रखी जाएगी।

67- /kkjk 79 dh mi/kkjk ¼1½ ds vUrxZr dkj[kkus ;k fdlh izdkj ds oxZ ;k dkj[kkuksa ds lac/k esa fu;eA&

¼1½ uD'kk dk çLrqrhdj.k& राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता को संहिता के प्रयोजनों के लिए, किसी भी कारखाने का नक्शा प्रस्तुत करना होगा, जो या तो संहिता के प्रारंभ

होने की तिथि से अस्तित्व में था या जो उस समय निर्मित या विस्तारित नहीं हो। इस तरह की नक्शे को बड़े पैमाने पर दिखाया जाएगा –

(क) कारखाने की स्थल और आस–पास की इमारतें और अन्य संरचना, सड़कों, नालियों, आदि सहित आसन्न परिवेश;

(ख) प्राकृतिक प्रकाश, संवातन और आग लगने की स्थिति में निकास का माध्यम और संयंत्र और मशीनरी, गलियारे और मार्गों से संबंधित सभी प्रासंगिक विवरणों को इंगित करते हुए कारखाने के भवनों का नक्शा, ऊंचाई और आवश्यक अनुप्रस्थ काट; तथा

(ग) वैसा अन्य विवरण जिसकी राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता जैसा भी मामला हो, को आवश्यकता हो सकती है।

¼2½ *uD'kk dk vuqekknuA&*

(i) कारखाने के स्थान के लिए किसी भी स्थल का उपयोग नहीं किया जाएगा या कारखाने में किसी इमारत का निर्माण, पुनर्निर्माण, विस्तार या उपयोग किसी कारखाने या कारखाने के हिस्से के रूप में नहीं किया जाएगा, या संयंत्र या मशीनरी के किसी अन्य विस्तार नहीं किया जाएगा। जब तक राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता से पूर्वानुमति प्राप्त नहीं होती है

(ii) ऐसी अनुमति के लिए आवेदन प्रपत्र XXII में प्रपत्र में दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा होगा।

(iii) यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता इस बात से संतुष्ट हैं कि नक्शा संहिता की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, तो ऐसी शर्तों के अधीन जो वह निर्दिष्ट कर सकता हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन्हें अनुमोदित कर सकता हैं; या वह ऐसे अन्य विवरणों की मांग कर सकता है जो उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाने वाली ऐसी स्वीकृति को सक्षम करने के लिए आवश्यक हो सकती है।

(iv) यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता की राय है कि उप–नियम (ii) के अन्तर्गत संलग्न किया गया नक्शा संहिता के की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, या यदि वह अनुमोदन के लिए किसी भी शर्तों को उपयुक्त या समीचीन पाकर उल्लेखित करता है, पूर्व अनुमोदन रद्द करने या संशोधनों से संबंधित शर्तों सहित, वह आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, आवेदक को ऑनलाइन सकारण आदेश के माध्यम से या तो यहां उल्लेखित उन शर्तों के अधीन अनुमोदित नक्शा करेगा या अनुमति देने से एनकार करेगा।

(v) यदि आवेदक ने जिस दिन आवेदन ऑनलाइन माध्यम से अपलोड किया गया है, उस तिथि से तीस दिनों के भीतर कोई आदेश नहीं दिया गया है, तो अनुमति के लिए किया गया आवेदन स्वीकृत माना जाएगा और स्वीकृत माने गये अनुमोदन का प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से चला जाएगा।

¼3½ *etcrh dk çek.k i= &*

(i) कारखाने के किसी भी ईमारत का निर्माण, पुनर्निर्माण या विस्तार या किसी ईमारत का कारखाने या किसी कारखाने के हिस्से के रूप में उपयोग में तब तक नहीं लिया जाएगा या तब तक कोई निर्माण प्रक्रिया नहीं की जाएगी जब तक एक सिविल इंजीनियर (किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.टेक की न्यूनतम डिग्री या समकक्ष) द्वारा जारी मजबूती का प्रमाण पत्र निर्गत न किया गया हो। मजबूती का प्रमाण पत्र कारखाने के दखलकार या प्रबंधक द्वारा मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता को भेजा जाएगा।

(ii) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा भवन की मजबूती के लिए तीसरे पक्ष के निरीक्षण की अनुमति भी दे सकती है।

¼4½ *vuqKfIr çnku djus ds fy, vkonuA&* प्रत्येक कारखाने के दखलकार मुख्य निरीक्षक–सह –सुविधाप्रदात्ता को कारखाने के पंजीकरण और अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र XXIII में एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

बशर्ते कि ऐसा परिसर जिसका कारखाने के रूप में उपयोग में हो उसका दखलकार इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर ऐसा आवेदन प्रस्तुत करेगा।

¼5½ *vuqKfIr iznku djuk&*

(i) प्रत्येक कारखाने का दखलकार किसी भी कारखाने में किसी भी निर्माण प्रक्रिया को शुरू करने से कम से कम पंद्रह दिन पहले ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र

XXIII में अनुसूची II के अनुसार अनुज्ञप्ति शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के साथ अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(ii) (क) दखलकार निर्माण प्रक्रिया शुरू होने के तुरंत बाद निरीक्षक को सूचित करेगा।

(ख) परिसर को विनिर्माण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की तारीख से अनुज्ञप्ति प्राप्त माना जाएगा जब तक कि निरीक्षक अनुज्ञप्ति देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मना नहीं करता।

(iii) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता अनुज्ञप्ति के आवेदन में किसी भी तरह की गड़बड़ी या किसी प्रावधान के उल्लंघन होने पर आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, सकारण आदेश के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इनकार कर सकता है:

बशर्ते कि यदि कोई आदेश उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर दखलकार को सूचित नहीं करता है, जिस पर दखलकार ने उप नियम (ii) (क) के अन्तर्गत सूचना भेज दी है, तो अनुज्ञप्ति को प्रदत्त माना जाएगा और इसके बाद तुरंत अनुज्ञप्ति निर्गत कर दिया जाएगा।

(iv) यदि उप–नियम (iii) के अनुसार अनुज्ञप्ति देने से इनकार नहीं किया गया है, तो निरीक्षक प्रपत्र XXIV में अनुज्ञप्ति देगा और आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुज्ञप्ति भेजेगा।

(v) दिया गया प्रत्येक अनुज्ञप्ति स्थायी और वैध है जब तक कि इसे विधिवत रद्द नहीं किया जाता है।

¼6½ *vuKfIr dk Lor% uohuhdj.kA&*

(i) प्रारंभ में अनुज्ञप्ति 10 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा और इसके बाद आवेदन किये गये वर्षों, एक बार में अधिकतम दस वर्षों तक, के लिए अनुसूची II के अनुसार निर्धारित शुल्क के भुगतान पर स्वतः नवीकरण होगा। बशर्ते कि कारखाना सुरक्षा दिशानिर्देशों को पूरा करे।

(ii) यदि अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति का स्वतः नवीनीकरण नहीं कराया जाता है, तो स्वतः–नवीनीकरण के लिए निर्धारित विलम्ब शुल्क प्रत्येक वर्ष या उसके बीते हुए भाग के लिए निर्धारित शुल्क का दसवां हिस्सा होगा।

¼7½ *vuKfIr e l'kk/ku&*

(i) किसी कारखाने के दखलकार के नाम में किसी भी परिवर्तन, स्थापित की गई अधिकतम हार्स पावर या विशेष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में संशोधन के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के पंद्रह दिनों के भीतर या विशेष रूप से अनुज्ञप्ति संशोधन की प्रकृति बताते हुए अनुज्ञप्ति और प्रपत्र XXV में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता को निर्धारित शुल्क के ऑनलाइन भुगतान एक साथ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करेगा।

(ii) अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए शुल्क वह राशि होगी, यदि कोई हो, जो अनुज्ञप्ति के मूल रूप को संशोधित रूप में निर्गत किये जाने हेतु देय होता, तो अनुज्ञप्ति शुल्क देय शुल्क से अधिक होगा।

¼8½ *vuKfIr dk LFkkukrj.k&*

(i) एक अनुज्ञप्ति को किसी मालिक या दखलकार से कारखाने के किसी भी अनुवर्त्ती के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है और स्थानान्तरित करने वाले व्यक्ति प्रपत्र XXVI में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन को अपलोड करेंगे, जिसमें स्थानान्तरण शुल्क एवं उसमें उल्लेखित दस्तावेज शामिल होंगे। जब तक कि आवेदन को अपलोड करने की तिथि से तीस कार्य दिवसों के भीतर लिखित मुखर आदेश द्वारा आदेश को अस्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक इस तरह के आवेदन को स्थानांतरित माना जाएगा।

(ii) निर्धारित शुल्क समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

¼9½ *vuKfIr/kkjh dh eR;q ;k fodyka xrk ij çfØ;k&*यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी मर जाता है या दिवालिया हो जाता है, तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के व्यवसाय को आगे ले जाने वाला व्यक्ति अनुज्ञप्ति द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए, ऐसे किसी समय में संहिता के अन्तर्गत दंड के लिए भागी नहीं होगा जो उसे मूल अनुज्ञप्ति के असामप्ति भाग हेतु नियम 67 (6) के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए अपने नाम से आवेदन करने की तार्किक अनुमति देता है।

¼10½ Qhl dk Hkqxrku(

(i) इन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम में उचित फीस के साथ होगा।

(ii) यदि अनुज्ञप्ति प्रदान करने या संशोधन के लिए एक आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो भुगतान किया गया शुल्क आवेदक को वापस नहीं किया जाएगा।

¼11½ o/k vuKfIr d fcuk dkj[kkuk d :i e ifjlj d mi;kx ij çfrc/k&दखलकार कारखाने के रूप में किसी भी परिसर का उपयोग नहीं करेगा या किसी कारखाने में किसी भी निर्माण प्रक्रिया को नहीं करेगा जब तक कि इस तरह के परिसर के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी नहीं किया गया हो।

68- /kkjk 79 dh mi/kkjk ¼2½ d vUrxr vkonu tek djuk dk rjhdkA& अनुमति के लिए आवेदन नक्शा और नियमानुसार आवश्यक विनिर्देशों के साथ होना चाहिए, जो राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा जाएगा और यदि कोई आदेश आवेदक को ऐसी अवधि के लिए सूचित नहीं किया गया है, जो तीस दिनों से अधिक नहीं है, अनुमति के लिए किये गये ऐसे आवेदन को स्वीकृत माना जायेगा।

69- /kkjk 80 d vUrxr lkekU; lqfo/kk,a vkj lqok,a d fy, dkj[kkuk d ekfydk vkj ifjlj d n[ky dkjk dk l;ä nkf;RoA&

(i) परिसर के मालिकों और कारखानों के दखलकारों संयुक्त दायित्व में आम सुविधाओं के अन्तर्गत सुरक्षा, आग की रोकथाम एवं बचाव, पहुंच, स्वच्छता, व्यावसायिक स्वास्थ्य, संवातन, तापमान, आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया, कैंटीन, आश्रय, विश्राम कक्ष और क्रेच शामिल होगी।

(ii) संयुक्त दायित्व में कारखानों के परिसर के मालिकों और कारखानों के दखलकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जा सकती हैं।

70- [krjukd fofuek.k çfØ;kvk ;k lpkyu d fy, /kkjk 82 d vUrxr fu;e &

(i) किसी भी कारखाने में किए जाने वाले निम्नलिखित विनिर्माण प्रक्रिया या संचालन को धारा 82 के अन्तर्गत खतरनाक विनिर्माण प्रक्रिया या संचालन घोषित किया जाता है:

(I) वातित जल का विनिर्माण तथा उससे आनुषंगिक प्रक्रियाएँ;

(II) धातु की वस्तुओं का इलेक्ट्रोलाइट के, जिसमें क्रोमिक अम्ल या अन्य क्रोमियम यौगिक अन्तर्विष्ट हों, उपयोग इलेक्ट्रोलाइटिंग प्लेटिंग या आक्सीडेशन;

(III) इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर्स (विद्युत संचय यंत्र) का विनिर्माण तथा उनकी मरम्मत;

(IV) काँच विनिर्माण;

(V) धातुओं की ग्राइन्डिंग (पिसाई) या ग्लेजिंग (पालिश);

(VI) सीसे तथा सीसे के कतिपय यौगिकों का विनिमाण तथा शोधन;

(VII) पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन;

(VIII) अति–ज्वलनशील द्रव और ज्वलनशील दाबयुक्त गैस;

(IX) कच्ची खालों या चमड़ों का लाइमिंग तथा उनको कमाना और उससे आनुषंगिक प्रक्रियाएँ

(X) प्रिंटिंग प्रेस तथा टाइप फाउण्ड्री में की जाने वाली शीशे की प्रक्रियाएँ ;

(XI) रासायनिक कार्य;

(XII) चीनी मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माण;

(XIII) जल के इलेक्ट्रोलायसिस (विद्युद्विच्छेदन) द्वारा उत्पादन आक्सीजन तथा हाइड्रोजन का सम्पीड़न;

(XIV) दाबयुक्त वायु या वाष्प के द्वास्ट से प्रणोदित रत धातु का गालियों या गिट्टियाँ या अन्य घर्षक की जेट (तीव्र बौछार) से वस्तुओं की सफाई या चिकना या रूक्ष करने के कार्य आदि;

(XV) एस्बेस्टास का संधारण तथा प्रक्रिया करना, एस्बेस्टास की किसी वस्तु का विनिर्माण और अन्य विनिर्माण प्रक्रियाएँ या अन्यथा जिनमें किसी स्वरूप में एस्बेस्टास प्रयुक्त हो;

(XVI) संक्षारक पदार्थों का संधारण या अभिचालन;

(XVII) रिफरेक्ट्री पदार्थों से वस्तुओं का विनिर्माण;

(XVIII) साल्वेन्ट एक्सट्रेक्शन प्लान्ट;

(XIX) कार्बन–डाय सल्फाईड प्लान्ट;

(XX) मैगनीज और उसके यौगिकों का विनिर्माण या अभिचालन;

(XXI) बैन्जीन या बैन्जीनयुत पदार्थों का विनिर्माण संधारण या उपयोग करने वाले कारखानों को लागू होगा;

(XXII) स्लेट पेन्सिलों का विनिर्माण;

(XXIII) खतरनाक कीटनाशकों का विनिर्माण या अभिचालन;

(XXIV) कारसिनोजेनिक डाय इन्टरमिडियेट का विनिर्माण या अभिचालन;

(XXV) उच्च शोर स्तर की संक्रियाएँ;

(XXVI) निरकोज प्रक्रिया द्वारा रेयान का विनिर्माण;

(XXVII) फाउण्ड्री में की संक्रियाएँ ।

(ii) अनुसूची–III में निर्दिष्ट प्रावधान किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों पर लागू होंगे जिनमें खतरनाक विनिर्माण प्रक्रियाएं या अनुसूची में निर्दिष्ट संचालन किए जाते हैं।

(iii) (क) इस नियम के अनुसूची–III के अनुसार श्रमिकों का आवश्यक चिकित्सीय जाँच योग्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जायेगा और चिकित्सा परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान व्यवसायी द्वारा किया जाएगा।

(ख) खतरनाक प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के रोजगार से पहले उस व्यक्ति की चिकित्सकीय जांच की जाएगी और उसके बाद उसे समय–समय पर एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच की जाएगी लेकिन छह महीने से अधिक नहीं होगी।

(iv) इस नियम में संबद्ध अनुसूची–III में निर्दिष्ट प्रावधान के बावजूद निरीक्षक, प्रबंधक या दखलकार या दोनों को लिखित में आदेश द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थितियों को हटाने या किसी भी प्रक्रिया को निलंबित करने की दृष्टि से, ऐसे समय के भीतर, ऐसे उपाय करने के लिए निर्देशित कर सकता है, जहां निरीक्षक की राय में ऐसी प्रक्रिया से विषाक्तता या विषाक्तता का खतरा आसन्न हो।

(v) अनुसूची–III के अन्तर्गत किसी श्रमिक के लिए वांछित चिकित्सीय परीक्षण से संबंधित कोई रजिस्टर अथवा रिकार्ड को निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता के लिए तैयार रखा जाएगा एवं उस श्रमिक के उस कारखाने में नियोजित नहीं रहने के एक वर्ष बाद तक संरक्षित रखा जाएगा।

71- /kkjk 83 dh mi&/kkjk ¼1½ d vUrxr LFky vkdyu lfefrA (i) गठनः –

(क) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक स्थल आकलन समिति का गठन और आवश्यकतानुसार समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से कर सकती है, –

(1) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता–अध्यक्ष,

(2) राज्य सरकार के अग्निशमन सेवा संगठन का एक प्रतिनिधि,

(3) राज्य उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि,

(4) कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, बंबई या क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कलकत्ता के महानिदेशक का एक प्रतिनिधि,

(5) वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के एक प्रतिनिधि।

(6) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि।

(7) संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता–सदस्य

(8) समिति के सचिव होने के लिए रसायन इंजीनियरिंग में योग्यता के साथ निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता

(ख) समिति स्थल के जाँच के दौरान जिला प्रशासन के एक प्रतिनिधि का सह–चयन कर सकती है।

(ii) कोई सदस्य, जब तक कि कानून के न्यायालय द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता न हो, तब तक संहिता के उद्देश्य के संबंध में, अन्यथा किसी भी समय, विनिर्माण या वाणिज्यिक व्यवसाय या किसी भी कार्य प्रक्रिया से संबंधित कोई भी जानकारी, जो इस समिति में एक सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान संज्ञान में उसके पास आ सकती है, को प्रकट नहीं करेगा।

¼iii½ *LFky vkdyu d fy, vkonuA&*

(क) संहिता की धारा 2 (जेडए) के अन्तर्गत आच्छादित कारखानों के संबंध में स्थलों के मूल्यांकन के लिए आवेदन प्रपत्र XXVII में इलेक्ट्रॉनिक रूप से श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा जो इसे तुरंत स्थल आंकलन समिति को भेज देगी।

(ख) स्थल आंकलन के लिए आवेदन प्रपत्र XXVII में 15 प्रतियों के साथ सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और उसके लिए पावती तीन कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को

प्रदान की जाएगी। समिति आवेदन पत्र में किसी विशेष वस्तु पर प्रस्तुत जानकारी के साथ निस्तारण कर सकती है, यदि वह विचाराधीन आवेदन के लिए प्रासंगिक नहीं है। स्थल मूल्यांकन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सारांश परीक्षा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 3 दिनों के भीतर मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधा के कार्यालय द्वारा की जाएगी और आवेदक को किसी भी तरह की कमी के बारे में, यदि कोई हो, ऑनलाइन सूचित किया जाएगा। प्रदान किए गए दस्तावेज पूर्ण होने पर पावती में उसका उल्लेख किया जायेगा।

(ग) आवेदक द्वारा धारा 79 (1) के अन्तर्गत नक्शा के आवेदन से संबंधित आवेदन के साथ धारा 83 (1) के अन्तर्गत आवेदन समर्पित कर सकता है और कारखाने के लिए नक्शा की मंजूरी के संबंध में संबंधित निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता विचार करेगा। यदि इस तरह के मामले में सभी मामलों में आवेदन पूर्ण और सही है, तो स्थल आंकलन समिति के अनुमोदन के साथ स्थल नक्शा की स्वीकृति दी जाएगी।

(iv) *lfefr dk dk;l &*

(क) समिति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन बनाये गये पर्यावरण संरक्षण नियम 5 के अन्तर्गत उद्योग के स्थान पर निषेधो और प्रतिबंधों तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रियाओं एवं संचालन के संदर्भ में स्थल के मूल्यांकन के लिए आवेदन की जांच करेगी।

(ख) समिति दस्तावेजों की माँग कर सकती है, विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कर सकती है, यदि आवश्यक हो तो स्थल का निरीक्षण कर सकती है और स्थल की उपयुक्तता के संबंध में अपने विचार तैयार करने के लिए अन्य कदम उठा सकती है।

(ग) समिति पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर आवेदन का निपटान करेगी और किसी मामले में आवेदन पर तत्काल निर्णय लेना आवश्यक है, तो शीघ्र निपटान के लिए समिति के अध्यक्ष सरकार के सचिव का अनुमोदन शीघ्रता से मंजूरी के लिए प्राप्त करेंगे।

72- /kkjk 83 dh mi&/kkjk ¼2½ d vUrxr vkonu dk çk: iA&

(i) स्थल आकलन समिति के लिए आवेदन प्रपत्र XXVII में होगा–

(ii) स्थल आकलन समिति का प्रथम भ्रमण पूर्ण दस्तावेज समर्पित करने के लिए दी गई पावती की तिथि के यथासंभव 15 दिनों के अन्तर्गत होगी एवं स्थल निरीक्षण की पूर्ण प्रक्रिया, स्थल आकलन को आवेदन के पावती के तीस दिन के अन्तर्गत पूरा कर लिया जायेगा। असाधारण मामले में जहां स्थल मूल्यांकन 30 दिनों के भीतर पूरा नहीं होता है, समिति के सचिव इसका कारण के बारे में बताते हुए एक रिपोर्ट देंगे और निष्पादन में तेजी लाएंगे। कार्य सप्ताह के प्रत्येक प्रथम कार्य दिवस को आवेदन के लंबित रहने एवं कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन सरकार को भेज दिया जायेगा।

73- /kkjk 84 dh mi&/kkjk ¼1½ d vUrxr dkj[kkuk d n[kydkj }kjk tkudkjh idV djuk dh fof/k&¼1½

¼d½ dkexkjk d lc/k e lpuk dk idVhdj.kA&

(1) कारखाना का दखलकार जो परिसंकटमय प्रक्रिया का संचालन करता हो सभी कामगारो को निर्माण, परिवहन, भंडारण और अन्य प्रक्रियाओं में परिसंकटमय सामग्री या पदार्थों से निपटने के संबंध में निम्नलिखित जानकारी की आपूर्ति की जाएगी :–

(क) संहिता की धारा 84 (1) की आवश्यकताएँ;

(ख) कारखाने में संचालित 'परिसंकटमय प्रक्रियाओं' की सूची;

(ग) अनुसूची IV के अनुसार सभी सामग्री सुरक्षा डेटा पत्रक का स्थान और उपलब्धता;

(घ) पदार्थों के संपर्क या संचालन से उत्पन्न होने वाले शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरा;

(ड.) शारीरिक और स्वास्थ्य खतरों की सुरक्षा और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए दखलकार द्वारा उठाए गए उपाय;

(च) खतरनाक पदार्थों के सुरक्षित संचालन, भंडारण और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों द्वारा किए गए उपाय;

(छ) परिसंकटमय प्रक्रिया 'या परिसंकटमय संचालन' में नियोजित श्रमिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण;

(ज) अनुसूची IV के अन्तर्गत प्रदान किये गए परिसंकटमय पदार्थों के कंटेनरों पर प्रयुक्त विभिन्न लेबल और चिह्नों का अर्थ;

(झ) परिसंकटमय पदार्थों के संपर्क में आने के चिह्न और लक्षण तथा किसे रिपोर्ट किया जाएगा;

(ञ) किसी परिसंकटमय पदार्थ के रिसाव या छलकाव के मामले में श्रमिकों द्वारा उठाए जाने वाले उपाय;

(ट) कारखाने की आपातकालीन योजना में श्रमिकों की भूमिका, विशेष रूप से निकासी प्रक्रियाओं;

(ठ) कोई अन्य जानकारी को दखलकार द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाता है।

(2) उप–नियम (1) के लिए आवश्यक जानकारी को संकलित किया जाएगा और काम के स्थानों पर पुस्तिकाओं या पत्रक और सावधानी नोटिस के प्रदर्शन के माध्यम से श्रमिकों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी दिया जायेगा।

(3) पुस्तिकाएं, पत्रक और कारखाने में प्रदर्शित सावधानी नोटिस की भाषा श्रमिकों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होगी और उन्हें समझाया भी जाएगा।

(4) मुख्य निरीक्षक को जरूरी दिखाई पड़ता है तो दखलकार को अन्य जानकारी श्रमिकों को देने के लिए निर्देश दे सकता है।

¼[k½ *lkekU; tu d fy, lpuk dk idVhdj.k*

(1) राज्य सरकार द्वारा नामित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के परामर्श से 'परिसंकटमय प्रक्रिया' संचालित करने वाला प्रत्येक कारखाना का दखलकार दुर्घटना से प्रभावित होने की संभावना वाले आम जनता को ऐसी दुर्घटना के संबंध में सूचित करने के लिए उचित कदम उठाएगा। इस तरह की जानकारी में शामिल होंगेः–

(क) कारखाने का नाम और पता जहां स्थित है;

(ख) जानकारी देने वाले व्यक्ति के नाम और पद से पहचान;

(ग) कारखाना निरीक्षणालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी मिली है की पुष्टि;

(घ) परिसर में किए गए खतरनाक प्रक्रिया (ओं) की सरल शब्दों में व्याख्या;

(ङ.) उपयोग किए जाने वाले खतरनाक पदार्थों के सामान्य नाम उनके प्रमुख हानिकारक विशेषताओं के संकेत के साथ, जो उन्हें प्रभावित करने की संभावना को जन्म दे सकते हैं;

(च) प्रासंगिक सुरक्षा कानूनों के अन्तर्गत अपने कानूनी दायित्वों के अनुपालन में ऐसी दुर्घटना के जोखिम को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों का संक्षिप्त विवरण;

(छ) कारखाने में स्वीकृत आपदा नियंत्रण उपायों की मुख्य विशेषताएं;

(ज) आम जनता के लिए कारखाने की आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का विवरण;

(झ) चेतावनी सुनकर जनता द्वारा किये जाने वाले कार्रवाई पर सामान्य सलाह;

(ञ) आपतकालीन सेवाओं के साथ संपर्क सहित इस प्रकृति के दूरदर्शी दुर्घटनाओं से निपटने और उनके प्रभावों को कम करने के लिए कारखाने के व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण;

(ट) अधिक की जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है।

(2) दखलकार आगे किसी भी जानकारी की आपूर्ति करेगा –

(क) आम जनता को समय–समय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्देशन पर।

(ख) आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अनुरोध पर।

(3) दखलकार उस क्षेत्र के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ एक करार करने का प्रयास करेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में कारखाना स्थित है, जो उपनियम 1 के अपेक्षानुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए कारखाने के बाहर आम जनता को आवश्यक संभावित दुर्घटना से प्रभावित होने के संबंध में सूचित करेगा।

(4) उप–नियम (1) में दी गई जानकारी हिंदी और अंग्रेजी में होगी और कारखाने की बाहरी सीमा के आस–पास के विशिष्ट स्थानों के साथ आवासीय क्षेत्रों में जिन्हें इससे प्रभावित होने की संभावना है पर बड़े–बड़े होर्डिंग में भी प्रदर्शित होगी।

¼x½ *LFkkuh; çkf/kdj.k dk lpuk dk idVhdj.k*।– दखलकार खतरनाक प्रक्रिया पर ले जाने वाली प्रत्येक कारखानों का दखलकार संबंधित क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी को जहां कारखाना स्थित है को लिखित में निम्न जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

(क) नियम 73ख में निर्धारित आमजन के लिए जानकारी;

(ख) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप–धारा (2) के खंड (vi) और (vii) के अन्तर्गत निर्धारित रसायनों की सूची में शामिल खतरनाक पदार्थों की सूची में आमतौर पर संग्रहीत या खतरनाक पदार्थों की सूची या मात्रा का विवरण

¼?k½ *e[; fujh{kd&lg&lfo/kkinkÙkk dk lpuk dk idVhdj.kA&*

(1) प्रत्येक कारखाना का दखलकार जहां खतरनाक प्रक्रिया अपनाई जाती हो सूचनाएं मुख्य निरीक्षक को देते हुए कामगारो, स्थानीय प्राधिकारों एवं आम जनता को उपलब्ध करायेगा।

(2) अनुसूची IV के अनुसार कारखाने में प्रयुक्त, उत्पादित या संग्रहित खतरनाक पदार्थों के संबंध में सामग्री सुरक्षा डाटा शीट के संकलन की एक प्रति मुख्य निरीक्षक और स्थानीय निरीक्षक को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता द्वारा समय–समय पर मांगी गई अन्य सूचनाओं को भी दखलकार प्रस्तुत करेगा।

74- /kkjk 84 dh mi /kkjk 2 d vUrxr Jfedk d LokLF; vkj lj{kk d lc/k e uhfr d ckj e e[; fujh{kd&lg&lfo/kkinkÙkk vkj LFkkuh; çkf/kdkjh dk lfpr dju dk vrjkyA–

प्रत्येक कारखाने के दखलकार, उप–नियम (2) में दिए गए को छोड़कर कार्य पर लगे श्रमिकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में उनकी नीति का लिखित विवरण तैयार करेगा।

¼2½ *lHkh dkj[kkus &* (क) धारा 2 (डब्ल्यू) (i) के अन्तर्गत शामिल हैं, लेकिन 50 से कम श्रमिकों को नियोजित करता हो; (ख) धारा 2 (डब्ल्यू) (ii) के अन्तर्गत शामिल है लेकिन 100 से कम श्रमिकों को नियोजित करता हो; को उप–नियम (1) की आवश्यकताओं से छूट दी गई हैः बशर्ते कि वे धारा 2 (जेडए) के अन्तर्गत पहली अनुसूची के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं या संहिता की धारा 82 के अन्तर्गत खतरनाक घोषित की गई संचालन की प्रक्रियाओं को पूरा कर रहे हैं।

(3) उप–नियम (2) में निहित कुछ भी के बावजूद मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता को यदि उसकी राय में, ऐसा करना समीचीन है कारखानों या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के दखलकार को उपनियम (1) का अनुपालन करवा सकता है। ,

¼4½ *LokLF; vkj lj{kk uhfr e lfEefyr ;k 0;ogkj gkuk pkfg,%* (क) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए शीर्ष प्रबंधन की घोषणा और प्रतिबद्धता और सभी संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना;

(ख) विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से बताने वाली घोषित नीति को पूरा करने के लिए संगठनात्मक स्थापना; और

(ग) नीति को प्रभावी बनाने की व्यवस्था।

¼5½ *fo'k"k :i ls uhfr e fuEufyf[kr fufn"V djuk pkfg,%*

(क) श्रमिकों को शामिल करने की व्यवस्था;

(ख) अपने कैरियर की प्रगति पर विचार करते समय विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रदर्शन को ध्यान में रखने का इरादा;

(ग) परिसर में प्रवेश करने वाले ठेकेदारों, उप–ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी तय करना;

(घ) अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कारखाने के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण देना;

(ड.) प्रासंगिक तकनीक और विधियाँ, जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पर स्थिति के आवधिक मूल्यांकन के लिए सुरक्षा ऑडिट और जोखिम मूल्यांकन;

(च) संयंत्र, उपकरण, मशीनरी और सामग्री की खरीद के साथ–साथ कर्मियों के चयन और नियुक्ति सहित सभी निर्णयों में स्वास्थ्य और सुरक्षा को एकीकृत करने के अपने इरादे बताते हुए ;

(छ) अपने कर्मचारियों को सूचित करने, शिक्षित करने और प्रशिक्षण देने और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, विभिन्न स्तरों पर और सार्वजनिक रूप से उन्हें वापस लेने की व्यवस्था।

(6) व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित घोषित स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति की एक प्रति कारखाने के अधिकार क्षेत्र वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता को और मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता एवं स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी;

¼7½ *uhfr dk 0;kid :i ls cuk;k tk,xk –*

(क) अनुबंध के कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, परिवहन श्रमिकों के आपूर्तिकर्ताओं, आदि सहित सभी श्रमिकों को प्रतियां उपलब्ध कराना;

(ख) नीति की प्रतियां महत्पवपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित करना; और

(ग) अधिकांश श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में संचार के अन्य संसाधन द्वारा उपलब्ध कराना।

(8) दखलकार सुरक्षा नीति को यथासंभव संशोधित करेगा, लेकिन यह आवश्यक रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों में संशोधित किया जाएगाः –

(क) जब भी कोई विस्तार या परिवर्तन से कार्य पर लगे व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है; या

(ख) जब भी नए पदार्थ (ओं) या वस्तुओं निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, जिसके कारण ऐसे पदार्थों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो।

75- /kkjk 84 dh mi&/kkjk ¼5½ d vUrxr e[; fujh{kd&lg&lfo/kkinkÙkk dk ifjldVe; çfØ;k 'k: dju oky dkj[kku d fy, lpuk dk vfuok;l çdVhdj.kA इस नियम के अन्तर्गत वांछित सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया जायेगा।

76- /kkjk 84 dh mi&/kkjk ¼7½ d vUrxr dkj[kku d vklikl d {k=k e jgu oky Jfedk vkj vke turk d chp mik;k vkj fuiVku d ipkj&ilkj dk rjhdkA– धारा 84 की उपधारा (7) के उद्देश्य के लिए कारखाना के दखलकार को कारखाना परिसर के अंदर खतरनाक पदार्थों के व्यवहार, उपयोग, परिवहन और भंडारण के लिए उपाय और कारखाना परिसर के बाहर इस तरह के पदार्थों के निपटान के लिए श्रमिकों और आम जनता को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा आसपास के क्षेत्रों में होर्डिंग या संचार का कोई अन्य तरीका जो इस उद्देश्य और उसके अभिलेख के लिए उपयुक्त है, प्रचार करना होगा।

77- /kkjk 85 d [kM ¼,½ d vUrxr Jfedk }kjk vfHky[k rd igp dh 'krl(

(1) ' परिसंकटमय प्रक्रिया' को संचालन करने वाले प्रत्येक कारखाना के दखलकार को कामगारों का स्वास्थ्य अभिलेर्ख खतरनाक दर्ज किया जाएगा, या जैसा भी हो, निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत किसी भी श्रमिक के मेडिकल अभिलेर्ख को उसके लिए दर्ज किया जा सकता है। : –

(क) प्रत्येक छह महीने में या चिकित्सा परीक्षा के तुरंत बाद जो भी पहले हो।

(ख) यदि कारखाना चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन की राय है कि कामगार संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए किसी भी रोग के लक्षण और लक्षण प्रकट करता है;

(ग) यदि श्रमिक रोजगार छोड़ देता है;

(घ) यदि निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई भी निदेश देता है;

–मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता;

–केंद्र या राज्य सरकार का स्वास्थ्य प्राधिकरण;

–सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अन्तर्गत कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए सक्षम प्राधिकार;

–महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम;

–निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा लाभ); तथा

–महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान।

(2) अद्यतन स्वास्थ्य अभिलेख की एक प्रति, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया के लिए कामगार के संपर्क का अभिलेख शामिल है या, जैसा भी मामला हो, स्वास्थ्य अभिलेख उसके पास एक आवेदन प्राप्त होने पर कामगार को दी जाएगी। एक्स–रे प्लेटें और अन्य मेडिकल डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी उनके मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

78- /kkjk 85 d [kM ¼ch½ d vUrxr Jfedk dh lj{kk d fy, ifjldVe; inkFk l fuiVu vkj vko';d lfo/kk,a çnku dju oky 0;fä;k dh ;kX;rk vkj vuHko।–

(1) परिसंकटमय पदार्थों की देखरेख के लिए आवश्यक सभी व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता और अनुभव रखेगेंः

(क) (i) 5 साल के अनुभव के साथ रसायन इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या रसायन शास्त्र में डिग्री; या

(ii) रसायन शास्त्र में मास्टर डिग्री या केमिकल इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री के साथ 5 साल का अनुभव।

ऊपर दिया गया अनुभव रासायनिक उद्योग में प्रक्रिया संचालन और रखरखाव में होगा।

(ख) मुख्य निरीक्षक को आवश्यक लगे तो पर्यवेक्षक को स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है।

(2) उपर्युक्त पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की अवधि और प्रशिक्षण आयोजित करने वाले संस्थानों को महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान या महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान या राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।

79- /kkjk 85 d [kM ¼lh½ d mi&[kM ¼ii½ d vUrxr ,d dk;dk dh fpfdRlk ijh{kk d fy, çnku dju dk rjhdk(

(1) एक 'परिसंकटमय प्रक्रिया' में नियोजित श्रमिकों की चिकित्सीय जांच किसी योग्य चिकित्साकर्मी द्वारा निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः –

(क) रोजगार से पहले एक बार, विशेष कार्य करने के लिए व्यक्ति की शारीरिक दक्षता का पता लगाने के लिए;

(ख) 6 महीने की अवधि में एक बार व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के संबंध में सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए, जिनसे वे संसर्गित होते हैं; और ऐसे मामलों में जहां कारखाना चिकित्सा अधिकारी की राय में किसी भी कामगार के संबंध में कम अंतराल पर ऐसा करना आवश्यक है;

(ग) रोजगार पूर्व और आवधिक चिकित्सा परीक्षा का विवरण स्वास्थ्य पंजी में प्रपत्र XXVIII में दर्ज किया जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को पहली बार मेडिकल ऑफिसर द्वारा दिए गए प्रपत्र XXIX में दक्षता के प्रमाण पत्र के बिना नियोजित नहीं किया जाएगा। यदि चिकित्सा अधिकारी किसी व्यक्ति को उप–नियम (1) के अन्तर्गत आने वाली किसी भी प्रक्रिया में नियोजित नहीं किए जाने की घोषणा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, जो उस मामले को उस क्षेत्र के सिविल सर्जन को भेजेगा, जिसकी राय इस संबंध में अंतिम होगी।

(3) किसी प्रक्रिया में नियोजित किसी व्यक्ति के संबंध में चिकित्सा अधिकारी को किसी भी असामान्यता या अनुपयुक्तता का पता चलता है, तो उस क्षेत्र के सिविल सर्जन को सूचित किया जाएगा जो संबंधित कामगार की जांच करेंगे और 30 दिनों के अन्दर दखलकार को अपने निष्कर्षों को बताएंगे। यदि सिविल सर्जन की राय है कि जांच की गई कार्यकर्ता को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रक्रिया से दूर ले जाना आवश्यक है, तो वह तदनुसार दखलकार को निर्देशित करेगा, जो उसी प्रक्रिया में उक्त कामगार को नियुक्त नहीं करेगा। हालांकि, निकाले गए श्रमिक को तब तक वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान की जाती है जब तक कि वह सिविल सर्जन की राय में, पूरी तरह से अक्षम न हो, उस स्थिति में प्रभावित कर्मचारी का पुनर्वास किया जाएगाः

(4) उप–नियम (2) के अन्तर्गत किसी भी प्रक्रिया में रोजगार से हटाया गया श्रमिक उस क्षेत्र के सिविल सर्जन से दक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद और स्वास्थ्य रजिस्टर में इस आशय की प्रविष्टि करने के बाद ही उसी प्रक्रिया में फिर से नियोजित हो सकता है।

(5) एक निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता, यदि वह उप–नियम (1) अनुसार आवश्यक समझता है तो वह कामगार को परीक्षण के लिए उस क्षेत्र के सिविल सर्जन को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेज सकता है और सिविल सर्जन का परामर्श अंतिम होगा। इस चिकित्सा परीक्षा के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान दखलकार द्वारा किया जाएगा।

(6) इन नियमों के अन्तर्गत या केंद्र या राज्य सरकार की ओर से किए गए किसी भी चिकित्सा सर्वेक्षण के लिए श्रमिक को आवश्यक चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा।

80- /kkjk 88 d vUrxr fdlh Hkh dkj[kku e fofuek.k çfØ;k e jklk;fud vkj fo"kkä inkFkk d lid dh vf/kdre vue; lhek A& धारा 88 के उद्देश्य के लिए किसी कारखाने में निर्माण प्रक्रिया में रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने का स्वीकार्य स्तर अनुसूची I के अनुरूप होगा।

81- dkj[kku d fujh{kd&lg&lfo/kkinkUkk d vkn'k d fo:) vihyh; ikf/kdkj vkj /kkjk 90 d vUrxr vihy d rjhd A&

(1) धारा 90 के अन्तर्गत अपील मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदात्ता या उन मामलों में, जहां उस अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील किया गया है, राज्य सरकार को या ऐसे प्राधिकारी को जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है, इस संबंध में, एक ज्ञापन के रूप में होगा, जो संक्षेपतः आदेश के आपत्ति का आधार और कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 के अनुसूची II के अनुच्छेद 11 के अनुसार कोर्ट फीस तथा आदेश जिसके विरूद्ध अपील किया जा रहा है कि एक प्रतिलिपि के साथ होगा।

¼2½ *eY;kdudrkvk dh fu;fä A*– अपीलीय प्राधिकारी की अपील के ज्ञापन की प्राप्ति पर, यदि वह उचित समझे या यदि अपीलकर्ता ने अनुरोध किया है कि मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता से अपील पर सुनवाई की जानी चाहिए, तो संबंधित उद्योग के प्रतिनिधि को 14 दिनों की अवधि के भीतर एक मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करने के लिए उप नियम (3) के अन्तर्गत घोषित निकाय को बुलाया जायेगा। यदि एक मूल्यांकनकर्ता ऐसे निकाय द्वारा नामित किया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी स्वयं एक दूसरा मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करेगा। इसके बाद अपील की सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेगा और अपीलकर्ता और ऐसे निरीक्षकों को, जिनके आदेश के खिलाफ अपील

की जाती है, को ऐसी तारीख की सूचना देगा और अपील का सुनवाई के दौरान सहायता करने के लिए दो मूल्यांकनकर्ताओं को ऐसी तारीख पर हाजिर होने हेतु कहा जायेगा।

(3) अपीलकर्ता उप–नियम (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत ज्ञापन में बताएगा कि क्या वह निम्नलिखित निकायों में से एक या अधिक का सदस्य है–

(1) बिहार चौंबर ऑफ कॉमर्स।

(2) बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन।

(3) बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन।

(4) द इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया।

fudk; dk eY;kdudrk fu;ä dju dk vf/kdkj gkxk&

(क) यदि अपीलकर्ता ऐसे निकायों में से एक का सदस्य है, तो वह निकाय हो;

(ख) यदि वह दो ऐसे निकायों का सदस्य है, तो वह निकाय, जिसे अपीलार्थी को ऐसे मूल्यांकनकर्त्ता की नियुक्ति करने की इच्छा रखता हो; तथा

(ग) यदि अपीलकर्ता पूर्वोक्त निकायों का सदस्य नहीं है, या यदि वह ज्ञापन में यह नहीं बताता है कि उन निकायों में से किसे वह मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करना चाहता है, तो मूल्यांकनकर्त्ता वह निकाय होगा जिसे अपीलीय प्राधिकार संबंधित उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे अच्छा मानता है।

¼4½ *eY;kdudrkvk dk ikfjJfedA&* उप–नियमों (2) और (3) के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त मूल्यांकनकर्ता अपील की सुनवाई के लिए, राज्य सरकार द्वारा भी तय किया जाएगा। वह वास्तविक यात्रा खर्च भी प्राप्त करेगा। सरकार द्वारा मूल्यांकनकर्ता को फीस और यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा; लेकिन जहां अपीलकर्ता के अनुरोध पर मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति की गई है और अपील पूरी तरह से या आंशिक रूप से उसके खिलाफ तय की गई है, राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि मूल्यांकनकर्ता के शुल्क और यात्रा व्यय को अपीलकर्ता द्वारा पूरे या आंशिक रूप से भुगतान किया जाएगा।

82- /kkjk 91 d vUrxr fu;eA&¼1½ i;o{k.k ;k çc/ku vkj xkiuh; ink dk /kkfjr dju d fy, ifjHkkf"kr 0;fä– राज्य सरकार धारा 91 (1) (ए) या (बी) के अन्तर्गत किसी भी या सभी वयस्क कार्यकर्ता या किसी प्रतिष्ठान या किसी भी प्रतिष्ठान को लिखित में आदेश देकर छूट दे सकती है। ऐसी स्थिति के लिए स्थापना की कक्षा के रूप में यह समीचीन समझा जा सकता है। ऐसा आदेश राजपत्र में प्रकाशन के बाद प्रभावी हो जाएगा।

83- /kkjk 92 dh mi&/kkjk ¼1½ d vUrxr cxku e Jfedk d fy, lfo/kk,(¼i½ Jfedk dk lfo/kk,A&

¼d½ Jfedk d fy, vkokl ।–

(1) प्रत्येक नियोक्ता बगान में रहने वाले श्रमिकों और उनके परिवार को यथासंभव काम के स्थान के निकट आवास प्रदान करेगा।

(2) एक बागान में श्रमिकों के आवास में महिला कर्मचारियों के लिए अलग कमरे होंगे। प्रत्येक कमरें में ताजी हवा के संचालन द्वारा पर्याप्त संवातन की व्यवस्था की जाएगी और उपयुर्क्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी। कमरे या अन्य उपयुक्त वैकल्पिक आवास का आकार इस प्रकार होगा कि रसोई और शौचालय के क्षेत्र को छोड़कर कम से कम 10 वर्ग मीटर का फर्श क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया जा जायेगा। आवास का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें गर्मी, हवा, तथा बारिश से पर्याप्त सुरक्षा हो तो इसकी सतह चिकनी, कठोर और अभेद्य हो।

¼3½ *x'g vkokl d fy, LFky* –

(i) गृह आवास अच्छी तरह से सूखा हुआ भूमि पर प्रदान किया जाएगा, जिसमें पीने योग्य पानी की आपूर्ति हो।

(ii) जिस क्षेत्र में आवास की व्यवस्था है, उसके आसपास पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।

(iii) नियोक्ता उस क्षेत्र में अच्छी सड़कों और रास्तों को बनाए रखेगा, जहाँ आवास अवस्थित है और उस स्थान पर सीवर और नालियाँ भी हो।

(iv) नियोक्ता घरों को स्वच्छ रखेगा और जल निकासी और सीवेज की भी व्यवस्था करेगा।

¼4½ *?kjk d j[kj[kko*&घरों को अच्छी हालत में रखा जाएगा।

¼[k½ f'k'k x'g lfo/kk – बागान के सभी नियोक्ता, जिसमें पचास या अधिक श्रमिक (किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों सहित) कार्यरत हैं या पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन कार्यरत रहे हैं, शिशु गृह सुविधा प्रदान करेंगे।

¼x½ *Jfedk d cPpk d fy, 'kf{kd lfo/kk,&*

(i) प्रत्येक नियोक्ता को यदि उसके बागान में छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के श्रमिकों के बच्चों की संख्या 25 से अधिक है, तो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय (यों) को बनाए रखेगा या सरकारी स्कूल में प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगा।

¼?k½ *LokLF; lfo/kk,*– नियोक्ता अपने कामगार को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं देगा और उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा योजना में शामिल किया जाएगा।

(ii) राज्य सरकार राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अतिरिक्त सुविधाओं को अधिसूचित कर सकती है।

84- /kkjk 93 dh mi&/kkjk ¼2½ d vUrxr fd'kkjk d jktxkj dk ifr"kf/kr djuk ;k] çfrcf/kr djukA& किसी भी किशोर श्रमिक को कीटनाशक, खरपतवार नाशक, खतरनाक रसायनों और अन्य विषाक्त पदार्थों को संभालने या भंडारण या परिवहन में लगे रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

85- /kkjk 93 dh mi/kkjk ¼3½ d vUrxr ;kX;rk; कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों और विषाक्त पदार्थों के उपयोग, हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन की निगरानी एक सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जिसके पास निम्न योग्यताएँ होनी चाहिए। –

(1) वह कृषि या रसायन विज्ञान में स्नातक होगा या वह मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित रसायनों और विषाक्त पदार्थों से निपटने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स धारण करता है।

(2) श्रमिकों को प्राथमिक उपचार देने के लिए उन्हें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वैध प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

86- /kkjk 93 dh mi/kkjk ¼4½ d vUrxr Jfedk dk çf'k{k.kA– (1) कीटनाशक, रसायन, जहरीले पदार्थों को संभालने वाले कामगार को धारा 93 (3) में उल्लिखित पर्यवेक्षक या इसी तरह की योग्यता रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

87- /kkjk 93 dh mi&/kkjk ¼5½ d vUrxr dkexkj dh vkof/kd fpfdRlk ijh{kk dh ifØ;k A–

(1) प्रत्येक कामगार जो कीटनाशक, रासायनिक और विषैले पदार्थों को संभालने, निपटने, या छिड़काव या मिश्रण करने के काम में लगा हुआ है का रोजगार की शुरुआत में और उसके बाद छह महीने में एक बार चिकित्सकीय जाँच करेगा।

(2) चिकित्सीय परीक्षण और परीक्षण प्रपत्र XXVIII अनुसार दर्ज किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक श्रमिक के स्वास्थ्य अभिलेर्ख को बनाए रखेगा जैसे कि वार्षिक चिकित्सा परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा को जब आवश्यक हो तो रोपण में रखा जाएगा और ऐसे प्रत्येक कार्यकर्ता को ऐसे अभिलेर्ख तक पहुंच प्राप्त होगी।

88- /kkjk 93 dh mi&/kkjk ¼7½ d vUrxr lfo/kk,] diM vkj midj.k çnku dju dk ifØ;k।–

(1) प्रत्येक नियोक्ता काम करने वालों को धुलाई, स्नान और क्लोक रूम की सुविधा प्रदान करेगा, जो कीटनाशक, कीटनाशक, रसायन और विषाक्त पदार्थों से निपटने में कार्यरत हैं।

¼2½ सुरक्षात्मक कपड़े और उपकरण –

(क) कीटनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों से निपटने वाले व्यक्तियों को इसके संचालन, वितरण, मिश्रण, छिड़काव के दौरान उपयुक्त कपड़ों के साथ पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाएगा।

(ख) सुरक्षात्मक कपड़े उन सामग्रियों से बने होंगे जो किसी भी प्रकार के कीटनाशक, रासायनिक और जहरीले योगों के प्रवेश को रोकते या प्रतिरोध करते हैं। सामग्री भी धोने योग्य होगी ताकि प्रत्येक उपयोग के बाद विषाक्त तत्वों को हटाया जा सके।

(ग) सुरक्षात्मक कपड़ों का एक पूरा सूट निम्नलिखित वस्त्रादि से मिलकर बनता है, नामतः –

– टोपी के साथ सुरक्षात्मक बाहरी वस्त्र।
– रबर के दस्ताने या इस तरह के अन्य सुरक्षात्मक दस्ताने तरल पदार्थ के लिए अभेद्य सामग्री से बने होगें एवं बाँह की कलाई तक का विस्तार करते हैं।
– धूलकण रोधी काले चश्मे।
– जूते।
– पुनः प्रयोज्य कपड़ा मास्क।

89- /kkjk 93 dh mi/kkjk ¼9½ d vUrxr fuokjd ukfVl; बागानों में प्रत्येक नियोक्ता निम्नलिखित निवारक नोटिस को उस स्थान पर या उसके आस–पास प्रदर्शित करेगा, जहां कीटनाशक, रसायन और जहरीले पदार्थ होते हैं। –

(i) सुरक्षात्मक कपड़े जैसे चौगा, दस्ताने, रबर गम–बूट और चौड़ी कटी हुई टोपी का उपयोग करें।

(ii) कीटनाशक और कीटनाशकों से दूषित कपड़े न पहनें।

(iii) सुरक्षात्मक कपड़ों को साबुन और पानी से धो कर साफ करें।

(iv) बच्चों, बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं को कीटनाशकों और कीटनाशकों को संभालने की अनुमति न दें।

(v) कीटनाशक और कीटनाशक से निपटने के दौरान खाना, पीना, धूम्रपान या चबाना नहीं चाहिए।

(vi) अपने मुँह से कभी भी भरी हुई टोटी को न खोले करें।

(vii) लीक करने वाले स्प्रेयर का उपयोग न करें। त्वचा, मुंह और आंखों के प्रदूषण से बचें।

(viii) खेतों में बिना कीटनाशक के सांस न लें।

(ix) हवा के खिलाफ कीटनाशक और कीटनाशक का छिड़काव कभी न करें।

(x) खेतों में बिना कीटनाशकों और कीटनाशकों को छोड़ें नहीं।

(xi) मनुष्यों और पशुओं को निर्माताओं द्वारा सुझाए गए समय की अवधि के लिए कीटनाशकों और कीटनाशकों के छिड़काव वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति न दें।

(xii) कीटनाशक और कीटनाशक के कंटेनर को कुएँ या बहती धारा के पास न धोएं।

(xiii) उपयोग के लिए साफ पानी, साबुन और तौलिया तैयार रखें।

(xiv) खाने, पीने, धूम्रपान या चबाने और काम करने से पहले हाथों और त्वचा को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं।

(xv) कीटनाशक और कीटनाशक स्टोर रूम में बंद रखें और बच्चों और अन्य अनधिकृत व्यक्तियों की पहुँच से बाहर रखें।

(xvi) छिड़काव क्षेत्र में प्रवेश न करें। निर्माताओं द्वारा सुझाए गए हर्बिसाइड्स सहित सभी कीटनाशकों और कीटनाशकों के लिए पुनः प्रवेश अवधि का पालन करें।

(xvii) कीटनाशकों और कीटनाशकों को उनके मूल, लेबल वाले कंटेनरों में रखें।

(xviii) कीटनाशी और कीटनाशकों को तत्काल उपयोग के अलावा बिना लेबल के कंटेनरों में न डालें।

(xix) अच्छी तरह से खाली करने और धोने के बाद कंटेनरों को सुरक्षित रूप से निपटान करें। उन्हें पानी के स्रोत से दूर किसी स्थान पर गाड़ा जा सकता है।

(xx) कंटेनर को किसी अन्य प्रयोजन के लिए कभी भी उपयोग न करें यदि कंटेनरों से कीटनाशक और कीटनाशकों के निशान को हटाना असंभव है।

90- /kkjk 114 dh mi&/kkjk ¼1½ d vUrxr i'keu dk çc/kA& धारा 114 के उप–खंड (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपराधों के प्रशमन का उल्लेख –

(1) धारा 114 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत अपराधों के प्रशमन के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी उन अपराधों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक प्रशमन नोटिस जारी करेगा जिनके लिए धारा 114 के धारा उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्रशमनीय है।

(2) जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया है, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकारी को सूचना मिलने के पंद्रह दिनों के भीतर आवेदन कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या अन्यथा पूरी प्रशमन राशि जमा कर सकता है।

(3) प्रशमन अधिकारी, कंपोजिशन राशि की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति को, जिससे ऐसी राशि कंपोजीशन नोटिस की संतुष्टि में प्राप्त हुई हो एक कंपोजीशन सर्टिफिकेट जारी करेगा।

(4) यदि ऐसा कोई व्यक्ति अभियोजन के गठन के एक महीने के भीतर कंपोजीशन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो अभियोजन को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

(5) धारा 110 की उप–धारा (1) और धारा 114 के अन्तर्गत अधीन ऐसे प्रावधानों का पालन करने के लिए नियोक्ता को अवसर दिए बिना कोई अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।

91- /kkjk 115 dh mi/kkjk ¼2½ d vUrxr fuf/k d vU; lkr; धारा 115 की उप–धारा (2) के खंड (i) में उल्लिखित निधि के स्रोत के अलावा, निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त राशि को निधि में जमा किया जाएगाः –

(i) कोष की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि।

(ii) भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों और वैधानिक निकायों द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि।

(iii) लाभार्थियों के पंजीकरण/नवीनीकरण और उनके योगदान से प्राप्त राशि।

(iv) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त राशि।

(v) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त राशि।

(vi) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियोक्ता या उनके संगठन द्वारा दिया गया दान या कोई अन्य वित्तिय सहायता या कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) फंड से योगदान।

(vii) कोई अन्य स्रोत जो अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाता है।

92- /kkjk 115 dh mi&/kkjk ¼3½ d vUrxr QM dk ç'kkflr dju vkj [kp dju dk çc/k; फंड को प्रशासित करने और खर्च करने का तरीका राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

93- /kkjk 119 dh mi&/kkjk ¼2½ d vUrxr vkonu i=] vkonu Hkju dk rjhdk vkj bl d lkFk vrj&jkT; çokl dkexkj d jktxkj l l cf/kr tkudkjh;

(i) धारा 119 की उप–धारा(2) के प्रयोजनों के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति या एकल अनुज्ञप्ति प्राप्त करने इच्छुक कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र XIII में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर स्थापना की विवरणी, लाईसेंस से संबंधित प्रासंगिक कागजात, पहचान प्रमाण–पत्र एवं प्रपत्र में विनिर्दिष्ट के अनुरूप नियोक्ता का पता के साथ नियम–84 के उप–नियम–3 के तहत् विहित शुल्क के साथ आवेदन किया जायेगा। पोर्टल की अपेक्षानुसार फॉर्म को डिजिटल या किसी अन्य तरीके से हस्ताक्षरित किया जा सकता है। आवेदक, आवेदन में प्रस्तुत सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए जिम्मेदार होगा।

(iii) जहाँ प्राधिकार इस बात से संतुष्ट है कि सामान्य अनुज्ञप्ति में किसी कारखाने, बीड़ी और सिगार के काम के लिए औद्योगिक परिसर और ठेका श्रमिकों को संलग्न करने के लिए या उनके किसी भी के लिए संहिता के अन्तर्गत एकल अनुज्ञप्ति जारी किया जा सकता है। ऐसे प्राधिकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन जारी होने के तीस दिनों के भीतर प्रपत्र XIV में एक अनुज्ञप्ति जारी करेगा, किसी तरह की विफलता की स्थिति में ऐसा अनुज्ञप्ति जारी किया जाना माना जाएगा एवं ऑटो उत्पन्न होगा और इसकी जिम्मेदारी ऐसे प्राधिकार पर होगी।

(iv) अनुज्ञप्ति गैर–हस्तांतरणीय होगा।

(v) ठेका श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति में, नियोजित में अंतर–राज्य प्रवासी श्रमिकों की संख्या शामिल है।

(2) गलत जानकारी देकर प्राप्त किया गया कोई भी अनुज्ञप्ति रद्द किया जा सकता है बशर्ते कि उस व्यक्ति को कारण पृच्छा इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत डाक से दिये जाने का अवसर दिया गया हो, कि क्यों नहीं अनुज्ञप्ति रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

¼3½ /kkjk 119& ¼1½ dh mi&/kkjk ¼2½ d vUrxr Hkxrku dh tku okyh QhlA अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीनीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली फीस नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट की जाएगी;

ØE lE	Bdk Jfedk dh l[;k	Qhl
क	49 श्रमिक के लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक नहीं है	शून्य
ख	50 लेकिन 100 श्रमिक से अधिक नहीं	रु 1000
ग	101 लेकिन 300 श्रमिक से अधिक नहीं	रु 2000
घ	301 लेकिन 500 श्रमिक से अधिक	रु 3000
ङ	501 लेकिन 1000 श्रमिक से अधिक नहीं	रु 5000
च	1001 लेकिन 5000 श्रमिक से अधिक नहीं	रु 10,000
छ	5001 लेकिन 10000 श्रमिक से अधिक नहीं	रु 20,000
ज	10001 लेकिन 20000 श्रमिक से अधिक नहीं	रु 30,000
झ	20001 श्रमिक और ऊपर के लिए	रु 40,000

94- /kkjk 119 dh mi&/kkjk ¼3½ d vUrxr dkjokbZ] dkjokbZ dju dk rjhdk vkj iN&rkN।–धारा 119 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कार्रवाई, कार्रवाई करने का तरीका और पूछ–ताछ वैसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

95- /kkjk 119 d mi&/kkjk ¼6½ d vUrxr vihy dk çk:i] mld lkFk 'kYd ,o vihyh; çkf/kdkjhA&

(i) धारा 119 के उप–धारा (6) के अन्तर्गत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति, इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसे प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय अधिकारी के समक्ष इस तरह के आदेश के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपील कर सकता है।

(ii) जहां अपील का ज्ञापन क्रम में है, अपीलीय अधिकारी अपील को स्वीकार करेगा, उसकी पावती देगा और इस तरह की अपील के निबंधित होने की सूचना देगा और अपील को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाने के लिए विहित रजिस्टर में सूचीकरण करेगा।

(iii) जब अपील स्वीकार कर ली गई है, तो अपीलीय प्राधिकारी अपील की सूचना पंजीकरण अधिकारी को भेजेगा, जिसके आदेश के खिलाफ अपील की गई है और पंजीकरण अधिकारी मामले के अभिलेर्ख को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपीलीय प्राधिकारी को ऑनलाइन भेजेगा।

(iv) अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय अधिकारी अपीलकर्ता को अपील की सुनवाई के लिए नोटिस इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत डाक द्वारा, ऐसी तारीख और समय विनिर्दिष्ट करते हुए उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए एक नोटिस भेजेगा।

(v) यदि सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तारीख पर, अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो अपीलीय प्राधिकारी आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदेश की प्रति भेजकर अपीलकर्ताओं की उपस्थिति के चूक के लिए अपील को खारिज कर सकता है।

(vi) जहां अपील खारिज कर दी गई है, अपीलकर्ता आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील प्रत्यायन के लिए अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है और यदि अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण द्वारा प्रकट होने से रोका गया था, अपीलीय प्राधिकारी अपील को प्रत्यायित कर सकेगा।

(vii) अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित किया जाएगा और इसकी प्रतिलिपि उस पंजीकृत अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश के खिलाफ अपील की गई है और अपील प्राप्त होने की तिथि तीस दिनों के भीतर से निपटाया जाएगा।

96- /kkjk 121 dh mi&/kkjk ¼2½ d vUrxr lo{k.k dh ifØ;k; धारा 121 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत सर्वेक्षण का मुख्य निरीक्षक –सह– सुकारक या समिति, जो राज्य सरकार द्वारा संहिता की धारा 121 (2) के प्रावधानों के अनुसार सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त कर सकती है, किसी प्रतिष्ठान के सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान, या किसी अन्य समय, जैसा कि उसके या समिति द्वारा पाया जाता है, स्थापना के नियोक्ता या प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति को लिखित में नोटिस देने के बाद, जो तत्समय स्थापना के प्रभारी होने के लिए, स्थापना और बाहर में सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सर्वेक्षण करेगा।

(1) नियोक्ता या प्रबंधक या अन्य व्यक्ति इस तरह के सर्वेक्षण के लिए सभी सुविधाओं का खर्च उठाएंगे, जिसमें संयंत्र और मशीनरी के परीक्षण और परीक्षण और नमूनों के संग्रह और सर्वेक्षण से संबंधित अन्य डेटा शामिल हैं।

(2) निकट के आसपास के प्रत्येक कार्यकर्ता और व्यक्ति को सर्वेक्षण की सुविधा देने के उद्देश्य से, यदि सर्वेक्षण का संचालन करने वाले व्यक्ति को ऐसा करना आवश्यक हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना आवश्यक है, जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है और उसके कब्जे में सर्वेक्षण के लिए प्रासंगिक सभी जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) उप–नियम–2 के अन्तर्गत चिकित्सा परीक्षण या प्रस्तुत जानकारी के लिए एक कार्यकर्ता द्वारा किसी भी समय व्यय किए गए ओवरटाइम काम के लिए मजदूरी और अतिरिक्त मजदूरी की गणना करने के लिए उस समय के दौरान समझा जाएगा, जब इस तरह के कार्यकर्ता ने प्रतिष्ठान में काम किया था ।

vuqlwph&I

fu;e ¼2½ ¼4½ n[k

mi vuqlwph&1

ifjlDVe; jlk;uk dh lwph

ØeLa	*jlk;u dk uke*
1	एसीटोन
2	एसीटोन सायनोहाइड्रिन
3	एसिटिलीन क्लोराइड
4	एसीटोन (इथेनी)
5	आर्कोलिन (2–प्रोपेनल)
6	एक्रिलोंटिरल
7	एल्डिकर्ब
8	सल्ड्रिन
9	अलकिल फिल्हैते
10	एलिल अल्कोहल एसिड और साल्ट।
11	एलियमिन

ØŒ l Œ	j l k;u dk uke
12	एइफा नैपथील थायो यूरिया (अंतु)
13	4–अमीनोडिफेनिल एस्बेस्टस
14	2–अमीनोफेनॉल
15	अमितोन
16	अमोनिया
17	अमोनियम नाइट्रेट
18	उर्वरक में अमोनियम नाइट्रेट
19	अमोनियम सल्फेट
20	अनाबासिन
21	रंगों का रासायनिक आधार
22	पी–अनिसिडाइन
23	सुरमा और यौगिक
24	एंटीमनी हाइड्राइड (स्टिबाइन)
25	आर्सेनिक हाइड्रिस (।तपेपदम)
26	आर्सेनिक पेंटोक्साइड, आर्सेनिक (v)
27	आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, आर्सेनिक (III)
28	अम्ल और लवण।
29	अजीनफोस–एथिल
30	अजीनफोस–मिथाइल
31	बेरियम एजाइड
32	बेंजीन
33	बैन्जीडाइन
34	बेंजाइड साल्ट
35	बेंजोक्यूनोन
36	बेंजॉयल क्लोराइड
37	बेंजोईल पेरोक्साइड
38	बेंजाइल क्लोराइड
39	बेंजिल केनाइ
40	बेरिलियम (पाउडर, यौगिक)
41	बाईफिनाइल
42	बिस (2–क्लोरोमेथिल) केटोन
43	बिस (2, 4, 6–ट्रिनिट्रॉफिनाइल) अमाइन
44	बिस (2–क्लोरोइथाइल) सल्फाइड
45	बिस (क्लोरोमेथिल) ईथर
46	2, 2–बीआईएस (टर्ट–बटाइपरॉक्सी) ब्यूटेन
47	1, 1 –बिस (टर्ट–बुटीपीहॉ) साइक्लोनेक्सेन
48	Bis–1,2 (ट्राइब्रोमोफेनोक्सी) ईथेन
49	बिस्फेनॉल
50	बोरान और यौगिक
51	ब्रोमिन
52	ब्रोमिन पेंटाफ्लोराइड

ØŒlŒ	jlk;u dk uke
53	ब्रोमोफॉर्म
54	1, 3–ब्यूटाडाइन
55	बुटान
56	एन–बुटानेथिओल
57	2–बुटानोन
58	बुटिक इथेनॉल
59	ब्यूटाइल ग्लाईसीडल ईथर
60	टर्ट–बुटीप्रोक्सैसेट
61	टर्ट–ब्यूटाइल पेट्रोक्सीसोब्यूटिरेट
62	टर्ट–ब्यूटाइल पेरोक्सीसोप्रोपिल कार्बोनेट
63	टर्ट–ब्यूटाइल पेरोक्सिमाल्टे
64	टर्ट–ब्यूटाइल पेरोक्सिवाइलेट
65	ब्यूटाइल विनाइल ईथर एसिड और साल्ट।
66	ब्यूटाइन
67	सी 9–एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन अंश
68	कैडमियम और यौगिक
69	कैडमियम ऑक्साइड (धुएं)
70	कैल्शियम साइनाइड
71	कैप्टन
72	कैप्टोफॉल
73	कार्बेरिल (सेविन)
74	काबोफुरान
75	कार्बन डाइसल्फाइड
76	कार्बन मोनोऑक्साइड
77	कार्बन टेट्राक्लोराइड
78	कार्बोफेनोथियोन
79	सेल्युलोज (एक्सप्लोसिव में उपयोग)
80	क्लोरेट्स (विस्फोटकों में उपयोग)
81	क्लोरडेन
82	क्लोरफेनविनफोस
83	क्लोरीनयुक्त बेंजीन
84	क्लोरीन
85	क्लोरिन डाइऑक्साइड
86	क्लोरीन ऑक्साइड
87	क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड
88	क्लोरोप्लासिट क्लोराइड
89	क्लोरोएसेटल क्लोराइड
90	क्लोरोएसेटालडिहाइड
91	2–क्लोरोनाइलाइन
92	4–क्लोरोनाइलाइन
93	क्लोरोबेंजीन

ØŒlŒ	jlk;u dk uke
94	क्लोरोडिफेनिल
95	क्लोरोपॉक्सीप्रोपेन
96	क्लोरोएथेनॉल
97	क्लोरोइथाइलक्लोरोफॉर्म
98	क्लोरो
99	क्लोरोफार्म
100	4– (क्लोरोफॉर्म) मॉर्फोलिन
101	क्लोरोमीथेन
102	क्लोरोमेथाइल ईथर
103	क्लोरोनाइटटोबेंजीन
104	क्लोरोप्रीन
105	क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड
106	क्लोरोप्रिनिट्रोबेंजीन
107	क्लोरोक्सुरोन
108	क्रोमियम और यौगिक
109	कोबोइट और कम्पाउंड्स
110	तांबा और यौगिक
111	कौमाफुरल
112	कौमपोहोस
113	कौमाट्राट्राइल
114	क्रीमिडाइन
115	क्रीमिडाइन
116	कमीन
117	सायनोफॉस
118	सायनोथियेट
119	सायन्यूरिक फ्लोराइड
120	साइक्लेक्सेन
121	साइक्लोहेक्सानॉल
122	साइक्लोहेक्सानॉन
123	साइक्लोहेक्सामाईड
124	साइक्लोपेंटैडिन
125	साइक्लोपेंटेन
126	साइक्लोटेट्रैनेथिलेंट एर्रानिट्रामाइन
127	साइक्लोटोटिमेथिलीनिट्रिनाट्रा
128	डीडीटी
129	डेकाब्रोमोडिफेनिल ऑक्साइड
130	डेमेटन
131	डि–इसोबूट्रील पेरोक्साइड
132	डि–एन–प्रोपाइल पेरोक्सीडाइकार्बोनेट
133	डाई सेक ब्यूटाईट पेराक्सीडाइकार्बनेट
134	डायलिफोस

ØŒlŒ	jlk;u dk uke
135	डियाजेडिनिट्रोफेनोल
136	डियाजोमेथेन
137	डाइ बेजाईल पेराऑक्सीडाइकार्बोनेट
138	डाइक्लोरोएसेटिलीन
139	ओ–डाइक्लोरोबेंजीन
140	पी–कपबीसवतवइमद्रमदम
141	डाइक्लोरोइथेन
142	डिस्क्लोरोइथाइल ईथर
143	2, 4–डिक्लोरोफेनॉल
144	2, 6–डिक्लोरोफेनॉन
145	2, 4 डाइक्लोरोफेनोक्सी एसिटिक एसिड (2,4–डी)
146	1, 2–डाइक्लोरोसैलिसिलिक एसिड
147	3, 5–डाइक्लोरोसैलिसिलिक एसिड
148	डिक्लोरोवोस (क्क्टच)
149	डायट्रोटोफॉस
150	डायएलड्रीन
151	डाईपॉक्सीब्यूटेन
152	डायथाइल पेरोक्सीडाइकार्बोनेट
153	डायथिलीन ग्लाइकोल डिनिट्रेट
154	डाईएथिलिनट्राइएमीन
155	डायथिलीनग्लाइकोल ब्यूटाइल 1 ईथर / डाइटहाइलिनग्लाइक ब्यूटाइल एसीटेट
156	डायथाइलीनट्रैमलाइन (डेटा)
157	डिग्लिसिडिल ईथर
158	2, 2–डायहाइड्रोपरोक्सीप्रोपोन
159	डिसोब्यूट्रील पेरोक्साइड
160	डाइमेफाक्स
161	डाईमेथोएट
162	डिमेथाइल फॉस्फोरिमाइडोसाइनिडिक एसिड
163	डाइमिथाइल पेथीऐट
164	डाइमेथाइलकार्बोमॉयल क्लोराइड
165	डिमेथिलिनिट्रोसोमिन
166	डिनिट्रोफेनॉल साल्ट
167	डिनिट्रोटोलुइन
168	डाइट्रो–ओ–क्रिसोल
169	डाइऑक्साने
170	डाइऑक्साथियन
171	डायोक्सोलेन
172	डिफ्फेसीनोन
173	डिपोस्फोरैमीऑक्टामेथाइल
174	डिप्रोफिलीनग्लाइकोमिथाइलथेर

ØŒlŒ	jlk;u dk uke
175	डिसल्फोटन
176	एंडोसल्फान
177	एंड्रिन
178	एपिक्लोरोफाइड्रिन
179	ईपीएन
180	1, 2–एपोक्सिप्रोपेन
181	ईथियॉन
182	एथिल कार्बामेट
183	एथिल या तो
184	एथिल हैक्सानॉल
185	एथिल मर्कापटन
186	एथिल मेथैक्रिलेट
187	एथिल नाइट्रेट
188	ईथीलीन
189	एथिलीन क्लोरोफाइड्रिन
190	एथिलीन डायमाइन
191	एथिलीन डाइब्रोमाइड
192	एथिलीन साइक्लोराइड
193	एथिलीन ग्लाइकोल डिनिट्रेट
194	इथिलीन ऑक्साइड
195	ईथीलीन की लाईन
196	फ्लूनेटिल
197	पेंसुल्फोथियन
198	फ्लेनेटिल
199	4–फ्लूरो, 2–हॉड्रॉक्साइब्यूट्रिक एसिड और साल्ट, एस्टर, एमाइड्स
200	फ्लोरोएसेटिक एसिड और साल्ट, एस्टर, एमाइड्स
201	फ्लोरोबूट्रिक एसिड और साल्ट, एस्टर, एमाइड्स
202	4 फ्लोरोक्रोटोनिक एसिड और साल्ट, एस्टर, एमाइड्स
203	फॉरमलडिहाइड
204	ग्लाइकोनाइट्राइल (हाइड्रोक्सीसिटोनिट्राइल)
205	1, गुआनिल –4 नाइट्रोसैमियाओगुएनल 1–टेट्राजीन
206	हेप्टाक्लोर
207	हेक्सा क्लोरो साईक्लोएंटाडाइन
208	हेक्सा क्लोरोसी क्लोहेक्सेन
209	हेक्साक्लोरसी क्लोमेथेन
210	1, 2, 3, 7, 8, 9–हेक्साक्लोरोडा–बेन्जो डीऑक्सिन।
211	हेक्साफ्लोप्रोपीन
212	हेक्सामेथिलफॉस्फोराइड
213	3, 3, 6, 6, 7, 8, हेक्सामिथाइल 1, 2, 4, 5, टेट्रोहेक्सी क्लोओनेन

ØŒlŒ	jlk;u dk uke
214	हेक्सामेथाइलिडेनमाइन
215	हेक्सेन
216	2, 2, 4, 4, 6, 6–हेक्सानिट्रोस्टिल्बिन
217	हैग्जावलेंट क्रोमियम
218	हाइड्राजीन
219	हाइड्रेजिन नाइट्रेट
220	हाइड्रोक्लोरिक एसिड
221	हाइड्रोजन
222	हाइड्रोजन ब्रोमाइड (हाइड्रोब्रोमिक एसिड)
223	हाइड्रोजन क्लोराइड (तरलीकृत गैस)
224	हाइड्रोजन साइनाइड
225	हाइड्रोजिन फ्लोराइड
226	हाइड्रोजन साइनाइड
227	हाइड्रोजन सल्फाइड
228	हाडड्रोक्यूनोन
229	आयोडीन
230	आईसो बेंजेन
231	आइसोड्रिन
232	इसोफोरोनेडीसोसायनेट
233	इसोप्रोपाइल ईथर
234	जुगलोन (5–हाइड्रॉक्सिनफैथलीन 1,4–डायोन)
235	लीड (अकार्बनिक धुएं और धूल)
236	लीड 2, 4, 6–ट्रिनिट्रोरेसो–क्रिनॉक्साइड (लीड स्टाइलफनेट)
237	लीड एजाइड
238	लेप्टोफोस
239	लिंडैंड
240	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)
241	मेलेइक इन हाडड्रिड
242	मैंगनीज और यौगिक
243	मर्काप्टोबेंजोथियाजोल
244	मरकरी एलकाईल
245	मरकरी फुलमिनेट
246	मरकरी मिथाइल
247	मेथैक्लेस्टिक एनहाइड्राइड
248	मेथाक्रिलोनिट्राइल
249	मिथाइरिलॉयल क्लोराइड
250	मिथाइरिलॉयल क्लोराइड
251	मेथनसुफोनीलफ्लुराइड
252	मैथनैथिओल
253	मेथॉक्सी इथेनॉल (2–मिथाइल सेलोसोल)

ØŒlŒ	jlk;u dk uke
254	मेथोक्सीथाइल्मेरिक एसीटेट
255	मिथाइल एक्रिलाट
256	मिथाइल अल्कोहल
257	मिथाइल अल्कोहल
258	मिथाइल ब्रोमाइड (ब्रोमेटीन)
259	मिथाइल क्लोराइड
260	मिथाइल क्लोरोफॉर्म
261	मिथाइल साइक्लोहेक्सिन
262	मिथाइल एथिल केटोन पेरोक्साइड
263	मिथाइल हाइड्राजीन
264	मिथाइल इसोबुटिल केटोन
265	मिथाइल इसोब्यूटिल केटोन पेरोक्साइड
266	मिथाइल आइसोसाइनेट
267	मिथाइल आइसोथियोसाइनेट
268	मिथाइल मार्कटापान
269	मिथाइल मेथैक्रिएट
270	मिथाइल पैराथियान
271	मिथाइल फॉस्फोरिक डाइक्लोराइड
272	एन–मिथाइल, 2, 4, 6–टेट्रानिट्रानिलिन
273	मीथाइलीन क्लोराइड
274	4,4–मेथिलिनबिस (2 क्लोरोएनिलिन)
275	मिथाइलट्रिहलोरोसिलीन
276	मेविंफोस
277	मोयबडेनम और यौगिक
278	एन–मिथाइल–एन, 2, 4, 6–एन–टेट्रानिट्रो–एनिलिन
279	नेफ्था (कोल तार)
280	2–नेफथाइलमाइन
281	निकल और यौगिक
282	निकल टेट्राकारबोनील
283	ओ–नाइट्रोनिलीन
284	पी–नाइट्राएनिलिन
285	नाइट्रोबेजीन
286	पी–नाइट्रोक्लोरोबेंजीन
287	नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन
288	नाइट्रोथेन
289	नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
290	नाईट्रोजन ऑक्साइड
291	नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड
292	नाइट्रोग्लिसरीन
293	पी–नाईट्रॉफेनौल
294	1–नाइट्रोप्रोपेट

ØŒlŒ	jlk;u dk uke
295	2–नाइट्रोप्रोपेट
296	नाइट्रोसोडी, एथिलियमिन
297	नाइट्रोलोल्यून
298	ऑक्टाब्रोमोफिनायल ऑक्साइड
299	ओलियम
300	ओलेयलामाइन
301	ओओ–डायथाइल एस–एथिलसुल्फिनी मिथाइल फॉस्फोरोथियोएट
302	ओओ– डायथाइल एस–एथिलसुल्फोनीइमेथाइलफॉस्फोरोथियोएट
303	ओओ– डायथाइल एस–इथाइलथियोमेथाइल फॉस्फोरोथियोएट
304	ओओ– डायथाइल एस–इसोप्रोपिलथिओमेथाइल फॉस्फोरिथियोएट
305	ओओ– डायथाइल ै–प्रोपाइल थायोमेथाईल फॉस्फोरोडायथायोऐट
306	ऑक्सीमाइल
307	ऑक्सी–लिसल्फोटन
308	ऑक्सीजन (तरल)
309	आक्सीजन का अपघटन
310	ओजोन
311	पैराक्सोन (डायथाइल 4–नाइट्रोफेनिल फॉस्फेट)
312	पराकाट
313	पैराथियन मिथाइल
314	पेरिस ग्रीन (बीआइएस एसीटो हेक्सामेट्रा आरसेनिटोटेट्रा कॉपर)
315	पेंटाबोरेन
316	पेंटाब्रोमोडिफेनिल ऑक्साइड
317	पेंटाब्रोमोफेनॉल
318	पेंटाक्लोरो नेपथालिन
319	पेंटाक्लोरोइथेन
320	पेंटाक्लोरोफेनॉल
321	पेंटाक्राइथ्रिफोल टेट्रानिट्रेट
322	पेंटेन
323	पेरासटिक एसिड
324	परक्लोरोथिलीन
325	पर्क्लोरोमेथाइल मर्कैप्टन
326	2–पेन्टानोन, 4–मिथाइल
327	पेनोल
328	फेनिल ग्लाइसीडल ईथर
329	फेनिलिन पी–डायमाइन
330	फेनिल्स्किरी एसीटेट
331	फोरेट
332	फॉसएसेटिम
333	फॉसएसेटिम
334	फोसफोलन

ØŒlŒ	jlk;u dk uke
335	फोसगेन (कार्बोनिल क्लोराइड)
336	फासमेट
337	फॉस्फमिडेन
338	फॉस्फीन (हाइड्रोजन फॉस्फाइड)
339	फॉस्फोरिक एसिड और एस्टर
340	फॉस्फोरिक एसिड, ब्रोमोइथाइल ब्रोमो (2, 2–डिमेथाइल प्रोपाइल) ब्रोमोइथाइल एस्टर
341	फॉस्फोरिक एसिड, ब्रोमोइथाइल ब्रोमो (2, 2–डिमेथाइलप्रोपाइल) क्लोरोइथाइल एस्टर
342	फॉस्फोरिक एसिड, क्लोरोइथेब्रोमो (2, 2–डिमेथोक्साइक्रोपाइल) क्लोरोइथाइल एस्टर
343	फॉस्फोरस और यौगिक
344	फोस्टलान
345	पिक्रिक एसिड (2, 4, 6–ट्रिनिट्रो–फिनोल)
346	पेंटाचोरो नेफ्थलीन
347	पोटेशियम आर्सेनाइट
348	पोटेशियम क्लोरेट
349	प्रोम्यूरिट (3, 4–डाइक्लोरोफिनाइल 3–ट्रायजेनेथियोकार्बामाइड)
350	1, 3–प्रोपेनसॉल्टोन
351	1 प्रोपेन –2–ओमोरो 1, 3–डायोल–डायसेटेट
352	प्रोपलीन डाइक्लोराइड
353	प्रोपलीन ऑक्साइड
354	प्रोपीलेनेलिमाइन
355	पायराजोनोन
356	सेलेनियम नेक्समुओराइड
357	सेमिकर्बजाइडहाइड्रोक्लोर्ड
358	सोडियम अरसेन
359	सोडियम अजीस
360	सोडियम क्लोरेट
361	सोडियम साइनाइड
362	सोडियम पिकरामेट
363	सोडियम सेलेनाइट
364	स्टाइरीन, 11, 2, 2–टेराक्लोरोइथेन
365	सल्फोटेप
366	सल्फर डाइक्लोराइड
367	सल्फर डाइऑक्साइड
368	सल्फर ट्राइऑक्साइड
369	सल्फ्यूरिक एसिड ।
370	सल्फोक्साइड, 3–क्लोरोप्रोपियोक्टाइल
371	टेल्यूरियम
372	टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड

ØŒlŒ	jlk;u dk uke
373	टीईपीपी
374	टरब्यूफोस
375	अल्फा–टेराब्रोमोबिसफेनोल
376	2, 2, 5, 6–टेट्राक्लोरो –2, 5–साइक्लोहेक्सिडीन –1, 4–डायन
377	2, 3, 7, 8–टेट्राक्लोरोडिबेजो–पी डायोसिन (सीडीडी)
378	टेट्रफ्लुओरोएथेन
379	टेट्रामेथिलीनडायुल्फोटोट्रामाइन।
380	टेट्रामेथिल लीड
381	टेट्रानित्रोमेथेन
382	थैलियम और यौगिक
383	थियोनाजिन
384	थियोनिल क्लोराइड
385	थायोनिल क्लोराईड
386	टोल्यूनि
387	टोल्यून–2–4–डायोसोसायनेट
388	०–टोल्यूडाइन
389	टोल्यूने 2, 6–डायोसोसायनेट
390	ट्रांस –1, 4 क्लोरोब्यूटिन
391	1–टीआरआई, (साइक्लोहेक्सिल) स्टैनीएमएच 1, 2, 4 ट्राईजोल
392	1, 2, 4 ट्राईजोल
393	2, 5 ट्रायमिनो 2, 4, 5, ट्रिनिट्रोबेंजीन।
394	2, 4, 6–ट्राइब्रोमोफेनॉल
395	ट्राइक्लोरो एसिटाइल क्लोराइड
396	ट्राइक्लोरो ईथेन
397	ट्राइक्लोरोनापेटेलेन
398	ट्राइक्लोरोक्लोरोमेथाइलसिलीन
399	ट्राइक्लोरो डिक्लोरोफेनिल्सिलन
400	1, 1–ट्राइक्लोरोएथेन
401	ट्राइक्लोरोइथाइलसिलीन
402	ट्राईक्लोरोइथीलीन
403	ट्राइक्लोरोमेथेनेसुलफेनिल
404	2, 2, 6– ट्राइक्लोरोफेनोल
405	2, 4, 5–ट्राइक्लोरोफेनोल
406	ट्राइएथिलमाइन
407	ट्राइथिलीनमेलमाइन
408	ट्राइमेथाइलक्लोरोसिलन
409	ट्राइमेथाइलोप्रोपेन फॉस्फेट
410	त्रिनेत्रोलेनिलीन
411	2, 4, 6 त्रिनेत्रोनिसोल
412	ट्रिनिट्रोबेंजीन
413	ट्रिनिट्रोबेंजोइक एसिड

ØEl Œ	jlk;u dk uke
414	2, 4, 6–ट्रिनिट्रोरसोरिसिनॉल (स्टाइलिश एसिड)
415	ट्रिनिट्रोटोलुइन
416	ट्राईक्रोक्रेसील फॉस्फेट
417	ट्राइफेनिलिन क्लोराइड
418	तारपीन
419	यूरेनियम और यौगिक
420	वेनडियम एंड कॉम्पंड्स
421	विनाइल क्लोराइड
422	विनाइल फ्लोराइड क्लोराइड
423	वारफरिन
424	जाइलीन
425	बिनाईल टॉल्यूइन
426	जस्ता और यौगिक
427	जिरोनियम और यौगिक।

mi&vu|l|ph &2

mi&vu|l|ph ?k d| vykok vU; vf/k"Bkiu dk iFkd HkMkj.k

(क) दखलकार से संबंधित नीचे दी गई मात्राएँ प्रत्येक अधिष्ठापन या अधिष्ठापन का समूह जहाँ अधिष्ठापन के बीच की दूरी कम है एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये मात्रा किसी भी मामले में उस दखलकार से संबंधित प्रत्येक अधिष्ठापन पर लागू होती हैं जहाँ अधिष्ठापन के बीच की दूरी 500 मीटर से कम है।

(ख) पृथक भंडारण में परिसंकटमय रसायन की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से, लेखा में किसी भी परिसकंटमय रसायन का भी ध्यान रखा जाएगा जो है: –

(i) किसी भी पाइपलाइन के उस हिस्से में जो उस साइट के 500 मीटर के दायरे के कब्जे वाले नियंत्रण के अधीन है और उससे जुड़ा है;

(ii) दखलकार के नियंत्रण के तहत किसी अन्य साइट पर सीमा के किसी भी हिस्से को उक्त साइट के 500 मीटर के दायरे में; तथा

(iii) किसी भी वाहन, पोत, विमान या होवरक्राफ्ट में उसी दखलकार के नियंत्रण में, जिसका उपयोग भंडारण उद्देश्य के लिए या तो साइट पर या उसके 500 मीटर के भीतर किया जाता है।

लेकिन किसी भी खतरनाक रसायन का कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा जो कि वाहन, पोत, विमान या होवरक्राफ्ट में हो।

vu|l|ph 1 i|jk ¼ch½ ¼i½ e| ifjHkkf"kr Toyu'khy x|l|

ØEl Œ	jlk;u ;k jlk;uk dk leg	ek=k ¼Vu½	
		fu;e 4] 5 vkj 7 l| 9 ykx| gku d| fy,	fu;e 10 l| 15 ykx| d| fy,
1	**2**	**3**	**4**
1.	एक्रिलोनिट्राइल	350	5,000
2.	अमोनिया	60	601
3.	अमोनियम नाइट्रा (ए)	350*	2,500*
4.	अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक (इ)	1,250	10,000
5.	क्लोरीन	10	25

ØŒ l Œ	j l k;u ;k j l k;uk dk leg	ek=k ¼Vu½	
		fu;e 4] 5 vkj 7 l 9 ykx gku d fy,	fu;e 10 l 15 ykx d fy,
1	**2**	**3**	**4**
6.	अनुसूची 1 पैरा (बी) (प) 50 300 में परिभाषित ज्वलनशील गैसें	50	300
7.	अनुसूची 1, पैराग्राफ (बी) (पप) 10,000 1,00,000 में परिभाषित के रूप में अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ	10,000	1,00,000
8.	तरल ऑक्सीजन	200	2,000
9.	सोडियम क्लोरेट	25	250
10.	सल्फर डाइऑक्साइड	20	50
11.	सल्फर ट्राईऑक्साइड	15	100

* जहां यह रसायन एक ऐसी स्थिति में है, जो इसे बड़े दुर्घटना के खतरे को पैदा करने में सक्षम बनाता है।

(क) यह अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण पर लागू होता है जहां अमोनियम नाइट्रेट से प्राप्त नाइट्रोजन सामग्री वजन से 2 इल प्रतिशत से अधिक है और अमोनियम नाइट्रेट के पर्याप्त समाधान के लिए जहां अमोनियम नाइट्रेट की एकाग्रता वजन से 90 प्रतिशत से अधिक है।

(ख) यह सीधे अमोनियम नाइट्रेट उर्वरकों और यौगिक उर्वरकों पर लागू होता है जहां अमोनियम नाइट्रेट से प्राप्त नाइट्रोजन सामग्री वजन से 28 प्रतिशत से अधिक होती है (एक यौगिक उर्वरक में फॉस्फेट और पोटाश के साथ अमोनियम नाइट्रेट होता है)।

mi&vu l ph &3

(क) नीचे सेट की गई मात्राएँ एक ही दखलकार से संबंधित प्रत्येक अधिष्ठापन या अधिष्ठापन के समूह से संबंधित हैं, जहां अधिष्ठापन के बीच की दूरी अचूक परिस्थितियों से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है, प्रमुख दुर्घटना खतरों में से कोई भी वृद्धि। ये मात्रा किसी भी मामले में उसी दखलकार से संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रत्येक समूह पर लागू होती हैं जहां स्थापना के बीच की दूरी 500 मीटर से कम है।

(ख) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में खतरनाक रसायन की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से, खाते में किसी खतरनाक रसायन का भी ध्यान रखा जाएगा, जो हैः –

(i) किसी भी पाइपलाइन के उस हिस्से में जो उस साइट के 500 मीटर के दायरे के कब्जे में है, जो उस साइट से 500 मीटर के दायरे में है और उससे जुड़ा है।

(ii) किसी अन्य साइट पर उसी अधिभोग के नियंत्रण के तहत जो सीमा के किसी भी हिस्से में उक्त स्थल के 500 मीटर के दायरे में है। एवं

(iii) किसी भी वाहन, पोत, विमान या होवरक्राफ्ट पर उसी दखलकार के नियंत्रण में, जिसका उपयोग भंडारण उद्देश्य के लिए या तो साइट पर या उसके 500 मीटर के दायरे में किया जाता है।

लेकिन किसी भी खतरनाक रसायन का कोई भी हिसाब नहीं लिया जाएगा जो कि वाहन, जहाज, विमान या होवरक्राफ्ट में होता है जिसे परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

ØŒ l Œ	j l k;u	fu;e 5] 7 l 9 ,o 13 l 15 d ykx gku d fy, ek=k,		fu;e 10 l 12 d ykx gku d fy, lh-,-,l- l[;k
1	*2*	*3*		*4*
	Group-I Toxic Chemicals	**kg-**		
1	एल्डिकर्ब	100	...	116-06-3
2	4–अमीनोडिपेनी	1	...	92-67-1

ØŒ l Œ	j l k; u	fu; e 5] 7 l 9 ,o 13 l 15 d ykx gku d fy, ek=k,		fu; e 10 l 12 d ykx gku d fy, lh-,-,l- l[;k
1	2	3		4
3	अमितोन	1	...	78-53-5
4	अनाबासिन	100	...	494-52-0
5	आर्सेनिक पेंटोक्साइड, आर्सेनिक (V) अम्ल और लवण	500	...	...
6	आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, आर्सेनिक (III) एसिड और लवण	100	...	...
7	आर्सिन (आर्सेनिक हाइड्राइड)	10	...	778442-1
8	अजीनफोस–एथिल	100	...	2642-71-9
9	अजीनफोस–मिथाइल	100	...	86-50-0
10	बैन्जीडाइन	1	...	92-87-5
11	बेंजिडिनो साल्ट	1	...	...
12	बेरिलियम (पाउडर, यौगिक)	10	...	...
13	बिस (2–क्लोरोइथाइल) सल्फाइड	1	...	505-60-2
14	बिस (क्लोरोमेथिल) ईथर	1	...	542-88-1
15	कारबोफुरान	160	...	1563-66-2
16	कार्बोफेनोथियोन	160	...	786-19-6
17	क्लोरोफिनविनफोस	100	...	470-90-6
18	4– (क्लोरोफॉर्म) मॉर्फोलिर	1	...	15159-10-7
19	क्लोरोमेथाइल मिथाइल ईथर	1	...	107-30-2
20	कोबिट धातु, ऑक्साइड, कार्बोनेट सल्फाइड, पाउडर के रूप में	1t	...	...
21	क्रिमिडमे	100	...	535-89-7
22	सायनथोएट	100	...	3734-95-0
23	साईक्लोहेक्सामाइड	100	...	66-81-9
24	डेमेटन	100	...	8065-48-3
25	डायलिफोस	100	...	10311-84-9
26	को–डाइटहाइल एस–सिन्थुलसफिनाइल मिथाइल फॉस्फोरोथिएट	100	...	08-06-2588
27	ओशन–डायथाइल एस–एथिलसुल्फोनील, मिथाइल	100	...	09-06-2588
28	फॉस्फोरोथियोएट डायथाइल	100	...	2600-69-3
29	एस–ओथिलथिनोमेलिल, फॉस्फोरोथियोएटेक–डायथाइल एस–आइसोप्रोफिथियो–मिथाइल	100	...	78-52-4
30	फॉस्फोरोडिहियोएटोक–डाइटहिल	100	...	3309-68-0
31	एस–प्रोफिलोथीमेथिलोफॉस्फोरोथियोडेमफॉक्स	100	...	115-26-4
32	डायमिथाइलकार्बामॉयल क्लोराइड	1	...	70-44-7
33	डाइमिथाइलकार्बामॉयल	1	...	62-75-9
34	डाईमेथाइलोस्फोरिमाइडोसाइनिडिक एसिड	1	...	63917-41-9

ØŒ l Œ	j l k;u	fu;e 5] 7 l 9 ,o 13 l 15 d ykx gku d fy, ek=k,		fu;e 10 l 12 d ykx gku d fy, lh-,-,l- l[;k
1	2	3		4
35	डिफ्फेसीनोन	100	...	82-66-6
36	डिसल्फोटन	100	...	298-04-4
37	ईपीएन	100	...	2104-64-5
38	एथियोन	100	...	563-12-2
39	फेंसल्फोथियन	100	...	115-90-2
40	फ्लुएरेटिल	100	...	4301-50-2
41	फ्लोरोएसेटिक एसिड	100	...	144-94-0
42	फ्लोरोएसेटिक एसिड एस्टर	1	...	...
43	डिट्टो	1	...	...
44	फ्लोरोएसेटिक एसिड एमाइड	1	...	...
45	4–फ्लुओरोब्यूट्रिक एसिड	1	...	462.23-7
46	4–फ्लोरोबूट्रिक एसिड लवण	1	...	...
47	4–फ्लुओरोब्यूट्रिक एस्टर	1	...	...
48	4–फ्लुओरोब्यूट्रिक एसिड एमाइड	1	...	...
49	फ्लोरोक्रोटोनिक एसिड	1	...	37759.72-1
50	डिट्टो	1	...	...
51	डिट्टो	1	...	...
52	4.4 फ्लोरोक्रोटनिक एसिड, एमाइड्स	1	...	...
53	फ्लोरो–2–बायड्रॉक्सी ब्यूटिरिक एसिड	1	...	...
54	4–फ्लोरो–2–हाइड्रोक्सी ब्यूटिरिक एसिड, लवण	1	...	...
55	4–फ्लोरो–2–हाइड्रॉक्सी ब्यूटिरिक एसिड एस्टर।	1	...	...
56	4–फ्लोरो–2–हाइड्रॉक्सी ब्यूटिरिक एसिड, एमाइड।	1	...	...
57	ग्लाइकोलोनाइट्राइल (हाइड्रोक्सीसिटोनिट्राइल)	100	...	107-16-4
58	1, 2, 3, 7, 8, 9–हेक्साक्लोरोडिबोनोजो पी–डाइऑक्सिन।	100	...	19408-74-3
59	हेक्सामेथिल्फो–स्पोरैमाइड	11	...	680-31-9
60	हाइड्रोगेसलेक्साइड	10	...	05-07-7783
61	आइसोड्रिन	100	...	297-78-9
62	आइसोड्रिन	100	...	465-73-6
63	जुग्लोन (5–हाइड्रॉक्सिनफैथलीन –1, 4–डायन।)	100	...	481-39-0
64	4,4–मेथिलिनबिस (2–क्लोरोएनिलाइन)।	1	...	101.14.0
65	मिथाइल आइसोसाइनेट	150	150 kg.	624-83-9
66	मेविंफोस	100	...	7786-34-3
67	2–नेफथिल लामिन	1	...	91-59-3
68	निकल धातु, ऑक्साइड, कार्बोनेट सल्फाइड, पाउडर के रूप में।	1t	...	...

ØŒ l Œ	j l k; u	fu; e 5] 7 l 9 ,o 13 l 15 d ykx gku d fy, ek=k,		fu; e 10 l 12 d ykx gku d fy, lh-,-,l- l[;k
1	2	3		4
69	निकल टेट्राकारबोनील	10	...	13463-39-3
70	ऑक्सीडाइल्फॉलटन	100	...	13463-39-3
71	ऑक्सीजन विसारक	10	...	7783-41-7
72	पैराक्सॉन (डायथाइल 4–नाइट्रोफेनिल फॉस्फेट)	100	...	311-45.5
73	पैराथियन	100	...	56-38-2
74	पैराथियन–मिथाइल	100	...	298.000.0
75	पेंटाबोरेन	100	...	19624.22-7
76	फोराटेल	100	...	298.02-2
77	पैराथियन	100	...	56-38-2
78	फॉसजीन (कार्बोनिल क्लोराइड)	750	75 ½ kg	75-44.5
79	फॉस्फमिडन	100	...	13171-21.6
80	फॉस्फीन (हाइड्रोजन फॉस्फाइड)	100	...	7803-51.2
81	प्रोम्यूरिट (1 – (3, 4–डाइक्लोरोफिनाइल) –3–ट्रायजेनेथियो कार्बोक्सामाइड)।	100	...	5836-73-7
82	1, 3 प्रोपेनेसुल्टोन	1	...	1120-71-4
83	1 –प्रोपेन –2–क्लोरो –1, 3–डायोल डिस्केट)	10	...	10118-72-6
84	पायराजॉक्सोन	100	...	108-34.9
85	सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड	10	...	7783-79-1
86	सोडियम सेलेनाइट।	100	...	10102-18.8
87	स्टिबाइन (एंटीमनी हाइड्राइड)	100	...	7803-52-3
88	सल्फोटोप	100	...	3689-24.5
89	सल्फर डाइक्लोराइड	1t	...	10545-99.0
90	टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड	100	...	7783-80-4
91	टीईपीपी	100	...	107-49.3
92	2, 3, 7, 8 टेट्राक्लोरोडिबेंज–पी–डाइऑक्सिन (टीसीडीडी)	1	...	1746-01.6
93	टेट्रामेथिलेंडिसकुलिक–फेथेट्रामाइन	1	...	80-12.6
94	थियोनाजिन	100	...	297-97-2
95	त्रिपेट (2, 4–डिमेथाइल –1, 3–डिथियो–लेन–2–कार्बोक्सिहाइडल – मिथाइल–कार्बेमेलेक्सिम)।	100	...	26419-73-8
96	ट्राइक्लेरेमेथेनेसुलफेनिल क्लोराइड।	100	...	194-42-3
97	1–ट्राई (सायकिल) स्टैनाइल 1–1 –एच 1, 2, 4–ट्राएजेल।	100	...	41083-11-8
98	ट्राइथिलीनमेलमाइन	10	...	51-18.3
99	वारफरिन	100	...	81-81-2

ØŒ l Œ	j l k;u	fu;e 5] 7 l 9 ,o 13 l 15 d ykx gku d fy, ek=k,		fu;e 10 l 12 d ykx gku d fy, lh-,-,l- l[;k
1	2	3		4
	Group 2 Toxic Chemicals (Quantity-1 tonne)			
100	एसीटोन साइबरेनहाइड्रिन	200t	...	75-86-5
101	एक्रेलिन (8–प्रोपेनल)	20t	...	107-02-8
102	एक्रीलोनाटराईल	20t	200t	107-13-1
103	एल्याकोल (2–प्रोपेन–1–01)	200t	...	107-13-1
104	एलिलमाइन	200t	...	107-11-9
105	अमोनिया	50t	500t	7664-41-7
106	ब्रोमिन	40t	...	7726-95-6
107	कार्बन डाइसल्फाइड	20t	200t	75-15-0
108	क्लोरीन	10t	25t	7782-50-5
109	डीफाइनल मिथेन डि–आइसोसाय–नैटे (एमडीआई)	20t	...	101-68-8
110	एथिलीन डिबरमाइड (1, 2–डिब्रोमो–मीथेन)।	5t	...	106-93 4
111	एथिलीनमाइन	50t	...	151-56-4
112	फॉर्मलडिहाइड (एकाग्रता 9:)	5t	...	50.00.0
113	हाइड्रोजन साइनाइड (तरलीकृत गैस)	25t	250t	7647-01.0
114	हाइड्रोजन साइनाइड	5t	20t	74-91.8
115	हाइड्रोजिन फ्लोराइड	5t	50t	7664-39.3
116	हाइड्रोजिन फ्लोराइड	5t	50t	7783-06.4
117	मिथाइल ब्रोमाइड (ब्रोमेटीन)	20t		74-83.9
118	नाइट्रोजन ऑक्साइड	50t	...	11104-93-1
119	रोगनिरोधी	50t	...	75-55-8
120	सल्फर डाइऑक्साइड	20t	250t	05-09-7446
121	सल्फर ट्राईऑक्साइड	15t	75t	746-11-9
122	टेट्रामेथिल सीसा	5t	...	75-74-1
123	टेट्रैथिल लेड	5t	...	75-74-1
124	टोल्यूने डि–आइसोसाइनेट (टीडीआई)	10t	...	584-84-9
	Group 3- Highly reactive chemicals			
125	एसिटिलीन (इथेनी)	5t	...	74-86-2
126	अमोनियम नाइट्रेट (1)	350t	250t	6484-52-2
127	1,2 बीआईएस (टेर्ट–ब्यूटाइल–पेरोक्सीसाइक्लोह–एक्जेन) साइक्लोहेक्सेन (कॉनस्ट्रेशन –80%)	5t	...	3006-86-8
128	1, 1–बिस (टर्ट–ब्यूटाइल–पेरॉक्सी) साइक्लोहेक्सेन (कॉनस्ट्रेशन –60%)	5t	...	3006-86-8
129	टर्ट–ब्यूटाइल पेरोक्साइडेट (कॉनस्ट्रेशन –70%)	5t	...	107-71-1

ØŒ l Œ	j l k;u	fu;e 5] 7 l 9 ,o 13 l 15 d ykx gku d fy, ek=k,		fu;e 10 l 12 d ykx gku d fy, lh-,-,l- l[;k
1	2	3		4
130	टर्ट–ब्यूटाइल पेरोक्सीसोबाइरेट (कॉनस्ट्रेशन –80%)	5t	...	109-13-7
131	टर्ट–ब्यूटाइल पेरोक्सी–इसोप्रोफाइल कार्बोनेट (कॉनस्ट्रेशन –80%)	5t	...	2372.21-6
132	टर्ट–ब्यूटाइल पेरोक्सी–मैलेट (कॉनस्ट्रेशन –80%)	5t	...	1931-62.0
133	टर्ट–ब्यूटाइल पेरोक्सिवाइलेट (कॉनस्ट्रेशन –77%)	50t	...	927-07.1
134	डिबेंजाइलपरोडीकार्बोनेट (कॉनस्ट्रेशन –90%)	5t	...	2144-45.8
135	डि–सेक–ब्यूटाइल पेरोक्सिडाइकार्बोनेट (कॉनस्ट्रेशन –80%)	5t	...	19910-65.7
136	डायथाइल पेरोक्सिडाइकार्बोनेट (कॉनस्ट्रेशन –30%)	50t	...	14666-78-5
137	2, 2–डिहाइड्रैपरॉक्सिपरेपेन (कॉनस्ट्रेशन –30%)	5t	...	2614-76.8
138	डि–इसोब्यूट्रीलापप्रॉक्साइड (कॉनस्ट्रेशन –50%)	50t	...	3437-84-1
139	डि–एन–प्रोपाइल पेर्फॉक्सीडाइकार्बोनेट (कॉनस्ट्रेशन –80%)	5t	...	16066-38-9
140	इथिलीन ऑक्साइड	5t	50t	75-21-8
141	एथिल नाइट्रेट	50t	...	625-58-1
142	3, 3, 6, 6, 9, 9–हेक्सामेथाइल –1, 2, 4, 5–टेट्रॉक्सीसिटी क्लोन (कॉनस्ट्रेशन –75%)	50t	...	22397-33-7
143	हाइड्रोजन	2t	50t	1333-74-0
144	तरल ऑक्सीजन	200t	...	7782-44-7
145	मिथाइलथाइल कीटोन पेरोक्साइड (कॉनस्ट्रेशन –60%)	5t	...	1338-23.4
146	मिथाइलिसोब्यूटिल कीटोन पेरोक्साइड (कॉनस्ट्रेशन –60%)	50t	...	37206-20.5
147	पेरासिटिक एसिड (कॉनस्ट्रेशन –60%)	50	...	79-213
148	प्रोपलीन ऑक्साइड	5t	...	75-56-9
149	सोडियम क्लोरेट	251	...	09-09-7775
	Group 4-Explosive Chemicals			
150	cfj;e , tkbM	50t	...	18810-58-7
151	बिस (2, 4, 6–ट्रिनिटो फिनाइल) अमाइन	50	...	131-73-7
152	क्लोएट्रीट्रिनिट्रोबेंजीन	50t	...	28260-61-9
153	सेल्युलोज नाइट्रेट (12.9: नाइट्रोजन युक्त)	50t	...	9004-70-0
154	साइक्लेट्रामेथेथिएनेटरनिट्रमाइन	50t	...	2691-41-0
155	साइक्लोट्रिमेथाइलेनेट्रिनमाइन	50t	...	121-82-4
156	डायजोडिनिट्रोफेनेल	10t	...	7008-81-3
157	डायथिलीनग्लाइसीलीडिट्रेट	10t	...	693-21-0
158	डिनिट्रोफेनेल, लवण	50t	...	
159	एथिलीन ग्लाइसेलाडिट्रेट	10t	...	628-96-6
160	1 –ग्यूनल–4–नाइट्रोसमाइनोगुअनल 1 –टेट्रेजिन	10t	...	109-27-3

ØŒ l Œ	j l k;u	fu;e 5] 7 l 9 ,o 13 l 15 d ykx gku d fy, ek=k,		fu;e 10 l 12 d ykx gku d fy, lh-,-,l- l[;k
1	2	3		4
161	2, 2, 14, 4, 6, 6–हेक्सानिट्रोस्टीलिबेनो	50	...	20062-22-0
162	हाइड्रेंजाइन नाइट्रेट	50t	...	13464-97-6
163	लीड एजाईड	50t	...	13424-46-9
164	लीड स्टाइलफनेट (लीड 2, 4, 6–ट्रिनिट्रो–रेसोरेसिनक्साइड)।	50t	...	15245-44-0
165	मरकरी फ्लुमनाईट	10t	...	628-86-4
166	एन–मिथाइल–एन, 2, 6–टेट्रानिट्रानिलिन	50t	...	479.45-8
167	नाइट्रोग्लिसरीन	10t	10t	55-63-0
168	पेंटाक्रिलिट्रॉलटेट्रानिट्रेट	50t	...	78-11-5
169	पिक्रिक एसिड (2, 4, 6–ट्रिनिट्रोफेनोल)	50t	...	81-89-1
170	सोडियम केपीरामेट	50t	...	831-52-7
171	स्टाइलिफिक एसिड (2, 4, 6–ट्रिनिट्रोरसर–सिनोल)।	50t	...	82-71-3
172	1, 3, 5–ट्रायमिनो –2, 4, 6–ट्रिनिट्रोबेंजीन	50t	...	3058-38-6
173	ट्रिनिट्रोएनिलिन	50t	...	26952-42-1
174	2, 4, 6–ट्रिनिट्रानिसोल	50t	...	606-35-9
175	ट्रिनिट्रोबेंजीन	50t	...	25377-32-6
176	ट्रिनिट्रोबेंजोइक एसिड	50t	...	35860-50-5
177	त्रिनिट्रोसेरोल	50t	...	28905-71-7
178	2, 4, 6, ट्रिनिट्रोफेनिटोल	50t	...	4732-14-3
179	2, 4, 6 ट्रिनिट्रोटोलीन	50t	50t	118-96-7

mi&vu l ph &4

1. कार्बनिक या अकार्बनिक रसायनों के उत्पादन, प्रसंस्करण या उपचार के लिए स्थापना, इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए उपयोगी

(क) क्षारीयता

(ख) अमोनोलिसिस द्वारा संशोधन

(ग) कार्बोनिलिकेशन

(घ) संघणन

(ड.) निर्जलीकरण

(च) एस्ट्रोफिकेशन

(छ) हलोजीनेशन और हेलोजिन का निर्माण

(ज) हाइड्रोजनीकरण

(झ) हाइड्रोलिसिस

(ञ) ऑक्सीकरण

(ट) पोलीमेराइजेशन

(ठ) सल्फोनिशन

(ड) सल्फर युक्त यौगिकों का अपघटन, निर्माण और परिवर्तन।

(ढ.) नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का नाइट्रेशन और निर्माण

(ण) फॉस्फोरस युक्त यौगिकों का निर्माण

(त) कीटनाशकों और दवा उत्पादों का निर्माण

(थ) आसवन

(द) निष्कर्षण

(ध) शालवेशन

(न) मिश्रण

2. पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पादों के आसवन, शोधन या अन्य प्रसंस्करण के लिए स्थापना।

3. भस्मीकरण या रासायनिक विस्थापन द्वारा ठोस या तरल रसायनों के कुल या आंशिक निपटान के लिए प्रतिष्ठान।

4. ऊर्जा गैसों के उत्पादन, प्रसंस्करण या उपचार के लिए स्थापना, उदाहरण के लिए, एलपीजी, एलएनजी, एसएनजी।

5. कोयले या लिग्नाइट के शुष्क आसवन के लिए स्थापना।

vuqlwph&II
'kqYd
¼fu;e 67¼5½ n[kk½

ØE la-	e'khujh t ,o IykV dk dqy fu/kkfjr {kerk ¼ikoj½ v'o'kfDr e		ykblsal o"kk dk fy, fdlh ,d fnu iLrkfor fu;kftr dkexkjk dh vf/kdre la[;k											
			20	**50**	**100**	**250**	**500**	**750**	**1000**	**2000**	**5000**	**10000**	**25000**	**25000** la- vf/kd
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	शुन्य		600	2340	2700	3300	4500	6000	9000	10500	12000	13500	14700	18000
2	अधिक नहीं	10	1350	2400	3300	4500	6900	12000	15000	18000	27000	57000	60000	150000
3	''	50	2700	3900	4500	6300	99000	12900	18600	21000	30000	60000	72000	180000
4	''	100	3900	6000	9000	12900	15000	24000	27000	33000	39000	75000	90000	186000
5	''	250	6000	9000	12900	15000	24000	27000	33000	39000	48000	94500	151500	225000
6	''	500	21600	27000	28500	30000	33000	42180	49740	56250	101250	126630	197340	292500
7	''	1000	27000	28500	30000	36900	42750	50040	56250	70290	110040	135000	216540	304200
8	''	2000	28500	30000	36900	50100	56250	71250	75300	81300	118140	143790	226800	315000
9	''	5000	36900	50100	54000	57300	60000	75300	81300	84450	135000	154650	246000	332100
10	''	10000	54000	57000	60000	75300	81300	84450	135000	154650	183000	246000	273900	363000
11	''	25000	81360	84460	135000	154650	183000	246000	273900	303300	330000	363000	480000	51000
12	अधिक	25000	84450	154650	183000	246000	273900	303300	330000	393000	480000	507000	510000	540000

¼d½ fo|r tujfVx ,o VkllQkfelx dUn ¼dkj[kkuk½&

	dy LFkkfir tujVj {kerk ¼fdyk okV e½	tujfVx dUn	VkllQkfelx ¼dUHkklu dUn dk lkFk½
	fdyk okV e	:Œ	:Œ
vf/kd ugh	50	1500	900
ogh	100	2700	1500
ogh	150	3900	2700
ogh	300	4500	4200
ogh	500	6000	4500
ogh	750	9000	6750
ogh	1000	12000	9000
ogh	2500	21000	12900
ogh	5000	27000	15000
ogh	10000	33000	18000
ogh	25000	45000	27000
ogh	50000	72000	36000
ogh	75000	91200	45000
ogh	100000	117000	54000
ogh	150000	144000	72000
ogh	200000	180000	108000
ogh	300000	234000	144000
ogh	300000	288000	180000

¼[k½ lHkh VkllfefVx dUn ¼dkj[kkuk½&22]500@&

vuqlph& **III**

mi&vuqlph &1

okfr i; dk fofuek.k rFkk mlls çkllfxd çfØ;k

1. यंत्रों को बाड लगाना– बोतलों या सायफनों के भरने के काम में लाए जाने वाले समस्त यंत्र इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे, रखे जाएंगे या बाड़ युक्त किए जाएंगे, जिससे जहाँ तक व्यवहार्य हो, फटने वाली बोतल या सायफन के टुकड़े की कारखाने में नियोजित किसी व्यक्ति के लगने से रोक हो सके।

2. फेस गार्ड्स तथा लोहे के दस्ताने– (1) दखलकार, बोतलों या सायफनों के भरने के कार्य में लगे हुए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए–

(क) चेहरा, गर्दन तथा गले की रक्षा के लिए उपयुक्त फेस गार्डस: और

(ख) सम्पूर्ण बाहुओं की रक्षा करने के लिए दोनों बहुओं के लिए लोहे के उपयुक्त दस्ताने: प्रदान करेगा तथा उन्हें अच्छी दशा में बनाए रखेगा:

परन्तु

(एक) कण्डिका 2 (1) उस दशा में लागू नहीं होगी, जहाँ स्वचालित यंत्र से भरी जाती हों, जो इस प्रकार निर्मित हो कि फटने वाली बोतल का कोई भी टुकड़ा न निकल सकता होरू और

(दो) जहाँ यंत्र इस प्रकार निर्मित हो कि उस पर कार्य कर रहे बोतल भरने वाले की केवल एक बाहु ही खतरे में हो तो उस हाथ के लिए जो खतरे में न हो, लोहे का दस्ताना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) दखलकार उन समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए बोतलें या सायफनों में डाट लगाने, ढक्कन लगाने, पेंच लगाने, तार लगाने, पन्नी लगाने, केप्सूलिंग साइटिंग या उन पर लेबल चिपकाने के कार्य में लगे हों–

(क) चेहरे, गर्दन तथा गले की रक्षा के लिए उपयुक्त फेस गार्डस, और (ख) बाहु का और कम से कम आधी हथेली और अंगूठे और तर्जनी के मध्य स्थल की रक्षा करने के लिए दोनों बहुओं के लिए लोहे के उपयुक्त दस्ताने प्रदान करेगा तथा उन्हें अच्छी दशा में बनाए रखेगा।

3. फेस गार्ड्स तथा लोहे के दस्तानों का पहना जाना– कंडिका–2 में उल्लिखित की गई किन्हीं भी प्रक्रियाओं में लगे हए समस्त व्यक्ति, ऐसी प्रक्रियाओं में कार्य करते समय उक्त कंडिका के उपबंधों के अधीन प्रदान किए गए फेस गार्डस तथा लोहे के दस्ताने पहनेंगे।

4. चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण –

(1) चिकित्सा अधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा । वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार वाति पेय का विनिर्माण तथा उससे प्रासंगिक प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनरू उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) फिटनेस के प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जायेंगे ।

mi&vu|l|ph 2

/kkr| dh oLr|vk dk by|DVkykbV] ft le| Økfe;e] fudy] d|Mfe;e] tLrk] rkck] pknh] lkuk vkfn d| vEy HkLe ;k yo.k vUrfo"V gk] d| mi;kx }kjk by|DVkykbfVx IyfVx ;k vkDlhM'ku

¼1½ ifjHkk"kk,& bl vu|l|ph d| ç;ktu gr&

(क) "इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रियाएं'' से तात्पर्य है धातु की वस्तुओं का इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें क्रोमियम, निकल, केडेमियम, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना आदि के अम्ल भस्म या लवण अन्तर्विष्ट हों, के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिंग प्लेटिंग या आक्सीडेशन;

(ख) "बाथ' से तात्पर्य किसी ऐसे बर्तन से है, जो इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रिया या किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रिया के लिए उपयोग में लाया जाता हो;

(ग) "नियोजित'' से तात्पर्य "बाथ'' के द्रव से सम्पर्क सन्निहित करने वाली प्रक्रिया में नियोजित से है।

(2) वायु निष्कासन– ऐसे प्रत्येक बर्तन में, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रिया की जाती है, प्रभावी वायु निष्कासक प्रयुक्त किया जाएगा। ऐसे वायु निष्कासक की व्यवस्था यांत्रिक साधन द्वारा की जाएगी और वह प्रक्रिया में निकली हुई वाष्प या फुहार पर उसके उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य करेगी। वायु निष्कासन उपकरण इस प्रकार सन्निर्माण व्यवस्थित तथा संधारित किए जाएंगे कि जिससे किसी कमरे या स्थान में जिसमें कार्य चल रहा हो, वाष्प फुहार के प्रवेश को रोका जा सके।

(3) स्त्रियों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध– किसी भी स्त्री, किशोर या बालक को बाथ पर नियोजित या कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

(4) कार्य के कमरों के फर्श– प्रत्येक कमरे का फर्श जिसमें बाथ हो, जल के लिए अभेद्य होगा। फर्श अच्छा तथा समतल दशा में रखा जाएगा और कम से कम एक दिन में एक बार धोया जाएगा।

(5) रक्षात्मक युक्तियाँ–

(1) कारखाने का अधिभोगी ऐसे समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए ऐसी प्रक्रिया में नियोजित किए गए हों, जिसमें उनका किसी द्रव से संपर्क होना प्रत्याशित हो, सुरक्षात्मक व्यक्तियों के रूप में निम्नलिखित वस्तुओं का प्रदाय करेगा और उन्हें अच्छी तथा स्वच्छ दशा में बनाए रखेगा और ऐसी युक्तियाँ संबंधित व्यक्तियों द्वारा पहनी जाएंगी।

(क) वाटर प्रूफ एप्रैन तथा बिंब; और

(ख) बाथ पर विस्तृत कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए रबर के ढीले दस्ताने तथा रबर के बट या अन्य वाटर प्रूफ जूते तथा रासायनिक चश्मे:

(2) अधिभोगी नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए सुरक्षात्मक युक्तियों के संग्रहण तथा सुखाने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगा तथा उसे बनाए रखेगा।

(6) पानी की सुविधाएँ–

(1) इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रियाओं और उससे प्रासंगिक प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए

(क) आवरणयुक्त प्रक्षालन स्थान होगा, जो निम्न में से किसी एक प्रकार का होगा (एक) अभेद्य सतल वाली ट्रे होगी, जिसमें निकास पाइप लगा हो और जिसकी पर्याप्त लंबाई भी हो कि एक समय हर 5 नियोजित व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 से.मी. स्थान उपलब्ध हो और ट्रे पर 60 से.मी. से अनधिक अंतराल पर लगी टोटियां या जेट (तीव्रधार) से पानी निरन्तर मिलता होय या (दो) किसी एक समय में नियोजित ऐसे हर पाँच व्यक्तियों के लिए एक वाश बेसिन होगा, जिसमें निकास पाइप तथा निरन्तर पानी मिलने की व्यवस्था होगी।

(ख) साफ तौलियों का पर्याप्त रूप से प्रदाय होगा व प्रतिदिन वे बदले जाएंगे और साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई के पदार्थ पर्याप्त मात्रा में प्रदाय होंगे।

(2) उप–पैरा (1) में उल्लिखित सुविधाओं के अतिरिक्त एक अनुमोदित प्रकार का इमरजेन्सी शावर, जिसमें आंख धोने का झरना होगा, की व्यवस्था होगी तथा उसे अच्छी कार्य दशा में अनुरक्षित किया जाएगा । जहाँ कहीं आवश्यक हो पानी का निरन्तर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1500 लीटर क्षमता के स्टोरेज टैंक की आपातकालीन उपयोग हेतु स्वच्छ जल प्रदाय के स्त्रोत के रूप में व्यवस्था होगी।

(7) चेतावनी का इश्तहार।– निम्न प्ररूप में विनिर्दिष्ट तथा नियोजित कर्मकारों में से अधिकांश द्वारा समझी जाने वाली भाषा में छपा हुआ चेतावनी का एक इश्तहार कारखाने में प्रमख स्थान पर जडा हुआ होगा, जहाँ से वह कर्मकारों द्वारा आसानी तथा सुगमता से पढ़ा जा सके ।

p|rkouh
by|DVkykbfVx IyfVx

(1) इस संयंत्र में संधारित रसायन संक्षारक तथा जहरीले हैं ।

(2) इस क्षेत्र में धूम्रपान, तम्बाकू खाना, भोजन पानी करना प्रतिषिद्ध है। इस क्षेत्र में कोई खाद्य या पेय सामग्री नहीं लाई जाएगी।

(3) इन रसायनों में से कुछ त्वचा के माध्यम से शरीर में सोख लिए जा सकते हैं तथा जहरीला प्रभाव पैदा कर सकते हैं।

(4) खाना खाने के पूर्व भली प्रकार प्रक्षालन करें।

(5) इस क्षेत्र में कार्य करते समय प्रदाय की गई सुरक्षा युक्तियों का उपयोग करें।

(6) शरीर के किसी भी भाग पर या फर्श पर रसायन गिरने या फैल जाने पर तत्काल पानी से उसे धोया जाए।

(7) सभी कर्मकार उनके स्वास्थ्य की रक्षा हेतु निर्धारित चिकित्सीय जाँच हेतु नियमित रूप से उपस्थित होगें।

(8) चिकित्सीय सुविधाएँ और चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण–

(1) हर कारखाने, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों, का अधिभोगी

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा।

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगाय और

(ग) विभिन्न बक्सों में पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त बैरियर क्रीम, आइन्टमेन्ट और इमपेरीमेबल वाटर प्रूफ प्लास्टर अनुरक्षित करेगा, जो कर्मकारों को आसानी से पहुँच गम्य होकर पूर्णतरू वहीं सामान रखने के उपयोग में लिया जाएगा। यदि बाथ में सायनाइड का उपयोग होता हो तो बक्से में आपातकालीन सायनाइड किट भी सम्मिलित होगी।

(2) चिकित्सा अधिकारी, इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रिया में नियोजित किए जानेवाले सभी कर्मकारों का परीक्षण करेगा । फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रपत्र 28 तक जारी करेगा।

(3) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है। इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनरू उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(5) फिटनेस के प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक –सह– सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक –सह– सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जायेंगे।

mi&vuqlwph&3

byfDVd ,D;qeqyVl dk fofuek.k rFkk mudh ejEer

1. व्यावृत्तियाँ– यह अनुसूची ऐसे इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटर्स या उनके भाग के विनिर्माण या उनकी मरम्मत को, जिनमें सीसा या सीसे का कोई यौगिक अन्तर्विष्ट न हो या किसी एक्युमुलेटर की जो किसी स्थावर बैटरी का भाग है, परिसर पर मरम्मत को लागू नहीं होगी।

2. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) "सीसे की प्रक्रिया'' से तात्पर्य सीसे या सीसे युक्त किसी पदार्थ गलाने, ढालने, सीसा जलाने या कोई अन्य कार्य, जिसमें लेपनयुक्त चादरों को छांटना या कोई अन्य आकर्षण या काटना सम्मिलित है, जिसमें सीसे के किसी आक्साइड का उपयोग वहन या अभिसाधन या उससे संस्पर्श सन्निहित हो,

(ख) ''सीसे के रॉआक्साइड के अधिसाधन'' से तात्पर्य सीसे की प्रक्रिया से है, जिसमें सीसे का किसी पात्र में या एक संक्रिया से दूरी संक्रिया में किसी उपकरण के द्वारा संवहन को छोड़कर सीसे के रॉआक्साइड का कोई अभिसाधक या वहन सन्निहित हों:

3. स्त्रियों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध–किसी भी स्त्री तथा अल्पवयस्क व्यक्ति को सीसे की किसी भी प्रक्रिया में या किसी भी कमरे में जिसमें सीसे के रॉआक्साइड का अभिसाधन या लेपन कार्य किया जाता हो, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं कि कार्य के प्रत्येक कमरे में किया जाएगा।

4. कतिपय प्रक्रियाओं का पृथक्करण–निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से प्रत्येक को ऐसी रीति में तथा ऐसी स्थितियों के अधीन किया जाएगा, जिससे एक का दूसरे से तथा किसी अन्य प्रक्रिया से प्रभावी पृथक्करण सुनिश्चित किया जा सके

(क) सीसे के रॉआक्साइड का अभिसाधन;

(ख) लेपन;

(ग) लेपित चद्दरों को सुखाना;

(घ) सीसे के जलाने के निर्माण (टकिंग) जो उसके संबंध में आवश्यक रूप से किया जाता हो.

(ङ) लेपित चद्दरों को लगाना ।

5. वायु स्थान– प्रत्येक कमरे में जिसमें सीसे की प्रक्रिया की जाती हो, वहाँ उसमें नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 500 फीट वायु स्थान होगा और इस वायु स्थान की संगणना करने में 12 फीट से ऊपर की ऊंचाई की गणना नहीं की जाएगी।

6. संवातायन– कार्य के प्रत्येक कमरे में पर्याप्त आकार के प्रवेश द्वार और निर्गमन द्वार की व्यवस्था होगी, जिससे कमरे के समस्त भागों में कार्यसाधन संवातायन प्राप्त किया जा सके तथा बनाए रखा जा सके।

7. लेपन कार्य के कमरे में कर्मकारों के मध्य दूरी–लेपन कसी लेपन के कार्य करने की स्थिति के केन्द्र और उसके निकटतम कार्य करने वाले लेपक के मध्य दूरी 5 फीट से कम नहीं होगी।

8. कार्य के कमरों के फर्श–

(1) प्रत्येक कमरे का, जिसमें सीसे की प्रक्रिया की जाती हो, फर्श

(क) सीमेंट या समान पदार्थ का होगा, जो चिकना हो और जल से अवेद्य रहे:

(ख) अच्छी स्थिति में बनाए रखा जएगा;

(ग) ऐसी सामग्री, संयंत्र या अन्य बाधा से, जो कमरे में की जा रही प्रक्रिया के लिए अपेक्षित न हो या उसमें निर्मित न की गई हो रहित रखा जाएगा:

(2) ग्रिड ढालने वाली दुकानों को छोड़कर ऐसे समस्त कमरों के फर्श

(क) जब कमरे में कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो उस समय अच्छी तरह पानी छिड़कने के पश्चात् प्रतिदिन साफ किया जाएगा ।

(3) ग्रिड ढालने वाली दुकानों में फर्श को प्रतिदिन साफ किया जाएगा।

(4) उप–कंडिका (1), (2) तथा (3) की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहाँ सीसे के रॉआक्साइड का अभिसाधन या लेपन का कार्य किया जाता हो, वहाँ के फर्श को–

(क) जब कार्य किया जा रहा हो लगातार गीला भी रखा जाएगा:

(ख) जल निकास के लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी:

(ग) होज पाइप द्वारा प्रतिदिन अच्छी तरह से साफ किया जाएगा ।

9. कार्य करने की बेचें– कार्य करने की बेचें जिन पर सीसे की कोई भी प्रक्रिया की जाती हो–

(क) चिकनी सतह वाली होंगी तथा अच्छी दशा में बनाए रखी जाएंगी:

(ख) समस्त सामग्री या संयंत्र से जो वहाँ की जा रही प्रक्रिया अपेक्षित न हो या उससे निर्मित न किए गए हों, रहित की जाएगी। ग्रिड को ढालने वाली दुकानों को छोड़कर कार्य करने की ऐसी समस्त बेचें

(ग) जब उन पर कोई अन्य कार्य किया जा रहा हो तो पूर्ण रूप सेगीली किए जाने के पश्चात या सफाई करने के चूषण (सक्शन) साधित्र द्वारा प्रतिदिन साफ की जाएगी: और ग्रिड ढालने वाली दुकानों में कार्य करने की ऐसी समस्त बेचें

(घ) प्रतिदिन साफ की जाएंगी तथा पिन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कार्य की प्रत्येक बेचें

(ङ) सीसे की चद्दर से या किसी अन्य अवेद्य सामग्री से पूरी ढंकी जाएंगी;

(च) उसके किनारे उठे हुए होंगेय (छ) लेपन क्रिया की जाते समय लगातार गीली रखी जाएगी।

10. वायु निष्कासन–कार्यसाधक वायु निष्कासन को उपयोग में लाए बिना निम्नलिखित प्रक्रियाएँ नहीं की जाएंगी

(क) सीसे को या सीसे युक्त पदार्थों को गलाने की:

(ख) सीसे के रॉ–आक्साइड के अभिसाधन की जब तक कि वह बंद साधित्र में न की जाए, जिससे कार्य के कमरे में धूल के फैलने की रोक हो सके:

(ग) लेपन कार्य

(घ) लेपित चद्दरों को छांटने, रेतने या कोई अन्य अवघर्षण या काटने का कार्य जिससे धूल उत्पन्न हो:

(ङ) निम्नलिखित को छोड़कर सीसे को जलाने की क्रिया

(एक) निर्माण के कमरे में टेकिंग,

(दो) सैल के आवरणों के लिए सीसे का अस्तर बनाने के हेतु रासायनिक जलाने की क्रिया जो आवस्यक रूप से ऐसी रीति में की जाती है कि कार्यसाधक निष्कासन की प्रयुक्ति अव्यवहार्य होती है, छोड़कर सीसे के जलाने की क्रिया । ऐसी वायु निष्कासन यांत्रिक साधनों द्वारा किया जाएगा और निकली हुई धूल और धुएँ पर उसके उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य करेगा. जिससे किसी कमरे की जिसमें व्यक्ति कार्य क वायु में उसके प्रवेश को रोका जा सके।

11. मेल्टिंग पाट (मूषा) से निकलने वाला धुआँ तथा वायु– किसी मेल्टिंग पाट के गर्म किए जाने से उत्पन्न होने वाले ज्वलन उत्पादों को किसी कमरे, जिसमें व्यक्ति कार्य करता हो, नहीं जाने दिया जाएगा ।

12. मैल रखने के लिए पात्र– कल लगने वाले ढक्कन से युक्त एक उपयुक्त पात्र की व्यवस्था की जाएगी, जो मैल के लिए जैसे ही वह प्रत्येक मेल्टिंग पाट से निकाला जाए, उपयोग में लाया जाएगा, ऐसा पात्र जब कार्य के कमरे में हो तो उस दशा के अतिरिक्त जबकि उसमें मैल इकट्ठा किया जा रहा हो, ढका हुआ रखा जाएगा।

13. सीसे से क्षेप्य के लिए पात्र– कार्य के प्रत्येक कमरे में एक उपयुक्त पात्र की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पुरानी चद्दरें तथा क्षेप्य पदार्थ जिनसे धूल उत्पन्न हो सकती हो, जमा किए जाएंगे।

14. सुखाने के कमरे में रेक तथा शेल्फ– सुखाने के किसी कमरे में दिए गए रेक या शेल्फ फर्श से 8 फीट से ऊपर नहीं होंगे, किन्तु दोनों ओर से बन्द होने वाले या निकलने वाले रेकों या शेल्फों के संबंध में कुल चौड़ाई 4 फीट से अधिक नहीं होगी।

ऐसे रेक या शेल्फ केवल अच्छी तरह से नम किए जाने पर ही साफ किए जाएंगे, जब तक कि इस प्रयोजन के लिए सफाई का कार्यसाधक चूषण–साधित्र ही उपयोग में न लाया जाए।

15. चिकित्सीय सुविधाएँ और चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण–

(1) हरेक कारखाने जिसमें इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटर्स (विद्युत संचय यंत्र) का विनिर्माण और मरम्मत कार्य चलाया जाता हो, का अधिभोगी:

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा।

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा।

(2) सीसे की प्रक्रिया में नियोजित हर कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के पन्द्रह दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण में पेशाब तथा खून में सीसे की मात्रा की, यूरिन–हीमोग्लोबिन में ए.एल.ए. की मात्रा की कोशिकाओं (सेल्स) में छिद्रता तथा स्थिरता की जाँच निहित होगी। किसी भी कर्मकार को प्रथम नियोजन के पन्द्रह दिन के पश्चात् कारखाने में तब तक काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक उसे ऐसे निष्पादन हेतु चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिट–प्रमाणित न कर दिया गया हो। उक्त प्रक्रिया में नियोजित हरेक

कर्मकार का प्रत्येक तीन केलेण्डर मास में कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनरू परीक्षण किया जाएगा। ऐसे पुनरू परीक्षण में, जहाँ कहीं चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त समझे । उप–पैरा (1) में विनिर्दिष्ट जाँच भी निहित होगी ।

(3) चिकित्सा अधिकारी कर्मकार का परीक्षण करने के पश्चात् प्ररूप–28 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(4) किसी भी समय यदि चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे इन आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने में उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों की प्रविष्टि करेगा। उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में यह भी सम्मिलित होगा कि वह उसे कितनी कालावधि के लिए उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अनफिट मानता है। उस प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अनफिट होते हए ऐसे निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंध द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी । जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो जाएगा, जिस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जाएगा।

(5) उपरोक्त उप–पैरा (5) में कथित किए गए अनुसार काम करने के लिए अनफिट पाए गए किसी व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी उसे पुनरू परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए फिट प्रमाणीकृत नहीं कर देता ।

(6) फिटनेस का प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह– सुविधाप्रदाता –सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो, ऐसे रखा जाएगा ।

16. सुरक्षात्मक वस्त्र– निम्नलिखित में नियोजित समस्त व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक वस्त्रों की व्यवस्था की जाएगी तथा उन्हें अच्छी हालत में रखा जाएगा ।

(क) सीसे के रॉआक्साइड के अभिसाधन:

(ख) लेपन:

(ग) विरचन कक्ष:

और ऐसे वस्त्र सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा पहने जायेंगे, सुरक्षात्मक वस्त्रो में एक जलसिद्ध लबादा तथा जल सिद्ध जूते और सीसे के रॉआक्साइड के अभिसाधन या लेपन में नियोजित व्यक्तियों के लिए हेड कवरिंग्स भी होंगे, हेड कवरिंग प्रतिदिन धोए जाएंगे।

17. भोजन का कमरा– सीसे की प्रक्रिया में नियोजित तथा भोजन के अन्तरालों के दौरान में परिसर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त भोजन के कमरे की, जो (क) पर्याप्त मेजों तथा बेंचों से और (ख) भोजन गरम करने के लिए समुचित साधनों से सज्जित होगा, व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा ।

भोजन का कमरा एक उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और स्वच्छ रखा जाएगा।

18. क्लोक रूम–सीसे की प्रक्रिया में नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा

(क) कार्य के घण्टों के दौरान में उतारकर रखे गए वस्त्रों को रखने, साथ ही वस्त्रों को, यदि गीले हों तो सुखाने की पर्याप्त व्यवस्था से युक्त एक क्लोक रूम की ऐसा आवास भोजन के किसी भी कमरे में पृथक् होगा:

(ख) कंडिका 16 के अधीन प्रदत्त किए गए सुरक्षात्मक वस्त्रों के संग्रह के लिए पृथक् तथा उपयुक्त प्रबंध की।

19. प्रक्षालन की सविधाएँ– सीसे की प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा।

(क) आच्छादित प्रक्षालन स्थान, जिसमें या तो (एक) चिकनी अवेद्य सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजितहोगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम 2 फीट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोंटियों या फव्वारों से जो 2 फीट से अधिक अन्तर पर न होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता हो, या।

(दो) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम ज्म् वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा और जिसमें जल का समतल प्रदाय होता हो:

(तीन) उपयुक्त सामग्री से बनी हुई स्वच्छ तौलियों का जो प्रतिदिन बदली जाएंगी, पर्याप्त प्रदाय होगा, जिस प्रदाय में उपकारों तथा सीसे की रॉआक्साइड के अभिसाधन में नियोजित

व्यक्तियों की दशा में ऐसे प्रत्येक कर्मकार के लिए एक पृथक् रूप । से चिन्हित तौलिया सम्मिलित होगी, और

(चार) साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री तथा नाखून साफ करने के ब्रूशों का पर्याप्त प्रदाय।

(ख) इसके अतिरिक्त उन कमरों के निकट, जिनमें सीसे के रॉ–आक्साइड का अभिसाधन या लेपन कार्य किया जाता हो, यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता लिखित सूचना द्वारा ऐसी अपेक्षा करे तो प्रचालन की व्यवस्था की जाएगी।

20. प्रक्षालन के लिए समय का दिया जाना– प्रत्येक भोजन के पूर्व तथा दैनिक कार्य की समाप्ति के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को, जो सीसे के रॉ–आक्साइड के अभिसाधन में या लेपन कार्य में नियोजित किया गया हो, नियमित रूप से दिये जाने वाले भोजन के समय अतिरिक्त कम से कम दस मिनट प्रक्षालन के हेतु दिए जाएंगे :

परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बेसिन या 2 फीट टब हो तो यह नियम लागू नहीं होगा।

21. नहाने के हेतु सुविधाएँ– सीसे के रॉ–आक्साइड के अभिसाधन या लेपन कार्य में लगे हुए समस्त व्यक्तियों के लिए मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता के समाधान योग्य पर्याप्त नहाने के स्थान और साबुन तथा स्वच्छ तौलियों के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था की जाएगी।

22. कार्य के कमरों में खाद्य, पेय आदि का प्रतिपेक्षित होना– कार्य के किसी भी कमरे में, जिसमें सीसे की कोई भी प्रक्रिया की जाती हो किसी भी कर्मकार द्वारा न तो किसी भी खाद्य, पेय, पान तथा सुपारी तथा तम्बाकू का उपयोग किया जाएगा या ना ही उसे लाया जाएगा ।

mi&vu|l|ph&4
dkp fofuek.k

1. छूट– यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का किसी कारखाने या प्रक्रिया के किसी भी वर्ग के संबंध में यह समाधान हो जाए कि कार्य की विशेष पद्धतियों या किसी कारखाने की विशेष स्थितियों के कारण या अन्यथा उसमें नियोजित व्यक्तियों को खतरा पहुँचाए बिना इस अनुसूची की किन्हीं भी अपेक्षाओं को निलंबित या शिथिल किया जा सकता या इस अनुसूची या उसके किसी भी भाग की प्रयुक्ति किसी भी कारण से अव्यवहार्य है तो वह लिखित प्रमाण–पत्र द्वारा ऐसे निलंबन या शिथिल किए जाने को ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर जैसी कि वह उचित समझे, प्रमाण पत्र में निदेशित किए गए अनुसार प्राधिकृत कर सकेगा।

2. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए

(क) ''कार्य साधक वायु निष्कासक'' से तात्पर्य गैस, वाष्प, धूल या धुएं को निकालने के लिए यांत्रिक साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संवातन से है, जिससे उन्हें किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो (प्रायरू रहने वाली वायुमण्डलीय स्थितियों में यथा व्यवहार्य) वायु में मिल जाने से रोका जा सके । किसी भी वायु निष्कासक को कार्यसाधन नहीं समझा जाएगा, जो उस स्थान पर उत्पन्न होने वाले धुएँ को, जहाँ पर ऐसी गैस, वाष्प या धूल उत्पन्न होती हो, न हटा सकता हो।

(ख) "सीसे से यौगिक'' से तात्पर्य कच्चे सीसे को छोड़कर सीसे के किसी अन्य यौगिक से है, जो जब नीचे वर्णित रीति में शोधित किए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल और घुलनशील सीसे के यौगिक की कुछ मात्रा देता है, जो लेड मोनोक्साइड के रूप में गणना करने पर विश्लेषण हेतु लिए गए भाग के शुष्क भार से पाँच प्रतिशत अधिक होता है। शोधन की पद्धति निम्नानुसार होगी पदार्थ की तौली हुई मात्रा, जो 100 सेन्टीग्रेड पर सुखाई गई होगी और समान तापक्रम पर उसके भार से 1000 गुनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल में, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का 0.25 प्रतिशत भार होगा, पूर्णतया सम्मिश्रित कर ली गई होगी, लगातार एक घंटे तक हिलाई जाएगी । इसके पश्चात् इस घोल को एक घण्टे तक स्थिर रखा जाएगा और उसके बाद छान लिया जाएगा। छाने गए स्वच्छ घोल के लेट साल्ट को लेड सल्फाइड के रूप में निस्सादित किया जाएगा और लेड सल्फेट के रूप में उनका भार ले लिया जाएगा।

3. वायु निष्कासन– कार्यसाधक वायु निष्कासक के अधीन या ऐसी अन्य शर्तों के अधीन जैसी कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित की जाएं, ही निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाएंगी अन्यथा नहीं

(क) कच्चे माल का 'समूह' बनाने हेतु मिश्रण:

(ख) काँच या काँच की किन्हीं भी वस्तुओं का सूखा पीसा जाना, चमकाया जाना और उन पर पालिश किया जाना:

(ग) वे समस्त प्रक्रियाएँ, जिनमें हायड्रोक्लोरिक एसिड का धुआँ या अमोनिकल वाष्प निकलती हो:

(घ) भट्टी के साँचों या पात्रों के बनाने में समस्त प्रक्रियाएँ, जिनके उपयोग में लाए गए पात्रों का प्रेषण या दलन सम्मिलित है।

4. स्त्रियों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध– किसी भी स्त्री या अल्पवयस्क व्यक्ति को कण्डिका 3 में उल्लिखित की गई किन्हीं भी संक्रियाओं में या किसी स्थान पर जहाँ ऐसी संक्रियाएँ की जाती हों, नियोजित नहीं किया जाएगा या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

5. फर्श और कार्य करने की बेचें– ऐसे प्रत्येक कमरे के, जिसमें सीसे के शुष्क यौगिक का शोधन किया जाता हो या जिसमें सिलिका धूल निकलने वाली कोई प्रक्रिया की जाती हो, फर्श तथा कार्य करने की बेचों को गीला रखा जाएगा और वह निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा ।

Q'k

(क) सीमेंट के समान पदार्थ के होंगे, जिससे चिकने हों तथा जल से अवेध्य रहे,

(ख) अच्छी स्थिति में बनाए रखे जाएंगे, और एक

(ग) जब कमरे में कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो, उस समय अच्छी तरह पानी छिड़कने के पश्चात् प्रतिदिन साफ किए जाएंगे ।

dk;l djus dh cSp

(क) चिकनी सतह वाली होंगी तथा अच्छी दशा में बनाए रखी जाएंगी, और

(ख) जब उन पर कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो तो या पूर्ण रूप से गीली किए जाने के पश्चात् या सफाई करने के चूषण साधित्र द्वारा प्रतिदिन साफ की जाएंगी।

6. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग– उन कमरों को, जिनमें कांच का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से शोधन किया जाता हो, निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे

(क) पर्याप्त आकार के प्रवेश द्वार और निर्गमन द्वार होंगे, जिससे कमरे के समस्त भागों में कार्यसाधक संवातन किए जा सकें तथा बनाए रखा जा सके;

(ख) फर्स गटापारचा से ढका हुआ तथा दृढ़ होगा और ढकी हुई नाली की ओर क्रमश ढालू होगा;

(ग) कार्यस्थलों को बहिर्वती हुडों से इस प्रकार परिवेष्ठित किया जाएगा, जिसने शोधित की जाने वाली वस्तुओं को भीतर जाने के लिए अपेक्षित मार्ग या व्यवहार्य छोटे होंगे;

(घ) कार्यसाधक वायु निष्कासन इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे गैसे नीचे की ओर निष्कासित हों।

7. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का परिसंग्रहण तथा परिवहन–हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सीसे या रबर के बने हुए सिलेण्डरों या पात्रों में ही संग्रहित की जाएगी या भेजी जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. फुकनी– प्रत्येक शीशागार को एक पृथक् फूंकनी दी जाएगी, जिस पर उस व्यक्ति का, जिसे वह दी गई हो, विशिष्ट चिन्ह होगा और प्रत्येक शीशागार को अपनी फूंकनी जीवाणु शून्य करने के लिए उपयुक्त सुविधाएँ तुरन्त उपलब्ध होंगी।

9. कार्य के कमरे में खाद्य, पेय आदि का प्रतिषेधित होना–किसी भी कमरे में या कार्यस्थल हो, जिसमें कण्डिका–3 में उल्लिखित की गई कोई भी प्रक्रिया की जा रही हो, किसी भी कर्मकार द्वारा न तो कोई भी खाद्य, पान तथा सुपारी और तंबाकू लाई जाएगी और न उसका उपभोग किया जाएगा।

10. सुरक्षात्मक वस्त्र– दखलकार कण्डिका–3 में उल्लिखित की गई प्रक्रियाओं में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के प्रकार के अनुसार उपयुक्त सुरक्षात्मक वस्त्रों, जूतों और चश्मों की व्यवस्था करेगा, उन्हें अच्छी दशा में बनाए रखेगा और ऐसे वस्त्र, जूते आदि सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा पहने जाएंगे ।

11. प्रक्षालन की सुविधाएँ– कण्डिका–3 में उल्लिखित की गई प्रक्रियाओं में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाये रखा जाएगा

(क) प्रक्षालन स्थान जिसमें या तो

(1) चिकनी अवैध सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोंटियों या फव्वारों से, जो 60 सेंटीमीटर से अधिक अन्तर पर न होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता हो, या

(2) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्ति के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा तथा जिसमें जल का पर्याप्त प्रदाय होगा या सदैव शीघ्रता से उपलब्ध होगा और साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री तथा नाखून साफ करने के ब्रुश सहित उपयुक्त सामग्री से बनी हुई स्वच्छ तौलियों का, जो प्रतिदिन बदली जाएगी, पर्याप्त प्रदाय होगा, और

(ख) टोंटियों सहित खड़े नल पर्याप्त संख्या में होंगे । ऐसे खड़े नलों की संख्या और स्थिति आ मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता के समाधान योग्य होगी ।

12. चिकित्सीय सुविधाएँ और परीक्षण तथा जाँच के अभिलेख–

(1) हरेक कारखाने में जिसमें ग्लास विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, उसका अधिभोगी

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा।

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा।

(2) काँच निर्माण प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जावेगा। वह प्रारूप–28 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(3) किसी भी समय यदि चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे इन आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने में उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों की प्रविष्टि करेगा। उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में यह भी सम्मिलित होगा कि वह उसे कितनी कालावधि के लिए उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अनफिट मानता है। उस प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अनफिट होते हए ऐसे निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंध द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी । जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो जाएगा, जिस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जाएगा।

(4) उपरोक्त उप–पैरा (3) में कथित किए गए अनुसार काम करने के लिए अनफिट पाए गए किसी व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी उसे पुनरू परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए फिट प्रमाणीकृत नहीं कर देता ।

(5) फिटनेस का प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता –सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो, ऐसे रखा जाएगा।

mi&vu|l|ph&5

/kkr|vk dh fi lkb ;k ikfy 'k rFkk ml l çkl|fxd çfØ;k,|

1. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए (क) 'सान' से तात्पर्य प्राकृतिक या विनिर्मित बालुओं, पत्थर से बनी हुई सान से है, किन्तु उसमें धातु–चक्र या बेलन, जिसमें प्राकृतिक या विनिर्मित सान के टुकड़े अन्वायोजित किए गए हों, सम्मिलित नहीं हैं:

(ख) 'आघर्षी चक्र' से तात्पर्य ऐसे चक्र से है, को बोण्डिड कुरून्द से या समान आघर्षी से विनिर्मित हो:

(ग) 'पिसाई' से तात्पर्य यांत्रिक शक्ति की सहायता से सान या आघर्षी चक्र के द्वारा धातु के अवघर्षण से है।

(घ) 'पालिश' से तात्पर्य यांत्रिक शक्ति की सहायता से किसी चक्र बर्फ, झाड़ने या सदृश्य उपकरण के द्वारा, जिसमें कोई अपघर्षक या चमकाने वाला पदार्थ संलग्न या प्रयुक्त हो, धातु के अपघर्षण, पालिश करने या परिष्कृत करने से है।

(ङ) 'रेसिंग' से तात्पर्य प्रथम बार प्रयोग में लाने से पूर्व परिभ्रामी सान की घुमाई, कटाई या उसका परिष्कार करने से है:

(च) 'हेकिंग' से तात्पर्य रॉड, छड़ या धातु की पट्टी के उपयोग द्वारा परिभ्रामी सान के तल के परिष्कृत करने से है।

(छ) 'रॉडिंग' से तात्पर्य रॉड, छड़ या धातु की पट्टी के उपयोग द्वारा परिभ्रामी सान के तल के परिष्कृत करने से है ।

2. अपवाद–

(1) इस अनुसूची की कोई भी बात कारखाने के किसी ऐसे भाग को छोड़कर, जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति धातुओं की पिसाई या पालिश करने में पूर्णतरू या मुख्यतरू नियोजित किए गए हों. किसी भी कारखाने को, जिसमें केवल मरम्मत की जाती हो, लागू नहीं होगी।

(2) कण्डिका 4 को छोड़कर इस अनुसूची की कोई भी बात धातुओं की किसी पिसाई या पालिश करने को लागू नहीं होगी, जो रुक–रुककर की जाती हों और जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी सप्ताह में 12 घण्टे से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाता है।

(3) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण–पत्र द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हए जैसी कि वह उसमें उल्लिखित करे, किसी भी कारखाने के संबंध में इस अनुसूची के किन्हीं भी उपबंधों से छूट दे सकेगा या उन्हें निलंबित कर सकेगा, यदि कार्य की विशेष

पद्धतियों के कारण या अन्यथा नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य या सुरक्षा के खतरे के बिना ऐसी छूट या ऐसी निलंबन व्यवहार्य हो।

3. धूल को हटाने के लिए सजा– कोई भी रेसिंग, शुष्क पिसाई या पालिश का कार्य निम्नलिखित के बिना नहीं किया जाएगा

(क) कोई हुड या अन्य उपकरण इस प्रकार निर्मित, विन्यस्त, रखा तथा संघ्रत होगा, जिसमें फेंकी गई धूल को सारतरू रोका जा सके, और

(ख) समुचित आकार की एक नालिका, जो वायुरोधी होगी और इस प्रकार विन्यस्त होगी, जिससे धूल को दूर ले जाने में समर्थ हो, उस नालिका को बाधा से मुक्त रखा जाएगा और निरीक्षण तथा सफाई के लिए उसे पहुँच के उचित साधनों से युक्त रखा जाएगा और जहाँ व्यवहार्य हो, पंखे से दूरस्थ छोर पर ऐसे संयोजन से युक्त रखा जाएगा, जिससे निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता उक्त नलिका में वायु के दबाव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक किसी उपकरण को उससे संलग्न कर सके, और (ग) एक पंखा या धूल खींचने के लिए पर्याप्त वायु उत्पन्न करने के अन्य कार्यसाधक साधनय परन्तु मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता किसी अन्य उपकरण को स्वीकार कर सकेगा, जो उसकी राय में फेंकी हुई धूल को रोकने, हटानने तथा उसके निराकरण के लिए उतना ही प्रभावी हो, जितना हुड, नलिका और पंखा होता।

4. पिसाई की संक्रिया में नियोजन पर निर्बन्धन– सान, अपवर्षी चक्र या पालिश के उपकरण पर किसी एक समय में एक से अधिक व्यक्ति पिसाई या पालिश की वास्तविक प्रक्रिया को नहीं करेंगे :

परन्तु यह कंडिका किसी ऐसे सान, अपवर्षी चक्र या पिसाई के उपकरण पर भारी अथवा स्थूल वस्तुओं के अभिसाधन में सहायता करने के लिए व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध नहीं करेगी।

5. पालिश– किसी भी कमरे में, जिसमें सान पर आई पिसाई की जाती हो, सान पर आर्द्र पिसाई से प्रासंगिक प्रक्रियाओं के अतिरिक्त, पालिश या अन्य प्रक्रिया नहीं की जाएगी।

6. हेकिंग और रॉडिंग– हेकिंग और रॉडिंग तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रक्रिया के दौरान में या तोरू

(क) सान की ऊपरी तल पर जल का पर्याप्त प्रदान न रखा गया हो, या;

(ख) कण्डिका तीन की अपेक्षाओं के अनुसार धूल को रोकने के लिए पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था न कर दी गई हो।

7. धूल रोकने की सज्जा परीक्षण– धूल के निकालने या दबाने की समस्त सज्जा का कम से कम प्रत्येक 6 मास में एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षण किया जाएगा और उसकी जाँच की जाएगी और ऐसे परीक्षण तथा ऐसी जाँच के द्वारा पाई गई कोई त्रुटि यथा व्यवहार्ट शीघ्र शोधित कर दी जाएगी।

(ख) प्रारूप 29–ए में एक ऐसा रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें ऐसे परीक्षण और जाँच के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे।

8. चिकित्सीय सुविधाएँ और परीक्षण–

(1) हरेक कारखाने, जिसमें धातुओं की ग्राइंडिंग (पिसाई, घिसाई) या ग्लेजिंग (पालिश, चमकाना) का कार्य चलाया जाता हो, का अधिभोगी (क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा।

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा।

(2) काँच निर्माण प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जावेगा। वह प्रारूप–28 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(3) किसी भी समय यदि चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे इन आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने में उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों की प्रविष्टि करेगा । उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में यह भी सम्मिलित होगा कि वह उसे कितनी कालावधि के लिए उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अनफिट मानता है । उस प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अनफिट होते हए ऐसे निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंध द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो जाएगा, जिस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जाएगा।

(4) उपरोक्त उप–पैरा (3) में कथित किए गए अनुसार काम करने के लिए अनफिट पाए गए किसी व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी उसे पुनरू परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए फिट प्रमाणीकृत नहीं कर देता।

(5) फिटनेस का प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो, ऐसे रखा जाएगा।

mi&vu|l|ph&6

'kh'k rFkk 'kh'k d| dfri; ;kfxdk dk fofuek.k rFkk 'kk/ku

1. छूट–जहाँ मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाए कि इस अनुसूची के समस्त या कोई भी उपबंध नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है तो वह लिखित में प्रमाण पत्र द्वारा किसी कारखाने का, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि वह उसमें उल्लिखित करे, ऐसे समस्त या किन्हीं भी उपबन्धों से छूट दे सकेगा।

2. परिभाषाएँ–

इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए

(क) ''सीसे के यौगिक'' से तात्पर्य कच्चे सीसे को छोड़कर सीसे के किसी अन्य यौगिक से है, जो जब नीचे वर्णित रीति में शोधित किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल और घुलनशील सीसे के यौगिक के कुछ मात्रा देता है, जो लेड मोनोक्साइड के रूप में गणना करने पर विश्लेषण हेतु लिए गए भाग के शुष्क भार से पाँच प्रतिशत अधिक होता है। रंग लेपों तथा समान उत्पादों और अन्य मिश्रण की दशा में, जिनमें तेल वार्निश या अन्य साधन को हटाने के लिए पदार्थ को उपयुक्त घोलकों से पूर्णतया मिलाने तथा शोधित करने के पश्चात् शेष बचे पदार्थ के शुष्क भार से है। शोधन पद्धति निम्नानुसार होंगेपदार्थ की तोली हुई मात्रा जो 100 डिग्री सेन्टीग्रेड पर सुखाई गई होगी और समान तापक्रम पर उसके भार से 1000 गनी हाइडोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल में, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का 0.25 प्रतिशत भार होगा। पूर्णतया सम्मिश्रित कर ली गई होगी। लगातार एक घण्टे तक हिलाई जाएगी। इसके पश्चात् इस घोल को एक घण्टे स्थिर रखा जाएगा और उसके बाद छान लिया जाएगा । छाने गए स्वच्छ घोल के लेड साल्ट को लेड सल्फाइड के रूप में निष्पादित किया जाएगा और लेड सल्फेट के रूप में उसका भार ले लिया जाएगा।

(ख) ''कार्यसाधक वायु निष्कासन'' से तात्पर्य गैस, वाष्प धूल या धुएँ को निकालने के लिए ताप या यांत्रिक साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संवातन से है, जिससे इन्हें किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो । (प्रायरू रहने वाली वायु मंडलिक स्थितियों में यथा व्यवहार्य) वायु में मिल जाने से रोका जा सके, किसी भी वायु निष्कासन को कार्यसाधक नहीं समझा जाएगा, जो उस स्थान पर उत्पन्न होने वाली धुएँ को जहाँ पर ऐसी गैस, वाष्प धुआँ या धूल उत्पन्न होती हो, न हटा सकता हो। और

3. प्रयुक्ति–यह अनुसूची उन समस्त कारखानों या कारखों के वर्गों को लागू होगी, जिनमे निम्नलिखित में से कोई भी संक्रियाएँ की जाती हों

(क) भट्टी का कार्य जहाँ जस्ते या सीसे की कच्ची धातु का परिवर्तन या शोधन किया जाता हो;

(ख) राख का, जिसमें सीसा अन्तर्विष्ट हो, अभिसाधन, शोधन या परिवर्तन सीसे का चाँदी से अलग करना या सीसे के टुकड़े या जस्ते का गलाना;

(ग) रांगे या मिश्र धातुओं का विनिर्माण, जिसमें दस प्रतिशत से अधिक सीसा हो;

(घ) सीसे के किसी आक्साइड, कारबोनेट, सल्फेट, कोमेट, एसीटेट नाइट्रेड या सिलीकेट का विनिर्माण;

(ड़) लेट टेट्राइथिल का हस्तन या मिश्रण;

(च) कोई अन्य संक्रिया जिसमें सीसे के यौगिक का उपयोग अन्तर्ग्रस्त हो;

(छ) कार्य के कमरों की सफाई जहाँ पूर्वोक्त संक्रियाओं में से कोई भी संक्रिया की जाती हो।

4. स्त्रियों और अल्पवयस्क व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध– किसी भी स्त्री या अल्पवयस्क व्यक्ति को कण्डिका 3 में उल्लिखित की गई किन्हीं भी संक्रियाओं में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

5. पालन की जाने वाली अपेक्षाएँ–किसी भी व्यक्ति को सीसे के यौगिकों के उपयोग को अन्तर्ग्रस्त करने वाली किसी प्रक्रिया में, यदि प्रक्रिया ऐसी हो कि उसमें सीसे के यौगिक से धूल या धुआँ उत्पन्न होता हो या उसमें नियोजित व्यक्तियों पर उनके नियोजन के काल में सीसे के यौगिक के छींटे पड़ जाना प्रत्याशित हो तो जब तक कि कण्डिका 6 से 14 तक के उपबंधों का पालन न किया जाए, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

6. वायु निष्कासन–जहाँ प्रक्रिया धूल, धुआँ, गैस या वाष्प उत्पादक होती हो तो उन्हें हटाने के लिए कार्यसाधक वायु निष्कासक के द्वारा व्यवस्था की जाएगी, जो इस प्रकार से बनाना गया होगा कि धूल, धुआँ, गैस या वाष्प के उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य कर सके।

7. चिकित्सीय सुविधाएँ और चिकित्सा अधिकारी द्वारा जाँच।–

(1) हरेक कारखाने जिन पर यह अनुसूची लागू हो, के अधिभोगी

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा।

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा।

(2) पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित हरेक कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के पन्द्रह दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में खून और मूत्र में सीसे की जाँच, मूत्र में ए.एल.ए. हीमोग्लोबिन कंटेन्ट, स्टिपिलिंग ऑफ सेल्स और स्टडीनेस टेस्ट निहित होंगे। कारखाने के किसी भी कर्मकार को, जब तक चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु फिट प्रमाणित न कर दिया गाय हो, उसके प्रथम नियोजन के पन्द्रह दिन के.पश्चात् काम करने की अनुमति नहीं होगी।

(3) उक्त प्रक्रिया में नियोजित हरेक कर्मकार का हरेक तीन कलेण्डर मास में कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनरू परीक्षण किया जाएगा। ऐसे पुन: परीक्षण में, जहाँ कहीं चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त समझे, उप–पैरा (1) में निर्दिष्ट उपयुक्त जाँच निहित होगी।

(4) शीशे तथा शीशे के कतिपय यौगिकों का विनिर्माण तथा शोधनद प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जावेगा। वह प्रारूप–28 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(5) किसी भी समय यदि चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे इन आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने में उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों की प्रविष्टि करेगा। उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में यह भी सम्मिलित होगा कि वह उसे कितनी कालावधि के लिए उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अनफिट मानता है। उस प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अनफिट होते हए ऐसे निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंध द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी । जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो जाएगा, जिस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जाएगा।

(6) उपरोक्त उप–पैरा (5) में कथित किए गए अनुसार काम करने के लिए अनफिट पाए गए किसी व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी उसे पुनरू परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए फिट प्रमाणीकृत नहीं कर देता ।

(7) फिटनेस का प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता– सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो, ऐसे रखा जाएगा।

(8) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जाँच के अभिलेख मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित पृथक् रजिस्टर में रखे जाएंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता के लिए तत्काल उपलब्ध हो ऐसे रखे जाएंगे।

8. कार्य के कमरों में खाद्य, पेय आदि का प्रतिषेधित होना – कार्य के किसी भी कमरे में जिसमें प्रक्रिया की जाती हो, किसी भी कर्मकार द्वारा न तो कोई भी खाद्य पेय, पान तथा सुपारी या तंबाकू लाई जाएगी और न उसका उपयोग किया जाएगा और भोजन तथा विश्राम के अन्तरालों के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी कमरे में नहीं रहेगा।

9. सुरक्षात्मक वस्त्र–कारखाने के दखलकार द्वारा उपयुक्त सुरक्षात्मक सर्वछादी (ओवर आल्स) तथा शीर्ष छदकों की व्यवस्था की जाएगी, उन्हें बननाए रखा जाएगा तथा स्वच्छ रखा जाएगा और ऐसे सर्वछादी तथा शीर्ष छादक नियोजित व्यक्तियों द्वारा पहने जाएंगे।

10. कार्य के कमरों, औजारों आदि की स्वच्छता– वे कमरे जिनमें व्यक्तियों को नियोजित किया गया हो तथा उनके उपयोग में लाये जाने वाले समस्त औजारों और साधित्रों को स्वच्छ स्थिति में रखा जाएगा।

11. प्रलाक्षन की सुविधाएँ–दखलकार नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए उपयुक्त प्रक्षालन की सुविधाओं की, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगी, व्यवस्था करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा–

(क) चिकनी अवैद्य सतह का टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिसमें किसी एक समय में नियोजित प्रत्येक 10 व्यक्तियों के लिए कम से कम 2 फीट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हई टोंटियों या फव्वारों से जो 2 फीट से अधिक अन्तर पर होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता होय या

(ख) किसी एक समय में नियोजित प्रति दस व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा और जिसमें स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता है, साथ ही दोनों में से किसी भी दशा में नाखून साफ करने के ब्रुशों, साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री और स्वच्छ तौलियों का पर्याप्त प्रदाय होगा ।

(2) इस प्रकार प्रदाय की गई सुविधाएँ किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखी जाएंगी और स्वच्छ रखी जाएंगी।

12. भोजन कक्ष या स्वल्पाहार गृह–दखलकार नियोजित किए व्यक्तियों के उपयोग के लिए भोजन करने की उपयुक्त तथा पर्याप्त व्यवस्था करें और उसे बनाए रखेगा । इस व्यवस्था में कार्य के किसी कमरे में पृथक् कमरे का उपयोग सम्मिलित होगा, जिसे पर्याप्त मेजों और बेंचों से सज्जित किया जाएगा तथा जब तक कि गरम भोजन देने वाले स्वल्पाहार गृह की व्यवस्था न हो, भोजन गरम करने के हेतु पर्याप्त साधन की व्यवस्था की जाएगी । कमरे को स्वच्छ वायु के परिचालन द्वारा पर्याप्त रूप से संवातित किया जाएगा, किसी उत्तरवर्ती व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा, स्वच्छ रखा जाएगा।

13. क्लोक रूम– दखलकार नियोजित किए गए व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के घण्टों में न पहने जाने वाले वस्त्रों के रखने तथा गीले वस्त्रों के सुखाने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगा तथा उसे बनाए रखेगा।

mi&vuqlwph&7
iVkSy l iVkSy xSl dk mRiknu

1. स्त्रियों और अल्पवयस्क व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध– किसी भी स्त्री या अल्पवयस्क व्यक्ति को किसी भी भवन में, जिसमें पेट्रोल गैस का उत्पादन किया जाता हो, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात या प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

2. फ्लेम ट्रेप्स–पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन करने वाले संयंत्र और उससे जुड़े हुए तल तथा अन्वायुक्तियों को कम से कम दो कार्यसाधक फ्लेम ट्रेप्स से अन्वायोजित किया जाएगा, जो इस प्रकार बनाए जाएंगे तथा बनाए रखे जाएंगे, जिसे किसी बर्नर से निकली हई लौ को संयंत्र तक पहुँचने से पीछे रोक सके, इन ट्रेप्स में से एक संयंत्र के यथासंभव निकट अन्वायोजित किया जाएगा, संयंत्र तथा समस्त नलों और बल्वों की छिद्र रहित दशा में अधिष्ठापित किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा।

3. यह भवन या कमरा जिसमें उत्पादन किया जाता है–इस अनुसूची में उल्लिखित किए गए उपबंधों के प्रवृत्त होने के पश्चात् पेट्रोल गैसों का उत्पादन करने के लिए निर्मित समस्त संयंत्र कारखानेद के मुख्य भवन के बाहर अच्छी प्रकार से संवातित पृथक भवन में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पादन भवन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) निर्मित किए जाएंगे, ऐसे संयंत्र की दशा में, जिसका इस अनुसूची से उल्लिखित किए गए उपबंधों से प्रवृत्त होने के पूर्व निर्माण किया गया हो, उस कमरे के जिसमें ऐसे सम्बन्धों का निर्माण किया गया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उत्पादन का कमरा' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) तथा कारखाने के भवन के शेष भाग के मध्य कोई सीधा सम्पर्क नहीं होगा, जहाँ तक व्यवहार्य हो, ऐसे समस्त उत्पादन के कमरे अग्निरोधी सामग्रियों से निर्मित होंगे।

4. अग्निशामक–पेट्रोल से लगी आगों को बुझाने के लिए कार्यसाधक साधन पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन करने वाले संयंत्र के निकट सहजगम्य स्थिति में बनाए रखे जाएंगे।

5. संयंत्र का मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित किया जाना–पेट्रोल गैस, पेट्रोल गैस का उत्पादन करने वाले ऐसे संयंत्र में, जिसका नमूना तथा निर्मित मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित कर दी गई हो, ही विनिर्मित की जाएगी अन्यथा नहीं।

6. पेट्रोल का बाहर निकालना–पेट्रोल को किसी नाली या मोरी में निकल जाने से रोकने के लिए प्रभावशाली उपाय किए जाएंगे ।

7. धूम्रपान के संबंध में प्रतिषेध–कोई भी व्यक्ति उत्पादन के कमरे या भवन या उसके समीपवर्ती स्थान में धूम्रपान नहीं करेगा या दियासलाई अग्नि या अनावरित ज्योति या चिनगारी उत्पन्न के अन्य साधन नहीं ले आएगा और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ऐसे कमरे या भवन में धूम्रपान करने और दियासलाइयां, अग्नि या अनावरित ज्योति या चिनगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन ले जाने का प्रतिषेध करते हुए एक चेतावनी देने वाली सूचना कारखाने में लगाई जाएगी।

8. पेट्रोल या पेट्रोल के पात्र तक पहुँच– किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को किसी पेट्रोल तक या ऐसे पात्र तक, जिसमें पेट्रोल हो या जिमसें वास्तव में पेट्रोल रहा हो, पहुँच नहीं होगी।

9. विद्युत अन्वायुक्तियाँ– समस्त विद्युत अन्वायुक्तियाँ ज्वालारोधी निर्मित की होंगी तथा समस्त विद्युत संवाहक या तो धातु के कंडयूट से आवृत्त में होंगे या सीसे से ढके होंगे।

10. दरवाजों का निर्माण– उत्पादन के कमरे या भवन के समस्त दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले या सरकाने वाले बनाये जाएंगे तथा किसी भी दरवाजे में ऐसी रीति से ताला नहीं लगाया जाएगा या उसे अवरोधित या बंद नहीं किया जाएगा, जिसमें जब गैस का उत्पादन हो रहा हो और कोई व्यक्ति उत्पादन के कमरे या भवन में कार्य कर रहा हो तो उसे अंदर से सरलता से तथा तुरन्त न खोला जा सके।

11. पेट्रोल के पात्रों की मरम्मत– किसी भी पात्र की, जिसमें पेट्रोल रहा हो उत्पादन के कमरे या भवन में मरम्मत नहीं की जाएगी और ऐसे किसी भी पात्र की तब तक मरम्मत नहीं की जाएगी, जब तक कि पात्र में गरम वाष्प न छोड़ी गई हो और उसका आंतरिक भाग पूर्णतरू वाष्प से साफ न कर लिया गया हो या सुनिश्चित करने के लिए कि उसे पेट्रोल या ज्वलनशील वाष्प से रहित कर दिया गया है, अन्य समान प्रभावी उपाय ग्रहण न कर लिए गए हों।

12. चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण तथा जाँच–

(1) चिकित्सा अधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा। वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार वाति पेय का विनिर्माण तथा उससे प्रासंगिक प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनरू उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

परिचालन द्वारा पर्याप्त रूप से संवातित किया जाएगा, किसी उत्तरवर्ती व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा, स्वच्छ रखा जाएगा।

13. क्लोक रूम– दखलकार नियोजित किए गए व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के घण्टों में न पहने जाने वाले वस्त्रों के रखने तथा गीले वस्त्रों के सुखाने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगा तथा उसे बनाए रखेगा।

mi&vu|l|ph&8

vfr'kh?k Toyu'khy æo vkj Toyu'khy nkc;|ä x|l

1- ykx gkukA& यह अनुसूची उन सभी कारखानों पर लागू होगी, जहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैसों का विनिर्माण, भण्डारण कार्य या उपयोग होता हो ।

2- ifjHkk"kk,A& bl vu|l|ph d ç;ktu d fy,&

(क) "अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव'' से तात्पर्य ऐसे द्रव से है तथा जिसमें उसके घोल, इमलशन या सस्पेन्शन भी शामिल हैं, जो पेट्रोलियम एक्ट, 1934 की धारा 14 और 15 में निर्दिष्ट विधि के अनुसार जाँच करने पर 32 डिग्री सेन्टिग्रेड से कम तापमान पर ज्वलनशील वाष्प निकालते हैं

(ख) "ज्वलनशील दाबयुक्त गैस'' से तात्पर्य ज्वलनशील दाबयुक्त गैस से है, जो विस्फोटक अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 4) के अधीन बनाए गए स्टेटिक एण्ड मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अनफायर्ड) रूल्स, 1981 के नियम 2 में परिभषित है ।

3- Hk.Mkj.kA&

(1) हरेक कारखानों में उपयोग की जाने वाली ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस उपयुक्त स्थिर भण्डारण टैंक या उपयुक्त रूप से बन्द बर्तन में सुरक्षित स्थान पर जमीन के अन्दर, खुले में या पर्याप्त अग्नि प्रतिरोधक संरचना के बने भण्डार गृह में भण्डारित की जाएगी।

(2) हरेक बर्तन या टैंक, जिसमें अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस भरी हो या भरी रहती हो, केवल उपयोग, चालन या अनुरक्षण के समय जैसा भी आवश्यक हो, को छोड़कर हमेशा बंद रखे जाएंगे और उसके कभी फैल या रिसन हो जाने पर उसे बटोरने या किसी उपयुक्त कन्टेनर में तत्काल खाली करने के लिए उपयुक्त व्यवहार्य कदम उठाए जाएँगे।

(3) अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव के ज्वलनशील दाबयुक्त गैस के भण्डारण एवं उपयोग में आने वाले हरेक कन्टेनर, बर्तन, टैंक, सिलेण्डर या भण्डारण गृह पर स्पष्ट तथा बड़े अक्षरों में शब्द ''खतरा अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव'' या ''खतरा ज्वलनशील दाबयुक्त गैस' अंकित होंगे।

4- vfr'kh?k Toyu'khy æok d ifjogu gr| vkof'Br ç.kkyhA& कारखाने में जहाँ तक उपयुक्त रूप से व्यवहार्य हो, वहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रवों को, भण्डारण टैंक या बर्तन से उपयोग के स्थान पर परिवहन के लिए पूरी तौर पर आवेष्ठित प्रणाली, जिसमें पाइप लाइनें, पम्प और समरूप उपकरण सम्मिलित हैं, से किया जाएगा । ऐसी आवेष्ठित प्रणाली इस प्रकार रूपांकित स्थापित, चालित और अनुरक्षित होगी कि रिसन या छलक जाने का खतरा नहीं रहे।

5- gok d lkFk Toyu'khy feJ.k cuu l jkdA& जहाँ कहीं किसी उपकरण पाइप लाइन, वाल्व, जोड़ या प्रणाली के अन्य भाग से अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस के रिसन या छलक या फैल जाने की सम्भावना हो, वहाँ उस फैले हुए या रिसे पदार्थ को बटोरने या बर्तन में भरने या उसे तनु (पतला) करने के सभी व्यवहार्य उपाय किए जाएंगे, ताकि हवा के साथ ज्वलनशील मिश्रण का बनना रोक दिया जाए।

6- Toyu dh jkdA&(1) प्रत्येक काम के लिए या अन्य स्थानों पर, जहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन, कार्य या उपयोग किया जाता हो या वहाँ हवा में अतिज्वलनशील या ज्वलनशील

दाबयुक्त गैस के इकट्ठी होने से आग या विस्फोट का खतरा हो, वहाँ ज्वलन के स्त्रोतों को वर्जित करने के सभी व्यवहारिक उपाए किए जाएंगे, ऐसी पूर्वावधानियाँ निम्नलिखित होंगी –

(क) खतरे के क्षेत्र में या तो सभी प्रकार के विद्युत उपकरण वर्जित होंगे या उनकी संरचना, स्थापना तथा अनुरक्षण इस प्रकार होगा कि उसने ज्वलन स्त्रोत का खतरा पैदा न हो;

(ख) स्थिर विद्युत आवेश को खतरनाक सीमा तक एकत्र होने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय अपनाए जाएंगे या;

(ग) कोई व्यक्ति लोहे या स्टील के कीलों युक्त जूते या चप्पल या अन्य खुले हुए लोह पदार्थ की चीज, जिसके घर्षण से चिंगारी निकलने की संभावना हो, को न तो पहनेगा और न ही उन्हें पहनने की उसे अनुमति देगा;

(घ) धूम्रपान, आग लाना या माचिस, लाइटर या अन्य धूम्रपान की सामग्री ले लाना प्रतिषिद्ध हो गया;

(ड़) लोहे के जोड़ युक्तत संचालन बेल्टों का उपयोग नहीं किया जाएगा ; और

(च) सभी अन्य पूर्वावधानियाँ, जो भी व्यवहार्य हों अपनायी जाएंगी, ताकि अन्य सभी संभावित स्त्रोतों से जैसे खुली ज्वालाएँ, घर्षण से उत्पन्न चिंगारी, मशीनरी या संयंत्र की अति तप्त सतह, रासायनिक अथवा भौतिकी रासायनिक प्रतिक्रिया और विकर्णी उष्मा,ज्वलन प्रारम्भ होने से रोका जा सके।

7- /keiku dk çfr"k/kA& किसी स्थान में जहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस की उपस्थिति होने पर उन परिस्थितियों में धूम्रपान नहीं करेगा, जिसमें धूम्रपान पे आग का खतरा हो । अधिभोगी इस अपेक्षा के पालन को सुनिश्चित करने हेतु सभी व्यवहार्य उपाय करेगा, जिसमें धूम्रपान प्रतिषिद्ध है, यह प्रदर्शित करने वाले बड़े सूचना–पट्ट उस हरेक स्थान पर जहाँ–जहाँ यह अपेक्षा लागू होती हो लगाने होंगे ।

8- vfXu'keuA& किसी स्थान में, जहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैसों का विनिर्माण, भण्डारण, कार्य का उपयोग होता हो, वहाँ अग्निशमन के उपयुक्त तथा पर्याप्त साधनों की व्यवस्था होगी । ऐसे साधनों की उपयुक्तता तथा पर्याप्तता, जिस अभिव्यक्ति में, स्थाई तथा पोर्टेबल अग्निशमन प्रणाली, अग्निशमन पदार्थ, अग्निशमन की विधि और प्रक्रियाएँ उस मानक के अनुसार होना सम्मिलित हैं, जो नियम 72 के अधीन विहित किए गए हैं।

9- fpfdRlk vf/kdkjh }kjk fpfdRldh; ijh{k.k rFkk tkp A&

(1) चिकित्सा अधिकारी अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव और ज्वलनशील दाबयुक्त गैस निमार्ण भंडारण सम्वहन एवं उपयोग करने वाली प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा । वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 पर होगा। उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है। इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनरू उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) फिटनेस के प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह– सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जावेंगे।

10- NVA& किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह– सुविधाप्रदाता का यदि यह समाधान हो जाता है कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियो में प्रक्रिया के निरन्तर न चलने से या किसी अन्य कारण से इस अनुसूची के सभी या कई उपबंध कारखाने में कर्मकारों के बचाव के लिए आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता एक लेखी प्रमाण पत्र द्वारा, जिसे कि वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है, ऐसे किसी कारखाने को ऐसे सभी या उनमें से किसी उपबंधों से उन शर्तों, यदि कोई हैं, के अधीन रहते हुए छूट दे सकेगा।

mi&vuqlwph&9

dPph [kkyksa vkSj peM+ksa dk ykbfulx rFkk mudks dekuk vkSj mlls çkl~fxd çfØ;k,¡

1- psrkouh dk bf'rgkjA&

(1) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा उल्लिखित प्ररूप में गिल्टी रोग (एन्थ्रेक्स) के संबंध में चेतावनी के इश्तिहार कारखाने के ऐसे प्रमुख स्थानों पर, जहाँ वे नियोजित व्यक्तियों द्वारा सरलता से तथा सुविधापूर्वक पढ़े जा सकें, चिपकाये जाएंगे ।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा उल्लिखित प्ररूप में गिल्टी रोग विषयक चेतावनी के इश्तिहार की एक प्रति प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को, जबकि वह काम पर लगाया जाए और तत्पश्चात् यदि नियोजित रहता हो तो प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के प्रथम दिन दी जाएगी ।

(3) चमड़ी का क्रोम के प्रभाव के संबंध में चेतावनी के इश्तिहार प्रत्येक कारखाने के, जिसमें क्रोम का घोल उपयोग में लाया जाता हो, प्रमुख स्थानों पर चिपकाए जाएंगे और ऐसे इश्तिहार ऐसी जगह लगाए जाएंगे, जिससे नियोजित व्यक्तियों द्वारा सरलता से तथा सुविधापूर्वक पढ़े जा सके ।

(4) ''प्रथमोपचार'' पेटी या अलमारी की स्थिति और ऐसी पेटी तथा अलमारी के भारसाधक व्यक्ति का नाम बदलती हुई सूचनाएँ कारखाने के प्रमुख स्थानों पर चिपकाई जाएंगी।

(5) यदि कारखाने में नियोजित कोई व्यक्ति अशिक्षित हो तो कंडिका 1, 2 तथा 4 में उल्लिखित किए गए इश्तिहारों की विषय–वस्तु को और यदि कारखाने में क्रोम के घोल उपयोग में लाए जाते हों तो कंडिका 3 में उल्लिखित इश्तिहारों की विषय वस्तु को ऐसे अशिक्षित व्यक्ति को सावधानीपूर्वक समझाने के प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

2- lqj{kkRed ifj/kku&n[kydkj lqj{kkRed ifj/kku dh fuEufyf[kr oLrqvksa dks miyC/k djxk rFkk mUgsa vPNh n'kk esa cuk;s j[kxkA&

(क) वर्ण धातु घोलों से सम्पर्क सन्निहित करने वाली प्रक्रियाओं जिसमें ऐसे घोलों का निर्माण भी सम्मिलित है, में नियोजित व्यक्तियों के लिए बरसाती जूते, पायंचे, पेशबन्द तथा दस्ताने (ख) चूनाबाड़ा में नियोजित व्यक्तियों के लिए दस्ताने तथा जूतेय और (ग) खण्ड (क) तथा (ख) में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अतिरिक्त खाल या चमड़े के काम में सन्निहित होने वाली प्रक्रियाओं में नियोजित व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक जूते, पेशबन्द तथा दस्ताने।

(एक) दस्ताने, पेशबन्द, पायंचे या जूते, रबर या चमड़े के हो सकते हैं, किन्तु उपखण्ड (क) तथा (ख) के अधीन उपबंधित दस्ताने तथा जूते रबर के होंगे य

(दो) हाथ से फैलाकर तख्ता बनाने वाले या ऐसी प्रक्रियाओं में, जिसमें चूना, सोडियम सल्फाइड या अन्य कास्टिक मदिरा से सम्पर्क होने का जोखिम न हो, नियोजित व्यक्तियों को दस्ताने का उपबंध नहीं भी किया जा सकेगा।

3- çkyu dh lqfo/kk;s Hkkaltu d{k rFkk Dykd :eA& समस्त नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें स्वच्छ दशा में तथा अच्छी मरम्मत की दशा में रखा जाएगा।

(क) चिकनी अवेद्य सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और यह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फीट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोंटियों या फव्वारों से, जो दो फीट से अधिक अन्तर पर होंगे, जल का सत प्रदाय होता हो; या

(ख) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा, जिसमें जल का सतत् प्रदाय होता होय साथ ही दोनों में किसी भी दशा में नाखून साफ करने के ब्रुशों, साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री और स्वच्छ तौलियों का पर्याप्त प्रदाय होगा, या

(ग) भोजन के अन्तरालों के दौरान परिसर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त भोजन कक्ष की, जो (1) पर्याप्त मेजों तथा बेंचों और (2) भोजन गरम करने तथा पानी उबालने के लिए समुचित साधनों से सज्जित होगा।

Hkkaltu d{kA&

¼1½ किसी ऐसे कमरे या सायबान से, जिसमें खालों या चमड़ों का संग्रह किया जाता हो, शोधन किया जाता हो या अभिसाधन किया जाता हो, पृथक होगाय

¼2½ क्लोक रूप से पृथक होगाय और

¼3½ किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभाव में रखा जाएगा घद्ध दखलकार समस्त नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के घंटों के दौरान उतारे गए परिधानों के लिए यथोचित स्थान का तथा सुरक्षात्मक परिधान के लिए एक अन्य स्थान का उपबंध करेगा तथा बनाए रखेगा और दोनों मामलों में परिधानों की यदि गीले होतो सुखाने के लिए पर्याप्त प्रबंध भी करेगा । इस प्रकार उपबंधित स्थान सभी समय स्वच्छ रखा जाएगा और किसी जिम्मेदार वक्ति के प्रभार में रखा जाएगा।

4- dk;l d dejk e [kk| i; vkfn dk çfr"kkf/kr gkukA& कार्य के किसी भी कमरे में या किसी भी सायबान में, जिसमें खालों या चमडों का संग्रह किया जाता हो, शोधन किया जाता है या अभिसाधन किया जाता हो, किसी भी कर्मकार द्वारा न तो कोई भी खाद्य, पेय पान तथा सुपारी या तंबाकू लाई जाएगी और न उसका उपयोग किया जाएगा।

5- fpfdRl dh; ijh{k.k A&

(1) हरेक कारखाने जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी:

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य पर चिकित्सीय निगरानी रखने के लिए अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा।

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधायें प्रदत्त करेगा;

(ग) क्रोमियम पदार्थों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों के हाथों की सप्ताह में दो बार जाँच कराए जाने की व्यवस्था करेगा; और

(घ) कर्मकारों के आसानी से पहुँच गम्य बाक्स में उपयुक्त मलहम तथा प्लास्टर का प्रदाय करेगा तथा बक्सों को केवल मलहम तथा प्लास्टर के ही उपयोग में लाया जाएगा ।

(2) कच्ची खालों और चमड़ों का लाइनिंग तथा उनको कमाना और उससे प्रासंगिक प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी परीक्षण करेगा । वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(3) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 पर होगा। उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनरू उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(5) फिटनेस के प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह– सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जावेंगे ।

mi&vu|l|ph&10

fçfVx çl rFkk Vkbi QkmUMh e dh tku okyh lhl dh çfØ;k,

1- NV A& जहाँ मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाए कि अनुसूची के समस्त या कोई उपबंध नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं तो वह लिखित प्रमाण–पत्र द्वारा किसी कारखाने को ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि वह उसमें उल्लिखित करे, ऐसे समस्त या किन्हीं भी उपबंधों से छूट दे सकेगा । ऐसा प्रमाण पत्र मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता के द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहरण किया जा सकेगा।

2- ifjHkk"kk,A& इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए "सीसायुक्त पदार्थ'' से तात्पर्य ऐसे पदार्थ से है. जिसमें कम से कम पाँच प्रतिशत सीमा हो।

''सीसे की प्रक्रिया'' से तात्पर्य–

(क) ढालने तथा यांत्रिक मुद्रयोजन (कास्टिंग एण्ड मेकेनिकल कम्पोजिंग के लिए सीसे या सीसे के किसी पदार्थ के गलाने से है।

(ख) उपयोग में लाए गए सीसेयुक्त पदार्थ से मशीनों के रिचार्जिंग (पुनरू चार्ज करने) से है;

(ग) किसी अन्य कार्य से है, जिसमें मेल्टिंग पाट्स से मैल हटाना प्लंजर्स (यंत्रों से गोता मालन वाले भागों) का साफ करना सम्मिलित हैय और

(घ) सीसेयुक्त पदार्थ का अभिसाधन करने, उसे वहन करने या उसके अन्य उपचार से है ।

''कार्यसाधक वायु निष्कासक' से तात्पर्य गैस, वाष्प, धूल या धुएँ को निकालने के लिए ताप या यांत्रिक साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संवातन से है, जिससे उन्हें किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो, वायु के मिल जाने से रोका जा सके। किसी भी वायु निष्कासक को कार्यसाधक नहीं समझा जाएगा, जो गैस, वाष्प, धुआँ या धूल को उस स्थान से हटा सके, जहाँ वे उत्पन्न होती हों ।

3- ok;| fu"dklu ¼,XtkLV Mk¶V½A& fuEufyf[kr çfØ;kvk e l dkbZ Hkh çfØ;k dk;lk/kd ok;| fu"dklu djd gh dh tk,xh vU;Fkk ugh

(क) सीसेयुक्त पदार्थ या स्लग्ज (कोष्ठक) के गलाने की

(ख) सीसेयुक्त पदार्थ को गरम करने की, जिसमें वह वाष्प जिसमें सीसा अन्तर्विष्ट हो, निकाली जा सके या जब तक कि वह ऐसी रीति में न किया जाए कि किसी स्थान की, जिसमें कि कार्य किया जाता हो, गैस, वाष्प, धुआँ और धूल में आसानी से मिल जाने से उसे रोका जा सके या जब तक कि विद्युत द्वारा गरम किए गए तथा थमोस्टेटिकली कन्ट्रोल्ड मेल्टिंग पाट्स (ताप स्थापकीय नियंत्रित द्रवण पात्र) में न की जाए । ऐसा वायु निष्कासन यांत्रिक साधनों द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार बनाया जाएगा, जिससे निकली हुई धूल, धुआँ, गैस या वाष्प पर उसकी उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य कर सके।

4- fL=;k rFkk ;ok 0;fä;k d lc/k e çfr"k/kA& किसी भी स्त्री या युवा व्यक्ति को सीसे की किसी भी प्रक्रिया में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

5- dfri; çfØ;kvk dk iFkDdj.kA& निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से प्रत्येक को ऐसी रीति में तथा ऐसी स्थितियों के अधीन किया जाएगा, जिससे एक का दूसरे से तथा किसी अन्य पदार्थ से प्रभावी पृथक्करण सुनिश्चित किया जा सके

(क) सीसे का या सीसेयुक्त पदार्थ को गलाने की,

(ख) सीसे की सीलें (लैड इन्गाट्स) ढालने की,

(ग) मेकेनिकल कम्पोजिंग (यांत्रिक मुद्रयोजन) की ।

6- ely j[ku d fy, ik=A& कसकर लगने वाले ढक्कन से युक्त एक उपयुक्त पात्र की व्यवस्था की जाएगी, जो मैल के लिए, जैसे ही कि वह प्रत्येक मेल्टिंग पाट से निकाला जाए,उपयोग में लाया जाएगा ऐसा पात्र, जब कार्य के कमरे में मशीन के निकट हो तो उस दशा के अतिरिक्त जबकि उसमें मैल इकट्ठा किया जा रहा हो, ढंका हुआ रखा जाएगा।

7- dk;l d dej dk Q'kA& çR;d dej dk] ft le lhl dh çfØ;k dh tkrh gk] Q'k

(क) सीमेंट या समान पदार्थ का होगा, जिससे कि वह चिकना हो और जल से अभेद्य रहेय

(ख) अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा;

(ग) जब उस स्थान में कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो, उस समय अच्छी तरह पानी छिड़कने के पश्चात् प्रतिदिन पूर्ण तथा साफ किया जाएगा।

8- Hkkstu dju dk dejk ¼el :e½A& सीसे की प्रक्रिया नियोजित तथा भोजन के लिए अन्तरालों के दौरान में परिसर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त सह भोजन कक्ष की, जो पर्याप्त मेजों तथा बेंचों से सज्जित होगा, व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा।

9- ç{kkyu dh lfo/kk,A& सीसे की प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा (क) प्रक्षालन स्थान, जिसमें या तो– (एक) चिकनी अभेद्य सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फीट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टबल के ऊपर लगी हई टोंटियों या फव्वारों से, जो दो फीट से अधिक अन्तर पर न होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता होय और किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा तथा जिसमें जल का पर्याप्त प्रदाय होगा या सदैव शीघ्रता से उपलब्ध हो सकेगा और (दो) साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री के पर्याप्त प्रदाय सहित उपयुक्त सामग्री से बनी हुई स्वच्छ तौलियों को, जो प्रतिदिन बदली जाएंगी, पर्याप्त प्रदाय होगा ।

10- fpfdRlk lfo/kk,¡ vkj ijh{k.k rFkk tkp dk vfHkys[kA&

(1) हर एक कारखाने, जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य पर निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा ।

(2) सीसे की प्रक्रिया में नियोजित हर एक कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण में खून और मूत्र में सीसे की मात्रा, मूत्र में ए.एल.जे. हीमोग्लोबीन, स्टिपल आफ सेल्स और स्टेडीनेस जाँच निहित होगी । कोई भी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के15 दिन बाद जब तक चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु उसे फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो, काम करने की अनुमति नहीं होगी ।

(3) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित हर एक कर्मकार का एक छह कलेण्डर मास में कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनरू परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण में जहाँ कहीं चिकित्सा अधिकारी ठीक समझे, उप–पैरा (1) में विनिर्दिष्ट जाँच निहित होगी ।

(4) प्रिंटिंग प्रेस तथा टाइप फाउन्ड्री में की जाने वाली सीसे की प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार की चिकित्सा अधिकारी परीक्षण करेगा। वह प्रारूप 28 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(5) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि उक्त प्रक्रियाओं के कर्मकार और नियोजित करने के लिए इस आधार पर फिट नहीं पाया जाता है कि आगे निरन्तर नियोजित रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह अपने निष्कर्षों का उक्त प्रमाण–पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अभिलिखित करेगा। इन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में उक्त व्यक्ति को उस प्रक्रियाओं में नियोजन से निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक स्थान की सुविधा प्रदत्त की जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त तौर पर पुनर्वास किया जाएगा ।

(6) उल्लिखित काम के लिए अनफिट पाए गए व्यक्ति को पुनरू नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा और परीक्षण करने के पश्चात् उन प्रक्रियाओं में नियोजन हेतु उसे पुनरू फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(7) फिटनेस प्रमाण पत्र प्रपत्र 28 और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता हेतु तत्काल उपलब्ध हो सके, ऐसे रखे जाएंगे

11. कार्य के कमरे में खाद्य पेय आदि का प्रतिषेधित होना– कार्य के किसी भी कमरे में, जिसमें सीसे की कोई भी प्रक्रिया की जाती हो, किसी भी कर्मकार द्वारा न तो किसी खाद्य, पेय, पान, सुपारी या तम्बाकू का उपयोग किया जाएगा और न ही उसे लाया जाएगा ।

vuqlwph&11
jklk;fud dk;Z
Hkkx&,d

1- ykxw gksukA& यह अनुसूची रासायनिक कार्यों में किए जाने वाले समस्त विनिर्माण और उससे अनुषंगित प्रक्रियाओं पर लागू होंगी ।

2- ifjHkk"kk,A& इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) *^jklk;fud dk;Z** से तात्पर्य किसी कारखाने या कारखाने के भाग में किए जाने वाले कार्यों से है, जो इस अनुसूची के परिशिष्ट 'क' में सूचीबद्ध किए गए है।

(ख) *Þl{k.k ok;q fu"dkl d** से तात्पर्य गैस, वाष्प, धुओं या धूल को बाहर निकालने के लिए यांत्रिक या अन्य साधनों द्वारा प्रभावी किए गए स्थानीय संवातन से है, जिससे ऐसे किसी स्थान, जिसमें काम किया जा रहा हो, की वायु में उसे मिल जाने से रोका जा सके।

(ग) *^Cyhfpax ikmMj** से तात्पर्य ब्लीचिंग पाउडर से है, जिसे सामान्यत चूने का क्लोराइड कहा जाता है।

(घ) *^DykjsV** से तात्पर्य क्लोरेट या पर–क्लोरेट से है।

(ड़) *ÞdkfLVd** से तात्पर्य पोटेशियम या सोडियम के क्रोमेट या बाइक्रोमेट के विनिर्माण या विनिर्माण के संबंध में इन पदार्थों के अभिसाधन, संचालन या अन्य उपचार से है।

(च) *ÞØkeçfØ;k** से तात्पर्य पोटेशियम या सोडियम के क्रोमेट या बाइक्रोमेट के विनिर्माण या विनिर्माण के संबंध में इन पदार्थों के अभिसाधन, संचालन या अन्य उपचार से है।

(छ) *ÞukbVsV ;k ,ehuk** से तात्पर्य फीनोल तथा बेन्जीन या इनके समरूप पदार्थों के नाइट्रो या एमीनों यौगिको का विनिर्माण और इन पदार्थों में से किसी के भी उपयोग से विस्फोटक पदार्थ बनाने से है।

(ज) पद *^ijfeV V od** प्रणाली से तात्पर्य भाग–दो के पैरा 20 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन से है ''यझद्ध विषैले पदार्थ'' से तात्पर्य उन सभी पदार्थों से है, जो जब वे मानव शरीर में श्वाँस लेने या खा लेने या त्वचा द्वारा सोखने के द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रविष्ट हो जाने से इसके स्वाभाविक रासायनिक या जीव वैज्ञानी प्रभावों से आरक्षित होने के कारण मनुष्य की मृत्यु या उसके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से पीड़ा या उसके स्वास्थ्य में दीर्घ स्थायी हानिकारक प्रभाव कर दें । उन पदार्थों के संबंध में, जिनकी नियम 124–ख में टी.एल.बी. (स्वीकार योग्य स्तर) निर्दिष्ट है, उसमें विनिर्दिष्ट उसकी सान्द्रता से अधिक सान्द्रता होने पर वह विषैला होगा।

(झ) *^vkikr fLFkfr** से तात्पर्य उस स्थिति या दशा से है, जिससे कि मनुष्य के स्वास्थ्य या जीवन को खतरा हो या जिससे बड़ी मात्रा में आग या विस्फोट या कार्यस्थल तथा बाहरी वातावरण प्रदूषित हो जाए और जो कर्मकारों या आसपास के स्थान को गंभीर रूप से प्रभावित कर दे और जिस परिस्थिति या जिन परिस्थितियों में तत्काल कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो।

(ट) *^[krjukd jklk;fud çfrØ;k** से तात्पर्य तेज गति प्रक्रिया जैसे रनअवे रिएक्शन, डिलड रि–एक्श आदि से और जिनके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा का निक्षेप, ज्वलनशील या विषैली गैस या वाष्प का तीव्र निष्कासन, अचानक दाब का बनना आदि होता है

(ठ) *^eqhiqy'ku ¼vfHklk/ku½** से तात्पर्य कुशलतापूर्वक मिश्रित करना, मिलाना, भरना, खाली करना, पिसाई करना, छानना, सुखाना, पैक करना, झाड़ू या सफाई करना, काम करना, उपयोग करना आदि से है

(ड) *Þvuqekfnr 0;fäxr lqj{kk midj.k** से तात्पर्य उन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों से है, जो संबंधित भारतीय मानक संस्थान के मानदण्डों के अनुरूप हो या उसके अभाव में मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित किए गए होंय ''उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण'' से तात्पर्य वह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो कर्मकार द्वारा उपयोग किए जाने पर उसके जीवन या स्वास्थ्य या शरीर को कोई जोखिम न हो।

(ण) *Þlhfer lk/ku ¼dUQkbUM Lisl½** से तात्पर्य कोई स्थान जो अपनी संरचना के कारण, साथ ही साथ उसमें किए जा रहे कार्य की प्रकृति के संबंध में उसमें प्रविष्ट होने या वहाँ काम करने वाले व्यक्ति के लिए जोखिम विद्यमान हो काम या काम के दौरान जोखिम उत्पन्न होने की संभावना हो।

Hkkx&nk

lkekU; vi{kk,¡ ifjf'k"V ^d* e¡ of.kr lHkh l¡dek dk ykx gkxk

1- xg 0;oLFkkA&

(1) कोई पदार्थ फैल जाने पर और आगे प्रक्रिया से पहले उसे साफ किया जाएगा।

(2) फर्श, चूबतरे, साढ़ियाँ, मार्ग, गलियारे किसी प्रकार की बाधाओं से रहित रखे जाएंगे ।

(3) संयंत्र के सभी भागों की सफाई तथा कार्य की सुलभता हेतु उसके सभी भागों तक पहुँचने के लिए सुगम साधन प्रदत्त होंगे ।

2- jlk;uk dk vuqfpr mi;kxA& कर्मकारों द्वारा किन्हीं भी रसायनों या विलायकों का या किन्हीं खाली कन्टेनरों का, जिनमें से रसायन या विलायक रहा हो, उन प्रक्रियाओं को छोड़कर, जिनके लिए उनको प्रदाय किया गया है, किन्हीं अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा ।

3- [kk| lkexzh d mi;kx dk çfrf'k) vkfnA& किसी भी खाद्य, पेय, तंबाकू, पान या खाने योग्य वस्तु का संयंत्र या उपकरण के किसी भी भाग पर या उसके समीप में न तो संग्रह किया जाएगा न उसे गर्म किया जाएगा और न ही उसका उपयोग किया जाएगा ।

4- lko/kkuh lpuk,¡ ;k vuqn'kA&

(1) बहुसंख्यक कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में सावधानी की सूचनाएँ सभी खतरनाक क्षेत्रों में कर्मकारों का ध्यान स्वास्थ्य के खतरों, अग्नि और वि के खतरे के अन्तवलित करते हुए और अन्य किसी खतरे जैसे कि प्रक्रिया में उपयोग में लाए जा रहे पदार्थ या सामग्री के जाँच करने के परिणामस्वरूप या किसी दूषित बर्तन को खाने या पीने के उपयोग में लेने के बारे में आकर्षित करने के लिए प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी,

जिससे कि उनकी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुनिश्चित किए जाने के लिए कर्मकार का ध्यान उनकी ओर खींचा जा सके ।

(2) उपरोक्त सावधानी सूचनाओं के अलावा कर्मकारों को, जिनमें बिना पढ़े–लिखे लोग भी शामिल हैं, प्रक्रिया के खतरों के बारे में विशेष तौर पर जिनसे कि वे काम के समय सामान्यत आरक्षित है, शिक्षित तथा अनुदेशित किए जाने की व्यवस्था की जाएगी । ऐसी शिक्षा तथा अनुदेशों में अनाधिकृत और असुरक्षित कार्यों सामान्य तथा असामान्य स्थितियों में प्रयुक्त पदार्थों के गुणों और हर एक खतरे के बारे में बरती जाने वाली पूर्वावधानियाँ भी सम्मिलित होंगी । कर्मकारों के नियोजन के एक मास के भीतर और पुराने कर्मकारों से इस नियम के क्रियान्वयन में आने के एक मास के भीतर एक वचन पत्र लिया जाएगा कि उन्होंने सावधानी सूचनाएँ और अनुदेशों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और वे उसका पालन करेंगे । सभी कर्मकारों के तथा सभी पर्यवेक्षक कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा अनुदेशों से विभिन्न प्रकार के साधनों (बर्तनों) और पाइप लाइनों पर लगाए गए लेबलों या किए गए रंगों और चिन्हों का आशय या विशिष्टता जानना भी सम्मिलित होगा ।

5- çfØ;k çkjEHk dju e igy vfHkj{kk dk eY;kdu vkj mldh 0;oLFkkA&

(1) किसी प्रक्रिया या प्रायोगिक कार्य या परिशिष्ट–क के अधीन वर्णित किसी नए विनिर्माण को प्रारम्भ करने से पूर्व अधिभोगी वास्तविक चालान में निहित खतरे और रासायनिक प्रतिक्रियाओं तथा खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में निहित खतरों, दोनों को पूरी तरह जानने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा, उपयोग किए जा रहे कच्चे माल अंतिम उत्पादन जो बनाया जाना है और विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले कोई उप–उत्पादन के गुणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले कोई उप–उत्पादन के गुणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने केन्हीं खतरों तथा उसके कर्मकारों पर प्रभावों का सामना करने के लिए व्यवस्था की जाएगी ।

(2) रूपांकन स्थिति से निराकरण स्थिति तक प्रक्रिया के विवरण उसके खतरे तथा उपरोक्त उप पैरा (1) में वर्णित अनुसार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों की लिखित में विस्तृत जानकारी मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता– सह–सुविधाप्रदाता को और राज्य सरकार के इण्डस्ट्रियल हायजिनिक लेबोरेटरी को जल्दी से जल्दी परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित किसी वस्तु के विनिर्माप उसको काम में लाने या उसक भण्डारण करने में किसी भी दशा में 15 दिन पूर्व लिखित में सूचना दी जाएगी । चाहे वह प्रयोगात्मक आधार पर या पायलट प्लांट या ट्रायल उत्पादन या बड़े पैमाने पर विनिर्माण हो।

(3) इस प्रकार मूल्यांकन किए गए स्वास्थ्य व सुरक्षा के प्रति सभी खतरे, सभी स्तरों यथा भवनों, संयंत्र तथा सुविधाओं के रूपांकन , संरचना, चालन, अनुरक्षण और निवर्तन के समय उनसे अभिरक्षा हेतु ध्यान में रखे जाएंगे ।

(4) उप–पैरा (1) से (3) के अधीन कीगई अपेक्षाएँ कार्य को शासित करने वाले अन्य किसी अधिनियम के अधीन उपबंधों के स्थान पर या उनके अल्पीकारक नहीं होंगे ।

6- vf/k—r ço'kA& कारखाने या संयंत्र के किसी भाग में जहाँ किसी प्रकार की खतरनाक संक्रिया या प्रक्रिया चलाई जा रही हो या जहाँ खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाएँ हो रही हों, जहाँ खतरनाक रसायनों का भण्डारण हो, वहाँ केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी ।

7- midj.kk rFkk lj{kk ;fä;k dk ijh{k.kA&

(1) प्रक्रिया में उपयोग में लाए जा रहे उपकरण तथा सुरक्षा युक्तियों की उनके उपयोग में लेने के पहले तथा उसमें की गई किसी मरम्मत के बाद मास में एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा जाँच की जाएगी । ऐसी जाँच तथा परीक्षणों के अभिलेख एक रजिस्टर में रखे जाएंगे ।

(2) प्रक्रिया में उपयोग में लिए जा रहे उपकरणों तथा सुरक्षा युक्तियों को प्रतिदिन या बहुधा, जैसा भी जरूरी हो, उपयोग किया जाएगा, ताकि हर सक्षम तथा प्रभावी रूप से उनका पालन सुनिश्चित हो ।

8- fo|r LFkkiuk,A& परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित प्रक्रियाओं में उपयोग में लाई गई सभी विद्युत स्थापनाएँ उस क्षेत्र में मौजूद खतरों जैसे धूल, नमी, क्षरण, ज्वलनशीलता और विस्फोटकता आदि से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रकार की होगी और जो उस क्षेत्र में उपयोग तथा संरचना को शासित करने वाले भारतीय मानदण्डों के विनिर्देशों के अनुरूप होंगे ।

9- jlk;uk dk dk;l vkj mudk HkMkj.kA&

(1) रसायनों के कार्य और भंडारण के कन्टेनर, उसमें निहित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त शक्तिशाली होंगे, कन्टेनरों तथा उसमें भरे पदार्थों की पहचान हेतु उन पर उपयुक्त लेबल तथा रंगों के चिन्ह भी लगाए जाएंगे, जिनमें उनके निहित खतरों और उनके सुरक्षित कार्य की विधि अंकित होगी और जो संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप होंगे । लेबल पर दिए गए निर्देशों को सख्ती से पालन किया जाएगा । टूटे कन्टेनरों का कार्य केवल जिम्मेदार तथा ज्ञानवान व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किया जाएगा और फैले हुए पदार्थों को उपयुक्त साधनों को प्रयुक्त कर सुरक्षित तरीके से हानि रहित किया जाएगा ।

(2) रिएक्शनवेलस और कन्टेनरों में रसायनों को चार्ज करने की व्यवस्था को सम्मिलित करते हए रसायनों के भण्डारण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि आग या विस्फोट या पदार्थों की जहरीली सान्द्रता नियम 124—ख में विनिर्दिष्ट सीमाओं से ऊपर एकत्र होना निवारित किया जा सके ।

(3) उपरोक्त उप—पैरा (2) की सामान्य अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपयुक्त संवातन सुविधाएँ होंगी और पात्र तथा कन्टेनरों में सुरक्षित स्तर अनुरक्षण की व्यवस्था होगी । ऐसी व्यवस्था में फर्श के प्रकार, उसकी क्षमता तथा पास में भंडारित अन्य रसायनों के मध्य अपेक्षित अनुकूलताओं का भी ध्यान रखा जाएगा ।

(4) (क) रसायनों और अन्तस्थ उत्पादों, जो अत्यन्त अस्थिर या प्रतिक्रियाशील या विस्फोटक हो, उनका भण्डारण केवल दो मास के उपयोग हेतु अपेक्षित सीमित मात्रा में ही किया जाएगा ।

(ख) जब कभी खण्ड (क) द्वारा निर्धारित सीमा से वृद्धि की जानी हो तो उसके लिए मुख्य निरीक्षक—सह—सुविधाप्रदाता —सह—सुविधाप्रदाता से अनुमति लेनी होगी।

(ग) उपरोक्त खंड (क) और (ख) में किसी बात के होते हुए भी मुख्य कारखाना निरीक्षक—सह—सुविधाप्रदाता— सह—सुविधाप्रदाता परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित प्रक्रियाओं को करने वाले कारखानों की सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक पदार्थों की दो मास के उपयोग हेतु अपेक्षित मात्रा से कम भण्डारण का निर्देश दे सकेगा ।

(5) बड़े से बड़े कन्टेनर की क्षमता के बराबर एक अतिरिक्त कन्टेनर की व्यवस्था हर समय उपलब्ध होगी, ताकि यदि किसी कन्टेनर में कोई दोष आ जाने के परिणामस्वरूप विषैले पदार्थ की रिसन हो जाए तो अतिरिक्त कन्टेनर में शीघ्रता से स्थानान्तरित किया जा सके।

(6) अधात पदार्थों जैसे कि फायबर, ग्लास, रिइन्फोर्ल्ड प्लास्टिक कांच के बर्तन आदि का उपयोग करके संनिर्मित भण्डारण सुविधाएँ अन्तर्वस्तुओं से उत्पन्न प्रत्यावल, यदि कोई हो तो सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होगी और वह भली प्रकार के जुड़ी या स्थिर की हुई होंगी । ऐसे भण्डारण सुविधा के लिए उपयोग में लाए जा रहे काम के चबूतरे, पहँच सीढ़ियाँ, पाइप लाइनें, आदि भण्डारण सुविधा की संरचना के सहारे न टिकी न जुड़ी होकर स्वतंत्र सहारे से लगाई जाएंगी ।

10- iFkdhdj.k dh lfo/kk,A& संयंत्र और उपकरण इस प्रकार सन्निर्मित तथा अनुरक्षित किए जाएंगे कि जिसे संयंत्र या संयंत्र का भाग या उपकरण उपयुक्त आदेश के साथ शीघ्रता से पृथक् किए जा सकें । सिक्योरिटी कार्मिक, मेन्टेनेन्स तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्मिकों के पास हर समय पृथकीकरण सुविधा दर्शाने वाले ले—आउट प्लान की एक—एक प्रति उपलब्ध रहेगी और मास में एक बार उन सुविधाओं के प्रभावी होने बाबत् जाँच की जाएगी।

11- 0;fäxr lj{kk midj.kA&

(1) इन अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाओं में निहित खतरों से आरक्षित सभी कर्मकारों को उपयुक्त तथा अनुमोदित किस्म के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रदाय किया जाएगा । ऐसे उपकरण जारी करने से पहले पूरी तरह साफ, कीटाणु रहित तथा स्वास्थ्यकारी दशा में होंगे।

(2) अधिभोगी सभी कर्मकारों को काम करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के बारे में अवगत, शिक्षित करेंगे तथा उसके बारे में निगरानी की व्यवस्था करेंगे ।

(3) किसी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण समुचित होने के बारे में किसी संदेह के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता का निर्णय अंतिम होगा ।

12- prkouh ç.kkyhA&

(1) ध्वनि और दृश्य संकेत उपयुक्त तथा प्रभावी चेतावनी प्रणाली, नियंत्रण कक्ष साथ ही साथ नाजुक स्थलों पर जहाँ पर नियन्त्रण व्यवस्था उपलब्ध है, स्थापित होगी, जिससे कि चालन–मानक (पैरामीटर) निर्धारित सुरक्षित स्तर के आगे बढ़ने या आग या विस्फोट स्थिति की ओर अग्रसर होने के पहले ही सुधार या सही करने की कार्यवाही की जा सके । ऐसी चेतावनी प्रणाली की हर रोज जाँच होगी और हरेक मास में उसकी निरन्तर कार्य दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उसकी कम से कम एक बार जाँच की जाएगी ।

(2) मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता ऐसे संयंत्रों या प्रक्रियाओं में, जहाँ विषैले पदार्थ का उपयोग किया जाता हो और उनके फैलने या रिसने से वहाँ या संयंत्र के आसपास बड़े पैमाने पर विषैलापन फैल सकता हो । उस दशा में ऐसी चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दे सकेगा ।

13- dk;l d okrkoj.k e inkFkk d fu"dklu ij fu;=.kA&

(1) उन सभी संयंत्रों, कन्टेनरों, बर्तनों, सीवर लाइनों, नालियों, धूम्रमार्ग, वाहिनी, पुलियों और दबी हुई पाइप लाइनों और उपकरणों से सामान्य कार्यदशा और दुर्घटना या आपात अवसरों पर अ पदार्थों के लिए, जिनसे आग या विस्फोट या विषैलापन का खतरा होने की सम्भावना हो, प्रभावी व्यवस्था, जैसे कि आवरण या उपमार्ग (बायपास) या सक्षम वायु निष्कासक, ऋणात्मक दाब या संधारण आदि की जाएगी ।

(2) नियंत्रण व्यवस्था के असफल होने के परिणामस्वरूप कार्य के वातावरण में पदार्थों के निष्कासित होने के अवसर पर प्रक्रिया का नियंत्रण ऐसी रीति से करने की कार्यवाही की जाएगी, जिससे कि और आगे निष्कासन को सुरक्षित स्तर पर ले जाया जाएगा ।

(3) उप–पैरा (2) में अपेक्षित कदम उठाने से पहले कार्य के वातावरण में निष्कासित हो गए पदार्थ को हवा या पानी के या किसी अन्य उपयुक्त क्रियाकारक से तनु करके या पदार्थ के उपयुक्त उपचार द्वारा हानि रहित किया जाएगा ।

14- [krjukd jklk;fud çfØ;kvk dk fu;=.kA& खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रभावों के नियंत्रण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी । जैसे स्वचालित तथा दूर संवेदी नियंत्रण व्यवस्था । सामान्य नियन्त्रण व्यवस्था असफल होने पर यह प्रचालित हो जाएगी ।

15- l;= vkj midj.kk dh tkp] ijh{k.k vkj ejEerA&

(1) प्रक्रिया में प्रयुक्त सभी संयंत्रों के भाग, उपकरण और मशीनों की जिनके असफल होने पर किसी आपात अवस्था उत्पन्न होने की सम्भावना हो, सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पहले, जाँच और दो वर्ष के अन्तराल से या उसके मरम्मत किए जाने के बाद पुनरू जाँच की जाएगी । सक्षम व्यक्ति द्वारा संयंत्र के भागों उपकरणों और मशीनों की, जिनकी उपरोक्तानुसार जाँच की जाती है, पहचान की जाएगी और उपयुक्त जाँच विधि विकसित की जाएगी। दाब पात्र या प्रतिक्रिया भारक पात्रों के संबंध में ऊपर वर्णित जांच करने में निम्नांकित पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी, अर्थात

(क) जाँच प्रारम्भ करने के पहले हरेक पात्र को बाहर से और जहाँ तक व्यवहार्य हो, वहाँ भीतर से भी सतह पर दिखाई देने वाले दोष, जंग और चिपके हुए अन्य पदार्थों को पूरी तरह साफ रिया जाएगा तथा जाँच की जाएगी । सफाई प्रक्रिया के और मैले, यदि कोई हो, की सफाई के दौरान यदि ऐसा मैल पायरोफेरिक (अग्निजनक) प्रकृति का हो यादजिसमें स्वतरू ज्वलनशील रसायन हो, वहाँ अग्नि या विस्फोट के विरुद्ध सभी आवश्यक पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी ।

(ख) जैसे ही जाँच पूरी हो, पात्र को भीतर से पूरी तौर पर सूखा किया जाएगा और जाँचकर्ता जिसके द्वारा जांच की गई है तथा जाँच का दिनांक उपदर्शित करने वाले चिन्ह एवं अंक की स्पष्ट मुद्रा लगाई जाएगी, और (ग) कोई पात्र, जो जाँच में असफल हो गया हो या अन्य किसी कारण से उपयोग हेतू असुरक्षित पाया गया हो, उसे या तो नष्ट कर दिया

जाएगा या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को सूचना देकर उसे अनुपयोगी कर दिया जाएगा ।

(2) संयंत्र उपकरण मशीनों के सभी भागों, जिनके असफल हो जाने पर आपात स्थिति उत्पन्न हो जाने की संभावना होती हो, सक्षम व्यक्ति द्वारा मास में एक बार परीक्षण किया जाएगा ।

(3) उप–पैरा (1) और (2) में निर्दिष्ट जाँच तथा परीक्षण के अभिलेख तब तक रखे जाएंगे, जब तक उक्त संयंत्र, उपकरण और मशीन का भाग उपयोग में है ।

(4) किसी संयंत्र. उपकरण और मशीन में किए गए सभी मरम्मत कार्य. जिसमें परिवर्तन उपान्तरण संयोजन आता है, किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएंगे और जो कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने की विधि उपयोग में लाएगा । जब पाइप लाइनों और जोड़ों की मरम्मत या उपान्तरण किया जाना हो और जोड़ों का वेल्डिंग अपेक्षित हो, तब जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उल्लिखित कार्य का नियमन "कार्य परमिट' प्रणाली से किया जाएगा ।

16- LVft xA&

(1) अनुरक्षण कार्य य. मरम्मत कार्य या समित स्थान में प्रवेश से संबंधित कार्य के लिए और परिशिष्ट "क" में उल्लिखित प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए खड़े सभी मंच, स्थिर, कठोर और पर्याप्त मजबूती के सशक्त पदार्थों से सन्निर्मित होंगे । ऐसे मंच संबंधित भारतीय मानक के मानदण्डों के अनुरूप होंगे ।

(2) किसी बन्द या खुले पात्र के ऊपर, जब तक कि पात्र की बनावट ऐसी न हो और मंच पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के आरक्षित होने के विरुद्ध संचालित न हो, तब तक वहाँ मंच नहीं बनाया जाएगा।

(3) इस पैरा के प्रयोजन के लिए सन्निर्मित सभी मंचों पर उपयुक्त पहुँच होगी, जो कि सुरक्षित होगी और उसमें एक मीटर ऊंचाई की उपयुक्त हेन्डरेल और टी–बोर्ड लगे होंगे ।

17- cBu dh 0;oLFkkA& परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित प्रक्रियाओं में काम करने वाले ''चालकों' के लिए बैठने की व्यवस्था सुरक्षित प्रकार से स्थित होगी, जिससे कि विनिर्माण या मरम्मत या अनुरक्षण के दौरान कार्य के वातावरण में या तो संयंत्र और उपकरण से असफल होने या उन पदार्थों के, जो दाबयुक्त हैं, वातावरण में निष्कासित होने से उत्सर्जित जहरीले, ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ से आरक्षित होने से खतरे को रोका जा सके ।

18- lhfer LFkkuk e ços'k ;k dk;A&

(1) प्रत्येक कारखाने के, जिस पर इस अनुसूची के प्रावधान में उल्लिखित अधिभोगी किसी व्यक्ति को सीमित स्थानों में प्रवेश या कार्य की अनुमति देने के पूर्व निम्नांकित पूर्वावधानियों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा–

(क) सभी सीमित स्थानों और ऐसे स्थानों में सामान्यतरू या असामान्यतरू सामने आने वाले खतरों की प्रकृति की पहचान और उस सीमित स्थानों में प्रवेश करने या काम करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त अभिरक्षकों को विकसित करना ;

(ख) "कार्य परमिट प्रणाली' द्वारा सीमित स्थानों में प्रवेश या वहाँ कार्य का विनियमन करना, जिसमें ऊपर उपखण्ड (क) के अधीन विकसित अभिरक्षक भी आते हैं ;

(ग) प्रवेश या काम करने के लिए उन सीमित स्थानों की जाँच से पहले उस स्थान की धुलाई या निष्क्रिय करने वाले अभिकर्ता से सफाई या वाष्प या अक्रिय गैस से शुद्धिकरण द्वारा और दाब युक्त संवाहन व्यवस्था या ऐसे अन्य उपायों से सीमित स्थान को सुरक्षित बनाएगा ;

(घ) सक्षम व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन हेतु किए जाने वाली ऐसी जाँच, जो आवश्यक हो, की व्यवस्था करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सीमित स्थान प्रवेश या काम करने के लिए सुरक्षित है । ऐसी जाँच कार्य के दौरान सुरक्षा की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए बहधा, जैसे भी आवश्यक हो, की जाएगी ।

(ङ) सीमित स्थान में कार्य करने के लिए अपेक्षित कार्मिकों को उक्त कार्य में अन्तर्निहित खतरों के बारे में शिक्षित एवं प्रशिक्षित किए जाने की व्यवस्था करेगा । उक्त कार्य के सारे समय एक जिम्मेदार और योग्य व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण की व्यवस्था करेगा और उपयुक्त और अनुमोदित प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसमें बचाव, पुनरुज्जीवन प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अन्तर्निहित हो, तैयार रखेगा ।

(2) प्रबंधक सीमित स्थान में प्रवेश और काम करने की सभी जानकारियों को एक कार्य रजिस्टर (लॉग) में प्रविष्ट करेगा और ऐसे अभिलेख में उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्हें काम सुपुर्द किया हो, कार्य का स्थान और ऐसे अन्य विवरण होंगे, जो काम जिन व्यक्तियों को सुपुर्द किया गया हो, उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित है, ऐसे कार्य रजिस्टर इस प्रकार रखे जाएंगे और उतने

समय तक रखे जाएंगे, जब तक कि संबंधित व्यक्ति सेवा में रहे और उन्हें निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता– सह–सुविधाप्रदाता द्वारा माँग की जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

19- vuj{k.k dk;l vkfnA&

(1) संयंत्र तथा उपकरण के अनुरक्षण से संबंधित सभी कार्य, जिसमें इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाओं में उपयोग में लाए खतरनाक पदार्थों के रिक्त कन्टेनरों का साफ किया जाना आता है, कार्य परमिट प्रणाली के अधीन प्रशिक्षित कार्मिक नियोजित करके और ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति के, जिसे खतरों तथा उनसे निपटने में अपेक्षित पूर्वावधानियों का ज्ञान हो, पर्यवेक्षण में किया जाएगा ।

(2) अनुरक्षण का कार्य ऐसी रीति में किया जाएगा कि जिससे समीप काम करने वाले व्यक्तियों को या उन व्यक्तियों को जो वहाँ से गुजरते हों, कोई खतरा न हो, यदि आवश्यक हो ऐसे कार्य के स्थल को घेराबन्द कर दिया जाएगा या असंबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति को भावी रूप से नियंत्रित किया जाएगा।

20- dk;l ijfeV ç.kkyhA& कार्य परमिट प्रणाली और उसकी जैसी ही व्यवस्था में कार्य परमिट प्रणाली के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों को करते समय निम्नलिखित पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी

(क) कार्य परमिट प्रणाली के तहत किए जाने वाले सभी कार्य ज्ञाता और जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएंगे

(ख) संयंत्र या मशीनों या उपकरणों के सभी भाग, जिन पर "कार्य परमिट प्रणाली'' लागू होती हो, कार्य परमिट की सारी कालावधि के दौरान अन्य भागों से पृथक् रहेंगे और कार्य करने के स्थान, जिसमें संयंत्र व मशीनों के भाग सम्मिलित हैं, की सफाई, शुद्धिकरण, धुलाई आदि से सुरक्षित बनाया जाएगा;

(ग)" कार्य परमिट प्रणाली' के तहत सभी कार्यों की पूर्व निर्धारित कार्य प्रक्रिया होगी, जिसमें कार्य पर सुरक्षा भी संबद्ध होगी, ऐसी प्रक्रियाओं का, जब कभी पदार्थों या उपकरणों में – बदलाव हो, जब पुनरावलोकन किया जाएगा, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके;

(घ) व्यक्ति जिन्हें "कार्य परमिट प्रणाली' क्रियान्वयन कार्य सौंपा गया है, सीमित स्थान में प्रवेश करने से पूर्व सभी प्रकार से कार्य की प्रति और मानकों को ध्यान में रखते हए शारीरिक रूप से फिट होंगे। ऐसे व्यक्तियों को सही कार्य विधि तथा साथ में कार्य परमिट प्रणाली क्रियान्वयन करते हुए बरती जाने वाली पूर्वावधानियों के बारे में उपयुक्त तौर पर अवगत करा दिया जाएगा;

(ड़) "कार्य परमिट प्रणाली' का कार्य करते हुए कार्य स्थल के समीप आपातकाल में उपयोग के लिए, जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा जाए, पर्याप्त बचाव और पुनरुज्जीवन तथा प्राथमिक उपचार व्यवस्थाएँ अच्छी चालू हालत में प्रदत्त होगी;

(च) "कार्य परमिट प्रणाली'' का कार्य करते हुए उपयुक्त और अनुमोदित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाएगा:

(छ) ''कार्य परमिट प्रणाली'' के अधीन कार्य पूरा होने पर जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा सभी उपकरण औजार वहाँ से हटा दिए जाएंगे और पूर्ववत् दशा लाई जाएगी, जिससे कि नियमित प्रक्रिया चलाने में किसी खतरे को रोका जा सकें।

21- l¶Vh lEifyx dkfeZdA& सेम्पल एकत्र करने का कार्य, जिन्हें सौपा गया है, उन व्यक्तियों को अधिभोगी द्वारा सुरक्षित विधि के बारे में अनुदेश दिए जाएंगे । ऐसे कार्मिकों को यदि अपेक्षित हो, उपयुक्त और अनुमोदित प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदत्त होंगे।

*22- lokruA&*प्रक्रिया स्थल में जहाँ विषैले या ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ अन्तर्वलित हो सकते हैं, हर समय पर्याप्त संवातन व्यवस्था होगी और उसका अनुरक्षण किया जाएगा । ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि कार्य के वातावरण में या तो हानिकर या विस्फोट में परिणित हो, ऐसी सान्द्रता न बनने पाए।

23- vkikr fLFkfr dk lkeuk dju dh çfØ;kA&

(1) परिशिष्ट ''क'' में उल्लिखित कार्य करने वाले हरेक कारखाने का अधिभोगी उक्त कार्य की प्रक्रिया के दौरान या मरम्मत या अनुरक्षण कार्य करते समय उत्पन्न हो सकने वाली सभी आपात स्थितियों की पहचान करेगा। इस प्रकार पहचानी गई आपात स्थितियों का प्रतिवर्ष पुनरावलोकन किया जाएगा।

(2) ऐसी पहचानी गई सभी आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए अधिभोगी विस्तृत कार्य योजना बनाएगा, जिससे बचाव तथा अग्निशमन और चिकित्सीय सुविधा की तत्काल उपलब्धि हेतु बाहरी सहायता सम्मिलित होगी।

(3) अधिभोगी सभी आपातकालीन स्थितियों की सूची तथा उनका सामना करने के लिए बनाई गई कार्य याजोना की विस्तृत जानकारी मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को देगा।

(4) अधिभोगी संयंत्र में सभी व्यक्तियों, साथ ही यदि आवश्यक हो तो बाहरी पड़ौसी रहवासियों को सावधान करने के लिए विशिष्ट और पहचानी जा सकने वाली चेतावनी देने की व्यवस्था स्थापित करेगा, ताकि व्यक्तियों द्वारा उस स्थान को खाली करने और आपातकालीन विधि का पालन करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कार्यवाही की जा सके। सभी संबंधितों को चेतावनी व्यवस्था और उस आशय की पूरी जानकारी होनी चाहिए । उस व्यवस्था की दक्षता की प्रत्येक मास में जाँच की जाएगी।

(5) वैकल्पिक विद्युत प्रदाय व्यवस्था रखी जाएगी और जो सामान्य विद्युत प्रदाय प्रणाली से इन्टरलाक होगी, जिससे इस अनुसूची के इस भाग के पैरा 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22 तथा भाग2, भाग 3, भाग–4 और भाग–5 की अपेक्षाओं के अनुपालनार्थ उपकरणों तथा सुविधाओं को निरन्तर विद्युत प्रदाय बना रहे।

(6) जहाँ आपातकालीन स्थिति स्थापित हो, वहाँ अधिभोगी आगे प्रक्रिया काम को निलंबित करने की व्यवस्था करेगा और केवल उन लोगों को, जिन्हें आपातकालीन कार्य सौंपे हों, छोड़कर शेष सभी व्यक्ति से वह स्थान खाली कराएगा।

(7) कारखाने के सभी नियोजितों को आपातकाल के दौरान वह स्थान खाली करने की विधि को सम्मिलित करते हुए उन्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

(8) सभी आपातकालीन प्रक्रियाओं का प्रत्येक तिमाही में पूर्वाभ्यास किया जाएगा और उसके उद्देश्य प्राप्ति में, यदि कोई त्रुटियाँ पाई जाएं तो उन्हें उपयुक्त तौर पर सुधारा जाएगा ।

(9) अधिभोगी 10 प्रतिशत कर्मकारों को प्राथमिक उपचार तथा अग्निशमन उपकरणों के उपयोग और विशिष्ट प्रक्रिया के विशेष खतरों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्राथमिक उपचारों के करने के बारे में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करेगा।

(10) अधिभोगी आरक्षित व्यक्तियों के प्राथमिक या आपातकालीन अवस्था में उपयुक्त उपचार हेतु चिकित्सा कर रहे चिकित्सक को जब आवश्यक हो और उसके द्वारा मांग की जाने पर खतरनाक पदार्थ की विशिष्ट रासायनिक पहचान तत्काल देगा।

24- cfg:L=ko }kjk mRiUu [krjkA&

(1) विभिन्न प्रक्रियाओं और संक्रियाओं के बहिरूस्त्रावों को, जो खतरनाक या विषैली गैस उत्सर्जित कर सकते हों, मिश्रित न होने देने के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी।

(2) बहिरूस्त्राव, जिसमें विषैली गैस मिली हुई हो या जो दूसरे बहिरूस्त्राव की उपस्थिति में विषैली गैसों को निक्षेप करने के लिए यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे अलग से एकत्र कर उसे सुरक्षित बनाया जा सकेगा, एक स्वतन्त्र नाली प्रणाली की व्यवस्था होगी।

Hkkx&3

vkx vkj foLQkV dh tkf[ke

1- Toyu d L=kr] fo|r vf/k"Bkiuk dk lfEefyr djr g,A&

(1) कोई भी इन्टर्नल कम्बश्चन इंजन तथा कोई भी विद्युत मोटर या अन्य विद्युत उपकरण और फिटिंग तथा फिक्सर, जिनसे चिंगारियाँ पैदा होती हैं या दाह उत्पन्न होता हो या कोई अन्य ज्वलन स्त्रोत को या कोई अनावृत प्रकाश को उस प्रक्रिया क्षेत्र में जहाँ वे आग और विस्फोट का खतरा पैदा कर सके, अधिष्ठापित नहीं किया जाएगा और न उसे उपयोग करने की अनुमति होगी।

(2) समस्त ऊष्ण निष्कासक पाइप भवन के बाहर अधिष्ठापित किए जाएंगे और अन्य ऊष्ण पाइपों या ऊष्ण सतह या सतहों, जिनके ऊष्ण होने की सम्भावना हो, उन्हें उपयुक्त रूप से रक्षित किया जाएगा ।

(3) खतरे के सामर्थ्य और विद्युत उपकरणों के या अन्य उपकरण के जो ज्वलन पैदा कर सके, उनके चयन की दृष्टि से कार्य के क्षेत्र का वर्गीकरण संबंधित भारतीय मानक के अनुसार होगा।

(4) जहाँ ज्वलनशील वातावरण उपस्थित हो या पैदा हो सकता हो, वहाँ कर्मकारों के जूतों के सोल में कोई धात नहीं होगी और टक या कन्वेयर के पहिए संवाहक किस्म के होंगे ।

(5) इस क्षेत्र में कार्य के उपयोग में लिए जाने वाले औजार, चिंगारी पैदा न हो सके, इस प्रकार से होंगे।

(6) जहाँ आग और विस्फोट का जोखिम हो, उन प्रक्रिया क्षेत्रों में धूम्रपान प्रतिषिद्ध होगा और कर्मकारों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में चेतावनी सूचनाएँ कारखाने में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो में 'धूम्रपान प्रतिषिद्ध'' करते हुए चिपकाई जाएंगी।

2- fLFkj fo|rA&

(1) समस्त मशीनरी तथा संयंत्र, विशेष तौर पर पाइप लाइनें और बेल्ट ड्राइव्स (पट्टा चालन) जिन पर कि स्थिर विद्युत के संचित हो जाने की सम्भावना हो, उन्हें प्रभावी रूप से भूयोजित किया जाएगा । स्थिर विद्युत से चिंगारी रोकने के लिए ज्वलनशील द्रवों के लिए पात्रों में भूयोजित प्रदाय टंकियों से धात्विक संयोजन होगा, ताकि जहाँ आवश्यक हो, आर्द्रता नियंत्रित की जाएगी।

(2) भरे जाने और खाली किए जाने के दौरान चल टंकी वैगन भूयोजित किए जाएंगे तथा ऐसे भरे जाने या खाली किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए भूयोजन प्रभावी है, पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी।

क्मका

3- rfMr l j{kkA& जहाँ आवश्यक हो, वहाँ तड़ित सुरक्षा उपकरण फिट किए जाएंगे और उनका अनुरक्षण किया जाएगा ।

4- çkl l ghfVx ¼çfØ;k rkiu½A& किसी प्रक्रिया में, जिसमें आग या विस्फोट होने की सम्भावना हो, ताप–तापन की विधि जितना संभव हो सुरक्षित होगी और जहाँ खुली ज्वाला का उपयोग आवश्यक हो, वहाँ संयंत्र का सन्निर्माण इस प्रकार से किया जाएगा कि निकलकर बाहर आने वाली कोई भी ज्वलनशील गैस, वाष्प या धूल को ज्वाला या निष्कासित गैसों या अन्य स्त्रोतों, जिनसे ज्वलन होने की सम्भावना हो, को सम्पर्क में आने से रोके। जहाँ संभव हो वहाँ तापन व्यवस्था खतरे के तापमान से नीचे एक पूर्वानुमति तापक्रम पर अपने आप नियंत्रित रहे।

5- Toyu'khy æok dh fjluA&

(1) ज्वलनशील द्रवों युक्त भण्डारण पात्रों से सम्भावित रिसाव को सीमित करने के लिए बन्डवाल, डाइक, सम्प आदि साधनों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में रहे बेकार पदार्थों का भली प्रकार निवर्तन ज्ञाता तथा जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किया जाएगा ।

(3) ऐसे पात्रों के सामीप्य में समुचित और उपयुक्त आग बुझाने वाले साधन अधिष्ठापित किए जाएंगे।

6- l¶Vh okYoA& हरेक आसवन पात्र और हरेक बंद पात्र, जिसमें गैस उत्सर्जित हो या जिसमें से गैस गुजारी जाती हो और जिसमें वायुमण्डलीय दाब से ऊपर दबाव बढ़ने की संभावना है, वहाँ उसके साथ एक दाबमापी और एक उपयुक्त सेफ्टी वाल्व या अन्य प्रभावशाली समरूप दाबमुक्त करने की व्यवस्था होगी। ऐसे उपकरण अच्छी दशा में अनुरक्षित रखे जाएंगे।

*7- ykbi ykbuk dk vf/k"Bkiu vkfnA&*ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों को ले जाने वाली सभी पाइप लाइनें यांत्रिक हानि (टूट–फूट) से रक्षित होंगी और जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा सतह में एक बार उनमें किसी खराबी या दोष अथवा ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ के जमाव के बारे में उनका परीक्षण किया जाएगा और पाए गए किसी दोष और की गई किसी मरम्मत का अभिलेख रखा जाएगा।

8- vfXu'keu ç.kkyhA&

(1) परिशिष्ट "क" में सूचीबद्ध क्रियाओं को और 500 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले हरेक कारखाने में (क) प्रशिक्षित तथा जिम्मेदार अग्निसमन दस्ता होगा, जो आग या अन्य आपातकालीन स्थिति में अग्निशामक तथा जीवन रक्षक उपकरणों द्वारा प्रभावी रूप से कार्य कर सके। इस दल में व्यक्तियों की संख्या आवश्यक तौर पर अन्तर्निहित जोखिम के आकार पर निर्भर करेगी, लेकिन किसी भी दशा में किसी भी समय में उपलब्ध ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 8 से कम नहीं होगी । इस दस्ते में रखवाली व चौकीदारी के कार्मिक, अग्नि पम्प चालक और विभागीय पर्यवेक्षक तथा अग्नि तथा आपातकालीन सेवाओं में प्रशिक्षित चालक सम्मिलित होंगे ;

(ख) दस्ते का नेता प्रमुख तौर पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होगा और उसे कारखाने में ही निवास स्थान प्रदत्त कर उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाएगी;

(ग) दस्ते के कार्मिक को आवश्यक कपड़े, उपकरण जिसमें हेलमेट, बूट और बेल्ट भी आते हैं, प्रदत्त किए जाएंगे।

(2) इस दस्ते के हर सदस्य को क्या ड्यूटी सौंपी गई है, यह प्रदर्शित करने वाला मस्टर रोल बनाया जाएगा और उसकी प्रति हरेक नेता को दी जाएगी और साथ ही वह विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी, जिससे कि वह आपात व्यवस्था में संदर्भ हेतु आसानी से उपलब्ध रहे।

(3) पम्प चालक सभी उपकरणों की उपस्थिति के बारे में पूरी तौर पर परिचित होगा । वह सभी अग्निशामक उपकरणों के सही चालू दशा में अनुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी होगा। उसकी जानकारी में आने वाली किसी भी त्रुटि के बारे में वह उस दस्ते के नेता को तत्काल अवगत कराएगा।

(4) जहाँ तक व्यवहार्य हो कारखाने के फायर पम्प रूम और मुख्य द्वार सभी विनिर्माण और भण्डारण क्षेत्रों से टेलीफोन द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे और उन्हें ऐसे स्थानों पर सुविधाजनक स्थलों पर रखा जाएगा।

Hkkx&pkj
fo"kys inkFkk dh tkf[ke

1- fjlu&

(1) सभी संयंत्र इस प्रकार रूपांकित और सन्निर्मित होंगे कि विषैले पदार्थों का निकलना रोका जा सके । जहाँ आवश्यक हो, वहाँ प्रक्रिया खतरनाक प्रक्रमों (स्टेज) के लिए पथक भ कमरे या रक्षित संरचना का उपयोग होगा और भवन इस प्रकार रूपांकित होंगे कि विषैले पदार्थों के किसी निकास को सीमिति किया जा सके।

(2) ऐसे रिसाव के खतरनाक प्रभाव को रोकने के लिए कैचपिट बन्डवाल डाइक या उपयुक्त अन्य अभिरक्षक बनाए जाएंगे। पाइप लाइनों के जोड़ों के नीचे कौचपिट रखे जाएंगे, जहाँ कि अनुरक्षक और अन्य कर्मकारों को ऐसे रिसाव से खतरा हो सकता हो।

*2- Mªust ¼ukfy;k dh 0;oLFkk½A&*उपयुक्त नालियों की व्यवस्था, जो विशेष तौर पर इस प्रयोजन के संग्राहक टैंक तक जाएंगी, जिनके संक्षारक पदार्थों को उदासीन, उपचार या अन्यथा किसी तरह से सुरक्षित बनाया जाकर पब्लिक सीवर या नालों में विसर्जित किया जा सके।

3- ik=k dk <duk&

(1) प्रत्येक स्थिर पात्र या संरचना, जिसमें कोई विषैला पदार्थ भरा हो और जो इस प्रकार न ढंका गया हो कि कर्मकार के शरीर का कोई भाग दुर्घटनावश सम्पर्क में आ जाने से संभावित जोखिम दूर कर सके और वे इस प्रकार सन्निर्मित होंगे कि जिससे भौतिक संपर्क को टाला जा सके।

(2) ऐसे पात्र को, जब तक कि उसकी किनार समीपस्थ चबूतरे या भूतल से 90 से.मी. ऊपर न हो, सुरक्षित रूप से ऐसे चबूतरे या भूतल से कम से कम 90 से.मी. ऊपर की ऊंचाई तक घेरा जाएगा।

(3) जहां ऐसे पात्र जुड़े हों और किसी ईंट या अन्य किसी संरचना से उनके बीच का स्थान या तो चौड़ाई में 45 से.मी. से कम हो या 45 से.मी.से चौड़ाई में अधिक हो, लेकिन दोनों ओर पर कम से कम 90 से.मी. ऊंचाई तक सुरक्षापूर्वक न घिरा हो, वहाँ सुरक्षा बैरियर इस प्रकार लगाए जाएंगे कि उनके बीच मार्ग न रहे।

परन्तु यह कि इस पैरा का उप–पैरा (2) निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा(क) अमोनिया सल्फेट के विनिर्माण हेतु उपयोग में लाए गए सेट्यूरेटरय और (ख) ब्राइन वाष्पीकरण कढ़ाव का वह भाग, जिसमें रैकिंग, ड्राइंग या भरना अपेक्षित हो ।

4- fujUrj fu"dklu 0;oLFkkA&

(1) कोई प्रक्रिया जिससे विषैली वाष्प, गैस, धुआँ और पदार्थ पैदा हो, उनमें प्रभावी निरन्तर वायु निष्कासक लगे होंगे । ऐसी व्यवस्था प्रक्रिया नियंत्रण से, जहाँ संभव हो, इन्टरलाक्ड होगी।

(2) निरन्तर वायु निष्कासक व्यवस्था असफल होने पर ऐसे साधनों की व्यवस्था होगी कि जिससे प्रक्रिया स्वतरू ही रोकी जा सके।

5- odl cUpA& विषैले पदार्थों का अभिचालन शामिल करते हुए प्रक्रिया में उपयोग की जा रही सभी बैंच उपयुक्त रूप से वर्गीकृत होंगी और चिकनी अभेद्य सतह से बनी होंगी और कार्य समाप्त होने पर प्रतिदिन धोई जाएंगी।

6- vof'k"V dk fuorlu&

(1) न सोखने वाले पदार्थ के बने उपयुक्त पात्र, जिसमें टाइट फिट ढक्कन हो, वह विषैले पदार्थ के साथ से मिल गए अविशिष्ट जमा करने के लिए प्रयुक्त होंगे और ऐसे पात्र की सामग्री जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन जलाई जाकर या उपयक्त पद्धति का उपयोग कर नष्ट कर दी जाएगी।

(2) विनिर्माण अवधि के दौरान, जब कभी गुणवत्ता की दृष्टि से किसी विषैली अन्तवर्ती उत्पाद या किसी बैन्च के निरस्त किए जाने पर उसका निवर्तन करने से पहले उसे हानि रहित बनाए या अक्रियाशील करने या अन्यथा उसका उपचार करने की पर्याप्त सावधानियाँ बरती जाएंगी ।

(3) विषैले पदार्थों के रिक्त पात्रों को उनका निवर्तन करने से पूर्व किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन पूरी तौर पर साफ किया जाएगा ।

Hkkx&5

fo'k"k micU/k

1- ukbVk ;k vehuk çfØ;kvk gr fo'k"k iokko/kkfu;kA&

(1) जब तक कि रवेदार नाइट्रो या अमीनों पदार्थ या उनका कोई द्रव पूर्ण रूप से बंद प्रक्रिया में या आन्दोलित न किया जाता हो, ताकि उसकी धूल या धुआँ न उठे, वहाँ ऐसी प्रक्रियाएँ प्रभावशाली वायु निष्कासक या कोई अन्य उपयुक्त साधन के अधीन इस प्रकार की जाएंगी कि जिससे कार्य के वातावरण में धूल अथवा धुएँ का निकास न हो।

(2) संयंत्र या उपकरण या औजार का कोई भाग जो नाइट्रो या अमीनी यौगिकों के सम्पर्क में हो, उसे जब तक खाली और पूरी तरह साफ और दोषनिवारित न कर दिया गया हो, तब तक उनकी मरम्मत या उसका कोई कार्य नहीं किया जाएगा ।

(3) शारीरिक सम्पर्क टालते हुए नाइट्रो या अमीनों यौगिकों को पात्रों में भरने के लिए करछुल (चमचे) का उपयोग किया जाएगा। सिगड़ी पर पात्र इस तरह सुखाए जाएंगे कि उससे निकली गर्म तथा संदूषित हवा कार्य के कमरे में न आए ।

(4) नाइट्रो या अमीनो यौगिकों या इसके कच्चे माल से भरे पात्र में या उसके चारों ओर भाप देने को सम्मिलित कर चलाई जाने वाली प्रक्रिया इस रीति से चलाई जाएगी कि भाप या वाष्प काम के कमरे के वातावरण में उड़कर वापस न आ सके ।

(5) उपर्युक्त प्रतिकारक जैसे मिथाइलीन–ब्लू के इन्जेक्शन नाइट्रो या अमीनों यौगिकों के विष को मामलों के सम्मिलित करते हुए आपातकालीन अवस्था के दौरान अभिहित स्थलों पर उपयोग हेतु हर समय उपलब्ध रहेंगे ।

2- Øke çfrfØ;kvk gr fo'k"k iokko/kkfu;kA&

(1) क्रोम प्रोसेस में कच्चे माल की पिसाई और उसका छानना इस रीति से और ऐसी स्थितियों के अधीन किया जाएगा कि जिससे अन्य प्रक्रियाओं से प्रभावशील रूप से उसे पृथक् रखा जा सके और वह सक्षम वायु निष्कासक के अधीन रहे।

(2) जहाँ गीली अवस्था में क्रोम प्रक्रिया हो, जैसे कि लीचिंग, अमलीकरण, सल्फेट, सेटीलिंग, वाष्पीकरण, रवे बनाना, सेन्ट्रीफ्यूसेशन या पैकिंग की जाती हो, उसके समीप ही प्रच्छालन सुविधाएँ बनी होंगी, ताकि शरीर के प्रभावित भाग को बहते हुए पानी से शीघ्रता से धोया जा सके।

(3) प्रशिक्षित नर्स द्वारा क्रोम प्रक्रिया में नियोजित सभी कर्मकार के हाथ और पांव का साप्ताहिक निरीक्षण किया जाएगा और ऐसे निरीक्षण के अभिलेख मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्ररूप में रखे जाएंगे।

(4) कार्य स्थल के अभिहित स्थानों पर उपयुक्त मल्हम जैसे ग्लिसरीन, वैसलीन आदि और पृथक् बक्से में जल अभेद्य प्लास्टर हमेशा कर्मकारों को आसानी से पहुँचगम्य होते हुए उपलब्ध होगा, ताकि नासिका के आसपास छिद्र होना रोका जा सके ।

3- lHkh dkp d ik=k e dh tku okyh çfØ;kvk d fy, fo'k"k iokko/kkfu;k A&

(1) प्रक्रियाएं और रासायनिक प्रतिक्रियाएँ जैसे विनाइल क्लोराइड, वैजाइल, क्लोराइड आदि का विनिर्माण आदि, जिन्हें कांच के पात्रों में किया जाना अपेक्षित है, में कांच पात्र टूटने से पास में काम कर रहे व्यक्तियों के बचाव हेतु मजबूत तार की जाली के आवरण की व्यवस्था होगी ।

(2) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे ओवराल (डांगरी) आदि जो क्लोरेट कर्मकारों को प्रदत्त हो, उसे कार्यस्थल से दूसरे स्थान को नहीं ले जाया जाएगा और वे पूरी तौर पर रोजाना साफ की जाएंगी।

(3) अग्नि आपात स्थिति के दौरान क्लोरेट प्रक्रिया स्थल के पास पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था होगी ।

(4) क्लोरेट के रवे बनाने या पिसे हुए क्लोरेट के रवे भरने के लिए लकड़ी के पात्र का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

4- fjeQkMl IykfLVd l cu l;= vkj midj.kk d mi;kx e fo'k"k iokko/kkfu;k A&

(1) सभी संयंत्र और उपकरण उपयुक्त भारतीय मानक या किसी अन्य राष्ट्रीय मानक के अनुरूप् होंगे।

(2) दुर्घटनावश टूट–फूट रोकने के लिए संयंत्र और उपकरण के भण्डारण, परिवहन, कार्य औरअधिष्ठापन के दौरान सावधानियाँ बरती जाएंगी;

(3) सभी संयंत्र और उपकरण इस तरीके से अधिष्ठापित किए जाएंगे कि जिससे रूपांकन में आशयित किए गए अनुसार या विनिर्माता द्वारा अनुशंसित किए गए अनुसार ही भार का वितरण सुनिश्चित रूप से हो;

(4) सभी पाइप फिटिंग के कार्य सहारा दिए हए होंगे जिससे कि पात्र या टैंक पर शाखाओं का स्थानीय कुल भार रूपांकित मान से अधिक न हो;

(5) सभी संयंत्र और उपकरण का अधिष्ठापन के बाद उनके दाब की जाँच की जाएगी और सक्षम व्यक्ति द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा । जाँच तथा परीक्षण संबंधित मानक के अनुसार होगा ।

जाँच तथा परीक्षण का प्रमाण–पत्र सक्षम व्यक्ति से प्राप्त किया जाएगा और स्थल पर उपलब्ध रखा जाएगा;

(6) सभी संयंत्र और उपकरणों की नियतकालिक जाँच तथा परीक्षण होगा और इस अनुसूची के भाग–2 के पैरा 15 के अनुसार उसके अभिलेख रखे जाएंगे ;

(7) संयंत्र उपकरणों को उनके उपयोग के दौरान निर्धारित क्षमता से न तो अधिक भरा जाएगा और न उससे अधिक भारित किया जाएगा ।

Hkkx&6

fpfdRlh; vi{kk,¡

1- vnf"kr dju dh lfo/kk,¡A& उन स्थानों पर जहाँ पर परिशिष्ट ''क'' में सूचीबद्ध प्रक्रियाओं में विषैले पदार्थों का उपयोग किया जा रहा हो, वहाँ किसी आपात स्थिति का सामना करने के लिए निम्नलिखित उपबंध होंगे –

(क) पूरी तरह से सज्जित प्राथमिक उपचार पेटी;

(ख) ऐसे विषैले और संक्षारक पदार्थों से संदूषित व्यक्तियों, व्यक्तियों के शरीर के भागों और व्यक्तियों के कपड़ों को पानी से भिगोने के लिए आसानी से पहुँचगम्य साधन होंगे और ऐसे साधन नीचे तालिका में दर्शाए अनुसार होंगे –

fdlh le; fu;kftr 0;fä;k dh l[;k	fHkxku okyk Q0okjk dh l[;k
50 व्यक्तियों तक	2
51 से 100 व्यक्तियों के बीच	3
101 से 200 के बीच	3 तथा प्रति 50 व्यक्ति पीछे एक फव्वारा ।
201 से 400 के बीच	5 तथा प्रति 100 व्यक्ति पीछे एक अतिरिक्त फव्वारा ।
401 से ऊपर	7 तथा प्रति 200 व्यक्ति पीछे एक अतिरिक्त फव्वारा ।

(ग) पर्याप्त संख्या में आसवित जल या अन्य उपयुक्त पदार्थ से भरी (आई–वाश) आंख धोने की बोतलें जो पेटियों या आलमारियों में सुगम स्थान पर रखी होंगी । जिन पर स्पष्ट रूप से पहचान चिन्ह, जो हर समय दिखाई दें, अंकित होगा ।

¼1½ 50 dekdkjk rd fu;kftr dju okyk dkj[kkuk d fy, A&

(क) एक प्रशिक्षित चिकित्सा व्यवसायी की सेवाएँ, जो इसमें इसके पश्चात कारखाना चिकित्सा अधिकारी के नाम से जाना जाएगा, कारखाने के कर्मकारों के लिए उसके अधिसूचित चिकित्सालय में आपात स्थिति के दौरान चिकित्सीय सहायता के लिए रिटेनर के आधार पर उपलब्ध होंगी । वह इस भाग के पैरा 4 में उल्लिखित रोजगार पूर्व तथा नियतकालिक चिकित्सीय परीक्षण भी करेगा;

(ख) कार्यावधि के दौरान प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित न्यूनतम 5 व्यक्तियों में कम से कम एक व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहेगा;

(ग) एक पूर्ण सज्जित प्राथमिक उपचार पेटी;

¼2½ 51 ls 200 dekdkjk dk fu;kftr dju okyk dkj[kkuk d fy, A&

(क) व्यवसाय अन्य स्वास्थ्य केन्द्र में एक कमरा होगा, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर हो, जिसकी फर्श तथा दीवालें चिकनी ठोस तथा अभेद्य सतह की होंगी और जो पर्याप्त तौर पर प्रकाशित, संवातन युक्त और सज्जित हो ;

(ख) एक पार्ट टाइम चिकित्सा अधिकारी उस केन्द्र का पूरी तौर पर प्रभारी होगा और जो सप्ताह में दो बार कारखाने का दौरा करेगा और आपात स्थिति के दौरान उसकी सेवाएँ तत्काल उपलब्ध होंगी ;

(ग) सम्पूर्ण कार्य अवधि के दौरान कर्त्तव्यस्थ एक अर्ह और प्रशिक्षित ड्रेसर–कम –कम्पाउण्डर होगा ;

(घ) एक पूर्ण सज्जित प्राथमिक उपचार पेटी ;

¼3½ 200 ls vf/kd dekdkjk dk fu;kftr dju okyk dkj[kkuk d fy, A&

(क) 500 कर्मकारों तक नियोजित करने वाले कारखानों में एक पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी होगा और हरेक 1000 कर्मकार संख्या तक या उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी होगा ;

(ख) इस मामले में व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम दो कमरे होंगे और हरेक का क्षेत्रफल 15 वर्गमीटर तथा फर्श व दीवालें, चिकनी ठोस और अभेद्य सतह की होंगी और जो पर्याप्त तौर पर प्रकाशित, संवातन युक्त और सज्जित हों ;

(ग) पूरी कार्य अवधि के दौरान एक प्रशिक्षित नर्स, एक ड्रेसर–कम–कम्पाउण्डर और एक वार्ड–बाय–कम सफाई कर्मचारी कार्यरत होंगे ;

(घ) इस मामले में व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सीय आपातकालीन स्थितियों के लिए उपयुक्त रूप से सज्जित होगे;

3- ,EcyUl okguA&

(1) परिशिष्ट "क' में उल्लिखित प्रक्रियाएँ चलाने वाले हरेक कारखाने में परिशिष्ट ''ग'' के अनुसार उपयुक्त तौर पर निर्मित तथा सज्जित एम्बुलेन्स वाहन प्रदत्त होगा और अच्छी हालत में रखा जाएगा और एक पूर्णकालिक ड्रायवर–कम–मैकेनिक और एक हेल्पर उस पर नियुक्त होंगे और जो दुर्घटना अथवा बीमारी के गंभीर प्रकरणों में परिवहन के प्रयोजन के लिए प्राथमिक सहायता प्रयुक्त करने के लिए प्रशिक्षित होंगे, जब तक कि वह सुविधा समीपस्थ अस्पताल या अन्य स्थान से आपातकालीन स्थिति के दौरान अल्प सूचना पर उपलब्ध हो जाने की वय्वस्था न की गई हो । एम्बुलेन्स वाहन का यहां विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं होगा और वह व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप सदैव उपलब्ध रहेगा।

(2) उपरोक्त उप–पैरा (1) में उपबन्धित समीप से ही एम्बुलेन्स प्राप्त करने संबंधी शैथिल्य उन कारखानों पर लागू नहीं होगा, जहां कारखाने में 500 से अधिक कर्मकार नियोजित हों।

4- fpfdRlh; ijh{k.kA&

(1) परिशिष्ट ''क'' में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मकार का कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति से चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा

(क) नियोजन पूर्व एक बार ताकि विशिष्ट कार्य हेतु व्यक्ति की शारीरिक उपयुक्तता सुनिश्चित की जा सके।

(ख) हर छः माह की कालावधि में एक बार, ताकि कर्मकार के स्वास्थ्य का स्तर निर्धारित किया जा सके; और

(ग) उपरोक्त नियोजन पूर्व और नियतकालिक चिकित्सीय परीक्षण ब्यौरे निहित प्ररूप में अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) कारखाना चिकित्सा अधिकारी का कोई ऐसा निष्कर्ष जिससे प्रक्रिया में नियोजित किसी व्यक्ति की असामान्यता या अनुपयुक्तता प्रकट होती है तो वह चिकित्सा अधिकारी को तत्काल उसकी सूचना देगा, जो संबंधित कर्मकार की जाँच करेगा और 30 दिनों के अन्दर अपने निष्कर्षों की सूचना देगा । यदि चिकित्सा अधिकारी की इस प्रकार परीक्षण किए गए व्यक्ति के बारे में यह राय हो कि उसके स्वास्थ्य रक्षा हेतु उसका प्रक्रिया से निलम्बन अपेक्षित है तो वह तद्नुसार अधिभोगी को निर्देशित करेगा, जो उल्लिखित कर्मकार को उसी प्रक्रिया में नियोजित नहीं करेगा। प्रक्रिया से इस प्रकार निलम्बित व्यक्ति को किसी तरह की वैकल्पिक स्थापना की सुविधा प्रदत्त की जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो चुका हो और उस स्थिति में प्रभावित कर्मकार को भली–प्रकार से पुनर्वासित किया जाएगा ;

परन्तु यह कि चिकित्सा अधिकारी स्वप्रेरणा से किसी भी अन्य कर्मकार की, जिसका वह परिशिष्ट ''क' में उल्लेखित प्रक्रिया में नियोजित वास्ते उसके उपयुक्तता सुनिश्चितता करने के लिए या अन्य कर्मकार के स्वास्थ्य स्तर निर्धारित हेतु परीक्षण करना आवश्यक समझता है, परीक्षण कर सकेगा और उसका निष्कर्ष अंतिम होगा ।

(3) कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त फिटनेस प्रमाण पत्र के बैगर किसी व्यक्ति को नई नियुक्ति नहीं दी जाएगी । यदि कारखाना चिकित्सा अधिकारी किसी व्यक्ति को परिशिष्ट "क" में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजन हेतु अनुपयुक्त घोषित करता है तो ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारी के सम्मुख अपील करने का अधिकार होगा और उसका इस संबंध में निष्कर्ष अंतिम होगा ।

(4) उप–पैरा (2) में दी हुई परिस्थितियों के कारण प्रक्रिया से निलम्बित कर्मकार को, केवल चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाने पर प्रभाव को प्रविष्टि स्वास्थ्य रजिस्टर में करने के बाद दोबारा ही उसी प्रक्रिया में नियोजित किया जाएगा ।

(5) इस अनुसूची की प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार की चिकित्सा अधिकारी परीक्षण करेगा। वह प्रारूप 28 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(6) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि उक्त प्रक्रियाओं के कर्मकार और नियोजित करने के लिए इस आधार पर फिट नहीं पाया जाता है कि आगे निरन्तर नियोजित रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह अपने निष्कर्षों का उक्त प्रमाण–पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अभिलिखित करेगा। इन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में उक्त व्यक्ति को उस प्रक्रियाओं में नियोजन से निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक

स्थान की सुविधा प्रदत्त की जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त तौर पर पुनर्वास किया जाएगा ।

(7) उल्लिखित काम के लिए अनफिट पाए गए व्यक्ति को पुनरू नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा और परीक्षण करने के पश्चात् उन प्रक्रियाओं में नियोजन हेतु उसे पुनरू फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(8) फिटनेस प्रमाण पत्र प्रपत्र 28 और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 निरीक्षक–सह– सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता हेतु तत्काल उपलब्ध हो सके, ऐसे रखे जाएंगे

Hkkx&7
vfrfjä dY;k.k lqfo/kk,¡

1- ç{kkyu lqfo/kk,¡A&

(1) हर एक कारखाने में सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए प्रति 15 कर्मकारों के लिए एक टोंटी की दर से प्रच्छालन हेतु टोटियां प्रदत्त एवं अनुरक्षित होंगी । साथ में लिक्विड सोप जो एक झुकाए जा सकने वाले पात्र में होगा और नाखून साफ करने के ब्रुश या प्रभावी सफाई हेतु अन्य उपयुक्त साधन होंगे । ऐसी सुविधाएं सुविधाजनक रूप से पहुँचगम्य होंगी और साफ तथा स्वास्थ्यकारी दशा में रखी जाएंगी।

(2) यदि उपरोक्त अपेक्षित प्रच्छालन सुविधाएँ महिलाओं के लिए प्रदत्त हों तो वे उनके लिए पृथक होंगी तथा पर्याप्त रूप से एकांत स्थिति में इन सुविधाओं की हर समय उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

2- Hkkstu d{k dh lqfo/kk,¡A&

(1) परिशिष्ट "क" में उल्लेखित प्रक्रियाओं को चलाने वाले सभी कारखानों के अधिभोगी जिनके यहाँ 50 या अधिक कर्मकार नियोजित हों, वहाँ प्रति पाली में काम करने वाले कर्मकारों के लिए ऐसे भोजन कक्ष की सुविधा प्रदत्त करेगा, जिनमें भली प्रकार संवातन हो और बैठने की सुविधा हेतु वह टेबिलों युक्त होगा, साथ ही वहाँ ठण्डे और स्वास्थ्यकारी पीने के पानी की व्यवस्था होगी।

(2) ऐसी सुविधाओं में सफाई व प्रक्षालन की उपयुक्त व्यवस्था सम्मिलित होगी और जो साफ और स्वास्थ्यकारी दशा में अनुरक्षित की जाएगी ।

3- Dy,d :e lqfo/kk,¡A&

(1) परिशिष्ट ''क'' में उल्लिखित किसी प्रक्रिया को चलाने वाले हर एक कारखाने का अधिभोगी प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों को लॉकरयुक्त क्लॉक रूम सुविधाएँ प्रदत्त करेगा । हर एक कर्मकार को दो लॉकर दिए जाएंगे । एक काम के कपड़ों के लिए दूसरा अलग से निजी कपड़े रखने के लिए होगा और लॉकर इस प्रकार के होंगे कि उसमें कपड़े लटकाकर रखे जा सकें ।

(2) उप–पैरा (1) के अनुसरण में इस तरह से प्रदत्त क्लॉक रूम सुविधाएँ, जहाँ तक संभव हो, पैरा (1) के अनुसरण में प्रदत्त सुविधाओं के समीप होंगी, यदि प्रक्षालन सुविधा को क्लॉक रूम सुविधा के पास स्थापित करना संभव न हो तो क्लॉक रूम सुविधाओं में ही सफाई एवं प्रक्षालन की उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था होगी।

4- fo'k"k Lukukxkj lqfo/kk,¡A&

(1) परिशिष्ट ''ख'' के अधीन प्रक्रिया चलाने वाले किसी कारखाने के अधिभोगी द्वारा नियोजित सभी कर्मकारों के लिए विशेष स्नानागार सुविधाएँ प्रदत्त होंगी और ऐसी सुविधाएँ प्रति 25 कर्मकार या उसके भाग के लिए एक स्नानागार की दर से होगी और उन्हें साफ एवं स्वास्थ्यकारी दशा में बनाए रखा जाएगा ।

(2) अधिभोगी परिशिष्ट ''ख'' में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकारों से आग्रह करेगा कि दिन या पाली का काम पूरा होने के बाद वह इस प्रकार स्नानागार सुविधाओं का उपयोग करे और वह स्नानागार सुविधा के अलावा किसी अन्यत्र स्थान पर स्नान करने वाले कर्मकारों पर प्रभावी रूप से रोक लगाएगा ।

(3) उपरोक्त उप–पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता किसी अन्य प्रक्रिया चलाने वाले किसी कारखाने में जहाँ उसकी राय में स्वास्थ्य की दृष्टि से स्नानागार सुविधा आवश्यक हो, उसके अधिभोगी से लेखी में विशेष स्नानागार सुविधा प्रदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

Hkkx&8

Jfedk d drr0;&

(1) परिशिष्ट "क' और परिशिष्ट "ख" में उल्लेखित प्रक्रियाओं में नियोजित हर एक कर्मकार किसी सुरक्षा युक्ति या किसी साधित्र या घेरा या जाली की व्यवस्था को अक्रियाशील या दोषपूर्ण नहीं करेगा और उपरोक्त व्यवस्था की दोषपूर्ण होने की जानकारी होते ही शीघ्रता से उनकी सूचना देगा।

(2) परिशिष्ट "क" में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकार अपने कार्य स्थान, साथ ही साथ में प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीने उपकरण या साधित्र की जाँच करेंगे और किसी विकृत चालन या त्रुटि की सूचना तत्काल सुपरवाइजर या प्रबंधक के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को देंगे।

(3) सभी कर्मकार किसी कार्य को करने में या इस अनुसूची के अनुसरण में उन्हें किसी दायित्व को पूरा करने में प्रबंधक को सभी प्रकार के सहयोग देंगे और उन्हें दिए गए सभी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का हमेशा सावधानीपूर्वक उपयोग करेंगे।

(4) परिशिष्ट ''क'' और परिशिष्ट ''ख'' में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकार प्रक्रिया प्रक्षेत्र या भण्डारण प्रक्षेत्र में धूम्रपान नहीं करेंगे । प्रबन्धक द्वारा यदि विशेष सुविधाएं प्रदत्त की जाती हैं, उन सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा ।

(5) परिशिष्ट ''क'' में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकार अनाधिकृत स्थान में नहीं रहेंगे, न ही अनाधिकृत कार्य या किसी व्यवस्था को सुधारने या शार्टकट पद्धति से करने या इस अनुसूची के अनुसरण में प्रदत्त सुविधा का दुरुपयोग करने का कार्य इस तरह नहीं करेंगे, जिससे उन्हें स्वयं तथा साथ ही अन्य नियोजित के लिए जोखिम पैदा हो ।

(6) कर्मकार इन नियमों में अपेक्षित चिकित्सीय परीक्षण कराने से इंकार नहीं करेंगे ।

Hkkx&9

18 o"k l de me d ;ok 0;fä;k vkj fL=;k d fu;ktu ij jkd A

(1) मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता इस अनुसूची के परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित प्रक्रियाओं में स्त्रियों और 18 वर्ष से कम आयु के युवा व्यक्तियों के नियोजन को उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिखित आदेश द्वारा निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(2) उपरोक्त उप–पैरा (1) के अनुसरण में जारी किए गए आदेश के कारण प्रक्रिया में कार्य करने से निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध किए व्यक्तियों को ऐसा वैकल्पिक कार्य प्रदत्त किया जाएगा, जो उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए अपायकर न हो ।

Hkkx&10

NV

1. NV çnku dju dh 'kfäA& राज्य शासन या शासन नियंत्रणाधीन रहते हुए मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता परिशिष्ट "क" में सूचीबद्ध प्रक्रियाओं को चलाने वाले किसी कारखाने को इस अनुसूची की किन्हीं अपेक्षाओं के अनुपालन करने से पूर्णतरू या भागतरू छूट प्रदान कर सकेगा । यदि अधिभोगी द्वारा स्पष्ट और समाधानप्रद रूप से यह स्थापित कर दिया जाए कि नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची की किन्हीं अपेक्षा के स्थान पर प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध होने से ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है।

ifjf'k"V ^d**

कोई कार्य या उसका कोई भाग जिसमें–

(क) निम्नलिखित में से किसी का विनिर्माण अभिचालन या पुनरोत्पादन किया जाता है–

(एक) सोडियम, पोटेशियम, लोहा, एल्यूमीनियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा, एन्टीमनी, क्रोमियम, जस्ता, सेलेनियम, मेग्नेशियम, केडमियम, मरकरी (पारा), बेरिलियम और उनके कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवण, एलाय, आक्साइड तथा हाइड्रो आक्साइडय

(दो) अमोनिया, अमोनियम, हायड्रोआक्साइड और अमोनियम लवणय

(तीन) सलफ्यूरम, सलफ्यूरिक, नाइट्रिक नायट्रस, हाइड्रोक्लोरिक, हायड्रोफ्लोरिक, हायड्रोआयोजिक, हायड्रोसलफ्यूरिक, हाडयड्रोब्रमोमिक, बोरिक के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक ;

(चार) सायनोजन यौगिक, सायनाइड यौगिक, सायनेट यौगिक ;

(पाँच) फास्फोरस और आरगोनोफासफोरस कीटाणु नाशकों के अलावा उसके अन्य यौगिक ; (छ:) क्लोरीन ;

(ख) धात्विक सल्फाइड के विखंडन से पैदा हुई हायड्रोजन सल्फाइड या हायड्रोजन सल्फाइड का ऐसे सल्फाइड के उत्पादन में उपयोग;

(ग) ब्लीचिंग पाउडर का विनिर्माण या क्लोर–अल्कली संयंत्र में क्लोरीन गैस का उत्पादन;

(घ) (एक) गैस्टार या कोलतार या बिटमन या शैल आइल एस्फाल्ट या ऐसे ही टार का कोई अवशेष का किसी रासायनिक विनिर्माण प्रक्रिया में आसवन या उपयोग किया जाता है;

(दो) टार पर आधारित संश्लेषित रंगाई पदार्थ या उनके मध्यवर्ती उत्पादकों का उत्पादन य

(ड़) नाइट्रो यौगिकों के विनिर्माण में नाइट्रिक एसिड का उपयोग ;

(च) नाइट्रो यौगिकों के उपयोग पर विस्फोटकों का उत्पादन ;

(छ) ऐलीफेटिक या ऐरोमेटिक यौगिकों या उनके धात्विक या अधात्विक उत्पाद या विस्थापित उत्पाद जैसे क्लोरोफार्म, एथिलीन ग्लायकोल, फार्मलडिहायड, बेंजल क्लोराइड, फीनोल, मिथाइल, इथाइल, कीटोन, पेरोक्साइड, कोबाल्ट, कार्बोनिल, टंग्सटन कार्बाइड आदि विनिर्मित या पुनरोत्पादित किए जाते हों।

ifjf'k"V ^[k**

Hkkx&pkj d i|jk 4 d vu|lj.k e fo'k"k Lukukxkj LFkku d lc/k e&

1. नाइट्रो या अमीनों प्रक्रियाएँ ।
2. सभी क्रोम प्रक्रियाएँ ।
3. गैस या कोलतार के आसवन की प्रक्रियाएँ या रसायन विनिर्माण की प्रक्रियाएँ जिनमें तार का उपयोग किया जाता है।
4. सायनोजन यौगिकों, सायनोइड यौगिकों, साइनाइट यौगिकों को अन्तर्निहित करने वाली विनिर्माण, अभिचालन कार्य या पुनरोत्पादन प्रक्रियाएँ ।
5. ब्लीचिंग पाउडर का विनिर्माण अन्तर्निहित करने वाली प्रक्रियाएँ या क्लोरोएल्कली संयंत्र में क्लोरिन गैस का उत्पादन ।
6. निकिल और इनके यौगिकों का विनिर्माण, अभिचालन या पुनरोत्पादन ।
7. एलीफेटिक या एरोमेटिक यौगिकों या उनके उपरोत्पाद या संश्लेषित उत्पादों का विनिर्माण, अभिचालन, पुरोत्पादन को सम्मिलित करते हए सभी प्रक्रियाएँ ।

ifjf'k"V ^x**

एम्बूलेन्स

एम्बूलेन्स में निम्नलिखित उपकरण होंगे–

सामान्यत:

पहियों वाली स्ट्रेचर जिसमें फोल्डिंग तथा एडजस्टिंग युक्त हो तथा स्ट्रेचर का सिरा ऐसा हो जो कि ऊपर को झुकाया जा सके ।

फिक्स्ड सेक्शन इकाई उपकरणों सहित ।

फिक्स्ड आक्सीजन इकाई उपकरणों सहित ।

आवरण युक्त तकिए ।

चादरें ।

तौलिए ।

एमोसिस बैग

बैडपेन

यूरिनल

ग्लास

सुरक्षा उपकरण

30 मिनट जीवनावधि का फ्लेअर 'मशाल' ।

फ्लड लाइटें ।

फ्लेश लाइटें ।

ड्राय पाउडल किस्म का अग्निशामक ।

पृथकरित लोहे का दस्ताना ।

आपातकालीन उपचार उपकरण–

रिस्कसिटएशन ''पुनरूज्जीवन उपकरण''

पोर्टेबल सेक्शन इकाई ।

पोर्टेबल आक्सीजन इकाई ।

बैग वाल्व, मास्क, हाथों द्वारा चालित संवातन इकाई ।

एअरबेज ।

माउथ गैम्स ।
ट्रेकोस्टामी एडॉप्टर्स ।
शार्ट स्पाइन बोर्ड ।
आय.पी.फ्ल्यू ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन इकाई ।
ब्लडप्रेशर मापी ।
कग ।
स्टेथोस्कोप ।
निश्चलता (इमोबिलाइजेशन)
लम्बे व छोटे गद्दीदार बोर्ड
वायर–लेडरि–स्प्लण्ट्स
तिकोनी पट्टियाँ ।
लॉग एण्ड शार्ट स्पाइन बोर्ड
ड्रेसिंग–
पट्टियाँ 4'' • 4''
यूनिवर्सल ड्रेसिंग 10' ग् 36'' एल्यूमीनियम झिल्ली का रोल
साफ्ट रोलर पट्टियाँ 6" ग् 5'' गज
3'' के रोल में एडेसिव टेप
सेफ्टी पिनें ।
बेन्डेज शीट ।
बर्न शीट ।
जहर के प्रकरणों के लिए (पायजनिंग)
इपाकाक सायरण (खुश्क के अनुसार पूर्व से पके)
क्रियाशील चारकोल
स्नैक बाइटकिट
पीने का पानी
आपातकालीन दवाएँ
चिकित्साधारी की सलाह के अधीन (जैसी भी अपेक्षित हो)

mi&vuqlwph&12
feêh dh crZuksa dk fofuekZ.k

1- ifjHkk"kk,A&

(क) "मिट्टी के बर्तनों'' में मिट्टी के बर्तन (अदर्न वेयर), पत्थर के बर्तन, पोसलन, चीनी, मिट्टी, टाइल्स, चिकनी मिट्टी से अथवा किसी मिश्रण से जिनमें चिकनी मिट्टी तथा अन्य पदार्थ उसे क्वार्टज, पिलट फ्लड्स पर तथा जिप्सन हों, बनी हुई वस्तुएँ सम्मिलित हैं ।

(ख) ''कार्यसाधक वायु निष्कासन'' से तात्पर्य धूल या धुएँ को निकालने के लिए यांत्रिक या अन्य साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संचालन से है, जिससे उसे किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो, वायु न मिल जाने से रोका जा सके । किसी भी वायु निष्कासक को कार्यसाधक नहीं समझा जाएगा, जो उस स्थान पर उत्पन्न होने वाली धूल या धुएँ को, जहाँ पर ऐसे धूल या धुआँ उत्पन्न होता हो प्रभावी रूप से न हटा सकता हो ।

(ग) ''फेटलिंग'' (टीपटाप करने) में स्केलोपिंग (कामदार कोर काढ़ना), टोइंग, सेण्डपेपरिंग (रगमाल कागज से पालिश करना), सेण्डस्टिकिंग, ब्रशिंग (बरुश करना) या मिट्टी के बर्तनों को जिन मैं धूल निकलती हो, कोई अन्य प्रक्रिया सम्मिलित है।

(घ) "लडलस'' (सीसारहित चमक) से तात्पर्य ऐसी चमक से है, जिसमें उसके शुष्क भार के एक प्रतिशत से अधिक लेडमोनोक्सआइड के रूप में माने जाने वाला सीसे का मिश्रण अन्तर्विष्ट न हो;

(ङ) "लो साल्यूविलीटीग्लज'' से तात्पर्य ऐसी चमक से है, जो नीचे वर्णित की गई रीति में निरूपित किए जाने पर लेडमोनोक्साइड के रूप में माने जाने वाले घुलनशील सीसे के यौगिक को उसके शुष्कभार के पाँच प्रतिशत से अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट न कर सकती हो–

द्रव्य की तुली हुई मात्रा, जो कि 100 से.ग्रे. तापक्रम पर सुखा ली गई हो और पूर्णतया मिश्रित कर ली गई हो, अपने भार के 1000 गुना भार के बराबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल में, जिसमें 0.25 प्रतिशत भार हाइड्रोजन क्लोराइड का होगा, समान तापक्रम पर एक घण्टे तक

लगातार हिलाई जाएगी । इसके पश्चात् इस घोल को एक घण्टे तक ऐसे ही रखा रहने दिया जाएगा और तब छाना जाएगा ।

छने हुए घोले में होने वाले लेडसाल्ट या सल्फ डाइड के रूप में निष्पादित किया जाएगा और लैंड सल्फेट के रूप में तोला जाएगा ।

(च) "पिसे हुए चूर्ण किए हुए पिंलट या क्वार्टज" में प्राकृतिक बालू सम्मिलित नहीं है ।

(छ) "पार्टस शॉप" में वे समस्त स्थान जहाँ प्लेसिंग (रखने) या बिस्टिक फायर (भट्टी मे चढाने) के पूर्व मिट्टी के बर्तनो का शॉपिंग (आकृति दी जाना), फेटलिंग (टीप–टाप की जाना) या अन्य उपचार किया जाता हो, सम्मिलित है ।

2- dk;lk/kd ok;| fu"dkluA& dk;lk/kd ok;| fu"dklu d mi;kx d fcuk fuEufyf[kr çfØ;k,| ugh dh tk,xh A

(1) संक्रिया

(2) स्थिति

(एक) सूखे तथा अनआर्द्रवित सीसे के यांगिक के अभिसाधन अथवा उपयोग के अन्तर्विष्ट करने वाली समस्त प्रक्रियाएँ आर्द्रवण के लिए घोल तैयार करना।

(दो) किसी भी प्रकार के फैटलिंग संक्रियाएँ, चाहे वे कच्ची मिट्टी के बर्तनों पर हों या मिट्टी के सादा बर्तनों पर हों, परन्तु यह आर्द्रफेटलिंग तथा यांत्रिक शक्ति की सहायता के बिना मिट्टी की वस्तुओं के यदा कदा सुसज्जित करने को लागु नहीं हागी चाको (या फेटलिंग मशीन) पर सुसज्जित करना, हाथ से सुसज्जित करना, पाईप को चमकाने, मोडने तक पॉलिश करने के पूर्व धूल उडाना । मिट्टी के सादा बर्तनों को सुसज्जित करना, चमकाने से पूर्व घिसना

(तीन) दबाव द्वारा घपरेल या अन्य वस्तुओ बनाने के लिए चिकनी मिट्टी या किसी अन्य पदार्थ को छानना, उन दशाओ को छोडकर जहाँ कील के सांचे तथा खपरेल के सांचे के लिए बाडी बनाना ।

(क) यह काम एसी मशीन मे किया जाता हो, जो इस प्रकार समावृत्त हो, जिसमे धूल के बाहर निकलने को प्रभावपूर्ण रूप से रोका जा सके, या

(ख) छाने जाने वाला पदार्थ इतना नम हो जिससे धूल न निकल सकती हो

(चार) चिकनी मिट्टी से खपरैलें बनाना, प्रत्येक सांचे से एक निष्कासक छिद्र संलग्न रहेगा । यह खण्ड खपरैलों को छोडकर चिकनी मिट्टी से वुस्तुओं के प्रेसिंग को भी लागू होगा, जब तक कि पदार्थ इतना नम न हो कि जिससे धूल न निकलती हो खपरैल का सांचा, कील का सांचा या डाई का सांचा ।

(पाँच) चिकनी मिट्टी से बनी हुई खपरैलों की फेटलिंग दबाव द्वारा करना, उस स्थिति के सिवाय जहाँ फेटलिंग, पूर्व रूपेण नम पदार्थ पर या से की जाती हो, यह खण्ड जब कि पदार्थ इतना न हो कि जिससे धूल न निकलती हो, चिकनी मिट्टी से बनाई गई अन्य वस्तुओं के फेटलिंग को भी लागू होगा । हाथ द्वारा सुसज्जित करना ।

(छः) आवाओं के उस स्थिति में भरने तथा खाली करने की प्रक्रिया, जहाँ कि पिसे हुए तथा चूर्ण पिंलट, क्वार्टज, एल्युमीनियम या अन्य द्रव अन्तर्वलित हो। आवाओं के भरने, आवाओं कके डबलिंग खाली करने।

(सात) मिट्टी के सादा बर्तन को ब्रुसिंग, जब तक कि वह प्रक्रिया ऐसे कमरे में न की जाती हो, जिसमें ऐसे कार्यसाधक सामान्य यांत्रिक संवातन या अन्य संवातन की व्यवस्था हो, जो मामले की समस्त परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए कारखाने के निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा पर्याप्त प्रमाणित की जाए। हाथ से सुसज्जित करना, मिट्टी के सादा बर्तनों को सुसज्जित करना।

(आठ) मिट्टी के उन सादा बर्तनों का फेटलिंग, जिन्हें चूर्ण, फ्लिंट या क्वार्टज में तपाया गया हो, उस दशा के सिवाय जहाँ कि यह कार्य इस प्रकार समावृत मशीनों में किया जाए, जिससे धूल के बाहर निकलने का प्रभाव पूर्ण रूप से रोका जा सके। मिट्टी के सादा बर्तनों को सुसज्जित करना।

(नौ) बर्तनों को डुबाने या अन्य प्रक्रिया द्वारा चमकाने की क्रिया के पश्चात् साफ करना। चमकाना तथा धूल साफ करना।

(दस) पॉटर बाईज तथा आवाओं के लिए पदार्थों को कुचला जाना तथा उनकी शुष्क पिसाई, जब तक यह कार्य इस प्रकार समावृत मशीनों में न किया जाता हो, जिससे धूल के बाहर निकलने का प्रभावपूर्ण रूप से रोका जा सके या वह इतना तरह हो जिससे धूल न निकल सकती हो। क्वार्टज फेल्टस्पर आदि का जॉक्रशिंग एज रनर ग्राप पैबिल मिल ग्राईडिंग, खपरैल के सांचों के लिए पिसाई, ग्रोम डिसईटीग्रेटर।

(ग्यारह) चूर्ण फ्लिटरू क्वार्टज् चिकनी मिट्टी, ग्रोन या इन द्रव्यों के मिश्रण का छानना या अभिसाध, जब तक कि वह इतना तर न हो जिससे धूल न निकल सकती हो। फायर क्ले (अग्निमुक्तिका) वियेजक, ग्रोन तथा फायर क्ले को हाथ से छानना आवाओं के लिए बोरों में मिंक्स भरना।

बारह शक्ति चालित चाक पर खपरैलों का पीसा जाना, जब तक कि चाकों पर कार्यसाधक रूप से पानी के छिड़काव का उपयोग न किया जाए। टंकियों को भरना तथा द्रव्यों को मिलाना।

(1) (2)

(तेरह) उत्तोलक तथा वादक द्वारा द्रव्यों का ऊपर उठाना तथा ढ़ोना, जब तक कि प्रभावपूर्ण रूप से समावृत्त न हों, तथा इस प्रकार व्यवस्थित न किए गए हों, जिससे किसी ऐसे स्थान में या उसके समीप जहाँ पर व्यक्ति काम कर रहे हो, के वायुमंडल से धूल के बाहर निकलने से रोका जा सके। क्वार्ट्ज फेल्ड्सपर आदि का जॉक्रशिंग, एज रनर या पैबल मिल ग्रइडिंग, खपरैल की बाडी के लिए ग्राइडिंग।

टिप्पणी– उत्तोलक, क्रशर तथा ग्रइन्डर के समीप थे।

(चौदह) बहने वाले द्रव्य को तैयार करना अथवा तौल कर अलग करना, सूखे रंगों का लानिंग, कलर ब्लीचिंग। स्प्रे ग्लेजिंग, ग्लेजिंग तथा डस्टिंग।

(पन्द्रह) सांचा बनाने में, जब तक कि प्लास्टर आफ पैरिस रखने के लिए उपयोग मे लाए गए पीपों या समान पात्रों के लिए उपयुक्त सामानों की व्यवस्था न हो। सांचा बनाना।

(सोलह) जलाकर चूना बनाए गए द्रव्य का अभिसाधन जब तक कि द्रव्य इतना तर न बनाया गया हो तथा इतना तर न रहे कि जिससे धूल न निकल सके। जिप्सम को जलाकर चूना बनाना। प्लास्टर ऑफ पैरिस को छानना।

(सत्रह) सुरक्षात्मक उपकरण। कच्चे मालों को तौलना, धूलजर भरना, वॉल मिल भरना, आवाओं के लिए बोरों में मिक्स भरना। टंकियाँ भरना तथा द्रव्यों को मिलाना।

3- fuEufyf[kr çfØ;kvk e l çR;d çfØ;k ,lh jhfr e rFkk ,lh 'krk d v/khu dh tk,xh] ftl dh ,d dk nlj l rFkk vU; vkn çfØ;kvk l çHkkoh iFkDdj.k fd;k tk ldA&

(क) द्रव्यों का क्रशिंग (कुचलना) तथा ड्रई ग्राईडिंग (शुष्क पिसाई) या छानना, फेटलिंग खपरैलों का प्रेसिंग, चिकनी मिट्टी तथा कच्ची मिट्टी के बर्तन सुखाना, आवाओं को भरना तथा खाली करना।

(ख) शुष्क सीसे के यौगिक के उपयोग को अन्तर्विष्ट करने वाली समस्त प्रक्रियाएँ।

4. किसी भी ऐसे ग्लेज का, जो सीसा रहित ग्लेज या लो साल्यूविलीटी ग्लेज न हो, किसी भी ऐसे कारखाने मे प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन विनियमित किए जाते हों।

5. खण्ड 3 में उल्लिखित किसी भी संक्रिया में या किसी ऐसे स्थान पर, जहाँ ऐसी संक्रियाएँ की जाती हों, किसी भी स्त्री या युवक को नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

6. कुम्हार के चाक (जाली तथा जिगर) के लिए आड़ की व्यवस्था की जाएगी या वह उस प्रकार बनाया जाएगा, जिससे कि चिकनी मिट्टी की छीलन के चाक से परे गिरने से रोका जा सके।

7- ¼1½ फर्शों को साफ करते समय उठने वाली धूल को नम करने या अन्यथा रोकने के लिए समस्त व्यावहारिक उपाय किए जाएंगे।

¼2½ सफाई की प्रक्रिया के समय, जो कि कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् की जाएगी। हवा में उठने वाली धूल को रोकने में आर्द्र पद्धति को प्रभावी बनाने के लिए लकड़ी के गीले बुरादे का या अन्य उपयुक्त पदार्थ का उपयोग किया जाएगा।

8. पोटर की दुकानों, स्लिप हाउसेज, सिलिंग हाउसेज तथा वेयर क्लीनिंग रूम्स के फर्श कठोर चिकने तथा अभेद्य होंगे तथा किसी वयस्क पुरूष द्वारा आर्द्र पद्धति द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिदिन साफ किए जाएंगे।

9- fpfdRlh; lfo/kk, vkj ijh{k.kA&

(1) प्रत्येक कारखाने, जहाँ चीनी मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माण किया जाता है, का अधिभोगी–

(क) उसमें नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी के लिए एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा।

(ख) खण्ड (क) मे निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उक्त चिकित्सा व्यवसायी को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जाँच के अभिलेख रखे जाएंगे, जो निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो।

(3) पैरा 3 के अधीन उल्लिखित किसी प्रक्रिया में नियोजित हर एक कर्मकार का उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के अन्दर चिकित्सा अधिकारी व्दारा परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण में पैरा (2) की मद एक से चार तक में निर्दिष्ट प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारो के मूत्र और खून में सीसे की मात्रा, ए.एल.ए. हीमोग्लोबिन की मात्रा, स्टिपलिंग आफ सेल्स की जांच और पल्मोनरी फंक्शन जांच और सीने का एक्स–रे तथा अन्य कर्मकारों की केवल पल्मोनरी फंक्शन जांच और

सीने का एक्स–रे सम्मिलित होंगे। किसी भी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन बाद कार्य करने की अनुमति नही होगी, जब तक की चिकित्सा अधिकारी व्दारा उसे ऐसे नियोजन के लिए फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो।

(4) मद (एक) से (चार) तक के अधीन आने वाली किसी प्रक्रिया में नियोजित सभी कर्मकारों का हर तीन केलेण्डर मास में एक बार चिकित्सा अधिकारी व्दारा परीक्षण किया जाएगा । अन्य प्रक्रिया में नियोजितों की बारह केलेण्डर मास में एक बार जॉच होगी । सभी कर्मकारों के परीक्षण के संबंध में ऐसी जांच में उप–पैरा (1) में विनिर्दिष्ट सभी जांच होगी सिवाए एक्स–रे के तीन वर्ष में एक बार होगा ।

(5) पोटरी प्रक्रिया पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जावेगा। वह प्रारूप 28 मे फिटनेस का प्रमाण–पत्र जारी करेगा ।

(6) यदि चिकित्सा अधिकारी की किसी समय यह राय है कि कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में अब और नियोजन हेतु फिट नहीं है और उसमें नियोजित बने रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह अपने निष्कर्षो को उक्त प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य, रजिस्टर प्रपत्र 29 में अंकित करेगा । इन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षो की प्रविष्टि में यह भी सम्मिलित होगा कि वह कितनी कालावधि के लिए वह उसे उस प्रक्रिया में कार्य करने हेतु अनफिट मानता है । इस तरह से उक्त प्रक्रिया के लिए अनफिट होने के कारण निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक व्दारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा प्रदस्त कि जायेगी, जब तक की वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो । उक्त दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा ।

(7) उपरोक्त पैरा (5) मे अनफिट पाये गये व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में पुनरू नियोजित या कार्य करने की अनुमति नही होगी, जब तक की चिकित्सा अधिकारी व्दारा और परीक्षण के उपरान्त उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए पुनरू फिट प्रमाणित नहीं कर दिया जाता ।

(8) फिटनेस प्रमाण पत्र ओर स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता के निरीक्षण के लिए तत्काल उपलब्ध हों ऐसे रखे जाएंगे ।

10- lj{kkRed oL= A&

(1) दखकार खण्ड (2) के अधीन सम्मिलित प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियो के लिए उपयुक्त सर्वछादी तथा शीर्ष छादकों की व्यवस्था की जायेगी तथा उन्हे बनाए रखा जाएगा।

(2) दखलकार डुबकी लगाने वालों, सहायकों, थोअर्स, जाली वर्कर्स, ढलाई करने वालों मोल्ड मेकर्स तथा फिल्टर प्रेस एवं पग मिल कर्मकारों के उपयोग के लिए जल सिध्द या सामान पदार्थ के उपयुक्त एप्रनो की, जिन्हें प्रतिदिन स्पंज से पोछा जा सके, व्यवस्था जी जाएगी तथा उन्हें बनाए रखा जाएगा ।

(3) खण्ड 11 (2) के अनुसरण में दिए गए एप्रनों की पहनने वाली व्यक्तियों व्दारा स्पंज से पोछ कर या अन्य आर्द्र प्रक्रिया व्दारा प्रतिदिन पूर्णतया सफाई की जाएगी ।

(4) किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त तथा कार्यसाधक डस्ट रेसपिरेटर पहने बिना धूल वाले वस्तुओं के बोरों को खाली करने, तौलने तथा धूल वाले पदार्थो को मिलाने ओर वाल मिल्स एवं ब्लंजर्स को भरने का कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

11- ç{kkyu dh lfo/kk,¡ A&

(1) दखलकार खण्ड (2) में उल्लिखित की गई किन्हीं भी प्रक्रियाओं में नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक आच्छादित प्राक्षलन स्थान की व्यवस्था करेगा और उसे स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में बनाए रखेगा, जिसमें या तो –

(एक) चिकनी अवैद्य सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोंटियाँ या फव्वारों से, जो 60 सेंटीमीटर से अधिक अन्तर पर न होंगे, स्वच्छ जल का सतत प्रदाय होता हो, या

(दो) किसी एक समय मे नियोजित ऐसे प्रत्येक पांच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक टोटी या खडा नल होगा और एसी टोटी या खडा नल एक दूसरे के कम से कम 1.2 मीटर के अंतर पर लगा हुआ होगा, जिसमे नल का सतक प्रदाय होता हो, और

(2) नाखून साफ करने के ब्रुशों तथा साबुन के पर्याप्त प्रदाय सहित उपयुक्त सामग्री से बनी हुई स्वच्छ तौलियों का, जो प्रतिदिन बदली जायेगी, पर्याप्त प्रदाय होगा।

12- ç{kkyu d fy, le; dk fn;k tkukA& प्रत्येक भोजन के पूर्व तथा दैनिक कार्य की समाप्ति के प्रत्येक व्यक्ति को, जो खण्ड दो में वर्णित की गई प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया में नियोजित किया गया हो, नियमित रूप से दिए जो वाले भोजन के समय के अतिरिक्त कम से कम दस मिनट प्रक्षालन के हेतु दिए जाएंगे।

13- Hkkstu d{kA&

(1) विश्राम के अन्तरालों के दौरान परिसर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त भोजन कक्ष की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा, जिसमें प्रति व्यक्ति के लिए 1 वर्ग मीटर स्थान की व्यवस्था होगी तथा जो निम्नलिखित से सुसज्जित होगा–

(एक) पर्याप्त संख्या में पीठ टिकाने वाली मेजों, कुर्सियों या बैंचों से;

(दो) प्रक्षालन के लिए बर्तनों की व्यवस्था से;

(तीन) भोजन गर्म करने के लिए पर्याप्त साधनों से;

(चार) पीने के पानी की पर्याप्त मात्रा से;

(2) स्वच्छ वायु के परिचालन द्वारा कमरे को पर्याप्त रूप से संवातित किया जाएगा तथा किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और स्वच्छ रखा जाएगा।

14- dk;l d dejk e [kk|] i; vkfn dk çfr"kf/kr gkukA& कार्य के किसी भी कमरे में, जिसमें खण्ड 2 में वर्णित कोई भी प्रक्रिया की जाती हो, किसी भी कर्मकार द्वारा न तो कोई भी खाद्य, पेय पान या सुपारी या तम्बाकू लाई जाएगी तथा न ही उसका उपयोग किया जाएगा और भोजन अथवा विश्राम के अन्तराल के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी कमरे में नहीं रहेगा।

15- Dykd :eA& खण्ड 2 में वर्णित की गई प्रक्रियाओं में से किसी भी नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित व्यक्त की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा

(क) कार्य के घण्टों के दौरान उतार कर रखे गए वस्त्रों को रखने के लिए एक क्लोक रूमकी और ऐसा आवास, भोजन के किसी भी कमरे से पृथक होगाय

(ख) खण्ड 11 के अधीन प्रदान किए गए सुरक्षात्मक वस्त्रों के संग्रह के लिए पृथक् तथा उपयुक्त प्रबन्ध की।

16- ;s fofu;e fdlh Hkh ,l dkj[kkus dk ykx ugh gkx] ftle vU; fdlh ikVjh dk NkMdj fuEufyf[kr oLr|vk e l dkb oLr| cukb tkrh gkA&

(क) बिना पालिश की हुई या साल्ट ईंटें तथा खपरैलें, और

(ख) प्लास्टिक क्ले से तथा या तो बिना पालिश की हुई या केवल सीसा रहित पालिश से पालिश की हुई मिट्टी से बनाई गई वस्तु विद्या संबंधी पकाई हुई मिट्टी (टैरारोटा)।

17- NVA& यदि किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता– सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाए कि इस अनुसूची के समस्त या कोई भी उपबंध ऐसे कारखाने में नियोजित किए गए व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं तो वह लिखित में प्रमाण पत्र द्वारा ऐसे कारखाने को ऐसे समस्त या किन्हीं भी उपबंधों से ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि वह उसमें उल्लिखित करे, छूट दे सकेगा, ऐसा प्रमाण पत्र मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता– सह–सुविधाप्रदाता द्वारा कोई कारण बतलाए बिना ही किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा।

mi&vu|l|ph &13

ty d byDV'kykbfll ¼fo|rfoPNn½ }kjk mRiUu vkDlhtu rFkk gkbMkstu dk lEihMu

1- वह कमरा, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्र अधिष्ठापित किया जाए, आक्सीजन तथा हाइड्रोजन का संग्रहण तथा सम्पीड़न करने वाले संयंत्र के कमरे से पृथक् होगा।

2- किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा घण्टे–घण्टे भर के अन्तराल के निम्नलिखित बिन्दुओं पर आक्सीजन तथा हाइड्रोजन की शुद्धता का परीक्षण किया जाएगा

(एक) इलेक्ट्रोलाइसर कमरे में

(दो) गैस होल्डर इनलैट परय तथा

(तीन) सम्पीड़क के चूषण छोर पर।

शुद्धता के अंक ऐसे परीक्षण करने वाले व्यक्तियों द्वारा रजिस्टर में प्रविष्ट तथा हस्ताक्षरित किए जाएंगे :

परन्तु कुछ भी हो, यदि इलेक्ट्रोलाइसर संयंत्र अलार्म लाइट्स (संकट प्रकाश) सहित आक्सीजन तथा हाइड्रोजन की शुद्धता से स्वचालित रिकार्डर से युक्त हों तो यह पर्याप्त होगा। यदि गैसों की शुद्धता का केवल सम्पीड़क के सक्शन–एण्ड पर ही घण्टे–घण्टे के अन्तराल से परीक्षण कर लिया जाए।

3- आक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैसें उस दशा में सम्पीड़ित नहीं की जाएंगी। यदि खण्ड 2 के अधीन तथा अवधारित उनकी शुद्धता किसी भी समय 98 प्रतिशत से नीचे गिर जाए।

4- प्रत्येक प्रकार की गैस के लिए कम से कम दो गैस धारक होंगे और उसी गैस के लिए गैस धारक उनके निकास स्थानों के संधि स्थान पर इंटरलाक्ड वाल्व या लीवरों तथा थ्रीरीवे–काक्स से इस प्रकार युक्त होंगे कि कोई भी गैस–धारक किसी सम्पीड़क तथा इलेक्ट्रोलाइसर से एक ही समय पर संयोजित न हो तथा किसी एक समय पर केवल एक ही गैस–धारक कैपेशर लाइन से संयोजित हो।

5- किसी भी गैस–धारक के खाली होने की दशा में उसकी बेल को उसकी निम्नतम स्थिति के 30 सेन्टीमीटर (12 इन्च) के भीतर नहीं जाने दिया जाएगा और यह दर्शाने के लिए कि वह सीमा पहुँच चुकी है। गैस धारक एक दिखने वाले तथा श्रव्य चेतावनी संकेत अन्वायोजित किया जाएगा।

*6-*घोल बनाने के लिए उपयोग में लाया गया जल तथा कास्टिक सोडा औषध निर्माण संबंधी सीमाओं के भीतर रासायनिक रूप से शुद्ध होगा।

7- इलेक्ट्रोलाइसर सेल्स तथा जेनरेटर टरमिनल्स पर विद्युत संयोजन इस प्रकार लगाए जाएंगे, जिससे ऐसे गलत कनेक्शनों की संभावनाओं को, जिससे ध्रुवता का परावर्तन हो जाए, रोका जा सके।

8- आक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस पाइप अन्तर प्रकट करने वाले रंगों से रंगे जाएंगे तथा हाइड्रोजन गैस पाइप के जोड़ों पर रिसाव होने की स्थिति में पाइप को पुनरू जोड़ने के पश्चात् उसमें हाइड्रोजन का संग्रह करने के पूर्व उसकी समस्त हवा निकाल दी जाएगी।

9- इलेक्ट्रोलाइसर कमरे में समस्त विद्युत तार तथा साधित्र ज्वालारोधी निर्मित के होंगे या ज्वालारोधी अन्वायुक्तियों से आवृत्त होंगे और कोई भी अनावृत्त ज्योति या ज्वाला या तो किसी इलेक्ट्रोलाइसर कमरे में या वहाँ जहाँ कि गैसों के सम्पीड़न तथा भरे जाने का कार्य किया जाता हो, नहीं ले जाई जाएगी और ऐसी चेतावनी की सूचनाएँ प्रमुख स्थानों में प्रदर्शित की जाएंगी।

10- इलेक्ट्रोलाइसर संयंत्र तथा गैस धारकों तथा कम्प्रेसर के किसी भी भाग का वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग या कटिंग तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस भाग से किसी भी विस्फोटक पदार्थ को हटाने के लिए और ऐसी संक्रियाओं के लिए उस भाग को सुरक्षित करने के लिए उपाय न किए जा चुके हों तथा ऐसी संक्रियाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात् किसी भी विस्फोटक पदार्थ को उस भाग में ले जाए जाने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि विस्फोटक के खतरे को रोकने के लिए धातु को पर्याप्त रूप से ठण्डा न कर लिया गया हो।

11- संक्रिया, मरम्मत या बनाए रखने का कोई भी कार्य ऐसे व्यक्ति, जो अपने प्रशिक्षण, अनुभव तथा विस्फोट के खतरे के विरुद्ध सावधानियों का ज्ञान होने से ऐसे कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए सक्षम है, के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

12- fpfdRldh; ijh{k.kA&

(1) चिकित्सा अधिकारी जल के इलेक्ट्रोलाइसिस (विद्युतविच्छेद) द्वारा उत्पन्न आक्सीजन तथा हाइड्रोजन का सम्पीड़न इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा । वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार वाति पेय का विनिर्माण तथा उससे प्रासंगिक प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनरू उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) फिटनेस के प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह– सुविधाप्रदाता –सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जायेंगे।

mi&vu|l|ph &14

d|djh /kkr|vk| ;k j|r ;k vU; dkb| f?kl u| dh ph tk| }kjk tk| nch gb| ¼d|çLM½ ok;| dk Hkki dh ncko xfr l| pfyr gk] oLr|vk| dk| lkQ l|Fkjk fpduk] [kj[kjk vkfn djuk

(उत्सफोटन (ब्लास्टिंग) के विनियम

1- ifjHkk"kk,A& bl vu|l|ph d| ç;k tu d| fy,&

*Þ*mRlQk|Vu ¼CykfLV|x½A&से तात्पर्य कंकरी, धातुकरण, रेतकण या अन्य किसी ऐसी वस्तु से दबी हुई वायु या वाष्प की शक्ति से चलित कोई भी वस्तु के पृष्ठ भाग (सरफेस) को साफ, सुथरा, चिकना, खरखरा करने या निकाल डालने से है।

*Þ*mRlQk|Vu ?kjk ¼CykfLV|x ,uDyk|tj½ß से तात्पर्य उल्सफोटन के लिए बनाया गया कोष्ठ (चेम्बर) बेरल, पेटी (केबिनेट) या अन्य किसी घेरे से है।

"उत्सफोटन (ब्लास्टिंग) कोष्ठ (चेम्बर) श् से तात्पर्य ब्लास्टिंग के ऐसे घेरे से है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी कार्य के संबंध से या अन्यथा उसमें प्रवेश कर सके।

Þ<yh gb| oLr|vk| dh lQkb|Þ से तात्पर्य उस स्थिति में जहाँ पर वह कार्य धातु की ढली हुई वस्तुएँ बनाने से संबंधित अनुषंगिक (इंसीडेंटल) या अनुपूरक (सप्लीमेंटल) प्रक्रिया के रूप में किया जाता हो, ऐसी ढली हुई वस्तुओं से चिपके हुए रेत या अन्य पदार्थ से मुक्त करने से है और उसमें ढली हुई वस्तुओं की सामान्य सफाई तथा कोर निकलना सम्मिलित है, किन्तु इसमें फ्रीट्रीटमेंट संबंधी अन्य क्रिया सम्मिलित नहीं है।

2. रेत के उत्सफोटन (ब्लास्टिंग) का प्रतिबंध रेत या अन्य कोई पदार्थ, जिनमें मुक्त सिलिका अन्तर्विष्ट हो, ब्लास्टिंग उपकरण में रगड़ने वाली वस्तु के रूप में प्रविष्ट नहीं की जाएगी और उत्सफोटन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह खण्ड इस अनुसूची के प्रवर्तन में आने के दो वर्ष पश्चात् प्रवर्त होगा :

परन्तु यह और भी कि रेत उत्सफोटन की किसी प्रक्रिया में किसी भी महिला या अल्पवय व्यक्ति को नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

3- mRlQk|Vu çfØ;k d| l|c/k e| i|ko/kkfu;k|A&

(1) उत्सफोटन घेरे में ही किया जाएगा, उत्सफोटन घेरे के सिवाय उत्सफोटन और कहीं नहीं किया जाएगा तथा उत्सफोटन और उसमें ठीक आनुषंगिक कोई कार्य तथा घेरे को खाली करने और इसमें स्थित संयंत्र (प्लांट) तथा उपकरणों सहित घेरे की मरम्मत करने को छोड़कर कार्य अन्य कार्य उत्सफोटन घेरे में नहीं किया जाएगा। उत्सफोटन घेरे का प्रत्येक द्वार, झरोखा (अपेरचर) तथा जोड़ (ज्वाइंट) जबकि उसमें उत्सफोटन क्रिया चल रही हो, बन्द तथा वायुरुद्ध (एयर टाइट) रखा जाएगा।

(2) उत्सफोटन घेरे का अनुरक्षण– उत्सफोटन घेरा सदैव अच्छी दशा में बनाए रखा जाएगा तथा ऐसे घेरे में या उससे संबंधित उपकरणों से धूल का निष्कासन और उसके किसी कमरे की हवा में मिलने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

(3) पृथक्कारी उपकरण का उपबंध– प्रत्येक उत्सफोटन घेरे के लिए तथा उसके संबंध में कार्यक्षम उपकरण यावतसाध्य (प्रेक्टिकेबल) अपघर्षक (अबरेसिव) को, जो उत्सफोटन के लिए उपयोग में लाया जा चुका हो और जो पुनरू अपघर्षक (अबरेसिव) के रूप में लाया जाना हो, उत्सफोटन से मिली धूल या अन्य पदार्थ के कणों को पृथक करने के लिए व्यवस्था की जाएगी तथा बनाए रखा जाएगा और किसी भी ऐसा अपघर्षक (अबरेसिव) जब तक कि इस प्रकार अलग नहीं किया गया हो, तब तक किसी भी उत्सफोटन उपकरण में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा और न ही उत्सफोटन के लिए उपयोग में लाया जाएगारू

परन्तु यह खण्ड ब्लास्टिंग कोष्ठ (चेम्बर) के सिवाय इस अनुसूची के प्रवृत्त होने के पूर्व उत्सफोटन के लिए निर्मित या प्रतिष्ठापित घेरे के लिए यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता की यह राय हो कि ऐसे पृथक्करण उपकरणों की व्यवस्था करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य न हो, लागू नहीं होगा।

4- l|okrk;u l|;= ¼0gfVyfVx lykV½ dk mic/kA& घेरे में निर्मित धूल, यांत्रिक साधन द्वारा लगी निकास (एक्जास्ट ड्राट) से निकालने के लिए प्रत्येक उत्सफोटन घेरे के लिए एक कार्यक्षम संवातायन संयंत्र (प्लांट) का एक उपबंध किया जाएगा तथा बनाए रखा जाएगा, निकाली गई तथा हटाई गई धूल ऐसे तरीके से तथा ऐसी रीति में व्यनित की जाएगी कि वह किसी कमरे की हवा में न फैल सके और कमरे में जिसमें कि उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जो ऐसे बैग या अन्य छानने (फिल्टरिंग) या सेटलिंग युक्ति (डिवाईस) के कार्य में लगे हुए हों, अन्य व्यक्ति नियोजित किए गए हों, स्थित प्रत्येक अन्य छानने (फिल्टरिंग) या सेटलिंग डिवाइस (युक्ति) को खुली हवा में संवातित घेरे में कमरे की सामान्य हवा से पूर्णतरू पृथक् रखा जाएगा।

5- l|okrk;u l|;= ¼lykV½ dh fØ;kA& उप कण्डिका (4) के प्रयोजन के लिए उपबंधित संवातायन संयंत्र (प्लांट) में, जब भी उत्सफोटन घेरा उपयोग में हो, चाहे उसमें उत्सफोटन वास्तविक रूप में किया जा रहा हो या नहीं,

लगातार चालू रखा जाएगा और ऐसी स्थिति में जब उत्सफोटन कक्ष में यदि कोई व्यक्ति कक्ष के भीतर सफाई करने के प्रयोजन के लिए हो तो भी वह चालू रखा जाएगा।

6- fujh{k.k rFkk ijh{k.kA&

(1) प्रत्येक उत्सफोटन घेरे का जब वह उत्सफोटन के लिए उपयोग में लाया गया हो, सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार विशेष रूप से निरीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक उत्सफोटन घेरा, उससे संबंधित उपकरण और संवातायन संयंत्र (प्लांट) का पूर्ण रूप से परीक्षण किया जाएगा और संवातायन संयंत्र की दशा में सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मास में कम से कम एक बार जाँच की जाएगी।

(2) ऐसे प्रत्येक निरीक्षण, परीक्षण तथा जाँच के परिमाण के ब्यौरे एक रजिस्टर में तत्काल प्रविष्ट किए जाएंगे, जो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्ररूप में रखा जाएगा और कारखाने में या उत्सफोटन के संबंध में नियोजित किसी भी कर्मकार को निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। ऐसे किसी निरीक्षण, परीक्षण या जाँच में पाई गई कोई भी त्रुटि की ऐसे निरीक्षण, परीक्षण या जाँच करने वाले व्यक्ति द्वारा कारखाने के अधिभोगी, प्रबंधक या अन्य समुचित व्यक्ति को तुरन्त रिपोर्ट की जाएगी और इस अनुसूची की पूर्वगामी अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिहार्य विलंब किए बिना दूर की जाएगी।

7. lj{kd f'kjL=k.k ¼gyeV½] ykg d nLrkuk ¼xkVy½ rFkk loPNkfn;k ¼vkoojvkYl½ dk mic/kA&

(1) ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए जो उत्सफोटन कक्ष में या उससे संबंद्ध किसी कार्य में या उस कक्ष को साफ करने में नियोजित हो, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता के प्रमाण पत्र द्वारा अनुमोदित प्रकार के संरक्षक शिरस्त्राण (हेलमेट्स) का उपबंध किया जाएगा तथा उन्हें बनाए रखा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति इस उपयोग के लिए उपबंधित शिरस्त्राण (हेलमेट्स) को जबकि वह कक्ष में हो, पहनेगा और उसे तब तक नहीं उतारेगा, जब तक कि वह कक्ष के बाहर न हो।

(2) प्रत्येक संरक्षक शिरस्त्राण (हेलमेट्स) पर उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा वह उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित हो, दर्शाने वाला एक पहचान चिन्ह रहेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसा शिरस्त्राण (हेलमेट) जिस पर उसका चिन्ह न हो या ऐसा शिरस्त्राण (हेलमेट) जो अन्य व्यक्ति द्वारा पहना जा चुका हो, जब तक कि वह रोगाणुनाशित न कर दिया गया हो, पहनने के लिए अनुज्ञात या अपेक्षित नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक संरक्षक शिरस्त्राण (हेलमेट) जब वह उपयोग में हो, के साथ कम से कम छरू घन फुट प्रति मिनिट की मात्रा में स्वच्छ और समुचित ठंडी हवा का प्रदाय किया जाएगा।

(4) समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए, जबकि वे उत्सफोटन का कार्य कर रहे हों या उत्सफोटन करने में सहायता कर रहे हों, उपयुक्त लोहे के दस्तानों (गान्टलेट्स) तथा सर्वच्छादियों (ओव्हरआल्स) का उपबंध किया जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जबकि वह ऐसे कार्य में लगा हुआ हो, उसे दिए गए लोहे के दस्ताने (गांलांटलेट) तथा सर्वच्छादी (ओव्हरआल्स) पहनेगा।

8- lQkbZ rFkk vU; dk;Z d lc/k e iokZo/kkfu;k¡A&

(1) जहाँ कोई व्यक्ति उत्सफोटन उपकरण या उत्सफोटन घेरे या उससे संबंधित किसी अन्य कार्य उत्सफोटन घेरे या उससे संबंधित किसी उपकरण या संवातायन संयंत्र (प्लांट) की सफाई में लगाया गया हो, जिससे वह धूल के जो कि उत्सफोटन से उत्पन्न हुई हो, निश्वसन की जोखिम से सुरक्षित न हो तो ऐसे निश्वसन को रोकने के लिए समस्त व्यवहार्य पूर्वोपाय किए जाएंगे।

(2) खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट किसी सफाई प्रक्रिया के संबंध में और छानने (फिल्टरिंग) या सेटलिंग युक्ति (डिवाइस) से धूल हटाने के संबंध में धूल का व्ययन (डिसपोजल) ऐसी रीति से करने के लिए समस्त व्यवहार्य पूर्वोपाय किए जाएंगे, जिससे वह धूल किसी कमरे की हवा में प्रविष्ट न हो सके। निर्यात मार्जक (व्हेकुअम क्लीनर्स) का उपबंध किया जाएगा और ऐसी सफाई प्रक्रियाओं में, जब भी व्यवहार्य हो, उन्हें प्रयोग में लाया जाएगा।

9- lj{kd diMk ¼çkVDVh0g oh;j½ d lxg.k d fy, LFkkuA& खण्ड 5 द्वारा उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित शिरस्त्राणों (हेलमेट) लोहे के दस्तानों (गान्टलेट्स) तथा सर्वच्छादियों (ओह्वरआल्स) के संग्रहण के लिए पर्याप्त तथा समुचित स्थान प्रत्येक उत्सफोटन घेरे के बाहर तथा सुविधानुसार उसके पास ही होगा और ऐसा स्थान स्वच्छ रखा जाएगा। शिरस्त्राण (हेलमेट) लोहे के दस्ताने (गान्टलेट्स) एवं सर्वच्छादी (ओह्वरआल्स) जबकि वे वास्तविक उपयोग में न हों, इसे स्थान में रखे जाएंगे।

10- lj{kd diMk dk j[kj[kko rFkk lQkbZA& इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए उपबंधित तथा पहने गए समस्त शिरस्त्राण (हेलमेट) लोहे के दस्ताने (गान्टलेट्स) सर्वच्छादी (ओह्वरआल्स) तथा अन्य संरक्षक युक्तियाँ (डिवाइसेस) अच्छी दशा में रखे जाएंगे और जहाँ तक युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य हो, प्रत्येक सप्ताह में किसी एक दिन, जबकि उन्हें उपयोग में लाया गया हो, साफ किए जाएंगे, जहाँ ऐसे संरक्षक कपड़ों या युक्तियों (डिवाइसेस) की सफाई

करने से निकलने वाली धूल से निश्वसन होना संभव हो, वहाँ ऐसे निश्वसन को रोकने के लिए समस्त व्यवहार्य पूर्वोपाय किए जाएंगे, ऐसे कपड़ों से धूल हटाने के लिए जहाँ व्यवहार्य हो, वहाँ निर्वात मार्जन (व्हेक्युम क्लीनर्स) उपयोग में लाए जाएंगे और ऐसे कपड़ों से धूल निकालने के लिए दबाव की हवा (कम्प्रेशर एयर) का उपयोग नहीं किया जाएगा।

11- fuokr lQkbl l;= ¼0gD;e fDyfux IykV½ dk j[kj[kkoA& इस अनुसुची के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए निर्वात सफाई संयंत्र (व्हेक्युम क्लीनिंग प्लांट) को उचित रूप से बनाए रखा जाएगा।

12- vYio; 0;fä dk fu;kstu djus esa fucU/ku ¼jLVhD'ku½A&

(1) 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, उत्सफोटन करने में या उत्सफोटन में सहायता करने या किसी उत्सफोटन कक्ष (ब्लास्टिंग चेंबर) में या किसी उत्सफोटन कक्ष उपकरण या किसी उत्सफोटन घेरे या किसी उपकरण या उससे संबंधित किसी संवातायन संयंत्र को साफ करने में नियोजित नहीं किया जाएगा या ऐसे उपकरणों, घेरा या संयंत्र को बनाए रखने या मरम्मत करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

(2) 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी उत्सफोटन घेरे के बीस फुट के भीतर नियमित रूप से कार्य करने के लिए तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा घेरा कोई कमरे में हो और वह व्यक्ति उस कमरे के बाहर हो, वहाँ वह घेरे से आने वाली किसी धातु से प्रभावी रूप से पृथक् हो।

13- NV nus ;k f'kfFky djus dh 'kfäA&

(1) यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता– सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाए कि किसी कारखाने या कारखाने के किसी वर्ग में किसी विशिष्ट निर्माण या प्रक्रिया (धातु ढालने की अनुषंगिक या अनुपूरक प्रक्रिया को छोड़कर) उत्सफोटन में रेत या अपघर्षक (अब्रेसिव) के रूप में (फ्री)ध सिलिका के साथ अन्य पदार्थ का उपयोग आवश्यक है और निर्माण या प्रक्रिया ऐसे अपघर्षक अब्रेसिव के उपयोग के बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है या कार्य की विशेष शर्तों या विशेष तरीके के कारण या अन्यथा इस अनुसूची की किसी आवश्यकता को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से निलंबित या किसी ऐसी आवश्यकता को लागू करना किसी कारण से अव्यवहार्य या अनुपयुक्त है तो वह राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से लिखित में आदेश द्वारा इस अनुसूची के ऐसे उपबंधों के उक्त कारखानों के वर्ग को किसी ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी कालावधि के लिए जो कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, छूट दे सकेगा।

(2) जहाँ उपखण्ड (1) के अधीन छूट मंजूर की जा चुकी हो, वहाँ उस आदेश की एक प्रति कारखाने के मुख्य प्रवेश स्थान के सूचना फलक पर उस स्थान पर भी जहाँ उत्सफोटन किया जाता हो, प्रदर्शित की जाएगी।

14- fpfdRlh; lqfo/kk,¡ vkSj ijh{k.kA&

(1) हर एक कारखाने का, जिस पर यह अनुसूची लागू होती है, अधिभोगी–

(क) उसमें नियोजित सभी कर्मकारों के स्वास्थ्य पर निगरानी के लिए एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की नियुक्ति करेगा और उसकी नियुक्ति मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता के अनुमोदनाधीन होगीय और

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उक्त चिकित्सा व्यवसायी को आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षणों और उपयुक्त जाँच के अभिलेख, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखा जाएगा।

(3) चिकित्सा अधिकारी कंकरी धातुओं या रेत या अन्य कोई घिसने की चीजों द्वारा जो दबी हुई (कंप्रेस्ड) वायु का भाप की दबाव गति से चलित हों, वस्तुओं को साफ सुथरा चिकना, खरखरा आदि प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा । वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(4) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार इन प्रक्रियाओं में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(5) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनरू उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(6) फिटनेस के प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह– सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह– सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जायेंगे।

mi&vu|l|ph &15

,LcLVkl dk dk;l vkj çfØ;k] ,lcLVkl dh fdlh oLr| dk fofuek.k vkj fofuek.k dh vU; dkbl çfØ;k ;k vU;Fkk ftlem ,LcLVkl dk fdlh :i e mi;kx gk

1- ykx gkukA& यह अनुसूची उन सभी कारखानों या कारखानों के भागों को लागू होगी, जिसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाती हों–

(क) एस्बेस्टास को तोड़ना, क्रश करना, छिन्न–भिन्न करना, खोलना, घिसाई करना, समिश्रित करना या छानना और उसके अनुषंगिक अन्य प्रक्रियाएं जिनमें एस्बेस्टास का काम और अभिचालन शामिल हो;

(ख) एस्बेस्टास टेक्सटाइल विनिर्माण की सभी प्रक्रियाएँ, जिनमें प्रिपैरिट्री और फिनिशिंग प्रक्रिया भी शामिल है;

(ग) एस्बेस्टास से या उसे मिलाकर सुलेशन स्लैब या सैक्शन बनाना और उससे अनुषंगिक प्रक्रियाएँ;

(घ) एस्बेस्टास से या उसे मिलाकर इन्सुलेटिंग चटाई बनाना या उनकी मरम्मत करना और उनसे अनुषंगिक प्रक्रियाएँ;

(ड़) एस्बेस्टास कार्ड–बोर्ड और कागज का विनिर्माण;

(च) एस्बेस्टास सीमेंट की वस्तुओं का विनिर्माण;

(छ) फुहारे विधि से एस्बेस्टास की प्रयुक्ति;

(ज) एस्बेस्टास से या उसे मिलाकर बनी वस्तुओं को सूखी अवस्था में चिरान, पिसाई, टर्निंग, एम्ब्रेडिंग और पालिश करना;

(झ) एस्बेस्टास धूल को एकत्र करने के किसी कमरे, पात्र, चौम्बर, फिक्सचर या साधित्र की सफाई का कार्यय और

(ञ) कोई अन्य प्रक्रियाएँ, जिसमें एस्बेस्टास धूल कार्य के वातावरण में छोड़ी जाती हो।

2- ifjHkk"kk,& bl vu|l|ph d ç;ktu d fy,A&

(क) *",LcLVklß* से तात्पर्य कोई रेशेदार सिलिकेट खनिज और उनका एक्टिनोलाइट, एमोसाइट, एन्थोफाइलाइट, ड्राइसोलाइट, क्रोसिडोलाइट, ट्रमोलाइड या उनका कोई मिश्रण चाहे वह कच्ची अवस्था में कूटकर या अलग–अलग कर दिया गया होय

(ख) *Þ,LcLVkl VDlVkby'kÞ* से तात्पर्य एस्बेस्टास या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित एस्बेस्टास से बने धागे या कपड़े से हैय

(ग) *Þvuekfnrß* से तात्पर्य मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा तत्समय लिखित में अनुमोदित से है;

(घ) *ßckl&midj.kß* से तात्पर्य आवश्यक संयोजन युक्त हेलमेट या फेस पीस जिससे उपयोग करने वाला व्यक्ति धूल मुक्त श्वांस ले सके या किसी अन्य अनुमोदित उपकरण से है;

(ङ) *ßl{ke ok;| fu"dklu* से तात्पर्य धूल निकास के यांत्रिक साधनों द्वारा निर्मित सीमित संवातन से है, जिसके द्वारा धूल को किसी ऐसे स्थान पर, जहाँ कार्य हो रहा हो कि हवा से विसर्जित होने से रोका जा सके। किसी निष्कासक को सक्षम नहीं माना जाएगा। यदि वह धूल पैदा होने वाले बिन्दु पर धूल नियंत्रण करने में असफल हो जाता है;

(च) *ßr|;kj djukÞ ¼fçifjx½* से तात्पर्य एस्बेस्टास के ओपनिंग के लिए कूटना, टुकड़े करना और अन्य प्रक्रिया करना या उससे अनुषंगिक क्रियाओं से है;

(छ) *ßcpko d diMÞ* से तात्पर्य ओवराल और सिर ढकने के कपड़े से है, जो (किसी भी दशा में) एस्बेस्टास धूल को बाहर ही रोक दें।

3- vkktkj vkj midj.kA& उन प्रक्रियाओं में, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, उपयोग किए जाने वाले कोई औजार या उपकरण इस प्रकार से होंगे कि वे निर्धारित सीमा से अधिक धूल पैदा नहीं करेंगे या वे सक्षम वायु निष्कासक से सज्जित होंगे।

4- ok;| fu"dkl dA&

(1) निम्नलिखित प्रक्रियाओं और मशीनों से धूल नियंत्रित करने के लिए सक्षम वायु निष्कासक प्रदत्त होंगे और अनुरक्षित किए जाएंगे–

(क) विनिर्माण और वहन (कन्वेथिंग) मशीनें अर्थात–

(एक) पूर्व प्रक्रिया पिसाई या शुष्क मिश्रण की मशीनें;

(दो) कार्डिंग, कार्ड वेस्ट और रिंग स्पिनिंग मशीनें और लूम्स;

(तीन) मशीनें या अन्य संयंत्र जिनमें एस्बेस्टास फीड किया जाता है; और

(चार) एस्बेस्टास के पूरे या मिलाकर बनी वस्तुओं की सूखी हालत में साईंग ग्राइंडिंग टर्निंग, डिलिंग, एबेरजिंग या पालिशिंग में प्रयुक्त की जाने वाली मशीनें;

(ख) कार्डिंग मशीनों के सिलेन्डर या अन्य संरचनाएं जिनके अन्दर से खुला एस्बेस्टास गुजरता है या गुजारा जाता है;

(ग) एस्बेस्टास वेस्ट की छटाई या एस्बेस्टास को हाथ से एस्बेस्टास को किसी अभिचालन हेतु काम आने वाली कार्य बेन्च;

(घ) बोरेबेल्व या अन्य पोर्टेबल भरने या उन्हें खाली किए जाने की, तोलने की या हाथ से की जाने वाली अन्य अनुषंगिक क्रियाएँ जहाँ की जाती हैं, वे स्थान;

(ड़) बोरे सफाई की मशीनें;

(च) हाथों से एस्बेस्टास मिश्रित और ब्लेन्डिंग करनाय और

(छ) अन्य प्रक्रियाएँ करना, जिनमें काम के वातावरण में धूल विसर्जित हो।

(2) उप–पैरा (1) के अनुसार प्रदत्त वायु निष्कासक उपकरण, जब उक्त मशीन साधित्र या अन्य संयंत्र या उपकरण, जिसके संबंध में उसे लगाया गया है, के अनुरक्षण या मरम्मत का कार्य जब किया जाए, तब उसे भी उपयोग में लाया जाए, ताकि वायु निष्कासन पैदा हो, जो काम के स्थान की वायु में एस्बेस्टास धूल के प्रवेश को रोके।

(3) वायु निष्कासन उपकरण द्वारा निष्कासित एस्बेस्टास धूल को काम के किसी कमरे में विसर्जित होने से रोकने की व्यवस्था की जाएगी।

(4) वायु निष्कासन प्रणाली द्वारा किसी कमरे से हटाई गई एस्बेस्टास युक्त धूल उपयुक्त पात्र अथवा फिल्टर बैग में, जो काम के सभी क्षेत्रों से पृथक हो, इकट्ठी की जाएगी।

5- lokru ç.kkyh dh tkp rFkk ijh{k.kA&

(1) इस अनुसूची द्वारा अपेक्षित धूल निष्कासन अथवा कम करने के लिए प्रयुक्त सभी संवातन प्रणाली की सप्ताह में एक बार जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा परीक्षण और जाँच की जाएगी। इसकी बारह महीने की अवधि में एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा पूरी तरह परीक्षण और जाँच की जाएगी। इस तरह परीक्षण या जाँच में पाई गई किसी त्रुटि को तुरन्त दूर किया जाएगा।

(2) ऐसी परीक्षण और जाँच और संयंत्र की स्थिति और मरम्मत या परिवर्तन के, यदि कोई करना आवश्यक पाया गया हो, विवरण एक रजिस्टर में रखे जाएंगे, जो निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु उपलब्ध हों ऐसे रखा जाएगा।

6- dN çfØ;kvk d çdj.k e iFkDdj.kA& एस्बेस्टास का हाथ से मिश्रण करना या ब्लेन्डिंग करना या एस्बेस्टास युक्त या उसके कुछ भाग को मिलाकर बनाई गई अवरोधक चटाई का बनाना या मरम्मत करने का कार्य किसी ऐसे कमरे में, जिसमें अन्य कार्य किया जा रहा हो, नहीं किया जाएगा।

7- [kyl ,LcLVkl dk Hk.Mkj.k vkj forj.kA& (1) खुला हुआ सभी एस्बेस्टास जब कि उसका उपयोग न हो, तब उसे उपयुक्त रूप से बंद पात्र में रखा जाएगा, जिससे उसमें से एस्बेस्टास धूल का निकलना रोका जा सके। एस्बेस्टास का कारखाने के अन्दर वितरण नहीं होगा। सिवाय उस दशा के जब कि वह बंद पात्र या पूरी तौर पर बंद वहन प्रणाली द्वारा किया जाए।

8- ,LcLVkl d FkyA&

(1) कारखाने के अंदर एस्बेस्टास के परिवहन के प्रयोजन के लिए पात्र की तरह प्रयुक्त सभी थैले अभेद्य पदार्थ से निर्मित हों और वे अच्छी दुरुस्त दशा में रखे जावेंगे।

(2) एस्बेस्टास युक्त थैलों की हाथ से पिटाई कर सफाई नहीं की जाएगी, बल्कि पैरा 3 के अनुपालन में बनी मशीन से थैलों की सफाई की जाएगी।

9- Q'k vkj dk;| LFkyk dk vuj{k.kA&

(1) हर एक कमरे में, जिनमें इस अनुसूची की अपेक्षाएं लागू होती हों–

(क) फर्श, काम की बैंच, मशीनों और संयंत्र साफ और एस्बेस्टास चूरा रहित दशा में रखे जाएंगे और तत्काल उपयोग के लिए जो एस्बेस्टास अपेक्षित न हो, उसके भण्डारण की उपयुक्त व्यवस्था होगीय और

(ख) किन्हीं पदार्थ कोई यंत्र या अन्य वस्तुओं, जिनकी उस कमरे में किए जाने वाले कार्य में तत्काल आवश्यकता न हो और जो फर्श को भली प्रकार सफाई में बाधा डाले उनमें फर्श को मुक्त रखा जाएगा।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित सफाई जहाँ तक व्यवहार्य हो, वायु निर्वात सफाई उपकरण से की जाएगी, जिसका रूपांकन और सन्निर्माण तथा उसका उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि न तो एस्बेस्टास धूल कार्य स्थल की वायु में निकलेगी और न ही विसर्जित होगी।

(3) उप–पैरा (2) में उल्लिखित पद्धति से भिन्न किसी अन्य पद्धति से सफाई की जाती है तो कमरे में सफाई करने वाले और अन्य नियोजित व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और बचाव के कपड़े प्रयुक्त किए जाएंगे।

(4) उप–पैरा (2) के उपबंधों के अनुसार वायु निर्वात सफाई उपकरण का उपयोग किया जाए, तब उसका भली प्रकार से अनुरक्षण किया जाएगा और हर एक बार सफाई के बाद उसकी सतह साफ और एस्बेस्टास कचरे और धूल रहित रखी जाएगी।

(5) काम की पाली पश्चात् फर्श पर या कार्य स्थल की अन्य सतहों पर एस्बेस्टास कचरे को पड़ा रहने की अनुज्ञा नहीं होगी और बगैर देरी किए उसे उपयुक्त पात्र में अन्तरित कर दिया जाएगा। कार्य के दौरान भी किसी समय एस्बेस्टास कचरे के फैल जाने पर बगैर देरी किए उसे इस प्रयोजन हेतु रखे गए पात्रों में अन्तरित किया जाएगा।

10- lkl yu d midj.k vkj cpko d diMA& निम्न कार्यों में नियोजित हरेक व्यक्ति के उपयोग के लिए अनुमोदित प्रकार के सांस लेने के उपकरण और बचाव के कपड़े प्रदाय किए जाएंगे और वे अच्छी दशा में बनाए रखे जाएंगे–

(क) खुले हुए एस्बेस्टासयुक्त चेम्बरों में;

(ख) धूल बैठने या छानन के प्रकोष्ठों या उपकरणों की सफाई में;

(ग) सिलेण्डरों जिनमें डाफर, सिलेण्डर शामिल हैं या कार्डिंग मशीन के अन्य कोई भाग की, हाथ की मार से किए सफाई कार्य में; और

(घ) अवरोधक चटाई के विनिर्माण या मरम्मत में भरने, ठोंकने या तल बराबर करने में; और

(ङ) किसी अन्य प्रक्रिया या स्थिति में, जिनमें तकनीकी साधनों से एस्बेस्टास धूल का कार्य के स्थान में, अनुमति दी गई सीमा के भीतर नियंत्रण करने के साधनों का अपनाना व्यवहार्य हो।

(2) इस नियम के अनुसार प्रदत्त सांस लेने के उपकरण व बचाव के कपड़े उपयोग हेतु जहाँ पहने व उतारे जा सकेंगे। इसके लिए सुगम स्थिति में स्थित उपयुक्त स्थान की व्यवस्था होगी और जब उनका उपयोग न हो, तब ऐसे उपकरणों व कपड़ों के भण्डारण के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।

(3) सभी सांस लेने के उपकरण और बचाव के कपड़े जब उपयोग न किए जाएं, तब उपरोक्त उपनियम (2) के अनुसार प्रदत्त स्थान में भण्डारित होंगे।

(4) सभी बचाव के कपड़ों की एक सक्षम वायु निष्कासक के नीचे या वायु निर्वात सफाई उपकरण से धूल झाड़ी जाएगी और उपयुक्त अन्तरालों पर उनकी धुलाई की जाएगी। सफाई का क्रम और प्रक्रिया ऐसी होगी कि जिससे पहनने वाले का सक्षमता से बचाव सुनिश्चित हो।

(5) सभी सांस लेने के उपकरणों को उपयुक्त अन्तरालों पर साफ और कीटाणु रहित किया जाएगा और मास में एक बार किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उनकी पूरी तौर पर जाँच की जाएगी।

(6) सांस लेने के उपकरणों की सफाई और अनुरक्षण के अभिलेख उक्त प्रयोजन हेतु रखे गए एक रजिस्टर में रखे जाएंगे और वह निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध रहेगा।

(7) उप–पैरा (1) में निर्दिष्ट कार्यों को, जिनके लिए उक्त पैरा के अधीन सांस लेने के उपकरण प्रदत्त करना आवश्यक है, करने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक उसे उन उपकरणों के भली प्रकार उपयोग किए जाने के लिए पूरी तरह से अनुदेश न दिए गए हों।

(8) उप–पैरा (1) के अनुसरण में प्रदत्त कोई सांस लेने वाला उपकरण, जिसे एक व्यक्ति द्वारा पहना जा चुका हो, उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं पहना जाएगा, जब तक कि उसे आखिरी बार पहनने के पश्चात् पूरी तौर साफ और कीटाणु रहित न कर दिया गया हो और दूसरे व्यक्ति को उस उपकरण के भली प्रकार उपयोग करने के लिए पूरी तौर पर अनुदेशिक न किया जा चुका हो।

11. व्यक्तिगत कपड़ों हेतु पृथक् स्थान उन सभी कार्यों, जिन पर यह अनुसूची लागू होती है, में नियोजित वयक्तियों के लिए सुगमता से पहुँच गम्य स्थिति में व्यक्तिगत कपड़ों को रखने के लिए पृथक् स्थान की व्यवस्था की जाएगी। यह स्थान उप–पैरा (2) के अधीन प्रदत्त स्थान पृथक् होगा, ताकि व्यक्तिगत कपड़ों को संदूषित होने से रोका जा सके।

12- çf{kkyu vkj Luku lqfo/kk,A&

(1) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वा कार्यों में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए साफ व अच्छी मरम्मत की दशा में प्रत्येक 15 नियोजित व्यक्ति के लिए एक स्थान की दर से पर्याप्त प्रक्षालन और स्नान के स्थान होंगे और छायादार स्थान में निरन्तर जलप्रदाय होगा।

(2) प्रक्षालन स्थान में एक मीटर की दूरी से कम न हो, इस अन्तर से स्टेण्ड पाइप लगे होंगे।

(3) प्रक्षालन स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम न हो, इतनी संख्या में स्नानागार होंगे।

(4) उपयुक्त पदार्थ के बने साफ तौलियों के प्रदाय की व्यवस्था होगी।

परन्तु से यह कि यदि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता के द्वारा आदेशित किया जाए तो ऐसे तौलिए हर एक कर्मकार को व्यक्तिगत रूप से प्रदाय किए जाएंगे।

13- [kkuk dk dejkA&

(1) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कारखानों में नियोजित सभी कर्मकारों के, जो आराम हेतु मध्यान्तर में वहां रह जाते हों, उपयोग के लिए एक उपयुक्त खाना खाने का कमरा होगा, जिसमें–

(क) पर्याप्त मात्रा में पीछे टिकने के बेन्च सहित बेन्च व टेबिलें होगी;

(ख) खाना गर्म करने के पर्याप्त साधन होंगे।

(2) खाने का कमरा किसी जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार के अधीन होगा और उसे साफ रखा जाएगा।

14- vYio; 0;fä;k d fu;ktu dk çfr"k/kA& इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली किन्हीं भी प्रक्रियाओं में अल्पवय व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जाएगा।

15- /kewiku d lc/k e çfr"k/kA& इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाएं, जहां चलाई जाती हों, वहां किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा। संयंत्र में ऐसे क्षेत्रों में बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में धूम्रपान प्रतिषेध करने हेतु सूचनाएँ चिपकाई जाएंगी।

16- lko/kkuh lc/kh lpuk,A&

(1) प्रवेश द्वारों पर और एस्बेस्टास प्रक्रिया क्षेत्र की परिमिति पर सभी व्यक्तियों को आगाह करने के लिए निम्नांकित के संबंध में सावधानी सूचनाएँ प्रदर्शित की जाएंगी–

(क) एस्बेस्टास धूल से स्वास्थ्य के खतरों के बारे में;

(ख) उपयुक्त बचाव उपकरण के उपयोग की आवश्यकता के बारे में;

(ग) अनाधिकृत व्यक्ति या अधिकृत व्यक्ति जो बिना बचाव उपकरणों के हो, के प्रवेश परप्रतिषेध के बारे में;

(2) ऐसी सूचनाएँ बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होंगी।

17- ok;q ekuhVfjxA& नियंत्रक उपायों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए हरेक पाली में कम से कम एक बार वायु में एस्बेस्टास रेशों की मानीटरिंग की जाएगी और प्राप्त परिणामों के अभिलेख विशिष्ट रूप से इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे।

18- fpfdRlh; lqfo/kk,q vkj fpfdRlh; ijh{k.k A&

(1) हर एक कारखाने या उसके भाग, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा ;

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए सभी परीक्षणों तथा उपयुक्त जाँचों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता– सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे।

(3) पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का उसके प्रथम नियोजन के 15 दिनों के अन्दर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसी जाँच में पल्मोनरी फंक्शन जाँच, थूक में एस्बेस्टास रेशों की उपस्थिति की जांच और सीने का एक्स–रे सम्मिलित होंगे। किसी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के पश्चात् काम करने की अनुमति नहीं होगा, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु उसे फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो।

(4) इस अनुसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(5) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की किसी कर्मकार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि उक्त प्रक्रिया में निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा अन्तर्निहित करने से वह कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजित बने रहने के लिए फिट नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अंकित करेगा। इन दस्तावेजों के

उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी, जिसके लिए वह व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए फिट नहीं मानता। अनफिट होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(6) किसी भी व्यक्ति को, जो उप–पैरा (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अनफिट पाया गया हो। उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनरू नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनरू फिट प्रमाणित नहीं कर देता।

(7) फिटनेस के प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह– सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे।

20. छूट– यदि किसी कारखाने के सम्बन्ध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह– सुविधाप्रदाता को इस कारण से कि विशिष्ट परिस्थितियों या प्रक्रिया की अल्प आवृत्ति या किसी अन्य कारण से, यह समाधान हो जाए कि कारखाने के कर्मकारों की सुरक्षा हेतु इस अनुसूची के सभी या कुछ उपबंध आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता– सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण–पत्र द्वारा, जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है, ऐसे कारखाने को ऐसे सभी या उनमें से कुछ उपबन्धों से, ऐसी शर्तों के, यदि कोई है अधीन रहते हुए, जिन्हें वह उसमें निर्दिष्ट करे, छट प्रदान कर सकेगा।

mi&vuqlwph &16
{kfrdkjd ¼dkjkflo½ inkFkZ dk gLru rFkk çgLru

1- *ifjHkk"kk,&* *bl vuqlwph d çk;kstu d fy,&*

(क) "क्षतिकारक संक्रिया" से तात्पर्य किसी कारखाने में क्षतिकारक पदार्थों का उत्पादन संग्रहण हस्तन, उनकी प्रक्रिया, पैकिंग या उनका उपयोग करने की संक्रिया से है;

(ख) "क्षतिकारक पदार्थश् में सम्मिलित हैं सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाईड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कारबोलिक एसिड, फासफोरिक एसिड, द्रव कोलिन द्रव बोमाइन, अमोनिया, सोडियम, हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं उनका मिश्रण और अन्य ऐसे पदार्थ, जिन्हें राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्षतिकारक पदार्थ होना विनिर्दिष्ट करे।

2- Q'kA& कारखाने के ऐसे प्रत्येक कार्य कक्ष का, जिसमें क्षतिकारक संक्रिया की जाती है। फर्श, अभेद्य, क्षरण एवं अग्नि का प्रतिकार करने वाली सामग्री से बनाया जाएगा और उसका निर्माण इस प्रकार किया जाएगा, ताकि कोई क्षतिकारक पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित न हो सके। ऐसे फर्श का भूतल सदैव चिकना एवं स्वच्छ होगा और अच्छी दशा में बनाए रखा जाएगा।

3- j{kkRed lHkkj ¼bDohieV½A&

(क) अभिभोगी किसी भी क्षतिकारक संक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए उपयुक्त रक्षात्मक उपाय के रूप में हाथों के दस्ताने और पैरों के लिए जूते, उपयुक्त एप्रन्स, मुखरक्षक, रसायनों से सुरक्षित चश्मे तथा वायु शुद्ध करने वाले यंत्रों की व्यवस्था करेगा। ऐसे यंत्र अच्छी हालत में बनाए रखे जाएंगे तथा साफ और आरोग्य दायक दशा में रखे जाएंगे, जिसके लिए उन्हें उपयुक्त प्रकारों से परिष्कृत किया जाएगा, ताकि किसी शोधन रसायन के दुष्परिणामों को दूर किया जा सके और उन्हें कीटाणु रहित भी किया जा सके। अधिभोगी उपयुक्त रक्षात्मक स्निग्ध पदार्थ (क्रीम) तथा अन्य निर्मितियों (प्रपरेशन्स) की भी, जब कभी उनकी आवश्यकता हो, व्यवस्था करेगा।

(ख) उपबन्धित रक्षात्मक यंत्र तथा निर्मितियाँ किसी क्षतिकारक संक्रिया में नियोजित व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई जाएंगी।

4- ty lfo/kk,A& जहाँ क्षतिकारक पदार्थों से संबंधित संक्रियाएँ की जाती हों, वहां ऐसी संक्रिया के यथासंभव निकटवर्ती स्थान पर जो 210 से.मी. (7 फुट) से कम ऊँचाई पर न हो। 1.25 से.मी. (1/2 इंच) व्यास के नल द्वारा, जिसमें शीघ्र कार्य करने वाला वाल्व का प्रयोग किया गया हो, स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी कर्मकार को किसी क्षतिकारक पदार्थ द्वारा क्षति की दशा में क्षतिग्रस्त भाग को पूर्ण रूप से पानी से अच्छी तरह से धोया जा सके, जहाँ कहीं आवश्यक हो, जल सतत प्रदाय के हेतु एक जल संग्राहक (स्टोरेज टैंक) की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई ऐसे होगी, जो कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा स्वच्छ जल के स्त्रोत के रूप में अनुमोदित की जाए।

5- lko/kku dju okyh lpukA& अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निम्नलिखित प्ररूप में सावधान करने वाली मुद्रित सूचनाएँ ऐसे स्थान पर प्रदर्शित की जाएंगी, जहाँ कंडिका 2 में वर्णित क्षतिकारक पदार्थों से संबंधित संक्रियाएँ की जाती हों और जहाँ उन्हें कर्मकारों द्वारा सरलतापूर्वक पढ़ा जा सके। यदि कोई कर्मकार अशिक्षित हो तो उसे इस प्रकार प्रदर्शित सूचना में अन्तर्विष्ट बातों को सावधानीपूर्वक समझाने का प्रभावी प्रबंध किया जाएगा।

Þlko/kku dju okyh lpuk [krjkß

क्षतिकारक पदार्थ अतिदाहक होते हैं तथा उनसे बनने वाली भाप अत्यन्त खतरनाक होती है। यदि ऐसे पदार्थ का शरीर के किसी भाग से स्पर्श हो जाए तो भाग को तुरन्त ही विलुप्त जलधारा के नीचे कम से कम 15 मिनट तक रखा जाए।

ÞfpfdRlh; lfo/kk rRdky çkIr djßß

6- ifjoguA&

(क) क्षतिकारक पदार्थ धारक पात्रों के सिवाय अन्य किसी भी पात्र में नहीं भरे जाएंगे या उन पात्रों के सिवाय उन्हें हटाया नहीं जाएगा या ले जाया नहीं जाएगा और जब उनका परिवहन किया जाए, तब उसे मजबूत तथा पर्याप्त क्षमता की क्रेटे (टोकरियों) में रखा जाएगा।

(ख) ऐसा धारक पात्र, जिसका धारिता क्षतिकारक पदार्थ 11.5 लीटर्स (2, 1ध2 गैलन) या उससे अधिक की हो किसी बर्तन या क्रेट में रखा जाएगा और तत्पश्चात् एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कमरे के नीचे की ऊँचाई तक रखते हए उसे तब ही ले जाया जाएगा, जब कि उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रबर के पहिए वाली गाड़ी प्रयोग में लाई जाए, अन्यथा नहीं।

(ग) क्षतिकारक पदार्थ के धारकों पर सुस्पष्ट लेबिल लगाए जाएंगे।

7- {kfrdkjd inkFkkZ d gLru d fy, lk/kuA&

(क) क्षतिकारक पदार्थों से भरी हुई सुराहियों (जार) बरनियों (कारबायस) तथा अन्य पात्रों के रिक्त करने हेतु उठाने (लिफ्टिंग) या झुकाने (टिल्टिंग) के लिए उपयुक्त साधनों का प्रयोग किया जाएगा।

(ख) क्षतिकारक पदार्थ हस्तन नंगे हाथों से नहीं किया जाएगा, किन्तु उपयुक्त कलछुओं (स्कूप) या अन्य साधनों के जरिए उनका हस्तन किया जाएगा।

8- çfrc/kd ¼okYo½ dk [kkyukA& क्षतिकारक पदार्थ से भरे हुए धारक के प्रतिबंधक (वाल्व) बड़ी सावधानी से खोले जाएंगे। यदि वे आसानी से काम न करते हों तो उन्हें खोलने के लिए जोर नहीं लगाया जाएगा। वे इस प्रयोजन के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित कर्मकार द्वारा खोले जाएंगे।

9- Vdh] LVhYl vkfn dk lkQ djukA&

(क) क्षतिकारक पदार्थों को रखने के लिए उपयोग में लाए गए स्टील्स या अन्य बड़े कक्षों (चेम्बर्स) में बचे हुए अवशेषों (रेसीड्यू) को हटाने हेतु उपयुक्त लकड़ी या अन्य सामग्री के लिए ऐसे उपयुक्त औजारों उपयोग में लाए जाएंगे, जिससे अरसिनिरीटेड हाइड्रोजन (अरसिन) के बनने को रोका जा सके।

(ख) जब कभी किसी श्रमिक को ऐसे किसी कक्ष (चेम्बर्स), टंकी (टैंक) गड्ढ़ों (पिट) या अन्य किसी निरुद्ध जगह (कनफाइड स्पेस) में, जिसमें क्षतिकारक पदार्थ रखा गया हो, सफाई करने या उसे व्यवस्थित रूप से बनाए रखने हेतु प्रवेश करना आवश्यक हो तो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अधीन श्रमिक की सुरक्षा अभिनिश्चित करने के लिए अपेक्षित समस्त संभव सावधानियाँ बरती जाएंगी।

(ग) जब कभी संभव हो किसी उपकरण के किसी ऐसे भाग की मरम्मत या कार्य हाथ मे लेने के पूर्व, जिनमें क्षतिकारक पदार्थ का प्रयोग किया गया हो, ऐसे उपकरण या उसके भाग को लगे हुए अवशेष को उपयुक्त प्रणाली द्वारा मुक्त किया जाएगा।

10- lxgA&

(क) क्षतिकारक पदार्थों की ऐसी जगह संग्रहित नहीं किया जाएगा, जहां अन्य रसायन जैसे टरपेंटाईन, कार्बाइड्स मेटेलिक चूर्ण या अन्य ज्वालाग्राही पदार्थ रखे गए हों, जिनका इन क्षतिकारक पदार्थो से घनात्मक अपमिश्रण होने पर उसकी प्रतिक्रिया तीव्र हो सकती है या विषैली ज्वालाएँ या गैस बन सकती हैं।

(ख) क्षतिकारक पदार्थो को रखने के लिए बनाई गई ओव्हर हेडटंकियां, पात्र (बेटेग्स) या अन्य संग्रह योग्य पात्र इस प्रकार व्यवस्थित रूप रखे जाएंगे कि उनमें से पंप द्वारा उक्त पदार्थ निकालते समय या उन्हें भरते समय उक्त क्षतिकारक पदार्थ बहने न पाए तथा उससे किसी व्यक्ति को क्षति न पहुंचे।

(ग) प्रत्येक संग्रह पात्र, जिसमें क्षतिकारक पदार्थ रखे जाते हों एवं जिसकी क्षमता 20 लीटर या उससे अधिक हो तथा उससे संबद्ध नल पंक्ति प्रतिरोधक (वाल्व) एवं फिटिंग्स का प्रतिवर्ष सम्पूर्ण रीति से परीक्षण किया जाएगा और उनमें कोई दोष पाए जाने पर उसे तुरंत ही दूर किया जाएगा। इस

प्रकार के परीक्षणों का एक रजिस्टर रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उसे कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत किया जाएगा।

11- vfXu'kked ;= vkj vkx c>ku d lk/kuA& योग्य प्रकार के अग्निशामक यंत्र या आग बुझाने के साधन संग्रहित क्षतिकारक पदार्थ के प्रकार को अनुलक्ष रखते हुए पर्याप्त संख्या में रखे जाएंगे। इन अग्निशामक यंत्रों का आग बुझाने के साधनों को नियमित रूप से जांच जाएगा एवं उन्हें पुनरू भरा जाएगा। इन अग्निशामक यंत्रों या आग बुझाने के साधनों का प्रयोग संबंधी सूचना अधिकाशं श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में मुद्रित कराकर ऐसे यंत्र या साधन के पास चिपका दी जाएगी।

12- fpfdRlldh; ijh{k.kA&

(1) चिकित्सा अधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा । वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार क्षतिकारक (कोरोसिव) पदार्थों का हस्तन तथा प्रहस्तन प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनरू उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) फिटनेस के प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता– सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जायेंगे ।

13- NVA& यदि किसी कारखाने के संबंध में उसके प्रबंधक द्वारा आवेदन करने पर मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि विशिष्ट परिस्थितियों के कारण या कार्य प्रणाली की अनित्यता के कारण या अन्य किसी कारण के फलस्वरूप जो कि अभिलिखित किए जाएंगे, इस अनुसूची के समस्त या किसी भी उपबंध जो उक्त कारखानों में नियुक्त व्यक्तियों की सुरक्षा के हेतु आवश्यक न हो तो वह एक लिखित प्रमाण पत्र द्वारा जिसे वह कभी भी निरस्त कर सकता है, उक्त कारखाने को ऐसे उपबंधों से और उन शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित किया गया हो, छूट दे सकेगा।

mi&vuqlwph&l=g

iRFkj ;k vU; fdlh inkFk ftlesa Lor= :i esa flfydk gk] dk vfHkpkyu

1- ykxw gkukA& यह अनुसूची उन सभी कारखानों या कारखानों के भाग को लागू होंगी, जिसमें पत्थर या स्वतंत्र सिलिका सम्मिलित हो, ऐसे पदार्थों का अभिचालन किया जाता हो।

2- ifjHkk"kk,A& इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) *^^vfHkpkyu** से तात्पर्य पत्थर या स्वतंत्र सिलिकायुक्त या अन्य कार्य, जिनमें पत्थर या ऐसे पदार्थ सम्मिलित हों, का कूटना, तोड़ना, छीलना, आकार देना, पिसाई करना, छानना, मिश्रित करना, छांटना या कार्य करना है;

(ख) *^^iRFkj ;k Lor= flfydk;ä vU; inkFk** से तात्पर्य पत्थर या अन्य कोई ठोस पदार्थ जिसमें उसके वनज के 5 प्रतिशत से कम मात्रा में स्वतंत्र सिलिका न हो।

3- vfHkpkyu esa iokoo/kkfu;,A& किसी कारखाने या कारखाने के भाग में अभिचालन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक–

(क) पत्थर या अन्य पदार्थ जिसकी प्रक्रिया करना हो उसे नम करने;

(ख) पानी का छिड़काव करने;

(ग) प्रक्रिया चारों ओर से बन्द जगह में की जाने;

(घ) प्रक्रिया पृथक् रूप से की जाने; और

(ड़) सीमित वायु निष्कासक संवातन का प्रदाय करने हेतु उपायों में से एक या अधिक उपाय की व्यवस्था न कर दी गई हो;

परंतु यह कि उस पर उल्लिखित ऐसे उपाय वहॉ आवश्यक नहीं होंगे, जहॉ कि प्रक्रिया या कार्य इस प्रकार से हो कि वहां उत्पन्न व उपस्थित धूल का स्तर निर्दिष्ट निर्धारित स्तर से अधिक न हो।

4- Q'k dk vuj{k.kA&

(1) सभी फर्श या स्थान, जहॉ बारीक धूल जमने की संभावना हो और जहॉ कि व्यक्ति को काम करना हो या वहॉ से गुजरना हो, अभेद्य पदार्थ के होंगे और वे इस दशा में बनाए रखे जाएंगे कि उन्हें गीला कर या अन्य किसी पद्धति से, जिसमें सफाई प्रक्रिया में धूल उड़ना रूके, ऐसी पद्धति से पूरी तौर पर साफ किया जा सके।

(2) हर एक कमरे या स्थान के, जहॉ कोई कार्य किया जाता हो या जिसमें से उसके कार्य के दौरान उक्त व्यक्ति गुजरता हो हर एक फर्श की सतह, हर एक पाली में कम से कम एक बार पानी का छिड़काव कर या अन्य किसी उपयुक्त पद्धति से जिसमें सफाई प्रक्रिया में धूल उड़ना रोका जा सके, साफ की जाएगी।

5- vYio; 0;fä;k d lc/k e çfr"k/kA& किसी प्रक्रिया में, जिसमें अभिचालन अन्तर्निहित हो या किसी ऐसे अन्य स्थान में, जहॉ ऐसे कार्य किए जाते हों, किसी अल्पवय व्यक्ति को न तो नियोजित किया जाएगा और न ही उसे वहॉ कार्य करने की अनुमति होगी।

6- fpfdRlh; lfo/kk,; vkj ijh{k.k A&

(1) हर एक कारखाने, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) वहॉ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी के लिए एक अर्ह चिकित्सा अधिकारी की व्यवस्था करेगा और

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उक्त चिकित्सा अधिकारी को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा।

(2) उक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जॉच के अभिलेख, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो, ऐसे रखें जाऐंगें।

(3) पैरा (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित हर एक कर्मकार का उसके प्रथम नियोजन के 15 दिनों के अंदर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे चिकित्सीय परीक्षण में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और सीने का एक्स–रे शामिल होगा। किसी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन पश्चात् काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन के लिए फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो। परन्तु स्पाईरोमेटरी जॉच प्रत्येक बारह माह में एवं कर्मकार की आयु तीस वर्ष होने तक प्रत्येक चौबीस माह में सीने का एक्स–रे किया जाएगा। उसके उपरांत सीने का एक्स–रे प्रत्येक बारह माह में किया जाएगा। यदि चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को यह प्रतीत होता है की स्पाईरोमेटरी एवं सीने के एक्स–रे की जॉच पुनरू कराई जाना आवश्यक है, वह तदानुसार परामर्श करेगा एवं अधिभोगी इस प्रकार की जॉच कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

(4) इस अनुसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जावेगा। वह फिटनेस प्रमाण पत्र प्रपत्र 28 पर जारी करेगा।

(5) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में इस आधार पर नियोजन हेतु फिट नहीं पाया जाता है कि वहॉ निरन्तर रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त प्रमाण–पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अभिलिखित करेगा। इन दस्तावेजों में किए गए अभिलेख में यह भी शामिल होगा कि उसकी राय में उक्त व्यक्ति कितनी कालावधि के लिए उक्त प्रक्रिया में अनफिट है। प्रक्रिया से इस प्रकार अनफिट होने से निलंबित हुए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा बैकल्पिक स्थापना की सुविधा प्रदान की जाएगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पुरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(6) किसी भी व्यक्ति को, जो उप–पैरा (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अनफिट पाया गया हो, उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनरू नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनरू फिट प्रमाणित नहीं कर देता।

(7) फिटनेस के प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को जॉच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जावेंगे ।

7- NVA& यदि किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का इस कारण में यह समाधान हो जाए कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के कारण या प्रक्रिया की अल्प आवृति या अन्य किसी कारण से इस अनुसूची के सभी या कुछ उपबंध कर्मकारों के स्वास्थ्य के बचाव हेतु आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण पत्र द्वारा, जिसे वह किसी भी समय अपनी स्वेच्छा से निरस्त कर सकता है, ऐसे कारखाने को ऐसे सभी या उनमें से किसी उपबंधों से ऐसी शर्तो के, यदि कोई हों, जिन्हें कि वह निर्दिष्ट करे, के अधीन छूट प्रदान कर सकेगा।

mi&vu|l|ph&18
foyk;d fuLrkj.k l|;|=

विलायक संयंत्र से वनस्पतियॉ जैविक स्त्रोत से तेल अथवा चिकनाई (फिट) निकालने की प्रक्रिया–

1- ifjHkk"kk,A& bl vu|l|ph e| tc rd l|nHk| l| vU;Fkk vif{kr u gk&

(क) ''विलायक निस्सारण संयंत्र से अभिप्रेत है एक ऐसे संयंत्र, जिसमें विलायकों के उपयोग से तेल अथवा चिकनाई (फिट) वनस्पतियॉ या जैविक स्त्रोत से निकालने की प्रक्रिया की जाती है;

(ख) ''विलायक से अभिप्रेत है पेन्टेन, हैक्सेन तथा हेप्टेन जैसे ज्वलनशील द्रव जिसका उपयोग वनस्पति तेल निकालने के लिए किया जाता है;

(ग) ''विद्युत मशीनरी या साधित्र में'' यथा प्रयुक्त ज्वाला रोधी घेरे से अभिप्रेत है ऐसे घेरे जो आवरणों या अन्य प्रवेश द्वारों को उचित रूप से सुरक्षित किए जाने पर, ज्वलनशील गैस या वाष्प के घेरे के भीतर प्रवेश करे या जो घेरे के भीतर उत्पन्न हो, आंतरिक विस्फोट को क्षति पहुँचाए बिना सह सके तथा आंतरिक ज्वलन (या विस्फोटक) को बाह्य ज्वलनशील गैस या वाष्प के सम्पर्क में जाने से रोक सके;

(घ) इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ ''सक्षम व्यक्ति'' कम से कम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) का सदस्य या उक्त संस्था का सह–सदस्य होगा, जिसे मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा यथानुमोदित उत्तरदायित्व पूर्ण पद का दस वर्ष का अनुभव प्राप्त हो;

परंतु यांत्रिक इंजीनियरी अथवा रसायन प्रौद्योगिकी के ऐसे स्नातक को भी सक्षम व्यक्ति माना जाएगा, जिसे तेलों और चर्बियों का विशेषीकृत ज्ञान हो और जिसे किसी विलायक निस्सारण संयंत्र का कम से कम पॉच वर्षो का अनुभव हो;

परंतु यह और भी कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसके पास उपयुक्त अर्हता तथा अनुभव हो, इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ सक्षम व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर सकेगा।

2- vofLFkfr rFkk vfHkU;kl ¼y&vkmV½A&

(क) कोई भी विलायक निस्सारण संयंत्र निकटतम रिहायशी बस्ती से 30 मीटर की दूसी के भीतर निर्मित या विस्तारित नहीं किया जाएगा।

(ख) विलायक निस्सारण संयंत्र के चारों और संयंत्र से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर 1.5 मीटर ऊंचाई एक अविछिन्न बाड़ लगाई जाएगी।

(ग) बाड़ से घिरे हुए क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई माचिस या खुली हुई ज्वाला या आग ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) बायलर गृह या अन्य भवन, जिसमें खुली ज्वाला वाली प्रकियाएं चलाई जाती है, विलायक निस्सारण संयंत्र से कम से कम 30 मीटर की दूरी पर स्थित होंगे।

(ड़) यदि गोदाम तथा तैयार करने संबंधी प्रक्रिया के स्थान विलायक निस्सारकण संयंत्र से 30 मीटर से कम दूरी पर हो तो उनकी दूरी संयंत्र से कम से कम 15 मीटर होगी और विलायक निस्सारण संयंत्र से अदहनशील सामाग्री की 5 मीटर ऊंची एक अविच्छिन्न रोक दीवाल (बेरियर वाल) इस प्रकार बनी होगी कि वह संयंत्र से प्रज्जवलन के सामान्य स्त्रोतों तक अपने छोर के हर तरफ वाष्प् संचार के कम से कम 30 मीटर तक जाती हो।

3- fo|r çfr"BkuA&

(क) विलायक निस्सारण संयंत्र में अधिष्ठापित या स्थित समस्त विद्युत मोटरों तथा वायरिंग और अन्य विस्तृत उपकरण ज्वालारोधी होंगे।

(ख) संयंत्र तथा भवन, जिसमें ऐसी विभिन्न टंकियॉ तथा धारक (कंटेनर्स) भी सम्मिलित है, जिसमें विलायक संग्रहित किए जाते हो या विद्यमान हो, के समस्त धातु के भाग तथा विद्युत उपकरणों के ऐसे समस्त भाग, जिन्हें अर्जित करना (इंनर्जीइज्ड) अपेक्षित न हो, उचित ढंग से आपस में परिबद्ध कर दिए जाएंगे और उन्हें भूमि से जोड़ दिया जाएगा, ताकि ऐसे भागों का विद्युत विभव, आकस्मिक रूप से बढ़कर भूमि विभव से अधिक न हो सके।

4- /ke|iku ij çfrc/kA& विलायक निस्सारण संयंत्र से 15 मीटर की दूरी के भीतर धूम्रपान पर सर्वथा रूप से प्रतिबंध होगा। इस प्रयोजनार्थ क्षेत्र में ''धूम्रपान वर्जित है'' सूचक संकेत स्थाई रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

5- ?k"k.k d fo:) iokik;A&

(क) ऐसे समस्त औजार तथा उपकरण, जिसमें सीढ़ियों, जंजीरें तथा अन्य उत्थापक साधन (लिफ्टिंग, टेकल) सम्मिलित है, जो विलायक निस्सारण संयंत्र में उपयोग के लिए अपेक्षित होते हैं, अस्फुलिंग (नानस्पार्किंग) प्रकार के होंगे।

(ख) विलायक निस्सारण संयंत्र की कोई भी मशीनरी या उपकरण पट्टे से चलने वाला नहीं होगा, जब तक कि पट्टा कडंस्टिव पदार्थ का न बना हो।

(ग) ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो नायलान के कपड़े पहने हुए हो या ऐसे अन्य वस्तुओं के कपड़े पहने हुए हों, जिनसे स्थातिक (स्टेटिक) विद्युत चार्ज उत्पन्न होता हो या ऐसे जूते पहने हुए हो, जिनमें घर्षण द्वारा स्फुलिगों के उत्पन्न होने की संभावना हो, विलायक निस्सारण संयंत्र में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा।

6- vfXu'keu lkf/k=A&

(क) विलायक निस्सारण संयंत्र में पर्याप्त संख्या में ऐसे वहनीय अग्निशामक साधनों की व्यवस्था की जाएगी, जो ज्वलनशील तरल पदार्थो से लगने वाली अग्नि के विरूद्ध उपयोग करने के लिए उपयुक्त हो।

(ख) विलायक निस्सारण संयंत्र के ऊपर और जिस भवन में ऐसा संयंत्र हो, उस भवन में संग्रहित जल की पर्याप्त पूर्ति से युक्त, स्वचालित जल फुहार छिड़काव पद्धति तथा उपरली जलप्लावन पद्धति की व्यवस्था की जाएगी।

7- fo|r lpj.k cn gk tku d lc/k e iokik;A&

(1) विद्युत संचारण बंद हो जाने की स्थिति में फार के अपने आप बंद हो जाने की व्यवस्था की जावेगी तथा

(2) आपाती स्थिति में धारित्रों (कंडेन्सर) में जो विद्युत संचारण बंद हो जाने पर स्वतरू काम करने लगेंगे, गुरूत्व द्वारा जल भरण के लिए उपरली जल पूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

8- pEcdh; foyxd ¼lijVl½A& निस्सारणधीन सामग्री हापर के जरिए एक वाहक (कन्वयर) द्वारा निस्सारण में भेजी जाएगी और इस अंतरण लोहे के किन्हीं भी टुकड़े को अलग करने के लिए चुम्बकीय विलगक की व्यवस्था की जाएगी।

9- fudklu ¼cfVx½A&

(क) विलायक भरी हुई टंकियों को आग लग जाने की स्थिति में अत्याधिक आंतरिक दाब से मुक्त करने के लिए आपाती निकास बनाकर संरक्षित किया जाएगा।

(ख) समस्त आपाती विमोचन विकास भूमि से कम से कम 6 मीटर की ऊँचाई पर समाप्त होंगे और उनकी अवस्थिति इस प्रकार की होगी कि वाष्प् उस भवन में पुनरू प्रवेश न कर सके, जिसमें विलायक निस्सारण संयंत्र स्थित हो।

10- {kI; ty ¼oLV okVj½A& प्रक्रियागत क्षेप्य जल एक फलेश वाष्पित के जरिए बहाया जाएगा, जिससे कि उसे निर्गत होदी (सम्प) में वर्जित करने के पूर्व उसमें रहा कोई भी विलायक अलग किया जा सके। उक्त होदी बाड़ से घिरे क्षेत्र के अंदर होगी तथा बाड़ से आठ मीटर से कम दूरी पर नहीं होगी।

11- lokruA& विनायक निस्सारण संयंत्र सुसंवातित होगा और यदि संयंत्र किसी भवन में अवस्थित हो तो उस भवन में यांत्रिक संवातन की व्यवस्था होगी, जिसमें प्रति घंटा कम से कम 6 एयर चेंजरों की व्यवस्था होगी ।

12- l;= Hkou 0;oLFkkA&

(क) विलायकों का संग्रहण केवल थोड़ी मात्रा को छोड़, जो कि क्षेत्र अनुमोदित सुरक्षित डिब्बों (केन) में संग्रहित की जाएगी, विलायक निस्सारण संयंत्र के व्याप्ति क्षेत्र में नहीं किया जाएगा।

(ख) तेलीय चिथड़ों और अन्य क्षेप्य सामग्री तथा अवशेषक जो विलायक तथा रंग तेलों को साफ करने के उपयोग में लाए जाते हैं, अनुमोदित आधानों (कंटेनरों) में रखे जाएंगे और उन्हें दिन में कम से कम एक बार परिसर से हटाया जाएगा ।

(ग) विलायक निस्सारण संयंत्र के भीतर तथा संयंत्र से 15 मीटर की दूरी के भीतर के स्थान को किसी भी ज्वलनशील वस्तुओं से मुक्त रखा जाएगा तथा बिखरे हुए तेल अथवा विलायकों को तुरन्त साफ कर दिया जाएगा ।

13- ijh{k.k rFkk ejEerA&

(क) विलायक निस्सारण संयंत्र की कमजोरी या संक्षारण तथा टूट–फूट के अवधारण की दृष्टि से सक्षम व्यक्ति द्वारा उसका प्रत्येक 12 महीने में एक बार परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण के संबंध में निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को अपनी इस टिप्पणी के साथ रिपोर्ट दी जाएगी की संयंत्र चलने की दृष्टि से सुरक्षित स्थिति में है, अथवा नहीं ।

(ख) मशीनरी अथवा संयंत्र की कोई भी मरम्मत केवल सक्षम व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन ही की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(ग) संयंत्र को सफाई या मरम्मत के लिए खोलने से पहले और मरम्मत के बाद सालवेन्ट के प्रवेश कराने से पहले अक्रिय गैस या वाष्प से पंजिंग करने की सुविधाएँ प्रदत्त होंगी।,

14- ifjpkyu dekpkjhA& विलायक निस्सारण संयंत्र में संयंत्र तथा मशीनरी के परिचालन का प्रभार ऐसे सम्यक् रूप से अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित व्यक्तियों के हाथों से रहेगा, जो सक्षम व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए जाएं तथा किसी भी व्यक्ति को संयंत्र तथा मशीनरी के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

15- fL=;k rrk vYio;Ld 0;fä;k dk fu;ktuA& विलायक निस्सारण संयंत्र में किसी भी स्त्री या अल्प वयस्क व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा ।

16- ok"i vfHkKku ¼MhVD'ku½A& एक समुचित प्रकार के ज्वालारोधी, आसानी से एक जगह से दूरी जगह ले जाने लायक ज्वलनशील गैस संसूचक की व्यवस्था की जाएगी और उसे अच्छी हालत में रखा जाएगा तथा मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा यथानुमोदित विभिन्न अवस्थितियों में वायुमंडल के नेमी नमूना अनुसूची तैयार की जाएगी और उसे इस प्रयोजनार्थ रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा ।

17- ykx cdA& निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्रोफार्मा में संयंत्र परिचालन की एक लाग बुकारखी जाएगी ।

18- fpfdRldh; ijh{k.kA&

(1) चिकित्सा अधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा । वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार विलायक निस्तारण संयंत्र प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनरू उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) फिटनेस के प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता– सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जावेंगे ।

mi&vuqlwph&19

dkcZu MkbZ lYQkbM l;a=

1- ç;fäA& यह अनुसूची ऐसी सभी विद्युत भट्टियों जिनमें कार्बन डाई सल्फाइड बनाया जाता है तथा ऐसे अन्य संयंत्र के संबंध में लागू होगी, जहां कार्बन डाइ सल्फाइड बन जाने के बाद उसे संघनित, परिशोधित तथा संग्रहित किया जाता है । ये नियम, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं भी उपबंधों के अतिरिक्त हैं, उनके अल्पीकरण स्वरूप के नहीं ।

2- fuek.k çfr"Bku rFkk ifjpkyuA&

(क) ऐसे भवन, जिनमें विद्युत भट्टियाँ प्रतिष्ठापित की गई हों और कार्बन डाई सल्फाइड बन जाने के बाद उसे संघनित और परिशोधित किया जाता हो, कारखाने के अन्य भागों से पृथक् जाएंगे और अधिकतम संवातन सुनिश्चित करने की दृष्टि से वे खुले प्रकार के होंगे तथा संयंत्र का अभिन्यास ऐसा होगा कि कम से कम संख्या में कर्मकारों को किसी एक समय में भाग या विस्फोटक का खतरा झेलना पड़े ।

(ख) प्रत्येक विद्युत भट्टी और प्रत्येक ऐसा संयंत्र, जिसमें कार्बन डाई सल्फाइड संघनित, परिशोधित और संग्रहित किया जाता हो, अपनी पूरी फिटिंग और संलागों (अटैचमेंट) सहित सुनिर्मित तथा ठोस सामग्री का बना होगा और पर्याप्त सुदृढ़ होगा तथा उसे अच्छी हालत में रखा जाएगा, ताकि भट्टी या संयंत्र में उत्पन्न आंतरिक दाब को वहन कर सके और उसका विन्यास (डिजाइन) ऐसा होगा कि तरल तथा गैस कार्बन डाई सल्फाइड अपनी सामान्य क्रियाशीलता के दौरान बंद प्रणाली में रहे ।

(ग) विद्युत भट्टी के आधार कंकरीट में अथवा अन्य प्रभावी साधनों में 2 फीट गहरे मजबूती से गड़े रहेंगे ।

(घ) प्रत्येक विद्युत भट्टी का प्रतिष्ठापन तथा परिचालन निर्माताओं के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा और ये अनुदेश निर्माण तथा परिचालन के प्रभारी कर्मचारियों को स्पष्टतरू समझा दिए जाएंगे ।

(ड) भट्टी के सही ताप, मापन, सल्फरडोज, स्वीकार्य विद्युत धारा शक्ति उपभोग तथा कोयला के स्तर की नियतकालिक जाँच संबंधी अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा या अनुदेश भट्टी के समीप से सहजगोचर स्थान पर प्रदर्शित किए जाएंगे ।

3- byDVkMl A&

(क) जहाँ ऊपरी रिंग वाले इलेक्ट्रान अथवा इस्पात के बने सीधे इलेक्ट्राड्स विद्युत भट्टी में काम में आते हो, वहाँ वे बिना जुड़े ट्यूब के बने होंगे तथा उनमें इलेक्ट्राडों में बने साइफन के जरिए अथवा पाजीटिव्ह दाब वाले पानी के पंप के जरिए प्रशीतन जल प्रणाली से उन्हें किए जाने की व्यवस्था होगी ।

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट जल प्रशीतन की व्यवस्था स्वचालित चेतावनी प्रणाली से जुड़ी रहेगी, जो इलेक्ट्राडों में प्रशीतन जल में दाब पहुँचाने की स्थिति में उसे संचालित करेगी और नियंत्रण कक्ष में दृश्य श्रव्य चेतावनी संकेत देगी और साथ ही साथ भट्टी परिचालक के लिए विद्युत पूर्ति को तथा आगे जल पूर्ति को रोकेगी । चेतावनी संकेत पद्धति तथा संचालन युक्ति की प्रतिदिन जाँच की जाएगी ।

4- jipj fMLDl rFkk l¶Vh lhyA&

(क) प्रत्येक भट्टी पर पर्याप्त आकार वाली कम से कम दो रपचर डिस्कों की व्यवस्था की जाएगी, जो परिचालन दाब से दुगुने दाब पर वायु विस्सारित करेगी और उन्हें या तो सीधे ही भट्टी के ऊपरी भाग पर लगाया जाएगा अथवा भट्टी के यथासंभव समीप अलग अलग पाइप के जरिए लगाया जाएगा ।

(ख) एक सेफ्टी वाटर सील की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे कोयला (चार कोल) सेपरेटर तथा सल्फर सेपरेटर के मध्य एक बिन्दु पर टेप किया जाएगा ।

5- ik;jk ehVj rFkk euh ehVjA&

(क) भट्टी में विभिन्न स्थानों पर ताप के सही निर्धारण के लिए प्रत्येक विद्युत भट्टी माप जानने के लिए डायल नियंत्रण कक्ष में लगाए जाएंगे ।

(ख) दाब मशीनें के लिए मेनी मीटर्स या अन्य उपकरण लगाए जाएंगे ।

(1) सल्फर सेपरेटर के पूर्व तथा पश्चात् आफ टेक पाइप में, तथा

(2) प्राथमिक तथा द्वितीय कंडेसरों में मेनी मीटरों की व्यवस्था की जाएगी ।

6- pd okYoA& कार्बन डाई सल्फाइड ले जाने वाली सम्पूर्ण पाइप प्रणाली में उपयुक्त स्थानों पर चेक वाल्व लगाए जाएंगे, ताकि उसके बंद हो जाने की स्थिति में गैस किसी भी भट्टी में उलटी प्रवाहित न हो सके ।

7- fo|r Hkêh dk fujh{k.k rFkk vuj{k.kA&

(क) सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक विद्युत भट्टी का–

(1) प्रतिष्ठान के पश्चात् कार्य आरंभ किए जाने के पूर्वय तथा

(2) पुनर्निर्माण या मरम्मत के पश्चात् कार्य आरंभ किए जाने के पूर्व आंतरिक निरीक्षण किया जाएगाय

(3) प्रत्येक भट्टी नियतकालिक रूप से साफ करने या राख निकालने या इलेक्ट्राड बदलने के लिए खोली जाती है, तब उसका आंतरिक निरीक्षण किया जाए ।

(ख) जब कोई विद्युत भट्टी साफ करने या राख निकालने के लिए बन्द की जाती है तो–

(1) अखंडता की दृष्टि से ईंट अस्तरण (ब्रिक लाइनिंग) की जाँच की जाएगी तथा उसका कोई भाग दोषपूर्ण पाए जाने पर उसे हटा दिया जाएगा ।

(2) एक में उल्लिखित अस्तरण के लिए किसी भाग को हटाने के बाद शेल की स्थिति का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण किया जाएगा, तथा

(3) यदि शेल बनाने वाली कोई भी प्लेट इस सीमा तक संक्षारित (कोरो हेड) पाई जाए कि उससे भट्टी की सुरक्षा खतरे में हो तो उसे बदल दिया जाएगा ।

8- vfHkys[kk e j[kk tkukA& लाग बुक में निम्नलिखित घंटेवार अभिलेख रखे जाएंगे

(1) 5 (ख) (1) तथा (2) में विनिर्दिष्ट स्थलों पर मेनीमीटर वाचन ।

(2) पारोमीटर तथा सल्फर सेपरेटर के पास के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक कंडेसरों द्वारा दर्शाया गया गैस का ताप ।

(3) जल का ताप तथा इलेक्ट्रोडों में साइफन के जरिए जल का प्रवाह ।

(4) प्राथमिक तथा द्वितीयक वोल्टता तथा करेंट एवं उपभोग की गई ऊर्जा (एनर्जी) ।

9- fo|r lkf/kUu ok;fjx rFkk vUok;fä;k ¼fQfVx½A& उन समस्त भवनों में, जिसमें कार्बन डाई सल्फाइड परिशोधित अथवा संग्रहित किया जाता हो, विद्युत साधित्रों, वायरिंग तथा अन्वायुक्तियों (फिटिंग) की व्यवस्था की जाएगी, जो अग्नि तथा विस्फोट से पर्याप्त संरक्षण प्रदान करेगी।

10- /keiku d lc/k e fu"k/kA& कोई भी व्यक्ति उन भवनों में, जिनमें कार्बन डाई सल्फाइड परिशोधित या संग्रहित किया जाता हो धूम्रपान नहीं करेगा या दियासलाइयाँ अग्नि या अनावृत प्रकाश या चिनगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन नहीं ले जाएगा और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ऐसे कमरों में धूम्रपान करने और दियासलाइयाँ, अग्नि या अनावृत प्रकाश या चिनगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन ले जाने का प्रतिबंध करते हुए संयंत्र में एक सूचना लगाई जाएगी।

11- cp fudyu d lk/kuA& आपात स्थिति में व्यक्तियों के यथासंभव शीघ्र बचकर सुरक्षित स्थानों में पहुँचने के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी तथा उनका अनुरक्षण किया जाएगा । कम से कम दो स्वतंत्र सीढ़ियाँ जिनकी चौड़ाई 110 से.मी. से कम न हो और जो 54 अंश से अधिक का क्षितिज कोण न बनाती हो, की व्यवस्था ऐसे प्रत्येक भवन में दोनों ओर समुचित अन्तराल पर की जाएगी, जहाँ कि भट्टियाँ स्थित हों । इन्हें सभी अवरोधों से मुक्त रखा जाएगा और उन्हें ऐसा बनाया जाएगा कि आसानी से आना–जाना हो सकें ।

12- vkx d ekey e prkouhA& आग या विस्फोट के मामले में चेतावनी देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, जो विद्युत से और विद्युत बंद हो जाने की स्थिति में अन्यत्र यांत्रिक साधनों द्वारा परिचालित होंगी ।

13- vkx c>ku d midj.kA&

(क) संग्रहित सामग्री की मात्रा तथा उसके स्वरूप में सन्निहित जोखिम से निबटने के अनुरूप पर्याप्त संख्या में उपयुक्त अग्निशामक यंत्र अथवा आग बुझाने के उपकरण सदैव तैयार रखे जाएंगे।

(ख) अग्निशामक यंत्रों अथवा अन्य उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए, इस संबंध में स्पष्ट अनुदेश, जो नियोजित अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में मुद्रित होंगे,प्रत्येक अग्निशामक यंत्र या अन्य उपकरण पर लगाए जाएंगे ।

(ग) आग बुझाने के उपकरणों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

14- cYd lYQjA&

(क) बल्क सल्फर के संग्रहण के लिए अनावरित अथवा अर्धावरित स्थल के पास इंजिनों आदि से निकलने वाली चिनगारियों के खतरे को समुचित रूप से ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाएंगे और इस बात की सावधानी रखी जाएगी कि ज्वालाएँ, धूम्रपान तथा दियासलाइयाँ और प्रज्ज्वलन के अन्य स्त्रोत बल्क सल्फर को रखते–उठाते समय उठने वाले धूल के बादलों के संपर्क में न आयें ।

(ख) बल्क सल्फर के लिए समस्त आहातें अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होंगे, जिसमें पर्याप्त संचालन व्यवस्था होगी और उनकी डिजाइन इस प्रकार होगी कि उनमें धूल जमा होने का स्थान कम से कम हो ।

(ग) आहातों में बल्क सल्फर इस प्रकार रखा उठाया जाएगा कि धूल बादल कम से कम बने और वहाँ ज्वाला, धूम्रपान तथा दियासलाइयाँ या प्रज्जवलन के अन्य स्त्रोत ले जाने की अनुमति नहीं होगी और जब कभी सल्फर को उठाया या हटाया जाए, तब चिनगारी रोधी औजारों का उपयोग किया जाएगा।

(घ) जहाँ बल्क सल्फर संग्रहित किया जाता हो उस आहाते में ऐसी मरम्मत नहीं की जाएगी,। जिसमें उसका ताप पैदा हो या हाथ या शक्ति–चालित औजारों का उपयोग हो ।

15- rjy lYQjA& अनावृत्त ज्वालाऐ बिजली की चिनगारी तथा प्रज्जवलन के अन्य स्रोत जिसमें धूम्रपान तथा दियासलाइयाँ भी शामिल हैं, पिघले हुए सल्फर के आसपास के स्थान से दूर रखे जाएंगे ।

16- çf'k{k.k rFkk i;o{kdA&

(क) समस्त विद्यत भट्रियाँ तथा समस्त संयंत्र, जिनमें कार्बन डाई सल्फाइड संघनित, परिशोधित अथवा संग्रहित किया जाता हो, उस स्थिति में सदैव ही पर्याप्त रूप से पर्यवेक्षणधीन रहेंगे, जबकि भट्टियाँ तथा संयंत्र चालू हों ।

(ख) विद्युत भट्टियों तथा संयंत्रों के परिचालन तथा अनुरक्षण के प्रभारी कर्मकार समुचित रूप् से अर्हता प्राप्त तथा पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होंगे ।

17- ç{kkyu lfo/kk;A& दखलकार समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में आच्छादित प्रक्षालन स्थान की व्यवस्था करेगा और उसे बनाए रखेगा, जिसमें कम से कम एक नल (टेप) अथवा स्टेण्ड पाइप हो और जिससे ऐसे हर पाँच व्यक्तियों को सतत् स्वच्छ जल की पूर्ति होती रहे । ये नल (टेप) स्टेण्ड पाइप 120 से.मी. के अन्तर पर होंगे और साबुन तथा स्वच्छ टावेल पर्याप्त मात्रा में रहेंगे ।

सल्फर संग्रहण में नियोजित सभी कर्मकारों को, जो सल्फर उठाने, रखने तथा पिघलाने का कार्य करते हों, नल ब्रश दिया जाएगा ।

18- 0;fä lj{kh midj.kA&

(क) कर्मियों के उपयोग के लिए–

(1) द्रव आदि का नियंत्रण करने वाले वाल्वों अथवा कार्यों का परिचालन करते समय।

(2) सल्फर पात्रों से पिघला हुआ सल्फर निकालते समयय तथा

(3) कोयला या सल्फर को उठाते रखते समय उपयुक्त चश्मों तथा संरक्षी वस्त्रों, जिनमें जेब रहित ऊपरी पोशाकें दस्ताने तथा जूते होंगे, की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) असाधारण परिस्थितियों का आपातकाल में उपयोग के लिए उपयुक्त श्वसन संरक्षी उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी तथा उन्हें उपयुक्त स्थान पर संग्रहित किया जाएगा ।

(ग) ऐसे समस्त संरक्षी उपकरणों को उचित तथा सुचारू रूप से साफ करने की व्यवस्था की जाएगी ।

19- Dykd :eA& प्रक्रियाओं में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के घंटों. के दौरान उतारे गए वस्त्रों के रखने के लिए एक क्लोक रूम तथा ऊपरी पोशाकों या कार्य के समय पहने जाने वाले वस्त्रों को रखने के लिए क्लोक रूम से पृथक् उपयुक्त यान की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा, इस कारण की व्यवस्था किया गया स्थान एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार होगा तथा उसे स्वच्छ रखा जाएगा।

20- vçkf/k—r 0;fäA&(अ) केवल अनुरक्षण तथा मरम्मत करने वाले कर्मचारियों तथा संयंत्र परिचालन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध व्यक्तियों तथा प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ आने वाले व्यक्तियों को ही संयंत्र में प्रवेश दिया जाएगा।

21- fpdhRldh; ijh{k.kA&

(1) चिकित्सा अधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा । वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार कार्बन डाई सल्फाइड संयंत्र प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनरू उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) फिटनेस के प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह– सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जावेंगे ।

mi&vuqlwph&20

eqxuht rFkk mldk ;kfxd dk fofuek.k ;k mldk çgLru

1- ifjHkk"kk,A& bl vuqlwph dk ç;ktu dk fy,&

(क) ''मैंगनीज प्रक्रिया'' से अभिप्रेत है मेंगनीज या मेंगनीज के किसी यौगिक या मेंगनीज युक्त किसी मिश्रण के किसी अयस्क का प्रसंस्करण, विनिर्माण या उसका प्रहस्तनय

(ख) ''प्रथम नियोजन'' से अभिप्रेत किसी मेंगनीज प्रक्रिया में प्रथम नियोजन और उसके अन्तर्गत ऐसा पुनर्नियोजन भी आता है, जो किसी मेंगनीज प्रक्रिया में निरन्तर 3 केलेण्डर मास से अधिक कालावधि तक नियोजन में न रहने के बाद का होय

(ग) ''प्रहस्तन'' से अभिप्रेत है मेंगनीज या मेंगनीज के किसी यौगिक या मेंगनीज युक्त किसी अयस्क या मिश्रण को मिश्रित करना या सम्मिश्रित करना, भरना, खाली करना, पीसना, छानना, सुखाना, पैक करना, साफ करना, अन्यथा उसका हस्तन करनाय

(घ) ''कार्यक्षय निकास संवातन'' से अभिप्रेत है स्थानीय संवातन, जो धूल या धुएं या कुहासे को उसकी उत्पत्ति के स्त्रोत से हटाने के लिए यांत्रिक साधनों द्वारा किया गया हो, जिससे कि उसे किसी ऐसे स्थान के वायुमण्डल में निकल जाने से रोका जा सके, जहाँ कि कोई कार्य किया जाता है । कोई भी ऐसा वायु प्रवाह कार्यक्षय नहीं समझा जाएगा, जो धूल या धुएँ या कुहारे को उस स्थान से न हटा सके, जहाँ कि वह उत्पन्न होता है और जो किसी कार्य स्थान में निकल जाने तथा फैल जाने से न रोक सके ।

2- ç;fäA& यह अनुसूची प्रत्येक ऐसे कारखाने को लागू होगी, जिसमें या जिसके किसी भाग में कोई मेंगनीज प्रक्रिया क्रियान्वित की जाती हो ।

3- NVA& यदि किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को यह समाधान हो जाए कि अपवादिक परिस्थितियों के कारण या प्रक्रिया के कभी कभार होने के कारण से या किसी अन्य कारण से ऐसे कारखाने में नियोजित व्यक्तियों के संरक्षण हेतु इस अनुसूची के समस्त या उनमें से किन्हीं उपबंधों का लागू किया जाना आवश्यक नहीं है तो वह लिखित में एक आदेश द्वारा, जिसे कि वह अपने स्वविवेक पर प्रतिसंहृत कर सकेगा, ऐसे कारखानों को ऐसी शर्तों या ऐसी कालावधि तक के लिए, जो कि वह उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट करे, इन समस्त उपबंधों से या उनमें से किसी भी उपबंध से छूट दे सकेगा ।

4- fdlh çfØ;k dk iFkDdj.kA& प्रत्येक ऐसी मेंगनीज प्रक्रिया, जिसमें मेंगनीजयुक्त धूल, वाष्प या कुहासा निर्मित हो सकता है, एक पूर्ण परिवेष्ठित पद्धति से की जाएगी या अन्यथा उसके ऐसी अन्य प्रक्रियाओं से प्रभावी ढंग से पृथक् रखा जाएगा कि जिसके द्वारा अन्य संयंत्रों तथा प्रक्रियाओं के और कारखानों के किसी अन्य भागों तथा प्रक्रिया के अन्य कार्यों में नियोजित व्यक्ति प्रमाणित न हो सके ।

5- çfØ;k dk lokruA& कोई भी ऐसी प्रक्रिया, जिसमें मेंगनीज युक्त धूल, वाष्प या कुहारा उत्पन्न होता हो, एक ऐसे कार्यक्षय निकास संवातन, जो धूल, वाष्प या कुहासा उत्पन्न होने के यथा व्यवहार्य निकटतम स्थान पर हो, के अधीन ही की जाएगी अन्यथा नहीं ।

6- fpfdRlh; lfo/kk,¡ vkj ijh{k.k A&

(1) हर एक कारखाने, जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य की निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा ।

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा ।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जाँचों के अभिलेख, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो, तो ऐसे रखा जाएगा ।

(3). मेंगनीज की किसी प्रक्रिया में नियोजित कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारीद्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा । ऐसी जाँच में सीरम केल्शियम, सीरम फास्फेट, खन और मूत्र में मेंगनीज की खोज हेत जाँच और स्टेडीनेस टेस्ट अन्य न्यूरोमस्कुलर को–आर्डिनेशन टेस्ट भी शामिल होंगे, किसी भी कर्मकार को उसके कारखानें में प्रथम नियोजन के 15 दिन के पश्चात् काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु उसे फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(4) इस अनुसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(5) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की किसी कर्मकार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि उक्त प्रक्रिया में निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा अन्तर्निहित करने से वह कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजित बने रहने के लिए फिट नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अंकित करेगा। इन दस्तावेजों के उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी, जिसके लिए वह व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए फिट नहीं मानता। अनफिट होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(6) किसी भी व्यक्ति को, जो उप–पैरा (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अनफिट पाया गया हो। उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनरू नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनरू फिट प्रमाणित नहीं कर देता।

(7) फिटनेस प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे।

7- o;fäd lj{kk miLdjA&

(1) कारखाने का अधिभोगी तथा प्रबंधक किसी मेंगनीज प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के लिए काम करने के समय की उपयुक्त पोशाख (ओव्हर आल्स) तता शिरस्त्राण (हेडकवरिंग) की व्यवस्था करेगा और उन्हें अच्छी तथा स्वच्छ दशा में बनाए रखेगा और काम करने के समय की पोशाख तथा शिरस्त्राण किसी मेंगनीज प्रक्रिया में काम करते समय ऐसे व्यक्तियों द्वारा पहने जाएंगे ।

(2) कारखाने का अधिभोगी तथा प्रबंधक उपयुक्त श्वसन संरक्षा उपस्कर की व्यवस्था धूल, धुएँ तथा कुहासे के प्रश्वसन को रोकने के लिए कर्मकारों द्वारा आपातकाल में उपयोग करने हेतु करेगा ।

ऐसे उपस्कर के पूरे सेटों की प्राप्ति संख्या सदैव कार्यस्थल के निकट रखी जाएगी और उन्हें समुचित रूप में बनाए रखा जाएगा तथा सदैव ऐसी दशा में रखा जाएगा कि जिससे उनका आसानी से उपयोग किया जा सके । जर (3) अधिभोगी प्रबंधक समस्त नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर के भण्डारकरण हेतु उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगा और वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर की साफ–सफाई करने हेतु तथा उनके अनुरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा ।

8- efgykvk rFkk vYio;Ld 0;fä;k l lEcfU/kr çfr"k/kA& किसी महिला या अल्प वयस्क व्यक्ति को किसी भी मेंगनीज प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

9- dk;l d{kk e Hkkstu] i; dk çfr"k/kA& किसी भी कर्मकार को किसी भी ऐसे कार्य कक्ष में, जिसमें कोई मेंगनीज प्रक्रिया की जाती हो, भोजन, पेय, पदार्थ, पान तथा सुपारी या तंबाखू लाने या उनका उपयोग किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

10- Hkkstu d{kA& किसी मेंगनीज प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त भोजन कक्ष की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पर्याप्त संख्या में मेजों तथा बेंचों और भोजन गर्म करने के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी । भोजन कक्ष किसी उत्तरदायी व्यक्ति के भारसाधन में रखा जाएगा और उसे स्वच्छ रखा जाएगा ।

11- Lukukfn dh lfo/kk,A& मेंगनीज प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोगों के लिए स्वच्छ और अच्छी स्थिति में एक छप्परदार प्रक्षालय स्थल की व्यवस्था की जाएगी और उसका अनुरक्षण किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था होगी–

(1) एक चिकनी अभेद्य सतह वाली नांद (ट्रफ) जिसमें डाटरहित निरूसार पाइप (वेस्ट पाइप) लगा होगा । नांद की लंबाई इतनी होगी कि किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 से.मी. का स्थान रहे और जिसमें अधिक से अधिक 60 से.मी. की दूरी पर लगे नलों या जेट्स (श्रमजे) से सतत् जलपूर्ति होती हो या किसी भी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक धोवन कुंडी (वाश बेसिन) जिसमें एक निरूसार पाइप तथा डाट (प्लंग) लगा होगा और जिसमें सतत् जलपूर्ति होती हो, तथा

(2) पर्याप्त मात्रा में साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री तथा नाखून साफ करने के ब्रश तथा साफ तोलिए ।

12- lkeku d{kA& यदि मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता अपेक्षा करे तो मेंगनीज प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक सामान घर की व्यवस्था की जाएगी और उसका अनुरक्षण किया जाएगा, जिसमें कार्य करने के समय के दौरान उतारे गए कपड़े रखे जा सकें और जिसमें कपड़ों को सुखाने की समुचित व्यवस्था हो ।

13- prkouh nu okyl Qyd rFkk vunn'kA& कारखाने के ऐसे प्रमुख स्थानों में निम्नलिखित रूप से तथा नियोजित कर्मकारों में से अधिकांश कर्मकारों की भाषा में छपी हुई चेतावनी देने वाली सूचनाएँ लगाई जाएंगी, जहाँ से कि उन्हें कर्मकारों द्वारा आसानी से और सुविधापूर्वक पढ़ा जा सके और प्रबंधक या अधिभोगी द्वारा किसी मेंगनीज प्रक्रिया में नियोजित समस्त कर्मकारों को उनके कर्तव्यों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में तथा अपने आपकी सुरक्षा के सर्वोत्तम सुरक्षा उपायों और तरीकों के बारे में सर्वाधिक रूप से अनुदेश देने की व्यवस्था की जाएगी । वे सूचनाएं सदैव ही ऐसी स्थिति में रखी जाएगी कि उन्हें पढ़ा जा सके ।

चेतावनी सूचना

मेंगनीज तथा मेंगनीज यौगिक

1. मेंगनीज और उसके यौगिक की धूल, धुआँ तथा कुहासा सांस के अन्दर चले जाने पर या निगल लिए जाने पर विषाक्त हो जाता है ।
2. फार्म स्थान के निकट भोजन या पानी का उपयोग न करें ।
3. भोजन करने से पहले अच्छी तरह से नहा लें ।
4. कार्य क्षेत्र को साफ रखें ।
5. दिए गए संरक्षा वस्त्रों तथा उपस्करों का उपयोग करें ।
6. जब ऐसी स्थितियों में कार्य करना अपेक्षित हो, जहाँ कि धूल, धुआँ या कुहासा सांस के साथ अन्दर चला जाना संभव हो तो इस प्रयोजन के लिए दिए गए श्वसन संबंधी संरक्षा उपस्करों का उपयोग करे ।
7. यदि आप तेज सिरदर्द, दीर्घकालिक अनिद्रा या शरीर में असामान्य संवेदनाओं का अनुभव करें तो उसकी सूचना प्रबंधक को दें, जो आपकी परीक्षा तथा उपचार का इंतजाम करेगा।

mi&vuqlwph 21]

cSthu ;k cSthu ;qä inkFkZ dk fuekZ.k

1. यह अनुसूची ऐसे कारखानों को लागू होगी, जिनमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों का विनिर्माण, उठाना–धरना या उपयोग होता है ।

2- ifjHkk"kk,A& bl vuqlwph esa çk;kstuksa ds fy,

(क) बेन्जीनयुक्त पदार्थ से अभिप्रेत है वह पदार्थ जिसमें बेन्जीन की मात्रा आयतन में 1 प्रतिशत से अधिक हो

(ख) प्रतिस्थापक से अभिप्रेत है, ऐसा रसायन जो अहानिकारक हो या बेन्जीन की अपेक्षा हानिकारक हो और जिसे बेन्जीन के स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता हो ।

(ग) बन्द प्रणाली से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली जो काम करने के कमरे के वायुमण्डल में बेन्जीन की भाप को विमुक्त नहीं होने देती ।

(घ) सक्षम निकास प्रवात से अभिप्रेत है स्थानीकृत संवातन जिसकी व्यवस्था गैसों, भापों तथा धूल या धुएँ को यांत्रिक साधन द्वारा हटाने के लिए की गई हो, ताकि उन्हें किसी काम करने के कमरे की वायु में विमुक्त होने से निवारित किया जाए तथा किसी ऐसे प्रवात को सक्षम नहीं माना जाएगा, यदि वह ऐसी गैसों, भापों, धुओं या धूल के उत्पन्न होने के स्थान पर उत्पादित धुओं को हटाने में असफल रहता है ।

3- çfr"ks/k rFkk çfrLFkkiuA&

(क) बेन्जीन और बेन्जीनयुक्त पदार्थों का निम्नलिखित प्रक्रियाओं में उपयोग प्रतिषिद्ध किया जाता है–
(एक) वार्निश, पेन्ट और थिनर के विनिर्माण मेंय और
(दो) सफाई और डी–ग्रीजिंग कार्यों में ।,

(ख) बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों का उपयोग विलायक का तनुकारक के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह प्रक्रिया जिसमें बेन्जीन का उपयोग किया जाता है । बंद प्रणाली में नहीं किया जाए या जब तक कि उसकी प्रक्रिया उस रीति में न की जाए, जो इस प्रकार हो, मानो कि वह प्रक्रिया बंद प्रणाली में की जा रही है ।

(ग) जहाँ उपयुक्त प्रतिस्थापन उपलब्ध हो, वहीं उनका उपयोग बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों के स्थान पर किया जाएगा, तथापि यह उपबंध परिशिष्ट ''क'' में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को लागू नहीं होगा ।

(घ) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, राज्य सरकार द्वारा पुष्टिकरण के अध्यधीन रहते हुए खण्ड 2 (क) में अधिकथित प्रतिशत से तथा उपखंड (ख) के उपबंधों से भी ऐसी शर्तों पर तथा ऐसे परिसीमित समयों के भीतर, जो कि संबंधित नियोजकों तथा कर्मकारों से परामर्श करके अवधारित की जाए, अस्थाई रूप से छूट दे सकेगा।

4- vUr:'olu ls lqj{k.kA&

(क) बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों के उपयोग करने में अन्तर्वलित प्रक्रिया, यथासाध्य, बंद प्रणाली में चलाई जाएगी ।

(ख) जहाँ बन्द प्रणाली में इस प्रक्रिया को चलाना व्यवहार्य न हो, वहाँ काम करने के कमरे को, जिसमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों का उपयोग किया जाना है । बेन्जीन की भाप को हटाने के लिए, ताकि काम करने के कमरे की वायु में उनकी विमुक्ति को निवारित किया जा सके । एक सक्षम निकास प्रवात से या अन्य साधनों से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे कि वायु के बेन्जीन के संकेन्द्रण की मात्रा आयतन में प्रति दस लाख भागों में 25 भाग या 80 एम.जी.एम. से अधिक न हो ।

(ग) वायु में बेन्जीन की भाप के संकेन्द्रण का वायु विश्लेषण या भाप उन स्थानों पर जहाँ ऐसी प्रक्रिया, जिनमें बेन्जीन का उपयोग अन्तर्वलित करने वाली प्रक्रिया चलाई जाती हो, प्रत्येक 8 घंटे में या ऐसे मध्यान्तरों में जैसा कि मुख्य निरीक्षक–सह– सुविधाप्रदाता निर्देश दे, किया जाएगा तथा ऐसे विश्लेषण का परिणाम इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा । यदि वायु विश्लेषण द्वारा माप किए गए अनुसार वायु में बेन्जीन की भाप को संकेन्द्रण की मात्रा आयतन में प्रति दस लाख भागों में 25 भाग में या 80 एम.जी.ध्एम. से अधिक हो जाती है तो प्रबंधक ऐसे संकेन्द्रण की रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की ऐसी वृद्धि के कारण अभिलिखित करते हुए तत्काल देगा ।

(घ) ऐसे कर्मकारों को जिनके कि किन्हीं विशेष कारणों से काम करने के कमरे की वाय में खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकतम अधिक बेन्जीन से संकेन्द्रण से उत्छन्न होने की संभावना है, श्वासोच्छवास हेतु उचित फेस मास्क दिए जाएंगे । ऐसे उच्छन्न होने की समयावधि जहाँ तक संभव हो, सीमित होगी ।

5- Ropk lLi'k l cpu d mik;A&

(क) उन कर्मकारों को, जिनके बेन्जीन द्रव या बेन्जीन युक्त द्रव पदार्थों के संपर्क में आने की संभावना है, उपयुक्त दस्ताने, मलवस्त्र (एप्रन) जूते और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ बेन्जीन या उसकी भाप से प्रभावित न होने वाली सामग्री से निर्मित भापरोधी रासायनिक चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट सुरक्षा परिधान अच्छी हालत में बनाए रखे जाएंगे तथा उनका नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा ।

6- efgykvk rFkk fd'kkjk d fu;kstu lEcU/kh çfr"k/kA& किसी महिला या किशोर को काम करने के किसी ऐसे कमरे में, जिसमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों में उच्छन्न होना अन्तर्वलित हो, नियोजित नहीं किया जाएगा या कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

7- ycy yxkukA& ऐसे प्रत्येक पात्र पर, जिसमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थ हो, शब्द बेन्जीन तथा खतरे के अनुमोदित प्रतीक स्पष्ट दृश्य रूप में अंकित होंगे तथा उस बेन्जीन के मूल तत्व के विषय में जानकारी, उसके विषैलेपन के बारे में चेतावनी तथा इस रसायन की ज्वलनशीलता के बारे में चेतावनी प्रदर्शित की जाएगी ।

8- cUthu dk vufpr mi;kxA&

(क) बेन्जीन या बेन्जीन पदार्थों का उपयोग कर्मकारों द्वारा उनके हाथ साफ करने के लिए प्रतिबद्ध होगा ।

(ख) ऐसे दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों के प्रति कर्मकारों को अनुदेश दिए जाएंगे तथा कर्मकार से, जिसके कि उसके कार्य के समरूप को ध्यान में रखते हुए द्रव बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त द्रव पदार्थों के सम्पर्क में आने की संभावना है, एक लिखित अभिस्वीकृति अभिप्राप्त की जाएगी कि उसने अनुदेशों का आशय पूर्ण रूप से समझ लिया है।

9- dke dju d dejk l [kkuk vkfn dk mi;kx dju ij çfr"k/kA& किसी भी कर्मकार को उस काम करने के कमरे में, जिनमें बेन्जीन तथा बेन्जीनयुक्त पदार्थों का विनिर्माण, उठाना, धरना या उपयोग किया जाता हो, खाने की या पीने की वस्तु के भंडार करने या उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । काम करने के ऐसे कमरे में धूम्रपान करने या तंबाकू या पान सुपारी खाने पर प्रतिषेध होगा ।

10- tkf[ke d lEcU/k e vuqn'kA& प्रत्येक कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन पर बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों के मूल तत्व के बारे में, जिसका उसे संव्यवहार करना है तथा उसमें अन्तर्वलित जोखिमों के विषय में पूर्ण रूप से अनुदेश किए जाएंगे, कर्मकारों को किसी आपात स्थिति में किए जाने वाले उपायों के बारे में अनुदेश दिए जाएंगे ।

11- lko/kkuh lEcU/kh lpuk,A& सावधानी संबंधी सूचनाएँ जो कि परिशिष्ट ''ख'' में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होंगी तथा बहुसंख्यक कर्मकारों द्वारा सुविधापूर्वक पढ़ी तथा समझी जाने वाली भाषा में होंगी, काम करने के कमरों में उन प्रमुख स्थानों पर जिनमें बेन्जीन या बेन्जीन युक्त पदार्थों का विनिर्माण उठाना, धरना या उपयोग किया जाता है, प्रदर्शित की जाएंगी ।

12- /kkuk dh lfo/kk,] Dykd :e rFkk lgHkkstu d{kA& ऐसे कर्मकारों में जिनमें बेन्जीन या बेन्जीन युक्त पदार्थों का विनिर्माण उठाना, धरना या उपयोग किया जाता है, अधिभोगी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा तथा उनको स्वच्छ स्थिति में तथा अच्छी मरम्मत की दशा में बनाए रखेगा ।

(क) धोने सम्बन्धी सुविधाएं, जो कि मानक के अनुरूप प्रत्येक 10 व्यक्तियों के लिए कम से कम एक नल, जिसमें जल प्रदाय होता हो तथा प्रत्येक कर्मकार को व्यक्तिगत रूप से साबुन तथा एक स्वच्छ तौलिया दिया जाएगाय

(ख) एक क्लाक रूम, जिसमें प्रत्येक कर्मकार के लिए बाहर पहनने के कपड़े तथा काम करते समय पहनने के कपड़े रखने के लिए दो खण्डों वाला एक लाकर ।

(ग) टेबलों तथा बेंचों से सुसज्जित एक सहभोजन कक्ष, जिसमें भोजन गरम करने का इंतजाम रहेगा, परन्तु जहाँ कर्मकारों के लिए उनके भोजन लेने हेतु केन्टीन या अन्य उचित इंतजाम विद्यमान हों, वहां मेस रूम की अपेक्षाओं का परित्याग किया जाएगा ।

13- fpfdRlh; lfo/kk, vkj ijh{k.k A&

(1) हर एक कारखाने, जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) वह नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य पर चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगाय और

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उक्त चिकित्सा व्यवसायी को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा ।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जांच के अभिलेख, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखा जाएगा ।

(3) पैरा (1) में उल्लिखित प्रक्रियाओं नियोजित हर एक कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण में मूत्र में फीनोल का डिटेक्शन और यूरिनरी सल्फाइड रेशों और सी.एन.एस. और हेमोटोलाजिकल जाँच शामिल

होगी । किसी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के पश्चात् नियोजित नहीं किया जाएगा । जब तक कि ऐसे नियोजन हेतु उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(4) इस अनूसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(5) यदि चिकित्सा अधिकारी की राय हो कि कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में और नियोजन हेतु इस आधार पर फिट नहीं है कि उसमें निरन्तर रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त प्रमाण पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अभिलिखित करेगा । इन दस्तावेजों में की गई उसकी प्रविष्टि में यह भी शामिल होगा कि उक्त प्रक्रिया में वह उक्त व्यक्ति को कितनी अवधि के लिए अनफिट समझता है । प्रक्रिया से इस प्रकार अनफिट होने से निलम्बित हए व्यक्ति को वैकल्पिक स्थापना की सुविधा प्रदत्त की जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे पूरी तौर पर असमर्थ घोषित न कर दिया जाए और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा ।

(6) उप–पैरा (5) में कथित किए गए अनुसार अनफिट पाए गए व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में पुनरू नियोजन अथवा काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा और परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उसे पुनरू फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(7) फिटनेस प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे ।

ifjf'k"V&d

[kM 3 ¼[k½]

1– बेन्जीन का उत्पादन ।

2– वह प्रक्रिया, जिसमें बेन्जीन का उपयोग रसायन के संश्लेषण हेतु किया जाता है ।

3– मोटर स्पिरिट (जिनका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है) ।

ifjf'k"V&[k

[kM 11]

¼d½ tkf[ke&

(एक) बेन्जीन या बेन्जीन युक्त पदार्थ हानिप्रद हैं ।

(दो) बेन्जीन की भाप को लम्बे समय तक या बारम्बार श्वास के साथ लेने का परिणाम तीव्र, या जीर्ण विमुक्तिकरण होगा ।

(तीन) बेन्जीन चमड़ी के द्वारा भी सोखी जा सकती है, जिससे चर्म संबंधी तथा अन्य बीमारियाँ हो सकती है।

¼[k½ fd, tku oky fuokjd mik;

(एक) बेन्जीन भाप को श्वास के साथ जाने से बचाएं ।

(दो) चमड़ी में साथ बेन्जीन का लम्बे समय तक या बारम्बार संस्पर्श से बचें ।

(तीन) बेन्जीन सोखे हुए या गीले वस्त्र शीघ्रता से उतार दें ।

(चार) यदि किसी समय आप बेन्जीन की भाप के अत्यधिक संकेन्द्र से उच्छन्न हो जाएं तथा सिर चकराने, श्वास लेने में कठिनाई, अत्यधिक उत्तेजना तथा चेतना विहीन होने जैसे चिह्न तथा लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो अपने कारखाने प्रबन्धक को तुरन्त सूचित करें।

(पाँच) बेन्जीन के सभी पात्रों को बन्द रखें ।

(छः) बेन्जीन तथा बेन्जीन युक्त पदार्थों का उठाना, रखना, उपयोग तथा प्रक्रिया सावधानीपूर्वक करें, ताकि वह फर्श पर गिरकर फैलने न पाए ।

(सात) सामान को व्यवस्थित रूप से रखें ।

¼x½ mi;kx fd, tku oky ljf{kd miLdj&

(एक) ऐसे स्थान में जहाँ बेंजीन की भाप अत्यधिक संकेन्द्रण में मौजूद हो, श्वसन संरक्षक उपस्कर का उपयोग करें।

(दो) स्वजनित्र ऑक्सीजन मास्क या ऑक्सीजन या वायु सिलेण्डर मास्क का आपात स्थिति में उपयोग करें ।

(तीन) अपनी चमड़ी तथा शरीर के भागों को बेन्जीन के संस्पर्श से बचाने के लिए दस्ताने, अप्रेन, चश्मे तथा गम बूट पहनें।

¼?k½ cUthu d rho fo"kkähdj.k dh n'kk e fd, tku oky çkFkfed mipkj d mik;&

(एक) वस्त्रों को यदि वे बेन्जीन से गीले हों तो तुरन्त उतार दें ।

(दो) यदि द्रव बेन्जीन आँखों में चला गया हो तो कम से कम 15 मिनिट तक स्वच्छ जल की धारा से आँखों को अच्छी तरह से धोयें और चिकित्सक को तत्काल दिखायें।

(तीन) बेन्जीन की भाप से असामान्य रूप से उच्छन्न होने की दशा में किसी चिकित्सक को तुरन्त बुलायें, उनके आने तक निम्नलिखित कार्य करें ।

;fn çHkkfor 0;fä gk'k e gk rk&

(क) उसे खुले स्थान में ताजी हवा में ले जाएं ।

(ख) उसे बिना तकिया के लिटा दे तथा उसे शांत और गर्म रखें ।

;fn çHkkfor 0;fä cgk'k gk rk&

(क) उसका सिर नीचे की ओर रखते हुए बायें करवट से लिटाना अधिक अच्छा होगा।

(ख) कोई नकली दांत, चूसने की मिठाई (च्यूइंगम) तम्बाखू या अन्य बाहरी पदार्थ को जो उसके मुँह में हों, निकाल दें।

(ग) खोखली श्वास लेने या शरीर पर पड़ने वाले नील (चमड़ी, होंठ, कान, उँगलियों के नाखून की सतह का नीला हो जाना) की दशा में उसे चिकित्सीय ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कार्बन डाई ऑक्साइड का मिश्रण दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उसे कृत्रिम श्वसन दिया जाए ऑक्सीजन केवल प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही दी जाए ।

mi&vuqlph 22
LyV iflyk dk fofuek.k

1. परिभाषाएँ।– इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए–

(क) स्लेट पेन्सिलों का विनिर्माण से अभिप्रेत वर्तुलाकार आरी की सहायता ख्या किसी अन्य साधन से, स्लेट पेन्सिलों के विनिर्माण के लिए पत्थर काटना तथा उसमें उससे आनुषंगिक प्रक्रिया जैसे पत्थर का काटना, धरना तथा उसके टुकड़े करना आरी से काटी गई धारियों पेन्सिलों को अलग करना और पेन्सिलों की गिनाई पैकिंग नोक बनाना तथा छंटाई ।

(ख) 'सक्षम निकास प्रवात' से अभिप्रेत है स्थानीय वृत्त संवातन जिसकी व्यवस्था धूल को यांत्रिक साधन द्वारा हटाने के लिए की गई हो, ताकि उसे किसी ऐसे स्थान की जहाँ कार्य हो रहा हो, वायु में विमुक्त होने से निवारित किया जा सके तथा किसी ऐसे प्रवात को सक्षम नहीं माना जाएगा, यदि वह ऐसी धूल उत्पन्न होने के स्थान पर उत्पादित धूल को हटाने में असफल रहता है ।

2 (क) आरी की सहायता से पत्थरों को काटने या पत्थर में खांचा बनाने की प्रक्रिया तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि काटने वाली या खांचा बनाने वाले उपस्कर से ऐसा एक सक्षम निकास प्रवात जोड़ नहीं दिया जाता, जो धूल उत्पन्न होने के स्थान से धूल को खींच निकालता हो और उसे कार्य के स्थान से बाहर ले जाता हो ।

(ख) जहाँ निकास पंखा तथा काटने या खांचा बनाने वाले उपस्कर अलग–अलग मोटरों से चलाए जाते हों, वहां से मोटरें विद्युत से इस प्रकार अन्तर्ग्रन्थित की जाएंगी कि जब तक निकास पंखे की मोटरें काम न करें, तब तक काटने या खांचा बनाने वाले उपस्कर को चलाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मोटर को चालू करना संभव नहीं होगा ।

3. (क) किसी भी महिला या किशोर को पत्थरों को काटने या पत्थरों पर खांचा बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों पर कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) पेन्सिलों की पेकिंग पुनरू पेकिंग नोक करने तथा छांटने खाँचों को तोड़कर खोलने या वैसे ही अन्य कार्य उसी एक शेड में नहीं किए जाएंगे, जिसमें कि पत्थर काटने या उसमें खाँचा बनाने का कार्य किया जाता हो ।

4. (क) स्लेट पेंसिलों के विनिर्माण में किसी भी कर्मकार को तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि किसी प्रमाणकर्ता सर्जन द्वारा उसकी चिकित्सीय तथा विकिरण चिकित्सीय परीक्षा नहीं ली जाती तथा प्ररूप क्रमांक 28 में उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र प्रदान करते हए ऐसे नियोजन के लिए उपयुक्त घोषित न कर दिया गया है ।

(ख) उस तारीख को, जिसको यह अनुसूची प्रवर्तन में आए स्लेट पेंसिल के विनिर्माण में नियोजित कर्मकार का उक्त तारीख से 3 मास के भीतर किसी प्रमाणकर्ता सर्जन द्वारा चिकित्सीय तथा विकिरण चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी ।

(ग) स्लेट पेन्सिल, विनिर्माण में नियोजित हर एक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपखंड (क) और (ख) के अधीन उल्लिखित प्रथम परीक्षण के उपरान्त हर एक ऐसे अन्तराल से जो छह मास से अधिक नहीं होगी, चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा और हर एक ऐसे अन्तराल से जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाएए, रेडियोलाजिकल परीक्षण किया जाएगा ।

(घ) ऐसे कर्मकार को जो पहले से ही नियोजन में हो तथा प्रमाणकर्ता सर्जन द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, स्लेट पेंसिलों के विनिर्माण में कार्य के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक की उसकी पुनरू परीक्षा नहीं की जाती और उसे उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता ।

(ड़) चिकित्सा अधिकारी किसी भी कर्मकार की विकिरण चिकित्सीय परीक्षा कराने या उसकी विरुजालयीन, रोग विज्ञान संबंधी अन्यथा परीक्षा आगे और कराई जाने या उसकी विनिर्दिष्ट चिकित्सा की जाने के लिए निर्देश दे सकेगा तथा अधिभोगी और प्रबन्धक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विनिर्दिष्ट परीक्षा तथा चिकित्सा की व्यवस्था करे और उसके भाग तथा उसे संबंधित समस्त व्यय को वहन करें ।

(च) चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक परीक्षा के पश्चात् प्ररूप क्रमांक 28 में एक प्रमाण पत्र प्रदान कर सकेगा।

(छ) प्रबन्धक प्रारूप 28 के समस्त प्रमाण पत्रों की एक उचित नस्ती में बनाए रखेगा तथा समस्त प्रमाण पत्र को निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के समक्ष जब भी मांग की जाए,प्रस्तुत करेगा ।

5. किसी भी कर्मकार को पत्थर काटने एवं खांचा बनाने वाली मशीन या किसी अन्य उपस्कर पर जो स्लेट पेंसिल के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर से धूल उत्पन्न करती हो, तब तक कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह धूल वाष्प (इस्ट मास्क) नहीं पहन लेता है ।

mi&vuqlwph&23

[krjukd dhVuk'kdk dk vfHkpkyu ;k fofuek.k

1- ykxw gkukA& यह अनुसूची उन सभी कारखानों या उनके किसी भाग को, जिसमें खतरनाक कीटनाशकों का अभिचालन या विनिर्माण जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, चलाई जाती हो, को लागू होगी ।

2- ifjHkk"kk,A& bl vuqlwph dk ç;ktu dk fy,&

(क) 'खतरनाक कीटनाशक' से तात्पर्य किसी ऐसे पदार्थ से है, जो किसी कीट के नियंत्रण,नष्ट या विकर्षित करने के लिए या उनकी वृद्धि रोकने या वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए प्रस्तावित हो या जिसका उपयोग किया जाता हो, जिसमें उसके अन्तर्गत उसके फार्मूलेशन, जिन्हें इनसे क्टीसाइड एक्ट, 1968 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विषैला माना गया हो और अन्य उत्पाद जिन्हें राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, आते हैं ।

(ख) 'अभिचालनन' में मिश्रित करना ब्लेडिंग करना, फार्मलेशन बनाना भरना, खाली करना पैक करना अथवा अन्य प्रकार से कार्य करना सम्मिलित हैं ।

(ग) 'सक्षम वायु निष्कासक' से तात्पर्य सीमित यांत्रिक संवातन से है, जो धुआँ, गैस, वाष्प, धूल या कोहरे को हटाने के लिए प्रयुक्त हो, ताकि किसी काम के कमरे, जिसमें कार्य किया जा रहा हो, की हवा में उनका प्रवेश रोका जा सके, किसी वायु निष्कासक को, यदि वह प्रक्रिया के उस बिन्दु पर, जहाँ से ऐसी गैस, धूम्र, धूल, वाष्प या कोहरा उत्पन्न हो, पैदा हुए धुएँ को हटाने में असफल रहता है तो उसे सक्षम नहीं माना जाएगा । (घ) 'प्रथम नियोजन' से तात्पर्य किसी ऐसे विनिर्माण प्रक्रिया में, जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, प्रथम नियोजन से होगा और उसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में लगातार तीन कलेण्डर मास से अधिक समय तक नियोजित न रहने के उपरान्त हुआ पुनर्नियोजन भी सम्मिलित होगाय और

(ड़) 'निलम्बन' से तात्पर्य है किसी प्रक्रिया से, जिसमें कारखाना कीटनाशक का अभिचालन किया जाता हो, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो ऐसी प्रक्रियाओं से सभी नियोजित व्यक्तियों को निलंबित करने के लिए सक्षम हो, स्वास्थ्य रजिस्टर में प्ररूप 21 में हस्ताक्षरित लिखित प्रमाण पत्र द्वारा नियोजन में से किया गया निलम्बन ।

3- dekdkjk dk vuqn'kA& हर एक कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन पर उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में काम लिए जा रहे रसायनों के गुण, जिसमें खतरनाक गुण भी सम्मिलित होंगे तथा उनके अन्तर्निहित खतरों के बारे में पूरी तरह अनुदेश दिए जाएंगे । किसी आपात स्थिति में क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस बारे में भी नियोजितों को अनुदेशित किया जाएगा । ऐसे अनुदेश समयबद्ध रूप से दोहराए जाएंगे ।

4- lko/kkuh lwpuk,a vkj lyksdkMA& इस अनुसूची के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट रूप में और कर्मकारों के बहुमत की भाषा में छापी गई सावधानी सूचनाएँ तथा प्लेकार्ड सभी काम के स्थानों में, जहाँ कि उक्त विनिर्माण प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों, प्रदर्शित होंगी, ताकि उन्हें कर्मकारों द्वारा आसानी और सुगमता से पढ़ा जा सके । कारखाने के अधिभोगी और प्रबन्धक द्वारा कर्मकारों को उक्त विनिर्माण प्रक्रिया से उद्भूत होने वाले स्वास्थ्य के खतरों और बचाव की पद्धति के संबंध में नियतकालिक रूप से अनुदेश देने की व्यवस्था की जाएगी । ऐसी सूचनाओं में कर्मकारों के स्वास्थ्य के बचाव के लिए नियतकालिक चिकित्सीय जाँच की अपेक्षाओं के बारे में अनुदेश सम्मिलित होंगे ।

5- fL=;k vkj vYio; 0;fä;k d fu;ktu d lc/k e çfr"k/kA& किसी स्त्री या अल्पवय व्यक्ति को किसी कार्य के कमरे में जहाँ कि उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही हो या किसी ऐसे कमरे में जहाँ खतरनाक कीटनाशक भण्डारित हो, नियोजित करने या कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

6- Hkkstu] i; vkj /ke iku dk çfr"k/kA&

(1) किसी ऐसे कमरे में, जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, किसी कर्मकार द्वारा कोई खाने का सामान, पेय, तम्बाकू, पान या सुपारी न तो लाई जाएगी न उसका उपयोग किया जाएगा ।

(2) किसी ऐसे कमरे में, जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, धूम्रपान प्रतिषिद्ध होगा।

7- cpko d diM vkj cpko midj.kA&

(1) लम्बी पतलूनें और कमीजें या लम्बी बाजुओं के ओवराल और सिर के आवरण युक्त बचाव के कपड़ों की व्यवस्था उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित सभी कर्मकारों के लिए की जाएगी।

(2) (क) रबर के दस्ताने, गमबूट, रबर–एप्रन, रसायन सरक्षा चश्मे और रेसपिरेटर्स को सम्मिलित करते हुए बचाव उपकरण की व्यवस्था उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित सभी कर्मकारों के लिए की जाएगी।

(ख) जहाँ कीटनाशक तेलयुक्त हों, वहाँ दस्ताने, बूट, एप्रन संश्लेषित रबर से बने हुए होंगे ।

(3) कर्मकारों को, जिन्हें ऐसे कपड़े व उपकरण प्रदाय किए गए हों, वे इन बचाव के कपड़ों और बचाव उपकरणों को पहनेंगे।

(4) यदि कर्मकार, निकोटीन या फास्फोरस युक्त कीटनाशक का कार्य करते हों तो कपड़ों व उपकरणों को रोजाना अन्दर से और बाहर से धोया जाएगा और यदि अन्य कोई कीटनाशक का प्रबन्धन करते हों तो वे (बार–बार) धोए जाएंगे ।

(5) बचाव के कपड़े और उपकरणों को अच्छी मरम्मत की दशा में रखा जाएगा ।

8- Q'k vkj dke dh cUpA&

(1) हर एक कमरे के, जहाँ खतरनाक कीटनाशक का अभिचालन किया जाता हो, फर्श सीमेन्ट या अन्य अभेद्य पदार्थ का चिकनी सतह वाले होंगे।

(2) फर्श अच्छी मरम्मत की दशा में अनुरक्षित और नाली तक जाने वाले पर्याप्त ढलान वाले होंगे और दिन में एक बार होज पाइप से पूरी तरह धोए जाएंगे।

(3) काम की बेंचें, जहाँ खतरनाक कीटनाशक का अभिचालन किया जाता हो, चिकनी तथा असोख पदार्थ प्रमुखतरू स्टेनलेस स्टील की बनी होंगी और प्रतिदिन कम से कम एक बार साफ की जाएंगी।

9- fc[kjko vkj dpjkA&

(1) यदि खतरनाक कीटनाशक, उसके अभिचालन के दौरान काम की बेंच, फर्श या कर्मकार द्वारा पहने हुए बचाव के कपड़ों पर फैल जाए या बिखर जाए तो ऐसे स्थान या ऐसी वस्तुओं को पूरी तरह अदूषित किए जाने की तत्काल कार्यवाही की जाएगी ।

(2) खतरनाक कीटनाशक में भीगे या लिपटे हुए कपड़े, चिन्दियाँ, कागज या अन्य पदार्थ उपयुक्त पात्र, जिसमें कसा हुआ ढक्कन हो, में एकत्र किए जाएंगे, संदूषित कचरे को सप्ताह में कम से कम एक बार जलाकर नष्ट किया जाएगा।

(3) जहाँ उपलब्ध हो, उपयुक्त निष्क्रिय कारक अभिकर्ता, जब बिखराव हो तो उसको संभालने के समय उपयोग में लेने हेतु तत्काल पहुंच गम्य स्थान पर रखे जाएंगे ।

(4) संयंत्र से सभी भागों में सफाई, अनुरक्षण और मरम्मत हेतु, पहुँचने के लिए सुगम साधन प्रदत्त होंगे ।

10- [krjukd dhVuk'kd d mi;kx e fy, x, [kkyh dUVu lA& खतरनाक कीटनाशक के उपयोग में दिए गए कन्टेनर रद्द करने या नष्ट करने से पूर्व उसमें बचे हुए पदार्थ को पूरी तरह साफ और निष्क्रिय कारक अभिकर्ता से उपचारित किया जाएगा ।

11- gkFk l dk;l djukA&

(1) खतरनाक कीटनाशक का या लम्बे हेंडल वाले बेलचों या करछल.के साधन से किए गए अभिचालन के अलावा अन्य प्रकार से हाथ से करने की अपेक्षा या अनुमति नहीं होगी।

(2) खतरनाक कीटनाशक के अभिचालन के दौरान उसके शरीर के किसी भी भाग से सीधे समपर्क से बचा जाएगा ।

12- lokruA&

(1) हर एक काम के कमरे या क्षेत्र, जहाँ खतरनाक कीटनाशक का अभिचालन किया जाता हो, में हर समय ताजी हवा के परिचालन से पर्याप्त संवातन की व्यवस्था की जाएगी ।

(2) प्रक्रिया जब तक पूरी तरह से बन्द न हो, खतरनाक कीटनाशक के अभिचालन के दौरान निम्नलिखित कार्य सक्षम वायु निष्कासक के बिना नहीं किए जाएंगे

(क) खतरनाक कीटनाशक से भरे पात्र को खाली करनाय

(ख) खतरनाक कीटनाशक का मिश्रण करनाय
(ग) खतरनाक कीटनाशक युक्त द्रव या पाउडर तैयार करनाय और
(घ) खतरनाक कीटनाशक को एक कन्टेनर, टैंक, हापर या मशीन या छोटे आकार के कन्टेनर में बदलाव या भरना ।

(3) उपरोक्त कार्यों में लगाया हुआ वायु निष्कासन असफल हो जाने पर उक्त कार्यों का किया जाना बन्द कर दिया जाएगा ।

13- çPNkyu gr| vuKkr le;A&

(1) खतरनामक कीटनाशक के अभिचालन में लगे हुए हर एक कर्मकार को भोजन अवकाश और दिन का कार्य समाप्त होने से पहले नियमित विश्राम मध्यान्तर के अतिरिक्त कम से कम 10 मिनट का समय प्रच्छालन हेतु दिया जाएगा।

(2) खतरनाक कीटनाशक के अभिचालन में लगे हुए हर एक कर्मकार को कोई भी खाने की वस्तु खाने से पूर्व तथा दिन का कार्य खत्म होने की पूरी तौर से प्रच्छालन करना होगा।

14- ç{kkyu vkj Luku lfo/kk,A&

(1) जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हों, वहाँ सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए साफ हालत और अच्छी मरम्मत से अनुरक्षित पर्याप्त प्रक्षालन और स्नान के स्थान बने होंगे, जिनमें छायादार जगह पर प्रति 5 नियोजित व्यक्तियों की दर से एक ऐसे स्थान पर उपयोग के लिए निरन्तर जल प्रदाय भी होगा।

(2) प्रक्षालन स्थान पर एक मीटर के अंतर से स्टेण्ड पाइप लगे होंगे ।

(3) प्रक्षालन स्थानों की कुल संख्या के आधे से अधिक में स्नानागार बने होंगे ।

(4) उपर्युक्त पदार्थ के बने पर्याप्त तौलिए प्रदाय किए जाएंगे ।
परन्तु यह कि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा यदि आदेशित किया गया हो तो हर एक कर्मकार का व्यक्तिगत रूप से ऐसे तोलिए प्रदाय किए जाएंगे ।

(5) पर्याप्त साबुन और नाखुनों के ब्रश प्रदाय किए जाएंगे ।

15- Dykd :eA& कारखाने जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, में नियोजित सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए–

(क) काम करने के समय के दौरान कपड़े उतारने के लिए क्लोक रूम की व्यवस्था, जिसमें यदि कपड़े गीले हों तो कपड़े सुखाने की व्यवस्था होगी, और

(ख) पैरा 7 के अधीन प्रदाय किए गए बचाव के कपड़ों के भण्डारण हेतु उपयुक्त और पृथक व्यवस्था की जाएगी और उसे अनुरक्षित किया जाएगा ।

16- Hkkstu d{kA&

(1) कारखाने जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, में नियोजित सभी कर्मकारों के, जो विश्राम के मध्यान्तर में वहाँ रुक जाता हों, के लिए उपयुक्त भोजन कक्ष बनाया व अनुरक्षित किया जाएगा, और जो–
(क) पर्याप्त टेबिलों और पीछे टेक सहित बैंचय
(ख) खाना गर्म करने के पर्याप्त साधन से सज्जित होगा ।

(2) भोजन कक्ष जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में और साफ हालत में रखा जाएगा ।

17- vfHkpkyu dk u fd;k tkukA& किसी कारखाने में कीटनाशक का अभिचालन या विनिर्माण नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसकी खतरनाक प्रकृति या अन्यथा होने के संबंध में निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता से प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

18- fpfdRlh; ijh{k.kA&

(1) उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित हर एक कर्मकार का उसके प्रथम नियोजन के 7 दिन के अन्दर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा और किसी कर्मकार को जब तक कि उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु प्रारूप 28 में फिटनेस प्रमाण–पत्र द्वारा फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो, काम करने की अनुमति नहीं होगी।

(2) उक्त प्रक्रिया में नियोजित हर एक कर्मकार को 6 कलेण्डर मास में से कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनरू परीक्षण किया जाएगा ।

(3) उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों के परीक्षण हेतु व्यवस्था के संबंध में चिकित्सा अधिकारी से व्यवस्था बाबत सहमति मिलने के उपरान्त संबंधित कर्मकारों और चिकित्सा अधिकारी को उपयुक्त सूचना दी जाएगी ।

(4) उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए प्ररूप 29 में स्वास्थ्य रजिस्टर में रखा जाएगा ।

(5) किसी कर्मकार को निलम्बन पश्चात् स्वास्थ्य रजिस्टर में या उससे संलग्न किए गए चिकित्सा अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना नियोजित नहीं किया जाएगा । काम के लिए अनफिट

होते हए इस प्रकार प्रक्रिया से निलम्बित व्यक्ति को कारखाना प्रबन्धक द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी, जब तक वह चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा ।

(6) *gj ,d dkj[kkuk ;k mld Hkkx] ftu ij ;g vuqlph ykxw gkrh gk] dk vf/kHkkxhA&*इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा जो सप्ताह में एक बार एवं जब भी आवश्यक हो कारखानें के परिसर में प्रक्रिया पर नियोजित सभी कर्मकारों का खतरनाक कीटनाशकों के अत्याधिक अवशोषण के प्रभाव के संबंध में परीक्षण एवं चिकित्सा करेगा।

(7) आपातकाल में अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की तत्काल उपलब्धता निश्चित करने के लिए अधिभोगी आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(8) अधिभोगी खतरनाक कीटनाशक के अत्यधिक शोषण के इलाज के लिए अपेक्षित उपकरणों और प्रति–विष और दवाओं का प्रदाय करेगा ।(9) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्ररूप में ऐसे परीक्षण, इलाज और जाँचों के अभिलेख रखे जाएंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(10) किसी कारखाने में, जहाँ ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों, कर्मकारों के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता निर्दिष्ट अन्तराल से उपयुक्त क्लिनिकल जाँच या जांचों के कराए जाने के लिए आदेशित कर सकेगा, ऐसी जाँच या ऐसी जाँचों के प्रभार नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(11) किसी कारखाने, जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, के हर एक कर्मकार को निर्धारित परीक्षण, जाँच और इलाज कराना होगा ।

(12) इस अनूसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(13) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की किसी कर्मकार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि उक्त प्रक्रिया में निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा अन्तर्निहित करने से वह कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजित बने रहने के लिए फिट नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अंकित करेगा। इन दस्तावेजों के उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी, जिसके लिए वह व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए फिट नहीं मानता। अनफिट होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(14) किसी भी व्यक्ति को, जो उप–पैरा (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अनफिट पाया गया हो। उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनरू नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनरू फिट प्रमाणित नहीं कर देता।

(15) फिटनेस के प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता– सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे।

20- NVA& यदि किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि उसकी अपवाद स्वरूप परिस्थितियों या उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की न्यून आवृत्ति या किसी अन्य कारण से, जिन्हें वह लिखित में अभिलिखित करे, कारखाने में नियोजित कर्मकार के बचाव के लिए इस अनुसूची के सभी या कोई उपबन्ध आवश्यक नहीं हैं तो वह लिखित प्रमाण पत्र द्वारा ऐसे कारखाने को सभी या किसी उपबन्ध से ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह निर्दिष्ट करे, छूट दे सकेगा । ऐसा प्रमाण–पत्र मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा कारणों को अभिलिखित करके किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

ifjf'k"V

lko/kkuh lpuk

1. इस संयंत्र से जिन रसायनों का कार्य किया जाता है, वे विषैले हैं ।
2. इस क्षेत्र में धूम्रपान, खाने की वस्तु, खाना या पेय पीना, तम्बाखू चबाना प्रतिषिद्ध है। इस क्षेत्र में कोई खाने की वस्तु या पेय नहीं लाया जाएगा ।
3. इन रसायनों में से कुछ रसायन चमड़ी द्वारा सोखे जा सकते हैं और विषैला प्रभाव पैदा कर सकते हैं।
4. खाना खाने से पहले भली प्रकार प्रच्छालन करें ।
5. पाली समाप्त होने पर अच्छी तरह स्नान करें ।

6. इस क्षेत्र में काम करते हुए प्रदाय किए गए बचाव के कपड़े व उपकरणों का उपयोग करें ।
7. कीटनाशकों के कन्टेनर खाने की सामग्री रखने के उपयोग में न लाएं
8. शरीर के किसी भी भाग पर या फर्श पर या काम की बैंच पर रसायन फैल जाने पर उसे पानी से तत्काल धो दिया जाए ।
9. रसायन फैल जाने से संदूषित कपड़े तत्काल अलग कर दिए जाए ।
10. इस क्षेत्र में अधिक सफाई रखी जाएगी ।
11. नंगे हाथों से कीटनाशकों का कार्य न करें, हैण्डल लेग, करछुल या बेलछों का उपयोग करें ।
12. जी–मिचलाना, उल्टी आना, चक्कर आने जैसी बीमारी की दशा में प्रबन्धक को सूचना देवें, जो इलाज हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगें ।
13. सभी कर्मकार अपने स्वास्थ्य की रक्षा हेतु नियमित रूप से निर्धारित चिकित्सीय जाँच हेतु रिपोर्ट करें ।

mi&vuqlwph&24

dkjflUuk tfud¼dUljdkjd½ Mk; bUVjehfM;V dk fofuek.k ;k vfHkpkyu

1- ykxw gkukA& यह अनुसूची उन सभी कारखानों या उसके किसी भाग को लागू होगी, जहाँ कि प्रक्रियाओं में पैरा (3) और (4) में उल्लिखित पदार्थ बनाए, विनिर्मित किए जाते हैं, उनका कार्य का उपयोग किया जाता है और उन उपदर्शित प्रक्रियाएँ, इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रक्रियाएं' के रूप में निर्दिष्ट की गई हैं और ऐसे निर्देश का तात्पर्य होगा, इस पैरा में वर्णित कोई भी या सभी प्रक्रियाएँ ।

2- ifjHkk"kk,& bl vuqlwph dk ç;ksftu dks fy,&

(क) *^fu;f=r inkFk** से तात्पर्य है इस अनुसूची के पैरा (4) में वर्णित रासायनिक पदार्थ ;

(ख) *^çFke fu;ksftu** से तात्पर्य उक्त प्रक्रियाओं में प्रथम नियोजन और ऐसी प्रक्रियाओं में लगातार तीन केलेण्डर मास से अधिक की अवधि के लिए नियोजन समाप्त हो जाने के उपरान्त पुनर्नियोजन से भी है;

(ग) *^l{ke ok;q fu"dkl d** से तात्पर्य किसी स्थान, जहाँ काम किया जाता हो, से गैस, वाष्प, धूल या धूम को यांत्रिक साधनों से प्रभावशील किए गए सीमित संवातन से है, ताकि उस स्थान की वायु में उनके फैलाव को रोका जा सके । किसी वायु निष्कासक को उसी गैस, वाष्प, धूम्र और धूल जहाँ से उत्पन्न हो, उस बिन्दु से पैदा हुए धुएँ को हटाने में असफल रहे तो उसे सक्षम नहीं माना जाएगा; और

(घ) *^çfrf"k) inkFk** से तात्पर्य इस अनुसूची के पैरा (3) में उल्लिखित रासायनिक पदार्थों से है।

3- çfrf"k) inkFkZA& इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ 'प्रतिषिद्ध पदार्थ' के रूप में वगीकृत होंगे, केवल उस दशा को छोड़कर जबकि यह पदार्थ उपस्थित होंगे या रासायनिक प्रतिक्रिया में उपोत्पादक की तरह बनेंगे और उनकी कुल सान्द्रता एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

(क) वीटा–नेप्थाइल एमीन और उसके लवण;

(ख) बेन्जेडाइन और उसके लवण;

(ग) 4–अमीनो डाइफिनाइल और उसके लवण;

(घ) 4–नाइट्रोडाइफिनाइल और उसके लवणय तथा

(ड़) इन योगिकों से युक्त कोई पदार्थ।

*4- ^fu;f=r inkFk*A&* इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ 'नियंत्रित पदार्थ' की तरह वर्गीकृत होंगे

(क) अल्फा–नेफ्थाइल एमीन या एक प्रतिशत से अनधिक या बीटानेप्थाइल एमीन युक्तअल्फानेप्थाइल एमीन जो कि या तो रासायनिक, प्रतिक्रिया के उप–उत्पादन या अन्य किसी रूप में हो और उसके लवणय

(ख) ओर्थो–टोल्यूडाइन और उसके लवणय

(ग) डाइनिजिडाइन और उसके लवणय

(घ) हाई क्लोरो वैन्जिडाइन और उसके लवणय

(ड़) ऑरामिनय और

(च) मैग्नेटा ।

5- fu;ksftu dk çfr"k/kA& किसी कारखाने, जिसमें प्रतिषिद्ध पदार्थों को बनाया, विनिर्मित, प्रसंस्कृत किया जाता हो या उनका कार्य उपयोग किया जाता हो, में किसी कर्मकार को उक्त प्रक्रियाओं में केवल उसी दशा में के सिवाय जब कि मुख्य निरीक्षक–सह– सुविधाप्रदाता ने पैरा (23) के अनुसार छूट प्रदान की गई हो, नियोजित नहीं किया जाएगा।

6- fu;f=r inkFkk d çlLdj.k ;k dk;l djus d fy, vi{kk,A&

(1) जहाँ कहीं उपपैरा (4) में निर्दिष्ट नियंत्रित पदार्थ बनाए, विनिर्मित, प्रसंस्कृत किए जाते हों या उनका कार्य या उपयोग किया जाता हो, वहां कर्मकारों द्वारा जबकि वे उक्त पदार्थ के प्रसंस्करण में और उसके संयंत्र के अन्दर भण्डारण क्षेत्रों के अनुसरण में लगे होने के दौरान उक्त नियंत्रित पदार्थ के श्वासित करने, खाने अथवा शोषित करने से सभी व्यवहारिक कदम उठाए जाएंगे।

(2) जहाँ तक संभव होगा, सभी कार्य पूरी तरह बन्द प्रणाली से किए जाएंगे । जहाँ कहीं ऐसे बन्द आवरण संभव न हों, वहां उस बिन्दु पर, जहाँ से प्रक्रिया के दौरान नियंत्रित पदार्थ के वायुमंडल में मिलने की संभावना हो, सक्षम वायु निष्कासन प्रयुक्त किया जाएगा ।

(3) नियंत्रित पदार्थ कारखाने में, कस कर बन्द किए गए कन्टेनरों में ही प्राप्त किए जाएंगे और केवल जब यह पदार्थ प्रक्रिया या उपभोग में हों, के अलावा वैसे ही रो जाएंगे । नियंत्रित पदार्थ कारखाने से उपयुक्त प्रकार के कस कर बन्द किए गए कन्टेनरों में ही भेजे जाएंगे । सभी कन्टेनरों पर उसके अन्तर्गत वस्तु के बारे में बताते हुए स्पष्ट लेबल लगे होंगे।

7- 0;fäxr lj{kk midj.kA&

(1) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित हर एक कर्मकार को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की निम्नलिखित वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी और वे उन्हें दी जाएंगी–

(क) लम्बे पतलून और पूरी बाह की कमीजें या ओवराल और शिरस्त्राण, कमीजें या ओवराल से गरदन को पूरी तौर से ढंका जाएगा ।

(ख) रबर के गम बूट ।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में जब सामान्य कार्य या आपातकाल के अवसर पर कार्य के दौरान चोट का खतरा हो तो उनमें नियोजित कर्मकारों के उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की निम्नलिखित वस्तुएँ प्रदाय की जाएंगी–

(क) हाथ के रबर के दस्तानेय

(ख) रबर स्प्रनय और

(ग) एअर–लाइन–रेस्पिरेटर या अन्य उपयुक्त रेस्पिरेटरी सुरक्षा उपकरण ।

(3) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की सभी वस्तुओं को साफ और स्वास्थ्यकारी दशा में और अच्छी ममत की दशा में अनुरक्षित करना प्रबन्धक की जिम्मेदारी होगी ।

8- fL=;k vkj vYio; 0;fä;k d fu;ktu d lc/k e çfr"k/kA& किसी कमरे में जिसमें उक्त प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों, किसी स्त्री या अल्पवय व्यक्ति को नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं होगी।

9- dke d dej d Q'kA& हर एक कमरे, जिसमें उक्त प्रक्रिया चलाई जाती हो, के फर्श–

(क) चिकने और जल–अभेद्य होंगे, परन्तु यह कि फर्श निर्माण में एस्फाल्ट या कोलतार का उपयोग नहीं होगा;

(ख) अच्छी मरम्मत की हालत में अनुरक्षित होंगे;

(ग) आसानी से सफाई के लिए उपयुक्त ढलान युक्त और नालीयुक्त होंगे; और

(घ) प्रतिदिन धोए जाएँगे और धुलाई का पानी बन्द नाली में से सीवर में जाएगा ।

10- [kkyh dUVujk dk fuoruA& नियंत्रित पदार्थों को रखने के उपयोग में लिए गए खाली कन्टेनरों के त्यक्त किए जाने के पूर्व उसकी अन्तर्वस्तुओं की पूरे तौर पर सफाई की जाएगी और निष्क्रिय कारक अभिकर्ता से उनका उपचार किया जाएगा ।

11- gkFk l dk;A& नियंत्रित पदार्थों को केवल दस्तेयुक्त करछुल या बेलचे के साधन को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से मिश्रित करने, भरने, खाली करने, कार्य करने की अनुमति नहीं होगी । ऐसे करछुल या बेलचों को रोजाना पूरी तरह से साफ किया जाएगा ।

12- tkf[ke d lc/k e vunn'k A& हर एक कर्मकार को उक्त प्रक्रिया में प्रथम नियोजन पर उन विषैले पदार्थों, जिनसे कि उसके आरक्षित रहने की संभावना हो, के गुणों, उसमें अंतर्निहित खतरों तथा बरती जाने वाली पूर्वावधानियों के बारे में पूरी तरह अनुदेश दिये जायेंगे। कर्मकारों को आपात स्थिति से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में भी अनुदेश दिये जायेंगे।

13- lko/kku iê A& इस अनुसूची से संलग्न परिशिष्ट में निर्दिष्ट प्ररुप में और उक्त प्रक्रिया में नियोजित बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में छपवाकर कारखाने में प्रमुख स्थानों में, जहां यह पट्ट असानी से देखे और सुगमता से पढ़े जा सके, पर सावधान पट्टे लगाए जायेंगे। ऐसे सभी कर्मकारों को सावधान पट्ट में निहित पूर्वावधानियों के बारे में समय–समय पर अनुदेश देने की व्यवस्था प्रबंधक द्वारा की जाएगी।

14- dkexkjk d dr0;A& यह नियोजित कर्मकारों का कर्तव्य होगा की वे स्वयं को मूत्र के एक्सफोलिवेटीव साईट्रोलॉजी की जाँच सहित अन्य परीक्षणों के लिए चिकित्सा अधिकारी अथवा योग्य चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष प्रस्तुत रखें।

15- ç{kkyu vkj Luku lfo/kk,¡ A&

(1) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए निम्नलिखित प्रक्षालन और स्थान की सुविधाएँ प्रदाय की जाएंगी और उन्हें साफ हालत और अच्छी मरम्मत की दशा में बनाए रखा जाएगा –

(क) ऐसे कर्मकारों के लिए प्रति 5 कर्मकारों के लिए कम से कम एक स्टैंड पाईप और निरंतर जल प्रदाय युक्त छायादार प्रक्षालन स्थान उपलब्ध होगा। साथ में ही वहां साफ तौलिए, साबुन, नाखुन साफ करने के ब्रश का प्रदाय होगा ;

(ख) खंड (क) कें अधीन प्रदाय स्टैंड पाईपों में से 50 प्रतिशत स्नानगारों में होंगे, जहां कारखाने के कार्य समय के दौरान और उसके 1 घंटे बाद तक गर्म और ठंडा दोनों प्रकार का पानी उपलब्ध कराया जाएगा

(ग) प्रक्षालन और स्नान सुविधाएँ, उक्त प्रक्रियाएँ जहां स्थित हो, उस क्षेत्र के समीप ही होंगी

(घ) हर एक कर्मकार को व्यक्तिगत तौर पर साफ तौलिए प्रदाय होंगे ; और

(ङ) खंड (क) उल्लिखित टोंटियों के अतिरिक्त हरेक तल पर एक स्टैंड होगा, जिसमें गर्म पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) कारखाने की वर्दियों और अन्य काम के कमरों की हर रोज धुलाई किये जाने की व्यवस्था की जाएगी।

16- dk;l d dej e [kk|] i; vkfn dk çfr"kr A& ऐसे किसी भी कमरे में, जहां उक्त प्रक्रिया चलाई जाती है, कोई भी कर्मकार खाद्य वस्तु, पेय, पान सुपारी या तंबाकू का उपयोग नही करेगा या धूम्रपान नही करेगा और कोई भी कर्मकार खाने या विश्राम के अंतरालों में ऐसे कमरों में नही रहेगा।

17- Dy,d #e A& उक्त प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों के उपयोग के लिए साफ और अच्छी मरम्मत की दशा में अनुरक्षित –

(क) क्लॉक रुम उपलब्ध होगा, जिसमें एक बाहर के कपड़ों के लिए और दूसरा काम के कपडों के लिए, ऐसे दो खानों में लॉकर होंगे ; और

(ख) लॉकर रुम और भोजन कक्ष से अलग एक ऐसे स्थान की व्यवस्था होगी, जहां प्रदाय किए गए सुरक्षा उपकरणों का भंडार किया जा सकेगा और ये स्थान किसी जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में और साफ हालत में रखे जाएंगे।

18- Hkkstu d{k A& उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मकारों के, जो भोजन के मध्यावकाश के दौरान कारखाने प्रक्षेत्र में ही रह जाते हो, उपयोग के लिए एक भोजन कक्ष बनाया और अनुरक्षित किया जाएगा, टेबिलों और बेन्चों से सज्जित तथा भोजन गर्म करने की उपयुक्त साधन युक्त होगा।

19- ç{kkyu gr le; dh vuefr A& उक्त प्रक्रिया में नियोजित हर एक कर्मकार को स्नान के लिए हरेक पाली समाप्त होने से पूर्व 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हर एक भोजनावकाश के पहले प्रक्षालन के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

20- fu;kftr 0;fä;k dh vk; ij fucU/kuA& 40 वर्ष से कम आयु के किसी कर्मकार को उक्त प्रक्रियाओं में इस अनुसूची के कारखाने को लागू होने के दिनांक के पश्चात् प्रथम बार नियोजित नहीं किया जाएगा।

21- fpfdRlh; ijh{k.k A&

(1) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित हर एक कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के 14 दिन के अन्दर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में, ऐसी जॉच, जिन्हें चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त समझे, शामिल होंगी और मूत्र की एक्सफोलिएटिव साइटोलाजी सम्मिलित होंगी, किसी भी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के 14 दिन पश्चात् कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक की चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन के लिए उसे फिट प्रमाणित न कर दिया जाए।

(2) उक्त प्रक्रिया में नियोजित हर एक कर्मकार का 6 कलेण्डर मास में कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनरू परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में ऐसी जॉच सम्मिलित होगी, जिन्हें चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त समझे, लेकिन मूत्र की एक्सफोलिएटिव साइटोलाजी उसमें अवश्य सम्मिलित होगी।

(3) चिकित्सा अधिकारी द्वारा उप–पैरा (1) के अधीन चिकित्सीय परीक्षण किए गए व्यक्ति को प्रारुप 28 में फिटनेस का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा और उप–पैरा (2) के अधीन किए गए पुनरू परीक्षण के अभिलेख उसमें अंकित किए जाएंगे, प्रमाण–पत्र कारखाने के प्रबन्धक की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। उप–पैरा (1) और (2) में निर्दिष्ट किए गए एक परीक्षण के अभिलेख, जिसमें जॉच की प्रकृति व परिणाम भी सम्मिलित होंगे, चिकित्सा अधिकारीद्वारा प्ररुप 29 में स्वास्थ्य रजिस्टर में अंकित किए जाएंगे।

(4) फिटनेस का प्रमाण–पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध होंगे, रखे जाएंगे।

(5) हर एक कारखाने या उसके भाग, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा और उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(6) इस अनूसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(7) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति उक्त प्रक्रियाओं में और आगे नियोजन हेतु इस आधार पर फिट नहीं है कि उसमें निरन्तर रहने से उसके स्वास्थय को हानि होगी तो वह अपने निष्कर्षों को फिटनेस प्रमाण–पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अंकित करेगा। इन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों को प्रविष्टि में उस अवधि का उल्लेख भी शामिल होगा, जिसके लिए वह उस व्यक्ति को यथास्थिति उक्त प्रक्रिया में या किसी भी कार्य में काम करने के लिए अनफिट मानता है। कार्य के लिए अनफिट होने के कारण इस प्रकार निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबन्धक द्वारा वैकल्पिक स्थापना सुविधा दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(8) किसी व्यक्ति को जिसे उप–पैरा (6) में उल्लेखानुसार अनफिट पाया गया हो, उसे पुनर्नियोजन अथवा काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा और परीक्षण के पश्चात् नियोजन के लिए पुनरू फिट प्रमाणित न किया गया हो।

(9) फिटनेस के प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे।

22- NV&çfrf'k) inkFk A&

(1) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण–पत्र द्वारा (जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है) किसी प्रक्रिया, जिसके दौरान प्रतिषिद्ध पदार्थ के बनाने, प्रसंस्कृत करने, विनिर्भित करने उसका कार्य या उपयोग किया जाता हो, को पैरा (5) के उपबन्धों से ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें वह उसमें निर्दिष्ट करें, छूट दे सकेगा। यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रक्रिया पूरे तौर पर बन्द और एयर टाइट शील प्रणाली से इस प्रकार की जाती है कि प्रतिषिद्ध पदार्थ केबल उतनी ही मात्रा, जितनी कि प्रक्रिया के नियंत्रण हेतु अपेक्षित है या जैसी उत्पाद को किसी भी प्रतिषिद्ध पदार्थ से रहित बनाने के लिए आवश्यक हो, से अनधिक मात्रा में नहीं निकाला जाता।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता बेन्जे डाइन हाइड्रोक्लोराइड के विनिर्माण का या उपयोग की अनुमति दे सकता है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उससे संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी तरह बन्द प्रणाली से इस प्रकार की जाती हों कि केवल बेन्जेडाइन हाइड्रोक्लोराइड को छोड़कर अन्य कार्य प्रतिषिद्ध पदार्थ केवल उतनी ही मात्रा में, जितनी कि प्रक्रिया के नियंत्रण के प्रयोजन जैसी कि उत्पादन की प्रतिषिद्ध पदार्थ रहित बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, अनधिक नहीं निकाली जाए और बेन्जेडाइन हाइड्रोक्लोराइड जब कि पूर्ण बन्द प्रणाली में न हो, को छोड़कर, को सभी समय दो भाग बेन्जेडाइन हायड्रोक्लोराइड को एक भाग पानी से कम न हो, इस अनुपात में गीला कर रखा जाए ।

23- NV lkekU;A& यदि किसी कारखाने के संबंध में अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में या प्रक्रिया को न्यून आवृत्ति या अन्य किसी कारण से मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि इस अनुसूची के सभी या कोई उपबन्ध कर्मकारों के बचाव के लिए आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण– पत्र (जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है) ऐसे कारखाने को सभी या ऐसी किसी भी उपबन्ध से ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें वह उसमें निर्दिष्ट करें, छूट प्रदान कर सकेगा।,

mi&vuqlwph&25

mPp 'kkj Lrj vUrfuZfgr djus okys dk;Z

1- ykxw gkukA& यह अनुसूची किसी भी विनिर्माण प्रक्रियाओं में सभी कार्यों, जिसमें उच्च शोर स्तर हो, को लागू होगी।

2- ifjHkk"kk,A& bl vuqlwph ds çk;kstu ds fy,&

(क) 'शोर' से तात्पर्य अनचाही ध्वनियों से है;

(ख) "उच्च सोर स्तर' से तात्पर्य ए–वेटेड स्केल पर मापे गए शोर स्तर से है, जो 90 डेसीबल 5 या उससे अधिक हो;

(ग) 'डेसीबेल' से तात्पर्य बेल के दसवें भाग से है, जो कि निर्दिष्ट या वास्तविक संख्याओं के अनुपात को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए गए लोगरेथिम पैमाने का मूल भाग है, बेल संख्या इस अनुपात के 10 के आधार पर लोगरेथिम को व्यक्त करती है । शोर का स्तर (या ध्वनि के दबाव का स्तर 20 ग् 19–6 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या 0.0002 डायन प्रति वर्ग सेन्टीमीटर, जो कि सुनने की दहलीज अर्थात औसतन स्वस्थ सुनने वाले को सुनाई देने के लिये ध्वानि का आवश्यक न्यूनतम स्तर है, के समतुल्य है, डेसीमल का संक्षेप रुप डीबी हैय

(घ) 'आवृत्ति' से तात्पर्य दाव परिवर्तन की दर से है, जो सायकल प्रति सेकण्ड या हर्टज में व्यक्त की जाती है;

(ड) 'डीबीए' डेसीबेल में ध्वनि स्तर को व्यक्त करता है, जो कि आउन्डेलेबल मीटर जो धीमी गति से चलित मोटर और ए–वेटेड नेटवर्क पर संचालित से मापी गई हो;

(च) 'ए–बेटिंग' से तात्पर्य शोर मापने के प्रयोजन के लिए विभिन्न आवृत्तियों की घवनि की तीव्रता के लिए किए गए क्रमिक संशोधन से है, ताकि एक यंत्र द्वारा मापी गई घ्वनि के दबाव का स्तर मनुष्य के काम द्वारा वास्तविक रूप से अनुभव की गई घ्वनि के अनुसार ही माप को प्रकट करें।

3- 'kkj ls cpkoA&

(1) हरेक कारखाने में उपयुक्त अभियांत्रिकी नियंत्रण या प्रशासकीय उपाय यह सुनिश्चित करने हेतु किए जाएंगे कि जहाँ तक उपयुक्त रूप से व्यवहारिक हो कोई भी कर्मकार नीचे तालिका (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय शोर के अनावरण स्तर से अधिक के ध्वनि स्तर से आरक्षित न हो–

rkfydk & 1

fujUrj 'kkj dh fLFkfr esa vuqKs; vukoj.k	
vukoj.k dk dqy le; ¼fujUrj ;k y?kq vukoj.k vof/k;ksa esa½ çfrfnu ?kaVksa esa	/ofu dk ncko Lrj Mhch, esa
¼1½	¼2½
8	30
6	92
4	95
3	97
2	100
11/2	105
1	102
3/4	107
1/2	110
1/4	115

fVIi.kh&

(1) 115 डी.बी.ए. से अधिक किसी भी अनावरण की अनुमति नहीं होगी ।

(2) किसी अंक और उसके तत्काल ऊपर के या नीचे के अंक, जैसे कि तालिका के कॉलम (1) में इंगित है, के बीच में आने वाले किन्ही अनावरण अवधि के लिए घ्वानि के अनुज्ञेय दबाव का स्तर अनुपातिक आधार पर सीमांकन (ग्राफ) द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

rkfydk & 2

>Vds ;k vk?kkr 'kkj ds fy, vuqKs; vukoj.k Lrj	
mPpre /ofu dk ncko Lrj dh Mhch esa	vuqKs; >Vdksa ;k vk?kkrksa dh la[;k çfrfnu
¼1½	¼2½
140	100

435	345
130	1,000
125	3,160
120	10,000

fVIi.kh&

(1) 140 डी.बी. उच्चतम ध्वनि स्तर से अधिक पर अनावरण की अनुमति नहीं होगी ।

(2) किसी अंक ओर उसके तत्काल ऊपर के या नीचे के अंक, जैसे कि तालिका के कॉलम (1) में इंगित है, के बीच में आने वाली उच्चतम ध्वनि दाब स्तर के लिए अनुज्ञेय प्रति दिवस आघातों की संख्या अनुपातिक आधार पर सीमांकन (ग्राफ से) द्वारा अवधारित की जाएगी।

(2) इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए यदि ध्वनि स्तर में परिवर्तन एक सेकण्ड या कम के अन्तराल में अधिकतम अन्तर्निहित हो तो उक्त शोर को निरन्तर शोर माना जाएगा और तालिका–1 में दिया हुआ मानदंड लागू होगा । अन्य स्थितियों में शोर को झटके का या आघातजन्य शोर मानते हुए तालिका– 2 में दिया हुआ मानदंड लागू होगा ।

(3) जब दैनिक शोर अनावरण में विभिन्न स्तरों की शोर अनावरण की दो या अधिक अवधि शामिल हो तो उनके अकेले अलग प्रभाव के बजाए सम्मिलित प्रभाव का आकलन करना होगा । यदि निम्न सूत्र का योग इकाई से अधिक हो तो संयुक्त प्रभाव की सीमा से अधिक माना जाना चाहिए ।

क1	क2	कन
ट1	ट2	टन

यहां क1, क2 आदि एक निर्दिष्ट शोर के स्तर पर अनावरण के वास्तविक कुल समय को व्यक्त करते हैं और ट1– ट2, आदि उक्त स्तर पर अधिकतम अनुज्ञेय अनावरण समय को व्यक्त करते हैं ।

उपरोक्त संगणना में 90 डीबीए से कम स्तर के शोर अनावरण को छोड़ा जा सकता है ।

(4) जहाँ उप–पैरा (1) में विनिर्दिष्ट शोर अनावरण स्तर को उपयुक्त व्यवहारिक अभियांत्रिकीय नियंत्रण या प्रशासकीय उपायों द्वारा कम करना संभव न हो, वहां जहां तक संभव हो वहां तक ऐसे उपायों द्वारा शोर अनावरण कम किया जाएगा और हरेक अनावृत्त कर्मकार को उपयुक्त इअर प्रोटेक्टर प्रदाय किए जोंगे, ताकि उसका शोर से अनावरण उप–पैरा (1) में विनिर्दिष्ट स्तर तक कम किया जा सके ।

(5) जहाँ उप–पैरा (4) के अनुसार प्रदाय किए गए इअर प्रोटेक्टर, कर्मकार द्वारा उसे पहनने पर भी उसके कानों तक पहुंचने वाले शोर को, जैसा कि डीबीए में उक्त इअर प्रोटेक्टर के संबंध में कम किया जाकर नियत किया जाबे । तालिका 1 और 2, जैसी भी स्थिति हो के अधीन अनुज्ञेय स्तर तक कम न किया जा सके तो शोर अनावरण अवधि संबंधित उप–पैरा (1) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय अनावरण तक उपयुक्त रूप से घटाई जाएगी ।

(6) (क) उन सभी कारणों में जहाँ मौजूद ध्वनि स्तर उप–पैरा (1) में बिनिर्दिष्ट अनुज्ञेय स्तर से अधिक हो, वहाँ श्रवण संरक्षण के प्रभावी उपाय किए जाएंगे । जैसा कि अनुज्ञेय स्तर से अधिक स्तर पर अनावृत्त कर्मकारों का नियोजन पूर्व और समयबद्ध सर्वेक्षण किया जाना और ऐसे कर्मकारों का या तो उनके शोर स्तर के अनावरण की अवधि कम करके या उन्हें जहाँ शोर स्तर तुलनात्मक रूप से कम हो, वह स्थानांतरित करके या अन्य उपयुक्त साधन से पुनर्वसित किया जाएगा ।

(ख) उप–पैरा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय अनावरण स्तर से अधिक शोर के क्षेत्रों में नियोजित हर एक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसके प्रथम नियोजन से 14 दिन के भीतर श्रवण क्षमता परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद हर एक 12 मास में कम से कम एक बार उनका पुनरू परीक्षण किया जाएगा । ऐसे प्रारम्भिक और समयबद्ध परीक्षणों में ऐसी जांच, जिन्हें चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त समझे, शामिल होगी और उसमें 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 तथा 8000 साइकिल प्रति सेकण्ड के शुद्ध स्वरों के लिए श्रवण सीमा का अवधारण शामिल होगा।

4- fpfdRlk vf/kdkjh }kjk fpfdRldh; ijh{k.k rFkk tkp A&

(1) चिकित्सा अधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा । वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार वाति पेय का विनिर्माण तथा उससे प्रासंगिक प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(4) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनरू नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनरू उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(5) फिटनेस के प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता –सह–सुविधाप्रदाता–सह– सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक– सह–सुविधाप्रदाता– सह– सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जावेंगे ।

mi&vuqlwph&26

foLdksl çfØ;k }kjk j[;ku ¼—f=e jk'ke½ dk fofuek.k

1- ifjHkk"kk,A& bl vuqlwph dk ç;ktu dk fy,&

(क) 'अनुमोदित' से तात्पर्य मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा तत्समय लेखी में अनुमोदित से है

(ख) 'ब्रीदिंग–एप्रैटस' से तात्पर्य एक शिरस्त्राण या मुखौटा, जिसमें आवश्यक संयोजन हो और जिसकी सहायता से उसका विषैले दम घोंटू अथवा असहनीय वातावरण में उपयोग करने वाला व्यक्ति अदूषित हवा स्वासित कर सके या कोई अन्य अनुमोदित उपकरण;

(ग) 'चर्न' से तात्पर्य उस पात्र से है, जिसमें क्षारीय सैल्यूलोज पलप कार्बन–डाइ–सल्फाइड से उपचारित किया जाए;

(घ) 'डम्पिंग' से तात्पर्य सूखे चर्न से सैल्यूलोज जैन्थेट जिडाल्वर (घोलक) में स्थानान्तरण से है।

(ड) 'सक्षम वायु निष्कासक' से तात्पर्य किसी गैस अथवा वाष्प को हटाने के लिए यांत्रिकीय साधनों द्वारा सीमित संवातन से है, ताकि वह किसी ऐसे स्थान में, जहां काम किया जाता हो, की हवा में उनका निरूसृत होना रोका जा सके । किसी वायु निष्कासक को यदि वह उस बिन्दु पर, जहाँ ऐसी गैस या घूम उत्पन्न होती हो, वहाँ से पैदा हुई गैस या घूम को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में असफल हो तो उसे सक्षम नहीं माना जाएगा;

(च) 'फ्यूम प्रक्रिया' से तात्पर्य किसी ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें कार्बन–डाय–सल्फाइड या डायड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन, उपयोग या विसर्जन होता है।

(छ) 'लाइफ बैल्ट' से तात्पर्य चमड़े या अन्य उपयुक्त पदार्थ से बने बैल्ट से, जिसे कि शरीर के चारों और सुरक्षापूर्वक कसा जा सके और जिसमें उपयुक्त लंबाई की रस्सी जुड़ी हुई हो और जिनमें हर एक पर्याप्त रूप से मजबूत हो, ताकि वह मनुष्य का वजन झेल सके।

(ज) 'सुरक्षा उपकरण' से तात्पर्य उपयुक्त पदार्थ के बने एप्रन, चश्मे, मुखौटे, आवरण (शील्ड) जूते, दस्ताने और ओवराल से है।

2- lokruA&

(1) सभी कमरों में, जहाँ फ्यूम प्रक्रिया जलायी जाती हो, प्राकृतिक या यांत्रिक साधन से पर्याप्त संवातन होगा, ताकि अन्य नियंत्रणकारी साधनों के साथ–साथ हर एक कार्य के वातावरण को वायु में कार्बन–डाय–सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड की सान्द्रता अनुज्ञेय सीमा के अन्दर नियंत्रित की जा सके।

(2) उप–पैरा (1) की अपेक्षाओं के होते हुए भी निम्नलिखित जगहों पर हवा में कार्बन–डाय–सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड की सान्द्रता नियंत्रित करने के लिए सक्षम वायु निष्कासक लगाये और अनुरक्षित किए जाएंगे–

(क) सूखे चर्न के डम्पिंग हौपर,

(ख) स्पिनिंग मशीनें,

(ग) स्टेपल फायबर स्पिनिंग में प्रयुक्त ट्रायो–रोलर और कर्टर्स,

(घ) यार्न कैक्स के लिए हायड्रो एक्स ट्रेक्टर्स,

(ड) उपचार के बाद प्रक्रियाएं, और

(च) स्पिन बाथ ।

(3) स्टेपल फायबर स्पिनिंग में प्रयुक्त ट्रायो रोलर्स और कर्ट्स का जहां तक संबंध है, उप–पैरा (1) में चाहेनुसार लगाए गए वायु निष्कासक की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें जहाँ तक व्यवहार्य हो पूरी तरह चारों ओर से बन्द कराया जाएगा और विभिन्न हिस्सों उपयुक्त शर्ट्स होंगे, ताकि कार्य के वातावरण में निरूसृत कार्बन–डाय–सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड की मात्रा में बगैर अनावश्यक वृद्धि किए अपेक्षित कार्य किए जाते रहे है।

(4) किसी सूखे चर्न की उसकी प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद पहले अवशेष कार्बन–डाय–सल्फाइड की वाष्प को, वाष्प निष्कासन की सक्षम व उपयुक्त व्यवस्था चालू कर निष्कासित किए बगैर नहीं खोला जाएगा और उक्त व्यवस्था जब तक चर्न खुला होगा, जब तक निरन्तर चालू रहेगी ।

(5) जब कभी उप–पैरा(2), (3) और (4) की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए सामान्यतरू अपेक्षित संवातन उपकरण अप्रभावी असफल हो जाए या किसी भी प्रयोजन के लिए बन्द किए जावें तो उन कार्यों क्षेत्रों में जहाँ उल्लिखित उप–पैरा में विनिर्दिष्ट उपकरण या प्रक्रियाएँ उपयोग में हो, वहाँ से जितना शीघ्र संभव हो और किसी भी स्थिति में ऐसी घटना होने पर 15 मिनट के अन्दर ही सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षित होगा कि वे उक्त स्थान छोड़ दें ।

(6) (एक) उप–पैरा (2), (3) और (4) में अपेक्षित प्रयोजनों के लिए लगाई गई सभी संवातन प्रणाली का जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक बार परीक्षण तथा जाँच की जाएगी। सक्षम व्यक्ति द्वारा हर एक 12 मास की अवधि के दौरान एक बार उनका पूरी तौर पर परीक्षण और जाँच की जायेगी । ऐसे परीक्षण और जाँच में किसी प्रकार के दोष पाने पर उन्हें तत्काल सुधारा जाएगा ।

(दो) ऐसे परीक्षण और जाँच के विवरण और प्रणाली की हालत और आवश्यक पायी गई मरम्मत या परिवर्तन, यदि कोई हो, का विवरणयुक्त एक रजिस्टर रखा जाएगा और जो निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा ।

*3- fLifuxx e'khuk l {ki; ¼oLV½A&*स्पिनिंग मशीनों से निकले वैस्टयार्न को कसे हुए बन्द ढकक्कनयुक्त उपयुक्त कन्टेनरों में इकट्ठा किया जाएगा। ऐसे वेस्ट को अदूषित करने के बाद जितना शीघ्र संभव होगा निर्वतन कर दिया जाएगा।

4- l[k pu dh ykbfuxA& lHkh l[k pu dh vUn:uh lrg ij u fpidu oky iUV dh ijr p<kb tk,xh] rkfd lY;ykt tUFkV pu dh lrg ij u fpid ,lh lrg vPNh n'kk e vujf{kr dh tk,xh A

5- ,vj ekuhVfjxA&

(1) नियंत्रक साधनों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक बार हर एक पाली में हवा में कार्बन–डाय–सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड को मानीटर किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त परिणामों को इस प्रयोजन के लिए बिशेष तौर पर रखे गए रजिस्टर में अंकित किया जाएगा ।

(2) उप–पैरा (1) की अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए तात्कालिक गैस डिटेक्टर ट्यूब का उपयोग नहीं किया जाएगा । दस मिनट से कम न हो, ऐसी अवधि में हवा का सैम्पल इकट्ठा किया जाएगा और अनुमोदित पद्धति से उसका विश्लेषण किया जाएगा । वे स्थान जहाँ ऐसी मानीटरिंग की जाना है, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा निदेशित किए जाएंगे।

(3) यदि कार्बन–डाय–सल्फाइड या हायड्रोजन सल्फाइड की सान्द्रता जैसी की ऐसी वाष्प या गैस की अनुज्ञेय सीमा नियम 124–क में निर्दिष्ट है, से अधिक होती है तो हवा में ऐसे प्रदूषण की सान्द्रता नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जावेंगे । ऐसी किसी घटना की सूचना मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को तत्काल दी जाएगी।

6- ¶;e çfØ;k d dej e #du ij fucU/kuA& कोई भी व्यक्ति भोजनावकाश या विश्राम के मध्यान्तर के दौरान में किसी कमरे में, जहाँ फ्यूम प्रक्रिया चलती हो, नहीं रुकेगा ।

7- vYio; 0;fä;k d fu;ktu d lc/k e çfr"k/kA& किसी फ्यूम प्रक्रिया या किसी कमरे में जहाँ ऐसी प्रक्रिया चलाई जाती हो, किसी अल्पबय व्यक्ति को नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं होगी ।

8- lj{kk midj.kA&

(1) नीचे तालिका में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए अधिभोगी सुरक्षा उपकरणों का प्रदाय करेगा और उन्हें अच्छी दशा में अनुरक्षित रखेगा ।

rkfydk

çfØ;k ¼1½	*cpko midj.k* ¼2½
1. डम्पिंग	ओवराल, मुखोटा, दस्ताने, जूते (सभी उपयुक्त पदार्थ के बने हुए)
2. स्पिनिंग	उपयुक्त एप्रन, दस्ताने और जूते
3. प्रक्रियाएँ जिनमें विस्कोस घोल से संपर्क होता है या संपर्क होने की संभावना है ।	उपयुक्त दस्ताने और जूते
4. सल्फर का कार्य	उपयुक्त रासायनिक चश्मे

5. कोई अन्य प्रक्रिया, जिसमें खतरना निरीक्षक–सह– सुविधाप्रदाता द्वारा लिखित आदेश द्वारा किए रसायनों से सम्पर्क सम्मिलित हो ।गए अनुसार सुरक्षा उपकरण

(2) कर्मकारों को प्रदाय किए गए सुरक्षा उपकरणों के भण्डारण के लिए विशेष तौर पर पृथक कमरा, कमरे या लाकर्स होंगे और ऐसे उपकरण इस प्रकार बनाए गए कमरे या लाकर्स के अलावा अन्य दूसरे स्थान पर भण्डारित नहीं किए जाएंगे ।

9. सांस लेने के उपकरण।–

(1) हर एक कारखाने में, जहाँ फ्यूम प्रक्रियाएं चलती हैं, पर्याप्त रूप से–
(क) ब्रीदिंग एप्रेटसय
(ख) आक्सीजन और उसके इस्तेमाल के लिए उपयुक्त उपकरणय और
(ग) लाइफ बैल्टय का प्रदाय किया जाएगा ।

(2) (एक) उप–पैरा (1) में निर्दिष्ट ब्रीदिंग एप्रेटस और अन्य उपकरण अच्छी दशा में असुरक्षित होंगे और उपयुक्त स्थानों पर रखे जावेंगे, ताकि वे सुगमता से उपलब्ध हो सकें।

(दो) उप–पैरा (1) के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट ब्रीदिंग एप्रेटस और अन्य उपकरण उपयुक्त मध्यांतर से साफ और अदूषित किए जावेंगे और हर एक मास में किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा एक बार उनका पूरी तौर पर निरीक्षण किया जाएगा ।

(तीन) उपखंड (1) में निर्दिष्ट ब्रीदिंग एप्रेटस और अन्य उपकरणों की अनुरक्षण और दशा में उल्लेख इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में अंकित किए जावेंगे, जो निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध होगा ।

(3) ब्रीदिंग एप्रेटस का उपयोग करने और कृत्रिम सांस दिए जाने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मकारों को प्रशिक्षित और समयबद्ध रूप से पुनरू प्रशिक्षित किया जावेगा, ताकि इस प्रकार प्रशिक्षित कम से कम दो व्यक्ति सभी कार्य की अवधि के दौरान हर एक कमरे में जहाँ फ्यूम प्रक्रिया चलती हो, उपलब्ध हों ।

(4) ब्रीदिंग एप्रेटस को उपयुक्त लेबल लगाकर साफ, सूखे और हलके खोल में रखा जाएगा और यदि उसके फ्यूम से प्रभावित होने की संभावना हो तो उपयुक्त कन्टेनर में रखकर उन्हें सुरक्षित किया जाएगा ।

(5) उप–पैरा (1) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य, जिसके लिए ब्रीदिंग एप्रेटस उक्त पैरा के अधीन प्रदाय किया जाना आवश्यक हो, करने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे उक्त उपकरण को ठीक प्रकार उपयोग करने के पूरी तरह अनुदेश न दे दिए गए हों ।

(6) उप–पैरा (1) के अनुसरण में प्रदाय किया गया कोई ब्रीदिंग एप्रेटस जो एक व्यक्ति द्वारा पहना जा चुका है, दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं पहना जावेगा, जब तक कि आखिरी पहने जाने के बाद उसे पूरी तौर पर साफ और अदूषित न कर दिया गया हो और उस व्यक्ति को उक्त उपकरण को ठीक प्रकार उपयोग करने के बारे में समुचित अनुदेश न दे दिए गए हों ।

10- fo|r fQfVxA& किसी ऐसे कमरे जिसमें कार्बन–डाय–सल्फाइड का उत्पादन, उपयोग या उत्सर्जित या स्पिनिंग रूम के अलावा कार्य के वातावरण में उसके उत्सर्जित हो जाने की संभावना हो, में सभी विद्युत फिटिंग फ्लेम प्रूफ संरचना की होगी और सभी विद्युत संवाहक या तो धातु के कन्ड्यूट या सीसा मढ़े हुए होंगे ।

*11- /kewiku d lc/k e çfr"k/k vkfnA&*किसी ऐसे कमरे, जिसमें फ्यूम प्रक्रिया चलाई जाती हो, में कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा । माचिस, आग या अनावृत्ति रोशनी या चिंगारी पैदा करने का कोई अन्य साधन नहीं ले जाएगा । बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में संयंत्र में धूम्रपान करना और माचिस, आग या अनावृत्त रोशनी अथवा अनावृत्त रोशनियाँ, चिंगारी पैदा करने का कोई अन्य कोई साधन ऐसे कमरों में ले जाना, प्रतिषिद्ध करने की सूचना संयंत्र में के मुख्य–मुख्य स्थानों पर चिपकाई जावेंगी :

परन्तु यह कि आग, अनावृत्त रोशनी या अनावृत्त चिंगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन जब प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों तो वे जिम्मेदार व्यक्ति के निर्देशानुसार ऐसे कमरों में ले जाए जा सकेंगे ।

12- çf{kkyu vkj Luku lfo/kk,A&

(1) इस अनुसूची के दायरे में आने वाली प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए पर्याप्त प्रक्षालन और स्नान करने के स्थान, जो हर एक 25 नियोजित व्यक्ति के लिए एक की दर से होंगे, छायादार स्थान में निरन्तर जल प्रदाययुक्त रूप में उपलब्ध होंगे तथा वे साफ हालत और अच्छी मरम्मत की हुई दशा में अनुरक्षित किए जाएंगे ।

(2) प्रक्षालन स्थान पर एक मीटर से अनधिक दूरी के अन्तराल पर स्टेण्ड पाइप लगे होंगे।

(3) प्रक्षालन स्थानों की कुल संख्या के आधे स्थानों पर स्नानागार होंगे।

(4) उपयुक्त पदार्थ के बने पर्याप्त तौलिए प्रदाय होंगे ।

परन्तु यदि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा यदि ऐसा आदेश दिया जाए कि हर एक कर्मकार को व्यक्तिगत रूप से तौलिए दिए जाएं तो तदनुसार ऐसे तौलिए प्रदान किए जाएंगे ।

(5) पर्याप्त साबुन और नाखून साफ करने के ब्रश प्रदाय होंगे ।

13- foJke xgA&

(1) फिलामैंट यार्न स्पिनिंग प्रक्रिया के डम्फिंग कार्यों में लगाए गए कर्मकारों के लिए विश्राम कक्ष प्रदाय होंगे ।

(2) ऐसे विश्राम कक्ष में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होगी और स्वच्छ हवा प्रदाय होगी ।

14- lko/kkuh lpuk, vkj vuqns'kA&

(1) निम्नलिखित सूचनाएँ हर एक फ्यूम प्रक्रिया के कमरे में प्रमुख तौर पर प्रदर्शित की जाएंगी । सावधानी सूचनाएँ

(1) इस कमरे में कार्बन–डाय–सल्फाइड (सी–एस–2) और हायड्रोजन सल्फाइड (एच–2–एस) गैस उपस्थित हो सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है ।

(2) सुरक्षा अनुदेशों का पालन करें ।

(3) जब अपेक्षित हो सुरक्षा उपकरणों और ब्रीदिंग एप्रेटस का उपयोग करें ।

(4) इस क्षेत्र में धूम्रपान पूर्णतरू प्रतिषिद्ध है । यह सूचना बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होगी और जहाँ आसानी और सुगमता से पढ़ी जा सके, वहाँ प्रदर्शित होगी । यदि कोई कर्मकार अनपढ़ हो तो उसे प्रदर्शित सूचनाओं के अन्तर्विष्ट बातों के बारे में सावधानी से स्पष्टीकरण और समझाइश देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

(2) हर एक कर्मकार फ्यूम प्रक्रिया के कमरे में नियोजित हो, उसे उनके काम से जुड़े हुए स्वास्थ्य के खतरों और बचाव के उपायों और उनको स्वयं के बचाने की पद्धति के बारे में अनुदेश देने की व्यवस्था की जाएगी । ऐसे अनुदेश उसके प्रथम नियोजन पर और नियतकालिक रूप से पुनरू दिए जाएंगे ।

(3) सरल और विशेष अनुदेश तैयार किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो कि आपातकालीन स्थिति में कार्बन–डाय–सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड बाहर निकलने पर प्रभावी उपाय करना सुनिश्चित हो । यह अनुदेश संबंधित क्षेत्रों में प्रदर्शित होंगे और वहाँ के कर्मकारों की उसी आपात स्थिति में किए जाने वाले कार्यों के बारे में अनुदेश और प्रशिक्षित किया जाएगा ।

15- fpfdRlk vf/kdkjh }kjk fpfdRlh; ijh{k.kA&

(1) हर एक कारखाने या उसके भाग, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा और

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए सभी परीक्षणों तथा उपयुक्त जाँचों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे।

(3) इस अनुसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(4) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की किसी कर्मकार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि उक्त प्रक्रिया में निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा अन्तर्निहित करने से वह कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजित बने रहने के लिए फिट नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अंकित करेगा। इन दस्तावेजों के उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी, जिसके लिए वह व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए फिट नहीं मानता। अनफिट होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(5) किसी भी व्यक्ति को, जो उप–पैरा (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अनफिट पाया गया हो। उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनरू नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनरू फिट प्रमाणित नहीं कर देता।

(6) फिटनेस के प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता –सह– सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे।

16- NVA& यदि किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का इस बात से समाधान हो जाए कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों या प्रक्रिया की अनावृत्ति या किसी अन्य कारण से इस अनुसूची के सभी या कोई उपबन्ध कारखाने में कर्मकारों के बचाव के लिए अनावश्यक हैं तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण–

पत्र द्वारा जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है, ऐसे कारखाने की सभी या ऐसे किसी उपबन्ध से ऐसी शर्तें यदि कोई हों और जिन्हें वह उसमें निर्दिष्ट करे, के अधीन छूट प्रदान कर सकेगा ।

mi&vu|l|ph&27
QkmUMh e| dk;|

1- ykx| gkukA& इस अनुसूची के उपबन्ध कारखानों के उन सभी भागों, जहाँ निम्नलिखित में से कोई कार्य या प्रक्रिया चलाई जाती है, को लागू होंगे ।

(क) रेत, मिट्टी, ढलाई, सम्मिश्रण या अन्य पदार्थों के मिश्रण के बने सांचों या शैल मोल्डिंग या सेन्टीफ्यूगल ढलाई द्वारा लोहे की कास्टिंग या जैसी की दशा हो, स्टील कास्टिंग का उत्पादन और ऐसे उत्पादन के अनुषंगिक कोई प्रक्रिया;

(ख) रेत, मिट्टी, धातु, ढलाई, सम्मिश्रण या अन्य पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण या शैल मोल्डिंग, डाई कास्टिंग (प्रेशर डाई कास्टिंग को सम्मिलित करते हुए) सेंटीफ्यूगल कास्टिंग या कन्टिन्यूअस कास्टिंग द्वारा अलोह कास्टिंग का उत्पादन और ऐसे उत्पादन से अनुषंगिक कोई प्रक्रिया; और

(ग) इन्गोट, विलेट, स्लैब या अन्य समरूप उत्पादों के उत्पादन के लिए अलोह धातु का गलाना और ढालना और उनकी स्ट्रिपिंग करना, किन्तु यह निम्न के संबंध में लागू नहीं होगी–

(क) सीसे के पिघलाने और विद्युत संचायक और सीसे के विनिर्माण के संबंध में कोई प्रक्रिया;

(ख) छपाई कार्यों के प्रयोजन के लिए कोई प्रक्रिया; या

(ग) पिघलाने की कोई प्रक्रिया, जिसमें अवकरण क्रिया से धातु प्राप्त हो या ऐसी क्रिया से अनुषंगिक कोई प्रक्रिया; या

(घ) स्टील का इन्गोट के रूप में उत्पादन; या

(ड) सोल्डर विनिर्माण के दौरान कोई प्रक्रिया अथवा ऐसे विनिर्माण के संबंध में कोई अनुषंगिक क्रिया; या

(च) इन्गोट, विलेट, स्लेब या समरूप उत्पादन के विनिर्माण या उसके स्ट्रिपिंग के लिए शीशे या सीसायुक्त एलाय का गलाना और ढालना या ऐसे गलाने, ढालने या स्ट्रिपिंग करने से अनुषंगिक प्रक्रियाएं ।

2- ifjHkk"kk,A& bl vu|l|ph d| ç;k|tu d| fy,&

(क) *^,ç0M j|lhfij|Vj** से तात्पर्य उस प्रकार के रेसीपिरेटर से है, जो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित किया गया हो;

(ख) *^D;|ik|yk ;k Hkêh** में उनसे जुड़े संग्राहक भी सम्मिलित हैं;

(ग) *^Mf|x ;k fQVfy|x dk;|** में स्ट्रिपिंग करना और चिपकी हुई रेत, कार रनर, राइजर फ्लेश और ढलाई से अन्य अतिरिक्त धातु को हटाना और उपयुक्त रूप से साफ और चिकनी सतह का विनिर्माण सम्मिलित है, लेकिन इसमें (क) ड्रेस और फेटलिंग की हुईं कास्टिंग से मशीनिंग या संयोजन के संबंध में आनुषंगिक रूप से धातु का हटाना, या (ख) कोई कार्य जो इस अनुसूची के अर्थ के अन्तर्गत नोक आउट आपरेशन हो, सम्मिलित नहीं होंगे ।

(घ) *^QkmUMh** से तात्पर्य कारखाने के उन भागों से है, जिसमें लोहे या स्टील या अलौह ढलाई (कच्चे लोहे या इन्गोट के रूप में स्टील के विनिर्माण को छोड़कर) रेत, मिट्टी, ढलाई सम्मिश्रण या अन्य पदार्थों के मिश्रण से बने सांचों में ढालकर या शैल मोल्डिंग या धातु के सांचो में रेत बिछाकर सेन्ट्रीफ्यूगल कास्टिंग की जाती हो । इसके साथ ही कारखाने का कोई अन्य भाग, जिसमें ऐसे उत्पादन के दौरान और उसके अनुक्रम में जो आनुषांगिक क्रियाएँ की जाती हैं अर्थात् फाउन्ड्री प्रक्रिया में उपयोग के लिए जाने वाले पदार्थों को बनाना और मिश्रित करना, सांचे और केन्द्रीय भाग का बनाना, नाक–आउट क्रिया और ड्रेसिंग या फेटलिंग क्रियाएँ ;

(ड) *^ukd vkmV fØ;kvk** से तात्पर्य सांचे से कास्टिंग हटाने की समस्त पद्धति या और निम्नलिखित क्रियाएँ जब उसके संबंध में की जाती हैं अर्थात् स्ट्रिपिंग करना, केन्द्रीय भाग निकालना और राइजर्स तथा रनर्स को हटाना;

(च) *^<ykb| xyh** से तात्पर्य मुख्य गेंग–वे को जाने वाली या क्यूपोला या भट्टी से सीधी गली जहाँ सांचो में धातु उंडेली जाती हो ।

3- d|N inkFkk| d| foHkktd inkFkk| dh rjg mi;kx dk çfr"k/kA&

(1) यदि कोई पदार्थ सिलिकान योगिक युक्त है और जिसमें सूखे पदार्थ की तुलना में उसके भार से पाँच प्रतिशत से अधिक सिलिका की गणना की गई है, ऐसे पदार्थ का विभाजक पदार्थ की तरह उपयोग नहीं किया जाएगा ;

परन्तु यह प्रतिषेध निम्नलिखित को विभाजक पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाने से निवारित नहीं करेगा । यदि उस सामग्री में किसी अन्य सिलिका का सम्मिश्रण न हो–

(क) जिरकोनियम सिलिकेट (जिरकान),

(ख) कैल्साइन्ड चाइनाक्ले,
(ग) कैल्साइन्ड एल्यूमिनियम फायर क्ले,
(घ) सिलिमेनाइट,
(ङ) केल्साइन्ड या पिघला हुआ एल्यूमिना,
(च) ओलिविन,
(छ) प्राकृतिक रेत ।

(2) फेटलिंग या ब्लास्टिंग प्रक्रिया से जमी धूल और अन्य पदार्थ का विभाजक पदार्थ या विभाजक पदार्थ के संगठक की तरह उपयोग नहीं किया जाएगा ।

4] 0;oLFkk,¡ vkj Hk.Mkj.kA& काम के कमरों में सफाई और सुरक्षा को विकसित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा–

(क) मोल्डिंग बाक्स, लोमप्लेट, लेडल्स, पैटर्न, पैटर्न–प्लेटें, फ्रेम्स, बोर्ड्स, बाक्स वेट्स और अन्य भारी वस्तुएँ इस तरह व्यवस्थित कर रखी जाएंगी कि कार्य अनावश्यक जोखिम के बिना किया जा सके।

(ख) अन्य गियरों और औजारों के भण्डारण के उपयोग के लिए उपयुक्त और सुगमता से पहुँचगम्य रैक्स विन्य या अन्य पात्र प्रदाय किए जाएंगे ।

(ग) जहाँ कहीं रेत, ईंधन, मेटल स्क्रेप या अन्य पदार्थ या अवशेष का बड़ा भण्डार हो, वहां उपयुक्त विन्स, बन्कर्स या अन्य पात्र ऐसे भण्डारकरण के प्रयोजन के लिए प्रदान किए जाएंगे ।

5- Q'k dk lfUuek.kA&

(1) भीतरी कार्य स्थलों के, जिनमें प्रक्रियाएं की जाती हों, सिवाए उन भागों के जो रेत के बने हों, फर्श समतल और कठोर पदार्थ के होंगे ।

(2) ऐसे भीतरी कार्य स्थल के फर्श का कोई भाग, सिवाए उस दशा के जहाँ कि किए जा रहे कार्य के कारण आवश्यक हो, रेत का नहीं होगा ।

(3) ऐसे भीतरी कार्य स्थल के फर्श के वे सभी भाग जो रेत के हों, जहां तक व्यवहार्य हो एक से और मजबूत दशा में अनुरक्षित किए जाएंगे ।

6- Hkhrjh dk;Z LFkyk dh lQkbZA&

(1) हर एक भीतरी कार्य स्थलों, जहाँ प्रक्रिया की जाती हो, की दीवारों के पहुँचगम्य सभी भागों और उन दीवारों पर लगी हुई हर एक वस्तु हर एक 14 मास की अवधि में कम से कम एक बार उपयुक्त विधि से जमीन से 4.02 मीटर अनधिक ऊंचाई तक प्रभावी रूप से साफ की जावेगी । इस पैरा के अनुसरण में की गई ऐसी प्रभावी सफाई के अभिलेख, जिसमें .दिनांक भी सम्मिलित हों, रखे जावेंगे, सफाई दिनांक तत्काल पहले की धुलाई, सफाई या अन्य उपचार करने के दिनांक से न तो पाँच महीने से कम पहले या उसके नौ महीने बाद की दिनांक नहीं होगी ।

(2) हर एक भीतरी कार्य स्थल में, जहाँ प्रक्रिया की जाती हो, उन भागों को जो रेत के हों, को छोड़कर फर्श के पहुँचगम्य सभी भागों की हर एक कार्य दिवस में कम से कम एक बार उपयुक्त पद्धति से प्रभावी सफाई की जावेगी और वे भाग जो रेत के हों, वे अच्छी दशा में रखे जाएंगे ।

7- 'kkjhfjd fØ;k,¡ ftuesa fi?kyh gbZ /kkrq ds dk;Z vUrofyr gksA&

(1) पिघली धातु के कार्यों, जिनमें धातु फैल जाने की संभावना हो, को सम्मिलित करते हुए शारीरिक प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए उक्त प्रक्रिया के लिए कार्यस्थल की–

(क) जो कार्य के सुरक्षापूर्वक निष्पादन हेतु पर्याप्त हो; और

(ख) जो जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो अवरोध रहित रखा जा सके, व्यवस्था होगी और उसे भली प्रकार से अनुरक्षित किया जाएगा ।

(2) कोई क्रिया, जिसमें पिघली हुई धातु से भरा कन्टेनर हाथों से ले जाना सम्मिलित हो, वहाँ फर्श जहाँ क्रिया की जाती हो और वे भाग, जिसमें क्रिया में संबद्ध व्यक्त चलते–फिरते हों, वे दोनों एक ही तल पर होंगे ;

परन्तु यह कि जहाँ अनावश्यक जोखिम के बिना प्रक्रिया के निष्पादन के लिए आवश्यक हो और फर्श के विभिन्न तलों पर स्थित कार्य स्थलों पर क्रिया में नियोजित हर एक व्यक्ति के फर्श से उस तक पहुँचने के सुरक्षित साधन हों, वहाँ इस पैरा की कोई भी बात कभी–कभी तथा अपवाद स्वरूप ऐसे उपयोग को प्रतिबन्धित नहीं करेगी ।

8- xqxot vkj <qykbZ ds xfy;kjA&

(1) यह अनुसूची बनने के बाद सन्निर्मित, पुनर्निमित या उस रूप में उपयोग के लिए संपरिवर्तित हर एक कार्य के कमरे, जिस पर यह पैरा लागू होता है, जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, पर्याप्त और स्पष्ट रूप से चिन्हित मुख्य गेंगवेज बनाई और भली प्रकार अनुरक्षित की जाएगी, जो–

(क) सपाट सतह और कठोर पदार्थ की होगी और वह विशेषतरू रेत की नहीं होगी या उस पर आवश्यकता से अधिक रेत नहीं होगी, जिसमें दुर्घटनावश धातु के फैल जाने से धातु उड़ने का जोखिम दूर हो सके;

(ख) जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, अवरोध रहित रखी जाएगीय

(ग) यदि पिघली हुई धातु को ले जाने के उपयोग में नहीं ली जाती हो तो कम से कम 920 मिली मीटर चौड़ाई की होगी;

(घ) यदि पिघली धातु ले जाने के उपयोग में ली जाए तो–

(एक) जहाँ प्रमुखतरू ट्रक लेडल को उपयोग में लाया जाता हो तो लेडल की पूरी चौड़ाई से कम से कम 600 मिलीमीटर चौड़ाई की होगी;

(दो) जहाँ दो से अधिक आदमियों द्वारा हैण्ड शैक द्वारा ले जायी जाती हो, वहां कम से कम 920 मिलीमीटर चौड़ाई की होगी;

(तीन) जहाँ दो से अधिक आदमियों द्वारा हैण्ड शैक द्वारा ले जायी जाती हो तो कम से कम 1.2 मीटर चौड़ाई होगी; और

(चार) जहाँ दोनों दिशाओं में से साथ–साथ आदमियों द्वारा हैण्ड शैक लाई जाए तो कम से कम 1.8 मीटर चौड़ाई होगी ।

(2) इस अनुसूची के बनने के बाद उपयोग के लिए सन्निर्मित, पुनरूनिर्मित या ऐसे उपयोग के लिए परिवर्तित कमरे में, जिस पर यह पैरा लागू होता हो, पर्याप्त और स्पष्ट रूप से परिभाषित गलियारा इस प्रकार बनाया और अनुरक्षित किया जाएगा कि उसमें–

(क) सपाट सतह और कठोर पदार्थ का होगा और विशेषतरू रेत का नहीं होगा या उस पर आवश्यकता से अधिक रेत नहीं होगी, जिससे दुर्घटनावश धातु के फैल जाने से धातु उड़ने का जोखिम दूर हो सकेय है;

(ख) जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, अवरोध रहित रखा जाएगा;

(ग) यदि पिघली हुई धातु को हैण्ड लैडल या बुल लैडल द्वारा प्रति लैडल दो व्यक्ति से अनधिक द्वारा ले जाया जाए तो कम से कम 460 मिलीमीटर चौड़ा होगा, लेकिन जहाँ गलियारे के किनारे कार्यमोल्ड गलियारे के फर्श से 510 मिलीमीटर ऊंचा हो तो गलियारा कम से कम 600 मिलीमीटर से कम चौड़ा नहीं होगा;

(घ) यदि पिघली हुई धातु दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा हैण्ड लैडल या बुल लैडल द्वारा ले जाई जावे तो लैडल कम से कम 769 मिलीमीटर चौड़ा होगा;

(ड़) यदि क्रेन, ट्राली या ट्रक लैडल द्वारा पिघली धातु ले जाई जावे तो कार्य के सुरक्षित रूप से निष्पादन के लिए वह पर्याप्त चौड़ाई का होगा ।

(3) किसी कमरे या कमरे के भाग पर, यदि उसमें किए जा रहे कार्य की प्रकृति के कारण कमरे का या कमरे के उस भाग का फर्श रेत का हो तो उप–पैरा (1) और (2) की अपेक्षाएँ लागू नहीं होंगी।

(4) इस पैरा में कार्य के कमरे, जिस पर यह पैरा लागू होता हो, से तात्पर्य लौह या अलौह फाउन्ड्री के उस भाग से है, जिसमें पिघली धातु परिवहित या उपयोग की जाती हो या इस अनुसूची के बनने के बाद उपयोग के लिए सन्निर्मित, पुनरू निर्मित या उपयोग के लिए संपरिवर्तित कमरे, जिस पर यह पैरा लागू होता है, से तात्पर्य उस कमरे से है, जिसका सन्निर्माण, पुनर्निर्माण या उपयोग हेतु संपरिवर्तन यह अनुसूची के बनने के बाद प्रारंभ हुआ हो ।

9- D;ikyk vkj Hkfê;k d leh dk;A& क्यूपोला या भट्टी के किसी पनाले जो पिघली धातु के निकास के लिए हों, के निकासी वाले सिरे से गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा से 4 मीटर की दूरी के अंदर या ऐसे पनाले के सिरे पर कोई लैडल जो भरने के लिए लगी हो, के निकटतम भाग से 2.4 मीटर दूरी के भीतर कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, दोनों ही स्थिति में सिवाय उस दशा के जबकि क्यूपोला या भट्टी के उपयुक्त उपयोग या अनुरक्षण के लिए उक्त कार्य उल्लिखित दूरी के भीतर हो, करना आवश्यक हो या उक्त कार्य ऐसे समय और ऐसी दशाओं के अधीन किया जा रहा हो कि कार्य करने वाले व्यक्ति को पिघली हुई धातु, जो क्यूपोला या भट्टी या पनाले के सिरे पर भरने के लिए लगी लैडल में हो, से कोई जोखिम न हो ।

10- /ky vkj /keA&

(1) कार्य के कमरे के अंदर लैडल को गर्म करने या सुखाने के लिए कोयले, कोक या लकड़ी की खुली आग का उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि धुआँ और अन्य अशुद्धियों को काम के कमरे के वातावरण में प्रविष्ट होने या बने रहने से रोकने के लिए जहाँ तक व्यवहार्य हो, उपयुक्त साधन न किए गए हो ।

(2) सांचों को सुखाने के लिए केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर, जो अपरिहार्य हों, कोयले, कोक या लकड़ी की खुली आग का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

(3) मोल्ड स्टोव्ह, कोर–स्टोव्ह और एनीलिंग भट्टी इस प्रकार रूपांकित, सन्निर्मित अनुरक्षित और कार्य में लिए जाएंगी कि जहां तक व्यवहार्य हो किसी कार्य के कमरे में, जब व्यक्ति उसमें नियोजित हो, उस अवधि के दौरान घृणात्मक या हानिकारक धुआँ प्रविष्ट न हो सके ।

(4) सभी नाक आउट क्रियाएँ इस प्रकार की जावेंगी कि–

(क) फाउन्ड्री के पृथक् भाग में, जिसमें उपयुक्त तौर पर पार्टीशन किया गया हो, एक कमरा या उसका भाग, जिसमें जहाँ तक व्यवहार्य हो, स्थानीय वायु निष्कासन संवातन और उच्च स्तर का सामान्य संवातन प्रदत्त होगा;

(ख) फाउन्ड्री के उस क्षेत्र में जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, प्रभावी और उपयुक्त स्थानीय वायु निष्कासन संवातन होगा या जहाँ यह अनुपालन युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य न हो, वहां उच्चतम स्तर का सामान्य संवातन प्रदत्त होगा ।

(5) सभी ड्रेसिंग और फैटलिंग क्रियाएँ–

(क) एक पृथक् कमरे में या फाउन्ड्री के उपयुक्त तौर पर लगाए गए पार्टीशन से बने पृथक् भाग में; या

(ख) फाउन्ड्री के उस क्षेत्र में या जो इस प्रयोजन के लिए पृथक् किया गया हो, की जाएंगी और जहां तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, उन्हें उपयुक्त स्थानिय वायु निष्कासक संवातन या धूल दबाने के समरूप प्रभाव साधन, जो धूल उत्पन्न होने वाले बिन्दु के जितना समीप संभव हो, क्रियाशाली हो, के साथ किया जाएगा।

11- ok;| fu"dklu l|;= dk vuj{k.k vkj ijh{k.kA&

(1) धूल और धुम्र के अवशोषण, अधिक्रमण या नियंत्रण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त सभी संवातन संयंत्र भली प्रकार अनुरक्षित होंगे।

(2) धूल और धुम्र के अवशोषण, अधिक्रमण या नियंत्रण के प्रयोजनो के लिए प्रयुक्त सभी संवातन संयंत्र का हर एक सप्ताह में एक बार जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा परीक्षण और निरीक्षण किया जाएगा। सक्षम व्यक्ति द्वारा 12 महीने की अवधि में कम से कम एक बार उनकी पूरी तौर पर परीक्षण और जॉच की जाएगी और ऐसे परीक्षण और जॉच के परिणामो का विवरण अनुमोदित रजिस्टर में रखा जाएगा, जो निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा। परीक्षण और जॉच करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे परीक्षण और जॉच में पाए गए किसी दोष में कारखाने में अधिभोगी या प्रबंधक को तत्काल सूचना दी जाएगी।

12- lj{kk midj.kA&

(1) कर्मकारो के बचाव हेतु विनिर्दिष्ट उपयुक्त सुरक्षा उपकरण प्रदाय और अनुरक्षित किये जाएंगे–

(क) उपयुक्त दस्ताने या हाथ के बचाव के लिए अन्य सामग्री उन कर्मकारो के लिए जो किसी गर्म पदार्थ, जिससे कि हाथो के जलने, झुलसने या जख्म के जोखिम की संभावना हो, के कार्य में लगे हो या कच्चे लोहे, रफ कास्टिंग या अन्य वस्तु जिसमें हाथ के कटने या पिघलने की संभावना हो, के कार्य में लगे हो;

(ख) अनुमोदित रैसपिरेटर्स उन कर्मकारों के लिए जो घनी धूल सान्द्रता उत्पन्न करने वाली क्रियाओं में कार्य करते है, जिसे वर्तमान संवातन व्यवस्था द्वारा शीघ्रता और प्रभावी रूप से दूर न किया जा सके।

(2) एक व्यक्ति द्वारा खंड (ख) के प्रयोजन के लिए प्रदत्त रैसपिरेटर को पहनने के बाद अन्य व्यक्ति द्वारा नही पहना जाएगा, जब तक कि उसे पूरी तौर पर साफ और अदूषित न किया जा चुका हो।

(3) व्यक्ति, जो उनके किसी समय–

(क) क्यूपोला या भट्टी के पनाले पर काम या सेवा ऐसी परिस्थिति में करते हो कि उक्त पदार्थ उनके शरीर के संपर्क में आ सकता हों और उक्त पदार्थ ऐसे तापमान पर हो कि उसके शरीर के संपर्क में आने पर शरीर जल सके; या

(ख) पिघली धातु को उड़ेलने के संबंध में या सहायता करने के काम में लगे हो; या

(ग) पिघली धातु युक्त किसी लैडल या सांचे को शारीरिक शक्ति से चलाने या हाथ से ले जाते हो; या

(घ) नॉकिंग आउट क्रियाओं, जिसमें पदार्थ एसे तापमान हो कि उसका शरीर से संपर्क उसे जला सके, के काम में लगे हों, को उपयुक्त जूते और गैटर प्रदाय होंगे और जो उन्हें, जहॉ तक व्यवहार्य हो, उनके पैर और घुटनों को जलने के जोखिम से बचने के लिए पहनेंगे।

(4) जहॉ उपयुक्त हो उड़ने वाले पदार्थो (किसी प्रक्रिया के दौरान निक्षेपित छिलकों,चिंगारियों और पिघली धातु के झलकने को सम्मिलित करते हुए) से बचाव के लिए उपयुक्त स्क्रीन प्रदान किए जाएंगे।

(5) इस पैरा के अनुसरण में प्रदाय किए गए सुरक्षा उपकरणों के भण्डारण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदाय और अनुरक्षित किये जावेगें और उनकी सफाई और अनुरक्षण की उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

(6) उप–पैरा (1) और (4) के अनुसरण में प्रदाय किए गए उपकरणों का हर एक व्यक्ति द्वारा पूरा और उपयुक्त उपयोग किया जाएगा और वह उनके किसी दोष या हानि के बारे मे अधिभोगी, प्रबंधक या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को बिना देरी किए सूचित करेगा।

13- ç{kkyu vkj Luku lqfo/kk,A&

(1) फाउन्ड्री में नियोजित सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए–

(क) छाया के नीचे प्रक्षालन स्थान जिसमें या तो–

(एक) अभेद्य सतह का नांद, जिसमें बिना प्लग का वेस्ट पाइप जुड़ा हो और जिसकी पर्याप्त लंबाई हो कि एक बार में 10 व्यक्ति नियोजित करने के लिए ऐसे प्रति व्यक्ति के लिए कम से कम 60 सेन्टीमीटर स्थान हो और जिसमें नांद के ऊपर 60 सेंटीमीटर से अनधिक अंतराल पर स्थित टोंटियों या जैट के द्वारा पानी निरंतर रूप से प्रदाय होता हो; या

(दो) किसी भी इस समय नियोजित हर एक ऐसे 10 व्यक्तियों के एक टोंटी या स्टेण्ड पाइप की दर से, जो 1.2 मीटर के अंतर से लगे हों, टोंटी या स्टेण्ड पाइप होंगे, जिनमें साफ पानी निरंतर रूप से प्रदाय होता है; और

(क) खंड (क) के अधीन प्रदाय किए गए स्थानों में कम से कम आधे प्रक्षालन स्थान स्नानागार के रूप में होंगें।

(ग) उपयुक्त पदार्थ के बने साफ तौलिए पर्याप्त रूप से प्रदाय होंगे, जो प्रतिदिन बदले जावेंगे तथा साबुन और नाखून साफ करने के ब्रश पर्याप्त मात्रा में प्रदाय होंगे।

(2) उप–पैरा (1) के प्रयोजन के लिए प्रदत्त सुविधाएँ जिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रभार में रखी जावेंगी और साफ तथा व्यवस्थित दशा में अनुरक्षित की जाएंगी।

14- /kkrq dk ryNV vkj eSy dk fuoZruA& पिघली धातु से निकाले गए तलछट और मैल को उपयुक्त पात्र में रखा जाएगा।

15- fu{kSi dk fuoZruA& शैल मोल्डिंग से सभी निक्षेप पदार्थ (जली रेत को सम्मिलित करते हुए) के निर्वतन के लिए कास्टिंग की नाक आउट क्रिया के बाद जितना व्यवहार्य हो सके उतने शीघ्र उपयुक्त उपाय किये जाएगें।

15- }kj ds ckgj NksM+s gq, inkFkZ vkj midj.kA& द्वार के बाहर छोड़े हुए पदार्थ और उपकरण (जिनमें केवल अस्थायी तौर पर या कभी–कभार छोड़े गए उपकरण भी सम्मिलित है) को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा तथा रखा जाएगा, जिससे अनावश्यक जोखिम दूर हो सके। ऐसे सभी पदार्थ और उपकरणों तक पहुँचने के लिए सुरक्षित साधन होंगे और जहाँ तक व्यवहार्य हो। ऐसी पहुँच सड़क या पगडंडी से होगी, जो भली प्रकार अनुरक्षित होगी ऐसी सड़क या पगडंडी सपाट और मजबूत सतह की होगी और जितना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो अवरोध रहित रखी जाएगी।

17- fpfdRlh; lqfo/kk,a vkj ijh{k.kksa vkj t,p ds vfHkys[kA&

(1) हर एक कारखाने या उसके भाग, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) इस अनुसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्रपत्र 28 पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(3) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की किसी कर्मकार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि उक्त प्रक्रिया में निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा अन्तर्निहित करने से वह कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजित बने रहने के लिए फिट नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अंकित करेगा। इन दस्तावेजों के उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी, जिसके लिए वह व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए फिट नहीं मानता। अनफिट होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(4) किसी भी व्यक्ति को, जो उप–पैरा (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अनफिट पाया गया हो। उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनरू नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं

किया जाएगा, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनरू फिट प्रमाणित नहीं कर देता।

(5) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए सभी परीक्षणों तथा उपयुक्त जाँचों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे।

18. छुट– यदि किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह– सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों या प्रक्रिया की अनावृत्ति या किसी अन्य कारण से इस अनुसूची से सभी या कोई उपबंध कारखाने के कर्मकारों के बचाव के लिए अनावश्यक है तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण–पत्र, जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है, के द्वारा ऐसे कारखाने को सभी या ऐसे किसी उपबंध से, ऐसी शर्तों यदि कोई हों और जिन्हें उसमें विनिर्दिष्ट करे, के अधीन छूट प्रदान कर सकेगा ।

*vu|l|ph&***IV-** *lkexh l|j{kk MVk 'khV*
¼fu;e 73 n|[k½

परिसंकटमय प्रक्रिया को अंजाम देने वाले हर कारखाना के दखलकार को कारखाना में निर्माण, परिवहन और भंडारण में उपयोग होने वाले हर परिसंकटमय पदार्थ या सामग्री के संबंध में सामग्री सुरक्षा डेटा शीट के रूप में जानकारी प्राप्त करने या विकसित करने की व्यवस्था करनी होगी। कामगार के अनुरोध पर यह संदर्भ के लिए सुलभ होगा।

(क) ऐसी हर सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी :–

(i) लेबल पर प्रयुक्त पहचान;

(ii) पदार्थ के परिसंकटमय तत्व;

(iii) परिसंकटमय पदार्थ की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं;

(iv) परिसंकटमय पदार्थ के भौतिक खतरे, जिसमें आग, विस्फोट और प्रतिक्रियाशीलता की क्षमता शामिल है;

(v) परिसंकटमय पदार्थ के स्वास्थ्य संबंधी खतरे, जिसमें लक्षण और संसर्ग में आने के लक्षण और कोई भी चिकित्सा स्थितियां होती हैं, जिन्हें आमतौर पर पदार्थ के संपर्क में आने से पहचाना जाता हो;

(vi) प्रवेश का प्राथमिक मार्ग;

(vii) संहिता की धारा 84 के तहत दूसरी अनुसूची में निर्धारित संसर्ग की सीमा और उक्त अनुसूची द्वारा अच्छादित नहीं किए गए रासायन के संबंध में, निर्माता, आयातक या व्यवसायी द्वारा अनुशंसित किसी भी संसर्ग सीमा का उपयोग किया जाता हो;

(viii) खतरनाक पदार्थ के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए आम तौर पर लागू की जाने वाली सावधानियाँ, जो कि ज्ञात हैं, जिनमें उपयुक्त स्वच्छ व्यवहार, दूषित उपकरणों की मरम्मत और रख रखाव के दौरान सुरक्षात्मक उपाय, फैलाव और रिसाव की सफाई के लिए प्रक्रियाएं शामिल हो;

(ix) किसी भी सामान्य रूप से लागू नियंत्रण उपाय, जैसे कि उपयुक्त अभियंत्रण नियंत्रण, कार्य व्यवहार, या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग;

(x) आपातकालीन और प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया;

(xi) सामग्री सुरक्षा डेटा शीट की तैयारी की तिथि, या इसमे अंतिम परिवर्तन की तिथि;

(xii) सामग्री सुरक्षा डाटा शीट तैयार करने या वितरित करने के लिए निर्माता, आयातक, व्यवसायी या अन्य जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, पता और टेलीफोन नंबर, जो आवश्यक होने पर खतरनाक पदार्थ और उपयुक्त आपातकालीन प्रक्रियाओं पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकता हो।

(ख) किसी खतरनाक पदार्थ के संबंध में सामग्री सुरक्षा डेटा शीट प्राप्त करने या विकसित करने के दौरान दखलकार यह सुनिश्चित करेगा कि दर्ज की गई जानकारी खतरनाक निर्धारण करने में उपयोग किए गए वैज्ञानिक सबूतों को सही ढंग से दर्शाती है। यदि वह परिसंकटमय को निर्धारित करने में उपयोग किए जाने वाले किसी महत्वपूर्ण सबूत के बारे में जानता है, यदि वह किसी पदार्थ के परिसंकटमय के बारे में किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो जाता है, या परिसंकटमय से बचाने के तरीके को जानता है, तो यह नई जानकारी भौतिक सुरक्षा डेटा शीट में जल्द से जल्द जोड़ दी जाएगी।

y|cfy|x

(2) – किसी परिसंकटमय पदार्थ के प्रत्येक कंटेनर को पहचानने के लिए स्पष्ट रूप से लेबल या चिह्नित किया जाएगा:

(ए) पात्र की सामग्री;
(ख) परिसंकटमय पदार्थों के निर्माता या आयातक का नाम और पता;
(ग) शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी परिसंकटमय; तथा
(घ) परिसंकटमय पदार्थ के साथ सुरक्षित रूप से काम करने के लिए अनुशंसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।

सामग्री सुरक्षा डेटा शीट्स	
खंड–I – सामग्री पहचान और उपयोग	
सामग्री का नाम/पहचानकर्ता	
निर्माता का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम
गली का पता	गली का पता
शहर राज्य	शहर राज्य
डाक कोड आपातकालीन टेलीफोन नं।	डाक कोड आपातकालीन टेलीफोन नं।
रासायनिक नाम। रासायनिक पहचान व्यापार नाम और *समानार्थक शब्द*	*उत्पाद का उपयोग*

[kM **II** *& lkexh d [krjukd lkexh*

खतरनाक सामग्री	अनुमानित एकाग्रता%	सी०ए०एस० (CAS) या यूएन (UN) नंबर एलडी 50 (प्रजाति निर्दिष्ट करें और रूट)	एलसी (LC) 50 (प्रजाति निर्दिष्ट करें और रूट)	एलसी (LC) 50 (प्रजाति निर्दिष्ट करें और रूट)

[kM **III** *& lkexh d fy, Hkkfrd MVk*

शारीरिक अवस्था – गैस – तरल – ठोस	गंध और उपस्थिति	गंध सीमा (p.p.m.)	विशिष्ट गुरुत्व	
वाष्पीय दबाव	वाष्प का घनत्व (Air=1)	वाष्पीकरण की दर	क्वथनांक (oC)	हिमांक (oC)
पानी में घुलनशीलता (200C) पी	pH	घनत्व (g/ml)	पानी का गुणांक/तेल वितरण	

खंड IV – आग और विस्फोट से सामग्री का नुकसान

ज्वलनशीलता ..... हाँ ..... नहीं ..... यदि हाँ, तो किन कारणों के तहत		
विलुप्त होने के साधन		
विशेष प्रक्रिया		
फ्लैश प्वाइंट (oC) और विधि	उच्च विस्फोट सीमा (% by Volume)	निम्न विस्फोट सीमा (% by Volume)
विरोधी प्रज्वलन तापमान (oC)	टीडीजी ज्वलनशीलता वर्गीकरण	खतरनाक दहन उत्पादों
धमाका डाटा–सेंसिटिविटी रासायनिक प्रभाव	स्टेटिक के प्रति संवेदनशीलता मुक्ति	

खंड–V– प्रतिक्रिया डेटा

रासायनिक स्थिरता ..... हाँ ..... नहीं ..... यदि नहीं, तो किन कारणों के तहत
अन्य पदार्थों की असंगति ..... हाँ ..... नहीं। ..... यदि हाँ, तो कौन–कौन से
प्रतिक्रियाशीलता और किन परिस्थितियों में'
खतरनाक अपघटन उत्पाद
सामग्री नाम/पहचानकर्ता

खंड VI–सामग्री का विषैले गुण संसाधन

प्रवेश का मार्ग ———————— त्वचा संपर्क ———————— त्वचा अवशोषण ———————— नेत्र संपर्क ———————— – साँस लेना तीव्र ———————— साँस लेना पुराना ———————— अंतर्ग्रहण
सामग्री के लिए तीव्र (एक्यूट) एक्सपोजर का प्रभाव
सामग्री के लिए क्रोनिक एक्सपोजर का प्रभाव एक्सपोजर सीमा (ओं) | इरीटेंसी ऑफ सामग्री
कैंसरजननशीलता, प्रजनन के प्रति संवेदनशीलता सामग्री प्रभाव, विरूपजनक, उत्परिवर्तजनीयता
सिनर्जिस्टिक सामग्री

[kM **VII**& *fujk/kd mik;*

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
दस्ताने (निर्दिष्ट करें) श्वसन (निर्दिष्ट करें) आंखें (निर्दिष्ट करें)
जूते (निर्दिष्ट) वस्त्र (निर्दिष्ट) अन्य (निर्दिष्ट)
जूते (निर्दिष्ट) वस्त्र (निर्दिष्ट) अन्य (निर्दिष्ट)
रिसाव और फैलाव प्रक्रिया
अपशिष्ट निपटान
हैंडलिंग प्रक्रिया और उपकरण
भंडारण आवश्यकताएँ
विशेष शिपिंग जानकारी

[kM **VIII** & *çkFkfed fpfdRlk*

प्राथमिक चिकित्सा उपाय
स्त्रोंत का उपयोग किया
अतिरिक्त जानकारी

[kM **IX** &*,eŒ,lŒMhŒ,lŒ dh io/kkj.kk frfFk*

तैयार किया गया (समूह, विभाग, आदि) (फोन नंबर) तिथि

fo'k"krk,¡ %&

1. CAS या UN नंबर – रासायनिक सार सेवा या संयुक्त राष्ट्र (UN) संख्या।
2. एलडी 50 – घातक खुराक – 50% (एलडी 50– प्रजातियों और मार्ग निर्दिष्ट करें)।
3. नियंत्रण रेखा 50–घातक एकाग्रता – 50% (एलसी 50–प्रजातियों और मार्ग को निर्दिष्ट करें)।
4. टीडीजी ज्वलनशीलता – खतरनाक वस्तुओं का परिवहन संयुक्त राष्ट्र द्वारा ज्वलनशीलता वर्गीकरण।

i i =&I

¼fu;e&3 ¼1½ (i) n[k½

मौजूदा प्रतिष्ठानों/नए प्रतिष्ठानों के पंजीकरण हेतु/पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु आवेदन

¼d½ ifr"Bku d i dkj&

(कारखाना/मोटर परिवहन उपक्रम/समाचार पत्र प्रतिष्ठान/श्रव्य–दृश्य उत्पादन प्रतिष्ठान/ भवन और अन्य संनिर्माण प्रतिष्ठान/बगान/ठेका कार्य/श्रमशक्ति आपूर्ति/अन्य

¼[k½ ifr"Bku d fooj.k %&

1. प्रतिष्ठान का नाम –
2. प्रतिष्ठान का स्थान और पता –
3. प्रतिष्ठान के अन्य विवरण –
   (क) प्रतिष्ठानों में सीधे कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या –
   (ख) कार्यरत ठेका कर्मचारियों की कुल संख्या –
   (ग) नियोजित अंतर–राजयिक प्रवासी कामगारों की कुल संख्या –
4. लागू भाग भरें –

(क) कारखानों के लिए

विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण	प्लान अनुमोदन का विवरणों के साथ पूरा डाक पता और कारखानों की स्थिति	दखलकार और प्रबंधक का नाम और पता	किसी भी दिवस नियोजित होनेवाली कामगारों की अंधिकतम संख्या	स्थापित होने वाली अश्व शक्ति (HP) की कुल क्षमता एवं प्रकृति
1	2	3	4	5

(ख) मोटर परिवहन उपक्रम हेतु

ekVj ifjogu midze lokvk ¼t l uxj lok] y ch njh dh ;k=k lok] y ch njh dh eky <ykb lok vkfn½	ekxk dh d y l0	ekxk dh d y njh	fiNy lky dh vfre rkjh[k dk d y ifjogu okguk dh l [;k
1	2	3	4

(ग) भवन और अन्य संनिर्माण कार्य हेतु

fuek.k dk;l d i dkj	dk;l ikjHk dju dh lHkkfor vof/k	dk;l lekfIr dh vif{kr vof/k	LFkkuh; ikf/kdkj d vujk/k dk fooj.k
1	2	3	4

(घ) बगानों के लिए

cxku dk d y {k=Qy	d iuh ,DV] 1956 e fucf/kr ugh gku dh fLFkfr e ekfyd ,o lk>nkj dk ijk uke ,o vkoklh; irk	d iuh ,DV] 1956 e fucf/kr gku dh fLFkfr e fun'kdk d ijk uke ,o vkoklh; irk	lkoltfud {k= d cxku d e[; dk;ikyd vFkok egkic/kd dk uke ,o vkoklh; irk
1	2	3	4

5. स्वामित्व प्रकार /क्षेत्र –

6. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार गतिविधि –

7. चयनित एन आई सी कोड के विवरण –

8. नियोक्ता/प्रतिनिधि का ई–हस्ताक्षर/डिजीटल हस्ताक्षर–

(ग) नियोक्ता का विवरण :–

1. नियोक्ता/दखलकार/स्वामी/एजेंट/मुख्य कार्यपालक/पत्तन प्राधिकारी आदि का नाम और पता :–

2. पदनाम –

3. नियोक्ता के पिता/पति का नाम –

4. ई–मेल पता, दूरभाष एवं मोबाईल नं0 –

(घ) प्रबंधक का विवरण :–

1. प्रबंधक या प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु जिम्मेदार व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता :–

2. प्रबंधक/एजेंट का पता –

3. ई–मेल पता, दूरभाष एवं मोबाईल नं0 –

(ड) प्रबंधक का विवरण :–

B|dnkj dk uke vkj irk	B|dnkj dk b&e|y irk vkj ek0 u0	dk;l dk uke	dk;jr B|dk dkexkjk dh vf/kdre l0	B|dnkj }kjk fu;kftr iokl h dkexkjk dh vf/kdre l0	dk;l d vkjHk gku@lekfIr dh lHkkfor rkjh[k
1	2	3	4	5	6

(च) अन्य विवरण

fnukd%&
LFkku %&

fu;kDrk dk gLrk{kj@b&gLrk{kj@
fMftVy gLrk{kj

i i=& II

¼fu;e&3¼1½¼iii½ n[k½

ifr"Bku d ithdj.k dk ek.k&i=

पंजीकरण संख्या –

दिनांक –

व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं, 2020 (2020 का .....) की धारा 33 की उप धारा (2) 2) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणों में अंतर्विष्ट पंजीकरण प्रमाण–पत्र एतद्वारा ..... (प्रतिष्ठान का नाम) को प्रदान किया जाता है।

1. प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति (कृप्या निशान लगाएं)
   (क) कारखाना (ख) ठेका कार्य
   (ग) भवन और अन्य संनिर्माण कार्य (घ) कोई अन्य कार्य (जो उपर शामिल नहीं किए गए है)
2. प्रतिष्ठान के विवरण :–
   (क) प्रतिष्ठानों में सीधे कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या –
   (ख) ठेकेदार के माध्यम में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या –
   (ग) ठेकेदारों की संख्या और उनके विवरण –
   (घ) नियोजित अंतर–राजयिक प्रवासी कामगारों की कुल संख्या –
3. प्रतिष्ठान का अतिरिक्त विवरणी –
   (क) कारखानों के लिए

fofuek.k ifd;k dk fooj.k	Iyku vuekn dk fooj.kk d lkFk ijk Mkd irk vkj dkj[kkuk dh fLFkfr	n[kydkj vkj ic/kd dk uke vkj irk	fdlh Hkh fnol fu;kftr gkuokyh dkexkjk dh vf/kdre l[;k	LFkkfir ;k iLrkfor LFkkfir v'o 'kfDr dh id'fr ,o dy {kerk
1	2	3	4	5

¼[k½ ekVj ifjogu mide gr

ekVj ifjogu mide lokvk ¼tl uxj lok] ych njh dh ;k=k lok] ych njh dh eky <ykb lok vkfn½	ekxk dh dy l0	ekxk dh dy njh	fiNy lky dh vfre rkjh[k dk dy ifjogu okguk dh l[;k
1	2	3	4

¼x½ Hkou vkj vU; lfuek.k dk;l gr

fuek.k dk;l d idkj	dk;l ikjHk dju dh lHkkfor vof/k	dk;l lekfIr dh vif{kr vof/k	LFkkuh; ikf/kdkj d vujk/k dk fooj.k
1	2	3	4

(घ) बगानों के लिए

cxku dk dy {k=Qy	diuh ,DV] 1956 e fucf/kr ugh gku dh fLFkfr e ekfyd ,o lk>nkj dk ijk uke ,o vkoklh; irk	diuh ,DV] 1956 e fucf/kr gku dh fLFkfr e funk'kdk d ijk uke ,o vkoklh; irk	lkotfud {k= d cxku d e[; dk;likyd vFkok egkic/kd dk uke ,o vkoklh; irk
1	2	3	4

5. भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क की राशि –

6. पंजीयन अधिकारी की टिप्पणी –

fnukd%& *inuke lfgr iath;u vf/kdkjh dk gLrk{kj@*
LFkku %& *b&gLrk{kj@Mh,l lh*

ithdj.k dh 'krZ &

(1) नियम 4 के अंतर्गत जारी किया गया प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:

(क) पंजीकरण प्रमाण–पत्र गैर–हस्तांतरणीय होगा

(ख) सीधे प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों और ठेका कर्मचारियों की संख्या किसी भी दिन पंजीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ठ अधिकतम संख्या में अधिक नहीं होगा, और :

(ग) इन नियमों में उपबंध अनुसार संचित करें, पंजीकरण प्रमाण–पत्र के अनुदान के लिए भुगतान की गई शुल्क गैर–प्रतिदेय होगी।

(2) नियोक्ता कामगारों की संख्या या पंजीयन अधिकारी के कार्य शर्तों के बदलाव की सूचना को 30 दिनों के भीतर देगा, यदि कोई हो,

(3) नियोक्ता किसी कार्य के आरंभ और समापन के 30 दिनों के भीतर कार्य क्षेत्र में आने वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जहां प्रस्तावित प्रतिष्ठान है या जैसा भी मामला हो, कार्य किया जाता है, ऐसे कार्य के आरंभ होने या जैसा भी मामला हो समाप्त की वास्तविक तिथि, इन नियमों में संलग्न प्रपत्र VI में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा।

(4) पंजीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति उस परिसर में विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी जहॉ काम चल रहा है।

i i =&III

¼fu;e&3¼8½½
ifr"Bku dk i thdj.k

ØE l E	dk;l dh idfr	i thdj.k l E vkj rkjh[k	i thd'r ifr"Bku dk uke vkj irk ,o LFkku	fu;kDrk dk uke irk vkj l i d fooj.k	dkexkjk dh dy l [;k vkj dy gk l ikoj ;fn dkbl gk	Bdk dkexkjk dh dy l [;k	fVIi.kh
1	2	3	4	5	6	7	8
	(a) dkj[kkuk **(b)** Hkou vkj vU; lfuek.k dk;l **(c)** Bdk dk;l **(d)** vUrjkT;h; iokl h dk;l **(e)** vU; dkbl dk;l ¼tk mij 'kkfey ugh fd, x,½						

i i =&IV
¼fu;e&3¼9½ ,o fu;e&5½
d&ifr"Bku d vkjHk@l ekfIr dk ukfVl

1. पंजीकरण संख्याः
2. प्रतिष्ठान का नाम और पताः
3. नियोक्ता/पत्तन प्राधिकारी का नाम और पदनाम (जिनका प्रतिष्ठान के मामलों के ऊपर अंतिम नियंत्रण है):
4. पूर्ण पता जिस पर प्रतिष्ठान में संबंधित पत्राचार किया जाना हैः
5. प्रति के कार्य की प्रकृतिः
6. कार्य आरंभ करने हेतु नोटिस के मामले में कार्य की अनुमानित अवधिः
7. समाप्ति के मामले में समाप्ति की तारीख मैं/हम एतद्वारा यह सूचित करता हैं/करते है कि प्रतिष्ठान जिसका पंजीकरण संख्या .....दिनांक..... का.....कार्य आरंभ/होने की संभावना है/समाप्ति..... (दिनांक)/.....(दिनांक) से प्रभावी होने की संभावना है।

dk;l l ekfIr d ekey e

मैं/हम इस बात को प्रमाणित करता हूँ। करते है कि प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों को सभी देय राशि का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थो के भंडारण से मुक्त रखा गया है।

नियोक्ता का हस्ताक्षर

सेवा में,

निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता

i`i=&v

¼fu;e&6½

fuEufyf[kr i`i= d vu`lkj fdlh ;kX;rk ikIr fpfdRld }kjk fpfdRlk tkp l`pkfyr fd;k tk,xk%

d- tu lkf[;dh;%

i`'u	mÿkj	fVIi.kh
दिनांक		
कामगार का नाम		
आयु		
सथायी पता		
लिंग		
परिवार के सदस्यों की कुल संख्या		
परिवार की कुल मासिक आय		
क्या कर्मचारी ई०एस०आई० (कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत है, यदि हां तो, आई०पी० संख्या उपलब्ध करें।	हां/नहीं	
क्या कर्मचारी ई०एम०आई० योजना के अलावा किसी अन्य स्वास्थ्य योजना अंतर्गत है? (यदि हां, तो योजना का नाम उपलब्ध करें)	हां/नहीं	

[k- 0;olkf;d bfrgkl

i`'u	mÿkj	fVIi.kh
वर्त्तमान पदनाम		
कार्य प्रोफाईल		
वर्त्तमान कार्य प्रोफाईल में सेवा की अवधि		
प्रति पाली कार्य घंटे		
प्रति सप्ताह रात की पाली		
प्रति सप्ताह रात की पाली		

x- fpfdRlk bfrgkl dh l`f{kIr leh{kk% igy` l` jkx dh igpku ;k oÿkeku e` mipkjk/khu ;k oÿkeku e` fuEufyf[kr l` ihfM+r

i`'u	mÿkj ¼gk@ugh½	fVIi.kh
रक्त हिनता		
पीलिया		
दमा		
सी०ओ०पी०डी०		
किसी अन्य फेफड़े के रोग का इतिहास (यदि हो, तो कृपया निर्दिष्ट करें)		
सर घूमना/घकर आना		
मधुमेह संबंधी रोग		
उच्च रक्तचाप		
कोई कर्क रोग (यदि हां तो कृपया कर्क रोग का उल्लेख करें) पीठ के निचले भाग में दीर्घकालिक दर्द		
हॉथ या कुहनी में दीर्घकालिक दर्द		
हार्निया		
हाइड्रोसील		
अपस्फीत नस		
बवासीर		
कार्य के दौरान अंग–विच्छेद/फैक्चर/हड्डी या जोड़ का उखड जाने बाली चोट का इतिहास (यदि हां, तो कृपया उल्लेख करें)		

त्वचाशोध (यदि हो, तो जगह का उल्लेख करें)		
श्रवण दोष		
दृष्टि दोष		
पिछले 1 वर्ष में अस्पताल में भर्त्ती होने वाले कोई बड़ी बीमारी (यदि हॉ तो, रोग का नाम)		
गत 1 वर्ष में व्यवसायजनित चोटः यदि हो तो, चोट का स्थान और उसकी बारंबारता को उल्लेख करें।		

?k- oÙkeku y{k.k&jkx ekM;y

i'u	mÿkj ¼gk@ugh½	fVIi.kh
धूम्रपान की आदत		
चबाने वाला तंबाकू या पान मसाला या गुटखा		
शराब की लत		
त्वचा रोग (इरिटेट कांटेक्ट डर्मेटाइटिस/एक्जिमा/क्लोरेन/एलर्जिक कांटेक्ट डर्मेटाइटिस)		
रासायिनक एजेट या जैविक एजेंट की प्रतिक्रिया के कारण आंखा/नाक/गला की जलन		
पानी के आरंभ होते ही श्वसन संबंधी कठिनाई/सीने में जकड़न/सूखी खांसी जैसे लक्षण		
वर्तमान में टीवी में पीड़ित		
पीलिया या हेपेटाइटिस		
वर्त्तमान में पीठ के निचले भाग में दर्द में पीड़ित से पीड़ित		
वर्त्तमान में हॉथ या कोहनी के दर्द से पीड़ित		
वर्त्तमान में दृष्टिदोष से पीड़ित		
वर्त्तमान में श्रवण दोष से पीड़ित		
कोई मौजूदा चोट (अंग–विच्छेद/फ्रैक्चर/हड्डी या जोड़ का उखड जाने वाली चोट)		
किसी भी मौजूदा मांशपेशी संबंधी मोच/खिचाव		

x- 'kkjhfjd tkp
tkp dh rkjh[k

i'u	mÿkj ¼gk@ugh½ ;k ;Fkk	fVIi.kh
किसी भी मौजूदा मांशपेशी संबंधी मोच/खिचाव	उपयुक्त	
सामान्य त्वचा की स्थितिः (यदि कोई त्वचाशोध है,, तो कृपया उसके स्थान का उल्लेख करें),		
भार (किलोग्राम में),		
कद (मीटर में)		
तापमान (एफ) रक्तचाप		
नब्ज		
एसपीओ2		
श्वसन दर		
महिला कर्मचारी की तन जांच		

p- vUo"k.k fjikV
fu;fer jDr tkp fjikV Nk;kifr lyXu dj
thoudky e ,d ckj jDr leg vkj vkj,p Vkbfix vkj ,pch byDVkQkjkfl l

ekunM	*mŸj ¼lkekU;@of)@deh½*	*eku*
हीमोग्लोबिन %		
कुल डब्ल्यूबीसी गणना और अंतर गणनाः		
प्लेटलेट गणना		
ईएसआर		
एफबीएस		
पीपीबीएस		
एचबीए1सी स्तर		
बीयूएन		
क्रिएटिनिन		
कुल प्रोटिन		
एल्बूमिन		
ग्लोबुलिन		
एसजीओटी		
एसजीपीटी		
बिलरूबिन		
युरिन आरई		
युरिन एमई		
प्रोस्टेट विशिष्ट एन्टिजन (पीएसए)		

N- ekud Nkrh dk ,Dl j ¼ih,½ fjikV dh QkVkdkih lyXu dj
fnukd

ekunM	*mŸkj ¼lkekU;@of)@deh½*	*Eku ¼;fn dkbZ egRo g½*
रिपोर्ट		

t- fLijkeVh fjikV dh QkVkdkih lyXu dj ¼[knku d deZpkjh d fy,½

मानदंड	उत्तर(सामान्य/वृद्धि/कमी)	मान
पीईएफआर		
एफईवी		
पाया गया		
पुर्वानुमान		
एफवीसी		
पाया गया		
पूर्वानुमान		
एफईवी/एफवीसी		
अंतिम रिपोर्टः सामान्य/प्रतिरोधी फेफड़े का रोग/प्रतिबंधित फेफड़े का रोग/मिश्रित फेफड़े का रोग		

>- J0;rkfefr ¼'k) Vku@cjk½ fjikVl dh QkVkdkih lyxu djs ¼[knku dehpkjh ds fy,½ fnukd

ekunM	eku@ifj.kke@foopu
बाहरी कान में वैक्स, संक्रमण आदि जैसे किसी भी व्यतिवम के लिए कान का दृश्य निरीक्षण	
दाए कान में सुनने की सीमाः	
बाए कान में सुनने की सीमाः	
बेरा पर आधारित वांछिनीय अंतिम रिपोर्ट	
दायां कानः	
बाया कानः	

´ u= tkp fjikVl dh QkVkdkih lyXu djs fnukd

ekunM	eku@ifj.kke@foopu
कार्नियन अपारदर्शिता/स्कारिंग आदि जैसे किसी भी व्यतिवम के लिए नेत्र का दृश्य निरीक्षण	
दृश्यतीक्षणताः दायें	
दृश्यतीक्षणताः बायां	
वर्ण दर्शन	
दृष्टि का दायरा	
बाइनोकुलरिटी लैटरन कोरिया	
वर्टिकल फोरिया	
एस्टीरिओएस्कोपिक विजन और डेप्श पर्सेप्शन टेस्टिंग	
फुनड्स (रेटिना) जांच	

V- 12 yhM blhth vkj bdkdkfM;kxkQh vfre fjikVl

ठ. 3. ऊंचाई पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए चिकित्सा फिटनेस जांच (जैसा प्रयोज्य हो)

1.1. विस्तृत मेडिकल इतिहास और इन–डेप्श जेनरल मेडिकल परीक्षा जिसमें विजन, हियरिंग, मस्कुलोस्पेलेटल सिस्टम,, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवस्कुलर सिस्टम आदि के परीक्षण शामिल है। सभी कर्मचारियों को यथा अनुप्रयोज्य

2.2 विशेष जांच

क) कार्डियोवास्कुलर अनियंत्रित उच्च रक्तचाप या इस्कोमिक ह्दय रोग में अंतर्विरोध होगा। उच्च रक्तचाप और असामान्य ईसीजी निष्कर्षो की उपस्थिति में कर्मचारी को फिटनेस के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को भेजा जाना चाहिए।

ख) लैब्रिंथिन कार्यो के लिए और स्थिति के बोध के लिए नत्र जाच द्विपक्षीय नेत्रगोलक,, रोमवर्ग संकेत के लिए जांच। द्विपक्षीय निस्टागमस की उपस्थिति और एक सकारात्मक रोमबर्ग संकेत एक पूर्ण विपरीत संकेत होगा।

ग) न्यूरोलोंजिकल जांच सीन्यूर विकारी का मूल्यांकन करें: मस्तिष्क का सीटी स्कैन और ई.ई.जी. यदि सूचित किया गया है।

घ) मधुमेह नियंत्रण स्थिति का आकलन
(मधुमेह से पीड़ित कर्मचारियों के मामले में)

ड़) फोबिया (एक्रॉफोबिया) और चिंता या अवसाद जैसे किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकार का आकलन

च) वटिंगों और चक्कर आने का मूल्यांकन

vkn;kfxd lqj{kk [kM ds iz;kx gsrq%

एक फुट उची क्षेतिज पट्टी बार पर स्वतंत्र रूप से चलनाः उतिर्ण/अनुतिर्ण

सुरक्षा बेल्ट पहनकर रम्मी के गांठ को बांधनाः उतिर्ण/अनुतिर्ण

बेल्ट पहनकर 99 फीट की ऊंचाई पर स्थित क्षैतिज संरचना पर चलना उतिर्ण/अनुतिर्ण

सामान्य शारीरिक गठन (ठीका/ठीक नहीं): उतिर्ण/अनुतिर्ण

M] fu;kDrk vkj ;kX; fpfdRld }kjk ikjLifjd :Ik ls lgefr ds :Ik esa fdlh vU; lupu@tkp@tSfod tkp

i i =&VI

¼fu;e&8½

n?kVuk ;k [krjukd ?kVuk dh ukfVl

ई.एस.आई.सी. नियोक्ता का कोड संख्या,
बीमित व्यक्ति का नामः

1. नियोक्ता का नाम

2. कार्य/परिसर का पता

   जहाँ दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी है

3. उद्योग की प्रकृति और प्रतिष्ठान का एलआईएन

4. शाखा या विभाग और सटीक स्थान जहां दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी है

5. घायल व्यक्ति का नाम और पताः

6. (क) लिंग

   (ख) आयु (पिछले जन्मदिन पर)

   (ग) घायल व्यक्ति का व्यवसाय

7. स्थानीय ई.एस.आई.सी. कार्यालय जिससे घायल व्यक्ति संलग्न है।

8. दुर्घटना या खत्तरनाक घटना की तिथि, पाली, और घंटाः

9. (क) किस घंटे घायल व्यक्ति ने दुर्घटना या खतरनाक घटना के दिन कार्य आरंभ किया थाः

   (ख) क्या दुर्घटनाया खतरनाक घटना के दिन के लिए उसे पूर्ण या भाग में मजदूरी देय है

10. (क) दुर्घटना या खतरनाक घटना का कारण या प्रकृतिः

    (ख) यदि मशीनरी के कारण–

    (i) मशीन का नाम और उसके भाग का नाम बताएं जिससे दुर्घटना या खतरनाक घटना घट रही हैः

    (ii) उल्लेख करें कि क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय यह यांत्रिक शक्ति द्वारा ले जाया गया था

    (ख) सटीक रूप में उल्लेख करें कि

    दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय घायल व्यक्ति क्या कर रहा थाः

    (घ) आपकी राय में, क्या घायल व्यक्ति दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय–

    (i) किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था, या

    (ii) अपने नियोक्ता की ओर से या द्वारा एि गए किसी भी आदेश के उल्लंघन कर रहा था, या

    (iii) अपने नियोक्ता के अनुदेश के बिना कार्य कर रहा था?

    इ) यदि (घ) (i) (ii) या (iii) का उत्तर सकारात्मक है, तो उल्लेख करे कि क्या यह कार्य नियोक्ता के ट्रैड या व्यापार के प्रयोजनार्थ और संबंध में था।

11. यदि यह दुर्घटना या खतरनाक घटना नियोक्ता के परिवहन में यात्रा करने के दौरान हुई थी, तो उल्लेख करें कि क्या

(क) घायल व्यक्ति अपने कार्यस्थल से आना जाना यात्री के रूप में कर रहा थाः

(ख) घायल व्यक्ति अपने नियोक्ता के व्यक्त या निहित अनुमति से यात्रा कर रहा थाः

(ग) नियोक्ता द्वारा या उनके पक्ष में किसी और व्यक्ति द्वारा वाहन का परिचालन किया जा रहा है जिसे नियोक्ता के साथ किए गए व्यवस्थाओं के अनुसरण में प्रदान किया जाता है और

(घ) वाहन सार्वजनिक परिवहन सेवा के सामान्य अवधि में परिचालन किया/नहीं किया जा रहा है।

12. यदि आपातकालीन के दौरान दुर्घटना या खतरनाक घटना घटती है, तो उल्लेख करें–

(क) इसकी प्रकृति; और

(ख) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय घायल व्यक्ति जहा दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी है उस परिसर में या आस–पास अपने नियोक्ता के ट्रेड या व्यापार के प्रयोजनार्थ नियोजित था।

13. संक्षेप में वर्णन करें कि कैसे दुर्घना वा खतरनाक घटना घटीः

14. साक्ष्यों का नाम और पता (1)

(2)

15. (क) चोट की प्रकृति और विस्तार (जैसे घातक, उंगली खोना, पैर का फैक्चर स्कॉल्ड स्क्रैच के बाद सेप्सिस आदि)

(ख) चोट की जगह (जैसे दाया पैर, बायां हॉथ, बायी आंख आदि)

16. (क) यदि दुर्घटना या खतरनाक घटना घातक नहीं थी तो उल्लेख करें कि क्या घायल व्यक्ति 48 घंटों से अधिक समय तक काम नहीं कर पा रहा था

(ख) कार्य से वापसी की तारीख और घंटे

17. (क) फिजिशियन, डिस्पेशरी या अस्पताल जहां से घायल व्यक्ति ने उपचार प्राप्त किया या प्राप्त कर रहा है

(ख) घायल व्यक्ति द्वारा चयनित दवाखाना/पैनल चिकित्सक का नाम

18. (क) क्या घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई?

(ख) यदि हॉ, मृत्यु की तारीख

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त विवरण हर लिहाज से सही है।

स्वामी/नियोक्ता/प्रबंधक/एजेंट का हस्ताक्षर
नाम तथा पदनाम

रिपोर्ट को प्रेषित करने की तिथि
स्थान

प्रपत्र– **VII**

(नियम–27)

कार्य अवधि का नोटिस

प्रतिष्ठान का नाम.....

स्थान.....जिला.....

कार्य समूह की अवधि रिले	पुरूष												महिला												समूह का विवरण कार्य की प्रकृति	टिप्पणी
	नियोजित पुरूषों की कुल संख्या												नियोजित महिलाओं की कुल संख्या													
	क			ख			ग			घ			ड.			च			छ			ज				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		

कार्य दिवसों पर

से..

तक..

से..

तक..

आंशिक कार्य दिवसो पर

से..

तक..

वह दिनांक जब यह सुचना पहले प्रदर्शित की गई है

दिनांक प्रबंधक या एजेंट का हस्ताक्षर

प्रपत्र– **VIII**

(नियम–28)

fdlh çfr"Bku esa fu;kftr dkexkjksa] etnwjh] le;kijh] HkÙkksa] tqekZuk] {kfr ;k uqdlku gsrq dVkSrh dk jftLVj etnwjh] le;kifj HkÙkksa] tqekZuk] {kfr ;k uqdlku gsrq dVkSrh dk jftLVj

çfr"Bku dk uke *fu;kstd dk uke%*

Lokeh dk uke *fu;kstd dk iin@Vw*

Jfed igpku la[;k ¼,y vkbZ,u½

deZpkjh iath esa Ø-la-	*deZpkjh dk uke*	*inuke@foHkkx*	*etnwjh ds Hkqxrku dh vof/k ¼ekfld@ikf{kd@lkIrkfgd@nSfud@ek=k vuqikrh nj½*	*etnwjh dh vof/k ls rd*	*vof/k ds nkSjku dk;Z fd, x, dqy fnolksa dh la0*	*dqy le;kifj HkkRrs ¼ihl dkexkjksa ds ekeys esa fd, x, dk;Z ?kVs ;k mRiknu½*	*etnwjh dh nj*		
							eqy oru	*egxkbZ HkkRrk*	*HkkRrs*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

le;kifj vk;	*dk;Z dh çkfr vkSj frfFk ds lkFk pkSd ftlds fy, tqekZuk yxk;k x;k gS*	*yxk, x, tqekZuk dh jkf'k*	*deZpkjh dh mi{kk ;k pkSd ls fu;Drk dks {kfr ;k uqdlku*	*etnwjh dh dVkSrh dh jkf'k*	*Hkqxrku dh xbZ etnwjh dh dqy jkf'k*	*Hkqxrku dh rkjh[k*	*gLrk{kj*	
							deZpkjh	*deZpkjh@çfrfuf/k*
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**

प्रपत्र– **IX**

(नियम–30)

वार्षिक विवरणी

एकीकृत वार्षिक विवरणी प्रपत्र.....को समाप्त वर्ष हेतु

0;kolkf;d lqj{kk] LokLF; vkj dk;l n'kk,a lfgrk] 2020] vk|kfxd lacU/k lfgrk] 2020] lkekftd lqj{kk lfgrk] 2020 vkj etnjh lfgrk] 2019 d vrxr v,u&ykbu Hkjs tkus gr ,dy lefdr fooj.kh
okf"kd fooj.kh Hkjs tkus gr vuqns'k (I) इस विवरणी को प्रत्येक वर्ष 28 या 29 फरवरी को या उससे पहले भरा और जमा किया जाना अपेक्षित है। (2) विवरणी के दो भाग है अर्थात भाग–1 सभी प्रतिष्ठानो द्वारा भरे जाने के लिए है। (3) भाग–II प्रतिष्ठानों द्वारा भरे जाने के लिए है, जो भाग–I के अतिरिक्त केवल खदान है। (4) प्रतिष्ठान और खदानों का व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य और दशाए संहिता, 2020 के अंतर्गत एक ही अर्थ होगा। (5) यह विवरणी ठेकेदार या श्रम–बल आपूर्तिकर्ता के मामले में भर जाएगा, जिसने 50 से अधिक कामगारों को नियोजित किया हो और खदान के मामले में भले ही संबंधित अवधि में एक कर्मचारी कार्यरत हो।

सभी प्रतिष्ठानों के लिए लागू– भाग–1			
क. सामान्य सूचनाः			
ØŒ lŒ			*dk"Bd Hkjs tkus d fy, vuqns'k*
1	श्रमिक पहचान संख्या		ईपीएफओ, ईएसआईसी, एमसीए, श्रम और रोजगार मंत्रालय (एलआईएन)
2	विवरणी की अवधि	से–तक	अवधि केलेंडर वर्ष होना चाहिए
3	प्रतिष्ठान का नाम		
4	ई–मेल आईडी		
5	दूरभाष संख्या		
6	मोबाईल संख्या		
7	परिसर का नाम		
8	उप–मोहल्ला		
9	जिला		
10	राज्य		
11	पिन–कोड		
12	भू–निर्देशांक		
[k¼d½	*fnol e dk;l ?kV*		

x- rukr Je cky dk fooj.k

fooj.k	*lh/k fu;kftr*				*Bdnkj d ek/;e l fu;kftr*				*egk;kx*
dk'ky J.kh	*vfrd'ky*	*d'ky*	*vn/k& d'ky*	*vd'ky*	*vfrd'ky*	*d'ky*	*vn/k& d'ky*	*vd'ky*	
(i)वर्ष के दौरान किसी भी दिन प्रतिष्ठारन में नियोजित कर्मचारीयों की अधिकतम संख्या	पुरूष	महिला	उभय लिंगी	कुल	पुरूष	महिला	उभय लिंगी	कुल	

fooj.k	lh/k fu;kftr				Bdnkj d ek/;e l fu;kftr				egk;kx
dk'ky J.kh	vfrd'ky	d'ky	vn/k& d'ky	vd'ky	vfrd'ky	d'ky	vn/k& d'ky	vd'ky	
(ii) वर्ष के दौरान प्रतिष्ठानन में कार्यरत कर्मचारीयों की औसत संख्या	पुरूष	महिला	उभय लिंगी	कुल	पुरूष	महिला	उभय लिंगी	कुल	
(iii) उपरोक्त (ii) में से प्रवासी कामगार	पुरूष	महिला	उभय लिंगी	कुल	पुरूष	महिला	उभय लिंगी	कुल	
(iv) कार्यरत निश्चित अवधि के कर्मचारी की संख्या	पुरूष	महिला	उभय लिंगी	कुल	पुरूष	महिला	उभय लिंगी	कुल	

?k- ifr"Bku e dk;jr Bdnkjk dk fooj.k

क्र०सं०	एलआईएन सहित ठेकेदारा का नाम	कार्यरत ठेका श्रमिक की संख्या

M- inku fd, x, fofHkUu LokLF; vkj dY;k.k lfo/kkvk dk fooj.k

क्र०सं०	प्रदान किए गए विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृति	वैधानिक (विधान निर्दिष्ट करें)	भरने हेतु अनुदेश
1	क्या कैन्टीन की सुविधा दी गई है(ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24 (फ) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं पर निशान लगाएं	उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां ठेका श्रम सहित सौ या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया गया था
2	शिशु गृह (सामाजिक सुरक्षा संहिता , 2020 की धारा 67 और ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24 के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं पर निशान लगाए	उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां पचास या अधिक कामगार कार्यरत है
3	एंबुलेंस कक्ष (ओएसएच संहिता , 2020 की धारा 24(2)(i) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं पर निशान लगाएं	खदान, भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य जिसमें पांच सौ से अधिक कामगारों को सामान्यौ रूप से नियोजित किया जाता है
4	सुरक्षा समिति (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 22(1) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं पर निशान लगाएं	500 कामगारों या अधिक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठांनों और कारखानों, खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों और बीओसीडब्लयू जिसमें 250 या अधिक कामगार कार्यरत है और 100 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाली खदानों के लिए लागू है।
5	सुरक्षा समिति (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 22(2) के अनुसार)		खदान के मामले में 100 या अधिक कामगारों और बीओसीडब्यू00 के मामले में 250 या अधिक कामगारों के मामले मे सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है।
6	योग्यता प्राप्त चिकित्सक (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 12(2) के अनुसार)		प्रतिष्ठान में नियोजित न्यूनतम चिकित्सक की संख्या के लिए कोई विनिर्देश नहीं है। हांलांकि , व्यावसायिक स्वास्थ्य पर डेटा होने के लिए इस विवरण की आवश्यकता होती है।

p- vk|kfxd lc/k					
1	क्या कार्यसमिति कार्य कर रही है। (आईआर संहिता, 2020 की धारा 3)		हां/नहीं	औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें 100 या अधिक कामगार कार्यरत है	
(क)	गठन की तारिख				
2	D;k f'kdk;r fuokj.k lfefr dk xBu fd;k x;k g¼ vkbvkj lfgrk] 2020 dh /kkjk 4½		gk@ugh	20 ;k vf/kd dkexkjk dk jktxkj nu oky vk|kfxd çfr"Bknu e dkexkj fu;kftr g	
3	ifr"Bkuk e ;fu;uk dh l[;k				
4	D;k dkb le>krk l?k ekt n g ¼vkbvkj lfgrk 2020 dh /kkjk 14½		gk@ugh		
5	D;k fdlh Hkh okrk ifj"kn dk xBu fd;k x;k g¼ vkbvkj lfgrk 2020 dh /kkjk 14½		gk@ugh		
6	o"k d nkjku [kkfjt fd, x,] inP;r fd, x,] NVuh fd, x, ;k ftudh lok lekIr dj nh xb Fkh] mu dkexkjk dh l[;k				
बर्खास्त किए गए	पदच्युत किए गए	छंटनी किए गए	सेवा समाप्त या हटाए गए	कुल योग	
7-	fuEufyf[kr d dkj.k o"k d nkjku 0;Fk x, Jefnu				
क्र०सं०	कारण	अवधि/दिनांक	व्यर्थ गए श्रम दिनों की संख्या	धन संबंधी हानि	
(क)	हड़ताल				
(ख)	तालाबंदी				
8	NVuh@dkecnh d fooj.k				
क्र०सं०	अवधि के दौरान छटनी किए गए व्यक्तियों की संख्या	छंटनी किए गए कर्मचारीयों को भुगतान किए गए का विवरण	अवधि के दौरान कामबदी से प्रभावित होने वाले कामगारों की संख्या	कामबंदी के कारण व्यार्थ गए श्रमयदिन की संख्या	

N- ilfr ilfo/kk l lcf/kr fooj.k				
महिलाओं कर्मचारियों की संख्या	मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने वाले महिला कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचाररियों की संख्या जिन्हें चिकित्सा बोनस दिया गया	महिला कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह की मजदूरी में कटौती की गई संख्या	

t- ckul d Hkxrku dk fooj.k			
क्र०सं०	बोनस प्रावधान के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	वास्तविक रूप से भुगतान की गई कुल	बोनस भुगतान की तिथि

>- n?kVuvk] [krjukd ?kVukvk vkj vf/kl puh; jkxk dk fooj.k				
क्र०सं०	दुर्घटनाओं की कुल संख्या जिसके द्वारा घायल व्यक्ति को ओएसएच संहिता 2020 की धारा 10 के अनुसार 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका जाता है।	ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार घातक दुर्घटनाओं की कुल संख्यान और मृतक के नाम।	ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 11 के अंतर्गत यथा परिभाषित खतरनाक घटनाओं कुल संख्या।	प्रभावित व्यक्तियों के विवरण के साथ ओएसएच संहिता 2020 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ठअ अधिसूचना रोगों के मामलो की कुल संख्या

<- n?kVukvk@[krjukd ?kVukvk d dkj.k 0;Fk x, Je fnu vkj mRiknu			
क्र०सं०	दुर्घटनाओं/खतरनाक घटना	व्यर्थ गए श्रमदिन	खोया हुआ उत्पादन

प्रपत्र– **X**

(नियम–31)

दुर्घटनाओं और जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर

?kk;y 0;fDr dk uke ¼;fn dkbZ gks rks½	n?kVuk ;k tkf[kedkjh ?kVuk dh rkfj[k	fujh{kd lg lfo/kkinkrk dk fjikV dh xbZ rkjh[k	n?kVuk ;k tkf[kedkjh ?kVuk dh izd`fr	?kk;y 0;fDr dh dke ls okilh	?kk;y 0;fDr d dk;Z ij vuqifLFkr gkuk d fnuk dh lw[;k
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र– **XI**

(नियम–32)

वेतन सहित अवकाश रजिस्टर

भाग I–व्यस्क

भाग II–किशोर

प्रतिष्ठान — कामगार का नाम

विभाग — पिता का नाम

क्र० सं०	कामगार के रजिस्टर में क्रम संख्या	सेवा में आने की तारीख	व्यवधान					से प्रभावी छुट्टीयां	क्या अगले 12 महिनों के दौरान छुटी इच्छित नहीं है	जिस तारीख से कामगार को छुटटी की स्वीकृति दी गई है।	अवकाश जिसके लिए भुगतान किया गया	डिस्चार्ज किया गया कामगार		टिप्पणिया
			बीमारी और दुर्घटनाएं	अधिकृत छुटी	तालाबंदी या वैध हडताल	अनैच्छिक	बेरोजगारी					डिस्चार्ज की तारीख	बकाया छुटी के बदले भुगतान की गई राशि और तारीख	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोटः– प्रत्येक कामगार को अलग पृष्ठ आवंटित कराया जाएगा।

iii=&**XII**

(नियम– 35)

सुधार नोटिस और निषेध आदेश

भाग–1

निषेध आदेश

निरीक्षक –सह– सुविधा प्रदात्ता प्रतिष्ठान में लिफ्टिंग उपकरण लूज गियर्स और अन्य जैसे नोटिस गियर, और अन्य जैसे नोटिस

गियर, उपकरण, सीढी और मंचन। निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदात्ता का नोटिस दखलकार, मालिक, स्वामी, अधिकारी, प्रभारी, उपकरणों के मालिक, ढीले गियर और उठाने वाले उपकरण या व्यक्ति, जो अपने आप से, अपने एजेंटों, या अपने नियोक्ताओं द्वारा मचान के मालिक को नोटिस मामला हो सकता है

स्थापना का नाम, उठाने के उपकरण, उठाने का उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान जहॉ स्थित झूठ/ उपयोग/स्थान

प्रतिष्ठान का नाम	प्रतिष्ठान का पता	प्रतिष्ठान का निबंधन संख्या	1. प्रतिष्ठान का LIN संख्या

उपर्युक्त नामित स्थापना, उठाने वाले उपकरण, ढीले उपकरण, ढीले गियर, उठाने वाले उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान का निरीक्षण दिनांक.....को किया गया था।

स्थापना से जुड़ी गतिविधियॉ जो आपके द्वारा की जा रही है/आपके द्वारा/आपके नियंत्रण में होने के कारण जीवन के लिए जोखिम या खतरा है। कर्मचारी की सुरक्षा और स्वास्थ्य और निम्नलिखित उल्लंधन शमिल हैः

उल्लंधन

अतएव, मै इसके द्वारा निर्देशित करता हूँ कि उक्त गतिविधियॉ को आपके द्वारा या आपके नियंत्रण में नही किया जाएगा जब तक कि उल्लेखित उल्लंधनों और मामलो का निरीक्षण निरीक्षक –सह– सुविधा प्रदात्ता की संतुष्टि के लिए किया गया हो। यह आदेश बिना किसी पूर्वाग्रह या किसी कानूनी कार्रवाई के लिए जारी किया जा रहा है। जो इन उल्लंधनों के लिए किया जा सकता है। आपसे यह सुनने पर की आवश्यकताओं की स्थापना, उठाने का उपकरण, ढीले उपकरण, ढीले गियर, उठाने वाले उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान के साथ अनुपालन किया गया है, मचान को फिर से निरीक्षण पूरा होने की दृष्टि से देखा जायेगा

संख्या.....

दिनांक.....

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति कोड 2020 के तहत निरीक्षक –सह– सुविधा प्रदात्ता

वांछित

उपरोक्त सभी या किसी उल्लंधन के अनुपालन पर निरीक्षक –सह– सुविधा प्रदात्ता को निर्धारित तिथि स्थान पर निर्धारित तरीके से सुचित किया जायेगा, जिस पर प्रतिष्ठान उठाने का उपकरण, ढीले उपकरण, ढीले गियर, उठाने वाले उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान के साथ अनुपालन किया गया है, मचान को फिर से निरीक्षण किया जा सकता है।

महाशय,

आपके द्वारा अधिसुचित उल्लंधन को प्रभवी ढंग से सुधार कर लिया गया है। प्रतिष्ठान उठाने का उपकरण, ढीले उपकरण, ढीले गियर, उठाने वाले उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान तिथि पर निरीक्षण के लिए तैयार रहेगे।

निरीक्षण की तिथि	स्थान
दिनांक	नियोक्ता, दखलकार, मालिक प्रबंधक या अपने नियोक्तायों द्वारा स्थापित किया जाता है

सेवा में,

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति कोड 2020 के तहत निरीक्षक –सह– सुविधा प्रदात्ता

भाग–II

सुधार सुचना

निरीक्षक –सह– सुविधा प्रदात्ता प्रतिष्ठान में लिफ्टिंग उपकरण लूज गियर्स और अन्य जैसे नोटिस गियर, और अन्य जैसे नोटिस

गियर, उपकरण, सीढी और मंचन। निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदात्ता का नोटिस दखलकार, मालिक, स्वामी, अधिकारी, प्रभारी, उपकरणों के मालिक, ढीले गियर और उठाने वाले उपकरण या व्यक्ति, जो अपने आप से, अपने एजेंटों, या अपने नियोक्ताओं द्वारा मचान के मालिक को नोटिस मामला हो सकता है

स्थापना का नाम, उठाने के उपकरण, उठाने का उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान जहॉ स्थित झूठ/ उपयोग/स्थान

प्रतिष्ठान का नाम	प्रतिष्ठान का पता	पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री	कार्यालय संख्या (यदि हो तो)

उपर्युक्त नामित स्थापना, उठाने वाले उपकरण, ढीले उपकरण, ढीले गियर, उठाने वाले उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान का निरीक्षण दिनांक.....को किया गया था।

निम्नलिखित उल्लंधन पाया गया, आपके द्वारा उल्लंधनों को दूर कर अनुपालन प्रतिवेदन ..... दिनों के अन्दर भेजना आवश्यक है

यह नोटिस किी भी कानूनी कार्रवाई के लिए बिना जारी किया जा रहा है जिन पर इन उल्लंधनों के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

आपसे यह सुनने पर की आवश्यकताओं की स्थापना, उठाने का उपकरण, ढीले उपकरण, ढीले गियर, उठाने वाले उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान के साथ अनुपालन किया गया है, मचान को फिर से निरीक्षण पूरा होने की दृष्टि से देखा जायेगा

उल्लंधन

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति कोड 2020 के तहत निरीक्षक –सह– सुविधा प्रदात्ता

सभी या किसी भी आवश्यकताओं के अनुपालन पर, निरीक्षक –सह– सुविधा प्रदात्ता को दिनांक और स्थान के निर्धारित तरीके से सूचित किया जाना चाहिए, जिस पर स्थापना, उठाने का उपकरण, ढीले उपकरण, ढीले गियर, उठाने वाले उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान फिर से निरीक्षण किया।

आपके द्वारा नोट की गई आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया गया है। स्थापना, उठाने का उपकरण, ढीले उपकरण, ढीले गियर, उठाने वाले उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान, मचान नीचे की दिनांक और स्थान पर निरीक्षण के लिए तैयार होगें।

निरीक्षण स्थान की तिथि

20..... नियोक्ता, व्यवसायी, मालिक, मास्टर, प्रबंधक, अधिकारी–प्रभारी या एजेंट, मशीनरी और गियर के मालिक या व्यक्ति, जो स्वयं, अपने एजेंटो या आपने नियोक्ताओं द्वारा प्रतिष्ठान पर ले गए।

सेवा में,

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति कोड 2020 के तहत निरीक्षक –सह– सुविधा प्रदात्ता

प्रपत्र– **XIII**

(नियम–44 एवं 45)

लायसेंस के लिए आवेदन

लायसेंस/लायसेंस नवीनीकरण/लायसेंस संशोधन (कॉमन/सिंगल लायसेंस सहित) के लिए ऑनलाइन आवेदन

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

प्रतिष्ठान की रूपरेखाः

श्रम पहचान संख्याा दिनांक

पावती सं.....आवेदन की तिथि.....

I. प्रतिष्ठान का विवरण जिसके लिए लाइसेंस अपेक्षित है

1. प्रतिष्ठान का नाम

2. प्रतिष्ठान का पता

(क) ईमेल आईडी सहित मुख्य कार्यालय का नाम–

(ख) ईमेल आईडी सहित निगमित कार्यालय का नाम–

3. दूरभाष संख्या

4. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आाधार पर कार्यकलापः (दी गई सभी लागू कार्यकलापों को चुनें)

5. विशिष्ठ एनआईसी संहिता का ब्यौरा

6. मुख्य प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति

7 प्रतिष्ठा न के पहचानकर्ता का (चुने) ई– हस्तावक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

II नियोक्ताा का ब्यौरा

1. नियोक्ता का पूरा नाम.....प्रतिष्ठान के साथ संबंध

2. नियोक्ता का पूरा पता

3. नियोक्ता की ईमेल आईडी

4.नियोक्ताक का मोबाइल नंबर

III नियोजित होने वाले/नियोजित ठेका श्रमिकों का विवरण (कार्यवार यदि लाइसेंस अपेक्षित है)

dk;{k=k dk LFkku	dk;l dk uke	jk"Vh; vk|kfxd oxhdj.k d vk/kkj ij dk;dyki	dk;l vkjHk dh frfFk	ijk gkun dh frfFk	çfr"Bku dk uke ftle Bdk Jfed fu;kftr g gkun d fy, çLrkfor g	lkbV çHkkjh dk uke] irk bey vkbMh
1	2	3	4	5	6	7

5. किसी दिन प्रतिष्ठान में नियोजित होने के लिए प्रस्तावित कामगारों की अधिकतम संख्या 24

6. लाइसेंस शुल्क की राशि आईएनआर (लेनदेन आईडी)

7. सुरक्षा जमा राशि : आईएनआर (लेनदेन आईडी)

IV çfr"Bkuk dk C;kjk ftud fy, d,eu ykbl l vif{kr g ¼;fn vkonu dj jg g½

प्रतिष्ठान का प्रकार	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति (ii) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप	कार्य आरंभ होने की तिथि	स्थाई प्रतिष्ठान या कार्य पूर्ण होने की संभावित तारिख	नियोजित /नियोजित करने के लिए प्रस्तावित कर्मचारीयों की अधिकतम संख्या	पंजीकरण संख्या यदि प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका ब्यौरा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

ठेकेदार के हस्ताक्षर
(ई–हस्ताक्षर/डीएससी)

टिप्पणीः यह श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन का सारांश है।

yk;l l d uohdj.k d fy, vkonu

1. लाइसेंस संख्या दिनांक
2. एलआईएन और पैन
2. प्रतिष्ठान का नाम और पता
3 पूर्व लाइसेंस की समाप्ति की तिथि
4. क्या नियोंक्तात/ठेकेदार का लाइसेंस स्थगित किया गया था
5. जमा किए गए शुल्क का ब्यौरा (ई भुगतान प्राप्ति संलग्न करें) राशि .....भुगतान की तारिख

नियोक्ता/ठेकेदार का ई हस्तातक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक

लाइसेस के संशोधन के लिए आवेदन

1. लाइसेंस संख्या दिनांक
2. एल आई एन और पेन
3. प्रतिष्ठान का नाम और पता
4. देवराज जिसके लिए संशोधन मांगा गया है

(क) वर्तमान में नियोजित कामगारों के अधिकतम संख्याा (नियोजित होने वाले कामगारों की अधिक संख्या में बढोतरी है तो विधि के अनुसार अतिरिक्त शुल्क सुरक्षा जगा भरने की आवश्यकता होगी)

(ख) ई भुगतान के माध्यकम से किए गए भुगतान शुल्क की तारीख का ब्यौरा

जारी किए गए लाइसेंस में अपेक्षित संशोधन का विवरण (अपेक्षित संशोधन के प्रमाण में आवश्यक दस्तावेज अपलोड किया जाए)

दिनांक नियोक्ता ठेकेदार का ई–हस्ता.क्षर/डिजिटल हस्ता.क्षर

i i =&XIV
¼fu ; e&46½
yk ; l l çi =

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 और इसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन उल्लिखित सीमाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग के लिए लाइसेंस संख्या ——————————————————————————————पंजीकरण संख्या——————————————————————————————पंजीकरण की तारीख ——————————————————————— को एतद्वारा लायसेंस दिया जाता है जिसे——————————————————————————————परिसर के रूप में जाना जाता है जो ——————————————————————————————में स्थित है।

——————20————

Øe l[;k	tkjh dju dh vof/k	d fy, o/k	'kYd	Hkqxrku dh rkjh[k	foyc l Hkqxrku d fy, vfrfjDr 'kYd	Hkqxrku dh rkjh[k	tkjh dju oky çkf/kdkjh d gLrk{kj

l 'kk/ku

संशोधित किए जाने का वर्ष	किसी एक दिन में ठेका श्रमिक / कामगारों की अधिकतम संख्या	संशोधन शुल्क के भुगतान की तारीख	भुगतान की तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

i i =&XV
¼fu ; e&55½
Bdk dk vuHko iek.k&i =

ftl l Hkh lcf/kr gk
(a) Bdk@fu ;kDrk dk uke
2. ठेका / नियोक्ता की एलआईएन / पेन की संख्या 3. ठेका / नियोक्ता की ई–मेल आईडी 4. ठेका / नियोक्ता की मोबाइल संख्या 5. कार्य की प्रकृति और स्थान 6. मुख्य नियोक्ता का नाम 7. मुख्य नियोक्ता की एलआईएल / पेन की संख्या 8. मुख्य नियोक्ता की ई–मेल आईडी

9 मुख्य नियोक्ता की मोबाइल संख्या

10 कामगार का नाम

11 यूएएन / आधार संख्या

12 मोबाइल संख्या

13 कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या

14 बोर्ड की पंजीकरण संख्या, दिनांक और नाम यदि भवन और अन्य संनिर्माण कामगार लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है

15 रोजगार की अवधि

16 पद

ठेकेदार की मुहर सहित हस्ताक्षर

जो भी लागू नहीं हो वो काट दें।

i:i=&XVI
¼fu;e&60½
fuekZrk vkSj J0;&n"; dkexkj d e/; le>kSrk

प्रथम भाग में मैसर्स के मध्य.....कार्यालय में इस दिन .....माह .....वर्ष (निर्माता के रूप में इसके बाद संदर्भित किया जाता है) समझौता किया जाता है और दूसरें भाग में श्री.....के पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(बाद में 'श्रव्य–दृश्य कामगार' के रूप में संदर्भित) निवास.....मे रहते है। 'निर्माता' और 'श्रव्य–दृश्य. कामगार' शब्द उनके उत्तराधिकारी, प्रशासन और कानूनी प्रतिनिधि में शामिल होगे।

अब, इसलिए यह समझौता इस प्रकार है

1. यह दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि इस समझौते की अवधि श्रव्य–दृश्य कार्य के पूरा होने तक की तारीख से होगी और यह अवधि अनुगामी महीनों से अधिक नहीं होगी।

2. यह श्रव्य–दृश्य कामगार स्टूडियों, स्थान या कार्य स्थल मे, निर्माता द्वारा लिखित सूचना या लिखित रूप में उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा जैसा मामला हो, उसकी पिछली कार्य की आवश्यकता के अधीन और उसकी सहमति पर, उसके संबंधित कार्य पर यथासमय जब उसकी आवश्यकता होगी उपस्थित होने के लिए सहमत होता है।

3. यह श्रव्य–दृश्य सेवाओं के विसंगति के रूप में, पूर्वोक्तर रूप में, निर्माता भुगतान करने के लिए सहमत है इस समझौते पर हस्ताक्षर करने और श्रव्य–दृश्य कामगार.....रूपये (रूपये.....) की राशि प्राप्तं करने के लिए सहमत है और समान किश्तों. में.....रूपये का अग्रिम शेष .....देय है।

4. यह कि श्रव्य–दृश्य उत्पादन यदि निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं होने पर और निर्माता को अभी भी श्रव्य–दृश्य कामगार की सेवाओं की जरूरत है ताकि श्रव्य–दृश्य उत्पादन को पूरा किया जा सके और निर्माता भुगतान करने के लिए सहमत है तथा श्रव्य–दृश्य कामगार प्रो–राहा के आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, जो उत्पादन के पूरा होने तक, उपर दिए गए खंड 3 की तरह से देय होगा।

5. यदि कि उपर्युक्त खंड 1 और 4 में निर्धारित अवधि की तुलना में श्रव्य–दृश्य कामगार का कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाता है तो निर्माता श्रव्य दृश्य कामगार का पूर्ण भुगतान करेगा तथा री–रिकॉर्डिंग कार्य / सेंसर के शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो शेष राशि का पूरा भुगतान करेगा।

6. यदि आवश्यक हो तो श्रम–दृश्य कामगार

(क) जैसा मामला हो प्रारंभिक कार्य के लिए पूर्व की पाली में निर्धारित समय से पहले स्टूडियो, स्थान या कार्य–स्थान में आना और उस स्थिति में, उसे निर्माता द्वारा ऐसी प्रारंभिक उपस्थिति के लिए प्रति घंटे या उसके भाग..... रू. की दर से अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

(ख) यदि वह एक घंटे के विराम के साथ, कार्यदिवस से परे काम करना जारी रखता है और उस स्थिति में, निर्माता को सुविधाओं के अतिरिक्ष घंटो के दौरान काम के लिए उसे .....रूपये की दर रो मजदूरी का भुगतान और जलपान, और परिवहन सुविधा प्रदान किया जाएगा।

8. यह कि निर्माता और श्रव्य–दृश्य कामगार के प्रतिनिधि संगठनों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रथागत या निर्धारित के अनुसार निर्माता डयूटी पर रिपोर्ट करने के लिए परिवहन और भोजन या यात्रा भत्ते का भुगतान और डयूटी पर भोजन भत्ते उपलब्ध करेगा।

9. यह कि निर्माता सभी यात्रा और आवास खर्चो, किरायों, भोजन की लागत और ऐसे अन्य प्रथागत भत्ते का भुगतान करेगा जब श्रव्य–दृश्य कामगारों को बाहरी स्थल पर काम करना आवश्यक होती है।

10. इस समझौते के तहत, निर्माता को श्रव्य–दृश्य कामगार उसके रोजगार/कार्य की अवधि के दौरान हुई दुर्घटना के द्वारा हुई मृत्यु सहित उस व्यक्ति की कोई भी चोट या क्षति के लिए का बीमा कराना होगा।

11. जहां आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से निर्माता को श्रव्य–दृश्य के उत्पादन बढने से रोका जाता हैः –

(क) उत्पादन निलंबित होने की स्थिति में उत्पादन के निलंबन की अवधि के दौरान वह इस समझौते के संचालन को निलंबित करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार पर इस तरह के निलंबन के बारे में सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के नोटिस की सेवा की तारीख तक अपने ऊपर संभव देय का भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर से शुरू करने पर, यह समझौता पुनर्जीवित हो जाएगा और निलंबन अवधि को छोड़कर खंड । में निर्धारित अवधि के लिए मान्य रहेगा या

(ख) वह पूरी तरह से उत्पादन बंद होने की स्थिति में, उत्पादन की समाप्ति से इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य दृश्य कामगार पर इस तरह की समाप्ति की सूचना देने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और समाप्ति के समय श्रव्य–दृश्य कामगार के सभी राशि का भुगतान करेगा।

12. यदि निर्माता इस समझौते के तहत आवश्यक सेवाओं को करने के लिए श्रव्य–दृश्य कामगार के कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी अनिच्छा के संबंध में अन्य कारणों से अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस समझौते को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता केवल अनुबंध की निर्धारित राशि के शेष राशि के भुगतान पर ऐसा करने का हकदार होगा।

श्रव्य–दृश्य कामगार को ऐसे भुगतान के बाद ही, निर्माता को उसके स्थान पर किसी अन्य श्रव्य–दृश्य कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए अधिकार दिया जाएगा।

13. यह कि निर्माता के पास यह अधिकार होगा कि वह अपने कर्तव्यों के पालन या समझौते के तहत आवश्यक सेवा करने के लिए उसकी अनिच्छा के संबंध में श्रव्य–दृश्य कामगार की ओर में कदाचार के आधार पर इस समझौते को समाप्त कर दे, समाप्ति के समय राशि के श्रव्य–दृश्य कामगार को भुगतान, श्रव्य–दृश्य कामगार के ऑडियो–विजुअल में कुल काम और समझौते के समापन की तारीख तक पूरा होने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए गणना की गई। इस खंड के तहत समाप्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार के खिलाफ निर्माता के आरोपों को एक मंच से पहले प्रदान नहीं किया जाता है जिसमें उत्पादक संगठन के प्रतिनिधि और श्रव्य–दृश्य कामगार का संगठन समान है जिसमें निर्माता और श्रव्य–दृश्य शामिल हैं क्रमशः श्रव्य–दृश्य कामगार हो सकता है। मंच का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। जब फोरम ने इस तरह की समाप्ति के पक्ष में निर्णय दिया हो और श्रव्य दृश्य कामगार को उसके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद ही निर्माता इस समझौते के लिए नौकरी के लिए एक अन्य श्रव्य–दृश्य कामगार को संलग्न कर सकता है।

14. इस समझौते की समय पूर्व समाप्ति के मामले में, यह निर्माता का विकल्प होगा कि वह श्रव्य–दृश्य कामगार के काम को श्रव्य–दृश्य में बनाए रखे या नहीं, साथ ही यह विकल्प होगा श्रव्य–दृश्य कामगार फिल्म के क्रेडिट खिताब पर जाने के लिए अपने नाम की अनुमति देता है या नहीं।

15. यह कि निर्माता के पास स्क्रीन पर श्रव्य–दृश्य कामगार के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय करने का अधिकार होगा, उसके कपडे, मेकअप और हेयर स्टाइल और श्रव्य–दृश्य कामगार पूरी तरह से और स्वेच्छा से पालन करेंगे इस संबंध में निर्माता की दिशा, बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की आवश्यकताओं को श्रव्य,–दृश्य कामगार को सुचित किया गया हो और उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो।

16. यह कि श्रव्य–दृश्य कामगार इस बात से सहमत है कि वह अपनी सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ रूप से अपनी क्षमता इस तरह प्रस्तुत करेगा/करेगी जैसे कि निर्माता था जैसा कि श्रव्य–दृश्य के निदेशक निर्देश देता हैं और सभी उचित निर्देशों का पालन करें जो वह फिल्म के निर्माण के लिए कर सकते हैं।

17. यह कि निर्माता को सभी यात्रा और आवास खर्च, किराए, भोजन की लागत और ऐसे अन्य भत्तों जो प्रथागत होते हैं के लिए भी भुगतान करना होगा, जब श्रव्य–दृश्य कामगार को स्थान पर काम करना आवश्यक होता है।

18. इस समझौते के तहत निर्माता को श्रव्य– दृश्य कामगार उसके रोजगार उसके कार्य की अवधि के दौरान हुई दुर्घटना के द्वारा हुई मृत्यु सहित उस व्यक्ति की कोई भी चोट या क्षति के लिए का बीमा कराना होगा।

19. जहाँ निर्माता को आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से श्रव्य –दृश्य के प्रोडक्शन को आगे बढने रोक सकता है।

(क) उत्पाद निलंबित होने की स्थिति में, उत्पादन के निलंबन की अवधि के दौरान, उसे इस समझौते के संचालन को निलंबित करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य–दृश्य् कामगार पर इस तरह के निलंबन के बारे में सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के नोटिस की सेवा की तारिख तक अपने सभी भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर मे शुरू करने पर, यह समझौता पुनर्जीवित हो जाएगा और निलंबन अवधि को छोडकर खंड। में निर्धारित अवधि के लिए मान्य रहेगा या

(ख) वह पूरी तरह मे उत्पादन बंद होने की स्थिति में, उत्पादन की समाप्ति से इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार पर इस तरह की समाप्ति की सूचना देने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और समाप्ति के समय श्रव्य–दृश्य कामगार के सभी राशि, का भुगतान करेगा।

20. यदि निर्माता इस समझौते के तहत आवश्यक सेवाओं को करने के लिए श्रव्य–दृश्य कामगार के कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी अनिच्छा के संबंध में अन्य कारणों से अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस समझौते को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता केवल अनुबंध की निर्धारित राशि के शेष राशि के भुगतान ऐसा करने की हकदार होगा। श्रव्य –दृश्य कामगार को ऐसे भुगतान के बाद ही, निर्माता को न उसके स्थान पर किसी अन्य श्रव्य–दृश्य कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए अधिकार दिया जाएगा।

21. निर्माता के पास यह अधिकार होगा कि वह अपने कर्तव्यों के पालन या समझौते के तहत आवश्यक सेवा करने के लिए उसकी अनिच्छा के संबंध में श्रव्य–दृश्य कामगार की ओर से कदाचार के आधार पर इस समझौते को समाप्त कर दे, समाप्ति के समय राशि के श्रव्य–दृश्य कामगार भगतान, श्रव्य–दृश्य कामगार के ऑडियो–विजुअल में कुल काम और इस समझौते के समाप्ति की तारीख तक पूरा होने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए गणना की गई। इस खंड के तहत समाप्ति में रखते तक नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार के खिलाफ निर्माता के आरोपों को एक मंच से पहले प्रदान नहीं किया जाता है जिसमें उत्पादक संगठन के प्रतिनिधि और श्रव्य–दृश्य कामगार का संगठन समान है जिसमें निर्माता और श्रव्य–दृश्य शामिल हैं क्रमशः श्रव्य–दृश्य कामगार हो सकता है। मंच का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। जब फोरम ने इस तरह की समाप्ति के पक्ष में निर्णय दिया हो और श्रव्य–दृश्य कामगार को उसके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद ही निर्माता इस समझौते के लिए नौकरी के लिए एक अन्य श्रव्य दृश्य कामगार को संलग्न कर सकता है।

22. इस समझौते की समय पूर्व समाप्ति के मामले में, यह निर्माता का विकल्प होगा कि वह श्रव्य–दृश्य कामगार के काम को श्रव्य–दृश्य में बनाए रखे या नहीं, साथ ही यह विकल्प होगा श्रव्य–दृश्य कामगार फिल्म के क्रेडिट खिताब पर जाने के लिए अपने नाम की अनुमति देता है या नहीं।

23. यह कि निर्माता के पास स्क्रीन पर श्रव्य–दृश्य कामगार के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय करने का अधिकार होगा, उसके कपडे, मेकअप और हेयर स्टाइल और श्रव्य–दृश्य कामगार पूरी तरह से और स्वेच्छा से पालन करेंगे इस संबंध में निर्माता की दिशा, बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की आवश्यकताओं को श्रव्य दृश्य कामगार को सूचित किया गया हो और उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो।

24. यह कि श्रव्य–दृश्य कामगार इस बात से सहमत है कि वह अपनी सेवाओं को सर्वश्रेष्ट रूप से अपनी क्षमता इस तरह प्रस्तुत करेगा/करेगी जैसे कि निर्माता या जैसा कि श्रव्य–दृश्य के निदेशक निर्देश देता हैं और सभी उचित निर्देशों का पालन करें जो बह फिल्म के निर्माण के लिए कर सकते हैं।

25. यह कि श्रव्य–दृश्य कामगार स्टूडियो, स्थान या कार्य स्थल के सभी नियमों का जैसा भी मामला हो पालन करेगा।

26. यह कि निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार के लिखित रूप में सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को इस समझौते के लाभ को असाइन या ट्रांसफर नहीं करेगा।

27. यह कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान इस समझौते पर लागू होंगे।

28. यह कि निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार की पूर्व अनुमति के बिना, इस समझौते के तहत श्रव्य–दृश्य कामगार के अलावा किसी भी फिल्म में श्रव्य–दृश्य कामगार के काम का उपयोग नहीं करेगा।

दोनों पक्षों ने एक–दूसरे की उपस्थिति में और गवाहों की उपस्थिति में उपरोक्त तिथि, माह और वर्ष पर इस समझौते को स्वीकार किया है।

1- lk{kh *fuekZrk*
uke vkj irk
2- lk{kh *J0;&–'; dkexkj*
uke vkj irk

*iii=&***XVII**

(नियम– 63)

बीड़ी एवं सिगार स्थापना के लाईसेंस के अनुमोदन या नवीनीकरण के लिए आवेदन

1. कोड की धारा 3 के अनुसार प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या.....
2. औधोगिक परिसर का पूरा नाम –
3. (क) औधोगिक परिसर का पत्राचार का पता और स्थिति
   (ख) पूर्ण पता जिसे औधोगिक परिसर से संबंधित संचार भेजा जाना चाहिए
   (ग) आवेदक का पूरा पता
4. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी एक दिन में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या
5. नियोक्ता का पूरा नाम और आवासीय पता –
6. यदि नियोक्ता एक साझेदारी, कंपनी आदि है, तो अन्य भागीदारी या निदेशकों का पूरा नाम और आवासीय पता, आदि
7. नियोक्ता के वित्तीय संसाधन (जैसे चल और अचल सम्पतियॉ का विवरण, मूल्य, बैंक संदर्भ, आयकर आकलन आदि)
8. क्या नियोक्ता व्यापार और व्यापारिक माल अधिनियमय, 1958 के तहत पंजीकृत ट्रेड मार्क धारक है
9. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान औधोगिक परिसर में बीड़ी या सिगार या दोनो का मूल्य
10. उधोग में आवेदक का पिछला अनुभव
11. क्या औधोगिक परिसर की प्रस्तावित स्थल किसी भी मौजूदा औधोगिक परिसर की स्थल में परिवर्तन की मात्रा है और यदि हॉ, तो इस परिवर्तन के कारण
12. क्या आवेदक द्वारा बारह महीने की अवधि के दौरान किसी भी औधोगिक परिसर को बंद कर दिया गया था, तुरन्त आवेदन की तारीख से पहले, और यदि हॉ, तो इसके क्या कारण है
13. तम्बाकू प्राप्त करने का स्त्रोत
14. चाहे आवेदक द्वारा निर्मित बीड़ी या सिगार या दोनो स्वयं या एक प्रोपराईटर के माध्यम से बेचे और विपणन किये जाएंगे या ट्रेड एण्ड मर्चेडाइज मार्क्स अधिनियम, 1958 या किसी अन्य व्यक्ति के तहत पंजीकृत ट्रेड मार्क के पंजीकृत उपयोगकर्त्ता
15. क्या परिसर की योजनाएं संलग्न है

मै इस बात की धोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रपत्र में दिया गया ब्यौरा मेरे ज्ञान और विश्वास के सर्वोतम है।

vkond dk gLrk{kj

ukV %& 1- जहॉ एक औधोगिक परिसर किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति या कम्पनी आदि की ओर से या उसके द्वारा एक ठेकेदार द्वारा चलाया जाता है या प्रस्तावित है, उक्त अन्य व्यक्ति या व्यक्ति या कम्पनी, आदि अधिनियम के तहत है। नियोक्ता और फार्म में नियोक्ता के लिए दर्ज किए जाने वाले विवरण ऐसे व्यक्ति, व्यक्ति या कम्पनी आदि के संबंध में होने चाहिए।

लाईसेंस के लिए आवेदन हालांकि ठेकेदार या नियोक्ता द्वारा किया जा सकता है।

(2) यदि क्रम 5 के विरूद्व कोई भी व्यक्ति नाबालिग नही होगा।

*iii=&***XVIII**

नियम 63 (3)

लाइसेंस

लाइसेंस संख्या पंजीकरण संख्या

लाइसेंस यहॉ से..... के रूप में दिया गया है जो केवल उस परिसर के लिए मान्य है जिसका उपयोग औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया है .....से अधिक नहीं। ..... वर्ष के दौरान किसी एक दिन कर्मचारी ..... अनुबंध में निर्दिष्ट शर्तो के अधीन

लाइसेंस मार्च के 31 वें दिन तक लागू रहेगा।

1. औद्योगिक परिसर का नाम।
2. औद्योगिक परिसर की स्थिति।
3. बिजली चालित मशीनरी की स्थापना के लिए भी अनुमति दी गई है।
4. सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

uohuhdj.k

नियम 63 (5)

नवीनीकरण की तिथि	नवीनीकरण के लिए भुगतान की गई शुल्क की राशि	वैधता समाप्ति की तिथि
1. 2. 3. 4.		

तिथि सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक

लाईसेंस निम्नलिखित शर्तो के साथ निर्गत किया जाता हैः

(1) विनिर्माण प्रक्रिया केवल लाइसेंस के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट औद्योगिक परिसर के उस हिस्से पर ही की जाएगी।

(२) औद्योगिक परिसर में कार्यरत कर्मचारियों की अधिकतम संख्या किसी भी दिन लाइसेंस में निर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी।

(3) लाइसेंस में निर्दिष्ट बिजली चालित मशीनरी के अलावा अन्य मशीनो का उपयोग परिसर में विनिर्माण प्रक्रिया में नहीं किया जाएगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी के लिखित अनुमति के अलावा, औद्योगिक परिसर को विस्तारित नहीं किया जाएगा और इस तरह की अनुमति के अलावा ऐसे परिसर में किसी भी इमारत में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(5) लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं होगा

i i =&XIX

¼fu ; e&65½

¼vk|kfxd ifj l j d ckgj dk;l dju d fy , vuefr gr vkonu½

1. प्रतिष्ठान का पंजीकरण संख्या –
2. लाईसेंस संख्या –
3. औद्योगिक परिसर का पूरा नाम एवं पता –
4. नियोजक/ठेकेदार का नाम एवं पता –
5. प्रतिष्ठान में पिछले 12 महीने में नियोजित अधिकतम श्रमिकों की संख्या –
6. अधिकतम श्रमिक की संख्या जिसके लिए औद्योगिक परिसर के बाहर कार्य करने की अनुमति प्राप्त करना चाहती है –

i i =&XX

¼fu ; e&65½

ckg ; dke dk fg l kc

vkn ;kfxd ifj l j d ckgj dk;l dju gr 'kk l dh; vkn 'k Øekd& fnukd&-

---

fnukd&	LFkku tgk ckg ; dk;l dh vuefr g	dk;l dh idfr	Jfedk dk uke	fjekdl
1	2	3	4	5

*i\i =&***XXI**

¼fu;e&66½

xg deh dk ykx cd

1. बिड़ी कम्पनी का नाम एवं पता –
2. कम्पनी के स्थानीय नियोजक/प्रबंधक का नाम एवं पता –
3. ठेकेदार/कमीशन एजेंट का नाम एवं पता –
4. केन्द्रिय उत्पादन लाईसेंस संख्या (L-2) –
5. बिड़ी श्रमिक का नाम एवं पता –
6. गृह का पता जहॉ बिड़ी का विनिर्माण प्रक्रिया संचालित है –

?kj ij dke dk fglkc ,o mld fy, etnjh dk Hkqxrku

fnukd eghuk ,o o"k	*ikIr rEckd ,o iÙkk dk otu*		*mRikfnr fcMh dh l[;k*	*vLohdr fcMh dh l[;k*	*mRikfnr fcMh d fy, n; etnjh*	*vLohdr fcMh d fy, n; etnjh*	*vfxe ;k dVkrh dk lek;ktu ;fn dkbZ gk*	*'k) etnjh Hkqxrku dh jkf'k*	*Jfed d gLrkfkj ;k vxB dk fu'kku*	*fu;kDrk@ deh'ku ,tV dk gLrkfkj*	*vfHk;fDr*
	rEckd	*iÙkk*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*

i i =&XXII

¼fu ; e&67(2)(ii)½

¼dkj [kkus d : i e fd l h Hkou dk fuek.k dju ml dk foLrkj dju mi ;kx dju gr vuqKk d fy , vkosnu½

1- n[ky dkj dk fooj.k
(क) नाम –
(ख) पता (कार्यालय) –
(ग) पता (आवासीय) –
(घ) मोबाईल नं0 –
(ड़) ई–मेल पता –

2- dkj [kkuk dk fooj.k
(क) पूरा नाम –
(ख) पिन कोड के साथ पता –
(ग) जिला –
(घ) अनुमंडल –
(ड़) प्रखंड –
(च) शहर/गॉव
(छ) निकटतम रेलवे स्टेशन –
(ज) निकटतम पोलिस स्टेशन –
(झ) फोन नम्बर –

3. स्थापित होने वाले प्रस्तावित प्लान्ट एवं उत्पादन प्रक्रिया का ब्यौरा –
4. क्या कारखाना में परिसंकटग्रस्त प्रक्रिया या खतरनाक प्रक्रिया सम्मिलित है – हॉ या नहीं
5. अधिकतम श्रमिकों की संख्या (प्रस्तावित नियोजन) – पुरूष महिला तीसरा लिंग
6. ब्यौरा
(क) कच्चा सामग्री –
(ख) मध्यवर्ती उत्पाद/पूर्वसर्ग उत्पाद –
(ग) अंतिम उत्पाद –

7. उत्पादन प्रक्रिया में यदि रासायनिक का उपयोग हो तो

d-l0	lh-,-,l- l[;k	jklk;fud dk uke	fd l h Hkh le; vf/kdre HkMkj.k
1	2	3	4

नोट :–
(क) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोहर का उपयोग किसी अभिलेख पर नहीं होगा।
(ख) प्रपत्र के साथ जमा होनेवाले दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ दखलकार द्वारा स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए।

LFkku %&
fnukd %& n[ky dkj dk uke ,o gLrk{kj ekgj d lkFk

tkp lph

ukV %& vkosnu d lkFk fuEufyf[kr nLrkost lyXu gkuk pkfg,
1. उत्पादन प्रक्रिया के फ्लोचार्ट के साथ उत्पादन प्रक्रिया की संक्षिप्त विवरणी।
2. भूखण्ड स्वामित्व संबंधित दस्तावेज।
3. दखलकार का फोटो आई डी एवं पता का प्रमाण।
4. कारखाने के दखलकार संबंधी घोषणा।
5. मुख्य निरीक्षक द्वारा मांगे गये अन्य ब्यौरा।

i i =&XXIII

[fu ; e&67(4), 67(5)]

¼ykbl l Lohdfr gr vkonu½

1- i thdj.k C;kjk

(क) श्रम पहचान संख्या –

(ख) पंजीकरण संख्या –

2- lkekU; tkudkjh

(क) कारखाना का नाम –

(ख) कारखाना लाईसेंस स0 (यदि पूर्व में निर्गत हो) –

3- irk ,o l id dh tkudkjh

(क) कारखाना का पत्राचार का पूरा पता –

(जिला, अनुमंडल, प्रखंड, गॉव/शहर, थाना, पोस्ट, पिन कोड, मो0 नं0, ई–मेल सहित)

(ख) कारखाना का पूरा पता –

(जिला, अनुमंडल, प्रखंड, गॉव/शहर, थाना, पोस्ट, पिन कोड, मो0 नं0, ई–मेल सहित)

(यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो)

4- mRiknu ifd;k dh fooj.kh

(क) क्या कारखाना में परिसंकटीय प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है –

(ख) क्या कारखाना में खतरनाक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है –

(ग) उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि –

(घ) कारखाना में अगले बारह महीनों में किये जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया –

(ड़) उत्पादित वस्तुओं का ब्यौरा –

5- fu;kftr Jfed

Jfedk dk C;kjk	पुरूष	efgyk	vU; Vkl tUMj @ fd'kkj	dy
1	2	3	4	5
(क) वर्ष में नियोजित होने वाले अधिकतम कामगारों की प्रस्तावित संख्या				
(ख) पिछले 12 महिनों में किसी एक दिन नियोजित होने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या				
(ग) कारखाना में सामन्यतः नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या				

6- LFkkfir शkfDr

(क) स्थापित अधिकतम शक्ति (एच.पी स्वीकृत लोड एवं प्रथम विद्युत विपत्र की प्रति संलग्न) –

(ख) उपयोग होने वाले अधिकतम शक्ति (एच.पी) –

(ग) स्थापित जेनरेटर की निर्धारित क्षमता (किलोवाट) –

(घ) उपयोग होने वाले जेनरेटर की निर्धारित क्षमता (किलोवाट) –

(ड़) स्थापित ट्रांसफॉर्मर की निर्धारित क्षमता (किलोवाट) –

(च) उपयोग होने वाले ट्रांसफॉर्मर की निर्धारित क्षमता (किलोवाट) –

(छ) ट्रांसमिशन स्टेशन की कुल क्षमता (किलोवाट) –

7- dkj[kkuk iz/kd dk C;kjk

कोड के अनुपालन हेतु कारखाना प्रबंधक (यदि नियुक्त हो तो) का नाम एवं पता –

नाम –

आवासीय पता –

मोबाईल नं0 एवं ई–मेल –

8- n[ky dkj dk C;kjk

¼d½ n[ky dkj dk uke ,o irk ¼futh प्रतिष्ठाu d fy,½ &

नाम –

आवासीय पता –

मोबाईल नं0 एवं ई–मेल –

¼[k½- n[ky dkj dk uke ,o irk

साझेदारों की सूची का पूर्ण ब्यौरा के साथ संलग्न करें (साझेदारी प्रतिष्ठान के लिए) –

नाम –

आवासीय पता –

मोबाईल नं0 एवं ई–मेल –

¼x½- futh@lkoZtfud fy0 dEiuh d fy, funs'kd dk uke ,o irk

निदेशक की सूची का पूर्ण ब्यौरा के साथ संलग्न करें –

नाम –

आवासीय पता –

मोबाईल नं0 एवं ई–मेल –

¼?k½- tgkt ?kkV d ekfyd dk ijk uke ,o irk

नाम –

आवासीय पता –

मोबाईल नं0 एवं ई–मेल –

9- iz/k vfHkdrk dk ijk uke ,o irk ;fn Hkkjr ljdkj@jkT; ljdkj@LFkkuh; ikf/kdkj }kjk fu;Dr gk

नाम –

आवासीय पता –

मोबाईल नं0 एवं ई–मेल –

10- Hkfe ,o Hkou

¼d½ ifjlj ,o Hkou ¼ikx.k lfgr½ d ekfyd dk ijk uke ,o irk &

नाम –

पता –

मोबाईल नं0 एवं ई–मेल –

¼[k½ ijkuk ;k u;k Hkou d dkj[kkuk d fy, fuek.k ;k foLrkj l lcf/kr jkT; ljdkj@e[; dkj[kkuk fujh{kd }kjk ekufp= vuqeknu dk i=kd ,o fnukd

पत्रांक –

दिनांक –

11- vif'k"V dk निष्कासन

(क) अपशिष्ट के निष्कासन की व्यवस्था के अनुमोदन का पत्रांक एवं दिनांक–

(ख) अनुमोदित करने वाले प्राधिकार का नाम–

12- 'kYd C;kjk

(क) कुल भुगतान किये गये शुल्क की राशि –

ukV %&

(क) उपरोक्त सूचना में यदि कोई बदलाव हो तो, विभाग को सूचित करें।

(ख) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोहर का उपयोग किसी अभिलेख पर नहीं होगा।

LFkku %&

fnukd %&

i|c/kd dk uke ,o gLrk{kj

n[ky dkj dk uke ,o gLrk{kj

प्रपत्र संख्या–XXIV
(नियम-67(5)(iv)

dkj[kkuk ykbl l

लाइसेंस संख्या- _____

निबंधन संख्या- _____

LIN संख्या - _____

कारखाने का नाम – _____

कारखाने का पता- _____

दखलकार का नाम- _____

प्रबंधक का नाम- _____

कुल श्रमिकों की संख्या-_____

अश्व शक्ति विवरणी – मोटर क्षमता- _____ HP

जेनरेटर क्षमता- _____ KW

ट्रांसफॉर्मर क्षमता - _____ KW

संचारण क्षमता - _____ KW

लाइसेंसिंग प्राधिकारी का हस्ताक्षर _____

लाईसेंसिंग प्राधिकारी का नाम _____

लाईसेंसिंग प्राधिकारी का पदनाम _____

लाईसेंस की वैधता की तिथि .....

*ii=&***XXV**

(नियम– 67(7)(i))

कारखाना के लाईसेंस का संशोधन

1. LIN (यदि कोई हो)
2. पंजीकरण संख्या
3. लाईसेंस संख्या
4. दखलकार का नाम

जेनरेटर का पूर्व मे अधिष्ठापित क्षमता (किलोवाट में)

ट्रॉसफारमर का पूर्व मे अधिष्ठापित क्षमता (किलोवाट में)

ट्रांसमिटिग स्टेशन का पूर्व मे अधिष्ठापित क्षमता (किलोवाट में)

निवर्तमान प्रबंधक का नाम और आवसीय पता

वर्त्तमान में कारखाने का नाम

वर्त्तमान में कारखाने में श्रमिकों की संख्या

वर्त्तमान में मोटर/इंजन की अधिष्ठापित क्षमता (एच0पी0 में)

वर्त्तमान में जेनरेटर की अधिष्ठापित क्षमता (किलोवाट में)

वर्त्तमान में ट्रॉसफारमर की अधिष्ठापित क्षमता (किलोवाट में)

वर्त्तमान में ट्रांसमिटिग स्टेशन की अधिष्ठापित क्षमता (किलोवाट में)

वर्त्तमान में प्रबंधक का नाम

वर्त्तमान प्रबंधक का आवासीय पता

(क) क्या कारखाने में परिसंकटीय उत्पादन प्रक्रिया संचालित है

(ख) क्या कारखाने में खतरनाक प्रक्रिया संचालित है

(ग) अगले बारह महीनें के दौरान विनिर्माण प्रक्रिया शुरू की जानी है

दखलकार का हस्ताक्षर

i i =&XXVI

[fu;e 67 ¼8½ (i)]

¼ykbl l LFkkukUrj.k gr vkonu½

1. लाईसेंस संख्या –
2. रजिस्ट्रेशन संख्या –
3. एल आई एन –
4. कारखाना का नाम एवं पता –
5. प्रबंधक का नाम –
6. कामगारों की कुल संख्या –
7. अश्व शक्ति ब्यौरा – मोटर क्षमता ..... अश्व शक्ति
8. जेनरेशन क्षमता – ..... किलोवाट
9. ट्रांसफॉर्मर क्षमता – ..... किलोवाट
10. ट्रांसमीटींग क्षमता – ..... किलोवाट
11. निवर्तमान दखलकार का नाम –
12. वर्तमान दखलकार का नाम एवं पता –
13. कारखाना दखलकार के स्थानान्तरण का कारण –

प्रबंधक का हस्ताक्षर

वर्तमान दखलकार का हस्ताक्षर

i i =&XXVII

[fu;e 71(iii) vkj 72 (i)]

¼LFky vkdyu d fy, vkonu dk ik: i½

Øe l Œ	fofgr i i= gr fcUnokj lpuk	vfHk;fDr
1	vkond dk uke vkj irk	
2	lkbV LokfeRo MVk	
2.1	साइट का राजस्व विवरण जैसे सर्वेक्षण संख्या प्लॉट नं	
2.2	क्या साइट को वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यदि हां, तो क्या भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी ली गई है।	
2.3	क्या प्रस्तावित साइट E-P-Act] 1986 की धारा 3 (2) (अ) के प्रावधानों को आकर्षित करती है, यदि हां, तो प्रतिबंधों की प्रकृति	
2.4	स्थानीय प्राधिकरण जिसके अधिकार क्षेत्र में साइट स्थित है।	
3	lkbV ;kstuk	
3.1	सीमाओं की स्पष्ट पहचान के साथ साइट प्लान और प्रस्तावित साइट के पास और निम्नलिखित विवरणों को दर्शाने के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल। (a) आसपास के क्षेत्र में ऐतिहासिक स्मारक, यदि कोई हो। (b) पड़ोसी विनिर्माण इकाइयों और मानव आवासों, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों, पेट्रोल प्रतिष्ठानों, एलपीजी के भंडारण और आसपास के क्षेत्र में अन्य खतरनाक पदार्थों के नाम और प्रस्तावित इकाई से उनकी दूरी। (c) आसपास के क्षेत्र में जल स्रोत (नदी, नाले, नहरें, बांध, जल निस्पंदन संयंत्र, आदि) (d) निकटतम अस्पताल, फायर स्टेशन, नागरिक सुरक्षा स्टेशन और पुलिस स्टेशन और उनकी दूरियां। (e) उच्च तनाव विद्युत संचरण लाइनें, पानी के लिए पाइपलाइन, तेल गैस या सीवरेज रेलवे लाइन, सड़कें, स्टेशन घाट और अन्य समान प्रतिष्ठान।	

3.2	मिट्टी की स्थिति और गहराई का विवरण जिस पर कड़ी प्रगति प्राप्त हुई।	
3.3	पास की पहाड़ियों और स्तरों में अंतर दिखाने वाले क्षेत्र का कंटूर मानचित्र	
3.4	प्लॉट योजना में प्रवेश और निकास बिंदु, सड़कों के भीतर, पानी की नालियां आदि को दिखाया गया है।	
4-	*çkstDV fjikVZ*	
4.1	परियोजनाओं की मुख्य विशेषताओं का सारांश।	
4.2	संगठन की स्थिति (सरकार, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक या निजी आदि)	
4.3	कारखाने में अधिकतम संख्या में व्यक्तियों के काम करने की संभावना है।	
4.4	बिजली और पानी की अधिकतम आवश्यकताएं और उनकी आपूर्ति का स्रोत।	
4.5	इमारतों और प्रतिष्ठानों के ब्लॉक आरेख।	
4.6	आवास कॉलोनी, अस्पताल, स्कूल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विवरण प्रस्तावित।	
5	*çLrkfor fuek.k bdkbZ @ dkj[kkus dh lxBu ljpuk*	
5.1	संगठन का चित्र – सामान्य रूप से प्रस्तावित उद्यम – स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण विभाग और संचालन और तकनीकी विभागों से उनका जुड़ाव।	
5.2	प्रस्तावित स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति।	
5.3	कचरे और अपशिष्ट के उपचार के लिए आवंटित क्षेत्र।	
5.4	सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण उपायों पर प्रतिशत परिव्यय।	
6	*lkbV ls lacf/kr ekSle lacU/kh MsVk*	
6.1	पिछले दस वर्षों के दौरान औसत, न्यूनतम और अधिकतम तापमान – आर्द्रता – पवन वेग	
6.2	हवा की दिशा के मौसमी बदलाव	
6.3	अब तक दर्ज किए गए क्षेत्र में बाढ़ के दौरान उच्चतम जल स्तर तक पहुंच गया।	
6.4	क्षेत्र का बिजली और भूकंपीय डेटा।	
7	*lapkj fyad*	
7.1	बाहर संचार के लिए टेलीफोन/टेलीकॉम/वायरलेस और अन्य संचार सुविधाओं की उपलब्धता।	
7.2	आंतरिक संचार सुविधाएं प्रस्तावित	
8	*fofuek.k çfØ;k dh tkudkjh*	
8.1	प्रक्रिया प्रवाह आरेख	
8.2	प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी पर संक्षिप्त लेखन	
8.3	क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर जैसे प्रेशर बिल्डअप टेंपरेचर में वृद्धि और भाग–दौड़ की प्रतिक्रियाएँ	
8.4	सुरक्षा प्रभाव होने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण अन्य बाहरी प्रभाव, जैसे कि नमी या पानी का प्रवेश, असंगत पदार्थों के संपर्क, अचानक बिजली की विफलता।	
8.5	निर्मित सुरक्षा/प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों या माप/ निर्माण प्रौद्योगिकी में शामिल की मुख्य विशेषताएं।	
9	*[krjukd inkFkksZ dh tkudkjh*	
9.1	कच्चे माल, मध्यवर्ती, उत्पादों और उत्पादों और उनकी मात्रा (प्रत्येक खतरनाक पदार्थ के संबंध में संलग्न सामग्री सुरक्षा डाटा शीट)	
9.2	कच्चे के लिए मुख्य और मध्यवर्ती भंडार प्रस्तावित सामग्री/मध्यवर्ती/उत्पाद/उप–उत्पाद (किसी भी समय संग्रहीत अधिकतम मात्रा)।	
9.3	सामग्री के प्रवाह और बहिर्वाह के लिए उपयोग की जाने वाली परिवहन विधियाँ, उनकी मात्रा और संभावित मार्गों का पालन किया जाना	
9.4	सुरक्षा उपायों के लिए प्रस्तावितः – सामग्री की हैंडलिंग – आंतरिक और बाहरी परिवहन और – निपटान (तैयार उत्पादों की पैकिंग और अग्रेषण)	
10	*vif'k"V vkSj çn"kZdksa ds çlkj @ fuiVku ij tkudkjh*	
10.1	प्रमुख प्रदूषक (गैस, तरल, ठोस) उनकी विशेषताओं और मात्रा (औसत और चरम भार पर)	
10.2	ठोस अपशिष्टों की गुणवत्ता और मात्रा, उनके उपचार और निपटान की विधि	
10.3	वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण की समस्या का पूर्वानुमान और उसी को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित उपाय, जिसमें अपशिष्टों के उपचार और निपटान शामिल हैं।	
11	*çfØ;k [krjksa dh tkudkjh*	
11.1	पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पर रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें	
11.2	जोखिम मूल्यांकन अध्ययन पर रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें।	
11.3	प्रकाशित (खुली या वर्गीकृत) रिपोर्ट, यदि कोई हो, दुर्घटना की स्थिति / व्यावसायिक स्वास्थ्य	

	संबंधी खतरों या इसी तरह के पौधों पर (देश के भीतर या बाहर)	
12	çLrkfor lj{kk vkj 0;kolkf;d LokLF; mik;k dh tkudkjh	
12.1	अग्निशमन सुविधाओं का विवरण और आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए न्यूनतम मात्रा में पानी, सीओ 2 और या अन्य अग्निशमन उपायों की आवश्यकता	
12.2	इन–हाउस चिकित्सा सुविधाओं का विवरण प्रस्तावित	
13	vkikrdkyhu rS;kjh ij tkudkjh	
13.1	ऑनसाइट आपातकालीन योजना	
13.2	पड़ोसी कारखानों के समूह के साथ पारस्परिक सहायता योजना के लिए प्रस्तावित व्यवस्था, यदि कोई हो	
14	dkbZ vU; çklfxd tkudkjh	

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के लिए सही है और इसे प्रस्तुत करते समय किसी भी महत्व को छुपाया नहीं गया है।

vkond dk uke vkj gLrk{kjA

*i i =&*XXVIII

fu;e&79 ¼1½ ¼C½

LokLF; i th

ifjl dfV; ,o [krjukd idfr d dkj[kkuk e fu;kftr LokLF; ith 0;fDr d lc/k eA fpfdRlk inkf/kdkjh dk uke

dkj[kku dk uke----------
ithdj.k l[;k----------
LIN *l[;k*----------
dkj[kkuk ykbl l l[;k----------
n[ky dkj dk uke----------

(a) श्री.....
.....से.....
(b) श्री.....
.....से.....
(c) श्री.....
.....से.....

क्रम संख्या	कार्य संख्या.	श्रमिक का नाम	लिंग	आयु	वर्तमान नियोजन की तिथि	कार्य छोड़ने अथवा स्थानांतरण की तिथि	कार्य छोड़ने अथवा स्थानांतरण का कारण	नौकरी या व्यवसाय की प्रकृति	कच्चे माल या उत्पादो द्वारा नियंत्रण	चिकित्सा द्वारा चिकित्सा परीक्षा की तारीख अधिकारी/योग्य चिकित्सा चिकित्सीय परीक्षा का परीणाम	यदि कार्य से निलंबित किया गया है तो निलंबन की अवधि एवं विस्तृत कारण का उल्लेख करें। .	कार्य स्थल पर वापस लौटने की पुनः प्रमाणित होने की तिथि (चिकित्सीय पदाधिकारी का हस्ताक्षर)	क्या अस्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र अथवा कार्य से निलंबन के लिए किसी श्रमिक को प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया हो।	चिकित्सीय पदाधिकारी /योग्य चिकित्सक का हस्ताक्षर एवं तिथि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**

i`i =&XXIX

¼fu;e&79(2)½

¼;kX;rk iek.k i= & [krjukd ifd;kvk@ifjlidVh; ifd;k½

1. अनुक्रमांक –
2. परीक्षण किये गये व्यक्ति का नाम –
3. पिता का नाम –
4. लिंग –
5. पता –
6. कारखाने का नाम, जहॉ नियोजित है/नियोजित होना चाहते हैं
7. कार्य का विभाग, जहॉ नियोजित है/नियोजित होना चाहते हैं
8. प्रमाण पत्र स्वीकृत है अथवा नहीं
9. क्या अयोग्य घोषित एवं प्रमाण पत्र अस्वीकृत किया गया
10. पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र का संदर्भ संख्या जिसे निर्गत अथवा अस्वीकृत किया गया है।

परीक्षण किये गये व्यक्ति के
बायें हाथ के अंगूठे का निशान चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने स्वयं श्री ..... पिता का नाम ..... पता..... का परीक्षण किया जो कि ..... पद पर..... कार्य के नियोजन हेतू इच्छुक है और जहां तक परीक्षण से संभव है, उपरोक्त व्यक्ति कारखाने में नियोजन हेतु योग्य/अयोग्य है।

2. उपरोक्त व्यक्ति नियोजन हेतु योग्य है एवं अन्य गैर परिसंकटीय प्रक्रिया में नियोजित की जा सकती है। जैसे कि –
3. उपरोक्त व्यक्ति को पुनः जॉच हेतु उपस्थापित किए जाने की अवधि.....
4. उपरोक्त व्यक्ति को निम्नलिखित अग्रेतर जॉच हेतु सलाह दी जाती है।
5. उपरोक्त व्यक्ति को निम्नलिखित उपचार की सलाह दी जाती है।
6. पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र की अनुक्रमांक .....

परीक्षण किये गये व्यक्ति के
बायें हाथ के अंगूठे का निशान चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नोट :– 1. प्रतिपर्ण चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बद्ध पुस्तक में संधारण किया जाना चाहिए।
2. जो पैरा लागू नहीं हो उसे काट दें।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजेन्द्र कुमार मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

8 नवम्बर 2021

सं० 1/OSHC-01/2021–3228/श्र०सं० का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजेन्द्र कुमार मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

LABOUR RESOURCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 8th November 2021

No. 1/OSHC-01/2021–3228/**L.R.—**The following draft rules, which the State Government proposed to make in exercise of powers conferred by Sections 133 and 135 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) read with section 24 of General Clauses Act, 1897(10 of 1897) and in supersession of the-

1. The Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Services) Rules, 2005;
2. The Bihar Factories Rules, 1950;
3. The Contract Labour (Regulation and Abolition) State Rules, 1972;
4. The Bihar Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) State Rules, 1980.
5. The Bihar Motor Transport Workers Rule, 1962
6. The Bihar Beedi and Cigar Workers (Condition of Employment) Rule, 1968

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified as required by subsection (1) of said Section 133 and sub-section (1) of sub section 135, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public; Objections and Suggestions, if any, may be addressed to Joint Labour Commissioner, Bihar or by email (lcbihar@bihar.gov.in).

The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the persons and organizations and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub rule proposed to be submitted and the reasons therefore; Objections and suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft notification before expiry of a period of 45 days, specified above, will be considered by the State Government.

DRAFT RULES
CHAPTER – I
PRELIMINARY

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(1) These rules may be called Occupational Safety, Health and Working Conditions (Bihar) Rules, 2021.

(2) They extend to whole of the State of Bihar.

(3) They shall come into force from the date that The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 comes into effect.

2. ***Definition.—***

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Code' means "The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020"

(b) 'Form' means a form annexed to these rules;

(c) 'Section' means the Section of the Code.

(d) 'Registering Officer' means the registering officer appointed by the State Government for purpose of these rules.

(e) "Electronically" means any information or communication submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;

(2) The words and expressions used in these rules and are not defined therein, but are defined in the Code, shall have respectively same meaning assigned to them in the Code.

(3) **Income from the sources under Explanation to clause (x) of sub-section (1) of section 2-** If any dependent for the time being having income more than Rs.9000/- per month, such dependents shall not be included as dependents for the purpose of Sub-clause (ii) and (iii) of clause (x) of sub-section (1) of section 2 .

(4) **Substance or quantity of substance under clause (zb) of sub-section (1) of section 2-** For the purpose of clause (zb) of sub-section (1) of section 2, the hazardous substance and its quantity is specified in **Schedule- I**.

Chapter-II
Registration

3. ***Manner of submitting application under sub-section (2) of section 3 and the form of such application and the particulars to be contained therein and the fees to be accompanied therewith and late fee under the proviso to sub-section (1) of section 3 ;-***

(1) (i) The employer seeking registration for an establishment not already registered shall apply electronically in **Form-I** on the Online Portal by giving details about the establishment, and uploading documents related to Registration of the establishment, proof of Identity and address of the employer(s) as specified in the Form along with the fee prescribed in the Sub-rule (10) of Rule 3. The Form shall be signed digitally or in any other manner as may be required on the portal. The applicant shall be responsible for veracity of all information submitted in the application.

(ii) The Permanent Account Number (PAN) of the applicant or the establishment allotted under Income Tax Act, 1961 or any other unique

number allotted to the establishment under any other Act for the time being in force or any other particular furnished in the form, may be verified online.

(iii) The certificate of registration shall be issued in **Form-II** electronically immediately if the application is complete in all respect but not later than Seven days from the date of submission of complete application, failing which such establishment shall be deemed to have been registered and the certificate of registration shall be auto generated. **The Registration Officer shall facilitate registration and shall not reject the application merely on superficial matters.**

Provided that in exceptional circumstances the State Government may, for such period, by notification, dispense with requirement of electronic registration, in respect of establishment or class of establishment, for part or whole of Bihar, and submission of application in the form so provided, may be allowed.

(iv) The certificate of registration shall be non-transferable and a copy of the certificate of registration shall be displayed in the premises of the establishment at **a** conspicuous place in hard copy or electronically.

(2) The registering officer under the Code may direct the employer who fails to comply with the requirements of sub-rule (1), to do so within the time stated therein and such employer shall, thereupon comply with the instruction issued by the officer in this behalf.

(3) The employer in respect of an establishment already registered under any other Central labour law for the time being in force shall, update the registration particulars on the Online Portal, within six months from the date on which the Code comes into force.

(4) Any registration obtained by providing wrong information shall be liable to be cancelled provided that establishment has been given an opportunity to show cause, electronically or by registered post, as to why the certificate of registration should not be cancelled.

(5) The employer shall quote the Registration Number on all documents prepared or completed by him in connection with the Code or the Rules or the Regulations or the Scheme, as the case may be, and in all correspondence with the office concerned.

(6) Any change in the ownership, management or any particular furnished in Registration Form submitted on the specified portal shall be updated on the portal by the employer within thirty days of such change.

(7) The employer of an establishment to which the provisions of the Code apply and whose business activities are in process of closure may apply for cancellation of registration on the Online Portal after giving complete details of the dues payable under the Labour Codes:

Provided that no such application for cancellation of registration shall be entertained unless the employer has furnished all statutory returns, paid all statutory dues under the Central Labour Codes and any other Labour law in force in accordance with the law applicable for the time being and submitted a self-certification to that effect along with the application.

(8) The registering officer shall maintain a register of establishment electronically in **Form-III** showing the particulars of establishment in relation to which certificates of registration have been issued by him.

(9) The employer shall, within thirty days of the commencement and completion of any work, intimate to the Inspector-cum-Facilitator, having jurisdiction in the area where the proposed establishment or as the case may be, the work is to be executed, intimating the actual date of the commencement, completion of work and cessation of establishment, as the case may be, in **Form-IV** annexed to these rules electronically and the same shall be auto-shared to EPFO and ESIC.

(10) (1). In case of Establishments existing before the commencement of the Code,there shall be no fees for registration if the applicant apply for registration within sixty days from the date of applicability of this Code , however, late fees to be paid for the purpose of grant of a licence under Sub-section (1) and (2) of Section 3 of an establishment shall be as specified in the table below, namely;

Sl.	**Number of workers**	**Late Fees**		
		Up-to 90 days	**Up-to 180 days**	**More than 180 days**
a	**10 but does not exceed 49 Workers**	**Rs. 10,000**	**Rs. 25,000**	**Rs. 1,00,000**
b	**50 but does not exceed 100 Workers**	**Rs. 20,000**	**Rs. 50,000**	**Rs. 2,00,000**
c	**101 but does not exceed 300 Workers**	**Rs. 40,000**	**Rs. 1,00,000**	**Rs. 4,00,000**
d	**301 but does not exceed 500 Workers**	**Rs. 60,000**	**Rs. 1,50,000**	**Rs. 6,00,000**
e	**501 but not exceeding 1000 Workers**	**Rs. 80,000**	**Rs. 2,00,000**	**Rs. 8,00,000**
f	**1001 but not exceeding 5000 Workers**	**Rs. 1,00,000**	**Rs. 2,50,000**	**Rs. 10,00,000**
g	**5001 and above Workers**	**Rs. 1,20,000**	**Rs. 3,00,000**	**Rs. 12,00,000**

(2) In case of new Establishments, there shall be no fees for registration if the applicant apply for registration within sixty days from the date of opening of Establishment, however late fees to be paid for the purpose of grant of a licence under Sub-section (1) and (2) of Section 3 of an establishment shall be as specified in the table in sub rule (1) .

(3) In deciding the late fee the date of utility connection in the name of establishment owner/employer/occupier may be taken into account by Registering Officer.

4. ***Appeal under Section 4.—***

(i) The employer aggrieved by the order of Registering Officer, may appeal against such order before the appellate officer appointed by the State Government for such purpose within thirty days from the date of receipt by him of such order, electronically.

(ii) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate officer shall admit the appeal, acknowledge it and intimate admission of such appeal, and shall register the appeal in electronic form to be kept for the purpose called the register of appeals.

(iii) When the appeal has been admitted, the appellate officer shall send the notice of the appeal to the registering officer, against whose order the appeal has been preferred and the registering officer shall thereupon send the records of the case to the appellate officer online electronically.

(iv) On receipt of the appeal, the appellate officer shall send a notice to the appellant to appear before him on such date and time as may be specified in the notice for the hearing of the appeal electronically or by registered post.

(v) If on the date fixed for hearing, the appellant does not appear, the appellate officer may dismiss the appeal for default of appearance of the appellants by sending the copy of the order to the applicant electronically.

(vi) Where an appeal has been dismissed, the appellant may apply electronically to the appellate officer for the restoration of the appeal within thirty days from the date of receipt of the order and if the appellate officer is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from appearing, the appellate officer shall restore the appeal.

(vii) The order of the Appellate Officer shall be communicated electronically or by registered post to the appellant and copy thereof shall be sent to the registering officer against whose order the appeal has been preferred and shall be disposed of within a period of thirty days from the date of receipt of appeal.

5. ***Notice of commencement and cessation of operation under Section 5.—***The employer of every establishment being factory or relating to contract labour or building or other construction works shall within thirty days of the commencement or cessation of operation, submit to the Registering Officer in **Form-IV**, electronically and the notice of cessation of operation shall be enclosed with a certificate that the payment of all dues to the workers employed in the establishment have been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Chapter-III
Duties of Employer and Employee.

6. ***Annual Health Examination of employees under clause (c) of sub-section (1) of Section 6.—*** Every employer of factory and building or other construction work shall arrange to conduct free of cost, medical examination for every worker annually i.e. within 120 days from the commencement of the every calendar year who has completed 45 years of age. The medical examination shall be conducted by a qualified medical practitioner as per Performa in the **Form-V.** The Medical Certificate shall be submitted by the qualified medical practitioner to the concerned employer and employee.

7. ***Letter of appointment to employee under clause (f) of sub-section (1) of Section 6.—***

(i) No employee shall be employed in any establishment unless he has been issued a letter of appointment in the prescribed format as appended to this Rule:

Provided that, an employee who has not been issued an appointment letter containing the required particulars, shall be issued an appointment letter within three months of coming into force of this rule.

Format

(i) Name of employee:
(ii) Father's name:
(iii) Aadhar number:
(iv) Labour Identification Number (LIN) / Registration Number of the establishment:
(v) Universal Account Number (UAN)/Insurance Number (ESIC):
(vi) Designation:
(vii) Category of skill:
(viii) Date of joining:
(ix) Wages, Basic Pay & Dearness Allowance:
(x) Other allowances including accommodation whichever is/are applicable:
(xi) Avenue for achieving higher wages/higher position:
(xii) Applicability of social security EPFO and ESIC benefits applicable:
(xiii) Health check-up
(xiv) Broad Nature of duties to be performed:
(xv) Any other information:
(xvi) Nature of Employment (Permanent, Temporary, Seasonal, Daily Wage Worker , Fixed Term Employment, Contract Worker, If any other Please specify):

Signature
(Occupier/employer/owner/agent/manager)

(ii) An Identity Card shall be issued to all workers except Daily Wage Worker containing the Registration Number and Name of Establishment, Name, Father Name and Address of the Employee, Nature of Employment and Validity.

The Identity Card shall be duly signed by the Occupier/employer/ owner/agent/manager.

8. ***Notice of accidents and dangerous occurrences under sub-section (1) Section 10 and Section 11.—***

(1) Where at any place in an establishment which is factory, building or other construction, an accident occurs which results in the death of any person, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice thereof in **Form-VI** electronically and inform by telephone or Mobile Phone to the Inspector cum-facilitator and Chief Inspector-cum Facilitator and District Magistrate or Sub-divisional Officer **and** the

officer-in-charge of the nearest police station; and the family members /kin of the injured or deceased person.

(2) Where at any place in an establishment which is factory, building or other construction work, an accident occurs which results in bodily injury by reason of which the person injured is prevented from working for a period of forty eight hours or more immediately following the accident, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice in **Form-VI** within twelve hours after the completion of forty eight hours, electronically to the Inspector-cum-Facilitator**.**

(3) Wherein an establishment there is any dangerous occurrence as specified in the schedule annexed hereto, whether causing any bodily injury or disability or not, a notice in **Form-VI** shall within twelve hours be sent to:

(a) The Inspector-cum-facilitator;

(b) District Magistrate **and** Sub-divisional Officer;

Provided that if in the case of an accident or dangerous occurrence, death occurs to any person injured by such accident or dangerous occurrence after the notices and reports referred to in the foregoing sub-rules have been sent, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice thereof by telephone and electronically to the authorities and persons mentioned in sub-rules (1) and (2) and also have this information confirmed in writing within 12 hours of the death. Provided further that, if the period of disability from working for 48 hours or more referred to in sub-rule (2) does not occur immediately following the accident, or the dangerous occurrence, but later, or occurs in more than one spell, the report referred to shall be sent to the Inspector-cum Facilitator in the prescribed form within 24 Hours following the hours when the actual total period of disability from working resulting from the accident or the dangerous occurrence becomes 48 hours.

SCHEDULE

The following classes of dangerous occurrences, whether or not they are attended by personal injury or disablement, namely:-

(i) Bursting, of any plant or pipeline or equipment containing petroleum, steam, compressed air or other substance at a pressure greater than the atmospheric pressure;

(ii) Collapse or failure of a crane, derrick, winch, hoist or other appliances used in raising or lowering persons or goods, or any part thereof, or the overturning of a crane.

(iii) Explosion, explosion due to explosives, fire, leakage or release of harmful toxic gases, bursting out, leakage or escape of any molten metal, or hot liquid or gas causing bodily injury to any person or damage to any room or place in which persons are employed;

(iv) Explosion of a receiver or container used for the storage at pressure greater than atmospheric pressure of any gas or gases (including air) or any liquid or solid resulting from the compression of gas.

(v) collapse or failure of lifting appliances or hoist or conveyors or other similar equipment for handling building or construction material or breakage or failure of rope, chain or loose gears; overturning of cranes used in building or other construction work; falling of objects from height;

(vi) collapse of any wall, floor, gallery, roof bridge, tunnel, chimney, wall, building or subsidence of soil or any other structure, platform, staging, scaffolding or any means of access including formwork; contact work, excavation and collapse of transmission;

(vii) Spillage or leakage of hazardous substances and damage to their container;

(viii) collapse, capsizing, toppling or collision of transport equipment within the establishment;

(ix) fall from height of any excavation, loading or transport machinery;

(x) an instantaneous failure of a pillar, part of a pillar or several pillars of coal (i.e., a 'bump') in working below ground;

(xi) a rock-burst in working belowground; a premature collapse of any part of the working;

(xii) a breakage, fracture or failure of an essential part of any machine or apparatus whereby the safety of persons may be endangered;

(xiii) a slide causing injury to any person, damage to any machinery, or interruption of normal mining operations;

(xiv) failure of dump or side in opencast working; a blowout;

(xv) a failure of any structure or installation whereby the safety of persons may be endangered; or spark generated due to electrical flash-over causing burn injury to any person;

(xvi) a major uncontrolled emission of petroleum or chemical spillage;

9. ***Notice of disease under sub-section (1) and (2) of Section 12.—***

(1) A notice in the following format shall be sent forthwith electronically, to the Inspector-Cum Facilitator, by the employer or occupier or manager of an establishment in which there occurs any disease as notified under the Third Schedule of the Code.

NOTICE OF DISEASE

(1) Name of establishment:

(2) Nature of establishment:

(3) Details of Patient:

(a) Name of Patient:

(b) Works number of Patient:

(c) Address of Patient:

(d) Precise occupation of patient:

(4) Nature of disease from which patient is suffering:

(5) Date of Detection of Disease:

(6) Details of Medical Practitioner:

(7) Has the case been reported to the Medical Officer?

Signature of employer or occupier or manager

Date:

(2) If any qualified medical practitioner attends on a person who is or has been employed in an establishment and who is or is believed by the qualified medical practitioner to be suffering from any disease specified in the Third Schedule, the qualified medical practitioner shall without delay send a report in writing to the office of the Chief Inspector-cum-facilitator stating-

(a) the name and full postal address of the patient,

(b) the disease from which he believes the patient to be suffering, and

(c) the name and address of the establishment in which the patient is or was last employed.

10. ***Duties of employee under clause (d) and (g) of Section 13.—*** If an employee comes to know that of any unsafe or unhealthy condition in the establishment, he shall report to the employer, health and safety representative or safety officer or agent or manager in case of mine, as soon as practicable, electronically or in writing or telephonically.

11. ***Rights of Employee under sub-section (3) of Section 14.—*** On receipt of information from the employee relating to the existence of an imminent danger to their safety and health, the employer shall take immediate remedial action in this regard. The employer, whether satisfied or not, shall send a report forthwith of such actions taken, to the Inspector-cum-facilitator electronically or by registered post or speed post.

Chapter-IV
Occupational Safety and Health

12. ***State Occupational Safety and Health Advisory Board under sub-sections (1), (2) and (3) of Section 17.—***

(1) The State Advisory Board shall consist of-

a) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Labour Resource Department, Bihar- Chairperson;

b) **Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Industries Department, Bihar or his representative not below the rank of Director, Industries- Member -*ex-officio***

c) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Mines & Geology Department, Bihar- Member-*ex-officio*

d) Chairmen, State Pollution Control Board, Bihar- Member-*ex-officio*

e) Labour Commissioner, Bihar - Member-*ex-officio*

f) Director, Medical Services ESIC, Govt. of Bihar- Member-*ex-officio*

g) five representative of employers- Member

h) five representative of employees- Member

i) five eminent persons connected with the field of Occupational Safety and Health, or representatives from reputed research institutions or similar other discipline, **out of which one member may be from State Health Society, Bihar**— Member

j) Chief Inspector-cum-Facilitator - Member Secretary -*ex-officio*

(2) The State Advisory Board may meet as often as necessary to discharge the functions as specified in Section 17(1) of the Code, but at least once in a year.

13. ***Resignation.—***

(1) A member of the State Advisory Board, not being an ex-officio member, may resign his office by a letter in writing addressed to the Chairperson of the State Advisory Board.

(2) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the State Government, or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter of resignation by the State Government whichever is earlier.

14. ***Cessation of membership.*****—**If any member of the State Advisory Board, not being an ex-officio member, fails to attend three consecutive meetings of the State Advisory Board, without obtaining the leave sanctioned by the Chairperson of such State Advisory Board for such absence, he shall cease to be a member of State Advisory Board: Provided that the State Government may, if it is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending three consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such member shall continue to be a member of State Advisory Board.

15. ***Disqualification for membership.*****—**A person shall be disqualified for being a member of the State Advisory Board—

(i) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent authority;

(ii) if he is an un-discharged insolvent; or

(iii) if he has been convicted for an offence, having a penalty of imprisonment of three months or more;

16. ***Removal from membership.*****—**The State Government may remove any member of the State Advisory Board, if in its opinion such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on such State Advisory Board:

Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to him of making a representation against the proposed action under this rule.

17. ***Travelling Allowance for members.*****—**

(i) the travelling allowance of an official member shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(ii) the non-official members of the State Advisory Board shall be paid travelling allowance for attending the meeting of the State Advisory Board at such places as per the instructions issued by Finance Department, Government of Bihar from time to time.

18. Collection of statistics and portal for inter-State migrant workers under sub-sections (1) and (2) of Section 21.**—**The employer shall submit the details of occupational safety and health statistics electronically on web portal **designated for the purpose Sub-Section (1) of Section 21 of the Code.**

19. ***Safety Committee and Safety officers under Section 22.***—

(1) Every establishment employing 500 or more workers except for the establishment prescribed under sub-section (1) of Section 22 shall constitute a safety committee consisting of representatives of employers and workers.

(2) The tenure of the safety committee shall be for three years. The safety committee shall meet at least once in every quarter.

(3) The representative of the workers shall be chosen by the registered trade Union. In case where there is no registered trade union the members may be chosen by the workers of the establishment.

Provided that there shall be adequate representation of the women workers in the committee.

(4) Safety Committee shall have the right to be adequately and suitably informed of –

(a) potential safety and health hazards to which the workers may be exposed at workplace;

(b) data on accidents as well as data resulting from surveillance of the working environment and of the health of employees, conducted at such establishments.

(5) The owner, employer, occupier, agent or manager shall, within a period of 15 days from the date of receipt of the recommendations of the Safety Committee shall take action to implement the recommendations.

20. ***Composition of Safety Committee.—***

(1) The representatives of the management on Safety Committee, shall consist of –

(a) A senior official, who by his position in the organisation can contribute effectively to the functioning of the Committee, shall be the Chairman;

(b) A Safety Officer shall be the Secretary of the Committee

(c) A Medical Officer wherever available.

(d) A representative each from the production, maintenance and purchase departments.

(2) The workers' representatives on the Safety Committee referred to in sub-rule (1) shall be chosen by the workers.

(3) The minutes of the meeting of the Safety Committee referred to in sub-rule (1) shall be recorded.

(4) Safety Committee shall have the right to be adequately and suitably informed of –

(a) potential safety and health hazards to which the workers may be exposed at workplace;

(b) data on accidents as well as data resulting from surveillance of the working environment and of the health of workers exposed to hazardous substances.

(5) **Function and duties of the Safety Committee referred to in sub-rule (1) shall include** –

(a) assisting and cooperating with the management in achieving the aims and objectives outlined in the Safety and Health Policy';

(b) dealing with all matters concerning health, safety and environment and to arrive at practicable solutions to problems encountered;

(c) creating safety awareness amongst all workers;

(d) undertaking educational, training and promotional activities;

(e) discussing reports on safety, environmental and occupational health surveys, safety audits, risk assessment, emergency and disaster management plans and implementation of the recommendations made in the reports;

(f) looking into the matters likely to cause danger to the safety and health of the workers and suggest corrective measures; and

(g) reviewing the implementation of the recommendations made by it.

21. ***The qualifications, duties and number of safety officers under sub-section (2) of section 22 except mines—***

(1) A person shall not be eligible for appointment as a safety officer relating to Factory (including factory carrying on hazardous process) and building or other construction work unless he possesses –

(i) a recognised degree in any branch of engineering or technology and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than 2 years; or

(ii) a recognised degree in physics or chemistry and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than 5 years; or

(iii) a recognised diploma in any branch of engineering or technology and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than 5 years; **or**

(iv) possesses a degree or diploma in industrial safety recognised by the State or Central Government in this behalf;

(2) ***Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), any person who —***

(i) possesses a recognised degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5years in a department of the Central or State Government which deals with the administration of the Factories, Building or other Construction works and or

(ii) possesses a recognized degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5 years, full time, on training, education, consultancy, or research in the field of accident prevention in industry or in any institution; shall also be eligible for appointment as a safety officers :

(3). Factory wherein 500 or more persons are ordinarily employed, Safety Officer(s) shall be appointed on a scale of atleast one up to a total manpower of 500 and additional one for every additional 500 manpower.

(4) Factory carrying on hazardous process and building or other construction work wherein 250 or more persons are ordinarily employed, Safety Officer(s) shall be appointed on a scale of atleast one up to a total manpower of 250 and additional one for every additional 250 manpower.

(5) **Duties of Safety Officers -**

(1) The duties of a Safety Officer shall be to advise and assist in the fulfilment of its obligations, statutory, concerning prevention of personal injuries and maintaining a safe working environment and such duties shall include the following, namely. -

(i) to advise the concerned departments in planning and organizing measures necessary for the effective control of personal injuries;

(ii) to advise on safety aspects in all job studies, and to carry out detailed job safety studies of selected jobs;

(iii) to check and evaluate the effectiveness of the action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries;

(iv) to provide advice on matters related to carrying out plant safety inspections;

(v) to carry out plant **or site** safety inspections in order to observe the physical conditions of work and the work practices and procedures followed by workers and to render advice on measures to be adopted for removing the unsafe physical conditions and preventing unsafe actions by workers;

(vi) to render advice on matters related to reporting and investigation of industrial accidents and diseases;

(vii) to investigate selected accidents;

(viii) to investigate the cases of notifiable diseases listed in the Third Schedule to the Code;

(ix) to organise in association with the concerned departments, campaigns, competitions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of the workers in establishing and maintaining safe conditions of work and procedures; and

(x) to design and conduct either independently or in collaboration with the training department, suitable training and educational programme for the prevention of personal injuries.

(xi) The safety officer shall ensure that an appropriate emergency plan as required under these regulations is put in place and the requirements of the same are implemented.

(xii) The safety officer shall maintain in a bound paged book a detailed record of the work performed by him.

(xiii) to assist the manager in any other matter relating to safety.

(2) Except in an emergency, no duties other than those specified above shall be assigned to the Safety officer.

Chapter-V
Hours of Work and Annual Leave with Wages

22. ***Daily and weekly working hours under clause (b) of sub-section (1) of Section 25.—***

(1) No worker shall be required or allowed to work in an establishment for more than forty eight hours in any week.

(2) the period of work of a worker shall be so arranged that inclusive of his intervals for rest, shall not spread over for more than twelve hours in a day.

(3) the period of works of workers shall not exceed five hours and that no worker shall work for more than five hours before he has had an interval for rest of at least half an hour.

(4) the working hours in a day may be modified subject to sub-rules (1), (2) and (3), so that the total number of working hours in a week shall be so fixed and followed.

23. Weekly day of rest under sub-section (2) of Section 26.

(1) For the purpose of section 26, **a notice** shall be posted in a conspicuous place outside the office of every establishment showing the weekly day of rest. Where the weekly day of rest is not the same day for all persons

employed in the establishment, the notice shall show the day of rest allowed to each relay, or set of persons or individual.

24. ***Compensatory holidays***.-—

(1) Except in the case of worker engaged in any work which for technical reasons must be carried on continuously throughout the day, the compensatory holidays to be allowed under sub-section (3) of section 26 of the Code shall be so spaced that not more than two compensatory holidays are given in one week.

(2) The manager of the establishment shall display, on or before the end of the month in which holidays are lost, a notice in respect of workers allowed compensatory holidays during the following month and of the dates thereof, at the place at which the notice of periods of works prescribed under section 26 is displayed. Any subsequent change in the notice in respect of any compensatory holiday shall be made not less than three days in advance of the date of that holiday.

(3) Any compensatory holiday or holidays to which a worker is entitled shall be given to him before he is discharged or dismissed and shall not be reckoned as part of any period of notice required to be given before discharge or dismissal.

25. ***Extra Wages for overtime under Section 27.—***

(1) In pursuance of Section 27 of Code, where in an establishment a worker works for more than eight hours in any day or for more than forty-eight hours in any week, as the case may be, he shall in respect of such overtime work be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages and shall be paid at the end of each wage period.

(2) In calculating overtime on any day, a fraction of an hour between 15 to 30 minutes shall be counted as 30 minutes and in case of more than 30 minutes it shall be rounded and shall be counted as an hour on actual basis.

(3) In calculating the wages or earnings in the case of a worker paid by the month, the daily wages shall be 1/26th of his monthly wages; and in the case of any other worker it shall be the daily wages or earnings as the case may be.

(4) the spread over for the workers shall exceed twelve hours in any one day under the following works and circumstances in factories, and building or other construction, namely;

(a) urgent repairs;

(b) work in the nature of preparatory or complimentary work;

(c) work which is necessarily so intermittent that the intervals during which they do not work while on duty ordinarily amount to more than the intervals for rest;

(d) work which for technical reasons must be carried on continuously;

(e) engaged in making or supplying articles of prime necessity which must be made or supplied every day,

(f) engaged in a process which cannot be carried on except during fixed seasons;

(g) engaged in a process which cannot be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;

(h) engaged in an engine-rooms or boiler-houses or in attending to power-plant or transmission machinery;

(i) engaged in process on account of the break-down of machinery;

(j) engaged in the loading or unloading of railway wagons or lorries or trucks;

(k) exceptional press of work and

(l) engaged in any work, which is notified by the State Government in the Official Gazette as a work of State importance;

Provided that no worker shall be allowed to work overtime exceeding one hundred twenty five hours in any quarter

26. ***Circumstances for exemption from restriction on double employment in factory under section 30—***As may be notified by State Government from time to time.

Chapter-VI
Maintenance of Registers, Records and Returns:

27. ***Notice of periods of work under sub-section (2) of Section 31.—*** (1)The notice referred to in sub-section (2) of section 31 shall be displayed at conspicuous places on a notice board or electronic board and maintained in **Form VII** and copy of such notice shall be sent to Inspector-cum-facilitator electronically or by registered post.

28. ***Maintenance and production of reports, registers and other records under Section 33.-*** *Every employer shall-*

(a) maintain register of workers, wages, overtime, fine, deduction for damage or loss in **Form-VIII** electronically and shall be kept available at an office or the nearest convenient building within the precincts of the establishment;

(b) in case of manual registers and other records, be legibly entered in ink in English and Hindi or the language understood by a majority of the persons employed;

(c) be preserved in original for a period of one calendar year after the date of the last report or entry;

Provided that when the original record is lost or destroyed before the expiry of one year period, true copies thereof, if available, shall be preserved for the prescribed period;

(d) be produced, electronically or by registered post, on demand before the Chief Inspector-cum-facilitator or an Inspector-cum-facilitator or any person authorized in that behalf of the State Government.

29. ***Display of notice board.—***Every employer shall cause to display at the conspicuous place of the workplace of the establishment under his control, notice showing the name and address of the establishment, hours of work, wage period, date of payment of such wages, details of accident and dangerous occurrence in the establishment for the last five years, name and address of the Inspector-cum-facilitator having jurisdiction to such establishment and date of payment of unpaid wages to such workers in English **and** Hindi.

30. ***Return.—***Every employer of an establishment shall send annually a return relating to such establishment in duplicate in **Form-IX** to the Inspector-cum-facilitator having jurisdiction so as to reach him not later than 1st February following the end of each calendar year with a **copy to Director General, Labour Bureau electronically**.

31. ***Register of accident and dangerous occurrences***.—The registers of accident and dangerous occurrences required by sub-clause (v) of clause (a) of section 33 of the Code shall be maintained in a **Form-X.**

Every such Register shall be communicated in electronic form to Inspector- cum - facilitator once in three months, who shall analyse the safety practices of the concerned factory and shall submit a report to the State Government

32. ***Register of leave with wages under clause (a) of section 33.—***

(1) The owner, agent or manager of every establishment shall maintain in respect of every employee thereof a record of leave with wages electronically or manually in **Form-XI**.

(2) The register mentioned in sub- rule (1) shall be preserved for a period of two years after the last entry in them has been made and shall not be destroyed even after the expiry of that period unless it has been properly transferred to the new register.

Chapter-VII
Inspector-cum-facilitator and Other Authority

33. ***The qualification and experience of Chief Inspector-cum-Facilitator under sub-section (5) of section 34.—*** Qualification and experience of Chief Inspector-cum-Facilitator for the purpose of sub-section (5) of Section 34 shall be notified by State Government.

34. ***Power to take samples of any articles or substances under clause (x) of sub-section (1) of section 35.—***

(1) An Inspector-cum-facilitator shall take samples or substances in an establishment as per the inspection scheme mandated under the Online Portal after informing the employer of the establishment, taken in the manner hereinafter provided a sufficient sample of any substance used or intended to be used in the establishment, such use being–

(a) in the belief of the Inspector-cum-Facilitator in contravention of any of the provisions of this code or the rules made thereunder, or

(b) in the opinion of the Inspector-cum-Facilitator likely to cause bodily injury to, or injury to the health of employee in the establishment.

(2) Where the Inspector-cum-facilitator takes a sample under sub-rule (1), he shall, in the presence of the person informed under that sub-section unless such person will fully absents himself, divide the sample into three portions and effectively seal and suitably mark them, and shall permit such person to add his own seal and mark thereto.

(3) The person informed as aforesaid shall, if the Inspector-cum-facilitator so requires, provide the appliance for dividing, sealing and marking the sample taken under this section.

(4) The Inspector-cum-facilitator shall-

(a) forthwith give one portion of the sample to the person informed under sub-rule (1);

(b) forthwith send the second portion to a Government Analyst or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for analysis and report thereon;

(c) retain the third portion for production to the Court before which proceedings, if any, are instituted in respect of the substance.

(5) Any document purporting to be a report under the hand of any Government Analyst or NABL accredited laboratory upon any substance submitted to him for analysis and report under this section, may be used as evidence in any proceeding instituted in respect of the substance.

35. ***Powers and duties of Inspector-cum-facilitator under clause (xiv) of sub-section (1) of Section 35.—***

(1) Inspector-cum-Facilitator shall, after every inspection, as may be deemed necessary, issue prohibition or improvement notice in the **Form-XII** pointing out the non-compliance of provisions of safety, health and working conditions under the Code, and rules and regulations framed thereunder, to the employer or occupier or owner or master or officer-in-charge of the ship or their agent.

(2) An Inspector-cum-Facilitator shall, at each inspection, ascertain to what extent any shortcomings notified at a previous inspection have been rectified and the notices previously issued have been complied with. His findings and any shortcomings which may come to light during the inspection, together with any order passed by him under the Code or the regulations made thereunder shall be recorded and maintained.

36. ***The specialised qualification and experience, duties and responsibilities of experts to be empanelled under section 37.***—The specialised qualification and experience, duties and responsibilities of experts to be empanelled under section 37 **for such start up establishment or class of establishment** shall be notified by the State Government from time to time.

37. ***The manner of providing alternative employment under sub-clause (d) of clause (A) of sub-section (1) of section 38.***—If any person whose employment has been affected by an order issued under Sub-Clause (a) of Clause (A) of Sub-Section (1) of Section 38, the Inspector-Cum-Facilitator may give direction to the occupier to provide alternative employment to the person whose employment has been affected in the same capacity and under same service condition to other alternative employment in his factory or other factory which is under the control of that Occupier.

38. ***Appointment of Medical officer under sub-section (1) of Section 42.—***The Medical Officer shall be a medical practitioner who possesses any recognised medical qualification as defined in the National Medical Commission Act, 2019(30 OF 2019) and who is enrolled on a Indian Medical Register as defined in clause (e) and on a State Medical Register as defined in clause (l) of section 35, 36, 37 and 40 of the Act.

39. ***Other establishment engaged in the dangerous occupation or processes under clause (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 42.—***For the purpose of clause (*a*), (b) **and (c)**of sub-section (2) of section 42, the State Government may notify establishment engaged in dangerous occupations and processes from time to time.

40. ***Duties of Medical Officer under sub-section (2) of Section 42.—***

(1) On receipt of a reference under clause (c) sub section (2) of section 42 of the code, the Medical Officer shall, after giving prior notice regarding date, time and place for medical examination and upon examining the person sent for such examination, prepare the age and fitness certificate and deliver the same to the manager of the establishment concerned after retaining a copy thereof.

(2) The medical officer may seek opinion of specialists like radiologist, dentist and orthopaedic surgeon as the case may be, for the purpose of determination of age.

(3) Medical Officer shall carry out such examination and furnish such report as State government may direct:

(a) for examination and certification of workers in an establishment in such dangerous occupation or processes as specified in First Schedule to the Code;

(b) for medical supervision of any establishment or class of establishment where cases of chronic occupational illness have occurred due to arduous nature of any process carried on or hazardous condition of work;

(c) in respect of any establishment or class of establishment or description of establishment in which operations involve any risk of injury to the health of any person or class of persons employed therein;

(d) to undertake occupational health survey for any or class of an establishment, where cases of illness have occurred or there is prevalence of diseases as prescribed in Third Schedule of the code.

(e) to assess the age and issue fitness of adolescent for employment in an establishment or class of establishment.

41. ***Employment of Women in establishment under Section 43.—*** **(1)** The following conditions shall be met for employment of women during night or before 6.00 a.m. and beyond 7.00 p.m. in any day, namely:-

(a) the **written** consent of women employ shall be taken;

(b) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under the Social Security Code, 2020 (36 of 2020);

(c) adequate transportation facilities shall be provided to women employee to pick-up and drop such employee at her residence;

(d) the workplace including passage towards conveniences or facilities concerning toilet, washrooms, drinking water, entry and exit of women employee should be well-lit;

(e) the toilet, washroom and drinking facilities should be near the workplace where such women employee are employed; and

(f) Provide safe, secure and healthy working condition such that no women employee is disadvantaged in connection with her employment.

(g) **Not less than 2 women employees shall be on duty at any work place at the same time.**

(h) The provisions of the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), as applicable to the establishments, shall be complied with.

42. ***Adequate Safety of employment of women in dangerous operations under Section 44.—***The State government may declare by notification the class of establishments and the scheme, and standards for safeguarding of women in hazardous and dangerous processes

Chapter-VIII
Contract Labour

43. ***Conditions of License under sub-section (3) of section 47.—***

(1). The contractor shall ensure that:

(a) the hours of work shall conform to the rules made under Section 25 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

(b) the wages shall be paid in accordance with the Code on Wages, 2019 (29 of 2020).

(c) if the contract worker of the contractor is working at the premises of the principal employer then it shall be the responsibility of the principal employer to provide the facilities or amenities such as toilet, washroom, drinking water, bathing facilities if required, changing room, first aid box, Canteen and Crèche and all other facilities and entitlements shall be provided by the contractor.

(d) In case, the Contractor is working at a premise other than that of the Principal Employer and the premise has functional amenities and facilities mentioned in clause (c),the contract labour can utilize facilities like toilet, washroom, drinking water, bathing facilities if required, changing room and first aid box.

In all other cases all facilities and utilities under the the act shall have to be provided by Contractor.

(e) in case the contractor fails to make payment of minimum wages to the contract worker, then the Labour Commissioner, Bihar or his representative, who shall cause such payment to be made to the contract workers who have not been paid out of the security deposit maintained under rule 49 including by invoking the bank guarantee; and

(f) he shall intimate within fifteen days of the receipt of a contract work order about the details the contract work order and in the manner as under rule 51

44. ***Form and manner of application for contractor license under of sub-section (1) of Section 48.—***Every application by a contractor for the grant of a license shall be made on-line electronically through Online Portal in **Form-XIII** to the licensing authority.

45. ***Licence for Contractor.—***

(1) If a contractor desirous of obtaining licence for:-

(i) supplying or engaging contract labour or

(ii) undertaking or executing the contract works under sub-section (1) or sub-section (2) of section 47, then he shall apply electronically on the online portal in **Form-XIII** to the licensing authority as notified by the State government.

(2) Application for licence shall be submitted electronically to the authority notified in this behalf under subsection (1) of section 119 of this code.

(3) **License issued under this rule shall be valid for five years** under sub-section (1) of section 47.

46. ***Forms, terms and conditions of license.—***

(1) Every license granted shall be in **Form-XIV**.

(2) Every license granted or renewed is subject to the following conditions, namely:—

(i) the license shall be non-transferable;

(ii) the number of workers employed as contract labour by the contractor shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the license;

(iii) save as provided in these rules, the fees paid for the grant, or as the case may be, for renewal of the license shall be non-refundable;

(iv) the rates of wages payable to the workers by the contractor shall not be less than the rates prescribed under the Code on Wages, 2019 and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates so fixed.

47. ***Procedure for issue of license under sub-section (2) of section 48.—***

(1) Before a license is issued under any rule of these rules, bank guarantee for an amount calculated at the rate of Rupees 1000 for each of the worker to be employed as contract labour, in respect of which the application for license has been made, shall be deposited by the contractor for performance of the conditions of the license and compliance with the provisions of the Code or the rules made thereunder.

(2) Wherein the issued contract license had expired, based on the request of the applicant in Form, the licensing officer may adjust the security deposit in respect of his application for new license.

(3) The fees to be paid for the grant of a license shall be as specified in the table below, namely;

Sl.	**Number of Contract Labours**	**Fees**
a	No License is required up to 49 Contract Labours	NIL
b	50 but does not exceed 100 Contract Labours	Rs. 1000
c	101 but does not exceed 300 Contract Labours	Rs. 2000
d	301 but does not exceed 500 Contract Labours	Rs. 3000
e	501 but not exceeding 1000 Contract Labours	Rs. 5000
f	1001 but not exceeding 5000 Contract Labours	Rs. 10,000
g	5001 but not exceeding 10000 Contract Labours	Rs. 20,000
h	10001 but not exceeding 20000 contract labours	Rs 30000
i	20001 and above contract labours	Rs.40000

48. ***Renewal of license under Sub-Section (3) of Section 48.—***

(1) Every contractor shall apply electronically on the Online portal to the licensing authority for renewal of the license.

(2) Every such application shall be submitted on the said portal at least 30 days prior to expiry of license period but not before 90 days of such expiry of license.

(3) The security deposit and the fee chargeable for renewal of the license shall be the same as for the grant of license under rule 47.

Provided that if the application for renewal is not received within the time specified in sub-rule (2), an additional fee of twenty five per cent, shall be payable for such renewal.

(4) It shall be the responsibility of the authority concerned to renew license within 30 days.

49. ***Refund of security deposit.—***

(1) On expiry of the period of license the contractor may, if he does not intend to have his license renewed further, make an application electronically to the licensing authority for the refund of the security deposited by him(in form of bank guarantee) along with copy of licence and notice of completion of work and bank details in which amount is required to be refunded.

(2) If the Licensing authority is satisfied that there is no breach of the conditions of license or there is no order for the forfeiture of security deposit or any portion thereof, he shall direct the refund of the security deposit to the applicant.

(3) If there is any order directing the forfeiture of any portion of contractor‘s security deposit, the amount to be forfeited shall be deducted from the security deposit, and balance, if any, shall be refunded to the contractor.

(4) Any application for refund shall, as far as possible, be disposed of within 30days of the receipt of the application.

50. ***Responsibility of contractor under sub-section (4) of Section 48.—***

(1) The rates of wages payable to the workers by the contractor shall not be less than the rates prescribed under the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates fixed.

(2) In case where the worker employed by the contractor perform the same or similar kind of work as the worker directly employed by the principal employer of the establishment, the wage rates, holidays, hours of work and other conditions of service of the workers of the contractor shall be the same as applicable to the workers directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work. In case of any dispute whether the work is of similar kind, the matter be referred to the Inspector-Cum Facilitator whose decision shall be final.

(3) In other cases the wage rates, holidays, hours of work and conditions of service of the workers of the contractor shall be such as specified under the Code and rules made thereunder.

(4) All contract labour shall be made member of EPFO and ESIC subject to applicability as under respective provisions of the Code on Social Security, 2020.

(5) The contractor shall notify any change in the number of workers or conditpions of work to the Licensing Authority, electronically.

51. ***Intimation of work order and time limit for intimation under Sub-section (1) and the manner of suspending or cancelling the licence under sub-section (2) of section 50. —***

(1) Every contractor shall within fifteen days of the receipt of a contract work order shall intimate about the contract work order containing the details such as the name of the principal employer, address of the premises where work is being undertaken, date of commencement of the contract work, the number of contract labour employed under that work order, duration of work orders.

(2) the details of work order shall be sent by the contractor or his authorized representative.

(3) The intimation shall be sent electronically on the Online portal.

(4). In case the contractor fail to give intimation under Sub-Section (1) of Section 50, the designated authority may, after giving the holder of the license an opportunity of showing cause, suspend or cancel the license and inform the holder electronically or otherwise.

52. ***Appeal under sub-section (1) of section 52.—***The appellate authority under sub-section (1) of section 52 of the Code **shall be notified by the State Government as per sub-section (6) of section 119.**

53. ***Responsibility of Payment of wages under sub-section (1) and sub-section (2) of Section 55.—***

(1) The contractor shall fix the wage periods in respect of which wages shall be payable and no wage period shall exceed one month.

(2) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor shall be paid before the expiry of seventh day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.

(3) The wages shall be disbursed through bank transfer or electronic mode only.

(4) In case where it is not possible to disburse payment in the mode specified in sub- rule (3), the Contractor shall take permission from Labour Commissioner, Bihar of the manner in which the payment shall be done.

54. ***Making payment of wages from the security deposit amount under sub-section (4) of section 55.—***If the contractor or principal employer does not pay the wages to the contract labour employed by him, the Labour Commissioner, Bihar or his representative or the competent officer as may be notified shall conduct or cause to conduct, an inquiry and after giving an opportunity to be heard to the contractor shall pass an order to make payment if any, of such wages from the amount deposited by the contractor as security deposit. The contractor shall re-furnish the security deposit within a period of fifteen days or else his license will be liable to be suspended.

55. ***Experience Certificate under section 56.—*** Every concerned contractor shall issue on demand, experience certificate in **Form-XV** to the contract labour giving details of the period, work performed, experience gained in various fields performed by such contract labour.

56. ***Prohibition of employment of contract labour under clause (b) and (c) of sub-section (2) of section 57.—*** (1). If a question arises as to whether any activity of an establishment is a core activity or otherwise, the aggrieved party may make an application, to the Labour Commissioner, Bihar **giving reasons along with supporting documents and the State Government shall decide the question accordingly**.

CHAPTER-IX
INTER-STATE MIGRANT WORKER

57. ***Journey allowance to Inter-State Migrant Worker under Section 61.—***The employer shall pay a lump sum amount on account of fare for to & fro journey to inter-state migrant worker by train (not less than II Class Sleeper) or by bus or any other mode of passenger transport from the place of employment to the place of residence in the home state in the event of the following, namely: if he has worked for a period of not less than 180 days in the concerned establishment(s) in preceding twelve months;

Provided that the journey allowance shall be given to an inter-state migrant worker once in twelve months. In the event of change of employer by the inter-state migrant worker during the middle of the employment period and has not availed the journey allowance from his previous employer, then on the basis of a certificate to be given by inter-state migrant worker, the employer where the inter-state migrant worker is now working and the such worker has completed one hundred and eighty days in preceding twelve months including the period spent with the previous employer, then the employer shall give journey allowance.

58. ***Setting up of a Toll Free helpline number to the inter-state migrant worker under Section 63.—***A Toll-Free help-line number shall be provided by the State Government, to address queries and grievances of the inter-state migrant workers.

59.***Study of inter-state migrant workers under Section 64.—***The State Government may identify the studies to be carried out to promote safety, health and welfare of inter-state migrant workers. Wherever required the State Government may also consult the Central Government or expert organizations involved in the safety, health and welfare of inter-state migrant workers

CHAPTER-X
AUDIO- VISUAL WORKER

60. ***Agreement for audio-visual worker under clause (a) of sub-section (2) of section 66.—***

(1) The Form of agreement for the audio-visual workers with the producer is given in **Form-XVI**.

(2) The agreement shall be registered with the competent authority as may be notified by the State Government.

61. ***Authority to whom a copy of the agreement shall be forwarded by the producer under sub-section (3) of section 66.—*** Copy of the agreement shall be forwarded by the producer to the authority as may be notified by the State Government.

62. ***Procedure for reference of disputes to a Conciliation Officer or a Tribunal for the purpose of clause (vii) of sub-section (4) of section 66.—***The procedure for reference of dispute to a conciliation officer or a tribunal shall be in conformity with the Industrial Relation, Code 2020 and Rules framed there under.

CHAPTER XI
BEEDI AND CIGAR WORKERS

63. The form of application, the payment of fees, manner of preparing the plan of section 74.—

(1) Every application for a licence to use or allow to be used any place or premises as an industrial premises shall be in Form XVII electronically.

(2) The application shall be accompanied by the following documents, namely:

(a) plans uploaded electronically showing-

(i) the site of such place or premises, the areas therein to be used for manufacturing processes and the immediate surroundings of such place or premises, including adjacent buildings, structures, roads, drains and the like; and

(ii) the plan, elevation and necessary cross-sections the details relating to natural lighting, ventilation, means of escape in case of fire, position of the plant and machinery, if any, used, aisles and passage-ways in or relation to, the various buildings which are intended to be used for manufacturing processes;

(3) Before granting a licence in Form- XVIII, the competent authority shall also take into consideration whether the site of any industrial premises is proposed to be altered, or whether any industrial premises has been closed, by the applicant during the period of twelve months immediately preceding the date of the application with a view to causing prejudice to the interests of the labour.

(4) The application for the purpose of Sub-Section (2) of Section 74 shall be made at least thirty days before the proposed date of opening of the establishment.

(5) The fees to be paid for the grant or renewal of a licence shall be as specified in the table below, namely;

Sl.	**Number of employees proposed to be employed on any day for the period for which the license is granted or renewed-**	**Fees**
a	No License is required up to 10 employees	NIL
b	10 but does not exceed 50 employees	Rs. 100
c	51 but does not exceed 100 employees	Rs. 250
d	101 but does not exceed 250 employees	Rs. 500
e	251 but not exceeding 500 employees	Rs. 750
j	501 and above employees	Rs. 1000

(6) The Authority granting the license shall take into account the conditions mentioned under clause (b) to (e) of sub-section (4) of section 74 before granting the license.

64. ***Time of filing appeal and fees under section 75.—***

(i) The employer aggrieved by the order of authority under Sub-Section (1) of Section 119, may appeal against such order before the appellate officer appointed by the State Government for such purpose within **Ninety** days from the date of receipt by him of such order, electronically.

(ii) The appellate officer shall admit the appeal, acknowledge it and intimate admission of such appeal, and shall register the appeal in electronic form to be kept for the purpose called the register of appeals.

(iii) When the appeal has been admitted, the appellate officer shall send the notice of the appeal to the authority, against whose order the appeal has been preferred and the authority shall thereupon send the records of the case to the appellate officer online electronically.

(iv) On receipt of the appeal, the appellate officer shall send a notice to the appellant to appear before him on such date and time as may be specified in the notice for the hearing of the appeal electronically or by registered post.

(v) The Appellate Officer shall decide the appeal in not more than 60 days from the date of filing of appeal ,by a reasoned order.

(vi) The order of the Appellate Officer shall be communicated electronically or by registered post to the appellant and copy thereof shall be sent to the registering officer against whose order the appeal has been preferred and shall be disposed of within a period of thirty days from the date of receipt of appeal.

(vii) There shall be no Fees for appeal.

65. ***Form of application by the employee and conditions under sub-section (1) of section 76***.—The employer on the behalf of such employee to who want to work outside the industrial premises shall apply for permission to the concerned authority in Form XIX electronically and keep records in form XX.

66. ***Form of maintaining the record of the work under sub-section (2) of section 76-.—***Every employer shall provide free of cost to each home-worker two books in Form XXI (hereinafter referred to as the 'home-workers' log-books) and the home-worker shall keep a record of the daily work done by him, the number of beedis and cigars manufactured by him and the wages received by him in the said book and the supply of books shall be so arranged that one book remains with the home-workers at all times during the period between two successive supplies of raw materials by the employer.

67. ***Rules in respect of factory or class or description of factories under sub-section (1) of section 79.—***

(1) **Submission of plans-** The State Government or **Chief Inspector-Cum-Facilitator shall** require, for the purposes of the **Code**, submission of plans of any factory which was either in existence on the date of commencement of the **Code** or which has not been constructed or extended since then. Such plans shall be drawn to the scale showing –

(a) the site of the factory and immediate surroundings including adjacent buildings and other structure, roads, drains, etc.;

(b) the plan, elevation and necessary cross sections of the factory buildings indicating all relevant details relating to natural lighting, ventilation and means of escape in case of fire, and the position of the plant and machinery, aisles and passageways; and

(c) such other particulars as the State Government or the Chief Inspector-Cum -Facilitator, as the case may be, may require.

(2) ***Approval of plans.—***

(i) No site shall be used for the location of a factory or no building in a factory be constructed, reconstructed, extended or taken into use

as a factory or part of a factory, or any other extension of plant or machinery carried out in a factory unless previous permission is obtained from the State Government or the **Chief Inspector-Cum-Facilitator**

(ii) Application for such permission shall be made in **Form XXII** and shall be accompanied electronically along with documents mentioned in the Form.

(iii) If the Chief Inspector-Cum-Facilitator is satisfied that the plans are in consonance with the requirements of the Code he shall, subject to such conditions as he may specify, approve them electronically; or he may call for such other particulars as he may require to enable such approval to be given electronically.

(iv) If the Chief Inspector-Cum -Facilitator is of the opinion that the plans uploaded under sub-rule (ii) are not in accordance with the requirements of the Code, or if he finds it fit or expedient to specify any conditions of approval, including conditions relating to cancellation or modifications of prior approvals, he shall, after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, send to the applicant a speaking order through online either approving the plans subject to such conditions as may be specified therein or refuse the permission applied for.

(v) If no order is communicated to the applicant within thirty days from the date on which the application has been uploaded through online, the permission applied for shall be deemed to have been granted and certificate of deemed approval shall be automatically sent to the applicant electronically.

(3) ***Certificate of Stability***.-

(i) No manufacturing process shall be carried on in any building of a factory constructed, reconstructed or extended, or in any building which has been taken into use as a factory or part of a factory until a certificate of stability issued by a Civil Engineer (having minimum degree of B.tech. or equivalent from a recognised university). The certificate of stability shall be sent to the Chief Inspector-Cum-Facilitator by the Occupier or Manager of the Factory.

(ii) The State Government may also allow third party inspection for stability of building by notification.

(4) ***Applications for grant of licence***.—The occupier of every factory shall submit to the Chief Inspector-Cum-Facilitator an application **electronically** in **Form XXIII** for the registration of the factory and grant of a licence :

Provided that the occupier of premises in use as a factory on the date of the commencement of these rules shall submit such application within 30 days from the date of commencement of these rules.

(5) ***Grant of licence.—***

(i) The Occupier of every factory, shall at least fifteen days before commencing any manufacturing process in any factory upload through online an application for grant of the licence in the

prescribed Form XXIII along with online payment of licence fee as per Schedule II.

(ii) (a) The Occupier shall send and intimate to the Inspector immediately after the commencement of manufacturing process.

(b) The premises shall be deemed to be licenced from the date of intimation of commencement of manufacturing process until such date the Inspector refuses electronically to grant the licence.

(iii) The Inspector-cum-facilatator on notice any defect in the license application or violation of any provision may be a speaking order and after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, refuse to grant a licence electronically:

Provided that if no order is communicated to the occupier within a period of 30 days from the date on which the occupier has sent intimation under sub rule (ii) (a), the license shall be deemed to have been granted and thereupon the license shall be issued forthwith.

(iv) If the grant of license has not been refused in accordance with sub-rule (iii), the Inspector shall grant the license in Form No. XXIV and send the license to the applicant electronically.

(v) Every Licence granted is permanent and valid till it has been duly cancelled.

(6) ***Auto-renewal of licence***.—

(i) Initially the licence shall be issued for the period of 10 years and it shall be auto-renewal thereafter for the number of years applied for, subject to maximum of ten years at one time and on payment of prescribed fee as per the Schedule II. Provided the Factory meets the safety guidelines.

(ii) If the licence is not auto renewed within 30 days of the expiration of licence the prescribed late fee for auto-renewal shall be one tenth for every year or part thereof elapsed of the fee prescribed for one year.

(7) ***Amendment of licence.—***

(i) The occupier of a factory shall, within fifteen days of occurrence of any change in the name or in particulars of the maximum horse power installed or maximum number of persons employed, apply through online for amendment of the licence stating the nature of amendment to be made and the reasons there for together with online payment of prescribed fee to **Chief Inspector-Cum-Facilitator in Form XXV.**

(ii) The fee for the amendment of a licence shall be the amount, if any, by which the fee that would have been payable if the licence had originally been issued in the amended Form exceeds the licence fee payable.

(8) ***Transfer of licence.—***

(i) A licence may be transferred from one owner or occupier to another consequent to any transfer of the factory and the

transferee shall upload the application in form XXVI through online along with requisite documents mentioned therein by remitting the transfer fee and such application shall be deemed to be endorsement of transfer until the transfer is endorsed by the Inspector unless the application has been refused by speaking order in writing within a period of thirty working days from the date of uploading the application.

(ii) The prescribed fee shall be notified by the State Government time to time.

(9) ***Procedure on death or disability of licensee.***— If a licensee dies or becomes insolvent, the person carrying on the business of such licensee shall not be liable to any penalty under the **Code** for exercising the powers granted to the licensee by the licence during such time as may reasonably be required to allow him to make an application for the amendment of the licence under **rule 67(6)** in his own name for the unexpired portion of the original licence.

(9) **Payment of fees.—**

(i) Every application under these rules shall be accompanied with appropriate fees deposited thorough online mode.

(ii) If an application for the grant or amendment of licence is rejected, the fee paid shall be non-refundable to the applicant.

(10) ***Prohibition of use of premises as factory without a valid licence..—***An occupier shall not use any premises as a factory or carry on any manufacturing process in a factory unless a licence has been issued in respect of such premises.

68. ***Mode of submission of application under sub-section (2) of section 79***.—An application for permission shall be accompanied with plans and specifications required by the rules shall be sent to the State Government or Chief Inspector-cum-Facilitator in the electronic mode and if no order is communicated to the applicant within such period not exceeding thirty days, the permission applied for in the said application shall be deemed to have been granted.

69. ***Common facilities and services for joint liability of owner of premises and occupiers of the factories under section 80***.—

(i) Common facilities in joint liability of owner of premises and occupiers of the factories shall include safety, fire prevention and protection, access, hygiene, occupational health, ventilation, temperature, emergency preparedness and response, canteens, shelter, rest rooms and crèches.

(ii) Other services provided by **owner of premises and occupiers of the factories** in joint liability may be notified by the State Government from time to time.

70. ***Rules under section 82 for Dangerous manufacturing processes or operations***.—

(i) The following manufacturing processes or operations when carried on in any factory are declared to be dangerous manufacturing processes or operations under section 82: -

(I) Manufacture of aerated water and processes incidental thereto.

(II) Electrolytic plating or Oxidation of metal articles by use of an electrolyte containing chromic acid of other chromium compounds.
(III) Manufacture and repair of electric accumulators.
(IV) Glass manufacture.
(V) Grinding or glazing of metals.
(VI) Manufacture and treatment of lead and certain compounds of lead.
(VII) Generating Petrol gas from petrol.
(VIII) Highly flammable liquids and flammable compressed gases.
(IX) Liming and tanning of raw hides and skins and processes incidental thereto.
(X) Lead Process carried in Printing Press and Types Foundries.
(XI) Chemical Works.
(XII) Manufacture of Pottery.
(XIII) Compression of Oxygen and Hydrogen by the Electrolysis of Water.
(XIV) Cleaning or smoothing roughening, etc. of articles by a jet of sand, metal shots, or grit or other abrasive propelled by a blast of compressed air or steam.
(XV) Handling and processing of Asbestos, Manufacture of any article of asbestos and any other process of manufacture or otherwise, in which asbestos is used in any form.
(XVI) Handling and manipulation of corrosive substances.
(XVII) Manufacture of articles from refractory materials.
(XVIII) Solvent Extractions Plants.
(XIX) Carbon Di-sulphide plants.
(XX) Manufacture or Manipulation of Manganese and its compounds.
(XXI) Applicable to factories in which Benzene or substances containing Benzene are manufactured, handled or used.
(XXII) Manufacture of Slate Pencils.
(XXIII) Manufacture or manipulation of dangerous pesticides.
(XXIV) Manufacture or manipulation of carcinogenic dye intermediates.
(XXV) Operations involving high noise levels.
(XXVI) Manufacture Rayon by viscose process.
(XXVII) Operations in Foundries.

(ii) The provisions specified in the **Schedule III** shall apply to any class or description of factories wherein dangerous manufacturing processes or operations specified in each schedule are carried on.

(iii)(a) For the medical examination of workers to be carried out by the **Qualified Medical Practitioner** as required by the **Schedule III** annexed to this rule and fees for medical examination shall be paid by the occupier.

(b) Before employment of a person in dangerous operation a person shall be medically examine and thereafter he shall be examined by a qualified medical practitioner from time-to-time but not letter than six months.

(iv) Notwithstanding the provision specified in the **Schedule III** annexed to this Rule, the Inspector may by issues of order in writing to the manager or occupier or both, direct them to carry out such measures, and within such time, as may be specified in such order with a view to removing conditions dangerous to the health of the workers, or to suspend any process, where such process constitutes, in the opinion of the Inspector, imminent danger of poisoning or toxicity.

(V) Any register or record of medical examinations and tests connected therewith required to be carried out under the **Schedule III** annexed hereto in respect of any worker shall be kept readily available to the Inspector-Cum-Facilitator and shall be preserved till the expiry of one year after the worker ceases to be in employment of the factory.

71. ***Site Appraisal Committee under sub-section (1) of section 83. (i) Constitution:-***

(a) The State Government may by notification constitute a Site Appraisal Committee and reconstitute the Committee as and when necessary, as follows;-

(1) Chief Inspector-Cum-facilitator – Chairman,

(2) A representative of the Fire Service Organisation of the State Government:

(3) A representative of the State Department of Industries;

(4) A representative of the Director General of Factory Advice Service and Labour Institutes, Bombay or Regional Labour Institute, Calcutta;

(5) A representative of Department of Forest, Environment and Climate Change.

(6) A representative of Bihar State Pollution Control Board.

(7) Inspector-Cum-Facilitator of Concerned area- Member

(8) Inspector-Cum-Facilitator with qualification in Chemical Engineering to be the Secretary of the Committee;

(b) The committee may co-opt a representative of District Administration during the site visit.

(ii) No member, unless required to do so by a Court of Law, shall disclose otherwise than in connection with the purpose of the Act, at any time any information relating to manufacturing or commercial business or any working process which may come to his knowledge during his tenure as a Member on this Committee.

(iii) **Applications for appraisal of sites**.

(a) Applications in **Form XXVII** for appraisal of sites in respect of the factories covered **under Section 2(za) of the Code** shall be submitted electronically to Labour Resource Department, Government of Bihar which shall forward it immediately to the Site Appraisal committee.

(b) The application for site appraisal along with 15 copies thereof shall be submitted in the Form-XXVII to the government and acknowledgement for the same shall be provided to the applicant within three working days. The Committee may dispense with furnishing information on any particular item in the Application Form if it considers

the same to be not relevant to the application under consideration. A summary examination of the documents needed for site appraisal shall be done by the office of Chief Inspector-Cum-Facilitator within 3 days from the date of receiving of the application and the applicant shall be informed online of deficiency, if any. In case the documents provided are complete, the acknowledgement shall mention the same.

(c) The applicant may submit an application under section 79(1) concerning approval of plans for factory together with the application under section 83(1) and the concerned Inspector-Cum-Facilitator shall consider the application for approval of site plan. If application is complete and correct in all respect in such case approval of site plan shall be given together with approval of Site Appraisal Committee.

(iv) **Function of the Committee** –

(a) The Committee shall examine the application for appraisal of a site with reference to the prohibitions and restrictions on the location of industry and the carrying on of processes and operations in different areas as per the provisions of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 framed under the Environment Protection Act, 1986.

(b) The Committee may call for documents, examine experts, inspect the site if necessary and take other steps for formulating its views in regard to the suitability of the site.

(c) The committee shall dispose of the application on the first-cum-first-serve basis and in case it is necessary to take urgent decision on any application the Chairman of the committee take approval of the Secretary in charge of the Government for expediting the clearance.

72. ***Form of application under sub-section (2) of section 83.—***

(i) The application to site appraisal committee shall be in **Form XXVII**

(ii) The first visit of the site appraisal committee shall be done preferably within 15 days of the acknowledgement given for submission of complete document and the whole process of site inspection, site appraisal shall be completed not letter than 30 days from the date of acknowledgement to the applicant. In extraordinary case where the site appraisal is not completed within 30 days the secretary of the committee shall give a report explaining the region thereof and shall expedite clearance. On every first business day of the working week a report shall be sent to the government regarding the pendency of application and action taken.

73. Manner of disclosing information by occupier of a factory under sub-section (1) of section 84;

(A) DISCLOSURE OF INFORMATION TO WORKERS

(1) The occupier of a factory carrying on a 'hazardous process' shall supply to all workers the following information in relation to handling of hazardous materials or substances in the manufacture, transportation, storage and other processes:

(a) Requirements of Sections 84(1) of the Code;
(b) A list of 'hazardous processes' carried on in the factory
(c) Location and availability of all Material Safety Data Sheets as per Schedule IV;
(d) Physical and health hazards arising from the exposure to or handling of substances;
(e) Measures taken by the occupier to ensure safety and control of physical and health hazards;
(f) Measures taken by the workers to ensure safe handling, storage and transportation of hazardous substances;
(g) Personal Protective Equipment required to be used by workers employed in 'hazardous process' or 'dangerous operations';
(h) Meaning of various labels and markings used on the containers of hazardous substances as provided under Schedule IV;
(i) Signs and symptoms likely to be manifested on exposure to hazardous substances and to whom to report;
(j) Measures to be taken by the workers in case of any spillage or leakage of a hazardous substance
(k) Role of workers vis-à-vis the emergency plan of the factory, in particular the evacuation procedures;
(l) Any other information considered necessary by the occupier to ensure safety and health of workers.

(2) The information required by sub-rule (1) shall be compiled and made known to workers individually through supply of booklets or leaflets and display of cautionary notices at the work places.

(3) The booklets, leaflets and the cautionary notices displayed in the factory shall be in the language understood by the majority of the workers and also explained to them. (4) The Chief Inspector may direct the occupier to supply further information to the workers as deemed necessary. Rule

(B) DISCLOSURE OF INFORMATION TO GENERAL PUBLIC

(1) The occupier of every factory carrying on a 'hazardous process' shall in consultation with the District Disaster Management Authority designated by the State Government, take appropriate steps to inform the general public who are likely to be in the area which might be affected by an accident. Such information shall include:
(a) Name of the factory and address where situated;
(b) Identification, by name and position, of the person giving the information;
(c) Confirmation that the factory has approval from the Factories Inspectorate and Pollution Control Board;
(d) An explanation in simple terms of the hazardous process(es) carried on in the premise;
(e) The common names of the hazardous substances used which could give rise to an accident likely to affect them, with an indication of their principal harmful characteristics;

(f) Brief description of the measures to be taken to minimise the risk of such an accident in compliance with its legal obligations under relevant safety statutes;

(g) Salient features of the approved disaster control measures adopted in the factory;

(h) Details of the factory's emergency warning system for the General Public;

(i) General advice on the action members of the public should take on hearing the warning;

(j) Brief description of arrangements in the factory, including liaison with the emergency services, to deal with foreseeable accidents of such nature and to minimise their effects; and (k) Details of where further information can be obtained.

(2) The occupier shall also supply any further information – (a) to general public as directed by the District Disaster Management Authority from time to time; (b) to the elected representatives of the general public on request.

(3) The occupier shall endeavour to enter an agreement with the District Disaster Management Authority for the area, within whose jurisdiction the factory is situated, for the District Disaster Management Authority to take appropriate steps to inform the general public outside the factory who are likely to be affected by an accident as required in sub-rule (1).

(4) The information prescribed in sub-rule (1) shall be in Hindi and English and shall also be displayed in big hoarding at conspicuous places around the outside boundary of the factory as well as in the habitation likely to be affected by it.

(C) DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE LOCAL AUTHORITY.— The occupier of every factory carrying on a 'hazardous process' shall furnish the following information in writing to the local authority having jurisdiction over the area in which the factory is situated –

(a) the information furnished to general public as prescribed in the Rule 73B;

(b) a statement of the names and quantities generally stored or in process of hazardous substances included in the list of chemicals prescribed under clauses (vi) and vii) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986. Rule

(D) DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE CHIEF INSPECTOR-CUM-FACILITATOR

(1) The occupier of every factory carrying on 'hazardous process' shall furnish, in writing, to the Chief Inspector a copy of all the information furnished to the workers, local authority and general public.

(2) A copy of compilation of Material Safety Data Sheets as per **Schedule IV** in respect of hazardous substances used, produced or stored in the factory shall be furnished to the Chief Inspector, and the local Inspector.

(3) The occupier shall also furnish any other information asked for by the Chief Inspector-cum-Facilitator from time to time.

74. ***Interval of informing Chief Inspector-cum-Facilitator and the local authority about the policy with respect to the health and safety of the workers under sub-section (2) of section 84.—***The occupier of every factory, except as provided for in sub-rule (2), shall prepare a written statement of his policy in respect of health and safety of workers at work.

(2) ***All factories –***

(a) covered under Section 2(w) (i) but employing less than 50 workers;

(b) covered under Section 2(w)(ii) but employing less than 100 workers; are exempted from requirements of sub-rule(1): Provided that they are not covered under the First Schedule under Section 2(za) or carrying out processes of operations declared to be dangerous under Section 82 of the Code.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule(2) the Chief Inspector-cum-Facilitator may required the occupiers of any of the factories or class or description of factories to comply with the requirements of sub-rule(1) if, in his opinion, it is expedient to do so.

(4) The Health and Safety Policy should contain or deal with:

(a) declared intention and commitment of the top management to health, safety and environment and compliance with all the relevant statutory requirements;

(b) organisational set-up to carry out the declared policy clearly assigning the responsibility at different levels; and (c) arrangements for making the policy effective.

(5) In particular, the Policy should specify the following:

(a) arrangements for involving the workers;

(b) intention of taking into account the health and safety performance of individuals at different levels while considering their career advancement;

(c) fixing the responsibility of the contractors, sub-contractors, transporters and other agencies entering the premises;

(d) providing a resume of health and safety performance of the factory in its Annual Report;

(e) relevant techniques and methods, such as safety audits and risk assessment for periodical assessment of the status on health, safety and environment and taking all the remedial measures;

(f) stating its intentions to integrate health and safety, in all decisions including those dealing with purchase of plant, equipment, machinery and material as well as selection and placement of personnel;

(g) arrangements for informing, educating and training and retraining its own employees at different levels and the public, wherever required.

(6) A copy of the declared Health and Safety Policy signed by the occupier shall be made available to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction over the factory and to the Chief Inspector-cum-Facilitator and local authority anually;

(7) ***The Policy shall be made widely known by –***

(a) making copies available to all workers including contract workers, apprentices, transport workers suppliers, etc.

(b) displaying copies of the policy at conspicuous places; and

(c) any other means of communication; in a language understood by majority of workers.

(8) The occupier shall revise the Safety Policy as often as may be appropriate, but it shall necessarily be revised under the following circumstances: - (a) whenever any expansion or modification having implications on safety and health of persons at work is made; or (b) whenever new substance(s) or articles are introduced in the manufacturing process having implications on health and safety of persons exposed to such substances.

75. ***Compulsory disclosure of information for a Factory starting hazardous process to Chief Inspector-cum-Facilitator under sub-section (5) of section 84.—*** The Information desired under this Rule shall be furnished electronically.

76. ***Manner of publicising among the workers and the general public living in the vicinity of the factory the measures and disposal laid down under sub-section (7) of section 84.—*** For the purpose of Sub-section (7) of Section 84, the occupier of a factory shall publicize measure for the handling, usage, transportation and storage of hazardous substances inside the factory premises and the disposal of such substances outside the factory premises to workers and the general public living in vicinity by print and electronic media, hoarding or any other mode of communication which is suitable for this purpose and a record thereof.

77. ***Conditions for accessibility to the record by the workers under clause (a) of section 85.—***

(1) The occupier of every factory carrying out 'hazardous process' shall make accessible the health records including the record of workers' exposure to hazardous process or as the case may be, the medical records of any worker for his perusal under the following conditions:-

(a) One in every six months or immediately after the medical examination whichever is earlier.

(b) If the Factory Medical Officer/Civil Surgeon is of the opinion that the worker has manifested signs and symptoms of any notifiable disease as specified in the Third Schedule of the Act;

(c) If the worker leaves the employment;

(d) If any of the following authorities so direct;

- the Chief Inspector-Cum-Facilitator;
- the Health Authority of the Central or State Government;
- Competent authority of Employees Compensation under the Social Security Code, 2020;
- The Director General, Employees State Insurance Corporation;
- The Director Employees State Insurance Corporation (Medical Benefits); and
- The Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes.

(2) A copy of the up-to-date health records including the record of worker's exposure to hazardous process or, as the case may be, the medical records shall be supplied to the worker on receipt of an application from him, X-Ray plates and other medical diagnostic reports may also be made available for reference to his medical practitioner.

78. ***Qualification and experience of persons handling hazardous substance and manner of providing necessary facilities for protecting the workers under clause (b) of section 85.—***

(1) All persons who are required to supervise the handling of hazardous substances shall possess the following qualification and experience:

(a)(i) A degree in Chemistry or Diploma in Chemical Engineering or Technology with 5 years experience; or

(ii) A Master's Degree in Chemistry or a Degree in Chemical Engineering or Technology with 5 years, experience.

The experience stipulated above shall be process operation and maintenance in the Chemical Industry.

(b) The Chief Inspector may require the Supervisor to undergo training in Health and Safety.

(2) The Syllabus and duration of the above training and the organisations conducting the training shall be approved by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes or the State Government in accordance with the guidelines issued by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes.

79. ***Manner of providing for medical examination of a worker under sub-clause (ii) of clause (c) of section 85.—***

(1) Workers employed in a 'hazardous process' shall be medically examined by a qualified medical practitioner in the following manner:-

(a) Once before employment, to ascertain physical fitness of the person to do the particular job;

(b) Once in a period of 6 months, to ascertain the health status of all the workers in respect of occupational health hazards to which they are exposed; and in cases where in the opinion of the Factory Medical Officer it is necessary to do so at a shorter interval in respect of any worker;

(c) The details of pre employment and periodical medical examination carried out as aforesaid shall be recorded in the Health Register in Form XXVIII.

(2) No person shall be employed for the first time without a certificate of Fitness in Form XXIX granted by the Medical Officer. If the Medical Officer declares a person that for being employed in any process covered under sub-rule (1), such a person shall have the right to appeal to the Inspector-Cum-Facilitator who shall refer the matter to the Civil Surgeon of that area whose opinion shall be final in this regard.

(3) Any findings of the Medical Officer revealing any abnormality or unsuitability of any person employed in the process shall immediately be reported to the Civil Surgeon of that area who shall in turn, examine the concerned worker and communicate his findings to the occupier within 30 days, If the Civil Surgeon is of the opinion that the worker so examined is required to be taken away from the process for health protection he will direct the occupier accordingly, who shall not employ the said worker in the same process. However, the worker so taken away be provided with alternate placement unless he is fully incapacitated, in the opinion of the

Civil Surgeon, in which case the worker affected shall be suitably rehabilitated:

(4) The worker taken away from employment in any process under sub-rule (2) may be employed again in the same process only after obtaining the fitness certificate from the Civil Surgeon of that area and after making entry to that effect in the Health Register.

(5) An Inspector-Cum-Facilitator may, if he deems it necessary to do so refer worker to the Civil Surgeon of that area for medical examination as required under sub-rule (1) and the opinion of the Civil Surgeon in such a case shall be final. The fee required for this medical examination shall be paid by the occupier.

(6) The worker required to undergo medical examination under these rules and for any medical survey conducted by or on behalf of the Central or the State Government shall not undergo such medical examination.

(7) The worker taken away from employment in any process under sub-rule (2) may be employed again in the same process only after obtaining the Fitness Certificate from the Certifying Surgeon and after making entries to that effect in the Health Register.

80. ***Value of the maximum permissible limit of exposure of chemical and toxic substances in manufacturing process in any factory under section 88***.—The Permissible Levels of exposure of Chemical Substances in manufacturing process in a factory for the purpose of Section 88 shall be as per the **Schedule I**.

81. ***Appellate authority for appeal against the order of Inspector-cum-Facilitator of factory and the manner of appeal under section 90***.—

(1) An appeal presented under section 90 shall lie to the Chief Inspector-cum-Facilitator, or in cases where the order appealed against is an order passed by that officer, to the State Government or to such authority as the State Government may appoint in this behalf and shall be in the form of a memorandum setting forth concisely the grounds of objection to the order and bearing court fees stamp in accordance with Article 11 of Schedule II to the Court Fees Act, 1870, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against.

(2) ***Appointment of assessors***.—On receipt of the memorandum of appeal the appellate authority shall, if it thinks fit or if the appellant has requested that the appeal should be heard with the aid of assessors, call upon the body declared under sub-rule (3) to be representatives of the industry concerned, to appoint an assessor within a period of 14 days. If an assessor is nominated by such body, the appellate authority shall appoint a second assessor itself. It shall then fix a date for the hearing of the appeal and shall give due notice of such date to the appellant and to the Inspectors whose order is appealed against, and shall call upon the two assessors to appear upon such date to assist in the hearing of the appeal.

(3) The appellant shall state in the memorandum presented under sub-rule (1) whether he is a member of one or more of the following bodies-

(1) The Bihar Chamber of Commerce.
(2) The Bihar Sugar Mills Association.
(3) The Bihar Industries Association.
(4) The Engineering Association of India.

The body empowered to appoint the assessor shall-

(a) if the appellant is a member of one of such bodies, be that body;

(b) if he is a member of two such bodies, be the body which the appellant desires should appoint such assessor; and

(c) if the appellant is not a member of the aforesaid bodies, or if he does not state in the memorandum which of such bodies he desires should appoint the assessor, be the body which the appellate body considers as the best fitted to represent the industry concerned.

(4) ***Remuneration of assessors***.—An assessor appointed in accordance with the provisions of sub-rules (2) and (3) shall receive for the hearing of the appeal, **also to be fixed by the State Government**. He shall also receive the actual travelling expenses. The fees and travelling expenses shall be paid to the assessor by Government; but where assessors have been appointed at the request of the appellant and the appeal has been decided wholly or partly against him, the State Government may direct that the fees and travelling expenses of the assessor shall be paid in whole or in part by the appellant.

82. ***Rules under section 91***.—

(1) **Persons defined to hold positions of supervision or management and confidential positions-** The State Government may make rule under Section 91 (1) (a) or (b) an exempt by an order in writing any or all of the adult worker or any establishment or class of establishment for such condition as it may deemed expedient. Such order shall become effective after the publication in gazette.

83. ***Facilities for workers in plantation under sub-section (1) of section 92.—***

(i) ***Facilities to workers.—***

(A) ***Housing accommodation for workers***.-

(1) Every employer shall provide for workers and his family residing in a plantation, housing accommodation as near as possible to the place of work.

(2) All housing accommodation for workers in a plantation shall have separate rooms for women employees. Effective and suitable provision shall be made in every room for securing and maintaining adequate ventilation by the circulation of fresh air and there shall also be provided and maintained sufficient and suitable natural or artificial lighting. The rooms or other suitable alternative accommodation shall be of such dimensions so as to provide at least a floor area of 10 square meters excluding area of kitchen and toilet for each person making use of the room. The accommodations shall be so constructed as to afford adequate protection against heat, wind, rain and shall have smooth, hard and impervious floor surface.

(***3***) ***Sites for housing accommodation.-***

(i) The housing accommodation shall be provided on dry well-drained land which has supplies of potable drinking water.

(ii) Adequate lighting arrangements shall be provided in and around the area in which housing accommodation is provided.

(iii) The employer shall maintain in good condition the approach roads and paths to the area where houses are located as also the sewers and drains in that area.

(iv) The employer shall keep houses hygienic and also provide for drainage and sewage.

(4) ***Maintenance of houses*** The houses shall be kept in good condition.

(B) ***Crèches facilities.—***Every employer of the plantation wherein fifty or more workers(including workers employed by any contractor) are employed or were employed on any day of the preceding twelve months, shall provide crèches facilities.

(C) ***Educational facilities for worker's children.—*** (i) Every employer shall if the number of worker's children between the ages of six to **fourteen** in his plantation exceeds 25, provide and maintain a Primary School or Schools for imparting Primary education to the children or facilitate admission in Government school.

(D) ***Health Facilities.—***The employer shall give basic health facilities to its worker and covered them in Employee State Insurance Scheme.

(ii) State Government may notify additional facilities through a Gazette notification.

84. *Prohibiting or, restricting employment of women or adolescents under sub-section (2) of section 93.—*No adolescent worker shall be permitted to be engaged in handling or storage or transport of insecticide ,pesticide, hazardous chemicals and other toxic substances.

85. ***Qualifications under sub-section (3) of section 93.—***The use, handling, storage and transportation of insecticides, chemicals and toxic substances shall be supervised by a competent person who should possess the following qualifications.—

(1) He shall be a graduate in Agriculture or in Chemistry or he shall possess a Certificate Course on handling of chemicals and toxic substances conducted by the recognized institutes.

(2) He should also possess a valid certificate from a recognized institute for giving first aid treatment to workers.

86. ***Training of Workers under sub-section (4) of section 93.—***(1) The workers involved in handling insecticides, chemicals, arid toxic substances shall be arranged for suitable training by the supervisor mentioned in Section 93(3) or any other person having similar qualification.

87. ***Manner of periodical medical examination of worker under sub-section (5) of section 93.—***

(1) Every worker who is engaged in the work of handling, dealing, or spraying or mixing insecticides, chemical and toxic substances shall be medically examined initially at the time of employment and thereafter once in six months.

(2) The medical examination and tests shall be recorded as per the **Form XXVIII.**

(3) Every employer shall maintain a health record of every worker such as annual medical examination or any other examination when required shall be kept in plantation and every such worker shall have access to such record.

88. ***Manner of providing facilities, clothing and equipment under sub-section (7) of section 93.—***

(1) Every employer shall provide washing, bathing and cloak room facilities to the workmen, who are employed in handling insecticides, pesticides, chemicals and toxic substances.

(2) Protective clothing and equipment.—

(a) Persons handling insecticides, chemicals and toxic substances during its operation, distribution, mixing, spraying shall be adequately protected with appropriate clothing.

(b) The protective clothing shall be made of materials which prevent or resist the penetration of any form of insecticide, chemical and toxic formulations. The materials shall also be washable so that the toxic elements may be removed after each use.

(c) A complete suit of protective clothing shall consist of the following dresses, namely.—

- Protective outer garment with hat.
- Rubber gloves or such other protective gloves extend way up to the fore arm made of materials impermeable to liquids.
- Dust proof goggles.
- Boots.
- Reusable cloth masks.

89. ***Precautionary notices under sub-section (9) of section 93.—***Every employer in the plantations shall display the following precautionary notices at or near the place where the insecticides, chemicals and toxic substances are handled.—

(i) Use protective clothing like overalls, gloves, rubber gum-boots and wide brimmed hats.

(ii) Do not wear clothes contaminated with insecticides and pesticides.

(iii) Clean the protective clothing by washing with soap and water.

(iv) Do not allow children, sick persons and pregnant women and nursing mothers to handle insecticides and pesticides.

(v) Do not eat, drink, smoke or chew while handling insecticides and pesticides.

(vi) Never blowout clogged nozzles with your mouth.

(vii) Do not use leaking sprayers. Avoid contamination of the skin, mouth and eyes.

(viii) Do not inhale the insecticides unattended in the fields.

(ix) Never spray insecticides and pesticides against the wind.

(x) Do not leave insecticides and pesticides unattended in the fields.

(xi) Do not allow humans and livestock to enter the insecticides and pesticides sprayed fields for a period of time, suggested by the manufacturers.

(xii) Do not wash insecticides and pesticides containers near a well or running stream.

(xiii) Keep clean water, soaps and towels ready for use.

(xiv) Wash hands and exposed skin thoroughly with soap and water before eating, drinking, smoking or, chewing and after work.

(xv) Keep the insecticides and pesticides locked in the store room and out of reach of children and other unauthorized persons.

(xvi) Do not enter the sprayed field. Follow the re-entry periods for all insecticides and pesticides including herbicides, suggested by the manufacturers.

(xvii) Keep insecticides and pesticides in their original, labeled containers.

(xviii) Do not decant insecticides and pesticides into unlabeled containers except for immediate use.

(xix) Dispose the containers safely after thoroughly emptying and washing. They may be buried in a place away from a water source.

(xx) Never reuse the container for any other purposes if it is impossible to remove the traces of insecticides and pesticides from the containers.

90. ***Manner of compounding under sub-section (1) of section 114;*** *167. Manner of compounding of offences by the authorized officer specified under sub-section (1) of section 114.-*

(1) The officer notified by the Central Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 114 shall issue electronically a compounding notice for the offences for which are compoundable under section sub-section (1) of section 114.

(2) The person so noticed may apply to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.

(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the one months before the institution of prosecution, the prosecution shall be proceeded with before the competent Court.

(5) no prosecution shall be instituted without giving an opportunity to the employer to comply with such provisions subjected to proviso of sub-section (1) of Section 110 and compounding as under Section 114.

91. ***Other sources of fund under sub-section (2) of section 115.—***In addition to source of fund mentioned in Clause (i) sub-section (2) of Section 115, the amount received from the following sources shall be credited to the Fund:-

(i) Amount given by the State Government for the establishment of the fund.

(ii) The amount of grant given by the Government of India, the State Government and other authorities and statutory bodies.

(iii) Amount received for registration/renewal of beneficiaries and their contribution.

(iv) Amount received for implementation of the scheme notified by the Government of India.

(v) Amount received for implementation of the scheme notified by the State Government.

(vi) Contribution or donation or any other financial support from employer, their association or from Corporate Social responsibility (CSR) Fund as determined by the State Government by general or special order.

(vii) Any other source which is approved by State Government time-to-time through notification.

92. ***Manner of administering and expending the Fund under sub-section (3) of section 115.—***The manner of administering and expending the Fund shall be notified by State Government.

93. ***Form of application, manner of filing the application and the fee to be accompanied therewith including the information relating to the employment of inter-State migrant workers under sub-section (2) of section 119.—***

(i) Any person seeking common licence or single licence for the purpose **sub-section (2) of section 119** shall apply electronically in Form-XIII on the Online Portal by giving details about the establishment(s), and uploading relevant documents related to that licence, proof of Identity and address of the employer(s) as specified in the Form along with the fee prescribed in the Sub-rule 3 of Rule 84. The Form shall be signed digitally or in any other manner as may be required on the portal. The applicant shall be responsible for veracity of all information submitted in the application.

(iii) Where the authority is satisfied that the common licence may be issued respect of a factory, industrial premises for beedi and cigar work and for engaging contract workers or any combination thereof or single licence for any one of them under this Code, such authority shall issue a licence in Form-XIV electronically within **thirty days** of the receipt of application failing which the licence shall be deemed to be issued and shall be auto generated and the responsibility of such failure shall be on such authority.

(iv) The licence shall be non-transferable.

(v) The licence for engaging contract labours, contain the number of inter-State migrant workers employed.

(2) Any licence obtained by providing wrong information shall be liable to be cancelled provided that person has been given an opportunity to show cause, electronically or by registered post, as to why the licence should not be cancelled.

(3) The fees to be paid under under Sub-section (2) of Section 119- (1). The fees to be paid for the grant or renewal of a licence shall be as specified in the table below, namely;

Sl.	Number of Contract Labours	Fees
A	No License is required up to 49 Labours	NIL
B	50 but does not exceed 100 Labours	Rs. 1000
C	101 but does not exceed 300 Labours	Rs. 2000
D	301 but does not exceed 500 Labours	Rs. 3000
E	501 but not exceeding 1000 Labours	Rs. 5000
F	1001 but not exceeding 5000 Labours	Rs. 10,000

Sl.	Number of Contract Labours	Fees
G	5001 but not exceeding 10000 Labours	Rs. 20,000
H	10001 but not exceeding 20000 Labours	Rs. 30,000
I	20001 and above Labours	Rs. 40,000

94. ***Actions, manner of taking actions and inquiry under sub-section (3) of section 119***.—Actions, manner of taking actions and inquiry under sub-section (3) of section 119 as may be notified by State Government.

95. ***Form of appeal, the fee to be accompanied therewith and the appellate authority under sub-section (6) of section 119;***.—Form of appeal, the fee to be accompanied therewith and the appellate authority under sub-section (6) of section 119-

(i) The person aggrieved by the order of authority under Sub section (1) of Section 119, may appeal against such order before the appellate officer appointed by the State Government for such purpose within thirty days from the date of receipt by him of such order, electronically.

(ii) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate officer shall admit the appeal, acknowledge it and intimate admission of such appeal, and shall register the appeal in electronic form to be kept for the purpose called the register of appeals.

(iii) When the appeal has been admitted, the appellate officer shall send the notice of the appeal to the registering officer, against whose order the appeal has been preferred and the registering officer shall thereupon send the records of the case to the appellate officer online electronically.

(iv) On receipt of the appeal, the appellate officer shall send a notice to the appellant to appear before him on such date and time as may be specified in the notice for the hearing of the appeal electronically or by registered post.

(v) If on the date fixed for hearing, the appellant does not appear, the appellate officer may dismiss the appeal for default of appearance of the appellants by sending the copy of the order to the applicant electronically.

(vi) Where an appeal has been dismissed, the appellant may apply electronically to the appellate officer for the restoration of the appeal within thirty days from the date of receipt of the order and if the appellate officer is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from appearing, the appellate officer shall restore the appeal.

(vii) The order of the Appellate Officer shall be communicated electronically or by registered post to the appellant and copy thereof shall be sent to the registering officer against whose order the appeal has been preferred and shall be disposed of within a period of thirty days from the date of receipt of appeal.

96. ***Manner of survey under sub-section (2) of section 121; Manner of survey under sub-section (2) of section 121.—***The Chief Inspector- cum- Facilitator, officer or the committee so appointed by state government to undertake survey in accordance with provisions of section 121(2) of the code, may, at any time during the normal working hours of an establishment , or at any other time as is found by him or the committee to be necessary, after giving notice in writing to the employer or manager of the establishment or

any other person who for the time being purports to be in charge of the establishment, undertake survey relating to safety and health in the establishment and outside.

(1) Employer or manager or other person shall afford all facilities for such survey, including facilities for the examination and testing of plant and machinery and collection of samples and other data relevant to the survey.

(2) For the purpose of facilitating surveys every worker and person in near vicinity, if so required by the person conducting the survey, present himself to undergo such medical examination as may be considered necessary by such person and furnish all information in his possession and relevant to the survey.

(3) Any time spent by a worker for undergoing medical examination or furnishing information under sub rule (2) shall, for the purpose of calculating wages and extra wages for overtime work, be deemed to be time during which such worker worked in the establishment.

SCHEDULE-I

[see rule 2(4)]

Sub Schedule-1

List of Hazardous Chemicals

Sl.	Name of the Chemical
1	Acetone
2	Acetone Cyanohydrine
3	Acetylene Chloride
4	Acetlone (Ethyne)
5	Arcolein (2-Propenal)
6	Acrylontirle
7	Aldicarb
8	Sldrine
9	Alkyl Phthaiate
10	Allyl Alcohol Acid and Salts.
11	Allyiamine
12	AiphaNaphthylThiourea (Antu)
13	4-Aminodiphenyl Asbestos
14	2-Aminophenol
15	Amiton
16	Ammonia
17	Ammonium Nitrate
18	Ammonium Nitrate in Fertilizers
19	Ammonium Sulfamate
20	Anabasine
21	Aniline
22	P-Anisidine
23	Antimony & Compounds

Sl.	Name of the Chemical
24	Antimony Hydride (Stibine)
25	Arsenic Hydrice (Arisine)
26	Arsenic Pentoxide, Arsenic (v)
27	Arsenic Trioxide, Arsenious (III)
28	Acid and Salts.
29	Azinphos-Ethyl
30	Azinphos-Methyl
31	Barium Azide
32	Benzene
33	Benzidine
34	Benzidine Salts
35	Benzoquinone
36	Benzoyl Chloride
37	Benzoyl Peroxide
38	Benzyle Chloride
39	Benzyl Canide
40	Beryllium (Powders, Compounds)
41	Biphenyl
42	Bis (2-Chloromethyl) Ketone
43	Bis (2, 4, 6-Trinitrophenyl) Amine
44	Bis (2-Chloroethyl) Sulphide
45	Bis (Chloromethyl) Ether
46	2, 2-Bis (Tert-Butyiperoxy) Butane
47	1, 1 -Bis (Tert-Butypeeohy) Cyclonexane
48	Bis-1,2 (Tribromophenoxy) Ethane
49	Bisphenol
50	Boron and Compounds
51	Bromine
52	Bromine Pentafluoride
53	Bromoform
54	1, 3-Butadiene
55	Butane
56	N-Butanethiol
57	2-Butanone
58	Butoxy Ethanol
59	Butyl Glycidal Ether
60	Tert-ButyiPeroxacetate
61	Tert-Butyl Petroxyisobutyrate
62	Tert-Butyl Peroxyisopropyl Carbonate
63	Tert-Butyl Peroxymalte

Sl.	Name of the Chemical
64	Tert-Butyl Peroxypivalate
65	Butyl Vinyl Ether Acids and Salts.
66	Butyamine
67	C9-Aromatic Hydrocarbon Fraction
68	Cadmium and Compounds
69	Cadmium Oxide (Fumes)
70	Calcium Cyanide
71	Captan
72	Captofol
73	Carbaryl (Sevin)
74	Cabofuran
75	Carbon Disulphide
76	Carbon Monoxide
77	Carbon Tetrachloride
78	Carbophenothion
79	Cellulose (use in explsovies)
80	Chlorates (use in explosives)
81	Chlordane
82	Chlorfenvinphos
83	Chlorinated Benzenes
84	Chlorine
85	Chlorine Dioxide
86	Chlorine Oxide
87	Chlorine Trifluoride
88	Chlormequate Chloride
89	Chloroacetal Chloride
90	Chloroacetaldehyde
91	2-Chloroaniline
92	4-Chloroaniline
93	Chlorobenzene
94	Chlorodiphenyl
95	Chloroepoxypropane
96	Chloroethanol
97	ChloroethylChloroformate
98	Chlorofluorocarbons
99	Chloroform
100	4-(Chloroformy) Morpholine
101	Chloromethane
102	Chloromethyl Ether
103	ChloronitTobenzene

Sl.	Name of the Chemical
104	Chloroprene
105	Chlorosulphuric Acid
106	Chloroprinitroobenzene
107	Chloroxuron
108	Chromium and Compounds
109	Coboit and Compounds
110	Copper and Compounds
111	Coumafuryl
112	Coumaphos
113	Coumatetralyl
114	Crimidine
115	Crimidine
116	Cumene
117	Cyanophos
118	Cyanotheate
119	Cyanuric Fluoride
120	Cyclehexane
121	Cyclohexanol
122	Cyclohexanone
123	Cyclphexamide
124	Cyclopentadiene
125	Cyclopentane
126	CyclotetranethylentErranitramine
127	Cyclototimethylenetrinitra
128	DDT
129	Decabromodiphenyl Oxide
130	Demeton
131	Di-Isobutyryl Peroxide
132	Di-n-Propyl Peroxydicarbonate
133	Di-sec-Butyl Peroxydicarbonate
134	Dialifos
135	Diazedinitrophenol
136	Diazomethane
137	DibenzylPeroxydicarbonate
138	Dichloroacetylene
139	O-Dichlorobenzene
140	P-Dichlorobenzene
141	Dichloroethane
142	Dischloroethyl Ether
143	2, 4-Dichlorophenol

Sl.	Name of the Chemical
144	DiprophyleneGlycolmethylether
145	2, 4 Dichlorophenoxy Acetic Acid(2,4-D)
146	1, 2-Dichlorosalicylic Acid
147	3, 5-Dichlorosalicylic Acid
148	Dichlorovos (DDVP)
149	Dicrotophos
150	Dieldrin
151	Diepoxybutane
152	Diethyl Peroxydicarbonate
153	Diethylene Glycol Dinitrate
154	DiethyleneTriamine
155	Diethyleneglycol Butyl 1 Ether/ Diethyleneglycol Butyl Acetate
156	Diethylenetrlamine (Deta)
157	Diglycidyl Ether
158	2, 2-Dihydroperoxypropone
159	Disobutryl Peroxide
160	Dimefox
161	Dimethoate
162	Dimethyl Phosphoramidosyanidic Acid
163	Dimethyl Phthaiate
164	Dimethylcarbomoyl Chloride
165	Dimethylinitrosomine
166	Dinitrophenol Salts
167	Dinitrotoluene
168	Diitro-o-Cresol
169	Dioxane
170	Dioxathion
171	Dioxolane
172	Diphacinone
173	DiphosphoramieOctamethyl
174	Formaldehyde
175	Disulfoton
176	Endosulfan
177	Endrin
178	Epichlorophydrine
179	EPN
180	1, 2-Epoxypropane
181	Ethion
182	Ethyl Carbamate
183	Ethyl Either

Sl.	Name of the Chemical
184	Ethyl Haxanol
185	Ethyl Mercaptan
186	Ethyl Methacrylate
187	Ethyl Nitrate
188	Ethylene
189	Ethylene Chlorophydrine
190	Ethylene Diamine
191	Ethylene Dibromide
192	Ethylene Cichloride
193	Ethylene Glycol Dinitrate
194	Ethylene Oxide
195	Ethylene Limine
196	Fluenetil
197	Pensulphothion
198	Flenetil
199	4-Fluoro, 2-Hodroxybutyric Acid and Salts, Esters, Amides,
200	Fluoroacetic Acid and Salts, Esters, Amides
201	Fluorobutyric Acid and Salts, Esters, Amides
202	4 Fluorochrotonic Acid and Salts, Esters, Amides
203	Glyconitrile (Hydroxyacetonitrile)
204	1, Guanyl-4 Nitrosamiaoguanyl 1-Tetrazene
205	Heptachlor
206	HexachloroCyclopentadiene
207	HexachlorocyClohexane
208	HexachlorecyClomethane
209	1, 2, 3, 7, 8, 9-Hexachloroda-benzyo Dioxine.
210	Hexafluopropene
211	Hexamethylphosphoramide
212	3, 3, 6, 6, 7, 8, Hexamethyl 1, 2, 4, 5, Tetroxacy, Clononane
213	Hexamethylenediamine
214	Hexane
215	2, 2, 4, 4, 6, 6-Hexanitrostilbene
216	Hexavalent Chromium
217	Hydrazine
218	Hydrizine Nitrate
219	Hydrochloric Acid
220	Hydrogen
221	Hydrogen Bromide (Hydrobromic Acid)
222	Hydrogen Chloride (Liquefied gas)
223	Hydrogen Cyanide

Sl.	Name of the Chemical
224	Hydrogen Fluoride
225	Hydrogen Scienide
226	Hydrogen Sulphide
227	Hydroquinone
228	Iodine
229	Isobenzan
230	Isodrin
231	IsophoroneDisocyanate
232	Isopropyl Eather
233	Juglone (5-Hydroxynaphthalene 1,4-Dione)
234	Lead (Inorganic fumes and dusts)
235	Lead 2, 4, 6-Trinitroreso-crinoxide (Lead Styphnate)
236	Lead Azide
237	Leptophos
238	Lindand
239	Liquefied Petroleum Gas (LPG)
240	Maleic Anhydride
241	Manganese and Compounds
242	MercaptoBenzothiazole
243	Mercury Alkyl
244	Mercury Fuslminate
245	Mercury Methyl
246	Methacrylic Anhydride
247	Methacrylonitrile
248	Methacryloyl Chloride
249	Methacryloyl Chloride
250	MethanesuphonylFluride
251	Methanethiol
252	Methoxy Ethanol (2-Methyl Cellosolve)
253	MethoxyEthylmercuric Acetate
254	Methyl Acrylate
255	Methyl Alcohol
256	Methyl Alcohol
257	Methyl Bromide (Bromomethane)
258	Methyl Chloride
259	Methyl Chloroform
260	Nitrogen Trifluoride
261	Methyl Cyclohexene
262	Methyl Ethyl Ketone Peroxide
263	Methyl Hydrazine

Sl.	Name of the Chemical
264	Methyl Isobutyl Ketone
265	Methyl Isobutyl Ketone Peroxide
266	Methyl Isocyanate
267	Methyl Isothiocyanate
268	Methyl Marcaptan
269	Methyl Methacryiate
270	Methyl Parathion
271	Methyl Phosphoric Dichloride
272	N-Methyl, 2, 4, 6-Tetranitroaniline
273	Methylene Chloride
274	4,4-Methylenebis (2 Chloroaniline)
275	Methyltrihlorosilane
276	Mevinphos
277	Moiybdenum and compounds
278	N-Methyl-N, 2, 4, 6-N-Tetranitro-aniline
279	Nephtha (Coal Tar)
280	2-Naphthylamine
281	Nickel and Compounds
282	Nickel Tetracarbonyl
283	O-Nitroaniline
284	P-Nitroaniline
285	Nitrobenzene
286	P-Nitrochlorobenzene
287	Nitrocyclohexane
288	Nitroethane
289	Nitrogen Dioxide
290	Pentachloroethane
291	Nitroglycerine
292	P-Nitrophenol
293	1-Nitropropate
294	2-Nitropropate
295	Nitrosodi, ethyliamine
296	Nitrololune
297	Octabromophenyl Oxide
298	Oleum
299	Oleylamine
300	oo-Diethyl S-Ethylsulphinyi methyl Phosphorothioate
301	oo-Diethyl S-EthylsulphonyImethylPhosphorothioate
302	oo-Diethyl S-EthylthiomethylPhosphorothioate
303	oo-Diethyl S-IsopropylthiomethylPhosphordithioate

Sl.	Name of the Chemical
304	oo-Diethyl S-PropylthiomethylPhosphorodithioate
305	Oxyamyl
306	Oxy-lisulfoton
307	Oxygen (Liquid)
308	Oxygen Difluoride
309	Ozone
310	Paraoxon (Diethyl 4-Nitrophenyl Phosphate)
311	Paraquat
312	Parathion Methyl
313	Paris Green (BisAceto Hex-ametraarsenitoterta Copper)
314	Pentaborane
315	Pentabromodiphenyl Oxide
316	Pentabromophenol
317	Pentachlorophenol
318	PentacrythrifolTetranitrate
319	Pentane
320	Peracetic Acid
321	Perchloroethylene
322	PerchloromethylMercaptan
323	2-Pentanone, 4-Methyl
324	Penol
325	Phenyl Glycidal Ether
326	Phenylene P-Diamine
327	Phenylmercury Acetate
328	Phorate
329	Phosacetim
330	Phosacetim
331	Phosfolan
332	Phosgene (Carbonyl Chloride)
333	Phosmet
334	Phosphamiden
335	Phosphine (Hydrogen Phosphide)
336	Phosphoric Acid and Esters
337	Phosphoric Acid, BromoethylBromo (2, 2-Dimethyl Propyl) Bromoethyl Ester
338	Phosphoric Acid, BromoethylBromo (2, 2-Dimethylpropyl) Chloroethyl Ester
339	Phosphoric Acid, ChloroethyiBromo (2, 2-Dimethoxycpropyl) Chloroethyl Ester
340	Phosphorous and Compounds
341	Phostalan
342	Picric Acid (2, 4, 6-Trinitro-Phenol)
343	Pentachoro Naphthalene

Sl.	Name of the Chemical
344	Potassium Arsenite
345	Potassium Chlorate
346	Promurit (3, 4-Dichlorophenyl 3-Triazenethiocarboxamide)
347	1, 3-Propanesultone
348	1 Propen-2-Omoro 1, 3-Diol-diacetate
349	Propylene Dichloride
350	Propylene Oxide
351	Propylenelimine
352	Pyrazoxon
353	Selenium Nexmuoride
354	SemicarbazideHydrochlorde
355	Sodium Arseun
356	Sodium Azice
357	Sodium Chlorate
358	Sodium Cyanide
359	Sodium Picramate
360	Sodium Selenite
361	Styrene, 11, 2, 2-Terachloroethane
362	Sulfotep
363	Sulphur Dichloride
364	Sulphur Dioxide
365	Sulphur Trioxide
366	Sulphuric Acid .
367	Sulphoxide, 3-Chloropropyioctyl
368	Tellurium
369	Tellurium Hexafluoride
370	TEPP
371	Terbufos
372	Alpha-Terabromobisphenol
373	2, 2, 5, 6-Tetrachloro-2, 5-Cyclohexadiene-1, 4-Dione
374	2, 3, 7, 8-Tetrachlorodibezo-p Diosin (CDD)
375	Tetrafluoroethane
376	TetramethyleneDiulphotetramine.
377	Tetramethyl Lead
378	Tetranitromethane
380	Thallium and Compounds
381	Thionazin
382	Thionyl Chloride
383	Tirpate
384	Toluene

Sl.	Name of the Chemical
385	Tolune-2-4-Diisocyanate
386	0-Toluidine
387	Toluene 2, 6-Diisocyanate
388	Trans-1, 4 Chlorobutene
389	1-TRI, (Cyclohexyl) StannyMH 1, 2, 4 Triazole
390	1, 2, 4 Triazole
391	2, 5 Triamino 2, 4, 5, Trinitrobenzene.
392	2, 4, 6-Tribromophenol
393	Trichloro Acetyl Chloride
394	Trichloro Ethane
395	TrichloroNapethalene
396	TrichloroChloromethylsilane
397	TrichloroDichlorophenylsilane
398	1, 1-Trichloroethane
399	TrichloroethylSillane
400	Trichloroethylene
401	Trichloromethanesulphenyl
402	2, 4, 5-Trichlorophenol
403	Triethylamine
404	Triethylenemelamine
405	Trimethylchlorosilane
406	TrimethylopropanePhosphite
407	Trinitroaniline
408	2, 4, 6 Trinitroanisole
409	Trinitrobenzene
410	Trinitrobenzoic Acid
411	2, 4, 6-Trinitroresorcinol (Styphnic Acid)
412	Trinitrotoluene
413	Tricrthocresyl Phosphate
414	Triphenylin Chloride
417	Terpentine
418	Uranium and Compounds
419	Venadium and Compunds
420	Vinyl Chloride
421	Vinyl Fluoride Chloride
422	Warfarin
423	Xylene
424	Xylidine
426	Zinc and Compounds
427	Zironium and Compounds.

Sub-Schedule-2

Isolated storage of Installation other than those covered by Sub-Schedule D

(a) The quantities set out below relate to each installation or group of installations belonging to the occupier where the distance between installations is not sufficient to avoid in foreseeable circumstances, any aggravation of major accident hazards. These quantities apply in any case to each of the installations belonging to the same occupier where the distance between the installations is less than 500 metres.

(b) For the purpose of determining the quantity of a hazardous chemical at an isolated storage, account shall also be taken of any hazardous chemical which is:-

(i) in that part of any pipeline under the control of the occupier having control of the site which is within 500 metres of that site and connected to it;

(ii) at any other site under the control of the occupier any part of the boundary of which is within 500 metres of the said site; and

(iii) in any vehicle, vessel, aircraft or hovercraft under the control of the same occupier which is used for storage purpose either at the site or within 500 metres of it.

But no account shall be taken of any hazardous chemical which is in a vehicle, vessel, aircraft or hovercraft for transporting it.

Serial no.	Chemical or group of chemicals	Quantity (tonnes)	
		For application of Rules 4, 5 and 7 to 9	For application of Rules 10 to 15
1	2	3	4
1.	Acrylonitrile	350	5,000
2.	Ammonia	60	601
3.	Ammonium nitra (a)	350*	2,500*
4.	Ammonium nitrate fertilizers (b)	1,250	10,000
5.	Chlorine	10	25
6.	Flammable gases as defined in Schedule 1 paragraph (b) (i)	50	300
7.	Highly flammable liquids as defined in Schedule 1, paragraph (b) (ii)	10,000	1,00,000
8.	Liquid oxygen	200	2,000
9.	Sodium chlorate	25	250
10.	Sulphur dioxide	20	50
11.	Sulphur trioxide	15	100

* Where this chemical is in a state which gives it properties capable of creating a major accident hazard.

(a) This applies to ammonium nitrate and mixtures of ammonium nitrate where the nitrogen content derived from the ammonium nitrate is greater than 28 percent by weight and to adequous solutions of ammonium nitrate

where the concentration of ammonium nitrate is greater than 90 percent by weight.

(b) This applies to straight ammonium nitrate fertilizers and to compound fertilizers where the nitrogen content derived from the ammonium nitrate is greater than 28 percent by weight (a compound fertilizer contains ammonium nitrate together with phosphate and/or potash).

Sub-Schedule -3

(a) The quantities set out below relate to each installation or group of installations belonging to the same occupier where the distance between the installation is not sufficient to avoid inforeseeable circumstances, any aggravation of major accident hazards. These quantities apply in any case to each group of installations belonging to the same occupier where the distance between the installation is less than 500 metres.

(b) For the purpose f determining the quantity of a hazardous chemical in an industrial installation, account shall also be taken of any hazardous chemical which is :-

(i) in that part of any pipeline under the control of the occupier having control of the site, which is within 500 metres of that site and connected to it;

(ii) at any other site under the control of the same occupier any part of the boundary of which is within 500 metres of the said site; and

(iii) in any vehicle, vessel, aircraft or hovercraft under the control of the same occupier which is used for storage purpose either at the site or within 500 meters of it;

but no account shall be taken of any hazardous chemical which is in a vehicle, vessel, aircraft or hovercraft used for transporting it.

Part-1 Named Chemicals

Serial no.	**Chemical**	**Quantity For application of Rules 5, 7 to 9 and 13 to 15.**		**CAS number For application of Rules 10 to 12.**
1	**2**	**3**		**4**
Group-I Toxic Chemicals		**kg-**		
1.	Aldicarb	100	...	116-06-3
2.	4-Aminodipheny	1	...	92-67-1
3.	Amiton	1	...	78-53-5
4.	Anabasine	100	...	494-52-0
5.	Arsenic pentoxide, Arsenic (V) acid and salts	500	...	...
6.	Arsenic trioxide, Arsenious (III) acid and salts	100	...	...
7.	Arsine (Arsenic hydride)	10	...	778442-1
8.	Azinphos-ethyl	100	...	2642-71-9
9.	Azinphos-methyl	100	...	86-50-0
10.	Benzidine	1	...	92-87-5
11.	Benzidino salts	1	...	...

Serial no.	Chemical	Quantity For application of Rules 5, 7 to 9 and 13 to 15.		CAS number For application of Rules 10 to 12.
1	2	3		4
12.	Beryllium (powders, compounds)	10	...	...
13.	Bis (2-chloroethyl) sulphide	1	...	505-60-2
14.	Bis (chloromethyl) ether	1	...	542-88-1
15.	Carbofuran	160	...	1563-66-2
16.	Carbophenothion	160	...	786-19-6
17.	Chlorofenvinphos	100	...	470-90-6
18.	4-(Chloroformy) morpholire	1	...	15159-10-7
19.	Chloromethyl methyl ether	1	...	107-30-2
20.	Cobit metal, oxide, Carbonates sulphides, as powders	1t	...	...
21.	Crimidme	100	...	535-89-7
22.	Cyanthoate	100	...	3734-95-0
23.	Cycloheximide	100	...	66-81-9
24.	Demeton	100	...	8065-48-3
25.	Dialifos	100	...	10311-84-9
26.	Co-Diethyl S-enthlsulphinyl methyl phoshorothiate	100	...	2588-06-8
27.	oc-Diethyl S-ethylsulphonyl, Methyl	100	...	2588-06-9
28.	Phosphorothioate Diethyl	100	...	2600-69-3
29.	S-othylthiomelhyl, phosphorothioateoc-Diethyl S-isoprophithio-methyl	100	...	78-52-4
30.	phosphorodihioateoc-Diethyl	100	...	3309-68-0
31.	S-prophl thio methyl phosphorothioate Dimefox	100	...	115-26-4
32.	Dimethylcarbamoyl chloride	1	...	70-44-7
33.	Dimethylcarbamoyl	1	...	62-75-9
34.	Dimethylphosphoramidocyanidic acid	1	...	63917-41-9
35.	Diphacinone	100	...	82-66-6
36.	Disulfoton	100	...	298-04-4
37.	EPN	100	...	2104-64-5
38.	Ethion	100	...	563-12-2
39.	Fensulfothion	100	...	115-90-2
40.	Flueretil	100	...	4301-50-2
41.	Fluoroacetic acid	100	...	144-94-0

Serial no.	Chemical	Quantity For application of Rules 5, 7 to 9 and 13 to 15.		CAS number For application of Rules 10 to 12.
1	2	3		4
42.	Fluoroacetic acid esters	1	...	...
43.	Ditto	1	...	...
44.	Fluoroacetic acid amides	1	...	...
45.	4-Fluorobutyric acid	1	...	462.23-7
46.	4-Fluorobutyric acid salts	1	...	...
47.	4-Fluorobutyric esters	1	...	...
48.	4-Fluorobutyric acid amides	1	...	...
49.	Fluorocrotonic acid	1	...	37759.72-1
50.	Ditto	1	...	...
51.	Ditto	1	...	...
52.	4.4 Fluorocrotnic acid, amides	1	...	...
53.	Fluoro-2-bydroxy butyric acid	1	...	...
54.	4-Fluoro-2-hydroxy butyric acid, salts	1	...	...
55.	4-Fluoro-2-hydroxy butyric acid esters.	1	...	...
56.	4-Fluoro-2-hydroxy butyric acid, amides.	1	...	...
57.	Glycolonitrile (hydroxyacetonitrile.)	100	...	107-16-4
58.	1, 2, 3, 7, 8, 9-Hexachlorodibonzo p-dioxin.	100	...	19408-74-3
59.	Hexamethylpho-sphoramide	11	...	680-31-9
60.	Hydrogesselexide	10	...	7783-07-5
61.	Isodrin	100	...	297-78-9
62.	Isodrin	100	...	465-73-6
63.	Juglone (5-Hydroxynaphthalene-1, 4-dione.)	100	...	481-39-0
64.	4,4-Methylenebis (2-chloroaniline).	1	...	101.14.0
65.	Methyl isocyanate	150	150 kg.	624-83-9
66.	Mevinphos	100	...	7786-34-3
67.	2-Naphthyl lamine	1	...	91-59-3
68.	Nickel metal, oxides, carbonates sulphide, as powders.	1t	...	...
69.	Nickel tetracarbonyl	10	...	13463-39-3
70.	Oxydiiulfolton	100	...	13463-39-3
71.	Oxygen diffueride	10	...	7783-41-7
72.	Paraoxon (diethyl 4-nitrophenyl	100	...	311-45.5

Serial no.	Chemical	Quantity For application of Rules 5, 7 to 9 and 13 to 15.		CAS number For application of Rules 10 to 12.
1	2	3		4
	phosphate)			
73.	Parathion	100	...	56-38-2
74.	Parathion-methyl	100	...	298.000.0
75.	Pentaborane	100	...	19624.22-7
76.	Phoratel	100	...	298.02-2
77.	Parathion	100	...	56-38-2
78.	Phosgene (carbonyl chloride)	750	75 ½ kg	75-44.5
79.	Phosphamidon	100	...	13171-21.6
80.	Phosphine (Hydrogen phosphide)	100	...	7803-51.2
81.	Promurit (1 -(3, 4-Dichlorophenyl)-3-triazenethio carboxamide).	100	...	5836-73-7
82.	1, 3 Propanesultone	1	...	1120-71-4
83.	1 -Propen-2-chloro-1, 3-diol discetate)	10	...	10118-72-6
84.	Pyrazoxon	100	...	108-34.9
85.	Selenium hexafluoride	10	...	7783-79-1
86.	Sodium selenite.	100	...	10102-18.8
87.	Stibine (Antimony hydride)	100	...	7803-52-3
88.	Sulfotop	100	...	3689-24.5
89.	Sulphur dichloride	1t	...	10545-99.0
90.	Telurium hexafluoride	100	...	7783-80-4
91.	TEPP	100	...	107-49.3
92.	2, 3, 7, 8 Tetrachlorodibenze-P-dioxin (TCDD)	1	...	1746-01.6
93.	Tetramethylendiscul-phetetramine	1	...	80-12.6
94.	Thionazin	100	...	297-97-2
95.	Tripate (2, 4-Dimethyl-1, 3-dithio-lane-2-carboxaldehyde 0- methyl-carbemeylexime).	100	...	26419-73-8
96.	Trichleremethanesulphenyl chloride.	100	...	194-42-3
97.	1-Tri (cyclehexyl) stannyl 1-1 -H 1, 2, 4-triazele.	100	...	41083-11-8
98.	Triethylenemelamine	10	...	51-18.3
99.	Warfarin	100	...	81-81-2
Group 2 Toxic Chemicals (Quantity-1 tonne)				

Serial no.	Chemical	Quantity For application of Rules 5, 7 to 9 and 13 to 15.		CAS number For application of Rules 10 to 12.
1	2	3		4
100.	Acetone cyanehydrin	200t	...	75-86-5
101.	Acrelein (8-Propenal)	20t	...	107-02-8
102.	Acrylonitrile	20t	200t	107-13-1
103.	Alyalcohal (2-propen-1-01)	200t	...	107-13-1
104.	Allylamine	200t	...	107-11-9
105.	Ammonia	50t	500t	7664-41-7
106.	Bromine	40t	...	7726-95-6
107.	Carbon disulphide	20t	200t	75-15-0
108.	Chlorine	10t	25t	7782-50-5
109.	Diphyenl methane di-isocya-nate (MDI)	20t	...	101-68-8
110.	Ethylene dibremide (1, 2-Dibromo-methane).	5t	...	106-93 4
111.	Ethyleneimine	50t	...	151-56-4
112.	Formaldehyde (concentration 9%)	5t	...	50.00.0
113.	Hydrogen cyanide (liquefied gas)	25t	250t	7647-01.0
114.	Hydrogen cyanide	5t	20t	74-91.8
115.	Hydrogen flouride	5t	50t	7664-39.3
116.	Hydrogen flouride	5t	50t	7783-06.4
117.	Methyl bromide (Bromomethane)	20t		74-83.9
118.	Nitrogenoxides	50t	...	11104-93-1
119.	Prophleneimine	50t	...	75-55-8
120.	Sulphur dioxide	20t	250t	7446-09-5
121.	Sulphur trioxide	15t	75t	746-11-9
122.	Tetramethyl lead	5t	...	75-74-1
123.	Tetraethyl lead	5t	...	75-74-1
124.	Toluene di-isocyanate (TDI)	10t	...	584-84-9
Group 3- Highly reactive chemicals				
125.	Acetylene (ethyne)	5t	...	74-86-2
126.	Ammonium nitrate (1)	350t	250t	6484-52-2
127.	1,2Bis (tert-butyl-peroxycycloh-exane) cyclohexane (concentration-80%)	5t	...	3006-86-8
128.	1, 1 -Bis (tert-butyl-peroxy) cyclohexane (concentration-80%)	5t	...	3006-86-8
129.	Tert-Butyl peroxyacetate (concentration-	5t	...	107-71-1

Serial no.	Chemical	Quantity For application of Rules 5, 7 to 9 and 13 to 15.		CAS number For application of Rules 10 to 12.
1	2	3		4
	70%)			
130.	Tert-Butyl peroxyisobyrate (concentration-80%)	5t	...	109-13-7
131.	Tert-Butyl peroxy-isoprophyl carbonate (concentration-80%)	5t	...	2372.21-6
132.	Tert-Butyl peroxy-maleate (concentration-80%)	5t	...	1931-62.0
133.	Tert-Butyl peroxypivalate (concentration-77%)	50t	...	927-07.1
134.	Dibenzylperodicarbonate (concentration-90%)	5t	...	2144-45.8
135.	Di-sec-butyl peroxydicarbonate (concentration-80%)	5t	...	19910-65.7
136.	Diethyl peroxydicarbonate (concentration-30%)	50t	...	14666-78-5
137.	2, 2-Dihydreperoxyprepane (concentration-30%)	5t	...	2614-76.8
138.	Di-isobutrylparoxide (concentration-50%)	50t	...	3437-84-1
139.	Di-n-propyl perpoxydicarbonate (concentration-80%)	5t	...	16066-38-9
140.	Ethylene oxide	5t	50t	75-21-8
141.	Ethyl nitrate	50t	...	625-58-1
142.	3, 3, 6, 6, 9, 9-Hexamethyl-1, 2, 4, 5-tetroxacy clonance (concentration-75%)	50t	...	22397-33-7
143.	Hydrogen	2t	50t	1333-74-0
144.	Liquid oxygen	200t	...	7782-44-7
145.	Methylethyl ketone peroxide (concentration-60%)	5t	...	1338-23.4
146.	Methylisobutyl ketone peroxide (concentration-60%)	50t	...	37206-20.5
147.	Peracetic acid (concentration-60%)	50	...	79-213
148.	Propylene oxide	5t	...	75-56-9
149.	Sodium chlorate	251	...	7775-09-9
Group 4-Explosive Chemicals				
150.	Barium azide	50t	...	18810-58-7
151.	Bis (2, 4, 6-trinito phenyl) amine	50	...	131-73-7

Serial no.	Chemical	Quantity For application of Rules 5, 7 to 9 and 13 to 15.		CAS number For application of Rules 10 to 12.
1	2	3		4
152.	Chloetetrinitrobenzene	50t	...	28260-61-9
153.	Cellulose nitrate (Containing 12.9% nitrogen)	50t	...	9004-70-0
154.	Cycletetramethyieneteranitramine	50t	...	2691-41-0
155.	Cyclotrimethylenetrinitroamine	50t	...	121-82-4
156.	Diazodinitrophenel	10t	...	7008-81-3
157.	Diethyleneglyceldinitrate	10t	...	693-21-0
158.	Dinitrophenel, salts	50t	...	
159.	Ethylene glyceldinitrate	10t	...	628-96-6
160.	1 -Guanyl-4-nitrosamineoguanyl 1 - tetrazene	10t	...	109-27-3
161.	2, 2, 14, 4, 6, 6-Hexanitrostilbeneo	50	...	20062-22-0
162.	Hydrazine nitrate	50t	...	13464-97-6
163.	Lead azide	50t	...	13424-46-9
164.	Lead styphnate (lead 2, 4, 6-trinitro-resorcinexide).	50t	...	15245-44-0
165.	Mercury Fulminate	10t	...	628-86-4
166.	N-Methyl-N, 2, 6-tetranitroaniline	50t	...	479.45-8
167.	Nitrogylcerine	10t	10t	55-63-0
168.	Pentacrylhritoltetranitrate	50t	...	78-11-5
169.	Picric acid (2, 4, 6-Trinitrophenol)	50t	...	81-89-1
170.	Sodium kpicramate	50t	...	831-52-7
171.	Styphnic acid (2, 4, 6-Trinitroreser-cinol).	50t	...	82-71-3
172.	1, 3, 5-Triamino-2, 4, 6-trinitrobenzene	50t	...	3058-38-6
173.	Trinitroaniline	50t	...	26952-42-1
174.	2, 4, 6-Trinitroanisole	50t	...	606-35-9
175.	Trinitrobenzene	50t	...	25377-32-6
176.	Trinitrobenzoic acid	50t	...	35860-50-5
177.	Trinitrocresol	50t	...	28905-71-7
178.	2, 4, 6, Trinitrophenetole	50t	...	4732-14-3
179.	2, 4, 6 Trinitrotoulene	50t	50t	118-96-7

Sub-Schedule-4

1. Installation for the production, processing or treatment of organic or inorganic chemicals using for this purpose, among others :

(a) alkylation
(b) amination by amonolysis
(c) carbonylation
(d) condensation
(e) dehydrogenation
(f) estofication
(g) halogenation and manufacture of halogene
(h) hydrogenation
(i) hydrolysis
(j) oxidation
(k) polymerization
(l) sulphonation
(m) desulphurization, manufacture and transformation of sulphur-containing compounds.
(n) nitration and manufacture of nitrogen-containing compounds
(o) manufacture of phosphorous-containing compounds
(p) formulation of pesticides and pharmaceutical products
(q) distillation
(r) extraction
(s) salvation
(t) mixing

2. Installation for distillation, refining or other processing of petroleum or petroleum products.

3. Installations for the total or partial disposal of solid or liquid chemicals by incineration or chemical discomposition.

4. Installation for the production, processing or treatment of energy gases, for example, LPG, LNG, SNG.

5. Installation for the dry distillation of coal or lignite.

Schedule-B-Fee

Schedule-C-list of dangerous occupations

Schedule-D-Material Safety data sheet

Schedule-II-Fee
(See Rules 67(5))

Sr. No.			20	50	100	250	500	750	1000	2000	5000	10000	25000	Over 25000
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0		600	2340	2700	3300	4500	6000	9000	10500	12000	13500	14700	18000
2		10	1350	2400	3300	4500	6900	12000	15000	18000	27000	57000	60000	150000
3		50	2700	3900	4500	6300	99000	12900	18600	21000	30000	60000	72000	180000
4		100	3900	6000	9000	12900	15000	24000	27000	33000	39000	75000	90000	186000
5		250	6000	9000	12900	15000	24000	27000	33000	39000	48000	94500	151500	225000
6		500	21600	27000	28500	30000	33000	42180	49740	56250	101250	126630	197340	292500
7		1000	27000	28500	30000	36900	42750	50040	56250	70290	110040	135000	216540	304200

8		2000	28500	30000	36900	50100	56250	71250	75300	81300	118140	143790	226800	315000
9		5000	36900	50100	54000	57300	60000	75300	81300	84450	135000	154650	246000	332100
10		10000	54000	57000	60000	75300	81300	84450	135000	154650	183000	246000	273900	363000
11		25000	81360	84460	135000	154650	183000	246000	273900	303300	330000	363000	480000	51000
12		25000	84450	154650	183000	246000	273900	303300	330000	393000	480000	507000	510000	540000

(a) Electric Generating and Transforming Centre (Factory):-

	Total established generator capacity (in Kw)	**Generating Centre**	**Transforming (with conversion Centre)**
	KW	Rs.	Rs.
Not more than	50	1500	900
-do-	100	2700	1500
-do-	150	3900	2700
-do-	300	4500	4200
-do-	500	6000	4500
-do-	750	9000	6750
-do-	1000	12000	9000
-do-	2500	21000	12900
-do-	5000	27000	15000
-do-	10000	33000	18000
-do-	25000	45000	27000
-do-	50000	72000	36000
-do-	75000	91200	45000
-do-	100000	117000	54000
-do-	150000	144000	72000
-do-	200000	180000	108000
-do-	300000	234000	144000
-do-	300000	288000	180000

(b) All Transmitting Centre(Factory)- 22500/-

SCHEDULE-III
Sub-Schedule-1
Manufacture of Aerated Waters and Processes incidental thereto

1. ***Fencing of machines.***—All machines for filling bottles or siphons shall be so constructed, placed or fenced as to prevent, as far as may be practicable, a fragment of a bursting bottle or siphon from striking any person employed in the factory.

2. ***Face-guards and gauntlets.***—

(1) The occupier shall provide and maintain in good condition for the use of all persons engaged in filling bottles or safeness-

(a) suitable face-guards to protect the face, neck and throat, and

(b) suitable gauntlets for both arms to protect the whole hand arms :

Provided that-

(i) paragraph 2 (1) shall not apply where bottles are filled by means of an automatic machine so constructed that no fragment of a bursting bottle can escape, and

(ii) where a machine is so constructed that only one arm of the bottler at work upon it is exposed to danger, a gauntlet need not be provided for the arm which is not exposed to danger.

(2) The occupier shall provide and maintain in good condition for the use of all persons engaged in corking, crowing, screwing, wiring, foiling, capsulin, sighting or labeling bottles or siphon-

(a) suitable face-guards to protect the face, neck and throat, and

(b) suitable gauntlets for both arms to protect the arm and at least half of the palm and the space between the thumb and forefinger.

3. ***Wearing of face-guards and gauntlets.***—All persons engaged in any of the processes specified in paragraph 2 shall, while at work in such processes wear the face-guards and gauntlets provided under the provisions of the said paragraph.

4. ***Medical Examination by the medical officer.***—

(1) Every worker employed in the processes this schedule applies to, shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the Aerated Waters processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) Fitness and health register shall be maintained and shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-2

Electrolytic plating or oxidation of metal articles by use of an electrolytecontaining acids, bases or salts of metals such as chromium, nickel, cadmium, zinc, copper, silver, gold, etc.

1. ***Definition.*** *- For the purposes of this Schedule,-*

(a) ***"electrolytic process"*** means the electrolytic plating or oxidation of metal articles by the use of an electrolyte containing acids, bases or salts of metals such as chromium, nickel, cadmium, zinc, copper, silver, gold, etc.;

(b) ***"bath"*** means any vessel used for an electrolytic process or for any subsequent process;

(c) ***"employed"*** means employed in any process involving contact with liquid from a bath.

2. ***Exhaust draught.—*** An efficient exhaust draught shall be applied to every vessel in which an electrolytic process is carried on. Such draught shall be provided by mechanical means and shall operate on the vapour or spray given off in the process as near as may be at the point of origin. The exhaust draught appliance shall be so constructed, arranged and maintained to prevent the vapour or spray entering into any room or place in which work is carried on.

3. ***Prohibition relating to women and adolescent.—*** No women or adolescent shall be employed or permitted to work at a bath.

4. ***Floor of work-rooms.—*** The floor of every work room containing a bath shall be impervious to water. The floor shall be maintained in good and level condition and shall be washed down at least once a day.

5. ***Protective devices.—***

(1) The occupier shall provide and maintain in good and clean condition the following articles of protective devices for the use of all persons employed on any process at which they are liable to come in contact with liquid from a bath and such devices shall be worn by the persons concerned:-

(a) water-proof aprons and bibs; and

(b) for persons actually working at a bath, loose fitting rubber gloves and rubber boots or other waterproof footwear and chemical goggles.

(2) The occupier shall provide and maintain for the use of all persons employed suitable accommodation for the storage and drying of protective devices.

6. ***Water facilities.—***

(1) There shall be provided and maintained in good repairs for the use of all persons employed in electrolytic process and processes incidental to it-

(a) a wash place under cover, with either-

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe, and of sufficient length to allow at least 60 cm. for every 5 persons employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 60 cms.; or

(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and having a constant supply of water laid on.

(b) a sufficient supply of clean towels renewed daily, and soap or other suitable cleaning material.

(2) In addition to the facility in sub-paragraph (1) an approved type of emergency shower with eye fountain shall be provided and maintained in good working order. Wherever necessary, in order to ensure continuous water supply storage tank of 1500 liters capacity shall be provided as a source of clean water for emergency use.

7. *Cautionary placard.—* A cautionary placard in the form specified below and printed in the language of the majority of the workers employed shall be affixed in a prominent place in the factory where it can be easily and conveniently read by the workers.

Cautionary Notice

Electrolytic Plating

(1). Chemicals handled in this plant are corrosive, and poisonous.

(2). Smoking, chewing, tobacco, eating food or drinking, in this area is prohibited. No food stuff or drink shall be brought in this area.

(3). Some of these chemicals may be absorbed through the skin and may cause poisoning.

(4). A good wash shall be taken before meals.

(5). Protective devices supplied shall be used while working in this area.

(6). Spillage of the chemicals on any part of the body or on the floor shall be immediately washed away with water.

(7). All workers shall report for the prescribed medical tests regularly to protect their own health.

(8) Medical facilities and examination by the medical officer -

(1) The occupier of every factory in which electrolytic processes are carried on shall-

(a) make arrangement of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a); and

(c) maintain a sufficient supply of suitable barrier cream, ointment and impermeable water proof plaster in a separate box readily accessible to the workers and used solely for the purpose of keeping substances. In case cynides are used in the bath, the box shall also contain an emergency cyanide kit.

(2) The Every worker employed in the electrolytic processes shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances hall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-3

Manufacture and repair of electric accumulators

1. ***Savings.***—This Schedule shall not apply to the manufacture or repair of electric accumulators or parts thereof not containing lead or any compound of lead; or to the repair on the premises, of any accumulator forming part of a stationary battery.

2. Definition.—For the purposes of this Schedule-

(a) ***"Lead process"*** means the melting of lead or any material containing lead, casting, pasting, lead burning, or any other work, including trimming or any other abrading or cutting of pasted plates involving the use, movement of manipulation of, or contact with any oxide of lead;

(b) ***"Manipulation of raw oxide of lead"*** means any lead process involving any manipulation or movement of raw oxides of lead other than its conveyance in a receptacle or by means of an implement from one operation to another;

3. ***Prohibition relating to women and adolescents.***— No woman or adolescents shall be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide or lead or pasting is carried on.

4. ***Separation of certain processes.***—Each of the following processes shall be carried on in such a manner and under such conditions as to secure effectual separation from one another, and from any other process:-

(a) Manipulation of raw oxide of lead;

(b) Pasting;

(c) Drying of pasted plates;

(d) Formation with lead burning ("tacking") necessarily carried on in connection therewith;

(e) Melting down of pasted plates.

5. ***Air space.***—In every room in which a lead process is carried on, there shall be at least fourteen cubic meter of air space for each person employed therein, and in computing this air space no height over three meters shall be taken into account.

6. ***Ventilation.***—Every work-room shall be provided with inlets and outlets of adequate size as to secure and maintain efficient ventilation in all parts of the room.

7. ***Distance between workers in pasting room.***—In every pasting-room the distance between the centre of the working position of any paster and that of the paster working nearest to him shall not be less than five feet.

8. ***Floor of work-rooms.***—

(1) The floor of every room in which a lead process is carried on shall be-

(a) of cement or similar material so as to be smooth and impervious to water;

(b) maintained in sound condition;

(c) kept free from materials, plant, or other obstruction not required for, or produced in the process carried on in the room.

(2) In all such rooms other than grid casting shops the floor shall be- (a) cleansed daily after being thoroughly sprayed with water at a time when no other work is being carried on in the room.

(3) In gird casting shops, the floor shall be cleansed daily.

(4) Without prejudice to the requirements of sub-paragraphs (1), (2) and (3), where manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on, the floor shall also be-

(a) kept constantly moist while work is being done;

(b) provided with suitable and adequate arrangements for drainage;

(c) thoroughly washed daily by means of a hose pipe.

9. ***Work-benches.*****—**The work-benches at which any lead process is carried on shall-

(a) have a smooth surface and be maintained in sound condition;

(b) be kept free from all materials or plant not required for, or produced in, the process carried on thereat; and, all such work-benches other than those in grid casting shops shall-

(c) be cleansed daily either after being thoroughly damped or by means of a suction cleaning apparatus at a time when no other work is being carried on thereat; and, all such work-benches in grid casting shops, shall-

(d) be cleansed daily; and, every work-bench used for pasting, shall-

(e) be covered throughout with sheet lead or other impervious material;

(f) be provided with raised edges;

(g) be kept constantly moist while pasting is being carried on.

10. ***Exhaust draught.*****—**The following processes, shall not be carried on without the use of an efficient exhaust draught-

(a) Melting of lead or materials containing lead;

(b) Manipulation of raw oxide of lead, unless done in an enclosed apparatus so as to prevent the escape of dust into the work-room;

(c) Pasting;

(d) Trimming, brushing, filing or any other abrading or cutting of pasted plates giving rise to dust;

(e) Lead burning, other than-

(i) "tacking" in the formation-room;

(ii) chemical burning for the making of lead linings for cell cases necessarily carried on in such a manner that the application of efficient exhaust is impracticable. Such exhaust draught shall be effected by mechanical means, and shall operate on the dust or fume given off as nearly as may be at its point of origin, so as to prevent it entering the air of any room in which person work.

11. ***Fumes and gases from melting post.*****—**The products of combustion produced in the heading of any melting pot shall not be allowed to escape into a room in which person work.

12. ***Container for dross.*****—**A suitable receptacle with tightly fitting cover shall be provided and used for dross as it is removed from every melting pot. Such receptacle shall be kept covered while in the work-room, except when dross is being deposited therein.

13. ***Container for lead waste.*****—**A suitable receptacle shall be provided in every work-room in which old plates and waste material which may give rise to dust shall be deposited.

14. ***Racks and shelves in drying-room.*****—**The racks or shelves provided in any drying-room shall not be more than 8 feet from the floor nor more than 2 feet in width:

provided that as regards racks or shelves set or drawn from both sides the total width shall not exceed 4 feet. Such racks or shelves shall be cleaned only after being thoroughly damped unless an efficient suction cleaning apparatus is used for this purpose.

15. ***Medical facilities and examination by the medical officer.*****—**

(1) The occupier of every factory in which manufacture and repair of electric accumulators is carried on shall-

(a) make arrangement of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein, and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(2) Every worker employed in lead processes shall be examined by a medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for lead in urine and blood. ALA in urine haemoglobin content, stippling of cells and steadiness tests. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

Every worker employed in the said process shall be re-examined by a medical officer at least once in every three calendar months. Such re-examination shall, wherever the medical officer considers appropriate, include tests specified in sub-paragraph (1).

(3) Every worker employed in the manufacture and repair of electric accumulators shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(4) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(5) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(6) The record of the shall be maintained, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

16. ***Protective clothing.*****—**Protective clothing shall be provided and maintained in good repair for all persons employed in-

(a) manipulation of raw oxide of lead;

(b) pasting;

(c) the formation-room;

and such clothing shall be worn by the persons concerned. The protective clothing shall consist of waterproof apron and waterproof footwear, and also, as regards persons employed in the manipulation of raw oxide of lead or in pasting, head coverings. The head coverings shall be washed daily.

17. ***Mess-room.*****—**There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in a lead process and remaining on the premises during the meal intervals a suitable mess-room which shall be furnished with (a) sufficient tables and benches, and (b) adequate means for warming food. The means-room shall be placed under the charge of a responsible person, and shall be kept clean.

18. ***Cloak-room.*****—**There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in a lead process-

(a) a cloak-room for clothing put during working hours with adequate arrangements for drying the clothing if wet. Such accommodation shall be separate from any mess room;

(b) separate and suitable arrangements for the storage of protective clothing provided under paragraph 16.

19. ***Washing facilities.*****—**There shall be provided and maintained in a cleanly state and in good repair for the use of all persons employed in a lead process-

(a) A wash-place under cover, with either-

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe, without plug, and of sufficient length to allow of at least two feet for every five such persons employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than two feet; or

(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of water laid on;

(iii) a sufficient supply of clean towels made of suitable materials renewed daily, which supply, in the case of pasters and persons employed in the manipulation of raw oxide of lead, shall include a separate marked towel for each such worker; and

(iv) a sufficient supply of soap or other suitable be cleansing material and of main brushes.

(b) There shall in addition be provided means of washing in close proximity to the rooms in which manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on if required by notice in writing from the Chief Inspector cum facilitator.

20. ***Time to be allowed for washing.*****—**Before each meal and before the end of the day's work, at least ten minutes, in addition to the regular meal times, shall be allowed for washing to each person who has been employed in the manipulation of raw oxide of lead or in pasting:

Provided that if there is one basin or 60 centimeter of trough for each such person, this rule shall not apply.

21. ***Facilities for bathing.*****—**Sufficient bath accommodation to the satisfaction of the Chief Inspector cum facilitator shall be provided for all persons engaged in the manipulation of raw oxide of lead or in pasting, and a sufficient supply of soap and clean towels.

22. ***Foods, drinks, etc, prohibited in work-rooms.*****—**No food, drink, pan and supari or tobacco shall be consumed or brought by any worker into any work-room in which any lead process is carried on.

Sub-Schedule-4
Glass Manufacture

1. ***Exemption.*****—**If the Chief Inspector cum facilitator is satisfied in respect of any factory or any class of process that, owing to the special methods of work or the special condition in a factory or otherwise, any of the requirements of this Schedule can be suspended or relaxed without danger to the persons employed therein, or that the application of this schedule or any part thereof is for any reason impracticable, he may by certificate in writing authorise such suspension or relaxation as may be indicated in the certificate for such period and on such conditions as he may think fit.

2. ***Definitions.*****—***For the purpose of this Schedule-*

(a) *"Efficient exhaust draught"* means localised ventilation effected by mechanical means, for the removal of gas, vapour, dust or fumes so as to prevent them (as far as practicable under the atmospheric conditions usually prevailing) from escaping into the air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed efficient which fails to remove smoke generated at the point where such gas, vapour, fume, or dust, originate;

(b) *"Lead compound"* means any compound of lead other than galena which, when treated in the manner described below, yield to an aqueous solution of hydrochloric acid a quantity of soluble lead compound exceeding, when calculated as lead monoxide, five per cent of the dry weight of the portion taken for analysis. The method of treatment shall be as follows :-

A weight quantity of the material which has been dried at 190°C. and thoroughly mixed shall be continuously, shaken for one hour, at the common temperature with1,000 times its weight of an aqueous solution of hydrochloric acid containing 0.25 percent by weight or hydrogen chloride. This solution shall thereafter be allowed to stand for one hour and then filtered. The lead salt contained in the clear filtrate shall then be precipitated as lead sulphide and weighted as lead sulphate.

3. ***Exhaust draught.*****—**The following processes shall be carried on except under an efficient exhaust draught or under such other conditions as may be approved by the Chief Inspector cum facilitator:-

(a) The mixing of raw materials to form a "batch".
(b) The dry grinding, glazing and polishing of glass or any article of glass.
(c) All processes in which hydrofluoric acid fumes or, ammonia vapours are given off.
(d) All processes in the making of furnace moulds or "pots" including the grinding or crushing of used "pots".
(e) All processes involving the use of a dry lead compound.

4. ***Prohibition relating to woman and adolescent.*****—**No woman or adolescent shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in Paragraph 3 or at any place where such operations are carried on.

5. ***Floor and work-benches.*****—**The floor and work-benches of every room in which a dry compound of lead in manipulated or in which any process is carried on giving off silica dust shall be kept moist, and shall comply with the following requirements :-

The floors shall be-

(a) of cement of similar material so as to be smooth and impervious to water;
(b) maintained in sound condition; and
(c) cleaned daily after being thoroughly sprayed with water at a time when no other work is being carried on in the room.

The work-benches shall-

(a) have a smooth surface and be maintained in sound condition, and
(b) be cleansed daily either after being thoroughly damped or by means of a suction cleaning apparatus at a time when no other work is carried on thereat.

6. ***Use of hydrofluoric acid.*****—**The following provisions shall apply to rooms in which glass is treated with hydrofluoric acid :-

(a) There shall be inlets and outlets of adequate size so as to secure and maintain efficient ventilation in all parts of the room;
(b) The floor shall be covered with guttaparcha and be tight, and shall slope gently down to a converted drain;
(c) The work-places shall be so enclosed in projecting hoods that openings required for bringing in the objects to be treated shall be as small as practicable; and
(d) The efficient exhaust draught shall be so contrived that the gases are exhausted downwards.

7. ***Storage and transport of hydrofluoric acid.*****—**Hydroflouric acid shall not be stored or transported except in cylinders or receptacles made of lead or rubber.

8. ***Blow-pipes.*****—**Every glass-blower shall be provided with a separate blow pipe bearing the distinguishing mark of the person to whom it is issued and suitable facilities shall be readily available to every glass-blower for sterilising blow pipe.

9. ***Food drinks, etc., prohibited in work rooms.*****—**No food, drink pan and supari and tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any room or work place wherein any process specified in paragraph 3 is carried on.

10. ***Protective clothing.*****—**The occupier shall provide, maintain in good repair and keep in a clean condition of the use of all persons employed in the processes specified in paragraph 3 suitable protective clothing, footwear and goggles according to the nature of the work, and such clothing footwear, etc. shall be worn by the persons concerned.

11. ***Washing facilities.*****—**There shall be provided and maintained in a cleanly state in good repairs for the use of all persons employed in the processes specified in paragraph 3-

(a) a wash place with either-

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe, without plug and of sufficient length to allow of at least two feet every five such person employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 2 feet; or
(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted, with a waste pipe and plug and having an adequate supply of water laid on or always readily available; and a sufficient supply of clean towels made of suitable material renewed daily with

a sufficient supply of soap or other suitable cleaning material and of nail brushes; and

(b) a sufficient number of stand pipes with taps, the number and location of such stand pipes shall be to the satisfaction of the Chief Inspector cum facilitator.

12. ***Medical facilities and examination by the medical officer .—***

(1) The occupier of every factory in which glass manufacturing processes are carried on shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in the Glass Manufacture shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-5

Grinding or Glazing of Metal and Processes incidental thereto

1. Definitions. - For the purposes of this Schedule-

(a) ***"grindstone"*** means a grindstone composed of natural or manufactured sandstone but does not include a metal wheel or cylinder into which blocks of natural or manufactured sandstone are fitted;

(b) ***"abrasive wheel"*** means a wheel manufactured of bonded emery or similar abrasive;

(c) ***"grinding"*** means the abrasion, by aid of mechanical power, of metal, by means ofa grindstone or abrasive wheel;

(d) ***"glazing"*** means the abrading, polishing or finishing, by aid of mechanical power of metal, by means of any wheel, buff, mop or similar appliance to which any abrading or polishing substance is attached or applied;

(e) ***"racing"*** means the turning up, cutting or dressing of a revolving grindstone before it is brought into use for the first time;

(f) ***"hacking"*** means the chipping of the surface of grindstone by a hack or similar tool;

(g) ***"rodding"*** means the dressing of the surface of a revolving grind stone by the application of a rod, bar or strip of metal to such surface.

2. ***Exceptions.—***

(1) Nothing in this Schedule shall apply to any factory in which only repairs are carried on except any part thereof in which one or more persons are wholly or mainly employed in the grinding or glazing of metals.

(2) Nothing in this Schedule except paragraph 4 shall apply to grinding or glazing of metals carried on intermittently and at which no person is employed for more than 12 hours in any week.

(3) The Chief Inspector cum facilitator may, by certificate in written, subject to such conditions as he may specify therein, relax or suspend any of the provisions of this Schedule in respect of any factory, if, owing to the special methods of work or otherwise, such relaxation or suspension is practicable without danger to the health or safety or the persons employed.

3. Equipment for removal of dust.—No racing, dry grinding or glazing shall be performed without-

(a) a hood or other appliance so constructed, arranged, placed and maintained as substantially to intercept the dust thrown off; and

(b) a duct of adequate size, air tight and so arranged as to be capable of carrying away the dust, which duct shall be kept free from obstruction, and shall be provided with proper means of access for inspection and cleaning, and where practicable, with a connection at the end remote from the fan to enable the Inspector cum Facilitator to attach there to any instrument necessary for ascertaining the pressure of air in the said duct; and

(c) a fan or other sufficient means of producing a draught sufficient to extract the dust :

Provided that the Chief Inspector cum facilitator may accept any other appliance that is, in his opinion, as effectual for the interception, removal and disposal of dust thrown off as a hood, duct and fan.

4. ***Restriction on employment on grinding operations.—***Not more than one person shall at any time perform the actual process of grinding or glazing upon a grind stone, abrasive wheel or glazing appliance :

Provided that this paragraph shall not prohibit the employment of persons to assist in the manipulation of heavy or bulky article at any such grindstone, abrasive wheel or glazing appliance.

5. ***Glazing.—***Glazing or other process, except processes incidental to wet grinding upon a grindstone shall not be carried on in any room in which wet grinding upon a grindstone is done.

6. ***Hacking and rodding.—***Hacking or rodding shall not be done unless during the process either-(a) an adequate supply of water of laid on at the upper surface of the grindstone, or (b) adequate appliances for the interception of dust are provided in accordance with the requirements of paragraph 3.

7. ***Examination of dust equipment.—***

(a) All equipment for the extraction or suppression of dust shall at least once in every six months be examined and tested by a competent person, and

any defect disclosed by such examination and test shall be rectified as soon as practicable.

(b) A register containing particulars of such examination and test shall be kept in a form No 30.

8. ***Medical facilities and examination by the medical officer.—***

(1) The occupier of every factory in which glazing of metal and processes are carried on shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in the Grinding or Glazing of Metal and Processes incidental thereto shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28 .

(3) If at any time, the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the Grinding or Glazing processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall bere-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-6

Manufacture and Treatment of Lead and certain compounds of Lead

1. ***Exemptions.—***Where the Chief Inspector is satisfied that all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of the persons employed, he may, by certificate in writing exempt any factory from all or any of such provisions, subject to such conditions as he may specify therein.

2. ***Definitions.—****For the purposes of this Schedule-*

(a) ***"lead compound"*** means any compound of lead other than galena which, when treated in the manner described below, yields to an aqueous solution of hydrochloric acid, a quantity of soluble lead compound exceeding, when calculated as lead monoxide, five per cent of the dry weight of the portion taken for analysis. In the case of paints and similar products and other mixtures containing oil or fat the "dry weight" means the dry weight of the material remaining after the substance has been thoroughly mixed and treated with suitable solvents to remove oil, fats, varnish or other media;

The Method of treatment shall be as follows :-

A weight quantity of the material which has been dried at 100°C and thoroughly mixed shall be continuously shaken for one hour, at the common temperature with 1000times its weight of an aqueous solution of hydrofloric acid containing 0.25 percent by weight to hydrogen chloride. This solution shall thereafter be allowed to stand for one hour, and then filtered. The lead salt contained in clear filtrate shall then be precipitated as lead sulphide and weighed as lead sulphate.

(b) ***"efficient exhaust draught"*** means localised ventilation affected by heat or mechanical means, for the removal of gas, vapour, dust or fumes so as to prevent them (as far as practicable under the atmospheric conditions usually prevailing) from escaping into the air of any place in work is carried on. No draught shall be deemed efficient which fails to remove smoke generated at the point where such gas, vapour, fumes or dust originate.

3. ***Application.—***The Schedule shall apply to all factories or parts of factories in which any of the following operations are carried on:-

(a) Work at a furnace where the reduction or treatment of zinc or lead ores is carried on.

(b) The manipulation, treatment or reduction of ashes containing lead, the desilverising of lead or the melting of scrap lead or zinc.

(c) The manufacture of solder or alloys containing more than ten per cent or lead.

(d) The manufacture of any oxide, carbonate, sulphate, chromate, acetate nitrate or silicate of lead-ethyl.

(e) Handling or mixing of lead tetra-ethyl.

(f) Any other operation involving the use of a lead compound.

(g) The cleaning of work-rooms where any of the operations aforesaid are carried on.

4. ***Prohibition relating to women and adolescents.—***No woman or young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3.

5. ***Requirements to be observed.—***No person shall be employed or permitted to work in any process involving the use of lead compounds if the process is such that dust or fume from a lead compound is produced therein or the persons employed therein are liable to be splashed with any lead compound in the course of their employment unless the provisions of paragraphs 6 to 14 are complied with.

6. ***Exhaust draught.—***Where dust, fume, gas or vapour is produced in the process provision shall be made for removing them by means of an efficient exhaust so draught so contrived as to operate on the dust, fume, gas or vapour as closely aspossible to the point of origin.

7. ***Medical facilities and examination by the medical officer.—***

(1) The occupier of every factory to which this schedule applies, shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in the processes referred to in paragraph -1 shall be examined by a medical officer within 15 days of his first employment.

Such examination shall include tests of lead in blood and urine. ALA in urine haemoglobin contents, stippling of cells and steadiness test. No worker shall be allowed to work after15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

(3) Every worker employed in the said process shall be re-examined by a medical officer at least once in every three calendar months. Such re-examination shall, wherever the medical officer considers appropriate, include tests as specified in sub-paragraph(1).

(4) Every worker employed in the Manufacture and Treatment of Lead and certain compounds of lead processes incidental thereto shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the lead processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

8. ***Food, drinks, etc., prohibited in work-rooms.***—No food, drink, pan and supari or tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any work-room in which the process in carried on, and no person shall remain in any such room during intervals of meals or rest.

9. ***Protecting clothing.***—Suitable protective overalls and head coverings shall be provided, maintained and kept clean by the factory occupier and such overalls and head coverings shall be worn on by the persons employed.

10. ***Cleanliness of work-rooms, tools, etc..***—The rooms in which the persons are employed and all tools and apparatus used by them shall be kept in a clean state.

11. ***Washing facilities.***—

(1) The occupier shall provide and maintain for the use of all persons employed suitable washing facilities consisting of-

(a) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug and of sufficient length to allow at least two feet for every ten persons employed at any one time, and having a constant supply of clean water from taps or jets above the trough at intervals of not more than two feet; or

(b) at least one wash basin for every ten persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of clean water; together with in either case, a sufficient

supply of nail brushes, soap or other suitable cleaning material and clean towels.

(2) The facilities so provided shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

12. ***Mess-room or canteen.*****—**The occupier shall provide and maintain for the use of the persons employed suitable and adequate arrangements for taking their meals. The arrangements shall consist of the use of a room separate from any work-room which shall be furnished with sufficient tables and benches, and unless a canteen serving hot meals is provided adequate means of warming food shall be provided. The room shall be adequately ventilated by the circulation of fresh air, shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

13. ***Cloak-room.*****—**The occupier shall provide and maintain for the use of persons employed suitable accommodation for clothing not worn during working hours, and for the drying of wet-clothing.

Sub-Schedule-7

Generating petrol gas from petrol

1. ***Prohibition relating to women and adolescents.*****—**No woman or adolescent shall be employed or permitted to work in or shall be allowed to enter any building in which the generating of petrol gas from petrol is carried on.

2. ***Flame traps.*****—**The plant for generating petrol gas from petrol and associated piping and fittings shall be fitted with at least two efficient flame traps so designed and maintained as to prevent a flash back from any burner to the plant. One of these traps shall be fitted as close to the plant as possible. The plant and all pipes and valves shall be installed and maintained free from leaks.

3. ***Generating building or room.*****—**All plants for generating petrol gas from petrol erected after the coming into force of the provisions specified in this schedule, shall be erected outside the factory building proper in a separate well ventilated building(hereinafter referred to as the "generating building"). In the case of such plant erected before the coming into force of the provisions specified in this schedule there shall be on direct communication between the room where such plants are erected(hereinafter referred to as "the generating-room"); and the remainder of the factory building. So far as practicable, all such generating rooms shall be constructed of fire resisting materials.

4. ***Fire-extinguishers.*****—**A efficient means of extinguishing petrol fires shall be maintained in an easily accessible position near the plant for generating petrol gas from petrol.

5. ***Plant to be approved by Chief Inspector.*****—**Petrol gas shall not be manufactured except in a plant for generation petrol gas the design and construction of which has been approved by the Chief Inspector cum facilitator.

6. ***Escape of Petrol.*****—**Effective steps shall be taken to prevent petrol from escaping into any drain or sewer.

7. ***Prohibition relating to smoking, etc..*****—**No person shall smoke or carry matches, fire or naked light or other means of producing a naked light or spark in the generating room or building or in the vicinity thereof and a warning notice in the language understood by the majority of the workers shall be posted in the factory prohibiting smoking and the carrying of matches, fire or naked light or other means of producing a naked light or spark into such room or building.

8. ***Access to petrol or container.*****—**No unauthorised person shall be access to any petrol or to a vessel containing or having actually contained petrol.

9. ***Electric fittings.*****—**All electric fittings shall be of flame- proof construction and all electric conductors shall either be enclosed in mental conduits or be lead-sheathed.

10. ***Construction of doors.*****—**All doors in the generating room or building shall be constructed to open outwards or to side and no door shall be locked or obstructed or fastened in such a manner that it cannot be easily and immediately opened from the inside while gas is being generated and any person is working in the generating-room or building.

11. ***Repair of containers.*****—**No vessel that has contained petrol shall be repaired in a generating-room or building and no repairs to any such vessel shall be undertaken unless live steam has been blown into the vessel and until the interior in thoroughly steamed out or other equally effective steps have been taken to ensure that it has been rendered free from petrol or inflammable vapour.

12. ***Medical examination by the medical officer.*****—**

(1) Every worker employed in generating petrol gas from petrol processes shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(1) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(2) No person who has been found unfit to work shall be re-employed or permitted to work in the said processes, unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(3) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

13. In these Rules Petrol means dangerous petroleum as defined in the Petroleum Act, 1937.

Sub-Schedule-8
High Flammable Liquids and Flammable Compressed Gases

1. ***Application.*****—**This schedule shall apply to all factories where high flammable liquids or flammable compressed gases are manufactured, stored, handled or used.

2. ***Definition.*****—***For the purpose of this Schedule-*

(a) ***"highly flammable liquid"*** means the liquid including its solution, a emulsion or suspension which when tested in a manner specified by Sections 14 and 15 of the Petroleum Act, 1934 gives off flammable vapour at a temperature less than 32 degree celsius;

(b) ***"Flammable compressed gas"*** means flammable compressed gas defined in Rule2 of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 1981 framed under the Explosives Act, 1948 (No. IV of 1948).

3. ***Storage.—***

(1) Every flammable liquid or flammable compressed gas used in every factory shall be stored in suitable fixed storage tank, or in suitable closed vessel located in a safe position under the ground, in the open or in a store room of adequate fire resistant construction.

(2) Except as necessary for use, operation or maintenance every vessel or tank which contains or had contained a highly flammable liquid or flammable compressed gas shall be always kept closed and all reasonably practicable steps shall be taken to contain or immediately drain off to a suitable container any spill or leak that may occur.

(3) Every container, vessel, tank, cylinder or store room used for storing highly flammable liquid or flammable compressed gas shall be clearly and in bold letters marked ***"Danger-Highly Flammable Liquid"*** or ***"Danger-Flammable Compressed Gas."***

4. ***Enclosed systems for Conveying Highly Flammable Liquids.—***Where it is reasonably practicable, highly flammable liquids shall be conveyed within a factory in totally enclosed systems consisting of pipe lines, pumps and similar appliances from the storage tank or vessels to the point of use. Such enclosed systems shall be so designed installed, operated and maintained as to avoid leakage or the risk of spilling.

5. ***Preventing Formation of Flammable Mixture with Air.—***Where there is possibility for leakage or spill of highly flammable liquid or flammable compressed gas from an equipment, pine line, valve joint or other part of a system, all practicable measures shall be taken to contain, drain off or dilute such spills or leakage as to prevent formation of flammable mixture with air.

6. ***Prevention of Ignition.—*** (1) In every room work place or other location where highly flammable liquid or flammable combustible is stored, conveyed, handled or used or where there is danger or fire of explosion from a accumulation of highly flammable liquid or flammable compressed gas in air all practicable measure shall be taken to exclude the sources of ignition. Such precautions shall include the following :-

(a) all electrical apparatus shall either be excluded from the area of risk or they shall be of such construction and so installed and maintained as to prevent the danger of their being a source of ignition;

(b) effective measures shall be adopted for prevention of accumulation of static charge to a dangerous extent;

(c) no person shall wear or be allowed to wear any foot wear having iron or steel nails or any other exposed ferrous materials which is likely to cause sparks by friction;

(d) smoking, lighting or carrying of matches, lighters or smoking materials shall beprohibited;

(e) transmission belts with iron fasteners shall not be used;

(f) all other precautions, as are reasonably practicable, shall be taken to prevent initiation of ignition from all other possible sources such as open flames, frictional sparks, overheated surfaces of machinery or plant, chemical or physical-chemical reaction and radiant, heat.

7. ***Prohibition of smoking.*****—**No person shall smoke in any place where highly flammable liquid or flammable compressed gas is present in circumstances that smoking would give rise to a risk of fire. The occupier shall take all practicable measures to ensure compliance with this requirements including display of a bold notice indicating prohibition of smoking at every place where this requirement applies.

8. ***Fire Fighting.*****—**In every factory where highly flammable liquid or flammable compressed gas is manufactured, stored, handled or used an appropriate and adequate means of fighting a fire shall be provided. The adequate and suitability of such means which expression includes the fixed and portable fire extinguishing systems, extinguishing materials, procedures and the process of fire fighting shall be to the standards and levels prescribed in the rules.

9. ***Medical examination by the medical officer.*****—**

(1) Every worker employed in processes where high flammable liquids or flammable compressed gases are manufactured, stored, handled or used shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(1) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(2) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(3) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

10. ***Exemptions.*****—**If in respect of any factory the Chief Inspector is satisfied that owing to the exceptional circumstances or infrequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory the Chief Inspector may by a certificate in writing, which he may at his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any, as he may specify therein.

Sub-Schedule-9

Liming and tanning of raw hides and skins and processes incidental thereto

1. ***Cautionary notices.—***

(1) Cautionary notices as to anthrax, in the form specified by the Chief Inspector cum Facilitator shall be affixed in prominent positions in the factory where they may be easily and conveniently read by the persons employed.

(2) A copy of a warning notice as to anthrax in the form specified by the Chief Inspector cum facilitator shall be given to each person employed when he is engaged, not subsequently it still employed, on the first of each calendar year.

(3) Cautionary notices as to the effects of chrome on the skin shall be affixed in prominent positions in every factory in which chrome solutions are used, as such notices shall be so placed as to be easily and conveniently read by the persons employed.

(4) Notices shall be affixed in prominent places in the factory stating the position of the "First aid" has or cupboard and the name of the person in charge of such box or cupboard.

(5) If any person employed in the factory is illiterate, effective steps shall be taken to explain carefully to such illiterate person the contents of the notices specified in paragraphs 1, 2 and 4, and if chrome solutions are used in the factory, the contents of the notice specified in paragraph 3.

2. Protective Clothing.—The occupier shall provide and maintain in good conditions the following articles of protective clothing :-

(a) Waterproof footwear, leg coverings, aprons and gloves for persons employed in processes involving contact and chrome solutions, including the preparation of such solutions;

(b) Gloves and boots for persons employed in lime yard; and

(c) Protective footwear, aprons and gives of persons employed in processes involving the handling of hides or skins, other than in process specified in clauses (a) and (b):

Provided that-

(i) the gloves, aprons, leg coverings, or boots, may be of rubber or leather, but the gloves and boots to be provided under sub-clauses (a) and (b) shall be of rubber;

(ii) the gloves may not be provided to persons flushing by hand or employed in processes in which there is no risk of contact with lime, sodium sulphide or other caustic liquor.

3. ***Washing facilities, mess-room and cloak-room.—***There shall be provided and maintained in a clearly state and in good repairs for the use of all persons employed-

(a) a trough with a smooth, impervious surface fitted with a waste pipe without plug, and of sufficient length to allow at least 600mm for every ten persons employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 600mm; or

(b) at least one wash basin for every ten such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe, and plug and having a constant supply to water; together within, in either case, a sufficient supply of nail brushes, soap or other suitable cleaning material, and clean towels;

(c) a suitable mess-room adequate of the number remaining on the premises during the meal intervals which shall be furnished with (1) sufficient tables and benches, and

(2) adequate means for warming good and for boiling water.

The mess-room shall-

(1) be separate from any room or shed in which hides or skins are stored, treated or manipulated,

(2) be separate from the cloak-room, and

(3) placed under the charge of a responsible person;

(d) The occupier shall provide and maintain, for the use of all persons employed, suitable accommodation for clothing put off during working hours and another accommodation of protective clothing and shall also make adequate arrangements for drying up the clothing in both the case, if wet. The accommodation so provided shall be kept clean at all time and place in the charge of a responsible person.

4. ***Food, drinks, etc., prohibited in work-rooms.***—No food, drink, pan and supari or tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any work room or shed in which hides or skins are stored, treated or manipulated.

5. ***Medical Examination.***—

(1) The occupier of every factory to which this schedule applies; shall-

(a) make arrangement a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a);and

(c) arrange for inspection of the hands of all the persons keeping in contact with chromium substances to be made twice a week; and

(d) provide and maintain and supply suitable ointment and plaster in a box readily accessible to the workers and solely used for the purpose of keeping the ointment and the plaster.

(2) Every worker employed in liming and tanning of raw hides and skins and processes incidental thereto shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the liming and tanning of raw hides and skins and processes incidental there to processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-10

Lead processes carried in Printing Presses and Type Foundries

1. ***Exemption.—***Where the Chief Inspector in satisfied that all or any of the provisions of his schedule are not necessary of the protection of persons employed he may, by certificate in writing, exempt any factory from all or any such provisions subject to such, conditions as he specifies therein. Such certificate may at any time be revoked by the Chief Inspector cum facilitator.

2. ***Definitions.—****For the purpose of this schedule, 'Lead Material' means material containing not less than five per cent of lead.*

'Lead Process' **means-**

(a) the melting of lead or any lead material for casting and mechanical composing;

(b) the recharging of machines with used lead material;

(c) any other work including removal of dross from melting pot cleaning of plungers; and

(d) manipulation, movement or other treatment of lead material;

"Efficient exhaust draught" means localised ventilation effected by heat or mechanical means, for the removal of gas, vapour, dust or fumes so as to prevent them from escaping into the air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed efficient which fails to remove gas, vapour, fume or dust at the point where they originate.

3. ***Exhaust draught.—***None of the following processes shall be carried on except with an efficient exhaust draught :-

(a) melting lead material or slugs;

(b) heating lead material so that vapour containing lead in given off; or unless carried on in such a manner as to prevent free escape of gas, vapour, fumes or dust into any place in which work is carried on or unless carried on in electrically heated and thermostatically controlled melting post. Such exhaust draught shall be effected by mechanical means and so contrived as to operate on the dust, fume, gas or vapour given off as closely as may be at its point of origin.

4. ***Prohibition relating to women and adolescents.—***No woman or young person shall be employed or permitted to work in any lead process.

5. ***Separation of certain process.—***Each of the following processes shall be carried on in such a manner and under such conditions as to secure effectual separation from one another and from any other material :-

(a) melting of lead or any lead material;

(b) casting go lead ingots;

(c) mechanical composing.

6. ***Container for dross.—***A suitable receptacle with tightly fitting cover shall be provided and used for dross as it is removed from every melting. Such receptacle shall be kept covered while in the workroom near the machine except when the dross is being deposited therein.

7. ***Floor of workroom.*****—**The floor of every workroom where lead process is carried on shall be-

(a) of cement or similar material so as to be smooth and impervious to water;

(b) maintained in sound condition; and

(c) shall be cleaned throughout daily after being thoroughly damped with water at a time when no other work is being carried on at the place.

8. ***Mess-room.*****—**There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in a lead process and remaining on the premises during the meal intervals, a suitable mass room which shall be furnished with sufficient tables and benches.

9. ***Washing facilities.*****—**There shall be provided and maintained in a cleanly state and in good repair for the use of all persons employed in a lead process-

(a) wash place with either-

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug, and of sufficient length to allow at least two feet for every five such persons employed at any one time and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 2 feet(600 mm); or

(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having an adequate supply of water laid on or always readily available; and

(b) a sufficient supply of clean towels made of suitable material renewed daily with a sufficient supply of soap or other suitable cleaning material.

10. ***Medical facilities and Examination.*****—**

(1) The occupier of every factory to which this schedule applies, shall-

(a) make arrangement a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in a lead process shall be examined by a medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests of lead in urine and blood. ALA in urine haemoglobin, stippling of cells and steadiness tests. No workers shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

(3) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a Medical officer at least once in every six calendar months. Such re-examination shall, wherever the Medical officer considers appropriate, include tests as specified in sub-paragraph (1)

(4) Every worker employed in lead processes carried in Printing Presses and type Foundries processes shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground,that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be

provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations form 28 and 29, shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

11. ***Food, drinks, etc., prohibited in work-room.***—No food, drink, pan and "Supari" or tobacco shall be consumed or brought by any worker into any work-room in which any lead process in carried on.

Sub-Schedule-11
Part I-Chemical Works

1. ***Application.***—This schedule shall apply to all manufacture and processes incidental thereto carried on in chemical works.

2. ***Definitions.***—*For the purpose of this schedule-*

(a) ***"Chemical works"*** means any factory or such part of any factory as are listed, in Appendix 'A' to this schedule;

(b) ***"efficient exhaust draught"*** means Localised ventilation effected by mechanical or other means for the removal of gas, vapour, fume or dust to prevent it from escaping into the air of any place in which work is carried on;

(c) ***"bleaching powder"*** *means the bleaching powder commonly called* chloride of lime;

(d) ***"chlorate"*** means chlorate or perchlorate;

(e) ***"caustic"*** means hydroxide of potassium or sodium;

(f) ***"chrome process"*** means the manufacture of chromate or bichromate of potassium or sodium or the manipulation, movement or other treatment of these substances;

(g) ***"nitro or amino process"*** means the manufacture of nitro or amino derivatives of phenol and of benzene or its homologuos, and the making of explosives with the use of any of these substances;

(h) ***"the term 'permit to work' system"*** means the compliance with the procedures laid down under para 20 of Part II;

(i) ***"toxic substances"*** means all those substances which when they enter into the human body, through inhalation or ingestion or absorption through skin, in sufficient quantities cause fatality or exert serious affliction of health or chronic harmful effects on the health of persons exposed to it due to its inherent chemical or biological effects. In respect of substances whose TLV exceeding the concentration specified therein in the rules would make the substance toxic;

(j) ***"emergency"*** means a situation or condition leading to a circumstance or set of circumstances in which there is danger to the life or health of persons or which could result in big fire or explosion or pollution to the

work and outside environment, affecting the workers or neighbourhood in a serious manner, demanding immediate action;

(k) ***"dangerous chemical reactions"*** means high speed reactions, runaway reactions, delayed reactions, etc. and are characterized by evolution of large quantities of heat, intense release of toxic or flammable gases or vapours, sudden pressure build-up etc.

(l) ***"manipulation"*** means mixing, blending, filling, emptying, grinding sieving, drying, packing, sweeping, handling, using etc.

(m) ***"approved personal protective equipment"*** means items of personal protective equipment conforming to the relevant ISI specifications or in the absence of it, personal protective equipment approved by the Chief Inspector cum Facilitator;

(n) ***"appropriate personal protective equipment"*** means that when the protective equipment is used by the worker, he shall have no risk to his life or health or body;and

(o) ***"confined space"*** means any space by reason of its construction as well as in relation to the nature of the work carried therein and hazards to the persons entering into or working inside exist or are likely to develop during working.

Part II

General requirements applying to all the works in Appendix 'A'

1. ***Housekeeping.—***

(1) Any spillage of materials shall be cleaned up before further processing.

(2) Floors, platforms, stairway, passages and gangways shall be kept free of any obstructions.

(3) There shall be provided easy means of access to all parts of the plant to facilitate cleaning.

2. ***Improper use of chemicals.—***No chemicals or solvents or empty containers containing chemicals or solvents shall be permitted to be used by workers for any purposes other than in the processes for which they are supplied.

3. ***Prohibition of the use of food, etc. .—***No food, drink, tobacco, pan or any edible item shall be stored or heated or consumed on or near any part of the plant or equipment.

4. ***Cautionary Notice and Instructions.—***

(1) Cautionary notices in a language understood by the majority of workers shall be prominently displayed in all hazardous are as drawing the attention of all workers about the hazards to health, hazards involving fire and explosion and any other hazard such as consequences of testing of material or substances used in the process or using any contaminated container for drinking or eating, to which the workers attention should be drawn for ensuring their safety and health.

(2) In addition to the above cautionary notice, arrangement shall be made to instruct and educate all the process including the specific hazards to which they may be exposed to, in the normal course of their work. Such instructions and education should also dealt with the hazards involved in unauthorized and unsafe practices including the properties of substances used in the process under normal conditions as well as abnormal conditions and the precautions to be observed against each and every hazard. Further an undertaking from the workers shall be obtained within

one month of their employment and for old workers employed, within one month of coming into operation of the rules, to the effect that they have read the contents of the cautionary notices and instructions, understood them and would abide by them. The training and instructions to all workers and all supervisory personnel shall include the significance of different types of symbols and colours used on the labels stuck or painted on the various types of containers and pipe lines.

5. ***Evaluation and provision of safeguards before the commencement ofprocess.—***

(1) Before commencing any process or any experimental work, or any new manufacture covered under Appendix 'A', the occupier shall take all possible steps to ascertain definitely all the hazards involved both from the actual operations and the chemical reactions including the dangerous chemical reactions. The properties of the raw materials, used the final products to be made, and any by-products derived during manufacturing, shall be carefully studied and provisions shall be made for dealing with any hazards including effects on workers, which may occur during manufacture.

(2) Information in writing giving details of the process, its hazards and the steps taken or proposed to be taken from the design stage to disposal stage for ensuring the safety as in sub-para (1) above should be sent to the Chief Inspector cum facilitator and the Industrial Hygiene laboratory of State Government at the earliest, but in no case less than 15 days before commencing manufacture, handling, or storage of any of item covered under Appendix 'A', whether on experimental basis, or as pilot plant or as trial production, or as large scale manufacture.

(3) The design, construction installation, operation, maintenance and disposal of the buildings, plant and facilities shall take into consideration effective safeguards against all the safety and health hazards so evaluated.

(4) The requirements under the sub-para (1) to (3) shall not act in lieu of or in derogation to, any other provisions contained in any Act governing the work.

6. ***Authorised entry.—***Authorised persons only shall be permitted to enter any section of the factory or plant where any dangerous operations or processes are being carried on or where dangerous chemical reactions are taking place or where hazardous chemicals are stored.

7. ***Examination of instruments and safety devices.—***

(1) All instruments and safety devices used in the process shall be tested before taking into use and after carrying out any repair to them examined once in a month by a competent person. Records of such tests and examinations shall be maintained in a register.

(2) All instruments and safety devices used in the process shall be operated daily or as often as it is necessary, to ensure its effective and efficient working at all times.

8. ***Electrical installations.—***All electrical installations used in the process covered in Appendix 'A' shall be of an appropriate type to ensure safety against the hazard prevalent in that area such as suitability against dust, dampness, corossion, flammability and explosivity etc. and shall confirm to the relevant ISI specifications governing their construction and use for that area.

9. ***Handling and storage of chemicals.—***

(1) The containers for handling and storage of chemicals shall be adequate strength taking into consideration the hazardous nature of the contents. They shall also be provided with adequate labelling and colour coding arrangements to enable identification of the containers and their contents indicating to the respective ISI standards. The instructions given in the label shall be strictly adhered to. Damaged containers shall be handled only under supervision of acknowledgeable and responsible person and spillage shall be rendered innocuous in safe manner using appropriate means.

(2) The arrangements for the storage of chemicals including charging of chemicals in reactions vessels and containers shall be such as to prevent any risk of fire or explosion or formation of toxic concentration of substances above the limits specifie in Rule.

(3) Without prejudice to the generality of the requirements in sub-para (2) above, the arrangements shall have suitable ventilation facilities and shall enable the maintenance of safe levels in vessels and containers. Such arrangements shall also be taken into consideration, the type of flooring and the capacity of flooring and the compatibility requirements of substances with other chemicals stored nearby.

(4) (a) Storage of chemicals and intermediate product which are highly unstable orreactive or explosive shall be limited to the quantities required for two months use.

(b) Where the quantities laid down in the above clause (a) are to be exceeded, the permission of the Chief Inspector cum Facilitator shall be obtained.

(c) Notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b) above, the Chief Inspector cum facilitator may direct any factory carrying out processes covered in Appendix 'A' to further limit the storage of hazardous substances to quantities less than two months on consideration of safety.

(5) Standby arrangements equal to the biggest container shall always be available to transfer the toxic substances quickly into the stand by storage facility if any defect develops in any of the container resulting in the release of toxic substances.

(6) Any storage facility constructed using non-metallic material such as Fibre glass Reinforced Plastics (FRP) all glass vessels etc., shall have adequate strength to withstand and stress, if any, exerted by the contents and shall be properly anchored, working platforms, access ladders, pine-lines etc. used in such storage facility shallnot have any support on the structure of the storage facility and shall be independently supported.

10. ***Facility for isolation.—***The plant and equipment shall be so constructed and maintained as to enable quick isolation of plant or part of plant or equipment, with appropriate indication. One copy of the layout plan indicating the isolation facilities shall always be available with the security personnel, the maintenance and the health and safety personnel and these isolating facilities shall be checked for its effectiveness once in a month.

11. ***Personal protective equipment.—***

(1) All workers exposed to the hazards in the processes covered by this Schedule shall be provided with appropriate and approved type of personal protective equipment. Such equipment shall be in a clean, and hygienic condition before issue.

(2) The occupier shall arrange to inform, educate and supervise all the workers in the use of personal protective equipment while carrying out the job.

(3) As regards any doubt regarding the appropriateness of any personal protective equipment, the decision of the Chief Inspector cum Facilitator will be final.

12. ***Alarm systems.—***

(1) Suitable and effective alarm systems giving audible and visible indications, shall be installed at the control room as well as in all strategic locations where process control arrangements are available so as to enable corrective action to be taken before the operational parameters exceed the predetermined safe levels or lead to conditions conductive for an outbreak of fire or explosion to occur. Such alarm systems shall be checked daily and tested every month at least once to ensure its performance efficiency at all times.

(2) The Chief Inspector cum Facilitator may direct such system to be installed in case of plants or processes where toxic materials are being used and spillage or leakage of which may cause wide spread poisoning in or around the plant.

13. ***Control of escape of substances into the work atmosphere.—***

(1) Effective arrangements such as, enclosure, or by pass, or efficient exhaust draught, maintenance of negative pressure etc., shall be provided in all plants, containers, vessels, sewers, drains, flues, ducts, culverts, and spread of substances which are likely to give rise to fire or explosion or toxic hazards during normal working and in the event of accident or emergency.

(2) In the event of the failure of the arrangements for control resulting in the escape of substances in the work atmosphere immediate steps shall be taken to control the process in such a manner, that further escape is brought down to the safe level.

(3) The substances that would have escaped into the work atmosphere before taking immediate steps as required in sub-para (2), shall be rendered innocuous by diluting with air or water or any other suitable agent or by suitable treating the substances.

14. ***Control of dangerous chemical reactions.—***Suitable provisions, such as automatic and/or remote control arrangement shall be made for controlling the effects of dangerous chemical reactions. In the event of failure of control arrangement shall come into operation.

15. ***Testing, examination and repair of plant and equipments.—***

(1) All parts of plant, equipment and machinery used in the process which in the likely event of their failure may give rise to an emergent situation shall be tested by a competent person before commencing process and retested at an interval of two years or after carrying out repairs to it. The competent person shall identify the parts of the plant, equipment and machinery required to be tested as aforesaid and evolve a suitable testing procedures. In carrying out the test as mentioned above in respect of pressure vessels or reaction vessels the following precautions shall be observed, namely :-

(a) before the test is carried out, each vessel shall be thoroughly cleaned and examined externally, and as far as practicable, internally also for surface defects, corrossion and foreign matter. During the process of cleaning and removal of sludge, if any, all due precautions shall be taken against fire or explosion, if such sludge is of pyropheric nature or contains spontaneously combustible chemicals;

(b) as soon as the test is completed, the vessel shall be thoroughly dried internally and shall be clearly stamped with the marks and figures indicting the person by whom testing has been done and the date of test; and

(c) any vessel which fails to pass the test of which for any other reason is found to be unsafe for use shall be destroyed or rendered unusable under intimation to the Chief Inspector cum Facilitator.

(2) All parts of plant, equipment, machinery which in the likely event of failure may give rise to an emergent situation shall be examined once in a month by the competent person.

(3) Records of testing and examination referred to in paragraphs (1) and (2) shall be maintained as long as that part of the plant, equipment and machinery are in use.

(4) All repair work including alteration, modification and addition to be carried out to the plant, equipment and machinery shall be done under the supervision of a responsible person who shall evolve a procedure to ensure safety and health of person doing the work. When repairs or modification is done on pipelines, and joints are required to be welded but welding of joints are required to be welded, the responsible person shall regulate the aforesaid work through a 'permit to work system'.

16. ***Staging.—***

(1) All staging that is erected for the purpose of maintenance work or repair work or for work connected with entry into confined spaces and used in the processes included in Appendix 'A' shall be stable, rigid and constructed out of substantial material of adequate strength. Such staging shall confirm to the respective Indian Standard specifications.

(2) Staging shall not be erected over any closed or open vessel unless the vessel is so constructed and ventilated to prevent exposure or persons working on the stages.

(3) All the staging constructed for the purpose of this work shall have appropriate access which are safe and shall be fitted with proper hand rails to a height of one metre and toe-board.

17. ***Seating arrangements.—***The seating arrangements provided for the operating personnel working in processes covered in Appendix 'A' shall be located in a safe manner as to prevent the risk of exposure to toxic, flammable and explosive substances evolved in the work environment in the course of manufacture or repair of maintenance, either due to failure of plant and equipment or due to the substances which are under pressure, escaping into the atmosphere.

18. ***Entry into or work in confined spaces.—***

(1) The occupier of every factory to which the provisions of this schedule apply, shall ensure the observance of the following precautions before permitting any person to enter or work inside the confined spaces :-

(a) identify all confined spaces and the nature of hazards that are encountered in such spaces, normally, or abnormally, and arrange to develop the most appropriate safeguards for ensuring the safety and health of persons entering into or working inside, the confined spaces;

(b) regulate the entry or work inside the confined spaces through a 'permit to work system' which should include the safeguards so developed as required under sub-clause (a) above;

(c) before testing the confined space for entry into or work, the place shall be rendered safer by washing or cleaning with neutralizing agents or purging with steam or inert gases and making adequate forced ventilation arrangements or such measure which will render the confined space safe;

(d) shall arrange to carry out such tests as are necessary for the purposes by a competent person and ensure that the confined space is safe for the person to enter or work. Such testing shall be carried out as often as is necessary during the course of work to ensure its continued safety;

(e) shall arrange to educate and train the personnel who would be required to work in confined spaces about the hazards involved in the work. He shall also keep in readiness the appropriate and approved personal protective equipment including arrangements for rescue, resuscitation and first aid, and shall arrange supervision of the work at all times by a responsible and knowledgeable person.

(2) The manager shall maintain a log of all entry into a work-in, confined spaces and such record shall contain the details of persons assigned for the work, the location of the work and such other details that would have a bearing on the safety and health of the persons assigned for this work. The log book so maintained shall be retained as long as the concerned workers are in service and produced to the inspector cum facilitator when demanded.

19. ***Maintenance work etc.—***

(1) All the work connected with the maintenance of plants and equipment including cleaning of empty containers which have held hazardous substances used in the processes covered in this Schedule, shall be carried out under 'permit to work system' employment trained personnel and under the supervision of responsible person having knowledge of the hazards and precautions required to deal with them.

(2) Maintenance work shall be carried out in such a manner that there is no risk to persons in the vicinity or to persons who pass by. If necessary, the place of such work shall be condoned off or the presence of unconnected persons effectively controlled.

20. ***Permit to work system.—***The permit to work system shall *inter alia* include the observance of the following precautions while carrying out an specified work to be subjected to the permit to work system :-

(a) all work subject to the permit to work system shall be carried out under the supervision of a knowledgeable and responsible person;

(b) all sorts of plant or machinery or equipment on which permit to work system is carried out, shall remain isolated from other parts throughout the period of permit to work and the place of work including the parts of plant, machinery shall be rendered safe by cleaning, purging, washing, etc.;

(c) all work subject to the permit to work system shall have predetermined work procedures which integrate safety with the work. Such procedures shall be reviewed whenever any change occurs in material or equipment so that continued safe/safety isensured;

(d) persons who are assigned to carry out the permit to work system shall be physically fit in all respects taking into consideration the demands and nature, of the work before entering into the confined space. Such person shall be adequately informed about the correct work procedures as well as the precautions to be observed while carrying out the permit to work system;

(e) adequate rescue arrangements wherever considered necessary and adequate first aid, rescue and resuscitation arrangements shall be available in good working condition near the place of work while carrying out the permit to work system, for use in emergency;

(f) appropriate and approval personal protective equipment shall be used carrying out the 'permit to work system';

(g) after completion of work subject to the 'permit to work system' the person responsible shall remove all the equipment and tools and restore to the original condition so as to prevent any danger while carrying out regular process.

21. ***Safety sampling personnel.—***The occupier shall ensure the safety for persons assigned for collecting sample by instructing them on the safe procedure. Such personnel shall be provided with proper and approval personnel protection equipment, if required.

22. ***Ventilation.***—Adequate ventilation arrangements shall be provided and maintained at all times in the process area where dangerous or toxic or flammable or explosive substances could be evolved. These arrangements shall ensure that concentrations, which are either harmful could result in explosion, are not permitted to be build up in the work environment.

23. ***Procedures for meeting emergencies.***—

(1) The occupier of every factory carrying out the works covered in Appendix 'A', shall arrange to identify all types of possible emergencies that could occur in the processes during the course of work or while carrying out maintenance work or repair work. The emergencies so identified shall be reviewed every year.

(2) The occupier shall formulate a detailed plant to meet all such identified emergencies including arrangements for summoning outside help for rescue and firefighting and arrangements for making available urgent medical facilities.

(3) The occupier shall send the list of emergencies and the details of procedures and plans formulated to meet the emergencies, to the Chief Inspector cum facilitator

(4) The occupier shall arrange to install distinctive and recognizable warning arrangements to caution all persons inside plant as well as the neighboring community, if necessary, to enable evacuation of persons and to enable the observance of emergency procedures by the persons who are assigned emergency duties. All concerned must be well informed about the warning arrangements and their meaning. The arrangements must be checked for its effectiveness every month.

(5) Alternate power supply arrangements shall be made and interlocked with the normal power supply system so as to ensure constant supply of power to the facilities and equipment meant for compliance with requirements of paragraphs 10, 11, 12, 13,14, 18, 22 and this paragraph of Part II, Part III, Part IV and Part V of this Schedule.

(6) The occupier shall arrange to suspend the further process work in a place where emergency is established and shall forthwith evacuate all persons in that area except workers who have been assigned emergency duties.

(7) All the employees of the factory shall be trained about the action to be taken by them including evacuation procedures during emergencies.

(8) All emergency procedures must be rehearsed every three months and deficiencies, if any, in the achievement of the objectives shall suitably be corrected.

(9) The occupier shall arrange to have ten per cent of the workers trained in the use of first aid fire fighting appliances and in rendering of specific first aid measure taking into consideration the special hazards of the particular process.

(10) The occupier shall furnish immediately on request the specific chemical identity of the hazardous substance to the treating physician when the information is needed to administer proper emergency or first-aid treatment to exposed.

24. ***Danger due to effluents.—***

(1) Adequate precautions shall be taken to prevent the mixing of effluents from different processes and operations which may cause dangerous or poisonous gases to be evolved.

(2) Effluents which contain or give rise in the presence of other effluents to poisonous gases shall be provided with independent drainage system to ensure that they may betrapped and rendered safe.

Part III
Fire and Explosions Risks

1. ***Sources of ignition including lighting installation.—***

(1) No internal combustion engine and no electric motor or other electrical equipment, and fittings and fixtures capable of generating sparks of otherwise causing combustion or any other source of ignition or any naked light shall be installed or permitted to be used in the process area where there could be fire and explosion hazards.

(2) All hot exhaust pipe shall be installed outside a building and other hot pipes or hot surface or surfaces likely to become hot shall be suitably protected.

(3) The classification of work areas in terms of its hazard potential and the selection of electrical equipment or other equipment that could constitute a source of ignition shall be in accordance with the respective Indian Standard.

(4) Where a flammable atmosphere may be prevalent or could occur, the soles of footwear worn by workers shall have no metal on them, and the wheels of trucks or conveyors shall be conductive type.

(5) All tools and appliances used for work in this area shall be of non-sparking type.

(6) Smoking in process areas where there are risks of fire and explosion shall be prohibited and warning notices in the language understood by majority of workers shall be posted in the factory prohibiting smoking into specified areas.

2. ***Static electricity.*** -

(1) All machinery and plant, particularly, pipe lines and belt drives, on which static charge is likely to accumulate, shall be effectively earthed. Receptacles for flammable liquids shall have metallic connections to the earthed supply tanks to prevent static sparking. Where necessary, humidity shall be regulated.

(2) Mobile tanker wagons shall be earthed during filling and discharge, and precautions shall be taken to ensure that earthling is effective before such filling or discharge takes place.

3. ***Lightening protection.—***Lightening protection arrangement shall be fitted where necessary, and shall be maintained.

4. ***Process heating.—***The method of providing heat for a process likely to result in fire and explosion shall he as safe as possible and where the use of naked flame is necessary, the plant shall be so constructed as to prevent any escaping flammable gas, vapor or dust coming into contact with the flame, or exhaust gases, or other sources likely to cause

ignition. Wherever possible the heating arrangement shall be automatically controlled at a predetermined temperature below the danger temperature.

5. ***Leakage of flammable liquids .—***

(1) Provision shall be made to confine by means of bund walls, dykes, sumps etc. possible leakages from storage vessels containing flammable liquids.

(2) Waste material in contact with flammable substances shall be disposed off suitably under the supervision of knowledgeable and responsible person.

(3) Adequate and suitable fire-fighting appliances shall be installed in the vicinity of such vessels.

6. ***Safety valves.—***Every still and every closed vessel in which gas is evolved or into which gas is passed, and in which the pressure is liable to rise above the atmospheric pressure, shall have attached to it a pressure gauge, and a proper safety valve or other equally efficient means to relieve the pressure. These appliances shall be maintained in good condition.

7. ***Installation of pipe line etc.—***All pipe lines carrying flammable or explosive substances shall be protected from mechanical damage and shall be examined by a responsible person once in a week to detect any deterioration or defects, or accumulation or flammable or explosive substances, and record kept of any defects found and repairs made.

8. ***Fire fighting systems.—***

(1) Every factory employing 500 or more persons andcarrying out processes listed in Appendix 'A' shall provide:-

(a) Trained and responsible fire fighting squad so as to effectively handle the firefighting and life saving equipment in the event of fire or other emergency. Number of persons in this squad will necessarily depend upon the size or risk involved, but in no case shall be less than 8 such trained persons to be available at any time. The squad shall consist of watch and ward personnel, fire pump man and departmental supervisors and operators trained in the operation of fire and emergency services.

(b) Squad leaders shall preferably be trained in a recognized government institution and their usefulness enhanced by providing residence on the premises.

(c) Squad personnel shall be provided with clothing and equipment including helmets, boots and belts.

(2) A muster roll showing the duties allocated to each member of the squad shall be prepared and copies supplied to each leader as well as displayed in prominent places so as to be easily available for reference in case of emergency.

(3) The pump man shall be thoroughly conversant with the location of all appliances. He shall be responsible for maintaining all fire fighting equipment in proper working order. Any defect coming to his notice shall be immediately be brought to the notice ofsquad leader.

(4) As far as is practicable, the fire pump room and the main gate(s) of the factory be connected to all manufacturing or storing areas through telephone interlinked and placed in a convenient location near such areas.

Part IV-
Risk of Toxic Substances

1. ***Leakage.—***

(1) All plants shall be so designed and constructed as to prevent the escape of toxic substances. Where necessary, separate buildings, rooms, or protective structures shall be used for the dangerous stages of the process and the buildings shall be so designed as to localise any escape of toxic substances.

(2) Catch pits, bund walls, dykes, or other suitable safeguards shall be provided to restrict the serious effects of such leakages. Catch pits shall be placed below joints in pipelines where there is danger involved to maintenance and other workers from such leakage.

2. ***Drainage.—***Adequate drainage shall be provided and shall lead to collection tanks specifically provided for this purpose wherein deleterious material shall be neutralized treated or otherwise rendered safe before it is discharged into public drains or sewers.

3. ***Covering of vessels.—***

(1) Every fixed vessel or structure containing any toxic substance and not so covered as to eliminate all reasonable risk of accidental contract of any portion of the body of a worker, shall be so constructed as to avoid physical contact.

(2) Such vessel shall, unless its edge is at least 90 centimeters above the adjoining ground or platform, be securely fenced to a height of at least 90 centimeters above such adjoining ground or platform.

(3) Where such vessels adjoin and the space between them, clear of any surrounding brick or other work is either less than 45 centimeters in width or is 45 or more centimeters in width, but is not securely fenced on both sides to a height of at least 90 centimeters, secure barriers shall be so placed as to prevent passage between them :

Provided that sub-paragraph (2) of this paragraph shall not apply to-

(a) Saturators used in the manufacture of sulphate of ammonia; and

(b) that part of the sides of brine evaporating pans which require raking, drawing or filling.

4. ***Continuous exhaust arrangement.—***

(1) Any process evolving toxic vapour, gas, fume and substance shall have efficient continuous exhaust draught. Such arrangement shall be interlocked in the process control wherever possible.

(2) In the event of failure of continuous exhaust arrangement means shall be provided to automatically stop the process.

5. ***Work bench.—***All the work benches used in processes involving the manipulation of toxic substances, shall be graded properly and shall be made of smooth impervious surface which shall be washed daily after the completion of work.

6. ***Waste disposal.—***

(1) There shall be provided a suitable receptacle made of non-absorbable material with a tightly fitting cover for depositing waste material soiled with toxic substances, and the contents or such receptacle shall he destroyed by burning of using other suitable methods under the supervision of a responsible person.

(2) During the course of manufacture, whenever any batch or intermediate products having toxicity is rejected on consideration of quality, sufficient precautions shall be taken to render them innocuous or otherwise treat them or inactive them, before disposal.

(3) The empty containers of toxic substances shall be cleaned thoroughly before disposal under the supervision a responsible person.

Part V
Special Provisions

1. Special precautions for Nitro or Amino Processes.—

(1) Unless the crystallized nitro or amino substances or any of its liquor is broken or agitated in a completely enclosed process so as not to give rise to dust or fume, such process shall be carried on under an efficient exhaust drought or by adopting any other suitable means in sucha manner as to prevent the escape of dust or fume in the working atmosphere.

(2) No part of the plant or equipment or implements which was in contact with nitro or amino compounds shall be repaired, or handled unless they have been emptied and thoroughly cleaned and decontaminated.

(3) Filling of containers with nitro or amino compounds shall be done only by using a suitable scoop to avoid physical contact and the drying of the containers in the stove shall be done in such a manner that the hot and contaminated air from the stove is not drawn into the work-room.

(4) Processes involving the steaming into or around any vessel containing nitro or amino compounds or its raw materials shall be carried out in such a manner that the steam or vapor is effectively prevented to be blown back into the working atmosphere.

(5) Suitable antidotes such as methylene blue injections shall always be available at designated places of work for use during emergency involving the poisoning with nitro or amino compounds.

2. *Special precautions for 'chrome processes'.—*

(1) Grinding and sieving of raw materials in chrome processes shall be carried on in such a manner and under such condition as to secure effective separation from any other processes and under an efficient exhaust draught.

(2) There shall be washing facilities located very near to places where wet chrome processes such as leaching, acidification, sulphate settling evaporation, crystallisation, centrifugation or packing are carried out, to enable quick washing of affected parts of body with running water.

(3) Weekly inspection of hand and feet of all persons employed in chrome process shall be done by a qualified nurse and record of such inspections shall be maintained in a form approved by the Chief Inspector cum facilitator.

(4) There shall be always available at designated places of work suitable ointment such as glycerine, vaceline, etc. and water proof plaster in a separate box readily accessible to the workers so as to protect against perforation of nasal septum.

3. ***Special precautions for processes carried out in all glass vessels.—***

(1) Processes and chemical reactions such as manufacture of vinyl chloride, benzyl chloride etc. which are required to be carried out in all glass vessels shall have suitable means like substantial wiremesh covering to protect persons working nearby in the event of breakage of glass vessel.

(2) The personal protective equipment like overall, etc. provided for the chlorate workers shall not be taken from the place of work and they shall be thoroughly cleaned daily.

(3) Adequate quantity of water shall be available near the place of chlorate process for use during fire emergency.

(4) Wooden vessel shall not be used for the crystalisation of chlorate or to contain crystalised ground chlorate.

(5) Special precautions in the use of plant and equipment made from reinforced plastics-

(1) All plants and equipments shall conform to appropriate Indian or any other National Standard.

(2) Care shall be taken during storage, transport, handling and installation of plant and equipments to avoid accidental damage.

(3) All plants and equipments shall be installed in such a way as to ensure that loads are distributed as intended in design or as per the recommendation of the manufacturers.

(4) All pipe work shall be supported so that total loads local to the branches on the vessel or tank do not exceed their design values.

(5) After erection all plants and equipments shall be subjected to a pressure test followed by a thorough examination by a competent person. The test and examination shall be as per relevant standard. A certificate of test and examination by competent person shall he obtained and kept available at site.

(6) All plants and equipments shall be subjected to periodical test and examination and record maintained as per paragraph 15 in Part II of this Schedule.

(7) Plant and equipments during their use shall not be subjected to over filling or overloading beyond rated capacity.

Part VI-
Medical Requirements

1. ***Decontamination facilities.—***In all places where toxic substances are used in processes listed in Appendix 'A' the following provisions shall be made to meet an emergency :-

(a) fully equipped first aid box;

(b) readily accessible means of drenching with water persons, parts of body of persons, and clothing of persons who have been contaminated with such toxic and corrosive substances and such means shall be as shown in the table below :-

Table

No. of persons employed at any time

Upto 50 persons 2
Between 51 to 100 3
Between 101 to 200
3 + 1 every 50
persons thereafter
Between 201 to 400
5 + 1 for every 100
persons
Between 401 and
above
7 + 1 for every 200persons

(c) a sufficient number of eye wash bottles filled with distilled water or suitable liquid, kept in boxes or cupboards conveniently situated and clearly indicated by a distinctive sign which shall be visible at all times.

2. (1) ***For factories employing upto 50 workers.—***

(a) The services of a qualified medical practitioner hereinafter known as Factory Medical Officer, available on a retainership basis, in his notified clinic near factory for seeking medical help during emergency. He will also carry out the pre-employment and periodical medical examinations as stipulated in paragraph 4 of this Part.

(b) A minimum of five persons trained in first aid procedures, amongst whom at least one shall always be available during the working period.

(c) A fully equipped first aid box.

(2) ***For factories employing 51 to 200 workers.*** -

(a) The occupational health centre shall have a room having a minimum floors area of 15 sq. mtr, with floor and walls made of smooth, hard and impervious surface and shall be adequately illuminated, ventilated and equipped.

(b) A part time Factory Medical Officer will be in over all charge of the Centre who shall visit the factory minimum twice in a week and whose services shall be readily available during emergencies.

(c) There shall be one qualified and trained dresser-cum-compounder on duty throughout the working period.

(d) A fully equipped first aid box.

(3) ***For factories employing above 200 workers.*** -

(a) There shall be one full time Factory Medical Officer for factories employing up to 500 workers and one more medical officer for every 1000 workers or part thereof.

(b) The occupational health centre in this case shall have a minimum of 2 rooms each having a minimum floor area of 15 sq. m. with floors and walls made of smooth, hard and impervious surface and shall be adequately illuminated, ventilated and equipped.

(c) There shall be one trained nurse, one dresser-cum-compounder and one sweeper-cum-ward boy throughout the working period.

(d) The Occupational Health Centre in this case shall be suitably equipped to manage medical emergencies.

3. ***Ambulance van.—***

(1) In every factory carrying out processes covered in Appendix'A' there shall be provided and maintained in good condition a suitably constructed and fully equipped ambulance van as per Appendix 'C' manned by a full-time driver-cum-mechanic and helper trained in the first aid for the purposes of transportation of serious cases of accidents or sickness unless arrangements for procuring such facility at short notice during emergencies have been made with the nearby hospital or other places. The ambulance van shall not be used for any purpose other than the purpose stipulated herein and will always be available near the Occupational Health Centre.

(2) The relaxation to procure Ambulance Van from nearby places provided for in sub-para (1) above will not be applicable to factories employing more than 500 workers.

4. **Medical examination.—**

(1) Workers employed in processes covered in Appendix 'A' shall be medically examined by a Factory Medical Officer in the following manner:-

(a) once before employment, to ascertain physical suitability of the person to do the particular job;

(b) once in a period of 6 months, to ascertain the health status of the worker; and

(c) the details of pre-employment and periodical medical examinations carried out as aforesaid shall be recorded in the prescribed form.

(2) Any finding of the Factory Medical Officer revealing any abnormality or unsuitability of any person employed in the process shall immediately be reported to the Medical inspector cum facilitator who shall in turn, examine the concerned workers and communicate his findings within 30 days. If the Medical inspector cum facilitator is of the opinion that the person so examined is required to be suspended from the process for health protection he will direct the occupier accordingly, who shall not employ the said worker in the same process. However, the person so suspended from the process shall be provided with alternate placement facilities unless he is fully incapacitated in the opinion of the Medical inspector cum facilitator in which case the person affected shall be suitably rehabilitated:

Provided that the Medical inspector cum facilitator on his own may examine any other worker whom he feels necessary to be examined for ascertaining the suitability of his employment in the process covered in Appendix 'A' or for ascertaining the health status of any other worker and his opinion shall be final.

(3) No person shall be newly appointed without the Certificate of Fitness granted by the Factory Medical Officer. If the Factory Medical Officer declares a person, unfit for being appointed to work in the process covered in Appendix 'A', such person shall have a right of appeal to the Medical inspector cum facilitator, whose opinion shall be final in this regard.

(4) The worker suspended from the process owing to the circumstances covered in sub-para (2) shall be employed again is the same process only after obtaining the Fitness Certificate from the Medical inspector cum facilitator and after making entries to that effect in the health register.

(5) Every worker employed in the processes of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(6) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in these processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person in unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(7) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(8) The record of the examinations form 28 and 29, shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

Part VII
Additional Welfare Amenities

1. ***Washing facilities.—***

(1) There shall be provided and maintained in every factoryfor the use of all the workers taps for washing, at the rate of one tap for every 15 persons including liquid soap in a container with tilting arrangement and nail brushes or other suitable means for effective cleaning. Such facilities shall be conveniently accessible and shall be kept in clean and hygienic condition.

(2) If washing facilities as required above are provided for women, such facilities shall be separate for them and adequate privacy at all times shall be ensured in such facilities.

2. ***Mess room facilities.—***

(1) The occupier of all the factories carrying out processes covered in Appendix 'A' and employing 50 workers or more, shall provide for all the workers working in a shift mess room facilities which are well ventilated and provided with tables and sitting facilities along with the provisions of cold and hygienic drinking water facilities.

(2) Such facilities include suitable arrangement for cleaning and washing and shall be maintained in a clean and hygienic condition.

3. ***Cloak room facilities.—***

(1) The occupier of every factory carrying out any process covered in Appendix 'A' shall provide for all the workers employed in the process cloak room facilities with lockers. Each worker shall be provided with two

lockers, one for work clothing and another separately for personal clothing and the lockers should be such as to enable the keeping of the clothing in a hanging position.

(2) The cloak room facilities so provided in pursuance of sub-para (1) shall be located as far as possible near to the facilities provided for washing in pursuance of para 1 (1).If it is not possible to locate the washing facilities the cloak room facilities shall have adequate and suitable arrangements for cleaning and washing.

4. ***Special bathing facilities.—***

(1) The occupier of any factory carrying out the process covered under Appendix 'B' shall be provided special bathing facilities for all the workers employed and such facilities shall be provided at the rate of 1 for 25workers and part thereof, and shall be maintained in a clean and hygienic condition.

(2) The occupier shall insist all the workers employed in the processes covered in Appendix 'B' to take bath after the completion of the day's or shift work using the bathing facilities so provided and shall also effectively prevent such if those workers taking bath in any place other than the bathing facilities.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-para (1) above, the Chief Inspector cum facilitator may require in writing the occupier of any factory carrying out any other process for which in his opinion bathing facilities are essential from the health point of view, to provide special bathing facilities.

Part VIII

1. ***Duties of workers.—***

(1) Every worker employed in the processes covered inAppendix 'A' and Appendix 'B' not make any safety device or appliance or any guarding or fencing arrangement, in operative or defective and shall report the defective condition of the aforesaid arrangement as soon as he is aware of any such defect.

(2) Before commencing any work, all workers employed in processes covered in Appendix 'A' shall check their work place as well as the machinery, equipment or appliance used in the processes and report any mal-function or defect immediately to the supervisor or any responsible person of the management.

(3) All workers shall co-operate in all respects with the management while carrying out any work or any emergency duty assigned to them in pursuance of this schedule and shall always use all the personal protective equipments issued to them in a careful manner.

(4) All workers employed in the processes covered in Appendix 'A' or Appendix 'B'shall not smoke in the process area or storage area. If special facilities are provided by the management only such facilities should be used.

(5) All workers employed in the processes covered in Appendix 'A' shall not remain in unauthorized place or carry out unauthorized work or improvise any arrangement or adopt short cut method or misuse any of the facilities

provided in pursuance of the Schedule, in such a manner as to cause risk to themselves as well as or to others employed.

(6) The workers shall not refuse undergoing medical examination as required under these rules.

Part IX

Restriction on the employment of adolscents under 18 years of age and women.

(1) The Chief Inspector of Factories may by an order in writing, restrict or prohibit the employment of women and adolscents under the age of 18, in any of the processes covered in Appendix 'A' of the Schedule on consideration of health and safety of women and adolescents.

(2) Such persons who are restricted or prohibited from working in the process due to the order issued in pursuance of sub-para (1) above shall be provided with alternate work which is not detrimental to their health or safety.

Part X
Exemptions

1. ***Power of exemption.***—The State Government or subject to the control of the State Government, the Chief Inspector may exempt from the compliance with any of the requirements of this Schedule partly or fully, any factory carrying out processes covered in Appendix 'A' if it is clearly and satisfactorily established by the occupier that the compliance with any of the requirement is not necessary to ensure the safety and health of persons employed as suitable and effective alternate arrangements are available to any of the requirements covered in this schedule.

Appendix 'A'

Any works or that part of works in which -

(a) The manufacture, manipulation or recovery of any of the following is carried on :-

(i) sodium, potassium, iron, aluminium, cobalt, nickel, copper, arsenic, antimony, chromium, zinc, selenium, magnesium, cadmium, mercury, beryllium and the irorganic and inorganic salts, alloys, oxides and hydroxides;

(ii) ammonia, ammonium hydroxide and salts of ammonium;

(iii) the organic or inorganic compounds or sulphurous, sulphuric, nitric, nitrous, hydrochloric, hydroflouric, hydroiodic, hydrosulphuric, hydrobromil boric;

(iv) cyanogen compounds, cyanide compounds, cyanate compounds;

(v) phosphorous and its compounds other than organo-phosphorous insecticides;

(vi) chlorine.

(b) hydrogen sulphide is evolved by the decomposition or metallic sulphides, orhydrogen sulphide is used in the production of such sulphides;

(c) bleaching powder is manufactured or chlorine gas is produced in chloralkali plants;

(d) (i) gas tar or coal tar or bitumen or shale oil asphalt of any residue of such tar is distilled or is used in any process of chemical manufacture;

(ii) tar based synthetic colouring matters or their intermediates are produced;

(e) nitric acid is used in the manufacture of nitro compounds;

(f) explosives are produced with the use of nitro compounds;

(g) aliphatic or aromatic compounds or their metallic and non-metallic derivatives or substituted derivatives, such as chloroform, ethylene glycol, formaldehyde, benzylechloride, phenol, methyl ethyl ketone peroxide, cobalt, carbonyl, tungsten carbide etc. are manufactured or recovered.

Appendix 'B'

Concerning Special Bathing Accommodation in pursuance of para 4 of Part IV-

(1) Nitro or amino processes.

(2) All chrome processes.

(3) Processes of distilling gas or coal tar or processes of chemical manufacture in which tar is used.

(4) Processes involving manufacture, manipulation, handling or recovery of cyanogens compound, cyanide compound, cyanate compounds.

(5) Processes involving manufacture of bleaching powder or production of chlorine gas in chloralkali plants.

(6) Manufacture, manipulation or recovery of nickel and its compounds.

(7) All processes involving the manufacture, manipulation or recovery of aliphatic or aromatic compounds or their derivatives or substituted derivatives.

Appendix 'C'

Ambulance :

Ambulance should have the following equipments :-

General :

An wheeled stretcher with folding and adjusting devices;
Head of the stretcher must be capable of being titled upward;
Fixed oxygen supply with equipments Fixed oxygen supply with equipments;
Pillow with cases;
Sheets;
Blankets;
Towels;
Emosis bag;
Bed pan;
Urinal;
Glass.

Safety equipment :

Flares with life of 30 minutes;
Flood lights;
Flash lights;
Fire extinguisher dry powder type;
Insulated guantlets.

Emergency care equipments :

Resuscitation :

Portable suction unit;
Portable oxygen unit;
Bag-valve-mask, hand operated artificial ventilation unit;
Airways;
Mouth gage;
Tracheostomy adaptors;
Short spine board;
I.V. Fluids with administration unit;
B.P. manometer;
Cugg;
Stetheoscope.

Immobilization :

Long and short padded boards;
Wire ladder splints;
Triangular bandage;
Long and short spine board.

Dressings :

Gauze pads 4" + 4";
Universal dressing 10" X 36";
Roll of aluminium foils;
Soft roller bandages 6" x 5 yards;
Adhesive tape in 3" roll;
Safety pins;
Bandage sheets;
Bandage sheet;

Poisoning :

Syrup of Ipecac;
Activated charcoal; Pre packeted in doses
Snake bite left;
Drinking water.

Emergency Medicines :

As per requirement (under the advice of Medical Officer only)

Sub-Schedule-12

Manufacture of Pottery

1. ***Definitions.—***

(a) ***"Pottery"*** includes, earthenware, stoneware,, porcelain, china,tiles and any other articles made from clay or from mixture containing clay and other materials such as quartz, flint feldspars and gypsum.

(b) ***"Efficient exhaust draught"*** means localised ventilation effected by mechanical or other means for the removal of dust or fume so as to prevent it from escaping into the air of any place in which work in carried on. No draught shall be deemed efficient which fails to remove effectively dust or fume generated at the point where dust orfume originates.

(c) ***"Fettling"*** includes scalloping towing, sand papering, and sticking, brushing or any other process of cleaning of pottery where in which dust is given off.

(d) ***"Leadless glaze"*** means a glaze which does not contain more than one percent ofits dry weight of a lead compound calculated as lead monoxide.

(e) ***"Low solubility glaze"*** means a glaze which does not yield to dilute hydrochloric acid more than five percent of its dry weight of a soluble lead compound calculated as lead monoxide when determined in the manner described below :-

A weighed quantity of the material which has been dried at 100°C and thoroughly mixed shall be continuously shaken for one hour, at the common temperature with1000 times of weight of an aqueous solution of hydrochloric acid containing 0.25 percent by weight of hydrogen chloride. This solution shall thereafter be allowed to stand for one hour and then filtered. The lead salt contained in the clear filtrate shall then be precipitated as lead sulphide and weighted as lead sulphate.

(f) Ground or ordered faint or quartz does not include natural sands.

(g) ***"Potter's shop"*** includes all places where pottery is formed by pressing or by anyother process and all places where shaping, fettling or other treatment of pottery articles prior to placing or the biscuit fire is carried on.

2. ***Efficient exhaust draught.—***The following processes shall not be carried onwithout the use of an efficient exhaust draught-

Operations	Locations
(i)All processes involving the manipulation or use of dry and unfitted Lead compound.	Preparing mix for frit.
(ii)The fettling operations of any kind, whether on green ware or Biscuit, provided that this shall not apply to the wet fettling, and to the occasional finishing of pottery articles without the aid of mechanical power.	Finishing on wheels (of fettling machine) Hand finishing,Blowing of dust, before glazing pipe, turning and polishing. Finishing of Biscuits. Rubbing before glazing.
(iii)The shifting of clay dust or any othermaterial for making tiles or otherarticles by pressure, except where:- (a) This is done in a machine so enclosed as	Making body forToggle press andTile press.

Operations	Locations
to effectually prevent the escape of dust, or (b) The material to be shifted is so damp that no dust can be given off.	
(iv)The pressing of tiles from clay dust, an exhaust opening being connected with each press, this clause shall also apply to the pressing from clay dust of articles other than tiles, unless the material is so damp that no dust is given off.	Tiles press, Toggle press or Dye-press.
(v) The fettling of tiles made from clay dust by pressure, except where the fettling is done wholly on or with damp material, this clause shall also apply to the fettling of other articles made from clay dust, unless the material is so damp that no dust is given off.	Hand finishing.
(vi) The process of loading and unloading of saggers where handling and manipulation of ground and powdered flint, quartz, alumina, or other materials are involved.	Loading of saggers, doubling unloading of saggers.
(vii)The brushing of earthenware biscuits, unless the process is carried on in a room provided with efficient general mechanical ventilation or other ventilation which is certified by the Inspector cum facilitator as adequate having regard to all the circumstances of the case.	Hand Finishing of Biscuits.
(viii)Felling of Biscuits were, which hasbeen fired in powdered flint or quartz except where this is done in machines so enclosed as to effectually prevent the escape of dust.	Finishing Biscuits.
(ix)Ware cleaning after the application of glaze by dipping or other process.	Glazing & Dusting
(x) Crushing and dry grinding of materials for potter bodies, and saggers, unless carried on in machines, so enclosedas to effectually prevent the escape of dust or is so damp that no dust can be given off.	Low crushing of quartz, feldspars etc. Edge runner of pebble mill grinding. Grinding for tile body. Grog disintegrator.
(xi) Sieving or manipulation of powdered flint, quartz, clay grog or mixture of these materials unless it is so damp that no dust can be given off.	Fire clay disintegrator. Hand sieving of grog and Fire Clay. Filling bags with mix for sagger. Charging of tanks and mixing the Materials.
(xii) Grinding of tiles on power drivenwheel unless an efficient water spray is used on the wheels.	
(xiii)Lifting and conveying of materials by	Jaw crushing of quartz, feldspar etc. Edge

Operations	Locations
elevators and conveyers unless they are effectively enclosed and so arranged as to prevent escape of dust into the air in or near to any place in which persons are employed.	runner or pebble mill grinding. Grinding for tilebody. **Note.**-Elevators were close to the crushers and grinders.
(xiv)The preparation or weighing out of flow material, lawning of dry colours, colour dusting and colour blowing.	Spary glazing. Glazing and dusting.
(xv) In mould making unless the bins or similar receptacles used for holding plaster of Paris are provided with suitable covers.	Mould making.
(xvi) The manipulation of calcined material unless the materials have been made and remains so wet that no dust is given off.	Calcining gypsum.Sieving Plaster ofParis.
(xvii) Protective Equipment.	Weighing of raw materials charging the blunder charging the ball mill. Filling bags with mix forsagger. Charging ofthe tanks and mixing the materials

3. Each of the following processes shall be carried on in such manner and under suchconditions so as to secure effectual separation from one another and from otherprocesses :-

(a) Crushing and dry grinding or sieving of materials, fettling, pressing of tiles, dryingof clay and greenware, loading and unloading of saggers.

(b) All processes involving the use of a dry lead compound.

4. No glaze which is not leadless glaze or a low solubility glaze shall be used in afactory in which pottery is manufactured.

5. No woman or adolscent shall be employed or permitted to work any of the operation specified in clause 2. or at any place where such operations are carried on.

6. The potter's wheel (Jolly and Jigger) shall be provided with screens or so constructed as to prevent clay scappins being thrown off beyond the wheel.

7. (1) All practical measure shall be taken by damping or otherwise to prevent dust arising during cleaning of floors.

(2) Damp saw dust or other suitable material shall be used to render the moist method effective in preventing dust rising into the air during the cleaning process which shall be carried out after work has ceased.

8. The floors of potter shops, slip houses, dipping houses and ware cleaning rooms shall be hard, smooth and impervious and shall be thoroughly cleaned daily by amoist method by an Adult male.

9. ***Medical facilities and Examination.—***

(1) The occupier of every factory in which a manufacturing of pottery is carried on, shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

(3) Every worker employed in any process mentioned under paragraph 3, shall be examined by medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for lead in urine and blood. ALA in urine, haemoglobin content, stippling of cells and pulmonary function test and chest X-ray for workers engaged in processes mentioned in items (i) to (iv) of paragraphs 2 and pulmonary function tests and chest X-rays for the others. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

(4) All persons employed in any of the process included under item (i) to (iv) shall be examined by a medical officer once in every 3 calendar months. Such examinations in respect of all the workers shall include all the tests as specified in sub-paragraph (1) except chest X-ray which will be once in 3years.

(5) Every worker employed in pottery processes shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(6) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(7) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(8) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

10. ***Protective equipment.—***

(1) The occupier shall provide and maintain suitable overalls and head coverings for all persons employed in process included under clause 2.

(2) The occupier shall provide and maintain suitable aprons of a water proof or similar material, which can be sponged daily, for the use of the dippers, assistants, throwers, jolly workers, casters, mound makers and filter press and pug mill workers.

(3) Aprons provided in pursuance of clause 11 (2) shall be thoroughly cleaned daily by the weavers by sponging or other wet process. All overalls and head covering shall be washed, cleaned and mended at least once a week and this washing, cleaning or mending shall be provided for by the occupier.

(4) No person shall be allowed to work in emptying specks of dusty materials, weighing out and mixing of dusty materials and charging of ball mills and blungers without wearing a suitable and efficient dust respirator.

11. ***Washing Facilities.—***

(1) The occupier shall provide and maintain, in a cleanly state and in good repair for the use of all persons employed in any of the processes specified in clause 2, a wash place under cover, with either-

(i) a trough with smooth impervious surface fitted with a waste pipe, without plug, and of sufficient length to allow at least two feet for every five such persons employed at any one time, and having constant supply of clean water from taps or jets above the through at intervals of not more than two feet, or

(ii) at least one tap or stand pipe for every five such persons employed at any one time, and having a constant supply of clean water, the tap or stand pipe being spaced not less than 1.2 meters apart; and

(2) A sufficient supply of clean towels made of suitable material changed daily, with sufficient supply of nail brusher and soap.

12. ***Time allowed for washing.—***Before each meal and before the end of the days work, at least ten minutes, in addition to the regular meal times, shall be allowed for washing to each person employed in any of the processes mentioned in clause 2.

13. ***Mess-room.—***

(1) There shall be provided and maintained for use of all persons remaining within the premises during the rest intervals, a suitable mess-room, providing accommodation of 10 square feet per head and furnished with-

(i) a sufficient number of tables and chairs or benches with back rest;

(ii) arrangements for washing utensils:

(iii) adequate means for warming food;

(iv) adequate quantity of drinking water.

(2) The room shall be adequately ventilated by the circulation of fresh air and placed under the charge of responsible person and shall be kept clean.

14. ***Food, drinks, etc., prohibited in work-rooms.—***No food, drinks, pan and supari, or tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any work-room in which any of the processes mentioned in clause 2 are carried on and no person shall remain in any such room during intervals for meals or rest.

15. ***Cloak-room etc.—***There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in any of the processes mentioned in clause 2 :-

(a) a cloak-room for clothing put off during working hours and such accommodation shall be separate from any mess room;

(b) seperate and suitable arrangements for the storage of protective equipment provided under clause II.

16. These regulations shall not apply to a factory in which any of the following articles, but no other pottery, are made

(a) unglazed or salt brick and tiles, and

(b) architectural terra cotton made from plastic clay and either unglazed or glazed with a leadless glaze only.

17. ***Exemptions.*****—**If in respect of any factory the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of the persons employed in such factory, he may by a certificate in writing exempt such factory from all or any such provisions, subject to such conditions as he may specify therein, such certificate may at any time be revoked by the Chief Inspector without assigning any reasons.

Sub-Schedule-13

Compression of Oxygen and Hydrogen produced by the electrolysis water.

1. The room in which electrolyser plant is installed shall be separate from the plant for storing and compressing the oxygen and hydrogen.

2. The purity of oxygen and hydrogen shall be tested by a competent person at hourly intervals at the following points :-

(i) in the electrolyser room;

(ii) at the gas holder inlet; and

(iii) at the section end of the compressor.

The purity figure shall be entered and signed by the person carrying out such tests in the register:

Provided, however, that if the electrolyser plant is fitted with automatic recorder of purity of oxygen and hydrogen with alarm lights, it shall be sufficient if the purity of the gases is tested at hourly intervals at the suction end of the compressor only.

3. The oxygen and hydrogen gases shall not be compressed, if their purity as determined under clause 2 above falls below 98 per cent at any time.

4. There shall be at least two gas holders for each kind of gas and the gas holders for same gas shall not be fitted with inter-locked valves or levers and three way cocks at the junction of their outlets in such a way that no gas holder is connected to the compressor and to the electrolyser at the same time, and only one gas holder is connected to the compressor, line at any one time.

5. The bell of any gas holder shall not be permitted to go within 30 cm. of its lowest position when empty, a visual and an audible warning signal shall be fitted to the gas holder to indicate that this limit is reached.

6. The water and caustic soda used for making shall be chemically pure within pharmaceutical limits.

7. Electrical connections at the electrolyser cells and at the generator terminals shall be constructed as to preclude the possibility of wrong connections leading to the reversal of polarity.

8. Oxygen and hydrogen gas pipes shall be painted with distinguishing colours and in the event of leakage at the joints of the hydrogen gas pipe, the pipe after reconnection shall be purged of all air before drawing in hydrogen gas.

9. All electrical wiring and apparatus in the electrolyser room shall be of flame-proof construction or enclosed in flame-proof fitting and no naked light or flame shall be taken either in the electrolyser room or where compression and filling of the gases is carried on and such warning notices shall be exhibited in prominent places.

10. No part of the electrolyser plant and the gas holders and compressor shall be subjected to welding, brazing, soldering or cutting until steps have been taken to remove any explosive substance from that part and render the part safe for such operations and after the completion of such operations no explosive substance shall be allowed to enter that part until the metal has cooled sufficient to prevent risk of explosion.

11. No work of operation, repair or maintenance shall be undertaken except under the direct supervision of a person who, by his training, experience and knowledge of the necessary precautions against risk of explosion is competent to supervise such work.

12. ***Medical Examination.—***

(1) Every worker employed in the process of compression of Oxygen and Hydrogen produced by the electrolysis water shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person in unfit for work in the said process.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-14

Cleaning or smoothening, roughening, etc., of articles by a jet of sand, metal short, orgrit, or other abrasive propelled by a blast of compressed air or steam.

Blasting Regulations

1. ***Definitions.*** *- For the purposes of this Schedule :-*

"Blasting" means cleaning, smoothening, roughening, or removing of any part of the surface of any article by the use as an abrasive of a jet of sand, metal shot or grit or other material, propelled by a blast of compressed air or steam.

"Blasting enclosure" means a chamber, barrel, cabinet or any other enclosure designed for the performance of blasting therein.

"Blasting chamber" means a blasting enclosure in which any person may enter at anytime in connection with any work or otherwise.

"Cleaning of castings" where done as an incidental or supplemental process in connection with the making of metal castings means the freeing of the casting from adherent sand or other substance and includes the removal of cores and the general smoothing of a casting, but does not include the free treatment.

2. ***Prohibition of Sand Blasting.—***Sand or any other substance containing free silica shall not be introduced as an abrasive into any business apparatus and shall not be used for blasting :

Provided that this clause shall come into force two years after the coming into operation of the Schedule :

Provided further that no woman or adolscent shall be employed or permitted to work at any operation of sand blasting.

3. Precautions in connection with Blasting Operations.—

(1) *Blasting to be done in blasting enclosure.* - Blasting shall not be done except in a blasting enclosure and no work other than blasting any work immediately incidental thereto and clearing and repairing of the enclosure including the plants and appliances situated therein, shall be performed in a blasting enclosure. Every door, aperture and joint of blasting enclosure, shall be kept closed and air tight while blasting is being done therein.

(2) *Maintenance of blasting enclosure.* - Blasting enclosure shall always be maintained in good condition and effective measures shall be taken to prevent dust escaping from such enclosure, and from apparatus connected therewith, into air of any room.

(3) *Provision of separating apparatus.* - There shall be provided and maintained for and in connection with every blasting enclosure, efficient apparatus for separating, so far as practicable abrasive which has been used for blasting and which is to be used again as an abrasive from dust or particles of other materials arising from blasting; and no such abrasive shall be introduced into any blasting apparatus and used for blasting until it has been so separated :

Provided that this clause shall not apply, except in the case of blasting chambers, to blasting enclosures constructed or installed before the coming into force of this Schedule, if the Chief Inspectorcum facilitator is of opinion that it is not reasonable practicable to provided such separating apparatus.

(4) *Provision of ventilating plant.* - There shall be provided and maintained in connection with every blasting enclosure efficient ventilating plant to extract by exhaust drought effected by mechanical means, dust produced in the enclosure. The dust extracted and removed shall be disposed of by such method and in such manner that it shall not escape into the air of any room; and every other filtering or settling device situated in a room in which persons are employed, other than persons attending to such bag or other filtering or settling device, shall be completely separated from the general air of that room in an enclosure ventilated to the open air.

(5) *Operation of ventilating plant.* - The ventilating plant provided for the purpose of sub-paragraph (4) shall be kept in continuous operation whenever the blasting enclosure is in use whether nor not blasting is actually taking place therein, and in the case of blasting chamber, it shall be in operation even when any person is inside the chamber for the purpose of cleaning.

4. Inspection and Examination.—

(1) Every blasting enclosure shall be specially inspected by a competent person at least once in every week in which it is used for blasting. Every blasting enclosure, the apparatus connected therewith and the ventilating plant, shall be thoroughly examined and in the case of ventilating plant, tested by a competent person at least once in every month.

(2) Particulars of the result of every such inspection, examination and test shall forthwith be entered in a register, which shall be kept in a form approved by the Chief Inspector and shall be available for inspection by any workman employed in or in connection with blasting in the factory.

Any defect found on any such inspection, examination or test shall be immediately reported by the person carrying out the inspection, examination or test to the Occupier, Manager or other appropriate person and without prejudice to the foregoing requirements of this Schedule, shall be removed without avoidable delay.

5. Provision of protective helmets, gauntlets and overalls. -

(1) There shall be provided and maintained for the use of all persons who are employed in a blasting chamber, whether in blasting or in any work connected therewith or in cleaning such a chamber, protective helmets of a type approved by a certificate of the Chief Inspector cum Facilitator and every such person shall wear the helmet provided for this use whilst he is in the chamber and shall not remove it until he is outside the chamber.

(2) Each protective helmet shall carry a distinguishing mark indicating the person by whom it is intended to be used and no person shall be allowed or required to wear a helmet not carrying his mark or a helmet which has been worn by another person and has not since been thoroughly disinfected.

(3) Each protective helmet when in use shall be supplied with clean and not unreasonably cold air at a rate of not less than six cubic feet per minute.

(4) Suitable gauntlets and overalls shall be provided for the use of all persons while performing blasting or assisting at blasting, and every such person shall while so engaged wear the gauntlet and overall provided.

6. Precautions in connection with cleaning and other work. -

(1) Where any person is engaged upon cleaning of any blasting apparatus or blasting enclosure or of any apparatus or ventilating plant connected therewith or the surroundings thereof or upon any other work in connection with any blasting apparatus or blasting enclosure or with any apparatus or ventilating plant connected therewith so that he is exposed to the risk of inhaling dust which has arisen from blasting. All practicable measures shall be taken to prevent such inhalation.

(2) In connection with any cleaning operation referred to in clause 5, and with the removal of dust from filtering or settling devices all practicable measures shall be taken to dispose of the dust in such a manner that it does not enter the air of any room. Vacuum cleaners shall be provided and used where practicable for such cleaning operations.

7. ***Storage accommodation for protective wear.***—Adequate and suitable storage accommodation for the helmets, gauntlets and overalls required to be provided by clause 5 shall be provided outside and conveniently near to every blasting enclosure and such accommodation shall be kept clean. Helmets, gauntlets and overalls when not in a actual use shall be kept in this accommodation.

8. ***Maintenance and cleaning of protective wear.***—All helmets, gauntlets, overalls and other protective devices or clothings provided and worn for the purposes of this Schedule, shall be kept in good condition and so far as is reasonably practicable shall be cleaned on every week day in which they are used, Where dust arising from the cleaning of such protective clothing or devices is likely to be inhaled; all practicable measures shall be taken to prevent such inhalation. Vacuum cleaners shall wherever practicable, be used for removing dust from such clothing and compressed air shall not be used for removing dust from any clothing.

9. ***Maintenance of vacuum cleaning plant.—*** Vacuum cleaning plant used for the purpose of this Schedule shall be properly maintained.

10. ***Restrictions in employment of adolscents.—***

(1) No person under 18 years of age shall be employed in blasting or assisting at blasting or in any blasting chamber or in the cleaning of any blasting apparatus or any blasting enclosure or any apparatus or ventilating plant connected therewith or be employed on maintenance or repair work at such apparatus, enclosure or plant.

(2) No person under 18 years of age shall be employed to work regularly within 8 meters of any blasting enclosure unless the enclosure is in a room and he is outside that room where he is effectively separated from any dust coming from the enclosure.

11. ***Power to exempt or relax.—***

(1) If the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that in any factory or any class of factory, the use of sand or other substance containing free silica as an abrasive in blasting in necessary for a particular manufacture or process(other than the process incidental or supplemental to making of metal castings) and that the manufacture or process cannot be carried on without the use of such abrasive or, that owing to the special conditions, or special method of work or otherwise any requirement of this schedule can be suspended either temporarily or permanently or can be related without endangering the health of the persons employed or that application of any of such requirements is for any reason impracticable or inappropriate, he may, with the previous sanction of the State Government, by an order in writing exempt the said factory or class of factory from such provisions of this Schedule, to such an extent and subject to such conditions and for such period as may be specified in the said order.

(2) Where an exemption has been granted under sub-clause (1), a copy of the order shall be displayed at a notice board at a prominent place at the main entrance or entrances to the factory and also at the place where the blasting is carried on.

12. ***Medical facilities and Examination.—***

(1) The occupier of every factory to which schedule applies, shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained which shall be kept readily available for inspection by the Inspector.

(3) Every worker employed in the process of cleaning or smoothening, roughening, etc., of articles by a jet of sand, metal short, or grit, or other abrasive propelled by a blast of compressed air or steam shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(4) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in these processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health

register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(5) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(6) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-15

Handling and Processing of Asbestos, Manufacture of any Article of Asbestosand any other Process of Manufacture or otherwise in which Asbestos is used in any Form

1. ***Application.—*** This schedule shall apply to all factories or parts of factories in which any of the following processes in carried on :-

(a) breaking, crushing, disintegrating, opening, grinding, mixing or seiving of asbestos and any other processes involving handling and manipulation of asbestos incidental thereto;

(b) all processes in the manufacture of asbestos textiles including preparatory and finishing processes;

(c) making of insulation slabs or sections, composed wholly or partly of asbestos, and processes incidental thereto;

(d) making or repairing of insulating mattresses composed wholly or partly of asbestos, and processes incidental thereto;

(e) manufacture of asbestos cardboard and paper;

(f) manufacture of asbestos cement goods;

(g) application of asbestos by sprays methods;

(h) sawing, grinding, turning, abrading and polishing in dry state of articles composed wholly or partly of asbestos;

(i) cleaning of any room vessel, chamber, fixture of appliance for the collection of asbestos dust; and

(j) any other processes in which asbestos dust is given off into the work environment.

2. ***Definitions.*** *- For the purpose of this schedule-*

(a) ***"asbestos"*** means any fibrous silicate mineral and any admixture containing actionlite, amosite anthophylite, chrysolite crocidolite, tremolite or any mixture thereof, whether crude, crushed or opened;

(b) ***"asbestos textiles"*** means yarn or cloth composed of asbestos or asbestos mixed with any other material;

(c) ***"approved"*** means approved for the time being in writing by the Chief Inspector;

(d) ***"breathing apparatus"*** means a helmet or face piece with necessary connection by means of which a person using it breathes air free from dust or any other approved apparatus;

(e) ***"efficient exhaust draught"*** means localised ventilation by mechanical means for the removal of dust so as to prevent dust from escaping into air of any place in which work is carried on, draught shall be deemed to be efficient which fails to control dust produced at the point where such dust originates.

(f) ***"preparing"*** means crushing, disintegrating, and any other processes in orincidental to the opening of asbestos;

(g) ***"protective clothing"*** means overalls and head covering, which (in either case) will when exclude asbestos dust.

3. ***Tools and Equipment.—*** Any tools or equipment used in processes to which this schedule applied shall be such that they do not create asbestos dust above the permissible limit or are equipped with efficient exhaust draught.

4. ***Exhaust draught.—***

(1) An efficient exhaust draught shall be provided and maintained to control dust from the following processes and machines :-

(a) manufacture and conveying machinery namely :-

(i) preparing grinding or dry mixing machines;

(ii) carding, card waste and ring spinning machines, and looms;

(iii) machines or other plant fed with asbestos; and

(iv) machines used for the sawing, grinding, turning, drilling, abrading or polishing; inthe dry state of articles composed wholly or partly of asbestos;

(b) cleaning, and grinding of the cylinders or other parts of a carding machines;

(c) chambers, hoppers or other structures into which loose asbestos is delivered orpasses;

(d) work-benches for asbestos waste sorting or for other manipulation of asbestos by hand;

(e) workplaces at which filling or emptying of sacks, skips or other portable containers,weighing or other process incidental thereto which is effected by hand, is carried on;

(f) sack cleaning machines;

(g) mixing and blending of asbestos by hand; and

(h) any other process in which dust is given off into the work environment.

(2) Exhaust ventilation equipment provided in accordance with sub-paragraph (1) shall, while any work of maintenance or repair to the machinery, apparatus or other plant or equipment in connection with which it is provided is being carried on, be kept in use so as to produce an exhaust draught which prevents the entry of asbestos dust into the air of any work place.

(3) Arrangements shall be made to prevent asbestos dust discharged from exhaust apparatus being drawn into the air of any workroom.

(4) The asbestos bearing dust removed from any workroom by the exhaust system shall be collected in suitable receptacles or filter bag as which shall be isolated from all work areas.

5. ***Testing and examination of ventilating systems.—***

(1) All ventilating systems used for the purpose of extracting or suppressing dust as required by this schedule shall be examined and inspected once in every week by a responsible person. It shall be thoroughly examined and tested by a competent person once in every period of 12 months. Any defects found by such examinations or test shall be rectified forthwith.

(2) A register containing particulars of such examination and tests and the state of the plant and the repairs or alternations (if any) found to be necessary shall be kept and shall be available for inspection by an Inspector cum facilitator.

6. ***Segregation in case of certain process.—*** Mixing of blending by the hand of asbestos, or making or repairing of insulating mattresses composed wholly or partly of asbestos shall not be carried on in any room in which any other work is done.

7. ***Storage and distribution of loose asbestos.—*** (1) All loose asbestos shall while not in use, be kept in suitable closed receptacles which prevent the escape of asbestos dust there from such asbestos shall not be distributed within a factory except in such receptacles or in a totally enclosed system of conveyance.

8. ***Asbestos sacks.—***

(1) All sack used as receptacle for the purpose of transport of asbestos within the factory shall be constructed of impermeable materials and shall be kept in good repair.

(2) A sack which has contained asbestos shall not be cleaned by hand beating but bya machine, complying with paragraph 3.

9. ***Maintenance of floors and workplaces.—***

(1) In every room in which any of the requirements of this schedule apply-

(a) the floors, work-benches, machinery and plant shall be kept in a clean state and free from asbestos debris and suitable arrangements shall be made for the storage of asbestos not immediately required for use; and

(b) the floors shall be kept free from any materials, plant or other articles not immediately required for the work carried on in the room, which would obstruct the proper cleaning of the floor.

(2) The cleaning as mentioned in sub-rule (1) shall so far as is practicable, as carried out by means of vacuum cleaning equipment so designed and constructed and soused that asbestos dust neither escape nor is discharged into the air of any workplace.

(3) When the clearing is done by any method other than that mentioned in sub-paragraph (2), the persons doing cleaning work and any other person employed in that room shall be provided with respiratory protective equipment and protective clothing.

(4) The vacuum cleaning equipment used in accordance with provisions of sub-paragraph (2) shall be properly maintained and after each cleaning operation, its surfaces kept in a clean state and free from asbestos waste and dust.

(5) Asbestos waste shall not be permitted to remain on the floors or other surfaces at the work place at the end of the working shift and shall be transferred without delay to suitable receptacles. Any spillage of asbestos waste occurring during the course of the work at any time shall be

removed and transferred to the receptacles maintained for the purpose without delay.

10. ***Breathing apparatus and protective Clothing.—***

(1) An approved breathing apparatus and protective clothing shall be provided and maintained in good conditions for use for every person employed-

(a) in chambers containing loose, asbestos;

(b) in cleaning, dust settling or filtering chambers or apparatus;

(c) in cleaning the cylinders, including the doffer cylinders, or other parts of a carding machine by means of hand-strickers; and

(d) in filling, beating or leveling in the manufacture or repair of insulating mattresses; and

(e) in any other operation of circumstances in which it is impracticable to adopt technical means to control asbestos dust in the work environment within the permissible limit.

(2) Suitable accommodation in conveniently accessible position shall be provided for the use of persons when putting on or taking off breathing apparatus and protective clothing provided in accordance with this rule and for the storage of such apparatus and clothing when not in use.

(3) All breathing apparatus and protective clothing when not in use shall be stored in the accommodation provided in accordance with sub-rule (2) above.

(4) All protective clothing in use shall be deducted under an efficient exhaust draught or by vacuum cleaning and shall be washed at suitable intervals. The cleaning schedule and procedure should be such as to ensure the efficiency in protecting the weaver.

(5) All breathing apparatus shall be cleaned and disinfected at suitable intervals and thoroughly inspected once every month by a responsible person.

(6) A record of the cleaning and maintenance and of the condition of the breathing apparatus shall be maintained in a register provided for that purpose which shall be readily available for inspection by an Inspector.

(7) No person shall be employed to perform any work specified in sub-paragraph (1)for which breathing apparatus is necessary to be provided under that sub-paragraph unless he has been fully instructed in the proper use of that equipment.

(8) So breathing apparatus provided in persuance of sub- paragraph (1) which has been worn by a person shall be worn by another person unless it has been thoroughly cleaned and disinfected since last being worn and the person has been fully instructed in the proper use of that equipment.

11. ***Separate accommodation for personal clothing.—*** A separate accommodation shall be provided in a conveniently accessible position for all persons employed in operations to which this schedule applied for storing of personal clothing. This should be separated from the accommodation provided under sub-paragraph (2) to prevent contamination of personal clothing.

12. ***Washing and bathing facilities.—***

(1) There shall be provided and maintained in a clean stage and in good repair for the use of all workers employed in the processes covered by the schedule, adequate washing and bathing places having a constant supply of water under cover at the rate of one such place for every 15 personsemployed.

(2) The washing places shall have standpipes placed at intervals of not less than one meter.

(3) Not less than one half of the total number of washing places shall be provided with bathroom.

(4) Sufficient supply of clean towels made of suitable material shall be provided:

Provided that such towels shall be supplied individually for each worker if so order by the Inspector cum facilitator.

(5) Sufficient supply of soap and nail brushes shall be provided.

13. ***Mess-room.—***

(1) There shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the factory covered by this schedule, remaining on the premises during the rest intervals, a suitable mess-room which shall be furnished with

(a) sufficient tables and benches with back rest; and

(b) adequate means for warming food.

(2) The mess-room shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

14. ***Prohibition of employment of adolscents.—*** No adolscent shall be employed in any of the process covered by this schedule.

15. ***Prohibition relating to smoking.—*** No person shall smoke in any area where processes covered by this schedule are carried on. A notice in the language understood by majority of the workers shall be posted in the plant prohibiting smoking at such areas.

16. ***Cautionary Notices.—***

(1) Cautionary notices shall be displayed at the approaches and along the perimeter of every asbestos processing area to warn all persons regarding-

(a) hazards to health from asbestos dust;

(b) need to use appropriate protective equipment;

(c) prohibition of entry to unauthorised person, or authorised persons but without protective equipment.

(2) Such notices shall be in the language understood by the majority of the workers.

17. ***Air Monitoring.—***To ensure the effectiveness of the control measures, monitoring of asbestos fibre in air shall be carried out once at least in every shift and the record of the results so obtained shall be entered in a register specially maintained for the purpose.

18. ***Medical facilities and examination.—***

(1) The occupier of every factory or part of the factory to which the schedule applies shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitate to.

(3) Every worker employed in the processes specified in paragraph 1 shall be examined by a Certifying Surgeon within 15 days of his first employment. Such examination shall include pulmonary function tests, tests for detecting asbestos fibres in sputum and chest X-ray. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Certifying Surgeon.

(4) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in these processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

20. ***Exemptions.—*** If in respect of any factory the Chief Inspector is satisfied that owing to the exceptional circumstances or infrequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector may by a certificate in writing, which he may at his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any as he may specify therein.

Sub-Schedule-16
Handing and manipulation of Corrosive substances

1. ***Definitions.*** *- For the purpose of this Schedule-*

(a) ***"Corrosive operation"*** means an operation of manufacturing, storing handing,processing, packing, or using any corrosive substance in a factory

(b) ***"Corrosive substance"*** includes sulphuric acid, nitric acid hydrochloric acid, hydrofluoric acid, carbolic acid, phosphoric acid, liquid chlorine, liquid bromine, ammonia, sodium hydroxide and potassium hydroxide and a mixture thereof and anyother substance which the State Government by notification in the *Official Gazette*specify to be a corrosive substance.

2. ***Flooring.—*** The floor of every work-room of a factory in which corrosive operation iscarried on shall be made of impervious, corrosion and fire resistant material and shall be so constructed as to prevent collection of any corrosive substance. The surface ofsuch flooring shall be smooth and cleaned as to often as necessary and maintained in sound condition.

3. ***Protective equipment.—***

(a) The Occupier shall provide for the use of all persons employed in any corrosive operation suitable protective wear for hands and feet, suitable aprons, face shields, chemical safety goggles, and respirators. The equipments shall be maintained in good order and shall be kept in clean and hygienic condition by suitable treating to get rid of the ill effects of any absorbed chemicals and by disinfecting. The Occupier shall also provide suitable protective creams and other preparations wherever necessary.

(b) The protective equipment and preparations provided shall be used by the person employed in any corrosive operation.

4. ***Water facilities.—*** Where any corrosive operation is carried on, there shall be provided as the close to the place of such operation as possible, a source of cleanwater at a height of 2.1 meters. from a pipe of 1.25 cm. diameter and fitted with a quick acting valve so that in case of injury to the worker by any corrosive substance, the injured part can be thoroughly flooded with water, Wherever necessary, in order to ensure continuous water supply, a storage tank having a minimum length, breadth and height of 210 cm., 120 cm. and 60 cm. respectively or such dimensions as are approved by the Chief Inspector of Factories, shall be provided as the source of clean water.

5. ***Cautionary Notice.—*** A cautionary notice in the following form and printed in the language which majority of the workers employed understand, shall be displayed prominently close to the place where any of the operations mentioned in paragraph 2 above is carried out and where it can be easily and conveniently read by the workers. If any worker is illiterate effective steps shall be taken to explain carefully to him the contents of the notice so displayed.

Cautionary Notice

Danger

Corrosive substances cause severe burns and vapors thereof may be extremely, hazardous. In case of contact, immediately flood the part effected with plenty of water for at least 15 minutes.Get medical attention quickly.

6. ***Transport.—***

(a) Corrosive substances shall not be filled moved, or carried except in containers and when they are to be transported, they shall be included in crates of sound construction and sufficient strength.

(b) A container with a capacity of (11.5 litres) (2½ gallons) or more of a corrosive substances shall be placed in a receptacles or crate and then carried by more than one person, at a height below the waist line unless a suitable rubber wheeled truck is used for the purpose.

(c) Containers for corrosive substances shall be plainly labeled.

7. ***Devices for handling Corrosives.—***

(a) Suitable tiling or lifting device shall be used for emptying jars, carboys and other containers of corrosives.

(b) Corrosive substance shall not be handled by hands but by means of a suitable scoop or other devices.

8. ***Opening valves.—*** Valves fitted to containers holding a corrosive substance shall be opened with great care. If they do not work freely, they shall not be forced open.They shall be opened by a worker suitably trained for the purpose.

9. ***Cleaning tanks, stills, etc.—***

(a) In cleaning out or removing residues from stills or other large chamber used for holding any corrosive substance, suitable implements, made of wood or other material shall be used to prevent production of arseniuretted hydrogen (Arsine).

(b) Whenever it is necessary for the purpose of cleaning or other maintenance work for any worker to enter chamber tank, vat, pit or other confined space where a corrosive substance had been stored, all possible precautions shall be taken to ensure the workers' safety.

(c) Wherever possible, before repairs are undertaken to any part of equipment in which a corrosive substance was handled, such equipment or part thereof shall befreed of any adhering corrosive substance by adopting suitable methods.

10. ***Storage.—***

(a) Corrosive substances shall not be stored in the same room with other chemicals, such as turpentine, carbides, metallic powders and combustible materials the accidental mixing with which may cause a reaction which is either violent or gives rise to toxic fumes and gases.

(b) Pumping or filling overhead tanks, receptacles, vats or other containers storing corrosive substances shall be so arranged that there is no possibility of any corrosive substance over flowing and causing injury to any person.

(c) Every container having capacity of twenty liters or more and every pipe line, valves and fitting used for storing or carrying corrosive substances shall be thoroughly examined every year for finding out any defects, and defects shall be removed forthwith. A register shall be maintained of every such examination made and shall be produced before the Inspector whenever required.

11. ***Fire extinguishers and fire fighting equipment.—*** An adequate number of suitable type of fire extinguishers or other fire fighting equipment, depending on the nature of chemicals stored, shall be provided. Such extinguishers or other equipment shall be regularly tested and refilled. Clear instructions as to how the extinguishers or other equipment should be used printed in the language which majority of the workers employed understand, shall be affixed near each extinguisher or other equipment.

12. ***Medical Examination.—***

(1) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground,that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he

shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person inunfit for work in the said process.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated inthe opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

13. ***Exemption.—***If in respect of any factory on an application made by the manager, the Chief Inspector cum facilitator, is satisfied that owing to the exceptional circumstances, or thein frequency of the process or for any other reason to be recorded by him in writing, all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of the persons employed therein, he may by a certificate in writing, which he may at any time revoke, exempt the factory from such of the provisions and subject to such conditions as he may specify therein.

Sub-Schedule-17

Manipulation of Stone or Any Other Material Containing Free Silica causing notified disease such as Silicosis

1. ***Application.—*** This schedule shall apply to all factories or parts of Factories in which manipulation of stone or any other material containing free silica is carried on.

2. ***Definitions.—*** *For the purpose of this Schedule-*

(a) ***"manipulation"*** means crushing breaking, chip-ping, dressing, grinding, sieving, mixing, grinding or handling of stone or any other material containing free silica or any other operation involving such stone or material;

(b) ***"stone or any other material containing free silica"*** means a stone or any othersolid material containing not less than 5% by weight of free silica.

3. ***Precautions in manipulation.—*** No manipulation shall be carried out in a factory or part of a factory unless one or more of the following measures, namely :-

(a) dampening the stone or other material being processed,

(b) providing water spray,

(c) enclosing the process,

(d) isolating the process, and

(e) providing localised exhaust ventilation :

Provided that such measures as above said are not necessary if the process operation itself is such that the level of dust created and prevailing does not exceed the permissible level referred to.

4. ***Maintenance of floors.—***

(1) All floors or places fine dust is likely to settle on and whereon any person has to work or pass shall be of impervious material and maintained in such condition that they can be thoroughly cleaned by a moist method or any other method which would prevent dust being airborne in the process of cleaning.

(2) The surface of every floor of every workroom or place where any work is carried on or where any person has to pass during the course of his work, shall be deemed of dust once at least during each shift after being sprayed with water or by any other suitable method so as to prevent dust being airborne on the process of cleaning.

5. ***Prohibition relating adolscents.—*** No adolescent shall be employed or permitted to work in any of the operations involving manipulation or at any place where such operations are carried out.

6. ***Medical facilities and Examination.—***

(1) The occupier of every factory to which the schedule applies, shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examination and appropriate tests carried out by the said medical officer shall be maintained which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

(3) Every worker employed in the processes specified in paragraph 1 shall be examined by medical officer within 15 days of his first employment. Such medical examination shall include pulmonary function tests and chestX-ray.No worker shall be allowed to work after 15days of his first employment unless he is certified fit for such employment by the medical officer.

Provided that test of spirometry shall be carried out after every twelve months and chest X-ray shall be done after every twenty four months till worker attains age of thirty years thereafter chest X-ray shall be done after every twelve months. Provided further that if it appears to the medical inspector cum facilitator or medical officer that spirometry and chest x-ray is to be repeated and additional test and examination is required to be done; he may recommend accordingly and the occupies shall ensure arrangement for such tests. Radiological examinations shall be evaluated as per the prevailing guideline of International Labour Organisation.

(4) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process.The person declared unfit in such

circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer,after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

8. ***Exemption.—*** If in respect of any factory the Chief Inspector is satisfied that owing to the except exceptional circumstances or in frequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector may by a certificate in writing, which he may in his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any he may specify therein.

Sub-Schedule-18
Solvent extraction Plants
Process of Extracting Oils and Fats from vegetable and animal sources in Solvent Extraction Plants

1. ***Definitions.—*** *In this schedule unless the context otherwise requires :-*

(a) ***"Solvent Extraction Plant"*** means a plant in which the process of extracting oils and fats from vegetable and animal sources by use of solvents is carried on.

(b) ***"Solvent"*** means an inflammable liquid such as pentane hexane and heptane used for the extraction of vegetable oils.

(c) ***"Flame roof"*** enclosure as applied to electrical machinery or apparatus means an enclosure that will withstand, when covers or other access doors are properly secured, an internal explosion of the flammable gas or vapour which may enter, or which maybe originally inside the enclosure without suffering damage and without communicating internal inflammation for explosion to the external flammable gas or vapour.

(d) ***"Competent Person"*** for the purpose of this schedule shall be at least Member of the Institution of Engineers (India) or an Associate Member of the said instruction with10 years experience in a responsible position as may be approved; by the Chief Inspector cum Facilitator:

Provided that a graduate in Mechanical Engineering or Chemical Technology with specialised knowledge of oils and fats and with a minimum experience of 5 years in a solvent extraction plant shall also be considered to be competent person :

Provided further that the Chief Inspector may accept any other person having suitable qualification and experience as a competent person for purposes of this Schedule.

2. ***Location and Lay-out.—***

(a) No solvent extraction plant shall be constructed or extended to within a distance of 30 meters from the nearest residential locality.

(b) A 1.5 metre high continuing fencing shall be provided around the solvent extraction plant up to minimum distance of 15 meters from the plant.

(c) No person shall be allowed to carry any matches or an open flame or fire inside the area bound by the fencing.

(d) Boiler house and other building where open flame process are carried on shall be located at least 30 meters away from the solvent extraction plant.

(e) If godowns and preparatory processes are at less than 30 metres distance from the solvent extraction plant, there shall be atleast 15 metres distance from the plant, and a continuous barrier wall of non-combustible material 1.5 metres high from the solvent extraction plant so that it extends to at least 30 meters of vapour travel around its ends from the Plant to the possible sources of ignition.

3. ***Electrical Installation.—***

(a) All electrical motors and wiring and other electrical equipment installed or housed in Solvent Extraction Plant shall be of flame proof construction.

(b) All metal parts of the plant and building including various tanks and containers where solvents are stored or are present and all parts of electrical equipment not required to be energised shall be properly bounded together and connected to the earth so as to avoid accidental rise on the electrical potential of such part above the earth potential.

4. ***Restriction on Smoking.—*** Smoking shall be strictly prohibited within 15 metres distance from Solvent Extraction Plant. For this purpose 'No Smoking' signs shall be permanently displayed in the areas.

5. ***Precaution against friction.—***

(a) All tolls and equipments including ladders, chains, and other lifting tackle required to be used in Solvent Extraction Plant shall be of non sparking type.

(b) No machinery or equipment in Solvent Extraction Plant shall be belt driven unless the belt is made of conductive material.

(c) No person shall be allowed to enter in the Solvent Extraction Plant if wearing clothes made of Nylon or such other Fibre that can generate static electrical charge,or wearing foot wear which is likely to cause sparks by friction.

6. ***Fire-fighting apparatus.—***

(a) Adequate number of portable fire extinguisher suitable for use against flammable liquid fire shall be provided in the Solvent Extraction Plant.

(b) An automatic water sprinker system overhead deluge system with sufficient supply of storage water shall be provided over Solvent Extraction Plant and throughout the building housing such plant.

7. Precaution against power failure.—

(a) Provision shall be made for the automatic cutting off of steam in the event of power failure and also.

(b) For emergency over head water supply for feeding water by gravity to condensers which shall come into play automatically with the power failure.

8. ***Magnetic Separators.***—The material under extraction shall be fed to the extractor by a conveyer through a hopper and a magnetic separator shall be provided to remove any piece of iron during its transfer.

9. ***Venting.***—

(a) Tanks containing solvents shall be protected with emergency venting to relieve excessive internal pressure in the event of fire.

(b) All emergency relief vents shall be terminated at least 6 metres above the ground and be so located that vapours will not re-enter the building in which solvent extraction plant is located.

10. ***Waste water.***— Process waste water shall be passed through a flash evaporator to remove any solvent before it is discharged into a sump which should be located within the fenced area, but not closer than 8 m. to the fence.

11. ***Ventilation.***— The Solvent Extraction Plant shall be well ventilated and if the Plant is housed in a building the building shall be provided with mechanical ventilation with provision for at least six air changes per hour.

12. ***House keeping.***—

(a) Solvent shall be stored in an area covered by Solvent Extraction Plant except in small quantity which shall be stored in approved safety cans.

(b) Waste materials such as oily-rage, other waste and absorbents used to wipe off solvent and paints and oils shall be deposited in approved containers and removed from the premises at least once a day.

(c) Space within the Solvent Extraction Plant and within 15 metres from the Plant shall be kept free from any combustible materials and any spills of oil or solvent, shall be cleared up immediately.

13. ***Examination and Repairs.***—

(a) The Solvent Extraction Plant shall be examined by the competent person to determine any weakness or corrosion and wear, once in every 12 months. Report of such examinations shall be supplied to the Inspector with his observations as to whether or not the Plant is in safe condition to work.

(b) No repairs shall be carried out to the Machinery or Plant except under the direct supervision of the competent person.

(c) Facility shall be provided for purging the plant with inert gas or steam before opening for cleaning or repairs and before introducing solvent after repairs.

14. ***Operating personnel.***—The operation of the plant and machinery in the Solvent Extraction Plant shall be in the charge of such duty qualified and trained persons as are certified by the competent persons to be fit for the purpose and no other person shall be allowed to operate the plant Machinery.

15. ***Employment of woman and adolscents.***—No woman or adolscentsshall be employed in the solvent extraction plant.

16. ***Vapour Detection.***—A suitable type of the flame proof and portable combustible gas indicator shall be provided and maintained in good working order and a schedule of routine sampling of atmosphere at various locations as approved by the Chief Inspector cum Facilitator shall be drawn out and entered in a register maintained for the purpose.

17. ***Log Book.—*** A log book of plant operation shall be maintained in a proforma approved by the Inspector cum facilitator,

18. ***Medical Examination.—***

(1) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-19
Carbon Disulphide Plants

1. ***Application.—*** This Schedule shall apply to all electric furnaces in which carbon-disulphide is generated and all other Plants where carbon disulphide after generation is condensed, refined and stored. These Rules are in addition to and not in derogation of any of the provisions of the Act and Rules made thereunder.

2. ***Construction, Installation and Operations.—***

(a) The buildings in which electric furnaces are installed and carbon disulphide after generation is condensed and refined shall be segregated from other parts of the factory and shall be open type to ensure optimum ventilation and the plant layout shall be such that only a minimum number of workers are exposed to the risk of any fire or explosion at any one time:

(b) Every electric furnace and every Plant in which carbon disulphide is condensed, refined and stored with all their fittings and attachments shall be of good construction ,sound material and of adequate strength maintained in good order to sustain theinternal pressure to which the furnace or the plant may be subjected and shall be so designed that carbon disulphide liquid and gas are in closed system during their normal working.

(c) The Electric furnace supports shall be firmly grounded about 60 centemeter in concrete orby other effective means.

(d) Every electric furnace shall be installed and operated according to manufacturer's instructions and these instructions shall be clearly imparted to the personnel incharge of construction and operation.

(e) The instructions regarding observations of correct furnace temperature sulphur doze, admissible current/power consumption and periodical checking of charcoal level shall be strictly complied with. These instructions shall be exhibited at conspicuous place near the furnace.

3. ***Electrodes.—***

(a) Where upper ring electrode(s) or straight electrodes made of steel are used in the electric furnace, they shall be of steamless tube constructed and shall have arrangement for being connected to cooling water system through a siphon-built in the electrodes or through positive pressure water pump.

(b) The arrangement for cooling water referred to in clause (a) shall be connected with automatic alarm system which will actuated in the event of interruption of cooling water in the electrodes and given visible and audible alarm signals in the control room and simultaneously stop power supply for the furnace operation and to stop the further supply of water. The alarm system and the actuating device shall be checked every day.

4. ***Rapture Discs and Safety Seal.—***

(a) At least two rapture discs of adequate size which shall blow off at a pressure twice the maximum operating pressure shall be provided on each furnace and shall either be mounted directly on the top of the furnace or each through an independent pipe as close as possible to the furnace.

(b) A safety water shall be provided and tapped from a point between the charcoal separator and the sulphur separator.

5. ***Pyrometer and Manometers.—***

(a) Each electric furnace shall be fitted with adequate number of pyrometers to give an indication of the temperature as correctly as reasonably practicable at various points in the furnace. The dials for reading the temperature shall be located in this control room.

(b) Manometers or any other suitable devices shall be provided for indicating pressure :-

(i) In the off take pipe before and after the sulphur separator; and

(ii) In primary and secondary condensers.

6. ***Check Valves.—*** All piping carrying carbon disulphide shall be fitted with check valves at suitable position so as to prevent gas from flowing back into any electric furnace in the event it is shut down.

Inspection and Maintenance of Electric Furnace

7. (a) Every electric furnace shall be inspected internally by a competent person:-

(i) Before being placed in service after installation:

(ii) Before being placed in service after reconstruction or repairs; and

(iii) Periodically every time the furnace is opened for cleaning and de-ashing or for replacing electrodes.

(b) When an electric furnace shut down for cleaning and deashing :-

(i) The brick lining shall be checked for continuity and any part found defective be removed.

(ii) After removal of any part of the lining referred to in (a) the condition of the shell be closely inspected; and

(iii) Any plates forming shell found corroded to the extent that safety of the furnace is endangered shall be replaced.

8. ***Maintenance of Records.—*** The following hourly records shall be maintained in a log book :

(i) Manometer reading at the points specified in (5) (b) (i) and (ii).

(ii) Gas temperature indicated by pyrometers and all other vital points near the sulphur separator and primary and second condensers.

(iii) Water temperature and flow of water through the siphon in the electrodes.

(iv) Primary and secondary voltages and energy consumed.

9. ***Electrical Apparatus-Wiring and Fittings.—***All buildings in which carbon disulphide is refined or stored shall be provided with electrical apparatus, wiring and fittings which shall afford adequate protection from fire and explosion.

10. ***Prohibition relating to Smoking.—***No person shall smoke or carry matches fire or naked light of other means of producing a naked light or spark in buildings in which carbon disulphide is refined or stored and a notice in the language understood by a majority of the workers shall be pasted in the Plant prohibiting smoking and carrying of matches, fire or naked light or spark into such rooms.

11. ***Means of Escape.—***Adequate means of escape shall be provided and maintained to enable persons to move to a safe place as quickly as possible in case of an emergency. At least two independent staircases of not less than 110 cm. in width and making an angle of not more than 45 from the horizontal shall be provided in every building housing the furnaces at reasonable intervals at opposite ends. These shall always be kept clear of all obstructions and so designed as to afford easy passage.

12. ***Warning in case of fire.—***There shall be adequate arrangements for giving warnings in case of fire or explosion which shall operate on electricity and in case of failure of electricity by some mechanical means.

13. ***Fire fighting equipments.—***

(a) Adequate number of suitable fire extinguishers or other fire fighting equipment shall be kept in constant readiness for dealing with risks involved and depending on the amount and nature of material stored.

(b) Clear instructions as to how the extinguishers or other equipment should be used printed in the language which the majority of the workers employed understand shall be affixed to each extinguisher or other equipments.

(c) Adequate number of persons shall be trained in the use of fire fighting equipments.

14. ***Bulk Sulphur.—***

(a) Open or semi-enclosed spaces for storage of bulk sulphur shall be sited with due regard to the dangers which may arise from sparks given by locomotives etc. and precautions shall be taken to see that flames, smoking and matches, and other sources of ignition do not come in contact with the clouds of dust arising during handing of bulk sulphur.

(b) All enclosures for bulk sulphur shall be of non-combustible construction, adequately ventilated and so designed as to provide a minimum of ledges on which dust may lodge.

(c) The bulk sulphur in the enclosure shall be handled in such manner as to minimize the formation of dust clouds and no flame, smoking and

matches or other sources of ignition shall be allowed and non-sparking tools shall be used whenever sulphur is shoveled.

(d) No repairs involving flames, heat or use of hand or power tools shall be made in the enclosure were bulk sulphur is stored.

15. ***Liquid Sulphur.—*** Open flames, electric sparks and other sources of ignition including smoking and matches, shall be excluded from the vicinity of molten sulphur.

16. ***Training and Supervision.—***

(1) All electric furnaces and all Plants in which carbon disulphide is condensed, refined or stored shall be under adequate supervision at all times while the furnaces and plants are in operation.

(b) Workers incharge of operation and maintenance of electric furnaces and the plants shall be properly qualified and adequately trained.

17. ***Washing facilities.—*** The occupier shall provide and maintain in a clean state and in good repair for the use of all persons employed wash place under cover with atleast one tap or standpipe having a constant supply of clean water for every five such person, the taps or stand-pipes being space not less 120 cm. apart with sufficient supply of soap and clean towels. All the workers employed in the sulphur storage, handling and melting operations shall be provided with nail brush.

18. ***Personal Protective Equipment.—***

(a) Suitable goggled and protective clothing consisting of overalls without pockets, gloves and foot wear shall be provided for the use of operators :-

(i) When operating valves or cooks controlling fluids etc.

(ii) Drawing off of melten sulphur from pots; and

(iii) Handling charcoal or sulphur.

(b) Suitable respiratory protective equipment shall be provided and stored in the appropriate place for use during abnormal conditions or in an emergency.

(c) Arrangements shall be made for the proper and efficient cleaning of all such protective equipment.

19. ***Cloak-Rooms.—*** There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in the process a suitable cloak-room for clothing put off during work hours and a suitable place separate from the cloak-room of that storage of overalls or working clothes. The accommodation so provided shall be placed in the charge of responsible person and shall be kept clean.

20. ***Unauthorised Persons.—***(a) Only maintenance and repair personnel, person directly connected with plant operating and those accompanied by authorised person shall be admitted into the plant.

21. ***Medical Examination.—***

(1) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless

he is fully incapacitated inthe opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer,after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-20

Manufacture manipulation of "Manganese" and its compound

1. ***Definitions.—*** For the purpose of this schedule-

(a) *"Manganese Process"* means processing manufacture of manipulation of manganese or any compound of manganese or any area of any mixture containing manganese.

(b) *"First employment"* means first employment in any manganese process and includes also re-employment in any manganese process following any cessation of employment for a continuous period exceeding 3 calendar months.

(c) *"Manipulation"* means mixing, blending, filling, emptying, grinding, sewing, drying, packing, sweeping or otherwise handling of manganese of a compound ofmanganese, or an ore of mixture containing manganese.

(d) *"Efficient Exhaust Ventilation"* means localized ventilation effected by mechanical means for the removal of dust or fume or mist at its source of origin so as to prevent it from escaping into the atmosphere of any place where any work is carried on. No draught shall be deemed to be efficient which fails to remove the dust or mist at the point where it is generated and fails to prevent it from escaping into and spreading into the atmosphere of a work place.

2. ***Application.—*** This Schedule shall apply to every factory in which or in any part of which any manganese process is carried on.

3. ***Exemption.—*** If in respect of any factory, the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that owing to any exceptional circumstances, or infrequency of the process or for any other reason application of all or any of the provisions of this schedule is not necessary for the protection of the persons employed in such factory he may, by an order in writing which he may at his discretion revoke, exempt such factory from all or any of the provisions of such conductions and for such period as he may specify in the said order.

4. ***Isolation of process.—*** Every manganese process which may give rise to dust, vapour or mist containing manganese, shall be carried on in a totally enclosed system or otherwise effectively isolated from other processes so that other plants and process and other parts of the factory and persons employed on other work of process may not be affected by the same.

5. ***Ventilation of process.—*** No process in which any dust, vapour or mist containing manganese is generated, shall be carried but except under an efficient exhaust ventilation which shall be applied as near to the point of generation as practicable.

6. ***Medical Examination.—***

(1) The occupier of every factory to which this Schedule applies,shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examination and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained in a separate register which shall be kept readily available for inspection by the Inspector.

(3) Every worker employed in any manganese processes shall be medically examined by a medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for detection of a serum calcium, serum phosphate and manganese in blood and urine and also include steadiness tests other neuromuscular coordination tests. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified for such employment by the medical officer

(4) Every worker employed in the processes of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator

7. ***Personal Protective Equipment.—***

(1) The Occupier and Manager of the Factory shall provide and maintain in good and clean condition suitable overalls and head coverings for all persons employed in any manganese process and such overalls and head coverings shall be worn by the persons while working on a manganese process.

(2) The occupier and Manager of the factory shall provide suitable respiratory protective equipment for use by workers in emergency to prevent inhalation of dust fumes. Sufficient number of complete sets of such equipment shall always be kept near the work place and the same shall be properly maintained and kept always in a condition to be used readily.

(3) The Occupier and Manager shall provide and maintain for the use of all persons employed suitable accommodation for the storage and make adequate arrangements for cleaning and maintenance of personal protective equipment.

8. ***Prohibition relating to women and adolscents.—*** No women or adolscent shall be employed or permitted to work in any manganese process.

9. ***Food, drinks prohibited in the work-rooms.—*** No food, drink, pan and supari or tobacco shall be allowed to be brought into or consumed by any worker in anywork-room in which any manganese process carried on.

10. ***Mess Room.—*** There shall be provided and maintained for the use of the persons employed in a manganese process a suitable mess room which shall be furnished with sufficient tables and benches and adequate means for warming of food. The mess room shall be placed under the charge of a responsible person and shall bekept clean.

11. ***Washing Facilities.—*** There shall be provided and maintained in a clean state and in good condition, for the use of persons employed in manganese process a wash place under cover, with either :-

(1) A trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug.The trough shall be of sufficient length to allow at least to 60 centimeters for every ten such persons employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 60 centemetres; or atleast one wash basin for every five such persons at any one time, fitted with a wasted pipe and plug and having a constant supply of water; and

(2) Sufficient supply of soap or other suitable cleaning material and nail brushes and clean towels.

12. ***Cloak Room.—*** If the Chief Inspector so requires there shall be provided and maintained for the use of persons employed in manganese process a cloak-room for clothing put off during working hours with adequate arrangement for drying the clothing.

13. ***Cautionary Playcard and instructions.—*** Cautionary notice in the following form and printed in the language of the majority of the workers employed shall be affixed in prominent places in the factory where they can be easily and conveniently read by the workers and arrangement shall be made by the manager or occupier to instruct periodically all workers employed in a manganese process regarding the health hazards connected with their duties and the best preventive measure and methods and to protect themselves. The notice shall always be maintained in a legible conditions.

Cautionary Notice

Managanese and Manganese compound

1. Dust fumes and mists of Manganese and compounds are toxic when inhaled or when injected.
2. Do not consume food or drink near the work place.
3. Take a good wash before taking meals.
4. Keep the working area clean.
5. Use the protective clothing and equipments provided.
6. When required to work in situations where dust, fumes or mists are likely to be inhaled, use respiratory protective equipment provided for the purpose.
7. If you get severe headaches, prolonged sleeplessness or abnormal sensations on the body, report to the Manager who would make arrangements for your examination and treatment.

Sub-Schedule-21

This Schedule shall apply to factories in which benzene or substances containing benzene are manufactured, handled or used.

2. ***Definitions.***— For the purposes of this Schedule-

(a) ***"Substance containing benzene"*** means substance wherein benzene content exceeds one percent by volume;

(b) ***"Substitute"*** means a Chemical which is harmless or less harmful than benzeneand can be used in place of benzene;

(c) ***"enclosed system"*** means a system which will not allow escape of benzene vapours to the working atmosphere;

(d) ***"efficient exhaust draught"*** means localised ventilation effected by mechanical means for the removal of gases, vapours and dusts or fumes so as to prevent them from escaping into the air of any work-room and no draught shall be deemed to be efficient if it fails to remove smoke/generated at the point where such gases, vapours, fumes or dust originates.

3. ***Prohibition and substitution.***—

(a) use of Benzene and substances containing Benzene is prohibited in the following processes :-

(i) Manufacture of Varnishes, paints and thinners; and

(ii) Cleaning and degreasing operations.

(b) Benzene or substances containing benzene shall not be used as a solvent or diluent unless the process in which it is used is carried on in an enclosed system or unless the process is carried on in a manner which is considered equally safe as if it were carried out in an enclosed system.

(c) Where suitable substitutes are available, they shall be used instead of benzene or substances containing benzene. This provision, however, shall not apply to the processes specified in Appendix A.

(d) The Chief Inspector cum facilitator may, subject to confirmation by the State Government, permit, exemptions from the percentage laid down in clause 2(a) and also from the provisions of sub-clause (b) temporarily under conditions and within limits of time to be determined after consultation with the employers and workers concerned.

4. ***Protection against inhalation.***—

(a) The process involving the use of benzene or substances containing benzene shall, as far as practicable be carried out in an enclosed system.

(b) Where, it is not practicable to carry out the process in an enclosed system, the workroom in which benzene or substances containing the benzene are used shall be equipped with an efficient exhaust draught or other means for the removal of benzene vapours to prevent their escape into the air of the workroom so that the concentrationof benzene in the air does not exceed 25 parts per million by volume or 80 mg/m.

(c) Air analysis of or the measurement of concentration of benzene vapours in air shallbe carried out every 8 hours or at such intervals as may be directed by the Chief Inspector cum Facilitator at places where process involving use of benzene is carried on and the result of such analysis shall be recorded in a register specially maintained for this purpose. If the concentration of benzene vapours in air and measured by air analysis,

exceeds 25 parts per million by volume or 80 mg./m. the Manager shall forthwith report the concentration to the Chief Inspector stating the reasons for such increase.

(d) Workers who for special reasons are likely to be exposed to concentration of benzene in the air of the work-room exceeding the maximum referred to in clause (b)shall be provided with suitable respirators of face mask. The duration of such exposure shall be limited as far as possible.

5. ***Measures against skin contact.***—

(a) Workers who are likely to come in contact with liquid benzene or liquid substances containing benzene shall be provided with suitable gloves, aprons, boots where necessary vapour tight chemical goggles, made of material not affected by benzene or its vapours.

(b) The protective were referred to in sub-clause (a) shall be maintained in good conditions and inspected regularly.

6. ***Prohibition relating to employment of women and adolescent.***— No women or adolescent shall be employed or permitted to work in any work-room involving exposure to benzene or substances containing benzene.

7. ***Labelling.***— Every container holding benzene or substances containing benzene shall have the word "Benzene" and approved danger symbols clearly visible on it and shall also display information on benzene content, warning about toxicity and warning about inflamability of the chemical.

8. ***Improper use of benzene.***—

(a) The use of benzene or substance containing benzene by workers for cleaning their hands or their work clothing shall be prohibited.

(b) Workers shall be instructed on the possible dangers arising from such misuse, and written acknowledgment from every workers who having regard to nature of his work likely to come in contact with liquid benzene or liquid substances containing benzene, shall be obtained that he has fully understood the import of the instructions.

9. Prohibition of consuming food, etc., in workrooms.— No workers shall be allowed to store or consume food or drink in the workroom in which benzene or substance containing benzene are manufactured, handled or used. Smoking and chewing tobacco or pan betel nut shall be prohibited in such workrooms.

10. Instructions as regards risks.— Every worker on his first employment shall be fully instructed on the properties of benzene or substances containing benzene which he has to handle and of the dangers involved. Workers shall also be instructed on the measures to be taken to deal with in an emergency.

11. Cautionary notices.— Cautionary notices in the form specified in Appendix B and presented in the language easily read and understood by the majority of the workers shall be displayed in prominent places in the work-rooms where banzene or substance containing benzene are manufactured, handled or used.

12. Washing facilities, cloak room and mess room.— In factories in which benzene or substances containing benzene are manufactured, handled or used, the occupier shall provide and maintain in clean state and in good repair-

(a) Washing facilities under cover of the standard of at least one tap for every 10 persons having supply of water with soap and a clean towel provided individually to each worker.

(b) A cloak room with lockers for each worker, having two compartments one for street clothing and one for work clothing.

(c) A mess room furnished with tables and benches with arrangement for warming food provided that where a canteen or other proper arrangements exist for the workers to take their meals, the requirements of mess room shall be dispensed with.

13. ***Medical facilities and Examination.—***

(1) The occupier of every factory to which the Schedule applies, shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein;and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector.

(3) Every worker employed in processes mentioned in paragraph 1, shall be examined by a medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for detection of phenol in urine and determination of urinary sulphideration and CNS and hamotological tests. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by themedical officer.

(4) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance thereinwould involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

Appendix A

[Clause 3 (b)]

(1) Production benzene.

(2) Process where ben/ene is used for chemical synthesis.

(3) Motor spirits (used as fuel).

Appendix B
(Clause 11)

(a) The hazards-
  (i) Benzene and substances containing benzene are harmful.
  (ii) Prolonged of repeated breathing of benzene vapours may result in acute orchronic poisoning.
  (iii) Benzene can also be absorbed through skin which may cause skin and otherdiseases.

(b) The preventive measures to be taken-
  (i) Avoid breathing of benzene vapours.
  (ii) Avoid prolonged or repeated contact of benzene with skin.
  (iii) Remove benzene soaked or wet clothing promptly.
  (iv) If any time you are exposed to high concentration of benzene vapours and exhibit the sign and symptoms such as dizziness, difficulty in breathing over excitement of consciousness, immediately inform your Factory Manager.
  (v) Keep all the containers of benzene closed.
  (vi) Handle, use and process benzene and substances containing benzene carefully in order to prevent their spillage on floor.
  (vii) Maintain good housekeeping.

(c) The protective equipment to be used-
  (i) Use respiratory protective equipment in a place where benzene vapours are present in high concentration.
  (ii) In emergency, use self generating oxygen mask or oxygen or air cylinder masks.
  (iii) Wear hand gloves, aprons, goggles and gum boots to avoid contact of benzenewith your skin and body parts.

(d) The first-aid measures to be taken in case of acute benzene poisoning-
  (i) Remove the clothing immediately if it is wet with benzene.
  (ii) If liquid benzene enters eyes, flush roughly for at least 15 minutes with clean running water and immediately secure medical attention.
  (iii) In case of unusual exposure to benzene vapour call a physician immediately. Until he arrives do the following :-

If the exposed person is conscious

(A) Move him to fresh air in open.
(B) Lie him down without a pillow and keep him quiet and warm.

If the exposed person is unconscious

(A) Lie him down preferably on the left side with the head low.
(B) Remove any false teeth, chewing gum, tobacco or other foreign objects which may be in his mouth.
(C) Provide him artificial respiration in case difficulty is being experienced in breathing.
(D) In case of hollow breathing or cyanosis (blueness of skin, lips, ears, finger nail-beds), he should be provided with medical oxygen or oxygen carbon di oxide mixture. If needed he should be given artificial respiration. Oxygen should be administered by a trained person only.

Sub-Schedule-22
Manufacture of Slate Pencil

1. ***Definitions.***— *For the purposes of this Schedule-*

(a) Manufacture of slate pencils means cutting of stone with the aid of circular saw or any other means for the manufacture of slate pencils and includes incidental processes, such as, handling and slicing of stone separating the pencils at the grooves cut by saws and incidental processes, such as, counting, packing, pointing and sorting of pencils.

(b) *"Efficient exhaust draught"* means localised ventilations by mechanical means for the removal of dust so as to prevent the dust from escaping into the air of any place in which work in carried on and no draught shall be deemed to be efficient which fails to remove . the dust produced at the point where such dust originates.

2. (a) No process of cutting the stones or making a groove in the stone with the help of saw shall be carried out unless the cutting or grooving equipment is fitted with such an efficient exhaust draught, which exhausts the dust from the place where the dust or ignites and carries it away from the place of work.

(b) Where the exhaust fan and the cutting or grooving equipment are driven by separate motors, these motors shall be electrically so interlocked that unless the motor of the exhaust fan is working, it shall not be possible to start the motor used for driving the cutting or grooving equipment.

3. (a) No women or adolescents shall be required or allowed to work in the machines used for cutting the stones or making grooves on the stones.

(b) The work such as packing, repacking, pointing or sorting of pencil, breaking open the grooves or similar other operations, shall not be carried out in the same shed in which the operations or cutting of stone or making grooves on them are carried out.

4. (a) No worker shall be employed on the manufacture of slate pencils, unless he has been medically and radiologically examined by a medical officer, and declared fit for such employment by grant of certificate of fitness in Form No. 43.

(b) Every workers employed on the manufacture of slate pencil on the date on which this Schedule comes in force shall be medically and radiologically examined by a medical officer within 3 months of the said date.

(c) Every worker employed on the manufacture of slate pencil manufacturing shall be medically examined by a medical officer at a interval of not more than six months after the first examination conducted under the said sub-clauses (a) and (b) and shallbe radiologically examined at an interval as may be directed by the medical officer.

(d) Worker already in employment and declared unfit by a medical officer shall not be allowed to work on the manufacture of slate pencils, unless he is examined again and granted a certificate of fitness.

(e) The medical officer may direct that a worker may be got radiologically examined or the may be subjected to further examination, clinical, pathological orotherwise, or that he may undergo specified treatment,

and it shall be the responsibility of the occupier and the manager to arrange for the specified examination and treatment, and to bear all expenses thereof and in connection therewith.

(f) The medical officer shall, after each examination grant a certificate in Form No 43.

(g) The manager shall maintain all certificates on Form 28 in a proper file and shall produce all the certificates before the Inspector cum facilitator whenever demanded.

5. No worker shall be required or allowed to work on cutting, groove making machine or any other equipment generating dust from the stone used for manufacturing slate pencils, unless he is wearing dust mask.

Sub-Schedule-23
Manufacture of manipulation of dangerous pesticides

1. ***Application.***— This schedule shall apply in respect of all factories or any part thereof in which the process of manufacture or manipulation of dangerous pesticide hereinafter referred to as the said manufacturing process is carried on.

2. ***Definitions.***— *For the purpose of this Schedule-*

(a) ***"dangerous pesticides"*** means any product proposed or used for controlling, destroying or repelling any pest or for preventing growth or mitigating effects of such growth including any of its formulations which is considered toxic under and is covered by the Insecticides Act, 1968 and the rules made thereunder and otherproduct, as may be notified from time to time by the State Government;

(b) ***"manipulation"*** includes mixing, blending, formulation, filling, emptying, packing or otherwise handling;

(c) ***"efficient exhaust draught"*** means localised mechanical ventilation for removal ofsmoke, gas, vapour, dust, fume or mist so as to prevent them from escaping into the air of any work room in which work is carried on. No exhaust draught shall be considered efficient if it fails to remove smoke generated at the point where such gas,fume, dust, vapour, or mist originates from the process;

(d) ***"first employment"*** shall mean first employment in any manufacturing process to which this schedule applies and shall also include re-employment in the said manufacturing process following any ceasation of employment for a continuous period exceeding three calendar months; and

(e) ***"suspension"*** means suspension from employment in any process wherein a dangerous pesticide is manipulated, by written certificate the health register signed by the Medical officer who shall be competent to suspend all persons employed in such process.

3. ***Instruction to workers.***— Every worker on his first employment shall be fully instructed on the properties including dangerous properties of the chemicals handled in the said manufacturing process and the hazards involved. The employees shall also be instructed in the measures to be taken to deal with any emergency. Such instructions shall be repeated periodically.

4. ***Cautionary notice and placards.***— Cautionary notices and placards in the form specified in appendix to this schedule and printed in the language of the majority of the workers shall be displayed in all work places in which said manufacturing process is carried on so that they can be easily and conveniently read by the workers. Arrangements shall be made by the occupier and the manager of the factory to periodically instruct the workers regarding the health hazards arising in the said manufacturing process and method of protection. Such notices shall include brief instructions regarding the periodical clinical tests required to be undertaken for protecting health of the workers.

5. ***Prohibition relating to employment of women or adolscents.***— No womanor adolescent shall be employed or permitted to work in any room in which the said manufacturing process is carried on or in any room in which dangerous pesticide isstored.

6. ***Food, drinks and smoking prohibited.***—

(1) No food, drink, tobacco, pan or supari shall be brought into or consumed by any worker in any workroom in which the said manufacturing process is carried out.

(2) Smoking shall be prohibited in any workroom in which the said manufacturing process is carried out.

7. ***Protective clothing and protective equipment.***—

(1) Protective clothing consisting of long pants and shirt or over all with long sleeves and head covering shall be provided for all workers employed in the said manufacturing process.

(2) (a) Protective equipment consisting of rubber gloves, gum boots, rubber aprons, chemical safety goggles and respirators shall be provided for all workers employed in the said manufacturing process.

(b) Gloves, boots, aprons shall be made from synthetic rubber where a pesticide contains oil.

(3) Protective clothing and equipment shall be worn by the workers supplied with such clothing and equipment.

(4) Protective clothing and equipment shall be washed daily from inside and outside if the workers handle pesticides containing nicotine or phosphorus and shall be washed frequency to handling other pesticides.

(5) Protective clothing and equipment shall be maintained in good repair.

8. ***Floors and work-benches.***—

(1) Floors in every workroom where dangerous pesticides are manipulated shall be of cement or other impervious material giving a smooth surface.

(2) Floors shall be maintained in good repair, provides with adequate slope leading to a drain and thoroughly washed once a day with hose pipe.

(3) Work-benches where dangerous pesticides are manipulated shall be made of smooth, non-absorbing material preferably stainless steel and shall be cleaned atleast once daily.

9. ***Spillage and waste.***—

(1) If a dangerous pesticide during its manipulation splashes or spills on the work-bench, floor or on the protective clothing worn by a worker, immediate action shall be taken for thorough decontamination of such areas or articles.

(2) Cloth, rags, paper or other material soaked or soiled with a dangerous pesticide shall be deposited in a suitable receptacle with tight fitting cover. Contaminated waste shall be destroyed by burning at least once a week.

(3) Suitable deactivating, where available, shall be kept in a readily accessible place for use while attending to a spillage.

(4) Easy means for access shall be provided to all parts of the plant for cleaning, maintenance and repairs.

10. ***Empty containers used for dangerous pesticides.***— Containers used for dangerous pesticides shall be thoroughly cleaned of their contents and treated with an inactivating agent before being discarded or destroyed.

11. ***Manual handling.***—

(1) A dangerous pesticide shall not be required or allowed to be manipulated by hand except by means of a long handled scoop.

(2) Direct contact of any part of the body with a dangerous pesticide during its manipulation shall be avoided.

12. ***Ventilation.***—

(1) In every workroom or area where a dangerous pesticide is manipulated, adequate ventilation shall be provided at all times by the circulation of fresh air.

(2) Unless process is completely enclosed, the following operations during manipulation of a dangerous pesticide shall not be undertaken without an efficient exhaust draught :-

(a) emptying container holding a dangerous pesticide;

(b) blending a dangerous pesticide;

(c) preparing a liquid or powder formulation containing a dangerous pesticide; and

(d) changing or filling a dangerous pesticide into a container, tank hopper or machine or small sized containers.

(3) In the event of a failure of the exhaust draught provided on the above operation, the said operations shall be stopped forthwith.

13. ***Time allowed for washing.***—

(1) Before each meal and before the end of the day's work atleast ten minutes in addition to the regular rest interval shall be allowed for washing to each worker engaged in the manipulation of dangerous pesticide.

(2) Every worker engaged in the manipulation of dangerous pesticide shall have a through wash before consuming any food and also at the end of the day's work.

14. ***Washing and bathing facilities.***—

(1) There shall be provided and maintained in a dean state and in good repair for the use of all workers employed in the factory where the said manufacturing process is carried on, adequate washing and bathing places having a constant supply of water under cover at the rate of one such place for every 5 persons employed.

(2) The washing place shall have stand pipes placed at intervals of not less than one metre.

(3) Not less than one half of the total number of washing places shall be provided with bathrooms.

(4) Sufficient supply of clean towels made of suitable material shall be provided:

Provided that such towels shall be supplied individually for each worker if so ordered by the Inspector cum facilitator.

(5) Sufficient supply of soap and nail brushes shall be provided.

15. ***Cloak-room.***— There shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the factory where the said manufacturing process is carried on-

(a) a cloak-room for clothing put off during working hours with adequate arrangements for drying clothing, if wet; and

(b) separate and suitable arrangements for the storage of protective clothing providedunder paragraph 7.

16. ***Messroom.***—

(1) There shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the factory in which the said manufacturing process is carried on and remaining on the premises, during the rest intervals, a suitable messroom which shall be furnished with-

(a) sufficient tables and benches with back-rest; and

(b) adequate means for warming food.

(2) The mess room shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

17. ***Manipulation not to be undertaken.***— Manufacture or manipulation of a pesticides shall not be undertaken in any factory unless a certificate regarding its dangerous nature or otherwise is obtained from the Chief Inspector cum Facilitator.

18. ***Medical facilities and Examination.***—

(1) Every worker employed in the said manufacturing process shall be examined by the medical officer within seven days of the first employment and no worker shall be allowed to work unless certified fit by a certificate of fitness in Form 28 for such employment by the medical officer.

(2) Every worker employed in the said manufacturing process shall be re-examined by a medical officer at least once in 6 calendar months.

(3) Due notice shall be given to the medical officer and the concerned workers regarding the arrangements for examination of workers employed in the said manufacturing process after obtaining the consent regarding the arrangement from the medical officer.

(4) Health register in Form 29 shall be maintained.

(5) No worker after suspension shall be employed without written sanction from the medical officer entered in or attached to the health register. The person so suspended from the process being unfit for work in that process shall be provided with alternate placement facilities by factory management unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitates.

(6) The occupier shall engage a qualified medical practitioner approved by the Chief Inspector who shall examine and when necessary treat on the premises of the factory, all workers who are employed in the said manufacturing process, for effect of excessive absorption of the dangerous pesticide atleast once a week.

(7) The occupier shall make necessary arrangements to ensure quick

availability of qualified medical practitioner in emergency.

(8) The occupier shall provide medicines and antidotes and other equipment required for treatment of excessive absorption of dangerous pesticides.

(9) Records of such examinations and treatments and tests shall be maintained and shall be made available to Inspector cum facilitator.

(10) The Chief Inspector may order suitable clinical test or tests to be carried out at specified intervals in respect of workers in any factory where such manufacturing process is carried on. Charges for such test or tests shall be borne by the occupier.

(11) Every worker in any factory where the said manufacturing process is carried on, shall undergo the prescribed examinations, tests and treatments.

(12) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(13) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(14) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(15) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

19. ***Exemption.***— If in respect of any factory the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or the infrequency of the said manufacturing process or for any other reason which he shall record in writing all or any of the provision of this schedule are not necessary for the protection of the workers employed in the factory, he may by a certificate in writing exempt such factory, from all or any of the provisions on such condition as he may specify therein. Such certificate may, at any time, be revoked by the Chief Inspector cum facilitator after recording his reasons therefore.

Appendix

Cautionary Notice

1. Chemicals handled in this plant are poisonous substances.
2. Smoking, eating food or drinking, chewing tobacco in this area is prohibited. No food stuff or drink shall be brought in this area.
3. Some of these chemicals may be absorbed through skin and may cause poisoning.
4. A good wash shall be taken before meals.
5. A good bath shall be taken at the end of the shift.

6. Protective clothing and equipment supplied shall be used while, working in this area.
7. Containers of pesticides shall not be used for keeping food stuffs.
8. Spillage of the chemicals on any part of the body or on the floor or work-bench shall be immediately washed away with water.
9. Clothing contaminated due to splashing shall be removed immediately.
10. Scrupulous cleanliness shall be maintained in this area.
11. Do not handle pesticides with bare hands, use scoops provided with handle.
12. In case of sickness like nausea, vomitting, giddingness, the manager should be informed who will make necessary arrangements for
13. All workers shall report for the prescribed medical tests regularly to protect their own health.

Sub-Schedule-24

Manufacture or manipulation of Carcinogenic dye intermediates

1. ***Application.***— This schedule shall apply in respect of all factories or any part thereof where processes in which the substances mentioned in paragraphs 3 and 4formed, manufactured, handled, or used and the processes incidental thereto in the course of which these substances are formed, are carried on. The processes indicated in this paragraph shall be referred to hereinafter as "the said processes",and such a reference shall mean any or all the processes described in this paragraph.

2. ***Definitions.***— *For the purpose of this schedule-*

(a) ***"controlled substances"*** means chemical substances mentioned in paragraph 4 of this schedule;

(b) ***"first employment"*** means first employment in the said processes and also oremployment in such processes following any cessation of employment for acontinuous period exceeding three calendar months;

(c) ***"efficient exhaust draught"*** means localised ventilation effected by mechanical means for the removal of gas, vapour, dust or fume so as to prevent them from escaping into the air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed to be efficient which fails to remove smoke generated at the point where such gas, vapour, fume or dust originates; and

(d) ***"prohibited substances"*** means chemical substances mentioned in paragraph 3 of this schedule.

3. ***Prohibited substances.***— For the purpose of this schedule, the following chemical substances shall be classified as "prohibited substances" except when these substances are present or are formed as a by-product of a chemical reaction in total concentration and exceeding one per cent :

(a) beta-naphthylamine and its salts;
(b) benzidine and its salts;
(c) 4-amino diphenyl and its salts;
(d) 4-nitro diphenyl and its salts; and
(e) any substances containing any of these compounds.

4. ***Controlled substances.***— For the purpose of this schedule, the following chemical substances shall be classified as "controlled substances.

(a) Alpha-naphthylamine oralpha-naphthylamine containing not more than one percent of betanaphthylamine either as a by-product if chemical reaction or otherwise and its salts;
(b) ortha-tolidine and its salts;
(c) dianisidine and its salts;
(d) dichlorobenzidine and its salts;
(e) auramine; and
(f) magnets.

5. ***Prohibition of employment.***— No person shall be employed in the said processes in any factory in which any prohibited substance is formed, manufactured, processed, handled, or used except as exempted by the Chief Inspector cum facilitator as stipulated in paragraph 23.

6. ***Requirements for processing or handling controlled substance.***—

(1) Wherever any of the controlled substances referred to in paragraph 4 are formed, manufactured, processed, handled, or used, all practical steps shall be taken to prevent inhalation, ingestion or absorption of the said controlled substance by the workers while engaged in processing that substance, and its storage or transport within the plant, or in cleaning or maintenance of the concerned equipment, plant, machinery and storage areas.

(2) As far as possible all operations shall be carried out in a totally closed system. Wherever such enclosure is not possible, efficient, exhaust draught shall be applied at the point where the controlled substances are likely to escape into the atmosphere during the process.

(3) The controlled substances shall be received in the factory in tightly closed containers and shall be kept so except when these substances are in process or in use. The controlled substance shall leave the factory only in tightly closed containers of appropriate type. All the containers shall be plainly labeled to indicate the contents.

7. ***Personal protective equipment.***—

(1) The following item to personal protective equipment shall be provided and issued to every worker employed in the said processes :-
   (a) long trousers and shirts or overall with full sleaves and head cover in the shirt or overall shall cover the neck completely; and
   (b) rubber gum-boots.

(2) The following item of personal protective equipment shall be provided in sufficient numbers for use by workers employed in the said processes when there is danger or injury during the performance of normal duties or in the event of emergency :-

(a) rubber hand gloves;
(b) rubber aprons; and
(c) Airline respirators or other suitable respiratory protective equipment.

(3) It shall be the responsibilities of the manager to maintain all item of personal protective equipment in a clean and hygenic conditions and in good repair.

8. ***Prohibition relating to employment of women and adolscent.***— No women or adolscent shall be employed or permitted to work in any room in which the said processes are carried on.

9. ***Floors of work-room.***— The floor of every work-room in which the said processes are carried on shall be-

(a) smooth and impervious to water provided that asphalt or tar shall not be used in the composition of the floor;

(b) maintained in a state of good repair;

(c) with suitable slope for easy cleaning and provided with gutters; and

(d) thoroughly washed daily with the drain water being led into a sewer through aclosed channel.

10. ***Disposal of empty containers.***— Empty containers used for holding controlled substances shall be thoroughly cleaned of their contents and treated with an inactivating agent before being discharged.

11. ***Manual handling.***— Controlled substances shall not be allowed to be mixed, filled,emptied or handled except by means of a scoop with a handle. Such scoop shall be thoroughly cleaned daily.

12. ***Instructions regarding risk.***— Every worker on his first employment in the said processes shall be fully instructed or the properties of the toxic chemicals to which he is likely to be exposed to of the dangers involved and the precautions to be taken. Workers shall also be instructed on the measures to be taken to deal with an emergency.

13. ***Cautionary placards.***— Cautionary placards in the form specified in appendix attached to this schedule and printed in the language of the majority of the workers employed in the said processes shall be affixed in prominent places in the factory, where the placards can be easily and conveniently read. Arrangements shall be made by the manager to instruct periodically all such workers regarding the precautions contained in the cautionary placards.

14. ***Obligations of the workers.***— It shall be the duty of the persons employed in the said processes to present themselves for the medical examination including exfoliative cytology of urine by the Medical officer or the qualified medical practitioner as provided for under these rules.

15. ***Washing and bathing facilities.***—

(1) The following washing and bathing facilities shall be provided and maintained in a clean state and in good repairs for the use of all workers employed in the said processes :-

(a) a wash place under cover having constant supply of water and provided with clean towels, soap and nail brushes and with atleast one stand pipe, for every five such workers;

(b) 50 per cent of the stand pipes provided under clause (a) shall be located in bath-rooms where both hot and cool water shall be made available during the working hours of the factory and for one hour thereafter.

(c) the washing and bathing facilities shall be in closed proximity of the area housing the said processes;

(d) clean towels shall be provided individually to each worker; and

(e) in addition to the taps mentioned under clause (a), one stand pipe, in which warm water is made available, shall be provided on each floor.

(2) Arrangement shall be made to wash factory uniforms and other work clothes every day.

16. ***Food, drinks, etc. prohibited in workroom.***— No worker shall consume food,drink, pan, supari or tobacco or shall smoke in any workroom in which the said processes or carried on and no worker shall remain in any such room during intervalsfor meals or rest.

17. ***Cloak-room.***— There shall be provided and maintained in clean state and in good repair for the use of the workers employed in the said processes-(a) a cloak-room with lockers having two compartments one for street clothes and the other for work clothes, and (b) a place separate from the locker room and the mess room, for the storage of protective equipment provided shall be under the care of a responsible person and shall be kept clean.

18. ***Messroom.***— There shall be provided and maintained for the use of the workers employed in the said processes who remain on the premises during the meal intervals, a messroom which shall be furnished with tables and benches and provided with suitable means for warming food.

19. ***Time allowed for washing.***— Before the end of each shift 30 minutes shall be allowed for bathing for each worker who is employed in the said processes. Further, atleast 10 minutes shall be allowed for washing before each meal in addition to the regular time allowed for meals.

20. ***Restriction on age of persons employed.***— No worker under the age of 40 years shall be engaged in the factory in the said processes for the first time after the date on which the schedule comes into force.

21. ***Medical Examination.***—

(1) Every worker employed in the said processes shall be examined by a medical officer within 14 days of his first employment. Such examination shall include tests which the medical officer may consider appropriate and shall include ex-foliative cytology of the urine. No worker shall be allowed to work after 14 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a medical officer at least once in every six calendar months. Such examination shall include tests which the medical officer may consider appropriate but shall include ex-foliative cytology of the urine.

(3) A person medically examined under sub-paragraph (1) shall be granted by the medical officer certificate of fitness in Form 28.The record of each examination carried out as referred to in sub-paragraphs (1) and (2)including the nature and the results of the tests shall be entered by the medical officer in a health register in Form 29.

(4) The certificate of the fitness and the health register shall be kept readily available for inspection by any Inspector.

(5) The occupier of every factory in which the said processes are carried on shall engage a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed in such processes. His appointment shall be subject to approval of the Chief Inspector cum Facilitator. The occupier shall provide to him all the necessary facilities for the purposes referred to in sub-paragraph (1).

(6) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(7) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(8) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(9) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

22. ***Exemptions-Prohibited substances.—***

(1) The Chief Inspector cum facilitator may by a certificate in writing (which he may at his discretion revoke at any time), subject to such conditions, if any, as may be specified therein, exempt any process in the course of which any of the prohibited substances is formed, processed, manufactured, handled, or used, from the provisions of paragraph 5 if he is satisfied that the process is carried out in a totally enclosed and hermetically sealed system in such a manner that the prohibited substance is not removed from the system except in quantities no greater than that required for the purpose of control of the process or such purposes as is necessary to ensure that the product is free from any of the prohibited substances.

(2) The Chief Inspector cum facilitator may allow the manufacture, handling or use of benzidinehydro chlorine provided that all the processes in connection with it are carried out in a totally enclosed system in such a manner that no prohibited substance other than benzidine hydrochloride is removed there from except in quantities no greater than that required for the purpose of control of the processes or such purposes as is necessary to ensure that the product is free from prohibited substances and that adequate steps are taken to ensure that benzidine hydrochloride is except while not less than one part of water to two parts of benzidine hydrochloride at all times.

23. ***Exemptions general.—*** If in respect of any factory, the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or in frequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for the protection of the workers in the factory, the Chief Inspector may by a certificate in writing (which he may in his discretion revoke at any time), exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any as he may specify herein.

Sub-Schedule-25
Operations Involving High Noise Levels

1. ***Application.—*** This schedule shall apply to all operations in any manufacturing process having high noise level.

2. ***Definitions.—*** For the purpose of this Schedule-

(a) *"Noise"* means any unwanted sound;

(b) *"High noise level"* means any noise level measured on the A-weighted scale is 90dB above;

(c) *"Decibel"* means one-tenth of "Bel" which is the fundamental division, of a logarithmic scale used to express the ratio of two specific or implied quantities, thenumber of "Bels" denoting such a ratio being the logarithm to the base of 10 of thisratio. The noise level or the sound pressure level corresponds to a reference pressure of 20 x 10-6 newtons per square metre or 0.0002 dynes per square centimetre which is the threshold of hearing, this is, the lowest sound pressure level necessary to produce the sensation of hearing in average healthy listener. The decibel in abbreviated formin dB;

(d) *"Frequency"* means the rate of pressure variations expressed in cycles per secondor hertz;

(e) *"dBA"* refers to sound level in decibels as measured on a sound level metreoperating on the A-weighting net work with slow metre response.

(f) *"A-weighting"* means making graded adjustments in the intensities of sound of various frequencies for the purpose of noise measurements, so that the sound pressure level measured by an instrument reflects the actual response of the humanear to the sound measured.

3. Protection against noise.— (1) In every factory suitable engineering control or administrative measure shall be taken to ensure, so far as reasonably practicable that no worker is exposed to sound levels exceeding the maximum permissible noise exposure levels specified in Tables 1 and 2 below :-

Table 1

Permissible Exposure in Case of continuous Noise

Total time of exposure (continuous or number of short term exposures) per day, in hours	Sound pressure level in dBA.
(1)	(2)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
¾	107
½	110

¼ 115

Note. -

(1) No exposure in excess of 115 dBA is to be permitted.

(2) For any period of exposure falling in between any figure and the next high or lower figure as indicated in column 1 the permissible sound pressure level is to be determined by extrapolation on a proportionate basis

Table 2

Permissible Exposure levels for Impulsive or Impact Noise

Peak sound pressure level in dB	Permitted number of impulses or impact per day
(1)	(2)
140	100
135	315
130	1000
125	3160
120	10000

Note. -

(1) No exposure in excess of 140 dB peak sound pressure level is permitted.

(2) For any peak sound pressure level falling in between any figure and the next higher or lower figure as indicated in column1, the permitted number of impulses or impact per day is to be determined by extrapolation on a proportionate basis.

(2) For the purpose of this schedule, if the variations in the noise level involve maximum at intervals of one second or less, the noise is to be considered as a continuous one and the criteria; given in Table 1 would apply. In other cases, the noise is to be considered as impulsive or impact noise and the criteria given in Table 2 would apply.

(3) When the daily noise-exposure is composed of two or more periods of noise exposure at different levels their combined effect should be considered, rather than the individual effect of each. The mixed exposure should be considered to exceed the limit value if the sum of functions

C1+
T1
+
C2+
T2
+
CN
+
TN

exceeds unity,-

Where the C1, C2, etc. indicate the total time of actual exposure at a specified noise level and T1, T2, etc. denote the time of exposure permissible at that level. Noise exposure of less than 90 dBA may be ignored in the above calculation.

(4) Where it is not possible to reduce the noise exposure to the levels specified in sub-paragraph (1) by reasonably practicable engineering control or administrative measures, the noise exposure shall be reduced to the greatest extent feasible by such control measures, and each worker so exposed shall be provided with suitable ear protectors so as to reduce the exposure to noise to the levels specified insub-paragraph (1).

(5) Where the ear protectors provided in accordance with sub-paragraph (4), and worn by a worker cannot still attenuate the noise reaching near his ear, as determined by subtracting the attenuation value in dBA of the ear protectors concerned from the measured should pressure level, to a level permissible under Table 1 or Table 2 as the case.

4. ***Medical Examination***.—

(1) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the these processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-26
Manufacture of Rayon by Viscose Process

1. ***Definitions.***— For the purpose of this Schedule,-

(a) ***"approved"*** means approved for the time being in writing by the Chief Inspector;

(b) ***"breathing apparatus"*** means a helmet or face piece with necessary connections by means of which the person using it in a poisonous, as phyxisting or irritant atmosphere breathes unpolluted air, or any other approved apparatus;

(c) ***"churn"*** means the vessel in which alkali cellulose pulp is treated with carbon-di-sulphide;

(d) ***"dumping"*** means transfer of cellulose xanthate from a dry churn to a dissolver;

(e) ***"efficient exhaust draught"*** means localised ventilation by mechanical means for the removal of any gas or vapour, so as to prevent if from escaping into the air of anyplace in which work is carried on. No draught

shall be deemed to be efficient if it fails to control effectively any gas or vapour generated at the point where such gas or fume or iginates;

(f) ***"fume process"*** means any process in which carbon disulphide or hydrogen sulphide is produced, used or given off;

(g) ***"life belt"*** means belt made of leather or other suitable material which can be securely fastened round the body with a suitable length of rope attached to it, each of which is sufficiently strong to sustain the weight of man;

(h) ***"protective equipment"*** means apron, goggles, face shields, foot wear, gloves and overalls made of suitable materials.

2. ***Ventilation.—***

(1) In all workrooms where a fume process is carried on, adequate ventilation by natural or mechanical means shall be provided so as to control in association with other control measures, the concentration of Carbon-di-sulphide and hydrogen sulphide in the air of every work environment within the permissible limits.

(2) Notwithstanding the requirements in sub-paragraph (1) an efficient exhaust draught shall be provided and maintained to control the concentration of carbon-di-sulphide and hydrogen sulphide in the air at the following location:-

(a) dumping hoppers of dry churns;
(b) spinning machines;
(c) trio rollers and cutters used in staple fibre spinning;
(d) hydro-extractors for yarn cakes;
(e) after treatment processes, and
(f) spin baths.

(3) In so far as the spinning machines and trio rollers and cutters used in staple fibre spinning are concerned, they shall be, for the purpose of ensuring the effectiveness of the exhaust draft to be provided as required in sub-paragraph (I), enclosed as fully as practicable and provided with suitable shutters in sections to enable the required operations to be carried out without giving rise to undue quantities of Carbon-di-sulphide and hydrogen sulphide escaping to the work environment.

(4) No dry churn shall be opened after completion of reaction without initially exhausting the residual vapours of carbon-di-sulphide by operation of suitable and efficient arrangement for exhausting the vapours which shall be continued to be operated as long as the churn is kept opened.

(5) Whenever any ventilation apparatus normally required for the purpose of meeting the requirements in sub-paragraphs (2), (3) and (4) is ineffective, fails, or is stopped for any purpose whatsoever, all persons shall be required to leave the work areas where the equipment or processes specified in the above said sub-paragraphs are inuse, as soon as possible, and in any case not later than 15 minutes after such an occurrence.

(6) (i) All ventilating system provided for the purposes as required in sub-paragraphs(2), (3) and (4) shall be examined and inspected once every week by a responsible person. It shall be thoroughly examined and tested by a competent person once in every period of 12 months. Any

defects found by such examinations or test shall be rectified forthwith.

(ii) A register containing particulars of such examination and tests, and the state of the systems and the repairs of alterations (if any) found to be necessary shall be kept andshall be available for inspection by an Inspectorcum facilitator.

3. ***Waste from spinning machines.***— Waste yarn from the spinning machines shall be deposited in suitable containers provided with close fitting covers. Such waste shall be disposed off as quickly as possible after decontamination.

4. ***Lining of Dry Churns.***— The inside surface of all dry churns shall be coated with anon-stickly paint so that cellulose xanthate will not stick to the surface of the churn. Such coating shall be maintained in good condition.

5. ***Air monitoring.***—

(1) To ensure the effectiveness of the control measures, monitoring of carbon-di-sulphide and hydrogen sulphide in air shall be carried outonce atleast in every shift and the record of the results so obtained shall be entered ina register specially maintained for the purposes.

(2) For the purpose of the requirement in sub-paragraph (1), instantaneous gas detector tubes shall not be used. Samples shall be collected over a duration of not less than 10 minutes and analysed by an approved method. The locations where such monitoring is to be done shall be as directed by the Inspector cum facilitator.

(3) If the concentration of either carbon-di-sulphide or hydrogen sulphide exceeds the permissible limits for such vapour or gas as laid down in these rules, suitable steps shall be taken for controlling the concentrations in air of such contamination. A report of such occurrence shall be sent to the Chief Inspector cum facilitator forthwith.

6. ***Prohibition to remain in fume process room.***— No person during his intervals for meal, or rest shall remain in any room wherein fume process is carried on.

7. ***Prohibition relating to employment of adolscents.***— No adolescent shallbe employed or permitted to work in any fume process or in any room in which any such process is carried on.

8. ***Protective equipment.***—

(1) To occupier shall provide and maintained in good condition protective equipment as specified in the table for use of persons employed in the processes referred to therein.

Table

Process	Protective Equipment
(1)	(2)
1. Dumping	Overalls, face-shields, gloves and footwear all made of suitable materials.
2. Spinning	Suitable aprons, gloves and footwear.
3. Process involving or	

likely to involve contact with viscose solution. Suitable gloves and footwear.
4. Handling of sulphur Suitable chemical goggles.
5. Any other process involving contact with hazardous chemicals Protective equipment as may be directed by the inspector by an order in writing.

(2) A suitable room, rooms or lockers shall be provided exclusively for the storage of all the protective equipment supplied to workers and no such equipment shall be stored at any place other than the room, rooms or lockers so provided.

9. ***Breathing apparatus.*** -

(1) There shall be provided in every factory where fumeprocess is carried on, sufficient supply of-

(a) breathing apparatus;
(b) oxygen and a suitable appliances for it administration; and
(c) life belts.

(2) (i) The breathing apparatus and other appliances referred to in sub-paragraph (1)shall be maintained in good condition and kept in appropriate locations so as to bereadily available.

(ii) The breathing apparatus and other appliances referred to in clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1) shall be cleaned and disinfected at suitable intervals and thoroughly inspected once every month by a responsible persons.

(iii) A record of the maintenance or the condition of the breathing apparatus and other appliances referred to in sub-clause (1) shall be entered in a register provided for that purposes which shall be readily available for inspection by an Inspector.

(3) Sufficient number of workers shall be trained and periodically retrained in the useof breathing apparatus and administering artificial respiration so that atleast 2 such trained persons would be available during all the working hours in each room in which fume process is carried on.

(4) Breathing apparatus shall be kept properly labeled in clean, dry, light-proof cabinets and if liable to be affected by fumes, shall be protected by placing them insuitable containers.

(5) No person shall be employed to perform any work specified in sub-paragraph (1)for which breathing apparatus is necessary to be provided under the sub-paragraphunless he has been fully instructed in the proper use of the equipment.

(6) No breathing apparatus provided in pursuance of sub-paragraph (1) which has been worn by a person shall be worn by another person unless it has

been thoroughly cleaned and disinfected since last being worn and the person has been fully instructed in the proper use of that equipment.

10. ***Electric fitting.***— All electric fitting in any room in which carbon-di-sulphide is produced, used or given off or is likely to be given off into the work environment, other than a spinning room, shall be of flame proof construction and all electric conductors shall either be enclosed in metal conduits or be lead-sheathed.

11. ***Prohibition relating to smoking, etc.***— No person shall smoke or carry matches, fire or naked light or other means of producing a naked light or spark in a room in which fume process is carried on. A notice in the language understood by the majority of the workers shall be posted prominent locations in the plant prohibiting smoking and carrying of matches, fire or naked light or other means of producing naked light or spark into such rooms :

Provided that fire, naked light or other means of producing a naked light of spark maybe carried on in such room only when required for the purposes of the process itself under the direction of responsible person.

12. ***Washing and bathing facilities.***—

(1) There shall be provided and maintained in aclean state and in good repair for the use of all workers employed in the process covered by the schedule, adequate washing and bathing places having a constant supply of water under cover at the rate of one such place for every 25 persons employed.

(2) The washing places shall have standpipes places at intervals of not less than one meter.

(3) Not less than one half of the total number of washing places shall be provided with bathrooms.

(4) Sufficient supply of clean towels made of suitable material shall be provided:

Provided that such towels shall be supplied individually for each worker if so ordered by the Inspector.

(5) Sufficient supply of soap and nail brushes shall be provided.

13. ***Rest room.***—

(1) A rest room shall be provided for the workers engaged in doffing operations of filament yarn spinning process.

(2) Such rest room shall be provided with fresh air supply and adequate seating arrangement.

14. ***Cautionary notice and instructions.*** -

(1) The following cautionary notice shall be prominently displayed in each fume process rooms.

"Cautionary Notice :

1. Carbon-di-sulphide (CS2) and Hydrogen Sulphide (H2S) which may be present in this room are hazardous to health.
2. Follow safety instructions.
3. Use protective equipment and breathing apparatus as and when required.
4. Smoking is strictly prohibited in this area."

This notice shall be in a language understood by the majority of the workers and displayed where it can be easily and conveniently

read. If any worker is illiterate, effective steps shall be taken to explain carefully to him the contents of the notice sodisplayed.

(2) Arrangements shall be made to instruct each workers employed in any room in which a fume process is carried on regarding the health hazards, connected with their work and the preventive measures and method to protect themselves. Such instructions shall be given on his first employment and repeated periodically.

(3) Simply and special instructions shall be framed to ensure that effective measures will be carried out in case of emergency involving escape of carbon-di-sulphide and hydrogen sulphide. Those instructions shall be displayed in the concerned areas and workers shall be instructed and trained in the actions to be taken in such emergencies.

15. ***Medical Examination.—***

(1) The occupier of each factory to which this schedule applies, shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein;and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examination and appropriate tests carried out by the said medical officer shall be maintained which shall be kept readily available for inspection by the Inspector.

(3) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(4) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground,that continuance involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated inthe opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitablyrehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall bere-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

16. ***Exemptions.***— If in respect of any factory, the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or infrequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector may by a certificate in writing, which he may at his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any he may specify therein.

Sub-Schedule-27
Operations in Foundries

1. ***Application.***— Provisions of this schedule shall apply to all parts of factories where any of the following operations or processes are carried on :-

(a) the production of iron castings or, as the case may be, steel castings by casting in mould, made of sand, loam, moulding composition or other mixture of materials, or by shall moulding, or by centrifugal casting and any process incidental to such production;

(b) the production of non-ferrous castings by casting metal in moulds made of sand, loam, metal, moulding composition or other material or mixture of materials, or byshell mouldings, die-casting (including pressure diecasting), centrifugal casting or continuous casting and any process incidental to such production; and

(c) the melting and casting of non-ferrous metal for the production of ingots, billets, slabs or other similar products, and the stripping thereof; but shall not apply with respect to-

(a) any process with respect to the smelting and manufacture of lead and the Electric Accumulators;

(b) any process for the purposes of a printing worker; or

(c) any melting process in which metal is obtained by a reducing operation or any process incidental to such operation; or

(d) the production of steel in the form of ingots; or

(e) any process in the course of the manufacture of solder or any process incidental to such manufacture; or

(f) the melting and casting of lead or any lead based alloy for the production of ingots, billets, slabs or other similar products or the stripping thereof, or any process incidental to such melting, casting or stripping.

2. ***Definitions.*** *- For the purpose of this schedule-*

(a) ***"approved respirator"*** means a respirator of a type approved by the Chief Inspector;

(b) ***"cupola or furnace"*** includes a receiver associated therewith;

(c) ***"dressing or fettling operations"*** includes stripping and other removal of adherentsand cores, runners, risers, flash and other surplus metal from a casting and the production of reasonably clean and smooth surface, but does not include-(a) the removal of metal from a casting when performed incidentally in connection with the machining or assembling of castings after they have been dressed or fettled, or (b)any operation which is a knock-out operation within the meaning of this schedule;

(d) ***"foundry"*** means those parts of a factory in which the production of iron or steel or non-ferrous castings (not being the production of pig iron or the production of steel inthe form of ingots) is carried on by casting in moulds made of sand, loam, moulding composition or other mixture of materials, or by shell moulding or by centrifugal casting in metal moulds lined with sand, or die casting including pressure die castings, together with any part of the factory in which any of the following processes arecarried on as incidental processes in connection with and in the course of, suchproduction, namely, the preparation and mixing of materials used

in foundry process,the preparation of moulds and cores knock out operations and dressing or fettingoperations;

(e) ***"knock-out operations"*** means all methods of removing castings from moulds and the following operations, when done in connection therewith, namely, stripping,coring-out and the removal of runners and risers;

(f) ***"pouring aisle"*** means an aisle leading from a main gangway or directly from a cupola or furnace to where metal is poured into moulds.

3. ***Prohibition of use of certain materials as parting materials.—***

(1) A material shall not be used as a parting material if it is a material containing compounds of silicon calculated as silica to the extent more than 5 per cent by weight of the dry materials :

Provided that this prohibition shall not prevent the following being used as a part ingmaterial if the material does not contain an admixture of any other silica:-

(a) Zirconium silicate (Zirocon)
(b) Calcined china clay
(c) Calcined aluminous fireclay
(d) Sillimanite
(e) Calcined or fused alumina
(f) Olivine
(g) Natural sand.

(2) Dust or other matter deposited from a fettling or blasting process shall not be used as a parting materials or as a constituent in a parting material.

4. ***Arrangement and storage.—*** For the purposes of prompting safety and cleanliness in workrooms the following requirements shall be observed :-

(a) moulding boxes, loam plates, ladles, patterns, pattern plates, frames, boards, box weights, and other heavy articles shall be so arranged and placed as to enable work to be carried on without unnecessary risk;

(b) suitable and conveniently accessible racks, bins, or other receptacles shall be provided and used for the storage of other gear and tools;

(c) where there is bulk storage of sand, fuel, metal scrap or other materials or residues, suitable bins bunkers or other receptacles shall be provided for the purposes of such storage.

5. ***Construction of floors.—***

(1) Floors of indoor work places in which the processes are carried on, other than parts which are of sand shall have an even surface of hard material.

(2) No part of the floor of any such indoor workplace shall be of sand except where this is necessary by reason of the work-done.

(3) All parts of the surface of the floor of any such indoor workplace which are of sand shall, so far as practicable, be maintained in an even and firm condition.

6. ***Cleanliness of indoor workplaces.—***

(1) All accessible parts of the walls of every indoor workplace in which the processes are carried on and of everything affixed to those walls shall be effectively cleaned by a suitable method to a height of not less than 4.2 metres from the floor atleast once in every period of fourteen months. A record of the carrying out of every such effective cleaning in pursuance of this paragraph including the date (which shall be not less than five

months nor more than nine months after the last immediately proceeding washing, cleaning or other treatment).

(2) Effective cleaning by a suitable method shall be carried out atleast once every working day of all accessible parts of the floor of every indoor workplace in which the processes are carried on, other than parts which are of sand, and the parts which are of sand shall be kept in good order.

7. ***Manual operations involving molten metal.***— There shall be provided and properly maintained for all persons employed on manual operations, involving molten metal with which they are liable to be splashed, a working space for that operation :-

(a) which is adequate for the safe performance of the work; and

(b) which, so far as reasonably practicable, is kept free from obstruction.

(2) Any operation involving the carrying by hand of a container holding molten metal shall be performed on a floor and parts of which where any person walks, while engaged in the operations shall be on the same level:

Provided that, where necessary to enable the operation to be performed without tundue risk, nothing in this paragraph shall prevent the occasional or exceptional useof a working space on a different level from the floor, being a space provided with a safe means of access from the floor for any person while engaged in the operation.

8. ***Gangways and pouring aisels.***—

(1) In every workroom to which this paragraph applies constructed, reconstructed or converted for use as such after the making of this Schedule and, so far as reasonably practicable, in every other workroom to which this paragraph applies, sufficient and clearly defined main gangways shall be provided and properly maintained which-

(a) shall have an even surface of hard material and shall, in particular, not be of sand or have on them more sand than is necessary to avoid risk of flying metal from accidental spillage;

(b) shall be kept, so far as reasonably practicable, free from obstruction;

(c) if not used for carrying molten metal, shall be atleast 920 millimetres in width;

(d) if used for carrying molten metal shall be-

(i) where truck ladles are used exclusively, atleast 600 millimetres wider than the overall width of the ladle;

(ii) where hand shanks are carried by not more than two men, atleast 920 millimetres in width;

(iii) where hand shanks are carried by more than two men, atleast 1.2 metres in width;and

(iv) where used for simultaneous travel in both directions by mean carrying hand shanks, atleast 1.8 metres in width.

(2) In workroom to which this paragraph applies constructed, reconstructed orconverted for use as such after the making of this Schedule, sufficient and clearly defined pouring aisles shall be provided and properly maintained which-

(a) shall have an even surface of hard material and shall, in particular, not be of sand or have on them more sand than is necessary to avoid risk of flying metal from accidental spillage;

(b) shall be kept so far as reasonable practicable free from obstruction;

(c) if molten metal is carried in hand ladles or bull ladles by not more than two men per ladles, shall be atleast 460 millimetres wide, but where any moulds alongside the aisleare more than 510 millimetres above the floor of the aisle, the aisle shall be not less than 600 millimetres wide;

(d) if molten metal is carried in hand ladles or bull ladles by more than two men perladle, shall be at least 769 millimetres wide;

(e) if molten metal is carried in crane, trolley or truck ladles, shall be of a width adequate for the safe performance of the work.

(3) Requirements of sub-paragraphs (1) and (2) shall not apply to any workroom or part of a workroom if, by reason of the nature of the work done therein, the floor of that workroom or, as the case may be, that part of a workroom has to be of sand.

(4) In this paragraph "workroom to which this paragraph applies" means a part of a ferrous or non-ferrous foundry in which molten metal is transported or used, and a workroom to which this paragraph applies shall be deemed, for the purposes of this paragraph to have been constructed, reconstructed or converted for use as such after the making of this schedule if the construction, reconstruction, or conversion thereof was begun after the making of this schedule.

9. ***Work near cupolas and furnaces.***— No person shall carry out any work within adistance of 4 metres from a vertical line passing through the delivery and of any spoutof a cupola or furnace, being a spout used for delivering molten metal, or within adistance of 2.4 metres from a vertical line passing through the nearest part of any ladle which is in position at the end of such a spout, except, in either case, where it is necessary for the proper use of maintenance of a cupola or furnace that work should be carried out with in that distance of that work is being carried out at such a time and under such conditions that there is no danger to the person carrying it out from molten metal which is being obtained from the cupola or furnace or is in a ladle in position at the end of the spout.

10. ***Dust and fumes.***—

(1) Open coal, coke or wood fires shall not be used for heating or drying ladles inside a workroom unless adequate measures are taken to prevent, so far as practicable, fumes or other impurities from entering into or remaining in the atmosphere of the workroom.

(2) No open coal, coke or wood fires shall be used for dying moulds except in circumstances in which the use of such fires is unavoidable.

(3) Mould stoves, core stoves and annealing furnaces shall be so designed constructed, maintained and worked as to prevent, so far as practicable, offensive or injurious fumes from entering into any workroom during any period when a person is employed therein.

(4) All knock out operations shall be carried out-

(a) in a separate part of the foundry suitably partitioned off, being a room or part in which, so far as reasonably practicable, effective and suitable local exhaust ventilation and a high standard of general ventilation are provided; or

(b) in an area of the foundry in which, so far as reasonably practicable, effective and suitable local exhaust ventilation is provided, or where compliance with this requirement is not reasonably practicable, a high standard of general ventilation is provided.

(5) All dressing or fettling operations shall be carried out-

(a) in a separate room or in a separate part of the foundry suitably-partitioned off; or

(b) in an area of the foundry set apart for the purpose; and shall, so far as reasonably practicable, be carried out with effective and suitable local exhaust ventilation or other equally effective means of suppressing dust, operating as near as possible to the point of origin of the dust.

11. ***Maintenance and examination of exhaust plant.—***

(1) All ventilation plant used for the purpose of extracting, suppressing or controlling dust or fumes shall be properly maintained.

(2) All ventilating plant used for the purpose of extracting, suppressing or controlling dust or fumes shall examined and inspected once every week by a responsible person. It shall be thoroughly examined and tested by a competent person atleast once in every period of twelve months; and particulars of the results of every such examination and test shall be entered in an approved register which shall be available for inspection by an Inspector. Any defect found on any such examination and test shall be immediately reported in writing by the person carrying out the examination and test of the occupier or manager of the factory.

12. ***Protective equipment.—***

(1) The occupier shall provide and maintain suitable portable equipment specified for the protection of workers-

(a) suitable gloves or other protection for the hands for workers engaged in handling any hot material likely to cause damage to the hands by burn, scald or scar, or in handling pig iron, rough castings, or other articles likely to cause damage to the hands by cut or abrasion;

(b) approved respirators for workers carrying out any operations creating a heavy dust concentration which cannot be dispelled quickly and effectively by the existing ventilation arrangements.

(2) No respirator provided for the purposes of clause (1) has been worn by a person shall be worn by another person if it has not since been thoroughly cleaned and disinfected.

(3) Persons who for any of their time :-

(a) work at a spout of or attend to, a cupola or furnace in such circumstances that material there from may come into contact with the body being material at such at emperature that its contact with the body would cause a burn; or

(b) are engaged in, or in assisting with, the pouring of molten metal; or

(c) carry by hand or move by manual power any ladle or mould containing molten that; or

(d) are engaged in knocking out operations involving material at such a temperature that its contact with the body would cause a burn;shall be provided with suitable footwear and gaiters which worn by them prevent, so far as reasonably practicable, risk of burns to his feet and ankles.

(4) Where appropriate, suitable screens shall be provided for protection against flying (including splashes of molten metal and sparks and chips thrown off in the course of any process).

(5) The occupier, shall provide and maintain suitable accommodation for the storage and make adequate arrangement for cleaning maintaining of the protective equipment supplied in pursuance of this paragraph.

(6) Every person shall make full and proper use of the equipment provided for his protection in pursuance of sub-paragraphs (1) and (4) and shall without delay report to the occupier, manager of other appropriate person any defect in, or loss of, the same.

13. ***Washing and bathing facilities.***—

(1) There shall be provided and maintained in clean state and good repair for the use of all workers employed in the foundry-

(a) a wash place under cover with either-

(i) a trough with impervious surface fitted with a waste pipe without plug, and of sufficient length to allow atleast 60 centimetres for every 10 such persons employed at any one time and having a constant supply of clean water from taps or jets abovethe trough at intervals of not more than 60 centimetres; or

(ii) atleast one tap or stand pipe for every 10 such persons employed at any one time,and having a constant supply of clean water, the tap or stand pipe being spaced not less than 1.2 metres apart; and

(b) not less than one half of the total number of washing places provided under clause(a) shall be in the form of bath rooms.

(c) a sufficient supply of clean towels made of suitable material changed daily, with sufficient supply of nail brushes and soap.

(2) The facilities provided for the purposes of sub-paragraph (1) shall be placed incharge of a responsible person or persons and maintained in a clean and orderly condition.

14. ***Disposal of dross and skimmings.***— Dross and skimmings removed from molten metal or taken from a furnace shall be placed forthwith in suitable receptacles.

15. ***Disposal of waste.***— Appropriate measures shall be taken for the disposal of all waste products from shell moulding (including waste burnt sand) as soon as reasonably practicable after the castings have been knocked-out.

16. ***Material and equipment left out of doors.***— All material and equipment left out of doors (including material) and equipment so left only temporarily or occasionally shall be so arranged and placed as to avoid unnecessary risk. There shall be safe means of access to all such material and equipment and, so far as reasonably practicable, such access shall be by roadways or pathways which shall have a firm and even surface and shall, so far as reasonably practicable be kept free from obstruction.

17. ***Medical Examination.—***

(1) The occupier of every factory to which the Schedule applies, shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein;and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue Fitness on form 28.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground,that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer,after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and Medical Inspector cum facilitator.

18. ***Exemptions.—*** If in respect of any factory the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or infrequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary forprotection of the workers in the factory, the Chief Inspector cum facilitator may by a certificate in writing, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such condition, if any, he may specify therein.

Schedule-IV-Material Safety data sheet

(see rule 73)

The occupier of every factory carrying on a 'hazardous process' shall arrange to obtain or develop information in the form of Material Safety Data Sheet (MSDS) in respect of every hazardous substance or material handled in the manufacture, transportation and storage in the factory. It shall be accessible upon request to a worker for reference.

(a) Every such Material Safety Data Sheet shall include the following information: -

(i) The identity used on the label;

(ii) Hazardous ingredients of the substance;

(iii) Physical and chemical characteristics of the hazardous substance;

(iv) The physical hazards of the hazardous substance, including the potential for fire, explosion and reactivity;

(v) The health hazards of the hazardous substance, including signs and symptoms of exposure and any medical conditions which are

generally recognised as being aggravated by exposure to the substance;

(vi) The primary route(s) of entry;

(vii) The permissible limits of exposure prescribed in the Second Schedule under Section 84 of the Code, and in respect of a Chemical not covered by the said Schedule, any exposure limit used for recommended by the manufacturer, importer or occupier;

(viii) Any generally applicable precautions for safe handling and use of the hazardous substance, which are known, including appropriate hygienic practices, protective measures during repairs and maintenance of contaminated equipment, procedures for clean-up of spills and leaks;

(ix) Any generally applicable control measures, such as appropriate engineering controls, work practices, or use of personal protective equipment;

(x) Emergency and first aid procedures;

(xi) The date of preparation of the Material Safety Data Sheet, or the last change to it;

(xii) The name, address and telephone number of the manufacturer, importer, occupier or other responsible party preparing or distributing the Material Safety Data Sheet, who can provide additional information on the hazardous substance and appropriate emergency procedures, if necessary.

(b) The occupier while obtaining or developing a Material Safety Data Sheet in respect of a hazardous substance shall ensure that the information recorded accurately reflects the scientific evidence used in making the hazard determination. If he becomes newly aware of any significant evidence used in making the hazard determination. If he becomes newly aware of any significant information regarding the hazards of a substance, or ways to protect against the hazards, this new information shall be added to the Material Safety Data Sheet as soon as practicable.

(c) An example of such Material Safety Data Sheet is given in the Schedule to this Rule.b Labelling

(2) – Every container of a hazardous substance shall be clearly labelled or marked to identify:

(a) the contents of the container;

(b) the name and address of the manufacturer or importer of the hazardous substances;

(c) the physical and health hazards; and

(d) the recommended personal protective equipment needed to work safely with the hazardous substance.

Material Safety Data Sheet	
SECTION I – MATERIAL IDENTIFICATION AND USE	
Material Name/Identifier	
Manufacturer's Name	Supplier's Name
Street Address	Street Address
City State	City State
Postal Code Emergency Telephone No.	Postal Code Emergency Telephone No.
Chemical Name | Chemical Identity Trade Name and *Synonyms*	*Product Use*

SECTION II – HAZARDOUS INGREDIENTS OF MATERIAL

Hazardous Ingredients	Approximate Concentration %	C.A.S. or UN Numbers LD 50 (Specify Species and Route)	LC 50 (Specify Species and Route)	LC 50 (Specify Species and Route)

SECTION III – PHYSICAL DATA FOR MATERIAL

Physical State -- Gas -- Liquid -- Solid	Odour and Apperance	Odour Threshold (p.p.m)	Specific Gravity	
Vapour Pressure	Vapour density (Air=1)	Evaporation Rate	Boiling point (oC)	Freezing (oC)
Solubility in water (200C) p	pH	Density (g/ml)	Coefficient of water / oil distribution	

SECTION IV – FIRE AND EXPLOSION HAZARD OF MATERIAL

Flammability ..... Yes ..... No. ..... If yes, under what conditions		
Means of Extinction		
Special Procedures		
Flash Point (oC) and Method	Upper Explosion Limit (% by Volume)	Lower Explosion Limit (% by Volume)
Anti-ignition Temperature (oC)	TDG Flammability Classification	Hazardous Combustion Products
Explosion Data-Sensitivity Chemical Impact	Sensitivity to Static Discharge	

SECTION V - REACTIVITY DATA

Chemical Stability ..... Yes ..... No. ..... If no, under what conditions
Incompatibility to other substances ..... Yes ..... No. .... If yes, which ones
Reactivity and under what conditions
Hazardous Decomposition Products
Material Name / Identifier

SECTION VI – TOXICOLOGICAL PROPERTIES OF MATERIAL

Route of Entry ----------Skin contact ---------- Skin Absorption ----------Eye Contact ----------Inhalation Acute ----------Inhalation Chronic ----------Ingestion
Effects of Acute Exposure to Material
Effects of Chronic Exposure to Material Exposure Limit(s) Irritancy of Material

Sensitization to Carcinogenicity, Reproductive Material Effects, Teratogenicity, Mutagenicity
Synergistic Materials

SECTION VII – PREVENTIVE MEASURES

Personal Protective Equipment
Gloves (specify) Respiratory (specify) Eyes (specify)
Footwear (specify) Clothing (specify) Other (specify)
Footwear (specify) Clothing (specify) Other (specify)
Leak and Spill Procedures
Waste Disposal
Handling Procedures and Equipment
Storage Requirements
Special Shipping Information

SECTION VIII – FIRST AID MEASURE

First Aid Measure
Sources used
Additional information

SECTION IX – PREPARATION DATE OF M.S.D.S

Prepared by (Group, Department, etc.) (Phone No.) Date

NOTES:

1. CAS or UN Number – Chemical Abstract Service or United Nations (UN) Number.
2. LD 50 – Lethal Dose – 50% (LD50 – Specify species and route).
3. LC 50 – Lethal Concentration – 50% (LC50 – Specify species and route).
4. **TDG Flammability – Transport of Dangerous Goods**
   Flammability Classification by United Nations.

FORM-I

[See Rule-3 (1) (i)]

Application for Registration for existing establishments/New Establishment/Amendment to certificate of Registration

A. Type of Establishment -

(Factory/Motor Transport undertaking/Newspaper Establishment/Audio-Visual Production Establishment / Building and Other Construction Establishment /Plantation / Contract Work/ Manpower Supply/Other)

B. Establishment Details.

1. Name of Establishment:
2. Location and Address of the Establishment:
3. Others details of Establishment:
   a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:
   b. Total Number of the contract employees engaged:
   c. Total Number of Inter-State Migrant workers employed:
4. **Fill applicable part-**

(a) For factories:

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory along with plan approval details	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day	Nature & Total amount of H.P. installs or propos & installed.
1	2	3	4	5

(b) For Motor Transport Workers-

Nature of motor transport services (e.g. City Services, Long distance freight etc)	Total number of route	Total route mileage	Total number of transport vehicle on the last date of preceding year
1	2	3	4

(c) For building and other construction work:

Type of Construction work	Probable period of commencement of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
1	2	3	4

(d) **For Plantation-**

Total grant of plantation in hectare	Full name(s) and residential address(es) of the Propreitor's and Partner's of the plantation in case it is not registered under the Companies Act, 1956	Full name and residential adress(es) of the Directors in the case of a Company registered under the Companies Act, 1956.	Full name and address(es) of the Chief Executives or General Manager of the Plantation in the Public Sector
1	2	3	4

5. Ownership Type/Sector;
6. Activity as per National Industrial Classification;

7. Details of Selected NIC Code:
8. e-sign/ digital sign of employer/ representative/applicant :

B. Details of Employer:-

1. Name & Address of Employer / Occupier / Owner/Agent/ Chief Executive/ port authority etc :
2. Designation :
3. Father‘s/ Husband‘s Name of the Employer :
4. Email Address, Telephone& Mobile No :

C. Manager/ Agent Details

1. Full name & Address of Manager/ Agent or person responsible for supervision and control of the Establishment
2. Address of Manager/ Agent:
3. Email Address, Telephone& Mobile No. :

D. Contractor Details

Name and Address Contractor	Email address& Mobile of Contractor	Name of Work	Maximum No. of Contract labour engaged	Maximum no. of migrant worker employed by contractor	Date of Commencement / Probable date of Completion of work
1	2	3	4		5

E. Others Details:-

Signature/ E-sign/digital sign of employer

Dated:-

Place;-

FORM-II

[See Rule-3(1)(iii)]

Certificate of Registration of Establishment

Registration No. Date

A Certificate of registration containing the following particulars is hereby granted under sub section (2) of section 3 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (….of 2020) to…….. (Name of the establishment)

1. Nature of work carried on in the establishment (Please tick mark)

(a) Factory (b) Contract Work

(c) Building and Other Construction Works (d) any other work (not covered above)

2. Details of the establishment:

a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:

b. Total Number of the employees engaged through contractor ……..

c. Total Number of Contractors and their details:

c. Number of inter-state migrant workers engaged:

3 Extra Details of establishment-
(a) For factories:

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory along with plan approval details	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day	Nature & Total amount of H.P. installs or propos & installed.
1	2	3	4	5

(b) For Motor Transport Workers-

Nature of motor transport services (e.g. City Services, Long distance freight etc)	Total number of route	Total route mileage	Total number of transport vehicle on the last date of preceding year
1	2	3	4

(c) For building and other construction work:

Type of Construction work	Probable period of commencement of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
1	2	3	4

(d) **For Plantation-**

Total grant of plantation in hectare	Full name(s) and residential address(es) of the Propreitor's and Partner's of the plantation in case it is not registered under the Companies Act, 1956	Full name and residential adress(es) of the Directors in the case of a Company registered under the Companies Act, 1956.	Full name and address(es) of the Chief Executives or General Manager of the Plantation in the Public Sector
1	2	3	4

4. Amount of registration fee paid…..

5. Remarks of registering officers

/Signature E -Sign/DSC of Registering Officer
along with designation

Place:

Date:

Conditions of Registration

(1). Every certificate of registration issued under rule 4 shall be subject to the following conditions, namely:

(a). the certificate of registration shall be non-transferable;
(b) the number of workers employed in an establishment directly and contract employees shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the certificate of registration; and
(c) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of registration certificate shall be non-refundable.

(2) The employer shall intimate the change, if any, in the number of workers or the conditions of work to the registering officer within 30 days

(3) The employer shall, within thirty days of the commencement and completion of any work, intimate to the Inspector-cum-Facilitator, having jurisdiction in the area where the proposed establishment or as the case may be work is to be executed, intimating the actual date of the commencement or, as the case may be, completion of establishment such work in **Form IV** annexed to these rules electronically.

(4) A copy of the certificate of registration shall be displayed at the conspicuous places at the premises where the work is being carried on.

FORM-III
[See Rule-3(8)]
Register of Establishment

SI. No	Nature of work	Registration No. and date	Name and Address, location of the establishment registered	Name, Address and Contact Details of Employer	Total number of Workers and Total Horse Power (if any)	Total number of contract Workers	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
	(a) Factories (b) Plantation Work (c) Motor Transport Undertaking (d) Audio-Visual Establishment (e) Building and other Construction work (f) Contract work (g) Interstate Migrant Work (h) Any other work (not covered above)						

FORM-IV

(See Rule-3(9) and Rule- 5)
A- Notice of Commencement / cessation of Establishment:

1. Registration No:
2. Name and Address of Establishment:-
3. Name & Designation of employer (who has ultimate control over the affairs of the establishment :-
4. Full address to which communication relating to the establishment to be sent :-
5. Nature of work of the establishment :-
6. In case of the notice is for commencement of work the approximate duration of work:-
7. in case of cessation, the date of cessation:

I/We hereby intimate that the work of establishment having registration No. ……..dated …… is likely to commence/cessation is likely to be completed with effect from ……. (Date)/ On …….. (Date)

In case of cessation of work:

I/we hereby certify that the payment of all dues to the workers employed in the establishment have been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Signature of the Employer

To,

The Inspector-cum-Facilitator

FORM-V

(Rule-6)

The medical examination shall be conducted by a qualified medical practitioner as per following proforma:

A. Demographics:

Question	Answer	Remarks
Date: Name of the Worker:		
Age:		
Permanent Address:		
Gender:		
Total Number of family Members:		
Total monthly family Income:		
Is the employee under ESI (Employees' State Insurance) Scheme? If yes, provide IP Number	Yes/No	
Is the employee under any other health scheme apart from ESI-Scheme? (If yes, provide the name of the scheme)	Yes/No	

.

***B.* Occupational**

Question	Answer	Remarks
Present Designation:		
Work Profile:		
Duration of service in the present work profile:		
Working Hours per shift:		
Night Shift Per Week:		
Night Shift per Month:		

C. Brief Review of Medical History: Diagnosed previously or currently under treatment or Currently suffering from

Question	Answer	Remarks
Anaemia		
Jaundice		
Asthma		
COPD		
History of Any other Lung Disease: (If Yes, Please Specify)		
Vertigo/Dizziness		
Diabetes Mellitus		
Hypertension		
Any Cancer (If Yes, Please Specify the Cancer)		
Chronic Low Back Pain		
Chronic Pain in hand or Elbow		
Hernia		
Hydrocele		
Varicose Vein		
Haemorrhoids		
History of amputation/fracture/ dislocation injury during work (If Yes, please specify)		
Dermatitis (If Yes, specify Site)		

Hearing Impairment		
Visual Impairment		
Any Major Illness requiring hospitalization in last 1 year (If Yes, Name of the Disease)		
Occupational Injury in Last 1 year: if yes Specify the Location of injury and frequency		

D. **Current Symptoms-Diseases Module**

Question	Answer	Remarks
Smoking habit		
Chewing Tobacco or Pan Masala or Gutkha:		
Alcohol Addiction		
Dermatosis (Irritant Contact Dermatitis/Eczema/Chloracne/Allergic Contact Dermatitis):		
Mucosal Irritation of eyes/Nose/Throat with response to chemical agent or biological agent:		
Symptoms like Respiratory Difficulty/ Chest Tightness/Dry Cough at beginning of shift:		
Currently suffering from TB:		
Jaundice or Hepatitis:		
Currently suffering from Low Back Pain		
Currently suffering from Pain in hand or Elbow:		
Currently suffering from Visual Problems		
Currently suffering from Hearing Problems		
Any current injury (amputation/ fracture/ dislocation)		
Any current musculoskeletal sprains/ strains		

E. **Physical Examination**

Date of Examination:

Question	Answer	Remarks
General Skin Condition: (If Any Dermatitis, please mention its location)		
Weight (in Kg):		
Height (in Meter)		
Temperature (^{0}F):		
BP:		
Pulse:		
SpO2:		
Respiratory Rate:		
Examination of Breast of female-employee		

F. **Investigation Report**

□□**Routine Blood Investigation: Attach the photocopy of the report**

□□**Blood Grouping & Rh Typing and HB Electrophoresis Once in a lifetime**

Parameter	**Answer (Normal/Increase/Decrease)**	**Value**
Hb%:		
Total WBC Count and Differential Count:		
Platelet Count:		
ESR:		
FBS:		
PPBS:		
HBA1C level		
BUN:		
Creatinine:		
Total Protein		
Albumin		
Globulin		
SGOT		
SGPT		
Bilirubin		
Urine RE		
Urine ME		
Prostate Specific Antigen (PSA)		

G. Standard Chest X Ray (PA) View: attach the photocopy of the report
Date:

Parameter	Answer (Normal/Abnormal)	Value (if any importance)
Report		

Report

H. Spirometry: attach the photocopy of the report (For mine employee)
Date:

Parameter	Answer (Normal/Increase/Decrease)	Value
Report		
Observed:		
Predicted:		
FVC:		
Observed:		
Predicted:		
FEV1/FVC:		
Final Report: Normal / Obstructive Lung Disease/Restrictive Lung Disease/ Mixed Lung Diseases		

I. Audiometry (Pure Tone / BERA): attach the photocopy of the report (For Mine Employee)
Date:

Parameter	Value/Result/Interpretation
Visual inspection of Eye for any abnormality like wax in external ear, infection etc	
Right Ear Hearing Threshold:	
Left Ear Hearing Threshold:	
Final Report preferable based on BERA:	
Right Ear:	
Left Ear:	

J. Eye Examination: attach the photocopy of the report
Date:

Parameter	Value/Result/Interpretation
Visual inspection of Eye for any abnormality like corneal opacity/scaring, cataract etc.	
Visual Acuity: Right	
Visual Acuity: Left	
Colour Vision	
Field of Vision	
Binocularity	
Lateral Phoria	
Vertical Phoria	
Stereoscopic Vision and Depth Perception Testing	
Fundus (Retina) examination	

K. 12 lead ECG and Echocardiography:
Final Report:

L.* MEDICAL FITNESS TESTS FOR PERSONS WORKING AT HEIGHT *(as may be applicable):

1. Detailed Medical History and in-Depth General Medical Examination including tests for Vision, Hearing, Musculoskeletal System, Respiratory System, Cardiovascular System etc.

As applicable to all employees

2. Special Examination
   - (a) Cardiovascular
     Uncontrolled hypertension or ischemic heart disease will be a contraindication. In the presence of hypertension and abnormal ECG findings, the employee should be referred to a Cardiologist for fitness.
   - (b) Tests for Labyrinthine functions and for sense of position Eye Examination for Bilateral Nystagmus, Romberg sign.
     The presence of bilateral nystagmus and a positive Romberg sign will be an absolute contra-indication.
   - (c) Neurological examination Evaluate seizure disorders: CT Scan of Brain and E.E.G if indicated
   - (d) Assessment of Diabetic Control Status:
     (in case of employees suffering from Diabetes Mellitus)
   - (e) Assessment of Phobia (Acrophobia) and any other Mental Health Disorder like Anxiety or Depression
   - (d) Evaluation for Vertigo and Dizziness

For use of Industrial Safety Section:
Walking freely over a horizontal bar at 1 ft. height: PASS / FAIL
Wearing a safety belt and tying the rope knot: PASS/ FAIL

Walking over a horizontal structure at 9 ft. height wearing a belt: PASS/ FAIL
General physique (O.K./NOT O.K): PASS/ FAIL

M. **Any other information/examination/biological investigation/test as mutually agreed by the employer and qualified medical practitioner.**

FORM-VI
(See Rule-8)
NOTICE OF ACCIDENT OR DANGEROUS OCCURRENCE

E.S.I.C. Employer's Code number : E.S.I.C. Insurance

Number of the injured person :

1. Name of employer :

2. Address of works / premises where the accident or dangerous occurrence took place :

3. Nature of industry and LIN of the establishment/ (Registration number of establishment :

4. Branch or department and exact place where the accident or dangerous occurrence took place :

5. Name and address of the injured person :

6. (a) Sex :

(b) Age (at the last birthday) :

(c) Occupation of the injured person :

7. Local E.S.I.C. Office to which the injured person is attached :

8. Date, shift and hour of accident or dangerous occurrence :

9. (a) Hour at which the injured person started work on the day of accident or dangerous occurrence :

(b) whether wages in full or part are payable to him for the day of the accident or dangerous occurrence :

10. (a) Cause or nature of accident or dangerous occurrence :

(b) If caused by machinery-

(i) Give the name of machine and the part causing the accident or dangerous occurrence :

(ii) state whether it was moved by mechanical power at the time of accident or dangerous occurrence :

(c) State exactly what the injured person was doing at the time of accident or dangerous occurrence :

(d) In your opinion, was the injured person at the time of accident or dangerous occurrence -

(i) acting in contravention of provisions of any law applicable to him; or

(ii) acting in contravention of any orders given by or on behalf of his employer; or

(iii) acting without instructions from his employer?

(e) In case reply to (d) (i), (ii) or (iii) is in the affirmative , state whether the act was done for the purpose of and in connection with the employer‘s trade or business. :

11. In case the accident or dangerous occurrence took place while travelling in the employer‘s transport, state whether -

(a) the injured person was travelling as a passenger to or from his place of of works; :

(b) the injured person was travelling with the express or implied permission of his employer; :

(c) the transport is being operated by or on behalf of the employer or some other person by whom it is provided in pursuance of arrangements made with the employer; and :

(d) the vehicle is being/not being operated in the ordinary course of public transport service :

12. In case the accident or dangerous

occurrence took place while meeting emergency, state- (a) its nature ; and

(b) whether the injured person at the time of accident or dangerous occurrence was employed for the purpose of his employer's trade or business in or about the premises at which the accident or dangerous occurrence took place. :

13. Describe briefly how the accident or dangerous occurrence took place :

14. Names and addresses of witnesses : (1)
(2)

15. (a) Nature and extent of injury (e.g. fatal, loss of finger, fracture of leg, scald, scratch followed by sepsis, etc.) :

(b) Location of injury (e.g. right leg, left hand, left eye, etc.)

16. (a) If the accident or dangerous occurrence was not fatal, state whether the injured person was disabled for more than 48 hours :

(b) date and hour of return of work :

17. (a) Physician, dispensary or hospital from whom or which the injured person received or is receiving treatment :

(b) Name of dispensary/panel doctor elected by the injured person :

18. (a) Has the injured person died ? :

(b) If so, date of death :

I certify that to the best of my knowledge and belief the above particulars are correct in every respect.

Signature and Name and Designation of owner/ employer /manager/agent

Date of dispatch of report :
Place:

FORM-VII

[See Rule-27]

NOTICE OF PERIODS OF WORK

Name of the Establishment……..……Place…….…… District……

Periods of work Groups, Relays	Men												Women												Description of Groups, Nature of work	Remarks
	Total no. of men employed												Total no. of women employed													
	A			B			C			D			E			F			G			H				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		

On working days

From ..

To ..

From ..

To ..

From ..

To ..

On partial

Working days

From ..

To ..

From ..

To ..

Date on which this notice is first exhibited : Signature of manager or agent :

Date :

FORM-VIII

(See Rule-28)

REGISTER OF WORKERS EMPLOYED IN AN ESTABLISHMENT, WAGES, OVERTIME, FINE, DEDUCTION FOR DAMAGE OR LOSS

Register of Wages, Overtime, Fine, Deduction for damage and Loss

Name of the Establishment: Name of the Employer:

Name of the Owner: PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

Sr. no. in Employee Register	Name of the employee	Designation / Department	Duration of Payment of Wages (Monthly/ Fortnightly/ Weekly/Daily/ Piece rated)	Wage Period From-To	Total no. of days worked during the period	Total overtime (hours worked or production in case of piece workers)	Rates of wages		
							Basic	DA	Allowances
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Overtime earning	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Amount of deduction from wages	Total amount of wages paid	Date of Payment	Signature	
							Employee	Employee/ Representative
11	12	13	14	15	16	17	18	19

FORM-IX

(See Rule-30)

ANNUAL RETURN

UNIFIED ANNUAL RETURN FORM

FOR THE YEAR ENDING……..

Single Integrated Return to be filed On-line under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020,

the Code on Industrial Relations, 2020, the Code on Social Security , 2020, and the Code on Wages, 2019

Instructions to fill up the Annual Return

(1) This return is to be filled-up and furnished on or before 28th or 29th February every year.

(2) The terms Establishment shall have the same meaning as under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

(3) This return is to be filled-up in case of Contractor or manpower supplier who have engaged more than 50 workers employed in the relevant period.

Applicable to All Establishments - Part-I

A. General Information:

Sl. No.			Instructions for filling the column
1	Labour Identification Number/Registration No.		EPFO, ESIC, MCA, MoLE (LIN)
2	Period of the Return	From - To-	Period should be calendar year
3	Name of the Establishment		
4	Email ID		
5	Telephone No.		
6	Mobile number		
7	Premise name		
8	Sub-locality		
9	District		
10	State		
11	Pin code		
12	Geo Co-ordinates		

B(a).	**Hours of Work in a day**	
B(b).	**Number of Shifts**	

C. Details of Manpower Deployed									
Details	**Directly employed**				**Employed through Contractor**				**Grand Total**
Skill Category	**Highly Skilled**	**Skilled**	**Semi-Skilled**	**Un-Skilled**	**Highly Skilled**	**Skilled**	**Semi-Skilled**	**Un-Skilled**	
(i) Maximum No. of employees employed in the establishment in any day during the year	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	
(ii) Average No. of employees employed in the establishment during the year	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	
(iii) Migrant Worker out of (ii) above	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	
(iv)Number of fixed term employee engaged	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	

D. Details of contractors engaged in the Establishment:		
Sl. No.	Name with LIN/Registration Number of the Contractor	No. of Contract Labour Engaged

E. Details of various Health and Welfare Amenities provided.			
Sl. No.	**Nature of various welfare amenities provided**	**Statutory (specify the statute)**	**Instructions for filling**
1	Whether facility of Canteen provided (as per section 24(v) of OSH Code, 2020)	Tick yes or no in the box	Applicable to all establishments where in hundred or more worker including contract labour were ordinarily employed
2	Crèches (as per section 67 of Code on Social Security Code, 2020 and Section 24 of the OSH Code 2020)	Tick yes or no in the box	Applicable to all establishments where fifty or more workers are employed
3	Ambulance Room (as per section 24(2)(i) of OSH Code, 2020)	Tick yes or no in the box	Applicable to mine, building and other construction work wherein more than five hundred workers are ordinarily employed
4	Safety Committee (as per Section 22(1) of OSH Code, 2020.	Tick yes or no in the box	Applicable to establishments and factories employing 500 workers or more, factory carrying on hazardous process and BoCW employing 250 workers or more, and mines employing 100 or more workers
5	Safety Officer (as per section 22(2) of OSH Code, 2020)	No. of safety officers appointed	In case of mine 100 or more workers and in case of BoCW 250 or more workers are ordinarily employed.
6	Qualified Medical Practitioner (as per Section 12 (2) of OSH Code 2020.	No. of Qualified Medical Practitioner appointed.	There is no specification for minimum number of Qualified Medical Practitioner employed in establishment. However, this detail is required to have data on occupational health.

F. The Industrial Relations:			Instructions for filling
1	Is the Works Committee has been functioning. (section 3 of IR Code, 2020)	Yes/No	Industrial establishment in which 100 or more workers are employed
(a)	Date of its constitution.		
2	Whether the Grievance Redressal Committee constituted (section 4 of IR Code, 2020)	Yes/No	Industrial establishment employing 20 or more workers are employed
3	Number of Unions in the establishments.		
4	Whether any negotiation union exist (Section 14 of IR Code, 2020)	Yes/No	
5	Whether any negotiating council is constituted (Section 14 of IR Code, 2020)	Yes/No	
6	Number of workers discharged, dismissed, retrenched or whose services were terminated during the year:		

Discharged	Dismissed	Retrenched	Terminated or Removed	Grand Total	

7	**Man-days lost during the year on account of**				
Sl. No.	Reasons	Period / Date	No. of man-days lost	Loss in term of money	
(a)	Strike				
(b)	Lockout				

8.	**Details of retrenchment / lay off**				
Sl. No.	No. of persons retrenched during the period	Details of payment paid to retrenched employees	No. of workers laid off during the period	No. of man-days lost due to lay-off	

G. Details pertaining to maternity benefit:				
No. of female employees	**No. of female employees availed maternity leave**	**No. of female employees paid medical bonus**	**No. of deduction of wages, if any made from female employees**	

H. Details of payment of bonus:			
Sl. No.	**No. of employees covered under the Bonus provision**	**Total amount of bonus actually paid**	**Date on which the Bonus paid**

I. Details of accidents, dangerous occurrence and notifiable diseases:				
Sl. No.	**Total number of accidents by which a person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more as per Section 10 of the OSH Code, 2020.**	**Total number of fatal accidents and names of the deceased as per Section 10 of the OSH Code, 2020.**	**Total number of Dangerous Occurrences as defined under Section 11 of the OSH Code, 2020**	**Total number of cases of Notifiable Diseases specified in Third Schedule of the OSH Code, 2020 along with the details of affected persons**

J. Mandays and Production Lost due to accidents / dangerous occurrence			
Sl. No.	**Accident/Dangerous Occurrence**	**Mandays lost**	**Production Lost**

FORM-X

(See Rule-31)

REGISTER OF ACCIDENTS AND DANGEROUS OCCURRENCES

Name of Injured person (if any)	Date of Accident or dangerous occurrence	Date of report to inspector-cum-Facilitator	Nature of accident or dangerous occurrence	Date of return of injured Person to work	Number of days the injured Person was absent from work
1	2	3	4	5	6

FORM-XI

[See Rule-32(i)]

REGISTER FOR LEAVE WITH WAGES

Part I - Adults

Part II - Adolescents

Establishment: Name of worker :

Department : Father's Name:

Sl. No	Sl.no. in the register of workers	Date of entry into service						Leave due with effect from	Whether leave not desired during the next 12 months	Date from which the worker is allowed leave	Wages for Leave Paid in	Discharged worker		Remarks
			Sickness and accidents	Authorized Leave	Lock Out or Legal Strike	Involuntary unemployment	Others					Date of Discharge	Date & amount of payment made in lieu of leave due	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Note:- Separate page shall be allotted to each worker

FORM –XII

(See Rule-35)

IMPROVEMENT NOTICE AND PROHIBITION ORDER

PART I

PROHIBITION ORDER

Inspector-cum-facilitators Notice on Inspection of Establishment, Lifting Appliance, Loose Gears and other such

gears, Equipment, Ladders and Staging. Inspector-cum-Facilitator's notice to the occupier, employer, owner, master, Officer-in-charge, Owner of lifting appliances, loose gears and lifting devices or the person, scaffold who, by himself, his agents, or his employers as the case may be.

Name of the establishment, lifting appliance, lifting device, transport equipment, ladders and staging	Where situated lying/ used/ location	Registration no. of the establishment	LIN No. of the establishment
1	2	3	4

An inspection of the above named establishment, lifting appliances, loose gears, lifting devices, transport equipment, ladders and staging was made on _____.

The activities connected with establishment which are being carried on by you/about to be carried on by you/under your control involve a risk or danger to the life. Safety and health of employee and involve the following contraventions :

CONTRAVENTIONS

Therefore. I hereby direct that the said activities shall not be carried on by you or under your control unless the said contraventions and matters mentioned have been remedied to the satisfaction of the Inspector-cum-Facilitator. This order is being issued without prejudice or any legal action which may be taken for these contraventions. On hearing from you that the requirements have been complied with the establishment, lifting appliance, loose gear or similar gear/transport equipment/ladders/ staging, scaffold shall again be visited with a view to the inspection being completed.

No. _____

Dated at _____ this _____ day of 20 _____

Inspector-cum-Facilitator under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

REQUIREMENTS

On compliance with all or any of the above contraventions, the Inspector-cum-Facilitator shall be informed in the manner prescribed overleaf, of the date and place at which the establishment, lifting appliance, loose gears or similar gear transport equipment, ladders and staging, scaffold can be re-inspected.

Sir,

The contravention notified by you have been effectively attended to. The establishment, lifting appliance, loose gears or similar gear, transport equipment, ladders and staging, scaffold shall be ready for inspection on the date

Sir,
The contravention notified by you have been effectively attended to. The establishment, lifting appliance, loose gears or similar gear, transport equipment, ladders and staging, scaffold shall be ready for inspection on the date and place named below:

Date of Inspection	Place
Dated at _____ this day of _____ 20_____	Employer, Occupier, Owner, Manager, Master, Officerin- charge or Agents, owner of machinery and gear or the person, who by himself, his agents or his employers, carried on the establishment.

To

The Inspector-cum-Facilitator under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

PART - II

Improvement Notice

Inspector-cum-Facilitator's notice to the employer, Owner, Master, Manager, Officer-in-Charge or Agents, Owner of lifting appliances, loose gears lifting devices, scaffold or the person, who, by himself, his agents or his employers, carries on the establishment, as the case may be.....

Name of the establishment, lifting appliances, loose gear, lifting device, transport, equipment, ladders and stagings, scaffold;	Where situated/lying used/location	Port of Registry	Official no.(if any) of the ship

An inspection of the above-named establishment, dock, ship, lifting appliances, loose gears, lifting devices, transport equipment, ladders and stagings, scaffold was made on .....

The following contraventions were observed. You are required to remedy the said contraventions and send the compliance report in writing within..... days.

This notice is being issued without prejudice to any legal action which may be taken for these contraventions on hearing from you that the requirements have been complied with the establishment, lifting appliance/loose gear or similar other gear/transport equipment/ladders/ staging, scaffold will again be visited with a view to the inspection being completed.

Contraventions No. _____Dated _____ this _____ day of _____ 20_____ Inspector-cum-Facilitator under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 Requirements. On compliance with all or any of the requirements, the Inspector-cum-Facilitator should be informed in the manner prescribed overleaf of the date and place at which the establishment, lifting appliance, loose gear, transport equipment, ladders and staging, scaffold can be re-inspected.

The requirements noted by you have been effectively fulfilled. The establishment, lifting appliance, loose gear, lifting devices, transport equipment, ladders and staging, scaffold will be ready for inspection on the date and place named below:

Date of Inspection	Place
Dated at _____this day of _____ 20_____	Employer, occupier, Owner, Master, Manager, Officer-in-charge or Agents, owner of machinery and gear or the person, who, by himself, his agents or his employers, carried on the establishment.

To

The Inspector-cum-Facilitator under the Occupation Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

FORM-XIII

(See Rule-44 and 45)

APPLICATION FOR LICENSE

On Line Application for License/ Renewal of License/Amendment of License (including Common/single license)
Labour Resource Department Government of Bihar
ESTABLISHMENT PROFILE:
Labour Identification Number /Registration No.- Date .....
Acknowledgement Number: ……..…… Date of Application: ……..…….
I. Particulars of Establishment for which licence required:
1. Name of Establishment:
2. Address of establishment
(a) Head Office address along with email Id :
(b) Corporate office address along with email Id:
3. Telephone Number :
4. Activity as per National Industrial Classification : (Select all applicable activities given)
5. Details of selected NIC Code:
6. Nature of work carried on in main establishment :
7. Esign/digital sign of applicant :
II. Details of Employer:
1. Full Name of Employer: ……relationship with establishment.
2. Full Address of Employer:
3. Email Id of employer:
4. Mobile No. of employer:
III. Particulars of the Contract Labour to be employed / is employed (If licence is required work wise)

Locations of worksites	Name of works	Activity as per national industrial classification	Date of commencement	Date of completion	Name of Establishments in which contract labour is/proposed to be employed	Name Address, email id of the Site Incharge
1	2	3	4	5	6	7
5. Maximum number of workmen proposed to be employed on the Establishment on any date: **24**						
6. Amount of Licence Fee: **INR** **(Transaction Id :)**						
7. Amount of Security Deposit: **INR** **(Transaction Id :)**						
IV. DETAILS OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH COMMON LICENCE REQUIRED, (IF APPLYING FOR)						
Type of Establishments	Name & Address of establishment	(i)Nature of work carried out in the establishment (ii) Activity as per National Ind'l classification	Date of commencement	Permanent establishment or probable date of completion	Maximum number of employees employed/ proposed to be employed	Maximum number of employees employed/ proposed to be employed
1	2	3	4	5	6	7

V. DETAILS OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH SINGLE LICENCE IS REQUIRED (IF APPLYING FOR)						
Name of States in which the establishments are situated	Name of each work	Maximum number of labour will be/is employed	Date of commencement	Permanent establishment or probable date of completion	Maximum number of employees employed/ proposed to be employed	Registration number, if obtained, then details thereof
1	2	3	4	5	6	7

Signature of Contractor
(eSign/DSC)
Note: This is an online application summary applied on Shram Suvidha Portal.
APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE
1. Licence No. Date :
2. LIN & PAN
2. Name and address of the establishment:
3. Date of expiry of previous licence :
4. Whether the licence of the employer/contractor was suspended or revoked:
5. Details of Fees paid : (Enclose e-payment receipt): Amount …. date of payment :
E-sign /digital sign of the employer/contractor date:
APPLICATION FOR AMENDMENT OF LICENCE :
1. Licence No Date:
2. LIN & PAN
3. Name and address of the establishment:
4.Details for which amendment is sought :
(a). Maximum number of worker presently employed : (If there is increase in the maximum number of workers to be employed, then additional fees/security deposit as per law needs to be deposited:
(b). Details of fees paid through e payment date on which made :
(c). Other details requiring amendment in the licence issued (Necessary documents may be uploaded in support of change required)

E-sign /digital sign of the employer/contractor **date of application**

FORM-XIV

(Under Rule-46)

PROFORMA OF LICENSE

Licence No. ---------- Reg. No. ---------- Date of Reg. ---------

Licence is hereby granted to ----------

for the premises known as ----------

situated at ----------

for use as a establishment within the limits stated herein after, subject to provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, and the rules made there under.

The ---------- 20.. Issuing Authority

Sl.No.	Period of issue	Valid For	Fee	Date of Payment	Excess fee for late payment	Date of payment	Signature of the Issuing Authority
		Maximum number of Contract labour / workers on any one day					

AMENDMENTS:

Year when Amended	Maximum number of Contract labour /workers on any one day	Date of payment of amendment fee	Date of Payment	Signature of the Issuing Authority

FORM-XV

(Under Rule-55)

EXPERIENCE CERTIFICATE OF CONTRACT EMPLOYEE

To whom so ever concerned
1. Name of contractor/employer*:
2. LIN/PAN No. of the contractor/employer/Registration No. *:
3. Email Id of the contractor /employer *:
4. Mobile No. of the contractor/employer *:
5. Nature and location of work:
6. Name of Principal Employer*:
7. LIN/PAN No. of the Principal Employer :*
8. Email Id of the Principal Employer : *
9. Mobile No. of the Principal Employer :*
10. Name of the worker*:
11. UAN / Aadhaar No.:
12. Mobile No. :
13. Serial
14. Registration number, date and name of the Board if the building and other construction worker is registered as a beneficiary:
15. Period of Employment:
16. Designation:
Seal and Signature of Contractor
*Please strike off whichever is not applicable.

FORM-XVI

(Under Rule-60)

Agreement between Producer and Audio-visual worker

This agreement is made on this day ..... month .....year..... between Messers..... having office at ..... (hereinafter referred to as the ―Producer‖) on the first part and Shri/Smt/Kum .....son/daughter/wife of Shri .... residing at ..... (hereinafter referred to as the ―audio-visual worker‖) on the second part. The terms _Producer‘ and _audio-visual worker‘ shall include their heirs, successors, administrators and legal representatives:

Now, therefore this agreement is made as follows:

1. That both the parties agree that the duration of this agreement shall be from the date hereof till the completion of the audio-visual and this period shall not exceed consecutive months.

2. That the audio-visual worker agrees to attend studio, location or work place, as the case may be, subject to the requirement of his previous engagement and on his confirmation, to his respective job punctually as and when he shall be required by a written intimation by the Producer or the person duly authorised by him in writing.

3. That inconsideration of the audio-visual worker services, as aforesaid, the Producer agrees to pay and the audiovisual worker agrees to receive a sum of Rs. .....(Rupees .....) payable as advance on signing of this agreement and the balance of Rs. .....payable in ..... . equal installments.

4. That in the event of the audio-visual production being not complete within the stipulated period and the Producer still needing the services of the audio-visual worker to complete the audio-visual production, the producer agrees to pay and the audio-visual worker agrees to receive additional remuneration on pro-rata basis, payable in the same manner as stated in Clause 3 above, till the completion of the production.

5. That in case the assignment of the audio-visual worker is completed earlier than the period stipulated in Clauses 1 and 4 above, the producer shall settle the account of the audio-visual worker and pay the remaining balance of the agreement amount in full before the commencement of re-recording work/censor of the production, whichever is earlier.

6. That the audio-visual worker shall, if so required,

(a) attend the studios, location or work-place, as the case may be, earlier than the a scheduled time of the shift, for preparatory work, and in that case, he/she shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs. .....per hour or part thereof for such early attendance.

(b) continue to work beyond the working day, with one hour break and in that case, he/she shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs..... for the work during the extended hours and refreshments, and transport facilities.

8. That the Producer shall provide transport and food or pay traveling allowances to and fro to report to duty and food allowance while on duty as are customary or fixed by bilateral arrangements between the Producer‘s and audio-visual worker‘s representative organizations.

9. That the Producer shall also pay for all travelling and accommodation expenses, fares, cost of food and such other allowances as are customary when the audio-visual worker is required to work on location outdoors.

10. That the Producer shall get the audio-visual worker insured for any injury or damage to his/her person including death caused by accident arising out of or in the course of his/her employment and/or during the period of his/her assignment under this agreement.

11. That where the Producer is prevented from proceeding with the production of the audio-visual by reason of fire, riot, natural calamity, order of the public authority or any other reason beyond his control :-

(a) he shall be entitled to suspend the operation of this agreement during the period of suspension of production in case the production is suspended. The producer shall serve notice in writing of such suspension on the audio-visual worker and shall pay all his/her dues up to the date of service of such notice. Upon resumption of work on the film, this agreement shall revive and shall remain valid for the period stipulated in Clause I excluding the period of suspension therefrom ; or

(b) he shall be entitled to terminate this agreement as from the cessation of production, in case the production ceases completely. The producer shall serve a notice in writing of such cessation on the audio-visual worker and make payment of all the amount due to the audio-visual worker at the time of termination.

12. That in case if the Producer desires to terminate this agreement before the expiry of its term for reasons other than misconduct in relation to performance of the audio-visual worker‘s duties or of his/her unwillingness to perform the services required under this agreement, the producer shall be entitled to do so only upon payment of the balance of the stipulated amount of the agreement. Only after such payment to the audio-visual worker, the Producer shall be titled to employ another audio-visual worker in his/her place.

13. That the Producer shall have the right to terminate this agreement on ground of misconduct on the part of the audio-visual worker in relation to performance of his/her duties or his/her unwillingness to perform the service required under the agreement, upon payment to the audio-visual worker of the amount due at the time of termination, calculated taking into consideration the audio-visual worker‘s total work in the audio-visual and the work he/she has completed till the date of termination of this agreement. Termination under this clause shall not be made unless the charges of the Producer against the audio-visual worker are proved before a forum comprising equal number of representatives of the Producers‘ Organisation and the audio-visual worker‘s Organisation to which the Producer and the audio-visual worker respectively may belong. The decision of the forum shall be binding on both the parties. The producer can engage another audio-visual worker for the job towards this agreement only after the forum has given a decision in favour of such termination and the audio-visual worker has been paid all his dues.

14. That in case of premature termination of this agreement, it shall be the option of the Producer whether or not to retain the work of the audio-visual worker in the audio-visual and at the same time, it shall be option of the audiovisual worker whether or not to allow his/her name to go on the credit titles of the film.

15. That the Producer shall have the right to decide the manner of representing the audio-visual worker‘s personality on the screen, his/her clothes, make-up and hair-style and the audio-visual worker shall

fully and willingly comply with the direction of the Producer in this regard, provided that the requirements of the Producer in this respect have been notified to the audio-visual worker and accepted by him/her.

16. That the audio-visual worker agrees that he/she shall render his/her services to the best of his/her ability in such manner as the Producer or, at his instance, the Director of the audio-visual may direct and shall comply with all reasonable instructions that he may give for the production of the film.

17. That the Producer shall also pay for all traveling and accommodation expenses, fares, cost of food and such other allowances as are customary when the audio-visual worker is required to work on location outdoors.

18. That the Producer shall get the audio-visual worker insured for any injury or damage to his/her person including death caused by accident arising out of or in the course of his/her employment and/or during the period of his/her assignment under this agreement.

19. That where the Producer is prevented from proceeding with the production of the audio-visual by reason of fire, riot, natural calamity, order of the public authority or any other reason beyond his control :-

(a) he shall be entitled to suspend the operation of this agreement during the period of suspension of production in case the production is suspended. The producer shall serve notice in writing of such suspension on the audiovisual worker and shall pay all his/her dues up to the date of service of such notice. Upon resumption of work on the film, this agreement shall revive and shall remain valid for the period stipulated in Clause I excluding the period of suspension there from ; or

(b) he shall be entitled to terminate this agreement as form the cessation of production, in case the production ceases completely. The producer shall serve a notice in writing of such cessation on the audio-visual worker and make payment of all the amount due to the audio-visual worker at the time of termination.

20. That in case if the Producer desires to terminate this agreement before the expiry of its term for reasons other than misconduct in relation to performance of the audio-visual worker‘s duties or of his/her unwillingness to perform the services required under this agreement the producer shall be entitled to do so only upon payment of the balance of the stipulated amount of the agreement. Only after such payment to the audio-visual worker, the Producer shall been titled to employ another audio-visual worker in his/her place.

21. That the Producer shall have the right to terminate this agreement on ground of misconduct on the part of the audio-visual worker in relation to performance of his/her duties or his/her unwillingness to perform the service required under the agreement, upon payment to the audio-visual worker of the amount due at the time of termination, calculated taking into consideration the audio-visual worker‘s total work in the audio-visual and the work he/she has completed till the date of termination of this agreement. Termination under this clause shall not be made unless the charges of the Producer against the audio-visual worker are provide before a forum comprising equal number of representatives of the Producers‘ Organisation and the audio-visual worker‘s Organisation to which the Producer and the audio-visual worker respectively may belong. The decision of the forum shall be binding on both the parties. The producer can engage another audio-visual worker for the job towards this agreement only after the forum has given a decision in favor of such termination and the audio-visual worker has been paid all his dues.

22. That in case of premature termination of this agreement, it shall be the option of the Producer whether or not to retain the work of the audio-visual worker in the audio-visual and at the same time, it shall be option of the audiovisual workers whether or not to allow his/her name to go on the credit titles of the film.

23. That the Producer shall have the right to decide the manner of representing the audio-visual worker‘s personality on the screen, his/her clothes, make-up and hair-style and the audio-visual worker shall fully and willingly comply with the direction of the Producer in this regard, provided that the requirements of the Producer in this respect have been notified to the audio-visual worker and accepted by him/her.

24. That the audio-visual worker agrees that he/she shall render his/her services to the best of his/her ability in such manner as the Producer or, at his instance, the Director of the audio-visual may direct and shall comply with all reasonable instructions that he may give for the production of the film.

25. That the audio-visual worker shall comply with all the regulations of the studio, location or work place as the case may be.

26. That the Producer shall not without the consent in writing of the audio-visual worker, assign or transfer the benefit of this agreement to any other person.

27. That the provisions of the Employees‘ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 shall be applicable to this agreement.

28. That the Producer shall not utilise the work of the audio-visual worker in any film, other than the audio-visual under this agreement, without prior permission of the audio-visual worker.

The parties have put their hands to this agreement on the date, month and year said above in the presence of each other and in the presence of the witnesses.

1. Witness	Producer
Name Address	
2. Witness	audio-visual worker
Name Address	

Form No. XVII
[*See* Rules 63]
Application for grant or renewal of licence for Bidi & Cigar Establishment

1. Registration No. of Establishment as per Section 3 of OSH code .....
2. Full name of the industrial premises-
3. (i) Full postal address and situation of the industrial premises.
   (ii) Full address to which communication relating to the industrial premises should be sent.
   (iii) Full address of the applicant.
4. Maximum number of employees proposed to be employed on any one day during the financial year.
5. Full name and residential address of employer -
6. If the employer is a partnership, company, etc. full name and residential address of other partners or directors, etc. (* Note 1).
7. Financial resources of the employer (e.g., particulars and value of movable and immovable properties, bank reference, income-tax assessment, etc.).
8. Whether the employer is a trade mark-holder registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958.
9. Value of beedis or cigar or both manufactured at the industrial premises during the preceding financial year.
10. Previous experience of the applicant* in the industry.
11. Whether the proposed site of the industrial premises amounts to the alteration of the site of any existing industrial premises and, if so, the reasons for such alteration.
12. Whether any industrial premises was closed by the applicant during the period of twelve months immediately preceding the date of the application, and if so, the reasons therefor.
13. Source of obtaining tobacco.
14. Whether the beedis or cigars or both manufactured by the applicant* will be sold and marketed by himself or through a proprietor or a registered user of a trade mark registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958, or any other person.*
15. Whether the plans of the premises are enclosed.

I hereby declare that the particulars furnished by me in the form are to the best of my knowledge and belief accurate.

Signature of applicant.

Note 1. - Where an industrial premises is run or proposed to be run by a contractor for or on behalf of another person or persons or company, etc., the said other person or persons or company, etc., is under the Act the employer and particulars to be entered for "employer" in the Form should be in regard to such person, persons or company, etc.

*The application for licence may however be made either by the contractor or the employer.

(2) If any person named against item 5 shall not be minor.

Form No. XVIII

[*See* Rule 63 (3)]

Licence

Licence No. Registration No.

Licence is hereby granted as to.....valid only for the premises described below for use as industrial premises employing not more than ..... employees on any one day during the year.....subject to the conditions specified in Annexure

The licence shall remain in force till the 31st day of March.

Name of industrial premises.

Situation of the industrial premises.

Permission is also granted for the installation of power-driven machinery.

Signature and seal of the competent authority

Renewal

[*See* Rule 63 (5)]

Date of renewal	Fees paid for renewal	Date of expiry.
1. 2. 3. 4.		

Date

Signature and seal of the competent authority

Annexure

The licence is subject to the following conditions :

(1) The manufacturing process shall be carried on only in that part of the industrial premises specified for the purpose in the licence.

(2) The maximum number of employees employed in the industrial premises shall not on any day exceed the number specified in the licence.

(3) Power-driven machinery not specified in the licence shall not be used in the manufacturing process in the premises.

(4) Except with the prior permission in writing of the competent authority, the industrial premises shall not be extended and except with the like permission no structural alterations shall be made in any building on such premises.

(5) The licence shall not be transferable

Form No. XIX
(See Rule No.-65)

(Application for Permission to work outside the Industrial Premises)

1. Registration no of Establishment-
2. Licence number -
3. Full name & address of Industrial Premises -
4. Name & address of Employer/Contractor -
5. Maximum number of worker employed any day in Establishment in last 12 Month. -
6. Maximum number of workers for which employers wants permission for work outside the industrial premises.

Signature of Applicant

Form No. XX
(*See* Rule 65)
Record of Outside Work
Number and date of Government's order permitting work outside industrial premises.....

Date	Place or places where outside work was permitted	Nature of work	Name of employees	Remarks

Form No. XXI
(*See* Rule-66)
Home Workers Log Book

1. Name and address of the Beedi Company
2. Name and address of the local employer/ Manager of the Company
3. Name and address of the Contractor/ Commission Agent
4. Central Excise Licence Number (L-2)
5. Name and address of the Beedi Worker
6. Address of the house where Beedis are manufactured

Account of work done at home and wages paid therefor

Date month and year	Weight of tobacco and leaves received		No. of Beedis manufactured	No. of rejected Beedis	Wages payable for manufactured Beedis
	Tobacco	Leaves			
1	2	3	4	5	6
Wages payable for rejected Beedis	Adjustment of advance or deduction, if any	Net amount of wages actually paid and received	Signature or left thumb-impression of Home worker	Signature of Employer/ Commission Agent	Remarks
7	8	9	10	11	12

FORM No. XXII

(See rule-67(2)(ii)

Application for permission to construct, extend or take into use any building or premises as a factory

1. Details of Occupier*

(a) Name: _____

(b) Address (office): _____

(c) Address (residential): _____

(d) Mobile number

(e) Email id : _____

2. Details of factory*

(a) Full name: _____

(b) Address with pin code: _____

(c) District: _____

(d) Subdivision _____

(e) Block _____

(f) Town / village _____

(g) Nearest railway Station _____

(h) Nearest Police Station _____

(i) Phone number _____

3. Particulars of plant proposed to be Installed & details of manufacturing process_____

_____

_____

4. Whether the factory involves hazardous processes or dangerous operations – yes or no

4. Maximum number of Workers

(Proposed To be employed)

M	F	Third Gender

5. Details of

(a) Raw material

(b) Intermediate product/by product

(c) Final Product

6. Use of Chemicals in the manufacturing process, if any

S. No.	CAS no :	Chemical name:	Maximum storage at any time:

7. NOTE

a. Seal bearing " authorized signatory " shall not be used on any document

b. Every page of the Documents submitted along with the Form should be self attested by the Occupier along with date.

Place:_____

Date:_____

Signature of occupier with seal: _____

(Name)

CHECKLIST

NOTE: This application shall be accompanied by the following documents:-

1. A flow chart of the manufacturing process supplemented by a brief description of the process in its various stages.
2. Documents related to the ownership of the land:
3. Photo ID and address proof of the Occupier.
4. Declaration regarding occupier of the factory
5. Such other particulars as the Chief Inspector may require.

FORM No. XXIII

[See Rule-67(4)&(5)]

Application for grant of licence for factory as specified in rule

1. Registration details

1.	LIN (if any)	
2	Registration number	

1. GeneralInformation:

2a.	Full name of the factory	
2b.	Factory licence number (if licence issued earlier)	

2. Address and contact information:

3a.	Full postal address the factory including- district, subdivision, block, village/town, police station, post, pincode mobile number/telephone number email id	
3b.	Full postal address along district, subdivision, block, village/town, police station, post, pincode mobile number/telephone number email id (if different from above)	

3. Details of manufacturing processes:

A.	Whether factory involves hazardous process	
B.	Whether factory involves dangerous operations	
C.	Date of commencement of manufacturing process	
D.	Manufacturing process to be carried on in the factory during the next twelve months	
E.	Details of product(s) to be manufactured	

4. Workers employed:

	Details of workers	Male	Female	Others (transgender/ adolescents)	Total
5a.	Maximum number of workers proposed to be employed during the year				
5b.	Maximum number of workers employed during the last twelve months on any day				
5c.	Number of workers ordinarily employed in the factory				

5. Power installed:

6a.	Maximum amount of Power (H.P) (installed) (attach sanction load and first electricity bill)*	
6b.	Maximum amount of Power (H.P) to be used	
6c	Total rated capacity (kilowatt) of generator installed	
6d	Total rated capacity (kilowatt) of generator to be used	
6e	Total rated capacity (kilowatt) of transformer insalled	
6f	Total rated capacity (kilowatt) of generator to be used	
6g	Total capacity of transmission station (kilowatt)	

6. Particulars of Factory Manager:*

7.	Name and address of the person who shall be the Factory Manager (if appointed) of the factory for the purposes of the code	Name	
		Residential address	
		Mobile No. Email id	

7. Particulars of Occupier:

8 a	Name and address of the occupier *(in case of a private firm.)*	Name	
		Residential Address	
		Mobile No. Email id	
8a.	Name and address of the occupiers *Attach list of partners with complete details, (in case of partnership firm)*	Name	
		Residential Address	
		Mobile No. Email id	
8b.	Name and address of the Director in case of a private/ public limited company *(attach list of Director with details)*	Name	
		Residential Address	
		Mobile No. Email id)	
8c	Full name and residential address of the owner of dock	Name	
		Address	

		Mobile No. Email id	
8d	Full name and residential address of the Managing Agent in case where a managing agent is appointed by the Central Government / State Government / Local authority as Occupier	Name	
		Address	
		Mobile No. Email id	

8. Land & Building:

9a.	Full name and address of the owner of the premises or building (including the precincts thereof)	Name	
		Address	
		Mobile No. Email id	
9b.	Reference number and date of approval of the plans for site, whether for old or new building and for construction or extension of factory by the State Government / Chief Inspector	Date	

9. Disposal of wastes and effluents:

10.	Reference number and date of approval of the arrangements, if any made for the disposal of trade waste and effluents and the name of the authority Granting such approval.	date

10. Fees Details:

11.	Total amount of fees paid	Rs.

11. NOTE

a. In case of any change in the above information, Department shall be informed in writing.

b. Seal bearing " authorized signatory " shall not be used on any document.

Place:_____

Date:_____

Signature of Factory Manager: _____

(Name)

Signature of occupier: _____

(Name)

VERIFICATION

I the above named Occupier do hereby further solemnly affirm that the contents given above are true to the best of my knowledge.

Place: _____

Date: _____

Signature of Occupier ……

~~~
~~~

Form XXIV
(See rule-67(5)(iv)

LICENCE TO WORK AS A FACTORY

Licence number- _____

Registration number- _____

LIN - _____

Name of factory – _____

Address of factory- _____

Name of occupier- _____

Name of manger- _____

Total number of workers-_____

Power details – Motor capacity- _____ HP

Generation capacity- _____ KW

Transformer capacity- _____ KW

Transmitting capacity - _____ KW

Signature of licencing authority_____

Name of licencing authority_____

Designation of licencing authority _____

This licence is valid till the date .....

FORM _XXV__
(See Rule-67(7)(i)
AMENDMENT OF FACTORY LICENCE

1.	LIN (if any)	
2	Registration number	
3	Licence number	
NAME OF OCCUPIER		
Previous installed capacity of Generator in K.W.		
Previous installed capacity of Transformer in K.W.		
Previous installed capacity of transmitting station in K.W.		
Name and residential address of outgoing manager		
Current name of the factory		
Previous address / situation of the factory		
Current number of workers in the factory		
Current installed capacity of Motor / Engine in H.P		
Current installed capacity of Generator in K.W.		
Current installed capacity of Transformer in K.W.		
Current installed capacity of transmitting station in K.W.		
Name of current manager		
Residential address of current manager		
A.	Whether factory involves hazardous process	
B.	Whether factory involves dangerous operations	
C.	Manufacturing process to be carried on in the factory during the next twelve months	

Signature of occupier : _____

FORM No.-XXVI
[See rules 67 (8)(i)]
APPLICATION FOR TRANSFER OF LICENCE

Licence number- _____

Registration number- _____

LIN - _____

Name of factory – _____

Address of factory- _____

Name of manger- _____

Total number of workers-_____

Power details – Motor capacity- _____ HP

Generation capacity- _____ KW

Transformer capacity- _____ KW

Transmitting capacity - _____ KW

Name of outgoing occupier _____

Name and address of current occupier _____

Reason for transfer of factory occupier _____

Signature of manager _____

Signature of current occupier_____

Form No.-XXVII
[(See Rule-71(iii) and 72(i)]
FORMAT OF APPLICATION TO THE SITE APPRAISAL COMMITTEE

1. Name and address of the applicant

2. Site Ownership Data

2.1 Revenue details of site such as Survey No. Plot No. etc.

2.2 Whether the site is classified as forest and if so, whether approval of the Central Government under Section 5 of the Indian Forests Act, 1927 has been taken.

2.3 Whether the proposed site attracts the provisions of Section 3(2) (v) of the E.P.Act, 1986, if so, the nature of the restrictions.

2.4 Local authority under whose jurisdiction the site is located.

3. Site Plan

3.1 Site Plan with clear identification of boundaries and total area proposed to be occupied and showing the following details nearby the proposed site.

(a) Historical monument, if any, in the vicinity.

(b) Names of neighboring manufacturing units and human habitats, educational and training institutions, petrol installations, storages of LPG and other hazardous substances in the vicinity and their distances from the proposed unit.

(c) Water sources (rivers, streams, canals, dams, water filtration plants, etc.) in the vicinity.

(d) Nearest hospitals, fire stations, civil defence stations and police stations and their distances.

(e) High tension electrical transmission lines, pipelines for water, oil gas or sewerage; railway lines, roads, stations; jetties and other similar installations.

3.2 Details of soil conditions and depth at which hard strata obtained.

3.3 Contour map of the area showing nearby hillocks and difference in levels.

3.4 Plot Plan of the factory showing the entry and exit points, roads within, water drains, etc.

4. Project Report

4.1 A summary of the salient features of the Projects.

4.2 Status of the organisation (Government, Semi Government, Public or Private etc.)

4.3 Maximum number of persons likely to be working in the factory.

4.4 Maximum amount of power and water requirements and source of their supply.

4.5 Block diagram of the buildings and installations, in the proposed supply.

4.6 Details of housing colony, hospital, school and other infrastructural facilities proposed.

5. Organisation structure of the proposed manufacturing unit/factory

5.1 Organisation diagrams of – - Proposed enterprise in general - Health; Safety and Environment protection departments and their linkage to operation and technical departments.

5.2 Proposed Health and Safety Policy.

5.3 Area allocated for treatment of wastes and effluent.

5.4 Percentage outlay on safety, health and environment protection measures.

6. Meteorological data relating to the site

6.1 Average, minimum and maximum of - Temperature - Humidity - Wind velocities during the previous ten years

6.2 Seasonal variations of wind direction

6.3 Highest water level reached during the floods in the area recorded so far.

6.4 Lightning and seismic data of the area.

7. Communication Links

7.1 Availability of telephone/telex/wireless and other communication facilities for outside communication.

7.2 Internal communication facilities proposed

8. Manufacturing Process Information

8.1 Process flow diagram

8.2 Brief write-up on process and technology

8.3 Critical process parameters such as pressure buildup temperature rise and run-away reactions

8.4 Other external effects critical to the process having safety implications, such as ingress of moisture or water, contact with incompatible substances, sudden power failure.

8.5 Highlights of the built-in safety/pollution control devices or measures/ incorporated in the manufacturing technology.

9. Information of Hazardous Materials

9.1 Raw materials, intermediates, products and by-products and their quantities (Enclose Material Safety Data Sheet in respect of each hazardous substance)

9.2 Main and intermediate storages proposed for raw materials/intermediates/ products/by-products (maximum quantities to be stored at any time).

9.3 Transportation methods to be used for materials inflow and outflow, their quantities and likely routes to be followed

9.4 Safety measures proposed for: - handling of materials; - internal and external transportation; and - disposal (packing and forwarding of finished products)

10. Information on Dispersal/Disposal of Wastes and Pollutants

10.1 Major Pollutants (gas, liquid, solid) their characteristics and quantities (average and at peak loads)

10.2 Quality and quantity of solid wastes generated, method of their treatment and disposal

10.3 Air, water and soil pollution problems anticipated and the proposed measures to control the same, including treatment and disposal of effluents.

11. Process Hazards Information

11.1 Enclose a copy of the report on environmental impact assessment

11.2 Enclose a copy of the report on Risk Assessment study.

11.3 Published (open or classified) reports, if any, on accident situations/ occupational health hazards or similar plants elsewhere (within or outside the country)

12. Information of proposed Safety and Occupational Health Measures

12.1 Details of fire fighting facilities and minimum quantity of water, CO2 and or other fire fighting measures needed to meet the emergencies

12.2 Details of in-house medical facilities proposed

13. Information on Emergency Preparedness

13.1 Onsite emergency plan

13.2 Proposed arrangements, if any, for mutual aid scheme with the group of neighboring factories

14. Any other relevant information

I certify that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and nothing of importance has been concealed while furnishing it.

Name and Signature of the Applicant.

Form No. XXVIII
[(See Rule-79(1)(c)]
Health Register

(In respect of persons employed in occupations declared to be dangerous operations and hazardous).

Name of medical officer	
Name of factory---- Registration number_____ LIN no. _____ Factory licence number_____	(a) Mr..... From.....To..... (b) Mr..... From.....To..... (c) Mr..... From.....To.....

Serial No.	Works No.	Name of worker	Sex	Age (last birthday)	Date of employment on present work	Date of leaving or transfer to other work	Reason for leaving, transfer or discharge	Nature of job or occupation	Raw material or by product handled	Date of Medical Examination by medical officer/qualified medical practitioner Result of Medical Examination	If suspended from work, state period of suspension with detailed reasons	Re-certified to resume duty on (with signature of medical officer)	If certificate of unfitness or suspension issued to worker	Signature, with date of medical officer /qualified medical practitioner
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

For transfer or discharge should be stated Unfit/Suspended.

FORM No. XXIX
[(See Rule No.-79(2)]

Certificate of Fitness for Dangerous Operation/hazardous process industries

1. Serial Number–
2. Name of person examined–
3. Father's name –
4. Sex –
5. Address–
6. Name of the factory in which employed/in which wishes to be employed–
7. Process of department in which employed/wishes to be employed–
8. Whether certificate granted–
9. Whether declared unfit and certificate refused–
10. Reference number of previous certificate granted or refused–

L.T.I of person examined. **Signature of medical officer**

Serial Number……..

I certify that I have personally examined……(Name) son of…….
……..(Father's name) residing at……..……(address) who is desirous of being employed as…… (name of factory) in…… (Deptt. & Process), that as nearly as can be ascertained from by examination, he is fit/unfit for employment at the above noted factory.

2. He is fit to be employed and may be employed on some other non-hazardous operation such as-
3. He may be produced for further examination after a period of-
4. He is advised following further examination -
5. He is advised following treatment -
6. The serial number of the previous certificate is-

L.T.I of person examined. **Signature of medical officer** .

Note :- 1. The counterfoil should be retained by the medical officer and maintained in a bound book or in a file.
2. The Para which does not apply may be cancelled.

By Order of the Governor of Bihar,
Gajendra Kumar Mishra,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 910-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in